पंचदश माला, खंड 36, अंक 1

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 2013
14 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवाँ सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 90
Dated 24 Aug. 2017

(खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बाल शेखर
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सम्पादक

हंसराज
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 36, पंद्रहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 1, गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	(i-ix)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद्	(xii-xiv)
राष्ट्रगान	1
म्यांमार के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	5–148
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	149–756
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	757–758
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	758–768
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	565–566
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	565–568

*सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिम उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलुबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरुल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

काछडिया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री अजय (जमशेदपुर)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरूचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोड़ा, श्री मधु (सिंहभूम)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका संजय (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी-महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)

टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हि.प्र.)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डे, डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तराई, श्री बिभू प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरुमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरूवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इडुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री ख़गेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दिव्यस्पंदना, कुमारी रम्या (मांडया)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेघ (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतम बुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नायक, श्री पी. बलराम (महबूबाबाद)

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुदुचेरी)

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्र (बनगांव)

निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, श्रीमती मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (मेहसाणा)

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश (कल्याण)

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पांडा, श्री वैजयन्त (केन्द्रपाड़ा)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर-पूर्व)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान, श्री नित्यानन्द (अस्का)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इटावा)

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बक्शी, श्री सुब्रत (कोलकाता दक्षिण)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बनर्जी, श्री प्रसून (हावड़ा)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)

बलीराम, डॉ. (लालगंज)

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

बाबर, श्री गजानन धं. (मावल)

'बाबा', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-उधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदुर)

बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (हिसार)

बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरूलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (बाल्मीकिनगर)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महाजन, श्रीमती, सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

मांझी, श्री हरि (गया)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुखर्जी, श्री अभिजीत (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री अरूण (खंडवा)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यादव, श्रीमती डिम्पल (कन्नौज)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)

राजा, श्री ए. (नीलगिरि)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)

राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)

राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)

राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराज भाई (पोरबंदर)

राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)

राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री एस. पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगमोहन (कडप्पा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथ, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

वेणुगोपाल, श्री के. सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूवन्नामलाई)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामुला)

शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्ल, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमन्द)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल पश्चिम)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्कानगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान पूर्व)

साहू, श्री चन्दूलाल (महासमंद)

सिंगला, श्री विजय इन्दर (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनन्दपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमण (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिन्हा, शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मवेलीकारा)

सुरेश, श्री डी.के. (बंगलोर ग्रामीण)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सेलम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)

सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश (उदूपी चिकमंगलूर)

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; और 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री गुलाम नबी आज़ाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	गृह मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री शीश राम ओला	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री अजित सिंह	नागर विमानन मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	रेल मंत्री
श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
कुमारी सैलजा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डॉ. गिरिजा व्यास	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
श्री जी. के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विदेश मंत्री

श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री के. रहमान खान	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	खान मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री हरीश रावत	जल संसाधन मंत्री
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	संस्कृति मंत्री
डॉ. के.एस. राव	वस्त्र मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जितेन्द्र सिंह	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनीष तिवारी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
डॉ. के. चिरंजीवी	पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती संतोष चौधरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरूर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.सी. वेणुगोपाल	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तारिक अनवर	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती रानी नरह	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अधीर चौधरी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अबू हशीम खां चौधरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सर्वे सत्यनारायण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निनोंग ईरींग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती दीपा दासमुंशी	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पी. बलराम नायक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री लालचन्द कटारिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जेसुदासु सीलम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

म्यांमार के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए म्यांमार की संसद के अभियोता लुट्टो (उच्च सदन) के स्पीकर, महामहिम उ.खिन ऑंग मयिन्त तथा संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं। वे सोमवार, 2 दिसंबर, 2013 को भारत पहुंचे और उन्होंने गया का भ्रमण किया। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं।

माननीय सदस्यगण, भारत और म्यांमार के बीच संबंध बहुत पुराने हैं तथा परस्पर मित्रता, सहयोग और सूझ-बूझ पर आधारित हैं। हमारा इतिहास, संस्कृति और मूल्य एक समान है। मुझे विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे तथा दोनों देशों की जनता एक-दूसरे के और निकट आएगी। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभपद्र होगा। हम उनके माध्यम से म्यांमार की संसद, सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने सहयोगी श्री मुरानी लाल सिंह तथा सात भूतपूर्व सदस्यों, श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार तथा सर्वश्री आर.पी. सारंगी, मोहन सिंह, राम नरेश कुशवाहा, मोहन धारिया, डॉ. नितीश सेनगुप्ता और श्री एच.पी. सिंह के दु:खद निधन के बारे में सूचना देनी है।

श्री मुरारी लाल सिंह लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह विभाग से संबद्ध श्रम संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य किया।

श्री मुरारी लाल सिंह का निधन 61 वर्ष की आयु में 04 दिसंबर, 2013 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार सातवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती बरार 1972 से 1977 तक पंजाब विधान सभा की सदस्य भी रहीं तथा उन्होंने 1973 से 1977 के दौरान पंजाब की राज्य सरकार में आवास राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया

श्रीमती बरार लोक सभा में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सदस्य थीं।

श्रीमती बरार का निधन 91 वर्ष की आयु में 07 सितंबर, 2013 को चंडीगढ़ में हुआ।

श्री आर.पी. सारंगी छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन बिहार राज्य के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सारंगी 1962 से 1976 तक बिहार विधान सभा के भी सदस्य रहे। वे बिहार सरकार में 1967 से 1968 तक कृषि, सहकारिता और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे।

श्री सारंगी, सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री आर.पी. सारंगी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 सितंबर, 2013 को जमेशदपुर, झारखंड में हुआ।

श्री मोहन सिंह, दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे राज्य सभा के वर्तमान सदस्य भी थे।

श्री सिंह 1977 से 1985 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा और 1990 से 1991 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे। वे 1978 से 1980 तक उत्तर प्रदेश सरकार में लघु उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे।

श्री सिंह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री सिंह एक विद्वान थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन पर अनेक पुस्तकें लिखीं तथा विभिन्न पत्रिकाओं और हिन्दी और दैनिक समाचार पत्रों के लिए लेख लिखे।

श्री सिंह को संसद में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया।

श्री मोहन सिंह का निधन 68 वर्ष की आयु में 22 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री राम नरेश कुशवाहा, छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कुशवाहा 1982 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वे लोक सभा की सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री राम नरेश कुशवाहा का निधन 84 वर्ष की आयु में 7 अक्तूबर, 2013 को देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री मोहन धारिया, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1964 से 1971 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री धारिया ने केन्द्रीय वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्री तथा योजना, कार्य और आवास राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री धारिया ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया।

अनेक देशों की यात्रा करने वाले श्री धारिया ने जर्मनी, तत्कालीन सोवियत संघ और अन्य देशों में गए संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

श्री धारिया का निधन 88 वर्ष की आयु में 14 अक्तूबर, 2013 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ।

डॉ. नितीश सेनगुप्ता, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोंटाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. सेनगुप्ता ने याचिका और रेलवे संबंधी समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

डॉ. नितीश सेनगुप्ता का निधन 79 वर्ष की आयु में 3 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री एच.पी. सिंह, बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे सरकारी उपक्रमों और मानव संसाधन विकास संबंधी समितियों के सदस्य भी थे। उन्होंने खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री एच.पी. सिंह का निधन 66 वर्ष की आयु में 18 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने भूतपूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं संप्रेषित करती हूं।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नैरोबी, केन्या के वैस्टगेट मॉल में आंतकी हमला हुआ जो 21 से 24 सितंबर, 2013 तक जारी रहा तथा इसमें विभिन्न देशों के 67 लोगों जिनमें चार भारतीय नागरिक भी शामिल थे, की मृत्यु हुई। छह अन्य भारतीय नागरिक घायल हुए।

इस दु:खद घटना में निर्दोष लोगों का मारा जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है अपितु अत्यधिक दु:खदायी भी है। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं संप्रेषित करती हूं।

एक अन्य घटना में मुंबई के मजगांव क्षेत्र में 27 सितंबर, 2013 को एक बहुमंजली इमारत के ढहने के कारण 61 लोगों की मृत्यु हुई।

एक अन्य घटना में फैलिन चक्रवात के कारण 13 अक्तूबर, 2013 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कम से कम तेईस लोगों की जान चली गई।

एक अन्य चक्रवात हेलन के कारण 22 नवंबर, 2013 को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लगभग 10 लोगों को मौत हुई।

इन दोनों चक्रवातों के कारण मकानों, सम्पत्तियों और फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची।

एक अन्य दु:खद घटना में 14 अक्तूबर, 2013 को मध्य प्रदेश के

दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि के त्यौहारों के दौरान भगदड़ मचने के कारण 111 लोगों की मौत हुई और लगभग 100 लोग घायल हुए।

बिहार के औरंगाबाद जिले में 03 दिसंबर, 2013 को हुए नक्सलवादी हमले में बारूदी सुरंग के विस्फोट में लगभग सात पुलिस कर्मियों के मारे जाने का समाचार है।

यह सभा इन दु:खद घटनाओं पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

एक अन्य दु:खद घटना में फिलीपींस में भीषण चक्रवात "हैयान" से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह सभा फिलीपिंस के मृतकों के परिवारों, सरकार, संसद और वहां की जनता के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। लोक सभा इस चक्रवात में बचे हुए लोगों, जिनकी सम्पत्ति और आजीविका नष्ट हुई है, के प्रति भी अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है।

लोक सभा फिलीपिंस गणराज्य की संसद और वहां की जनता के प्रति इस संकट की घड़ी में अपना पूरा सहयोग और समर्थन व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

***1. श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां उक्त अवधि के दौरान प्रदत्त धनराशि के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग में अनियमितताओं/दुर्विनियोग के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई तथा उनके द्वारा उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्तियां अधिकांशत: खर्च के अनुरूप सृजित की जाती हैं। जहां कहीं भी कोई विपथन होता है, वहां राज्य सरकारें अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रियाविधि के अनुसार उनका निपटान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय सृजित की गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को सर्वाधिक प्रमुखता देने की जरूरत पर बल देते हुए अधिनियम की अनुसूची-I के के पैरा-2 और पैरा-7 में दिए गए उपबंधों के अनुसार राज्यों को इस कार्य में लगा रहा है। वर्ष 2012-13 में सृजित की गई श्रेणी-वार परिसंपत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दिए गए आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न अनियमितताओं सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक मिली कुल 15316 शिकायतों में से 5456 शिकायतों की छानबीन की गई है तथा उन पर अंतिम कार्रवाई की गई है। 24 मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अभी यह कार्रवाई चल रही है। शेष 9836 मामले राज्य सरकारों के पास कार्रवाई हेतु लंबित पड़े हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि (एसओपी) में निहित अनुदेशों के अनुसरण में सभी शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने हेतु लगातार राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी और प्रयुक्त धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	केन्द्र और राज्य की ओर से रिलीज की गई राशि				किया गया व्यय			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 22.11.2013 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 22.11.2013 तक
1.	आंध्र प्रदेश	7887.12	2103.51	3216.74	4413.38	5439.39	4245.88	5037.51	2922.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.31	61.47	74.49	127.88	50.57	0.95	43.75	7.66
3.	असम	668.75	481.31	581.56	633.55	921.04	747.53	651.54	339.07
4.	बिहार	2387.82	1300.73	1726.12	1514.73	2664.25	1326.97	1861.49	1031.52
5.	छत्तीसगढ़	1868.73	1816.70	2203.02	1398.20	1633.98	2040.03	2221.19	1071.62
6.	गुजरात	1000.65	469.03	629.55	255.02	788.22	659.05	617.43	239.60
7.	हरियाणा	152.21	308.40	383.76	332.33	214.70	312.84	380.66	196.76
8.	हिमाचल प्रदेश	692.36	357.09	410.21	388.98	501.96	509.52	495.74	270.30
9.	जम्मू और कश्मीर	364.06	826.14	835.77	379.56	377.77	443.67	853.45	277.39
10.	झारखंड	1057.15	1337.33	909.89	751.43	1284.35	1169.67	1152.36	565.42
11.	कर्नाटक	2082.08	821.62	1437.93	1203.53	2537.17	1622.27	1456.47	1015.09
12.	केरल	721.48	976.16	1332.20	1002.24	704.34	1048.08	1416.60	639.50
13.	मध्य प्रदेश	2834.13	3305.01	1892.16	1837.89	3637.25	3410.38	3073.70	797.85
14.	महाराष्ट्र	274.19	1220.34	2149.05	1297.92	358.12	1601.50	2188.72	817.36
15.	मणिपुर	352.99	647.96	650.73	156.00	440.71	295.17	598.79	51.06

16.	मेघालय	235.66	313.33	238.74	176.07	319.02	298.69	256.03	109.96
17.	मिज़ोरम	245.32	353.69	285.37	282.89	293.15	230.68	290.39	119.05
18.	नागालैंड	531.50	673.47	460.12	280.63	605.37	563.40	428.23	97.90
19.	ओडिशा	1712.21	1110.45	983.46	741.16	1533.14	1039.08	1177.74	641.05
20.	पंजाब	134.31	133.16	129.35	140.54	165.84	159.81	157.78	115.66
21.	राजस्थान	3080.53	1814.30	2855.73	2010.43	3289.07	3156.60	3271.39	1785.21
22.	सिक्किम	44.79	100.80	77.07	85.71	85.26	48.24	80.17	26.38
23.	तमिलनाडु	2134.59	3162.27	3845.05	4690.21	2323.32	2923.20	4121.23	2198.29
24.	त्रिपुरा	407.25	994.75	1296.73	885.50	631.87	942.52	971.03	359.35
25.	उत्तर प्रदेश	5990.71	4711.59	1441.48	2951.49	5631.20	5016.25	2663.19	2185.62
26.	उत्तराखंड	327.26	411.82	299.91	332.70	380.20	388.30	311.77	182.11
27.	पश्चिम बंगाल	2442.50	2838.77	3892.81	2370.59	2532.46	2837.02	3850.56	1782.73
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.69	16.44	13.81	15.50	9.04	15.97	13.00	3.22
29.	दादरा और नगर हवेली	0.63	1.00	0.40	0.00	1.23	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	8.57	3.21	2.78	0.00	9.93	6.98	1.44	0.69
32.	लक्षद्वीप	3.29	1.00	1.62	0.19	2.52	2.41	1.53	0.41
33.	पुदुचेरी	29.82	1.00	13.36	13.80	10.82	10.18	12.15	8.76
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	39715.64	32673.83	34270.95	30670.05	39377.27	37072.82	39657.04	19858.97

नोट: कुछ वर्षों में, जब खर्च रिलीज की गई राशि से अधिक था, तब इस अतिरिक्त खर्च को विगत वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि तथा बैंक खातों में जमा निधियों पर मिले ब्याज से पूरा किया गया था।

एन.आर.: असूचित

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2012-13 में शुरू किए गए कार्यों की श्रेणी-वार संख्या

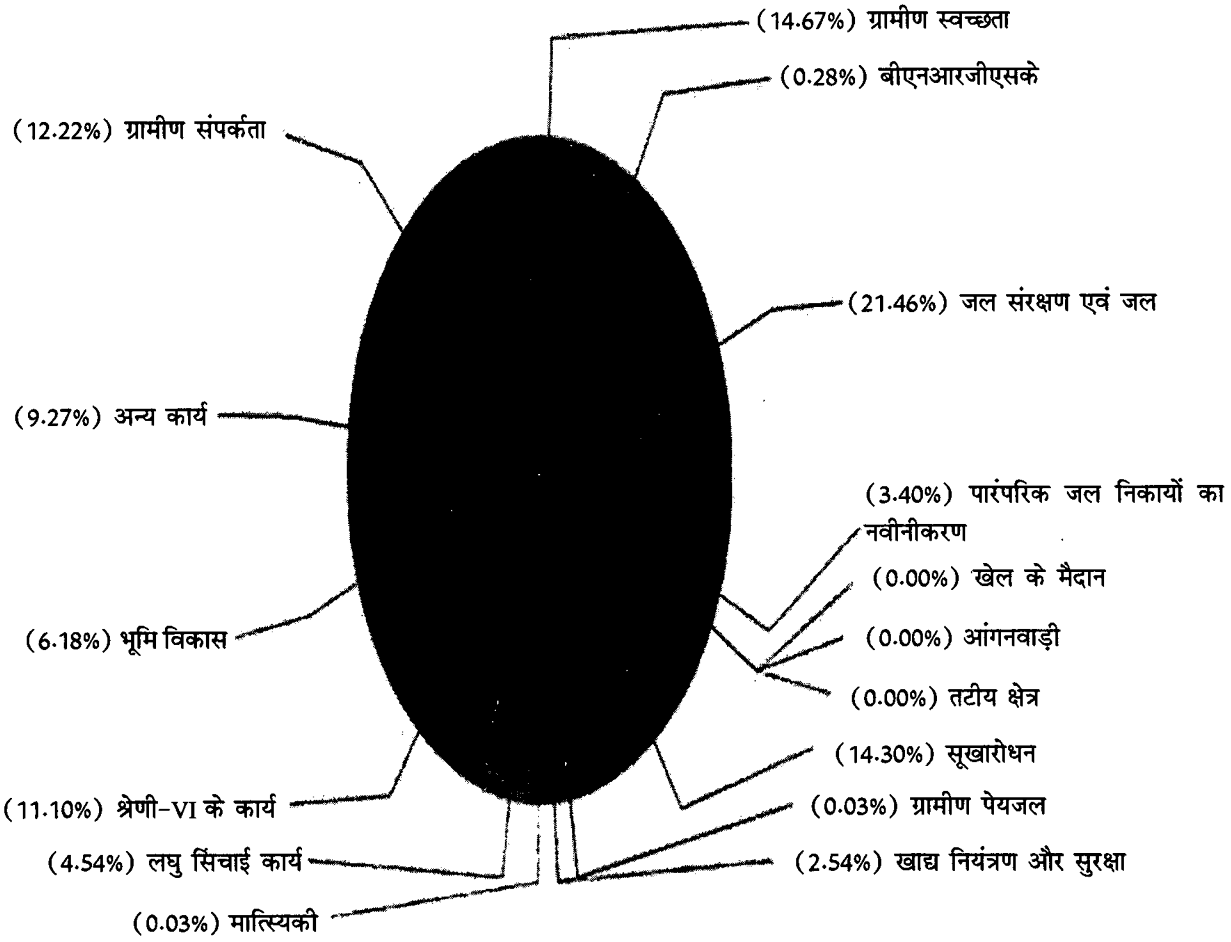

विवरण-III

कार्यवाही हेतु लंबित शेष मामले

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की स्थिति			
		लंबित	आंशिक रूप से निपटाए गए	पूर्णत: निपटाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	14
2.	असम	40	0	276	316
3.	बिहार	1371	0	8	1379

1	2	3	4	5	6
4.	छत्तीसगढ़	100	1	103	204
5.	गोवा	6	0	0	6
6.	गुजरात	6	0	0	6
7.	हरियाणा	22	0	143	165
8.	हिमाचल प्रदेश	113	0	289	402
9.	जम्मू और कश्मीर	32	0	377	409
10.	झारखंड	27	0	0	27
11.	कर्नाटक	450	3	168	621
12.	केरल	196	7	2293	2496
13.	मध्य प्रदेश	30	0	42	72
14.	महाराष्ट्र	1276	2	23	1301
15.	मणिपुर	607	1	290	898
16.	मेघालय	92	1	3	96
17.	नागालैंड	4	0	0	4
18.	ओडिशा	541	3	464	1008
19.	पंजाब	144	4	165	313
20.	राजस्थान	16	1	538	555
21.	सिक्किम	2	0	2	4
22.	तमिलनाडु	20	0	97	117
23.	त्रिपुरा	7	0	100	107
24.	उत्तर प्रदेश	4417	1	52	4470
25.	उत्तराखंड	106	0	10	116
26.	पश्चिम बंगाल	196	0	8	204
27.	पुदुचेरी	6	0	1	7
	कुल	9836	24	5456	15316

केन्द्र सरकार के उद्यम

***2. श्री मनोहर तिरकी :**

श्री नरहरि महतो :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कितने उद्यम कार्यरत हैं;

(ख) इनमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार के उद्यमों को उद्यम-वार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित देश के पिछड़े जिलों में केन्द्र सरकार के और अधिक उद्यम स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार के रुग्ण और घाटे में चल रहे उद्यमों के पुनरुद्धार हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) फरवरी, 2013 में संसद के दोनों सदनों में रखे गए अद्यतन लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं, के अंतर्गत देश में कुल 260 केन्द्रीय सरकारी उद्यम कार्यरत थे जिनमें 35 निर्माणाधीन तथा 225 प्रचालनरत थे। इस सर्वेक्षण (2011-12) के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋणों के मामले में दिनांक 31.03.2012 तक कुल निवेश 7,29,228 करोड़ रुपये था। दिनांक 31.03.2012 तक निवेश का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार उद्यम-वार हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल सहित देश के पिछड़े जिलों में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन स्थितियों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना की पहल करते हैं।

(ङ) रुग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार तथा पुन:संरचना के लिए सरकार को सलाह देने हेतु लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना दिसंबर, 2004 में की गई थी। सरकार ने अब तक 44 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें कुल 28,513 करोड़ रुपए की नकद तथा गैर-नकद सहायता शामिल है। इसके अलावा धारक कंपनियों ने कुल 6,923 करोड़ रुपए की लागत पर 3 सहायक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार प्रस्ताव का क्रियान्वयन किया है।

विवरण-I

केन्द्र सरकार के उद्यमों में दिनांक 31.3.2012 तक राज्य-वार निवेश

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	केन्द्र सरकार के उपक्रमों के नाम	निवेश
1	2	3
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और पौध विकास निगम लि.	159.80
	उप-योग	159.80
	आन्ध्र प्रदेश	
2.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	115.00
3.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	286.67
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	163.37

1	2	3
5.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	38.33
6.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	73.38
7.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	207.14
8.	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	70.10
9.	एनएमडीसी लिमिटेड	396.47
10.	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0.05
11.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	7727.32
	उप-योग	9077.83
	अरुणाचल प्रदेश	
12.	डोन्यी पोलो अशोक होटल लि.	1.00
	उप-योग	1.00
	असम	
13.	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन	3.94
14.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स और पॉलीमर लिमिटेड	2105.15
15.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लि.	654.83
16.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉर्पोरेशन लि.	22.75
17.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	800.34
18.	ऑयल इंडिया लि.	240.45
	उप-योग	3827.46
	बिहार	
19.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.	14.07
20.	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लि.	639.52
	उप-योग	653.59
	चंडीगढ़	
21.	पंजाब अशोक होटल कंपनी	2.50
	उप-योग	2.50

1	2	3
	छत्तीसगढ़	
22.	क्रेडा एचपीसीएल जैस ईंधन लि.	18.85
23.	लौह स्क्रैप निगम लिमिटेड	4.55
24.	इंडियन ऑयल-क्रेडा जैव ईंधन लि.	16.48
25.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लि.	3.05
26.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	604.61
	उप-योग	647.54
	दिल्ली	
27.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	0.05
28.	एयर इंडिया इंजीनियररिंग सर्विसेज लिमिटेड	0.05
29.	एयर इंडिया लि.	33967.05
30.	एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लि.	2.25
31.	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	2118.79
32.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि.	0.05
33.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	612.95
34.	भारत संचार निगम लि.	13483.18
35.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	1332.11
36.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्	0.10
37.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	999.30
38.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	10.85
39.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	73.09
40.	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कं. लि.	118.99
41.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्रेशन	68.02
42.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	1.00
43.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.05
44.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	1.47
45.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	40.05

1	2	3
46.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	40.05
47.	कंटेनर कॉर्पोरेशन, ऑफ इंडिया लि.	129.98
48.	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1258.54
49.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.05
50.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कं.	287.95
51.	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	1.50
52.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	168.47
53.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	3495.20
54.	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6580.44
55.	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लिमिटेड	71.67
56.	गेल (इंडिया) लि.	6157.83
57.	गेल गैस लि.	347.95
58.	घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	15.23
59.	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	13.82
60.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो. लि.	8801.11
61.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	113.07
62.	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.	886.09
63.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	134.77
64.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	674.20
65.	हिन्दुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि.	7.71
66.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	15724.89
67.	एचएससीसी (इंडिया) लि.	2.40
68.	इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स कंपनी लि.	23341.96
69.	इंडिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.	85.77
70.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	0.25
71.	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.	20.00
72.	इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि.	49302.25

1	2	3
73.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	4598.76
74.	इंडियन वैक्सीन निगम लि.	18.79
75.	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि.	55.82
76.	इरकान इंटरनेशनल लि.	9.90
77.	इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लि.	102.32
78.	कांति बिजली उत्पादन निगम लि.	1030.79
79.	कमाराकुरुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि.	0.97
80.	एमएमटीसी लि.	100.00
81.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	7630.00
82.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	672.35
83.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	120.00
84.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2091.39
85.	राष्ट्रीय हेंडीकेप्ड वित्त एवं विकास निगम	191.80
86.	नेशनल इंफोरमेटिक सेंटर सर्विसिस इनकोरपोरेटेड	2.00
87.	नेशनल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	1072.19
88.	नेशनल परियोजना निर्माण निगम लि.	158.26
89.	नेशनल अनुसंधान विकास लि.	4.42
90.	नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	344.99
91.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	676.80
92.	नेशनल अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम	312.33
93.	नेशनल बीज निगम लि.	52.99
94.	नेशनल लघु उद्योग निगम लि.	447.68
95.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि.	3502.49
96.	एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	0.08
97.	एनटीपीसी हाइड्रो लि.	121.56
98.	एनटीपीसी लि.	54153.73
99.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	20.00

1	2	3
100.	न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	24628.22
101.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लि.	4277.76
102.	ओएनजीसी विदेश लि.	20203.60
103.	ओडिशा इन्टेगरेटिड पावर लि.	0.05
104.	पीईसी लि.	20.00
105.	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	478.45
106.	पीएफसी केपिटल एडवाइजरी सर्विस लि.	0.10
107.	पीएफसी कंसल्टिंग लि.	0.05
108.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि.	4.99
109.	पावर इक्विटी केपिटल एडवाइजरी प्रा. लि.	0.05
110.	विद्युत वित्त निगम	97186.91
111.	पावर ग्रिड कॉरपो. ऑफ इंडिया लि.	53748.92
112.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि.	31.91
113.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	70.02
114.	रेल विकास निगम लि.	7793.46
115.	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लि.	388.22
116.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कं. लि.	0.05
117.	आरईसी ट्रांसमिसन प्रोजेक्ट कं. लि.	0.05
118.	राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.	0.05
119.	राईट्स लि.	40.00
120.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	77541.14
121.	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लि.	0.05
122.	साखिगोपाल इंटीग्रेटेड पॉवर कंपनी लि.	16.32
123.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिनटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लि.	0.05
124.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	31.49
125.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	60.00
126.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	15717.19
127.	तातिया आंध्र मेघा पावर लि.	20.05

1	2	3
128.	टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.	80.70
129.	वापकोस लि.	3.00
	उप-योग	550327.81
	गोवा	
130.	गोवा शिपयार्ड लि.	40.39
	उप-योग	40.39
	हरियाणा	
131.	भारतीय औषधि एवं भेषज लि.	6917.30
132.	एनएचपीसी लि.	28573.54
	उप-योग	35490.84
	हिमाचल प्रदेश	
133.	एसजेवीएन लि.	5637.97
	उप-योग	5637.97
	जम्मू और कश्मीर	
134.	एचएमटी चिनार वॉचेज़ लि.	230.38
135.	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	4.74
	उप-योग	235.12
	झारखंड	
136.	भारत कोकिंग कोल लि.	3201.30
137.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	1027.54
138.	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लि.	19.04
139.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	35.42
140.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.	606.08
141.	मेकॉन लि.	115.54
142.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.	2.68
143.	यूरेनियम कॉर्पो. लि.	1439.62
	उप-योग	6447.22

1	2	3
	कर्नाटक	
144.	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लि.	1.00
145.	बीईएमएल लि.	289.46
146.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	80.01
147.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	125.55
148.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	0.72
149.	एचएमटी लि.	1605.70
150.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	719.60
151.	एचएमटी वॉचेज लि.	616.39
152.	आईटीआई लि.	588.00
153.	कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	17.18
154.	कर्नाटका ट्रेड परमोशन ऑर्गेनाइजेशन	18.19
155.	केआईओसीएल लि.	634.51
156.	मेंगलोर रिफाइनरी एंड फार्मस्यूटिकल्स लि.	5649.17
157.	एसटीसीएल लि.	1.50
158.	तुग्रभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि.	13.10
159.	विगयन इंडस्ट्रीज लि.	2.79
	उप-योग	10362.87
	केरल	
160.	बीएचईएल इलैक्ट्रीकल मशीन लि.	10.50
161.	कोची शिपयार्ड लि.	152.42
162.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि.	865.10
163.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	100.00
164.	एचएलएल बायोटिक लि.	0.01
165.	एचएलएल लाइफ केयर लि.	62.00
	उप-योग	1190.03
	मध्य प्रदेश	
166.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	1.60

1	2	3
167.	नेपा लि.	107.86
168.	एनएचडीसी लि.	3602.40
169.	नार्दन कोलफील्डस लि.	795.78
	उप-योग	4507.64
	महाराष्ट्र	
170.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	2335.79
171.	बेल आप्ट्रानिक्स डेवलपमेंट लि.	18.33
172.	भारत पेट्रो संसाधन जेपीडीए	87.49
173.	भारत पेट्रो संसाधन लि.	2006.85
174.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशल लि.	2520.63
175.	भारतीय रुई निगम लि.	25.00
176.	भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम लि.	900.00
177.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	375.72
178.	हिन्दुस्तान ऑरगबेनिक केमिकल्स लि.	355.14
179.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरर्पो. लि.	6630.38
180.	भारतीय होटल निगम लि.	80.96
181.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	19254.71
182.	इंडियन रेअर अर्थस लि.	86.37
183.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	6552.67
184.	मझगांव डाक लि.	280.91
185.	मिलेनियम टेलिकॉम लि.	2.88
186.	खनिज एक्सप्लोरेशन निगम लि.	119.55
187.	मॉयल लि.	168.00
188.	मुंबई रेलवे विकास निगम लि.	25.00
189.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	45.73
190.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	826.95
191.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	54.84

1	2	3
192.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	5991.58
193.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	383.01
	उप-योग	49128.49
	मणिपुर	
194.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रो इलैक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लि.	103.46
	उप-योग	103.46
	मेघालय	
195.	पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लि.	38.96
196.	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि.	4515.93
	उप-योग	4554.89
	नागालैंड	
197.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.	88.91
	उप-योग	88.91
	ओडिशा	
198.	महानदी बेसिन पावर लि.	0.00
199.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	305.82
200.	एमएनएच शक्ति लि.	85.10
201.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	1288.62
202.	ओडिशा ड्रग्स एंड केमिक्स लि.	11.43
203.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	4.80
	उप-योग	1695.77
	पुदुचेरी	
204.	पुदुचेरी अशोक होटल निगम लि.	0.60
	उप-योग	0.60
	राजस्थान	
205.	एफसीआई अरावली निप्सम एंड मिन. इंडिया लि.	7.33
206.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	47.77

1	2	3
207.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	219.29
208.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	8.03
209.	राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	13.28
210.	सांभर साल्टस लि.	23.00
	उप-योग	318.70
	तमिलनाडु	
211.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	3952.85
212.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	983.54
213.	एन्नौर पोर्ट लि.	670.04
214.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कंपनी लि.	3265.51
215.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	65.93
216.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	935.68
217.	नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लि.	5099.84
218.	एनएलसी तमिलनाडु पॉवर लि.	2780.40
219.	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लि.	0.05
220.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लि.	745.00
221.	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन	22.66
	उप-योग	18521.50
	उत्तर प्रदेश	
222.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	41.50
223.	भारत इम्यूनोलाइजीकल एंड बायोलाजिकल कॉर्पोरेशन लि.	43.18
224.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि.	69.53
225.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	320.72
226.	ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	1.37
227.	जगदीशपुरा पेपर मिल लि.	0.05
228.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	19.00
229.	भारतीय परियोजना एवं विकास लि.	17.30

1	2	3
230.	स्कूटर्स इंडिया लि.	95.60
231.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	648.33
	उप-योग	1256.58
	उत्तराखंड	
232.	इंडियन मेडीसिन्स एंड फार्मास्युक्टिस कॉर्पोरेशन लि.	41.08
233.	टीएचडीसी लि.	7830.92
	उप-योग	7872.00
	पश्चिम बंगाल	
234.	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	135.24
235.	बामर लॉरी एंड कंपनी लि.	16.29
236.	बामर लारी इन्वेस्टमेंट लि.	22.20
237.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	30.62
238.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	221.56
239.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	128.96
240.	बीको लारी लि.	74.76
241.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्टर्स लि.	23.13
242.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	87.29
243.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	31.70
244.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	78.76
245.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.	204.94
246.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	130.49
247.	कोल इंडिया लि.	7489.90
248.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2888.63
249.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि.	1.44
250.	गार्डन रीच शिपबिल्ड्स एंड इंजीनियर्स	123.84
251.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	4230.98
252.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	462.61

1	2	3
253.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	201.99
254.	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	37.52
255.	हुगली प्रिटिंग कंपनी लि.	2.05
256.	भारतीय जूट निगम लि.	5.00
257.	एमएसटीसी लि.	2.20
258.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि.	414.77
259.	ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि.	0.60
260.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.63
	उप-योग	17077.10
	कुल योग	729227.61

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे केन्द्र सरकार के उद्यम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	केन्द्र सरकार के उपक्रमों के नाम	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
1.	अंडमान और निकोबार वन एवं पौध विकास निगम लि.	-3195	-2701	-2393
	आंध्र प्रदेश			
2.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	लाभ	लाभ	-860
3.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	-1012	-2132	-1531
4.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	लाभ	लाभ	-3162
	असम			
5.	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	-11	-59	-118
6.	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक कॉर्पोरेशन लि.	-12881	-8509	-2786
	बिहार			
7.	भारत बैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.	-867	-999	-908
8.	एचपीसीएल जैव ईंधन लि.	-4360	लाभ	लाभ

1	2	3	4	5
	दिल्ली			
9.	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.	-9520	-6334	-6330
10.	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	लाभ	-1458	लाभ
11.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	-410978	-280192	-261097
12.	भारत संचार निगम लि.	-885070	-638426	-182265
13.	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजेज लि.	-1222	लाभ	-906
14.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	-8598	लाभ	लाभ
15.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास कॉर्पोरेशन लि.	-58	-104	लाभ
16.	भारतीय पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन लि.	लाभ	-859	-1431
17.	एयर इंडिया लि.	-755974	-686517	-555244
18.	एयर लाइन अलाईड सर्विसिस लि.	-11474	-2912	-4154
19.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.	लाभ	-88	-19
20.	भारतीय खाद्य निगम	लाभ	-580	-36462
21.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-53868	-50916	-58509
22.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.	-38089	-38228	-38247
23.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	-1591	-1725	लाभ
24.	गेल गैस लि.	लाभ	लाभ	-391
25.	प्राइज पेट्रोलियम कम्पनी लि.	-393	लाभ	लाभ
26.	पवन हंस हेलीकॉप्टर लि.	-1035	लाभ	लाभ
27.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	-26	-18	-16
28.	हिन्दुस्तान वनस्पति तेल कॉर्पोरेशन लि.	-2378	-2269	-2209
29.	हस्तकला एवं हथकरघा निर्यात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	लाभ	लाभ	-116
	हरियाणा			
30.	इंडियन ग्राम एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	-48988	-66844	-51382
	जम्मू और कश्मीर			
31.	जम्मू और कश्मीर मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	-64	-48	-60
32.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	-4404	-4540	-4994

1	2	3	4	5
	झारखंड			
33.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.	-58	-55	लाभ
	कर्नाटक			
34.	एसटीसीएल लि.	-28466	-17802	-44398
35.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	लाभ	लाभ	-54
36.	तुंगभद्रा स्टील लि.	-2875	-2612	-2577
37.	केआईओसीएल लि.	लाभ	लाभ	-17727
38.	एचएमटी लि.	-8220	-7924	-5291
39.	आईटीआई लि.	-36980	-35775	-45876
40.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	लाभ	-173	लाभ
41.	एचएमटी वाचेज लि.	-22404	-25373	-16834
42.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	-4614	-9306	-4580
	केरल			
43.	भेल विद्युत मशीन लि.	-38	लाभ	लाभ
44.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	लाभ	-4933	-10384
45.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट्स लि.	लाभ	लाभ	-4803
	मध्य प्रदेश			
46.	नेपा लि.	-7290	-7040	-5533
	महाराष्ट्र			
47.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	-1626	-2156	-2738
48.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि.	-8894	-1898	-3572
49.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल्स लि.	-7807	लाभ	-8308
50.	मिलेनियम टेलीकॉम लि.	-20	-49	लाभ
51.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	-60250	-39122	-36069
52.	काटन कॉर्पोरेशन इंडिया कम्पनी लि.	-17989	-96	0
53.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	लाभ	लाभ	-713
54.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-2129	-2671	-2911
55.	भारतीय नौवहन निगम लि.	-42821	लाभ	लाभ
56.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	-7210	-5018	-4985

1	2	3	4	5
	मेघालय			
57.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम कॉर्पोरेशन लि.	-151	-174	-182
	नागालैंड			
58.	नागालैंड पल्प और पेपर कम्पनी लि.	-1190	-1344	-1438
	ओडिशा			
59.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	-60	-71	-150
	पुदुचेरी			
60.	पुदुचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	-38	लाभ	लाभ
	राजस्थान			
61.	सांभर साल्ट्स लि.	लाभ	-413	लाभ
62.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	-6769	-3656	लाभ
63.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	लाभ	-49	लाभ
	तमिलनाडु			
64.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	-36	-162	-52
65.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कम्पनी लि.	-135232	-115666	-100921
	उत्तर प्रदेश			
66.	स्कूटर्स इंडिया लि.	-1994	-1711	-2801
67.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	-5233	-5318	-5622
68.	भारत पम्प कंप्रेशर्स लि.	-91	लाभ	लाभ
69.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	-5834	-5294	-4263
70.	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लि.	लाभ	-418	-879
	पश्चिम बंगाल			
71.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	-686	-545	लाभ
72.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	लाभ	-6225	-5442
73.	बर्डस जूट और निर्यात लिमिटेड	-1109	-772	-690
74.	टायर कॉर्पोरेशन लि.	-2086	-1323	-1467
75.	राष्ट्रीय पटसन निगम लिमिटेड	-3821	-12944	लाभ
76.	जूट कॉर्पोरेशन इंडिया लि.	लाभ	-1147	लाभ

1	2	3	4	5
77.	बीको लॉरी एंड कंपनी लि.	-2013	लाभ	लाभ
78.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-64827	-60739	-45932
79.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	-1592	-916	-1054
80.	बर्न स्टेण्डर्स कम्पनी लि.	-7610	लाभ	-13636
81.	सेंट्रल अंतर्देशीय जल परिवहन कॉर्पोरेशन लि.	-1309	-493	-182
82.	हिन्दुस्तान स्टीलवकर्स कंस्ट्रक्शन लि.	-2808	-380	9-5459
	योग	-2760237	-2181650	-1623123

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

***3. श्री अर्जुन राय :**

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वर्ष 2013-14 के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने प्राप्त किए गए तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही के दौरान कोयले और गैस से कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया तथा विद्युत उत्पादन की मात्रा में कमी, यदि कोई हो, के कारण क्या हैं;

(ग) देश में पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की गई और सरकार द्वारा देश में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता संवर्धन तथा विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या भावी योजनाएं बनाई गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा झारखंड सहित देश में विद्युत अवसंरचना में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा वर्ष 2013-14 के दौरान देश में कितनी विद्युत परियोजनाएं चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी विभिन्न राज्यों से प्राप्त लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) 31 अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता नीचे दिए गए अनुसार है:—

क्षेत्र	संस्थापित विद्युत उत्पादक क्षमता (मेगावट)
राज्य	90,062
निजी	72,927
केन्द्रीय	66,263
कुल	2,29,252

2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर, 2013) के दौरान विभिन्न परंपरागत स्रोतों से उत्पादित कुल विद्युत 561.593 बिलियन यूनिट थी। विद्युत उत्पादन के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्रोत-वार प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात् ताप, जल, न्यूक्लीयर से वर्ष 2012-13 के दौरान और अक्तूबर, 2013 तक वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के वास्ते निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य और भूटान से जल विद्युत के आयात का विवरण नीचे दिया गया है:—

(बिलियन यूनिट)

स्रोत	2012-13		2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
ताप	767.275	760.676	456.434	443.648

1	2	3	4	5
जल	122.045	113.720	84.527	93.851
न्यूक्लीयर	35.200	32.866	19.727	19.107
भूटान से आयात	5.480	4.795	3.863	4.987
कुल	930.000	912.057	564.551	561.593

2013-14 (अप्रैल से सितम्बर, 2013) की प्रथम छमाही के दौरान, पिछले वर्ष 2012-13 की इसी अवधि अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 2012 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में, कोयला और गैस से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(बिलियन यूनिट)

स्रोत	2012-13 (अप्रैल से सितम्बर, 2012)	2013-14 (अप्रैल से सितम्बर, 2013)
कोयला	310.83	339.79
गैस	37.83	22.82

कोयला आधारित संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। गैस आधारित संयंत्रों से उत्पादन में कमी, केजी डी-6 बेसिन से गैस की कमी आपूर्ति के कारण आई है।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में देश में जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:—

(मेगावाट)

क्षेत्र	ताप	जल	कुल
केंद्रीय	5,023.3	374	5,397.3
राज्य	3,911.0	57	3,968.0
निजी	11,187.5	70	11,257.5
कुल	20121.8	501	20,622.8

योजना आयोग ने देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 12वीं योजना अवधि हेतु 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्षेत्र	जल	ताप				न्यूक्लीयर	कुल
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	कुल		
केंद्रीय	6,004	13,800	250	827.6	14,878	5,300	26,182
राज्य	1,608	12,210	0	1,712.0	13,922	0	15,530
निजी	3,285	43,270	270	0.0	43,540	0	46,825
अखिल भारतीय	10,897	69,280	520	2,539.6	72,340	5,300	88,537

12वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित 88,537 मेगावाट के उपर्युक्त लक्ष्य में से दक्षिणी राज्यों में क्षमता अभिवृद्धि हेतु 16,140 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) झारखंड सहित देश में विद्युत अवसंरचना को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:—

(प) पैमाने की किफायत का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(ii) उच्च ईंधन दक्ष सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का विकास।

(iii) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता की वृद्धि।

(iv) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन-विस्तार।

(v) अन्तर राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

(vi) उप-पारेषण एवं वितरण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

(vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्धन करना।

(viii) 12वीं योजना के दौरान झारखंड में क्षमता अभिवृद्धि हेतु 2080 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान देश में शुरू की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

2013-14 के दौरान विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का राज्य-वार प्रतिशत (अक्तूबर, 2013 तक)

क्षेत्र/राज्य	थर्मल										हाइड्रो		न्यूक्लीयर	
	कोयला		लिग्नाइट		प्राकृतिक गैस		नेफ्था		डीजल					
	उत्पादन (एमयू)	कुल कोयला उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल लिग्नाइट उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल नेफ्था उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल कोयला डीजल उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल हाइड्रो उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल न्यूक्लीयर उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तरी														
बीबीएमबी		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	8,332.0	8.4		0.0
दिल्ली	2,956.2	0.7		0.0	2,698.7	10.5		0.0		0.0		0.0		0.0
हरियाणा	14,759.5	3.7		0.0	1,066.4	4.2		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
हिमाचल प्रदेश		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	18,280.9	18.5		0.0
जम्मू और कश्मीर		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	9,306.0	9.4		0.0
पंजाब	10,078.3	2.5		0.0		0.0		0.0		0.0	2,548.7	2.6		0.0
राजस्थान	12,752.0	3.2	4,086.7	21.7	2,027.2	7.9		0.0		0.0	468.6	0.5	5,149.4	27.0
उत्तर प्रदेश	59,148.3	14.9		0.0	3,170.4	12.4		0.0		0.0	783.0	0.8	1,487.2	7.8
उत्तराखंड		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	8,212.6	8.3		0.0
कुल उत्तरी	99,694.3	25.1	4,086.7	21.7	8,962.7	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	47,931.9	48.5	6,636.6	34.7

पश्चिमी														
छत्तीसगढ़	38,072.2	9.6		0.0		0.0		0.0		0.0	219.4	0.2		0.0
गोवा		0.0		0.0		0.0	149.7	28.6		0.0		0.0		0.0
गुजरात	41,952.0	10.6	2,978.1	15.8	3,834.9	14.9		0.0		0.0	5,151.9	5.2	2,172.4	11.4
मध्य प्रदेश	26,415.4	6.6		0.0		0.0		0.0		0.0	5,901.0	6.0		0.0
महाराष्ट्र	39,756.4	10.0		0.0	4,296.0	16.7		0.0		0.0	3,372.3	3.4	5,275.8	27.6
कुल पश्चिमी	1,46,196.1	36.8	2,978.1	15.8	8,130.8	31.7	149.7	28.6	0.0	0.0	14,644.5	14.8	7,448.2	39.0
दक्षिणी														
आंध्र प्रदेश	40,444.0	10.2		0.0	3,074.3	12.0		0.0	0.0	0.0	5,000.0	5.1		0.0
कर्नाटक	16,073.8	4.0		0.0	0.0	0.0		0.0	24.4	2.5	6,548.2	6.6	4,036.0	21.1
केरल		0.0		0.0		0.0	372.7	71.2	153.4	15.7	4,794.0	4.9		0.0
पुदुचेरी		0.0		0.0	153.5	0.6		0.0		0.0		0.0		0.0
तमिलनाडु	15,323.9	3.9	11,776.0	62.5	2,525.5	9.8	0.7	0.1	694.0	71.3	3,125.7	3.2	986.3	5.2
कुल दक्षिणी	71,841.7	18.1	11,776.0	62.5	5,753.2	22.4	373.4	71.4	871.8	89.5	19,467.9	19.7	5,022.3	26.3
पूर्वी														
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.0		0.0		0.0		0.0	102.2	10.5	0.0	0.0		0.0
बिहार	8,003.5	2.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
डीवीसी	16,715.2	4.2		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	168.5	0.2		0.0
झारखंड	7,959.5	2.0		0.0		0.0		0.0		0.0	74.0	0.1		0.0
ओडिशा	20,870.8	5.2		0.0		0.0		0.0		0.0	5,110.6	5.2		0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सिक्किम		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	2,517.9	2.5		0.0
पश्चिम बंगाल	26,363.0	6.6		0.0		0.0		0.0		0.0	807.4	0.8		0.0
कुल पूर्वी	79,912.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.2	10.5	8,678.5	8.8	0.0	0.0
पूर्वोत्तर														
अरुणाचल प्रदेश		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	790.0	0.8		0.0
असम		0.0		0.0	1,794.9	7.0		0.0		0.0	914.6	0.9		0.0
मणिपुर		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	422.2	0.4		0.0
मेघालय		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	785.6	0.8		0.0
मिज़ोरम		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
नागालैंड	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	215.3	0.2		0.0
त्रिपुरा		0.0		0.0	1,024.9	4.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
कुल पूर्वोत्तर	0.0	0.0	0.0	0.0	2,819.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,127.8	3.2	0.0	0.0
भूटान (आयात)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	4,986.8	5.0		0.0
कुल	3,97,644.1	100.0	18,840.8	100.0	25,666.6	100.0	523.1	100.0	974.0	100.0	98,837.5	100.0	19,107.1	100.0

विवरण-II

वर्ष 2013-14 में शुरू की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं

क्र सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	ईंधन
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय					
1.	बाढ़-II यू-4	बिहार	660	केन्द्रीय	कोल
2.	तूतीकोरिन टीपीपी-1	तमिलनाडु	500	केन्द्रीय	कोल
3.	वेल्लूर (ऐन्नोर) टीपीपी यू-3	तमिलनाडु	500	केन्द्रीय	कोल
4.	रिहंद टीपीपी-IIi यू-6	उत्तर प्रदेश	500	केन्द्रीय	कोल
5.	रघुनाथपुर टीपीपी यू-1	पश्चिम बंगाल	600	केन्द्रीय	कोल
6.	त्रिपुरा सीसीजीटी — ब्लॉक-2	त्रिपुरा	363.3	केन्द्रीय	गैस
7.	तीस्ता एलडी-III यू-4	पश्चिम बंगाल	33	केन्द्रीय	हाइड्रो
8.	पर्वती-III यू-1, 2, 3	हिमाचल प्रदेश	390	केन्द्रीय	हाइड्रो
9.	निम्मो बाजगो यू-1, 2, 3	जम्मू और कश्मीर	45	केन्द्रीय	हाइड्रो
10.	उरी-II	जम्मू और कश्मीर	240	केन्द्रीय	हाइड्रो
11.	रामपुर यू-1, 2, 3	हिमाचल प्रदेश	206	केन्द्रीय	हाइड्रो
12.	कुडाकुलम यू-1, 2	तमिलनाडु	2000	केन्द्रीय	न्यूक्लियर
	उप-जोड़ (केन्द्रीय)		6,037.3		
राज्य					
13.	मारवा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	500	राज्य	कोल
14.	सतपुरा टीपीपी ईएक्सटी यू-11	मध्य प्रदेश	250	राज्य	कोल
15.	श्री सिंगाजी टीपीपी यू-1	मध्य प्रदेश	600	राज्य	कोल
16.	चंद्रपुर टीपीपी ईएक्सटी यू-8	महाराष्ट्र	500	राज्य	कोल
17.	कालीसिंध टीपीपी यू-1	राजस्थान	600	राज्य	कोल
18.	छब्रा टीपीपी ईएक्सटी यू-3	राजस्थान	250	राज्य	कोल
19.	छब्रा टीपीपी ईएक्सटी यू-4	राजस्थान	250	राज्य	कोल

1	2	3	4	5	6
20.	उत्तरी चेन्नई टीपीपी ईएक्सटी यू-1	तमिलनाडु	600	राज्य	कोल
21.	प्रगति-III (बवाना) सीसीजीटी जीटी-4	दिल्ली	250	राज्य	गैस
22.	प्रगति-III (बवाना) सीसीजीटी एसटी-2	दिल्ली	250	राज्य	गैस
23.	पीपावव जेवी सीसीजीटी ब्लॉक-1	गुजरात	351	राज्य	गैस
24.	रामगढ़ एसटी	राजस्थान	50	राज्य	गैस
25.	लोवर जूरिया यू-1	आंध्र प्रदेश	40	राज्य	हाइड्रो
26.	भवानी कत्तली बैराज-III यू-2	तमिलनाडु	15	राज्य	हाइड्रो
27.	भवानी कत्तली बैराज-II	तमिलनाडु	30	राज्य	हाइड्रो
	उप-जोड़ (राज्य)		4,536		
निजी					
28.	विजाग टीपीपी यू-1	आंध्र प्रदेश	520	निजी	कोल
29.	थमिनापट्टनम टीपीपी यू-2	आंध्र प्रदेश	150	निजी	कोल
30.	टमनार टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
31.	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	25	निजी	कोल
32.	अकलतारा (नरियारा) टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
33.	वन्दना विद्युत टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	135	निजी	कोल
34.	डीबी पॉवर टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
35.	सासन यूएमपीपी यू-3	मध्य प्रदेश	660	निजी	कोल
36.	सासन यूएमपीपी यू-2	मध्य प्रदेश	660	निजी	कोल
37.	इंडिया बुल्स — नासिक टीपीपी पीएच-1 यू-1	महाराष्ट्र	270	निजी	कोल
38.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
39.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड टीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
40.	ईएमसीओ वरोरा टीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
41.	टीरोडा टीपीपी यू-3	महाराष्ट्र	660	निजी	कोल

1	2	3	4	5	6
42.	देरंग टीपीपी यू-1	ओडिशा	600	निजी	कोल
43.	कमलांगा टीपीपी यू-2	ओडिशा	350	निजी	कोल
44.	गोंडवाल साहिब टीपीपी यू-1	पंजाब	270	निजी	कोल
45.	तवांडी साहिब टीपीपी यू-1	पंजाब	660	निजी	कोल
46.	सोरंग एचईपी यू-1, 2	हिमाचल प्रदेश	100	निजी	हाइड्रो
47.	चुजाछेन एचईपी यू-1, 2	सिक्किम	99	निजी	हाइड्रो
	उप-जोड़ (राज्य)		7,859		
	(2013-14) के लिए क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य		18,432.3		

विवरण-III

सीईए द्वारा सहमति दिए जाने के लिए जांच के अधीन जलविद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्र सं.	योजना	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	यूनिट × मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेली	हिमाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीसीएल	4×100	400
2.	दगमारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	17×7.65	130
3.	दिखू	नागालैंड	निजी	एनएमईएसपीएल	3×62	186
4.	कलई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	कलई पीपीएल	6×200	1200
5.	छत्तरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएससी	3×42	126
6.	डेम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एलयूपीएल	5×206+1×50	1080
7.	तगुश्रित	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एलटीएएचपीएल	3×24.67	74
8.	किरू	जम्मू और कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	4×165	660
9.	नई गण्डरवाल	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	3×31	93
10.	जेलम तमक	उत्तराखंड	केन्द्रीय	टीएचडीसीआईएल	3×36	108
11.	बोवला नन्द प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	4×75	300
12.	सच खास	हिमाचल प्रदेश	निजी	एल एवं टीएचएचपीएल	3×86.67+1×7	267

1	2	3	4	5	6	7
13.	न्यूकचरोग चू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएनसीपीसीएल	3×32	96
14.	किंशी-I	मेघालय	निजी	एकेपीएल	2×135	270
15.	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	3×196	588
16.	कीरथाई-I	जम्मू और कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	4×95+1×10	390
17.	लोवर कोपली	असम	राज्य	एपीजीसीएल	2×55+1×5+ 2×2.5	120
18.	उमन्गोत	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	3×80	240
19.	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएचआईपीपीएल	3×62	186
20.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एचएचपीपीएल	3×80	240
21.	सुबानसिरी मध्य (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	केएचईपीसीएल	8×216+2×36	1800
22.	मागोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएमसीपीसीएल	3×32	96
23.	चांगो यंगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	एमपीसीएल	3×46.67	180
	कुल					8830

[अनुवाद]

कतिपय खाड़ी मार्गों को अन्य कंपनी को दिया जाना

*4. **श्री रमेश राठौड़ :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में एअर इंडिया के कतिपय लाभप्रद खाड़ी मार्गों को जेट एयरवेज को दिए जाने के परिणामस्वरूप एअर इंडिया को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने मार्गों को एअर इंडिया से लेकर जेट एयरवेज को दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एअर इंडिया को घाटा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एअर इंडिया द्वारा राजस्व सृजन संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एअर इंडिया द्वारा राजस्व सृजन संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एअर इंडिया द्वारा प्रचालनिक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय:

- पूर्ववर्ती एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मार्गों का पूर्ण मार्ग यौक्तिकरण और समानांतर प्रचालकों वाले मार्ग नेटवर्कों को समाप्त करना;
- कतिपय घाटे वाले मार्गों का यौक्तिकरण;

- अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर पैसेंजर अपील बढ़ाने के लिए बिल्कुल नए विमानों का समावेश;
- पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना (फेज आउट करना) और परिणामस्वरूप अनुरक्षण लागत में कमी;
- लीज पर लिए गए विमानों को उनकी लीज अवधि समाप्त होने पर या समय से पहले लौटाना;
- गैर-प्रचालनिक क्षेत्रों में रोजगार पर रोक (फ्रीजिंग);
- निष्फल व्यय को रोकने के लिए स्टॉफ की पुन:तैनाती;
- नए बेड़े की संवर्धित उपयोगिता ताकि उच्चतर एएसकेएम एएसकेएम का उत्पादन हो;
- बी 747-400 विमानों सहित पुराने पड़ रहे बेड़े को बंद (ग्राउंड) करना, जिनका इस्तेमाल केवल कतिपय किस्म के प्रचालनों और वीवीआईपी उड़ानें प्रचालित करने के लिए किया जाएगा;
- कार्यकारी निदेशकों/इंडिया बेस्ड अधिकारियों को विदेश से भारत में पुनर्स्थापित (रीलोकेट) करना;
- कतिपय लोकेशनों पर ओवरसीज ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करना;
- यात्री/कार्गो राजस्व में वृद्धि, आक्रामक बिक्री और विपणन प्रयासों के जरिए अधिशेष बैगेज राजस्व और सरकारी यातायात को आकर्षित करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन;
- एमआरओ राजस्व और कंपनी की रीयल एस्टेट संपत्तियों के लिए राजस्व में वृद्धि के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों की लेवरेजिंग;
- सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का स्तरोन्नयन और क्विक विन आईटी सॉल्यूशनों का कार्यान्वयन;
- पूरे संगठन में एक सिंगल कोड रखने के लिए पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) और एसएपी ईआरपी (एसएपीईआरपी) आधारित सॉल्यूशनों का समावेश, जिससे संगठन को राजस्व में वृद्धि और लागत में कमी के रूप में पर्याप्त रूप से फायदा होगा।
- एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना;
- लाउंजों, भवनों, उड़ान के दौरान मनोरंजन आदि जैसी परिसम्पत्तियों के ईष्टतम उपयोग के द्वारा अनुषंगी व्यवसाय राजस्व में बढ़ोत्तरी की योजना।

रेल परियोजनाएं

***5. श्री बलीराम जाधव :**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के लिए आवंटित और उसमें से खर्च की गई धनराशि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जोन-वार कुल कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा कितनी परियोजनाएं वित्तीय अड़चनों के कारण लंबित हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इनमें हो रहे विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त बजटीय सहायता सृजित करने तथा उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान 5431 किलोमीटर लंबाई कवर करते हुए 54 नई लाइन परियोजनाएं, 1420 किलोमीटर लंबाई कवर करते हुए 9 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, 5087 किलामीटर कवर करते हुए 108 दोहरीकरण परियोजनाएं, रेल विद्युतीकरण की 27 परियोजनाएं तथा वर्कशॉप एवं उत्पादन इकाई की 188 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में किए गए व्यय और विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में स्वीकृत नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और वर्कशॉप परियोजनाओं पर 2013-14 के दौरान किए गए आवंटन का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार, 1,78,216 करोड़ रुपए थ्रोफॉरवर्ड वाली 368 चालू रेल परियोजनाएं हैं जिनमें 156 नई लाइन, 43 आमान परिवर्तन और 169 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं जिनके लिए वार्षिक आवंटन लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। 38 विद्युतीकरण परियोजनाओं का थ्रोफॉरवर्ड 7309 करोड़ रुपए और 528 वर्कशॉप परियोजनाओं का थ्रोफॉरवर्ड 16754 करोड़ रुपए है। परियोजनाएं संसाधनों

की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं। संसाधनों की उपलब्धता और अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) हालांकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई निगरानी समिति नहीं है, परंतु परियोजनाओं की निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे बोर्ड के संबंधित निदेशालयों में सुदृढ़ निगरानी तंत्र मौजूद है। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करता है।

(ङ) परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए गैर-बजटीय साधनों जैसे राज्य सरकार और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण, परियोजनाओं का निष्पादन विशेष प्रयोज्य योजना आधार पर रेल विकास निगम लि. द्वारा कराना, बाजार से ऋण लेकर धन दजुटाना आदि के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए और भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा मामलों तथा वन विभाग से स्वीकृति आदि के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। फील्ड इकाइयों को आगे शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के अधिकार दिए गए हैं और संविदा प्रबंधनों में दक्षता लाने के लिए संविदा शर्तों में संशोधन किए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और वर्कशॉप परियोजनाओं का रेलवे-वार/ज़ोन-वार ब्यौरा

क्र. सं.	रेलवे ज़ोन	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	नई लाइन	आमान परिवर्तन	दोहरीकरण	विद्युतीकरण	वर्कशॉप एवं उत्पादन इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य	2010-11	0	0	1	1	4
		2011-12	0	0	2	0	2
		2012-13	0	0	1	0	3
		2013-14	0	0	0	0	0
2.	पूर्व तट	2010-11	0	0	2	0	1
		2011-12	0	0	2	1	1
		2012-13	0	0	1	2	3
		2013-14	0	0	0	1	0
3.	पूर्व मध्य	2010-11	0	1	1	1	4
		2011-12	0	0	0	0	5
		2012-13	0	0	0	0	6
		2013-14	0	0	4	0	0
4.	पूर्व	2010-11	2	0	14	0	9
		2011-12	1	0	8	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2012-13	0	0	3	1	5
		2013-14	1	0	0	0	0
5.	उत्तर	2010-11	1	0	6	2	4
		2011-12	1	0	3	1	5
		2012-13	2	0	3	0	8
		2013-14	6	0	1	3	4
6.	उत्तर मध्य	2010-11	0	2	0	1	3
		2011-12	0	0	0	0	6
		2012-13	0	0	1	1	2
		2013-14	0	0	0	0	0
7.	पूर्वोत्तर	2010-11	0	0	0	0	2
		2011-12	0	1	1	0	2
		2012-13	0	0	1	0	2
		2013-14	2	0	0	0	0
8.	पूर्वोत्तर सीमा	2010-11	4	0	0	0	5
		2011-12	1	0	2	0	5
		2012-13	1	0	2	1	0
		2013-14	1	0	1	0	1
9.	उत्तर पश्चिम	2010-11	0	0	5	0	0
		2011-12	1	0	4	1	4
		2012-13	0	0	2	1	4
		2013-14	3	0	1	1	2
10.	दक्षिण	2010-11	0	0	1	1	1
		2011-12	1	0	3	0	1
		2012-13	0	0	0	1	3
		2013-14	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	दक्षिण मध्य	2010-11	1	0	1	1	9
		2011-12	2	0	4	0	5
		2012-13	2	0	1	1	5
		2013-14	3	0	0	0	4
12.	दक्षिण पूर्व	2010-11	2	0	4	2	6
		2011-12	1	0	2	0	4
		2012-13	0	0	4	0	4
		2013-14	0	0	0	0	1
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	2010-11	0	1	1	0	2
		2011-12	1	0	0	0	4
		2012-13	0	0	0	0	4
		2013-14	4	1	0	0	0
14.	दक्षिण पश्चिम	2010-11	1	0	3	1	1
		2011-12	4	0	2	0	0
		2012-13	0	0	0	1	1
		2013-14	4	0	0	0	0
15.	पश्चिम मध्य	2010-11	0	0	1	0	2
		2011-12	0	0	1	0	2
		2012-13	0	0	3	0	3
		2013-14	0	0	0	0	4
16.	पश्चिम	2010-11	0	0	1	0	5
		2011-12	0	1	1	0	2
		2012-13	0	2	0	0	4
		2013-14	0	0	2	0	1
	कुल	2010-11	11	4	41	10	58
		2011-12	13	2	35	4	56
		2012-13	5	2	22	9	57
		2013-14	25	1	10	5	17
	कुल योग		54	9	108	28	188

विवरण-II

31.03.2013 तक किए गए कुल व्यय और नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और वर्कशॉप परियोजनाओं पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष सहित 2013-14 के दौरान किए गए ज़ोन-वार आवंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	ज़ोनल रेलें	नई लाइन		आमान परिवर्तन		दोहरीकरण		रेल विद्युतीकरण		वर्कशॉप एवं उत्पादन इकाई	
		तीन वर्ष का व्यय 2010-11 से 2012-13	परिव्यय 2013-14	तीन वर्ष का व्यय 2010-11 से 2012-13	परिव्यय 2013-14	तीन वर्ष का व्यय 2010-11 से 2012-13	परिव्यय 2013-14	तीन वर्ष का व्यय 2010-11 से 2012-13	परिव्यय 2013-14	तीन वर्ष का व्यय 2010-11 से 2012-13	परिव्यय 2013-14
1.	मध्य	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	37	298.65	24.35	8.35	22.92
2.	पूर्व	2.43	4.10	0.00	0.00	474.19	252.15	101.45	95	41.54	33.11
3.	पूर्व मध्य	0.00	0.00	20.32	30.00	1.00	1.4	0.08	23	7.04	31.08
4.	पूर्व तट	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	259.5	27.66	55	2.02	6.1
5.	उत्तर	2.01	30.50	0.00	0.00	109.31	239.5	51.54	72.5	15.06	24.82
6.	उत्तर मध्य	0.00	0.00	2.22	4.00	0.31	25	26.8	49.5	3.72	10.36
7.	पूर्वोत्तर	0.00	0.20	12.54	5.00	24.69	15	12.32	11.5	8.42	5.29
8.	पूर्वोत्तर सीमा	159.29	76.10	0.00	0.00	12.99	128.44	0.04	9	81.56	21.46
9.	उत्तर पश्चिम	8.94	11.20	0.00	0.00	215.32	183.5	7.01	41	3.04	11.16
10.	दक्षिण	0.13	2.20	0.00	0.00	18.63	36.1	105.18	42	40	62.14
11.	दक्षिण मध्य	0.07	9.40	0.00	0.00	69.62	148.6	62.69	57	28.29	29.82
12.	दक्षिण पूर्व	40.23	4.00	0.00	0.00	246.97	188	0	0	96.41	28.23
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	0.03	22.20	29.04	10.50	0.00	0	38.95	53.5	32.24	23.31
14.	दक्षिण पश्चिम	3.01	57.40	0.00	0.00	181.59	163	62.47	34	0	9.01
15.	पश्चिम	0.00	0.00	1.00	3.50	117.01	250.1	0	0	5.55	10.13
16.	पश्चिम मध्य	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	46	0.16	11.5	9.32	17.32
	कुल	216.14	217.30	65.12	53.00	1521.72	1973.29	795.00	578.85	382.56	346.26

नोट: नई लाइनों में उखाड़ी गई लाइनों के पुनर्स्थापन और नई लाइन (निर्माण) लाभांशरहित परियोजनाओं पर किए गए व्यय शामिल हैं।

भूमि अर्जन

*6. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 हेतु नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के अंतर्गत यदि प्रस्तावित परियोजना, जिसके लिए भूमि का अर्जन किया गया है, भूमि अर्जन के पांच वर्षों के भीतर स्थापित नहीं हो पाती तो उस भूमि को किसानों/उसके स्वामियों को वापस करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 27 सितंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड I में 2013 के अधिनियम, संख्या 30 के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, इस अधिनियम को लागू करने की तारीख, राष्ट्रपति की अनुमति के 3 माह के भीतर अधिसूचित की जानी है। इस अधिनियम के लागू किए जाने की तारीख विभाग के विचाराधीन है। उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए प्रारूप नियम तैयार कर लिए गए हैं और ये विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) को पुनरीक्षा हेतु भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम के संबंध में विभाग द्वारा कोई मार्गनिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) उपरोक्त अधिनियम, 2013 की धारा 101 में यह उपबंध है कि "जब इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई भूमि इसके अधिग्रहण किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त रहती है, तो उसे उसके मूल स्वामी अथवा स्वामियों अथवा उनके कानूनी वारिसों, जैसा भी मामला हो, अथवा समुचित सरकार के भूमि बैंक को प्रत्यावर्तन द्वारा उसी तरीके से वापिस कर दी जाएगी जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "भूमि बैंक" का तात्पर्य एक ऐसे सरकारी निकाय से है जिसका मुख्य कार्य सरकारी स्वामित्व वाली खाली, परित्यक्त, अप्रयुक्त अधिग्रहीत, भूमियों और कर-बकाया संपत्तियों को उपयोगी इस्तेमाल में परिवर्तित करना है।"

(ङ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए, प्रारूप नियम तैयार कर लिए गए है और ये विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) को पुनरीक्षा हेतु भेजे गए हैं।

निर्मल भारत अभियान

*7. **श्री वैजयंत पांडा : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्मल भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इसके अंतर्गत क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या सरकार को निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जारी धनराशि के दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण भागीदारी सुधारने हेतु कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध किए गए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:—

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।
- वर्ष 2022 तक निर्मल भारत की परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतें, निर्मल ग्राम का दर्जा प्राप्त कर सकें।
- जागरुकता लाने तथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के जरिए स्थायी

स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का संवर्धन करके समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।

- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत शामिल न किए गए शेष विद्यालयों को शामिल करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपयुक्त स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा छात्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा एवं साफ-सफाई की आदतों का सक्रिय रूप से संवर्धन करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तथा स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण सफाई के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रदार्थ प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियां तैयार करना।

(ख) एनबीए के अंतर्गत, कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु निम्नांकित कार्यनीतियां अपनाई गई हैं:—

- स्वच्छता से संबंधित संपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहन देने के बजाय ग्राम पंचायत संतृप्तिबोध मोड में संपूर्ण समुदायों को शामिल करने पर बल देना।
- वर्ष 2012-17 हेतु एक राष्ट्रीय स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति फ्रेमवर्क अपनाया गया है।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सेवाओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के तहत संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षण, महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित मंत्रालयों में ग्रामीण स्वच्छता का एनबीए के साथ केन्द्रित रूप से तालमेल बैठाना।
- मनरेगा के साथ संभावित गठजोड़ के साथ परियोजना मोड पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्लूएम)
- आईएचएचएल हेतु प्रावधान को बढ़ाकर 4600/- रुपए किया गया (केन्द्रीय अंश से 3200/- रुपए जिसमें पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त 500/- रुपए) और राज्य अंश से 1400/- रुपए। उन पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों तक भी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है जिसमें सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और महिला आश्रित परिवार शामिल हैं।
- मनरेगा के साथ तालमेल बिठाकर व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करने हेतु 4500/- रुपए तक की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान।

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार द्वारा आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जारी निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ शासित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। स्वच्छता, राज्य का विषय है एवं भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई शिकायतें, उचित सुधारात्मक उपाय करने हेतु संबद्ध राज्य सरकारों के पास तुरंत ही अग्रेषित कर दी जाती है।

(ङ) निर्मल भारत अभियान (एनबीए), एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है तथा समुदाय, इस कार्यक्रम की आयोजना एवं कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) स्थानीय जनता में जागरुकता लाने में तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई का शिक्षण प्रदान करने में कार्यनीति परक भूमिका निभाते हैं। सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के अंतर्गत जो पहलें, एनबीए के अंतर्गत ग्रामीण भागीदारी में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई हैं, उनमें आईईसी कार्यकलापों हेतु बजट बढ़ाना, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी समर्थनकारी एवं संप्रेषण संरचना (2012—2017) का कार्यान्वयन करना शामिल है, जो कि राज्यों को इस कार्यक्रम से संबंधित समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यकलापों को विस्तार देने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाओं को बनाने हेतु एक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं; जिसमें गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), ग्राम स्तर के उत्प्रेरकों (स्वच्छता दूत/स्वच्छता प्रबंधकों), क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, जैसे: मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, विद्यालयी शिक्षक एवं भारत निर्माण से जुड़े स्वयं-सेवक की भागीदारी शामिल है, जो क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों का संचालन करने में लगे हुए हैं। मनरेगा (एमएनआरईजीएस) के साथ तालमेल बैठाने में से भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण भागीदारी में सुधार आया है। इस कार्यक्रम की निरंतरता एवं गहन स्तर पर जनता की सतर्कता की दृष्टि से 'सामाजिक लेखापरीक्षण' के लिए भी प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई एनबीए निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13880.00	9657.28	15022.69	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.26	204.88	986.92	0.00
3.	असम	9437.36	12251.18	11943.31	0.00
4.	बिहार	11259.76	17219.09	47814.55	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5479.58	2702.42	5731.57	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	4692.36	4308.28	3949.42	2630.19
9.	हरियाणा	2361.49	335.27	0.00	12559.75
10.	हिमाचल प्रदेश	2939.78	469.57	1666.96	2493.33
11.	जम्मू और कश्मीर	2792.51	967.95	3511.01	3306.61
12.	झारखंड	5466.98	7264.92	4193.31	0.00
13.	कर्नाटक	4458.66	8709.28	15950.81	0.00
14.	केरल	2286.34	158.89	0.00	1347.12
15.	मध्य प्रदेश	14402.60	15076.00	25779.96	26400.65
16.	महाराष्ट्र	12911.70	5799.94	12409.22	0.00
17.	मणिपुर	80.30	1087.87	3509.18	0.00
18.	मेघालय	3105.23	1115.72	2540.01	3671.69
19.	मिज़ोरम	653.40	31.38	497.48	43.27
20.	नागालैंड	1229.45	174.06	2302.68	0.00
21.	ओडिशा	6836.73	11171.70	0.00	0.00
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	पंजाब	1116.39	283.18	0.00	0.00
24.	राजस्थान	5670.74	5424.41	13770.97	0.00
25.	सिक्किम	112.86	0.00	159.47	232.69
26.	तमिलनाडु	7794.35	7662.06	12811.68	15491.48
27.	त्रिपुरा	925.14	133.92	430.47	1295.84
28.	उत्तर प्रदेश	22594.00	16920.72	25684.74	32324.44
29.	उत्तराखंड	1707.61	804.76	2541.96	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	8327.50	14124.34	30638.14	417.44
	कुल योग	152642.08	144059.07	243846.51	102214.50

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	शिकायकर्त्ता/राज्य का नाम	शिकायत की तिथि	विषय
1	2	3	4	5
1.	नागालैंड	श्री थुंगजामो लोथो पूर्व महासचिव, लोथा छात्र संघ, कैंप-दोयंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, वोखा नागालैंड	17.08.2013	वोखा जिले के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेन्सियों (पीएचईडी) द्वारा शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय निधियों का कु-प्रबंधन।
2.	मध्य प्रदेश	श्री इंदरचंद सोनी, जिला-दुर्ग, मध्य प्रदेश	29.07.2013	अन्य शीर्षों में एनबीए निधियों का व्यय।
3.	ओडिशा	बेनाम शिकायत नयागढ़ जिला, ओडिशा	22.05.2013	एनबीए के अंतर्गत नयागढ़ जिले में अनियमितताएं/अवैधताएं एवं अनियंत्रित भ्रष्टाचार।
4.	मध्य प्रदेश	संयुक्त प्रतिनिधित्व ग्राम उमरिया, जिला-खरगौन मध्य प्रदेश	शून्य दिनांक 22.05.2013 को प्राप्त	लोक-प्रतिनिधि एवं लोक-सेवकों द्वारा एनबीए के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग।
5.	मध्य प्रदेश	श्री मनीष मदेजार, संवादक, निमार की दुनिया, जिला-खरगौन, मध्य प्रदेश	शून्य दिनांक 05.05.2013	जिला खरगौन, मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में अनियमितताएं।
6.	उत्तर प्रदेश	श्री अहमद नवी, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	शून्य दिनांक 18.04.2013	जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में एनबीए निधियों में अनियमितताएं।

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	श्री परमार फलिया, वडोदरा गुजरात	03.04.2013	पोर ग्राम वडोदरा, गुजरात में एनबीए के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में अनियमितताएं।
8.	महाराष्ट्र	श्री मनोहर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र	15.03.2013	निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने में मिथ्या-प्रस्तुतीकरण।
9.	गुजरात	श्री रंजीत भाई, पोर ग्राम, वडोदरा, गुजरात	04.03.2013	शौचालयों के निर्माण की मिथ्या सूचना देना।
10.	असम	बेनाम शिकायत	शून्य दिनांक 31.12.2012 को प्राप्त	असम में पीएचईडी गतिविधियों में अनियमितताएं।
11.	उत्तर प्रदेश	श्री प्रहलाद सिंह, ग्राम-अरि रामपुरा जिला-जालौर, उत्तर प्रदेश	दिनांक 15.12.2012	ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा एनबीए के अंतर्गत निधि का दुरूपयोग।
12.	गुजरात	श्री वासवा वीजे, ग्राम-तिल्लीपाडा, नर्मदा, गुजरात	29.10.2011	शौचालयों के निर्माण हेतु निधियों का दुरुपयोग।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

***8. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में सुरक्षा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में शीर्ष/वरिष्ठ अधिकारियों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में 32 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) में मुख्य कार्यपालकों के पद रिक्त हैं। रिक्ति की तारीख सहित इन 32 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	पद	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	प्रबंध निदेशक	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	19.01.2009
2.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि.	04.06.2010
3.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	एमएमटीसी लिमिटेड	01.10.2010
4.	प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	19.01.2011
5.	प्रबंध निदेशक	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	29.04.2011
6.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	07.10.2011

1	2	3	4
7.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.10.2011
8.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.12.2011
9.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	एनएमडीसी लिमिटेड	17.10.2012
10.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.02.2013
11.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	23.04.2013
12.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	01.05.2013
13.	प्रबंध निदेशक	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	11.05.2013
14.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.06.2013
15.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	03.07.2013
16.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	11.07.2013
17.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	01.08.2013
18.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	नार्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड	01.08.2013
19.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.09.2013
20.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	24.02.2011
21.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	एनएचपीसी लिमिटेड	22.06.2011
22.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड	10.02.2012
23.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	01.01.2013
24.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड	02.03.2012
25.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	टॉयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	16.01.2013
26.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.06.2013
27.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	01.10.2010
28.	प्रबंध निदेशक	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	23.08.2012
29.	प्रबंध निदेशक	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.02.2013
30.	प्रबंध निदेशक	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	01.03.2013
31.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	01.04.2013
32.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	01.06.2013

एमडी – प्रबंध निदेशक, सीएमडी – अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के रिक्त पदों में मुख्य कारणों में (i) पदासीन कार्यपालकों के त्याग पत्र/मृत्यु/रैखिक स्थानान्तरण, पदासीन कार्यपालक की सेवा अवधि की पुष्टि/विस्तार न होना तथा लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी)/सर्च समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल को समाप्त किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों (ii) सतर्कता निकासी या सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिलने में होने वाला विलंब (iii) न्यायिक मामले (iv) नए बोर्ड स्तरीय पदों का सृजन और (v) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किसी पद विशेष को आस्थगित रखने का निर्णय आदि शामिल है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सुरक्षा प्रमुखों का पद बोर्ड स्तर से नीचे होता है और उसे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्रतिनियुक्ति या नियमित आधार पर भरा जाता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सुरक्षा प्रमुख के पद का प्रचालन संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा उनके प्रचालन की प्रकृति एवं स्तर, कंपनी के आकार आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पदों को भरना सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में सभी औपचारिकताओं के पूरे होने के बाद पदासीन व्यक्ति के पदभार ग्रहण कर लेने पर इन रिक्त पदों को नियमित आधार पर भर लिया जाएगा। मौजूदा 32 रिक्त पदों में से 15 पदों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड/सर्च समिति की सिफारिशें पहले से ही उपलब्ध हैं जिनके लिए सतर्कता निकासी या सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रतीक्षित है। 7 पदों के मामले में लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के अनुरोध पर 6 पदों को आस्थागित रखा गया है और शेष 4 पदों के संबंध में संबंध में लोक उद्यम चयन बोर्ड ने पहले ही सिफारिश की है कि पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाए।

चूंकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सुरक्षा प्रमुखों के पद बोर्ड स्तर से नीचे हैं, अतः इन पदों को लोक उद्यम चयन बोर्ड प्रक्रिया के जरिए भरा नहीं जाता है।

(ङ) मुख्य कार्यपालकों के रिक्त पदों को अतिरिक्त भार व्यवस्था के जरिए भरा गया है ताकि इन केन्द्रीय सरकारी पदों के नियमित प्रचालन पर कोई असर न पड़े। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में रिक्त पड़े बोर्ड स्तरीय पदों को भरने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में रिक्त पड़े बोर्ड स्तरीय पदों को समय पर भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा नियमित बैठकें आयोजित करके इनकी निगरानी की जा रही है।

ड्रीमलाइनर विमान

***9. श्री जे.एम. आरुन रशीद :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में बार-बार तकनीकी खराबियां आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विमानों को एअर इंडिया के बेड़े में शामिल किए जाने से लेकर अब तक हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और एअर इंडिया ने ड्रीमलाइनर के विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान क्षमता के संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सभी तकनीकी खराबियों के ठीक किए जाने तक ड्रीमलाइनर विमान का प्रचालन नहीं करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया के बेड़े में बी-787 विमान (ड्रीमलाइनर) का क्रमवार अर्जन सितंबर, 2012 में आरंभ हुआ। तब से लेकर 27 नवंबर 2013 तक, इन विमानों में 136 छोटी मोटी तकनीकी खामियां आई हैं जिन्हें बोइंग/एअर इंडिया की तकनीकी टीमों द्वारा तत्परतापूर्वक ठीक किया जा चुका है।

(ग) जनवरी 2013 में, विदेश में एक बी787 विमान में लगाई गई बैटरियों से संबंधित एक घटना हुई थी जिसकी वजह से यूएसए के एफएए द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्व भर में बी787 विमानों के बेड़े के प्रचालन बंद करना जरूरी हो गया। इन विमानों की निर्माता बोइंग कंपनी में भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बैटरी यूनिट में कुछ सुधार किए जिन्हें एफएए द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया। एअर इंडिया के बेड़े के ड्रीमलाइनर विमानों पर बैटरी यूनिटों में अपेक्षित सुधार बोइंग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा एअर इंडिया की मुंबई स्थित फेसिलिटी में किए गए। इस आशोधन कार्य के पूरा होने पर, विमानों को मई 2013 के मध्य में फिर से सेवा में वापस लगा दिया गया। एअर इंडिया विमानों की तकनीकी विश्वसनीयता के मुद्दे पर बोइंग के साथ लगातार संपर्क में है। बोइंग की तकनीकी टीम मूल कारण के विश्लेषण और उपचारात्मक उपाय करने में लगी हुई है। तदनुसार, एक विश्वसनीयता संवर्धन आशोधन पैकेज तैयार किया गया है जिसमें विमान सॉफ्टवेयर और इसके कंपोनेंटों का स्तरोन्नयन शामिल है। इन आशोधनों को करने के लिए बोइंग की एक टीम एअर इंडिया की मुंबई स्थित फेसिलिटी में पहुंच चुकी है। पहली दिसंबर 2013 से 10

दिन की मेंटेनेंस ग्राउंडिंग (अनुरक्षण के लिए प्रचालन बंद किया जाना) के दौरान प्रत्येक ड्रीमलाइनर विमान पर क्रमानुसार आशोधन कार्य किया जा रहा है।

(घ) डीजीसीए ने बंगलौर में बोइंग 787, वीटी-एएनके उड़ान पर हुई घटना के अन्वेषण का आदेश दे दिया है जिसमें एप्रोच के दौरान पैनल अलग हो जाने की घटना हुई थी। अन्वेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) जी नहीं। तथापि, विश्वसनीयता संवर्धन के उपाय के तौर पर, प्रत्येक ड्रीमलाइनर विमान को पहली दिसंबर 2013 से आरंभ होने वाली दस दिवसीय मेंटेनेंस ग्राउंडिंग पर रखा जा रहा है।

विमानपत्तनों का निर्माण

***10. श्री विक्रमभाई अर्जन भाई मादम :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों सहित पूरे देश में कुछ नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निर्माण करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है तथा इन विमानपत्तनों को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) पूरे देश में उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है, जिनका विस्तार, पुनरूद्धार और उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किए जाने का विचार है और उनकी राज्य-वार विशेषकर गुजरात में स्थिति क्या है;

(घ) क्या विमानपत्तनों के निर्माण/उन्नयन हेतु राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार देश में विभिन्न विमानपत्तनों के विकास हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देती आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमानपत्तनों के विकास हेतु अब तक कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार की क्षेत्रीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों की संपर्कता के संवर्धन की योजना है। हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यवहार्यता आकलन हेतु लगभग 100 शहरों का तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। नए घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों तथा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों सहित चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके लिए निर्धारित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हवाईअड्डों के विकास का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां। हवाईअड्डों के निर्माण/स्तरोन्नयन का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) जी, हां। स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 74% तक तथा विशेष अनुमति सहित 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के मामले में क्षेत्रीय विनियमों अध्यधीन पर स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। पिछले 03 वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में हवाईअड्डों के लिए कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

नए हवाईअड्डों और उनके लिए नियत धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	हवाईअड्डा	निर्धारित राशि (ब.अ. 2013-14)
1	2	3	4
ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे			
1.	सिक्किम	पैक्योंग	39.50
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.10
नए घरेलू हवाईअड्डे			
1.	जलगांव	महाराष्ट्र	7.00
2.	किशनगढ़	राजस्थान	0.001
3.	देवगढ़	झारखंड	0.10
4.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	20.00
5.	रायगढ़	छत्तीसगढ़	0.00
नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे*			
1.	मोपा	गोवा	0.00
2.	गुलबर्गा	कर्नाटक	0.00

1	2	3	4
3.	बीजापुर	कर्नाटक	0.00
4.	हसन	कर्नाटक	0.00
5.	शिमोगा	कर्नाटक	0.00
6.	अरनमुला (पथनमिथिट्टा)	केरल	0.00
7.	कनौर	महाराष्ट्र	0.00
8.	सिंधदुर्ग	महाराष्ट्र	0.00
9.	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	0.00
10.	शिरडी	महाराष्ट्र	0.00
11.	डाबरा	मध्य प्रदेश	0.00
12.	कराइकल	पुदुचेरी	0.00
13.	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	0.00
14.	अंदल-फरीदपुर	पश्चिम बंगाल	0.00

*नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास पीपीपी मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। लागत अनुमान तथा बजट संबंधित राज्य सरकार/विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

विवरण-II

देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाईअड्डों के विकास की स्थिति

30.11.2013 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	हवाईअड्डा	नियोजित कार्य
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर (सीई) (अंतर्राष्ट्रीय)	नया एकीकृत टर्मिनल भवन और एप्रन का विस्तार।
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए डब्ल्यूआईपी।
3.	असम	गुवाहाटी (अंतर्राष्ट्रीय)	ए 321 प्रकार के विमान के लिए 3 हैंगरों के निर्माण हेतु डब्ल्यूआईपी।
			अग्निशमन स्टेशन, एटीसी टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन, समानान्तर टैक्सी ट्रैक तथा कार्गो शेड नियोजन स्तर पर है।
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रनवे विस्तार और एप्रन विस्तार।
5.	गोवा	गोवा (सीई) (अंतर्राष्ट्रीय)	नए एकीकृत टर्मिनल का कार्य पूरा हो गया है।
			समानान्तर टैक्सी ट्रैक, निंक टैक्सी ट्रैक तथा रैपिड एक्जिट टैक्सीवे। एप्रन का विस्तार नियोजन स्तर पर है।
6.	गुजरात	अहमदाबाद (अंतर्राष्ट्रीय)	नया नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक कार्गो परिसर का विकास
7.		वडोदरा	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
			एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक।
			तकनीकी ब्लॉक के प्रति एप्रन का विस्तार और संबद्ध कार्य नियोजन स्तर पर है।
8.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू (सीई)	रनवे का विस्तार।
			नए सिविल विमान टर्मिनल का निर्माण।

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	बेलगांव	रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्माण, एटीसी टावर-सह-तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।
10.		हुबली	रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्मार्ण, एटीसी टावर-सह-तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन का निर्माण।
11.		मंगलोर (अंतर्राष्ट्रीय)	आंशिक समानान्तर टैक्सी ट्रैक तथा एप्रन का विस्तार।
12.	केरल	त्रिवेंद्रम (अंतर्राष्ट्रीय)	समानांतर टैक्सी वे/मौजूदा एप्रन का विस्तार। चौथे एयरोब्रिज के लिए एयरसाइड कैरीडोर का विस्तार।
13.		कालीकट (अंतर्राष्ट्रीय)	नए अंतर्राष्ट्रीय आगमन ब्लॉक के निर्माण तथा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल भवन के आंतरिक आशोधन के लिए कार्य प्रदान किया गया है।
14.	लक्षद्वीप	अगाति	रनवे के विस्तार, नए एप्रन, टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर के स्थान परिवर्तन हेतु विस्तृत अभिकल्प एवं इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	नया एटीसी टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, एमटी, रनवे को जोड़ने वाला दूसरा लिंक टैक्सी वे तथा नया एप्रन।
16.	मणिपुर	इम्फाल	ए321 प्रकार के विमान के लिए एप्रन सहित हैंगर।
17.	मेघालय	बारापानी	ए320 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु हवाईअड्डे का स्तरोन्नयन।
18.	नागालैंड	दीमापुर	टर्मिनल भवन के अग्र भाग का उन्नयन, तथा सिटीसाइड निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर	एटीसी टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक, एमटी पूल।
20.	संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़ (सीई) (कस्टम)	मोहाली साइड पर नए सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु डब्ल्यूआईपी।
21.	राजस्थान	जयपुर (अंतर्राष्ट्रीय)	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार। रनवे के विस्तार का कार्य निविदा स्तर पर है।
22.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (अंतर्राष्ट्रीय)	रनवे के अन्य छोर पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन तथा एप्रन।
23.		मदुरै (कस्टम)	नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक।
24.		त्रिचि	एप्रन विस्तार सहित दोनों ओर एनआईटीबी का विस्तार, नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक।
25.	त्रिपुरा	अगरतला	ए-321 प्रकार के विमान के लिए हैंगर। नागर विमानन महानिदेशालय की सीएआर अपेक्षाओं के अनुसार 300 मी. मूल पट्टी का प्रावधान।

नोट: 1. सभी नियोजित कार्य राज्य सरकार/भारतीय वायु सेना (रक्षा मंत्रालय) से भूमि की उपलब्धता, यातायात की मांग तथा बजटीय सहायता, जहां कहीं लागू हो, पर आधारित होंगे।

विवरण-III

हवाईअड्डे/सिविल एन्क्लेव का ब्यौरा, जिनके विकास, विस्तार, स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	हवाईअड्डों की संख्या		स्थिति
1	2	3		4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	वारंगल	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार द्वारा भूमि अभी सौंपी जानी है।
		2.	विजयवाड़ा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
		3.	कड्डप्पा	परियोजना पूरी होने वाली है।
		4.	तिरुपति	भूमि आंशिक रूप से सौंपी गई है। राज्य सरकार द्वारा शेष भूमि सौंपी जानी है। टर्मिनल भवन तथा नियंत्रण टावर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
2.	छत्तीसगढ़	5.	रायगढ़	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार द्वारा 592 एकड़ भूमि सौंपी जानी है। बजटीय सहायता के लिए योजना आयोग से संपर्क किया जाना है।
3.	हरियाणा	6.	हिसार	राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, व्यवहार्यता अध्ययन किया गया और टिप्पणियां राज्य सरकार को अग्रेषित की गईं।
		7.	करनाल	
4.	हिमाचल प्रदेश	8.	कांगड़ा	राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि सौंपी जानी है।
		9.	कुल्लू	नदी के मार्ग परिवर्तन/प्रशिक्षण द्वारा भूमि का पुनर्निर्धारण और तत्पश्चात् भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार के पास लंबित है।
		10.	शिमला	मूल पट्टी की बहाली, मिट्टी की कटाव को रोकने और मिट्टी के भराव द्वारा रनवे के विस्तार के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
5.	जम्मू और कश्मीर	11.	जम्मू (सीई)	**रनवे का विस्तार:** 1. सेना से भूमि का हस्तांतरण प्रतीक्षाधीन है। 2. नहर तथा एचटी लाइनों के मार्ग परिवर्तन सहित तवी नदी की ओर सिविल एन्क्लेव में अवसंरचनात्मक विकास हेतु 138 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है।
		12.	लेह	नियोजन स्तर पर है। इसमें भारतीय वायु सेना सेना से भूमि हस्तांतरण शामिल है।
6.	झारखंड	13.	देवगढ़	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार द्वारा 606 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3		4
7.	कर्नाटक	14.	बेलगाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने बी767 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए 364 एकड़ भूमि सौंप दी है।
		15.	हुबली	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार ने बी767 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए 600 एकड़ भूमि सौंप दी है।
8.	केरल	16.	त्रिवेन्द्रम	राज्य सरकार द्वारा 139.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि सौंपी जानी है।
9.	मध्य प्रदेश	17.	ग्वालियर	नया टर्मिनल भवन - नियोजन स्तर।
10.	ओडिशा	18.	झारसुगुडा	राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की प्रक्रिया में है।
11.	पंजाब	19.	भटिंडा (सीई)	नए सिविल एन्क्लेव का कार्य पूरा हो गया है।
		20.	लुधियाना	राज्य सरकार द्वारा भावी विकास के लिए भूमि सौंपी जानी है।
		21.	चंडीगढ़ (सीई)	मोहाली ओर पर नए सिविल एन्क्लेव की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
12.	राजस्थान	22.	किशनगढ़	राज्य सरकार ने भूमि के प्रमुख भाग का अधिग्रहण कर लिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। 69 एकड़ भूमि अभी भाविप्रा को सौंपी जानी है। चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
		23.	जोधपुर (सीई)	80 एकड़ भूमि सौंपने के लिए भारतीय वायु सेना से अनुरोध किया गया है।
		24.	कोटा	राज्य सरकार द्वारा 124 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
13.	तमिलनाडु	25.	कोयम्बटूर	एक ही समय पर एक रवे से बी747-400 विमान तथा अन्य रनवे से बी767 विमान के प्रचालन को सुलभ बनाने के लिए 1566 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है।
		26.	तुतिकोरिन	राज्य सरकार द्वारा बी767 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए 586 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
14.	त्रिपुरा	27.	कैलाशार	हवाईअड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 83 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
15.	संघ राज्य क्षेत्र	27.	अगाति	पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त किया गया। अगाती हवाईअड्डे के विकास के लिए 18.6 एकड़ भूमि लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा सौंपी जानी है। इंजीनियरिंग परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।
		28.	पुदुचेरी	एटीआर-72 प्रचालन के लिए एप्रन तथा रनवे विस्तार एवं नए टर्मिनल भवन का कार्य पूरा हो गया है। हवाईअड्डे पर प्रचालन आरंभ कर दिया गया है। भावी विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा शेष भूमि सौंपी जानी है।

1	2	3	4
16.	उत्तर प्रदेश	29. गोरखपुर (सीई)	भारतीय वायु सेना की चारदीवारी के निकट चिह्नित 25 एकड़ भूमि के टुकड़े पर नए सिविल एन्क्लेव की स्थापना के लिए भारतीय वायु सेना (रक्षा मंत्रालय) से अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुरोध किया गया है। भारतीय वायु सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण तथा हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया जाएगा।
		30. कानपुर (चकेरी) - सीई	नए प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
		31. आगरा (सीई)	नए प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 55.29 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
		32. इलाहबाद (सीई)	नए प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।
		33. बरेली (सीई)	नए प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ भूमि सौंपी जानी है।

रेल पटरियों पर मारे गए हाथी

***11. श्री महेन्द्र कुमार राय :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रेल पटरियों पर जोन-वार कितने हाथी मारे गए;

(ख) क्या रेलवे ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा भविष्य में देश में रेल पटरियों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल पटरियों पर मारे गए हाथियों की जोनवार संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	पूर्व मध्य रेलवे	पूर्व तट रेलवे	उत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दक्षिण रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे	दक्षिण पश्चिम रेलवे	कुल
2010	शून्य	शून्य	शून्य	19	1	शून्य		20
2011	1	1	शून्य	7	शून्य	शून्य		9
2012	शून्य	6	शून्य	6	शून्य	3		15
2013 (28.11.13 तक)	शून्य	शून्य	2	16	शून्य	1	2	21
कुल	1	7	2	48	1	4	2	65

(ख) जी, हां। अधिकांश मामलों में इस विषय में जोनल रेलों ने जांच की हैं। बहरहाल, कुछ मामलों जहां गैर-चिह्नित हाथी वाले गलियारों/स्थानों में हाथी मारे गए थे और जहां वन विभाग से रेलों को कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई, ऐसे मामलों में जांच की नहीं गई हैं।

(ग) जांचों का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	घटनाओं की संख्या	जांच की लिए दिए गए आदेशों की संख्या	पूरी की गई जांचों की संख्या
2010	10	6	6
2011	7	5	5
2012	8	1	1
2013 (28.11.13 तक)	10	7	6

(घ) रेल पटरियों पर हाथियों के मारे जाने की ऐसी घटनाएं होने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) रेल मंत्रालय हाथियों के मारे जाने की आकस्मिक घटना को नियंत्रित करने हेतु निवारण उपाय करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर रहा है।

(ii) वन विभाग द्वारा हाथियों के गलियारों की पहचान की गई है और ऐसे गलियारों पर गति-सीमा निर्धारित की गई है।

(iii) रेलगाड़ी के ड्राइवरों को पहले चेतावनी देने के लिए प्रदर्श बोर्डों की व्यवस्था की गई है।

(iv) रेलगाड़ी के कर्मचारियों और स्टेशन मास्टरों को जानकारी देने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय रेलों को परामर्श जारी किए गए हैं।

(v) रेलवे की भूमि में रेलपथ के बगल में आवश्यकता के अनुसार बागवानी हटाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(vi) राज्य सरकार के वन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से चिह्नित स्थानों पर हाथियों के आवागमन के लिए अंडरपास का निर्माण।

(vii) जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य में रैम्प का निर्माण।

(viii) गहरे कटावों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए गर्डर पुलों का निर्माण।

(ix) ऐसे एकांत स्थानों जहां मोड़ होने के कारण दृश्यता बाधित है, पर फेन्सिंग की व्यवस्था।

(x) हाथियों के रेलपथ पार करने से रोकने के लिए असुरक्षित स्थानों पर सौर प्रकाश की व्यवस्था।

(xi) हाथी देखे जाने की सूचना तेजी से प्रसारित करने के लिए रेलवे और वन विभाग के पदाधिकारियों के बीच वीएचएफ (वॉकी-टॉकी) संचार व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि लोको पायलट को सावधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जल की कमी

***12. श्री उदय सिंह :**
श्री रमेश बैस :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2050 तक भारत को जल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति अथवा कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में वर्षा जल संचयन संबंधी कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे के समाधान हेतु किसी तंत्र का पता लगाने हेतु राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) देश में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आकलित की गई है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक एवं अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल लगभग 1121 बीसीएम आकलित किया गया है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 431 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने वर्ष 1999 में अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया था कि वर्ष 2025 और 2050 तक जल की वास्तविक आवश्यकता क्रमश: लगभग 843 बीसीएम और 1180 बीसीएम होगी।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन का स्थायित्व

सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न कदम उठाये जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है।

भारत सरकार ने 'एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, जल के अपव्यय को कम करने और राज्यों के बीच और राज्यों में इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने' के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 तैयार की है जिसमें देश में जल संसाधन के संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 की प्रतियां उचित कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने XIवीं योजना के दौरान "भूजल प्रबंधन एवं विनियमन" की स्कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की थीं, जिसमें 21 राज्यों में 1661 संरचनाओं के निर्माण के लिए 133 प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से 1223 संरचनायें पूरी कर ली गई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जल क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करने हेतु राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय जल बोर्ड आदि की बैठकों सहित विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक रूप से परामर्श किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने देश में बेहतर जल प्रशासन के लिए विचारों के आदान-प्रदान, नये एवं रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देने और सहमति बनाने हेतु राज्यों के जल संसाधनों/सिंचाई मंत्रियों का एक राष्ट्रीय फोरम भी गठित किया है।

विवरण

XIवीं योजना के दौरान स्वीकृत प्रदर्शनात्मक राज्यवार कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत संरचनाओं की संख्या	पूरी की गई संरचनाओं की संख्या (31.10.2013 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	119	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	80	64
3.	बिहार	2	11	0
4.	छत्तीसगढ़	2	34	0
5.	चंडीगढ़	1	54	40
6.	दिल्ली	1	10	0
7.	गुजरात	2	116	101
8.	हिमाचल प्रदेश	13	20	13
9.	जम्मू और कश्मीर	5	5	1
10.	झारखंड	2	69	60
11.	कर्नाटक	6	192	161
12.	केरल	7	91	63

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	4	51	31
14.	महाराष्ट्र	1	49	49
15.	नागालैंड	2	64	64
16.	ओडिशा	14	66	22
17.	पंजाब	3	86	0
18.	राजस्थान	49	52	14
19.	तमिलनाडु	4	273	273
20.	उत्तर प्रदेश	4	189	143
21.	पश्चिम बंगाल	1	30	29
	कुल	133	1661	1223

नए आविष्कारों संबंधी क्षमताएं

***13. श्री एम. आनंदन :**
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए आविष्कारों/क्षमताओं के क्षेत्र में राष्ट्रों के समूह में भारत का 66वां स्थान है और इसकी नए आविष्कारों की क्षमताएं ब्रिक्स (ब्राजील, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए आबंटित की गई और उसमें से उपयोग में लाई गई धनराशि का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों और सरकारी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास संस्थानों की क्षमताओं का कितना उपयोग किया गया तथा सरकार द्वारा इन संस्थाओं को कितनी अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गई और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। कॉर्नेल विश्वविद्यालय, यूएसए, यूरोपीय व्यापार प्रशासन संस्थान (इनसीड) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा सह प्रकाशित वैश्विक सूचकांक 2013 के अनुसार नए आविष्कारों संबंधी क्षमताओं के रूप में भारत का स्थान 66वां है। भारत को छोड़कर ब्रिक्स देशों में नए आविष्कारों संबंधी क्षमताओं के रूप में ब्राजील का स्थान 64, रुसी परिसंघ का 62, चीन का 35 और दक्षिण अफ्रीका का 58वां है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए निधियों के संस्थावार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। अनुसंधान संस्थानों को निधियों की रिलीज पूर्व वर्षों में रिलीज की गई निधियों के पूर्ण उपयोग के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और आर एंड डी संस्थाओं की क्षमता का परिमाणात्मक प्रतिचित्रण नहीं किया है और यह टॉप – डाउन आयोजना दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें अनुसंधान परियोजना नहीं सौंपता है क्योंकि विश्वविद्यालय एवं अनेक आर एंड डी संस्थाएं जहां अनुसंधान कार्य किया जाता हैं, मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित नहीं की जा रही हैं। सीएसआईआर की बजाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैश्विक प्रचलन के अनुसार बाह्य वित्त पोषण सहायता स्वीकार करता है। इस मॉडल में प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता इस क्षेत्र में अपनी क्षमता एवं विशेषज्ञता के आधार पर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय ने विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों की तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन करने और विधिवत मूल्यांकन के बाद अनुसंधान निधियां मंजूर करने के लिए सुदृढ़ समक्ष समीक्षा तंत्र स्थापित किया है। यह अनुवर्ती अनुसंधान प्रस्तावों की सहायता करने के लिए अनुसंधान उपलब्धियों की

गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए सुदृढ़ समीक्षा तंत्र बनाया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय विश्वविद्यालयों और आर एंड डी संस्थाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (फिस्ट) के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए कोष बनाया है। विगत तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सहायता दी है और विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता प्रोत्साहन (पर्स) नामक प्रोत्साहन आधारित योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत, प्रोत्साहन आधारित अनुदान उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशनों एवं प्रशस्तियों की संख्या के जरिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों और आर एंड डी संस्थाओं में समकक्ष समीक्षा तंत्र के आधार पर अनुमोदित एवं कार्यान्वित बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई निधियों ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में "महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण" शीर्षक योजना (क्यूरी) आरंभ की जिसके अंतर्गत अब तक छः महिला विश्वविद्यालयों को सहायता दी गई है। अनुसंधान अवंसरचना के रूप में क्षेत्रीय संतुलन को बेहतर बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर और बिहार राज्यों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है एवं उसे कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदाय के कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजना भी कार्यान्वित की गई है।

विवरण-I

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान संस्थानों द्वारा आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	संस्थान	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आघारकर अनुसंधान संस्थान (महाराष्ट्र विज्ञान विकास संघ)	12.41	13.03	14.76
2.	आर्यभट्ट प्रेक्षणात्मक विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस)	29.97	27.00	31.15
3.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान	17.50	19.05	20.64
4.	बोस संस्थान	42.20	50.46	104.85
5.	मृदु सामग्री अनुसंधान केन्द्र (पूर्व में तरल क्रिसटल अनुसंधान केन्द्र)	3.25	4.77	5.50
6.	भारतीय विज्ञान अकादमी	8.57	7.06	6.55
7.	भारतीय विज्ञान विकास संघ	50.20	51.48	58.34
8.	भारतीय ताराभौतिकी संस्थान	47.20	42.00	53.91
9.	भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान	26.64	24.03	25.33
10.	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी	3.00	3.15	4.41
11.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	12.57	13.47	16.14
12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान	7.67	9.00	18.59
13.	अंतर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी एवं नव सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र	45.00	43.20	48.13

1	2	3	4	5
14.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र	48.00	43.20	50.62
15.	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड	4.86	0.07	0.03
16.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान	7.00	8.10	10.04
17.	रमन अनुसंधान प्रतिष्ठान	34.20	30.98	34.29
18.	सत्येन्द्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केन्द्र	28.72	25.88	29.90
19.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	83.85	76.39	91.01
20.	प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्	17.07	15.47	12.14
21.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन	3.02	3.43	3.87
22.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत	6.86	7.76	10.30
23.	विज्ञान प्रसार	10.01	10.03	14.08
24.	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान	23.04	19.96	19.62
	कुल	572.80	548.96	684.20

विवरण-II

प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान संस्थानों द्वारा आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	संस्थान	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	54.6	59.8	53.0
2.	नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे, महाराष्ट्र	44.4	26.0	28.7
3.	डीएनए फिंगर प्रिटिंग एवं निदान केन्द्र हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	24.0	39.0	40.0
4.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र मानेसर, हरियाणा	24.0	29.0	5.1
5.	नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली	23.3	22.0	27.0
6.	इंस्टीट्यूट ऑफ बोयारिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल, मणिपुर	6.9	9.8	18.1
7.	इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, ओडिशा	25.0	35.0	29.0
8.	टांसलेशनल हेल्थसाइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, हरियाणा	20.0	12.5	32.8

1	2	3	4	5
9.	राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवतंपुरम, केरल	32.0	22.0	24.9
10.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	16.0	23.0	36.0
11.	यूनेस्को रिजनल सेंटर फॉर साइंस, एजुकेशन एंड इनोवेशन, फरीदाबाद, हरियाणा	29.3	34.0	35.1
12.	इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी मोहाली, पंजाब	20.0	25.0	24.5
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल रिसर्च एंड रिजेनरेटिव मेडीसिन, बंगलौर, कर्नाटक	12.4	25.2	33.8
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायो-टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	0.5	6.6	15.0
15.	आनुवांशिकी इंजीनियरी एवं जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी)	0.0	0.0	13.0
16.	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिसटेंस काउंसिल (बीआईआरएसी)	0.0	0.0	24.5
17.	बायो-क्लस्टर एंड इनक्यूबेटर्स	0.0	0.0	5.0
	कुल	332.3	368.9	445.4

विवरण-III

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान संस्थानों द्वारा आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	संस्थान	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	कोशिकीय एवं आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	74.1	76.7	88.6
2.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	138.6	169.7	160.8
3.	राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	85.0	89.4	86.5
4.	पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट	49.9	58.4	53.8
5.	केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद	84.9	83.8	91.6
6.	नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर	66.2	64.4	61.3
7.	सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन कैमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर	40.7	49.4	55.0
8.	हिमालयी जैव संसाधन, प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर	34.7	25.4	29.8
9.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू	52.2	57.8	70.3

1	2	3	4	5
10.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर	65.1	67.2	76.8
11.	राष्ट्रीय वातअंतरीक्ष, प्रयोगशाला, बेंगलूरु	217.9	290.9	211.3
12.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	33.6	37.9	54.5
13.	एडवांस्ड मेटीरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल	22.6	18.4	18.8
14.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	127.0	141.7	164.8
15.	राष्ट्रीय पर्यावरणिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	43.7	50.3	53.8
16.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरिल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	47.7	49.2	50.7
17.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी	49.2	59.6	60.0
18.	केन्द्रीय इलेक्ट्रो रसायनिक अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी	57.3	62.2	71.6
19.	सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	64.1	79.5	68.7
20.	सीएसआईआर मद्रास काम्प्लैक्स	9.0	8.9	9.6
21.	संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई	36.0	41.5	51.6
22.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	211.8	148.5	124.1
23.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ	50.2	48.5	51.8
24.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोक्सिकोलोजी रिसर्च, लखनऊ	37.4	42.4	41.6
25.	नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	48.6	59.1	62.8
26.	मानव संसाधन विकास केन्द्र गाजियाबाद	10.8	10.3	11.7
27.	केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की	36.9	49.6	42.7
28.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून	52.4	47.4	58.9
29.	सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता	70.9	86.0	89.0
30.	केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	71.1	71.9	73.7
31.	भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता	75.1	87.7	82.5
32	राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, दोना पोला	137.3	100.9	160.1
33.	सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	39.2	46.3	44.4
34.	इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी, दिल्ली	86.8	95.7	91.3
35.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	52.3	68.2	63.3

1	2	3	4	5
36.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	14.7	14.0	15.4
37.	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली	144.7	142.2	133.2
38.	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चंडीगढ़	61.5	67.4	56.7
39.	इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़	56.9	76.8	46.9
	कुल	2658.4	2845.0	2839.7

विवरण-IV

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त बाह्य आर एण्ड डी परियोजना तथा जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

विभाग	स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या			जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपए में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	1368	1476	1639	483.1	447.8	789.6
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)	478	429	578	233.0	214.0	502.5
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)	257	294	377	37.4	47.3	66.7

स्रोत: बाह्य अनुसंधान और विकास परियोजना निदेशिका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

दिल्ली में भूकंप

***14. श्री एस.एस. रामासुब्बू :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में हाल ही में आए भूकंप के झटकों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पता चले प्रत्येक भूकंप का ब्यौरा क्या है तथा उनकी तीव्रता कितनी थी और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार उनसे कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तीव्र भूकंपीय जोन की श्रेणी में आता है और आमतौर पर भवन भूकंपरोधी नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में 12 नवंबर, 2013 को भारतीय मानक समय 0040 बजे से 03:41 बजे के बीच धमाके जैसी आवाज़ के साथ 4 भूकंपों से जुड़े निम्न परिमाण के भूकंपीय झटके (रिएक्टर पैमाने पर 2.5-2.3 की रेंज में) आए थे।

विगत 3 वर्षों के दौरान दर्ज किए गए भूकंप के झटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली एनसीआर उच्च सक्रिय (तीव्र) भूकंपीय जोन-IV में पड़ता है। भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस-1893 (भाग-1): 2002] ने अतीत के भूकंपीय इतिहास के आधार पर, देश

को चार भूकंपीय जोनों अर्थात् जोन-II (सबसे कम सक्रिय भूकंपीयजोन,) जोन-III (मध्यम सक्रिय भूकंपीय जोन,) जोन-IV [उच्च सक्रिय (प्रचंड) भूकंपीय जोन] तथा जोन-V [सर्वाधिक सक्रिय (अत्याधिक प्रचंड) भूकंपीय जोन] में वर्गीकृत किया है।

इसके आगे, धरती की सतह पर भूकंप के प्रभावों को मापने वाली मोडीफाईडमर्कली इंटेंसिटी (एमएमआई) जिसमें तीव्रता के 12 आरोही स्तर शामिल है तथा जो हल्के कंपन से लेकर प्रलयंकर विनाश तक की रेंज रखती है, का नामकरण रोमन अंकों (I-XII) द्वारा किया गया है तथा दिल्ली एनसीआर इसके VIIIवें स्तर में पड़ता है। भूकंप को चाहे कहीं भी मापा जाए इसका परिमाण एक समान ही होता है, तथापि भूकंप की तीव्रता तथा संबद्ध प्रभाव भूकंप के अधिकंद्र से दूर घटते जाते हैं। सामान्यत: नुकसान स्तर V अथवा इससे अधिक तीव्रता से जुड़े होते हैं। एमएमआई-VIII जोन के अंतर्गत, संभावित नुकसान नीचे दिया गया है:—

- विशेष रूप से डिजाइन किए गए ढांचों में थोड़ा नुकसान;
- सामान्य भवनों में आंशिक गिरावट सहित बहुत अधिक नुकसान;
- कमजोर ढांचों को बहुत भारी नुकसान;
- पैनल की दीवारें फ्रेम के ढांचों से बाहर निकल जाती है;
- चिमनियां, कारखानों के धुआरे, खंभे, स्मारक तथा दीवारें गिर जाती हैं;
- भारी फर्नीचर पलट जाता है;
- थोड़ी मात्रा में रेत/कीचड़ का उत्सर्जन होता है;
- कुओं के भू-जल स्तर में बदलाव हो जाता है; और
- वाहनों में चालक व्याकुल हो जाते हैं;

शहरी निकायों के इंजीनियरों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करके, दिल्ली सरकार अत्यधिक कमजोर भवनों का सर्वेक्षण करने हेतु क्षेत्र इंजीनियरिंग स्कंधों की तकनीकी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रही है। कमजोर चिनाई वाले भवनों की भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करने हेतु दिशा-निर्देशों, (आईएस 13828:1993) जिनमें ऐसे भवनों की भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करने के लिए डिजाइन तथा निर्माण की कुछ विशेषताएं शामिल है, को इन प्रयासों के पूरक के रूप में पहले ही लागू कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि कम से कम अब से आगे विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य योजनाओं के तहत निर्मित किए जा रहे भवनों को प्रारंभ में ही भूकंप प्रतिरोधी ब्यौरा विवरण-II में दिए गए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार, बनाया जाए ताकि मौजूदा असुरक्षित भवनों की संख्या में वृद्धि नहीं हो।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ समन्वय करके दिल्ली में खतरनाक भवनों के लिए सुरक्षा मापदंडों के मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में "रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस)" पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के 300 इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। पूर्वी दिल्ली में 10,000 भवनों की पहचान करने के प्रारंभिक आरवीएस कार्यक्रम की अगुआई करते हुए, एनआईडीएम ने नवंबर, 2012 में संपन्न हुए अपने पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरवीएस के प्रारंभिक अध्ययन के निष्कर्षों का विस्तार से विवेचन किया तथा एमसीडी के इंजीनियरों को विशिष्ट उद्देश्य वाले आरवीएस डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर से परिचित कराया। उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने फील्ड में कुछ नॉनडिस्ट्रक्टिव परीक्षण अभ्यासों के साथ-साथ कक्षा गृह व्याख्यानों तथा हैंड्स ऑन अभ्यास के बीच अच्छा संतुलन रखा है।

विवरण-I

दिल्ली एनसीआर में वर्ष 2010 में आए भूकंपों की सूची

दिनांक	उद्गम का समय (यूटीसी में)			अक्षांश (°उ.)	देशांतर (°पू.)	गहराई	परिमाण (रिक्टर पैमाने पर)
	घण्टा	मिनट	सैकेंड				
1	2	3	4	5	6	7	8
29.01.2010	09	41	2.4	29.17	77.01	10	3.3
03.02.2010	05	17	11.1	28.70	76.77	10	2.9

1	2	3	4	5	6	7	8
24.02.2010	19	20	52.7	28.58	76.97	10	2.6
25.02.2010	00	49	57.5	28.33	77.39	10	2.6
03.03.2010	11	48	18.7	28.83	76.97	16	2.3
05.03.2010	05	15	52.2	29.16	76.92	10	2.7
15.03.2010	08	09	22.7	28.89	76.64	10	2.3
22.03.2010	03	54	22.0	28.72	76.57	10	2.2
23.03.2010	17	46	44.0	28.66	76.62	10	2.8
15.04.2010	08	12	8.3	28.93	76.93	23	2.7
02.06.2010	18	06	4.4	28.71	76.64	10	2.6
07.06.2010	17	12	34.2	28.83	77.32	10	3.2
20.07.2010	08	31	0.8	28.76	77.02	10	2.4
30.08.2010	15	45	12.5	29.02	77.22	10	2.9
09.09.2010	22	38	39.2	28.64	76.93	12	2.3
30.09.2010	05	48	45.5	29.01	77.32	10	2.3
22.10.2010	07	04	56.5	28.69	76.59	10	2.4
03.11.2010	14	33	36.4	28.72	76.53	10	2.4
13.12.2010	09	15	1.7	29.00	76.59	10	2.3

घटनाओं की कुल संख्या : 20

दिल्ली एनसीआर में वर्ष 2011 में आए भूकंपों की सूची

दिनांक	उद्‌गम का समय (यूटीसी में)			अक्षांश (°उ.)	देशांतर (°पू.)	गहराई	परिमाण (रिक्टर पैमाने पर)
	घण्टा	मिनट	सैकेंड				
1	2	3	4	5	6	7	8
05.01.2011	22	23	23.2	28.91	76.73	10	2.0
16.01.2011	12	50	51.7	28.76	76.98	10	2.3
26.01.2011	03	06	45.0	29.06	77.21	10	3.2

1	2	3	4	5	6	7	8
03.02.2011	09	33	24.7	29.03	76.65	16	2.9
18.02.2011	13	27	0.6	29.04	77.28	5	2.0
22.02.2011	10	19	2.5	28.81	76.73	10	2.2
24.02.2011	21	01	16.2	29.03	76.95	10	2.6
01.03.2011	13	26	39.2	28.44	76.59	10	1.9
15.03.2011	01	11	32.5	28.87	76.61	18	2.1
25.03.2011	07	19	25.2	28.98	77.11	17	2.8
09.04.2011	15	08	51.9	28.92	77.14	10	2.4
10.04.2011	10	45	35.7	28.69	77.40	8	2.1
27.04.2011	08	33	24.6	28.81	77.36	10	2.5
29.04.2011	11	23	45.5	28.83	77.08	10	2.2
01.06.2011	12	00	13.3	29.06	76.97	14	2.2
10.06.2011	09	11	49.2	28.96	76.78	10	2.3
11.07.2011	07	58	11.8	29.12	76.58	15	2.1
20.07.2011	20	21	15.6	28.48	76.87	10	2.1
04.08.2011	19	00	40.2	28.91	76.63	15	2.5
15.08.2011	18	22	33.7	29.07	76.67	10	2.3
23.08.2011	20	14	3.7	28.64	76.99	10	2.5
27.08.2011	20	16	10.8	28.92	76.59	10	2.0
02.09.2011	06	13	17.1	28.95	76.69	10	2.0
07.09.2011	17	58	18.6	28.63	77.11	10	3.8
09.09.2011	10	26	44.4	28.64	77.22	8	1.8
11.09.2011	21	41	54.5	28.64	77.18	12	2.0
14.09.2011	23	28	32.7	28.63	77.13	8	2.1
26.10.2011	11	21	2.2	28.14	76.93	10	2.0
04.11.2011	04	26	50.4	28.91	76.72	10	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8
04.11.2011	15	52	54.4	28.92	77.02	15	2.6
21.11.2011	09	56	1.7	29.11	76.83	19	2.8
24.11.2011	19	09	20.5	28.70	77.15	11	2.5
27.11.2011	09	36	57.0	28.61	76.75	10	2.1
08.12.2011	01	48	34.4	28.61	77.11	10	2.6
08.12.2011	19	43	7.3	28.69	76.87	10	2.2

घटनाओं की कुल संख्या : 39

दिल्ली एनसीआर में वर्ष 2012 में आए भूकंपों की सूची

दिनांक	उद्गम का समय (यूटीसी में)			अक्षांश (°उ.)	देशांतर (°पू.)	गहराई	परिमाण (रिक्टर पैमाने पर)
	घण्टा	मिनट	सैकेंड				
1	2	3	4	5	6	7	8
22.01.2012	04	38	22.2	28.79	76.78	14	3.0
28.01.2012	23	24	52.5	28.82	76.75	15	3.7
29.01.2012	21	37	5.5	28.84	76.75	10	3.2
12.02.2012	22	20	1.5	28.75	76.82	16	2.6
15.02.2012	06	26	53.7	28.70	76.81	16	2.6
05.03.2012	07	41	4.0	28.70	76.59	14	5.1
12.03.2012	22	07	21.7	29.04	76.97	10	3.6
24.03.2012	07	45	17.5	28.52	76.75	18	3.0
04.04.2012	01	10	26.7	28.76	76.84	18	2.4
17.05.2012	13	39	19.0	28.90	76.70	27	3.5
13.06.2012	03	16	3.0	28.70	76.60	10	2.8
19.06.2012	14	00	8.0	28.70	76.60	5	3.8
22.06.2012	02	44	42.0	29.00	77.10	7	3.5
22.06.2012	04	38	47.0	29.00	77.00	15	3.4

1	2	3	4	5	6	7	8
19.11.2012	06	25	21.0	28.70	76.60	5	3.5
19.11.2012	22	32	0.0	28.60	76.80	10	2.9
20.12.2012	03	44	15.0	28.60	76.70	20	2.7

घटनाओं की कुल संख्या : 18

दिल्ली एनसीआर में वर्ष 2012 में आए भूकंपों की सूची

दिनांक	उद्गम का समय (यूटीसी में)			अक्षांश (०उ.)	देशांतर (०पू.)	गहराई	परिमाण (रिक्टर पैमाने पर)
	घण्टा	मिनट	सैकेंड				
1	2	3	4	5	6	7	8
06.02.2013	08	22	45.0	28.80	76.50	5	2.7
10.04.2013	20	10	1.0	29.00	76.60	10	3.5
29.04.2013	00	57	5.0	29.00	77.20	5	3.0
18.07.2013	12	55	28.0	28.70	76.60	10	3.0
11.10.2013	18	05	34.0	28.80	76.70	10	3.3
11.11.2013	19	11	19.0	28.62	77.19	16	3.1
11.11.2013	19	12	34.0	28.61	77.24	13	2.2
11.10.2013	19	15	56.0	28.67	77.05	5	1.0
11.11.2013	19	37	17.0	28.61	77.18	10	1.3
11.10.2013	20	11	33.0	28.63	77.20	15	3.3
11.11.2013	20	25	08.0	28.64	77.16	15	2.5
11.10.2013	20	29	33.0	28.66	77.13	5	1.8
11.11.2013	20	33	42.0	28.66	77.07	8	1.7
11.10.2013	20	39	43.0	28.61	77.23	13	1.7
11.11.2013	20	40	23.0	28.61	77.24	12	1.8
11.10.2013	21	03	42.0	28.59	77.34	9	2.0
11.11.2013	22	10	45.0	28.65	77.14	13	2.8

1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2013	23	25	39.0	28.66	77.12	13	1.9
13.11.2013	10	38	22.0	28.69	77.05	7	1.5
13.10.2013	11	06	11.0	28.65	77.15	13	1.3
15.10.2013	03	06	32.0	28.64	77.04	11	1.6
15.11.2013	22	17	10.0	28.66	77.08	6	2.6
17.10.2013	06	48	25.0	28.61	77.27	12	1.7
18.11.2013	07	15	35.0	28.53	76.97	5	1.8
घटनाओं की कुल संख्या : 24							

विवरण-II

भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भूकंप इंजीनियरिंग पर विभिन्न मानक/कोड प्रकाशित किए हैं। मानकों की एक सूची संलग्न है

भूकंपरोधी डिजाइन तथा निर्माण पर प्रासंगिक भारतीय मानकों की सूची

क्र.सं.	आईएस संख्या	शीर्षक
*1.	आईएस 1893:1984	ढांचों की भूकंपरोधी डिजाइन के लिए मापदंड
2.	आईएस 1893 (भाग 1) : 2002	ढांचों की भूकंपरोधी डिजाइन के लिए मापदंड : भाग 1 सामान्य प्रावधान तथा भवन
*3.	आईएस 1893 (भाग 4) : 2005	ढांचों की भूकंप रोधी डिजाइन के लिए मापदंड : भाग 4 धुआरे जैसे ढांचे समेत औद्योगिक ढांचे
*4.	आईएस 436 : 1993	भूकंपरोधी डिजाइन तथा भवनों के निर्माण के लिए पद्धति कोड
5.	आईएस 4991 : 1968	भूकंप के ऊपर विस्फोटों हेतु ढांचों की विस्फोटरोधी डिजाइन के लिए मापदंड
6.	आईएस 6922 : 1973	भूमिगत विस्फोटों के विषयाधीन ढांचों की विस्फोट रोधी डिजाइन हेतु मापदंड
7.	आईएस 13827 : 1993	मिट्टी के घरों की भूकंपरोधी क्षमता में सुधार करना — दिशा-निर्देश
8.	आईएस 13828 : 1993	मिट्टी के घरों की भूकंप रोधी क्षमता में सुधार करना — दिशा-निर्देश
9.	आईएस 13920 : 1993	भूकंपीय शक्तियों के विषयाधीन सशक्त किए गए कंक्रीट के ढांचों की डक्टाइल डिटेलिंग
10.	आईएस 13935 : 2009	भूकंपीय मूल्यांकन चिनाई वाले भवनों की मरम्मत तथा उन्हें मजबूत बनाना — दिशा-निर्देश

*संशोधन के अधीन।

वे प्रारूप जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है तथा जिन्हें मुद्रित किया जा रहा है।

क्र.सं.	डीओसी संख्या	शीर्षक
1.	डीओसी.सीईडी 39 (7231)	ढांचों की भूकंपरोधी डिजाइनों के लिए मापदंड आंशिक तरल प्रतिधारक टैंक
2.	डीओसी.सीईडी 39 (7620)	सशक्त बनाए गए मौजूदा कंक्रीट भवनों का भूकंपीय मूल्यांकन तथा मजबूतीकरण दिशा-निर्देश
3.	डीओसी.सीईडी 39 (7620)	भूकंपरोधी डिजाइन तथा भवनों का निर्माण - पद्धति कोड
4.	डीओसी.सीईडी 39 (7739)	ढांचों की भूकंपरोधी डिजाइन के लिए प्रारूप भारतीय मापदंड: भाग 3 पुल तथा प्रतिधारक दीवारें।

रेल परियोजनाओं का विद्युतीकरण

*15. **श्री एम. कृष्णास्वामी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार बढ़ते ईंधन संबंधी व्यय के दृष्टिगत रेलवे का विचार देश में विद्युतीकरण परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चल रही विद्युतीकरण परियोजनाओं की राज्य/जोन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण संबंधी निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित और खर्च की गई धनराशि का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, हां। रेल मंत्रालय विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए कदम उठा रहा है।

(ख) भारतीय रेल लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए एक वृहत् विद्युतीकरण कार्यक्रम पहले ही आरंभ कर दिया है जिसे 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों से देखा जा सकता है।

योजना	विद्युतीकरण मार्ग किलोमीटर
10वीं	1810
11वीं	4556
12वीं	6500 (लक्ष्य)

देश में रेल लाइनों के चालू विद्युतीकरण कार्य की राज्यवार/ज़ोनवार विवरण और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:–

चालू रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	ज़ोनल रेलव	परियोजना का नाम (और स्वीकृति वर्ष)	कुल मार्ग किलोमीटर	01.10.2013 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण किए जाने के लिए शेष मार्ग किलोमीटर
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	मध्य और दक्षिण पूर्व मध्य	अमला-छिंदवाड़ा-कलुमना (2012-13)	257	257

1	2	3	4	5	6
2.	महाराष्ट्र	मध्य	अमरावती-नरखेड़ (नई लाइन में वास्तविक संशोधन - नवंबर, 2012)	138	138
3.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	आमान परिवर्तन के साथ कृष्णानगर-शांतिपुर-नबाद्वीपघाट (2007-08)	27	14
4.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	जमुरिया-इकरा और श्रीपुर के रास्ते अंडाल-सितारामपुर (2012-13)	57	57
5.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	आमान परिवर्तन के साथ बर्दवान-कटवा (2007-08)	52	28
6.	पश्चिम बंगाल/झारखंड	पूर्व	खना-सैंथिया सहित पंडाबेश्वर-सैंथिया-पाकुर (2010-11)	205	10
7.	उत्तर प्रदेश/बिहार	पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य	सिवान-थावे सहित बाराबंकी-गोंडा गोरखपुर-बरौनी (2007-08)	757	46
8.	बिहार, पश्चिम बंगाल/ असम	पूर्व मध्य, पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार-बरसोई सहित बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी (2008-09)	836	540
9.	ओडिशा	पूर्व तट	अंगूल-सुकिंडा [रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) द्वारा नई लाइन के साथ) 1997-98]	99	99
10.	ओडिशा	पूर्व तट	हरिदासपुर-पारादीप (आरवीएनएल द्वारा नई लाइन के साथ 1996-97)	82	82
11.	ओडिशा/छत्तीसगढ़/ आंध्र प्रदेश	पूर्व तट	विजयनगरम-रायगडा-तितलागढ़-रायपुर (2011-12)	465	465
12.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	उत्तर	नोली-दिल्ली शहादरा (सहायक यातायात सुविधाओं के साथ 2008-09)	10	10
13.	हरियाणा/पंजाब	उत्तर	रोहतक-भटिंडा-लेहरा मुहबत (2010-11)	252	252
14.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद-मुरादाबाद (2010-11)	140	128
15.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणसी-जंघई-उच्चाहार	207	0
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद-मेरठ सहित खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर	254	0
17.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर	उत्तर	जम्मू तवी-उधमपुर सहित जालंधर-जम्मू तवी (2007-08)	275	30

1	2	3	4	5	6
18.	उत्तराखंड	उत्तर	लक्सर/देहरादून (अंबाला-मुरादाबाद का वास्तविक संशोधन)	79	74
19.	उत्तर प्रदेश	उत्तर, पूर्वोत्तर	रोसा-सितापुर-बरवाल (2011-12)	181	181
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर	ऐत-कोंच और कानपुर अनवरगंज-कल्याणपुर सहित झांसी-कानपुर	241	11
21.	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	उत्तर, मध्य	मथुरा-अलवर (2010-11)	121	47
22.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम	अलवर-रेवाड़ी (2011-12)	82	55
23.	हरियाणा	उत्तर पश्चिम	रेवाड़ी-मनहेरु (दोहरीकरण के साथ 2011-12)	69	69
24.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	येलहंका-धर्मावरम-गूती (2010-11)	306	131
25.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	लिंगमपल्ली-वाडी (2006-07)	161	0
26.	केरल/कर्नाटक	दक्षिण	शोणानूर-मंगलोर-पेनाम्बूर (2010-11)	328	197
27.	तमिलनाडु	दक्षिण	कोयम्बटूर नॉर्थ-मेट्टुपलयम (2012-13)	33	33
28.	तमिलनाडु	दक्षिण	मदुरै-तुतिकोरिन-नागरकोइल (2008-09)	262	0
29.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	ओबुलावरीपल्ली-कृष्णापतनम (आरवीएनएल द्वारा नई लाइन 2006-07)	113	85
30.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा-गुडीवाडा-भीमावरम-निडाडावोलु और गुडीवाडा-मचलीमत्तनम और भीमावरम-नरसापुर (दोहरीकरण के साथ 2011-12)	221	221
31.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक/ महाराष्ट्र	दक्षिण मध्य, मध्य	पुणे-वाडी-गुंतकल (आरवीएनएल द्वारा विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण, 2009-10 — एडीबी वित्तपोषण के साथ)	641	641
32.	महाराष्ट्र	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया-बल्लारशाह (2010-11)	250	218
33.	महाराष्ट्र	मध्य	शिर्डी-पुथम्बा सहित दौंड-मनमाड़ (2010-11)	255	0

1	2	3	4	5	6
34.	पश्चिम बंगाल/झारखंड	पूर्व	कुमेदपुर-मालदा-सिंघबाद और पाकुर-मालदा (2012-13)	153	153
35.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक/	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	तोर्णागल्लु-रंजीतपुरा शाखा लाइन सहित गुंतकल-बेल्लरी-हास्पेट खंड	138	138
36.	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य	सतना-रीवा सहित इटारसी-कटनी-माणिकपुर-छिउकी (2012-13)	653	653
37.	झारखंड/मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	पूर्व तट	करलिला रोड सहित गरवा रोड-चोपन-सिंगरौली (2012-13)	257	257
38.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	नल्लापडु-गंतकल (2012-13)	426	426
39.	ओडिशा	पूर्व तट	संबलपुर-अंगुल (2012-13)	156	156
40.	हरियाणा	उत्तर पश्चिम	मनहेरु-हिसार (2012-13)	74	74
41.	ओडिशा	पूर्व तट	झारसुगुडा-इब सहित झारसुगुडा-संबलपुर-तितलागढ़ खंड (बाईपास लाइन) (2012-13)	238	238
42.	कर्नाटक	दक्षिण पश्चिम	केंगेरी-मैसूर (बैंगलूर-मैसूर (दोहरीकरण का वास्तविक आशोधन, फरवरी, 2010)	126	78
43.	गुजरात	पश्चिम	मियागाम-दभोई-समालय (आमान परिवर्तन सहित 2011-12)	96	96
44.	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात	उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम	कलोल-गांधीनगर खोडियार और अलवर बांदीकुई-जयपुर-फुलेरा सहित दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी-फुलेरा-पालनपुर-अहमदाबाद (2013-14)	1087	1087
45.	हरियाण	उत्तर	जाखल-हिसार (2013-14)	79	79
46.	पंजाब	उत्तर	राजपुरा-धुरी-लहरा मुहबत (2013-14)	151	151
47.	हरियाण, पंजाब	उत्तर	जाखल-धुरी-लुधियाना (2013-14)	123	123
48.	ओडिशा	पूर्व तट	दामनजोड़ी-सिंगापुर रोड (2013-14)	152	152
49.	तमिलनाडु	दक्षिण	तिरुचिरापल्ली-मदुरै (2007-08)	154	0
50.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	रेणीगुंटा-गुंतकल (1998-99)	308	0

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 2012 — सितंबर, 2013) के दौरान मार्ग किलोमीटर में विद्युतीकरण का ज़ोनवार लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

ज़ोनल रेलवे	लक्ष्य (मार्ग किलोमीटर में)	उपलब्धियां (मार्ग किलोमीटर में)
मध्य	155	155
पूर्व	202	202
पूर्व मध्य	125	125
पूर्व तट	0	0
उत्तर	282	282
उत्तर मध्य	104	104
पूर्वोत्तर	147	147
पूर्वोत्तर सीमा	89	89
उत्तर पश्चिम	27	27
दक्षिण	150	150
दक्षिण मध्य	155	155
दक्षिण पूर्व	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	32	32
दक्षिण पश्चिम	101	101
पश्चिम	0	0
पश्चिम मध्य	0	0
कुल	1569	1569

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 2012 से सितंबर, 2012) के दौरान रेल विद्युतीकरण के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का जोनवार विवरण निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

ज़ोनल रेलवे	आनुपातिक धनराशि का आवंटन (अप्रैल, 12 से सितम्बर, 13)	व्यय (अप्रैल, 12 सितम्बर, 13)
1	2	3
मध्य	64.03	62.18
पूर्व	128.00	114.40
पूर्व मध्य	137.40	153.40
पूर्व तट	91.17	32.40
उत्तर	344.55	395.40
उत्तर मध्य	53.40	44.30
पूर्वोत्तर	123.05	157.40
पूर्वोत्तर सीमा	102.85	95.20
उत्तर पश्चिम	21.40	3.30
दक्षिण	188.45	210.30
दक्षिण मध्य	56.54	56.14
दक्षिण पूर्व	4.75	6.30
दक्षिण पूर्व मध्य	42.10	45.50
दक्षिण पश्चिम	69.21	94.89
पश्चिम	11.35	38.50
पश्चिम मध्य	24.90	37.60
कुल	1463.15	1547.21

(ङ) रेलपथों के विद्युतीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें टर्न-की संविदा देना, निर्माण कार्यों के लिए नई एजेंसियों को नियुक्त करना और बेहतर परियोजना निगरानी तंत्र आदि शामिल है।

अल्पसंख्यकों को लाभ

*16. **श्री यशवीर सिंह :** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक विकास परिषद् की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों के निमित अधिकांश लाभ या तो बहुसंख्यक जनसंख्या अथवा गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी असफल रहा है और इस योजना के लाभ लक्षित क्षेत्रों में केवल 30 प्रतिशत मुसलमान जनसंख्या तक ही पहुंचे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) और (ख) सामाजिक विकास परिषद की सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के 'गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्डस् डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिमज़-ए-पोस्ट-सच्चर एसेसमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा' शीर्षकयुक्त अध्याय में, यह उल्लेख किया गया है कि लाभों का प्रमुख हिस्सा गैर-मुस्लिमों तथा गैर-अल्पसंख्यक क्षेत्रों को दे दिया जाता है। तथापि, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का वास्तविक रूप में सही मूल्यांकन नहीं है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत, 11वीं योजना के दौरान, योजना के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में, जनगणना 2001 के आंकड़ों के मुताबिक लक्षित अल्पसंख्यकों का 90% मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इसी प्रकार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय से संबंधित छात्रों को 78% छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। शेष छात्रवृत्तियां अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रदान की गई हैं। शेष छात्रवृत्तियां अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रदान की गई हैं। इस मंत्रालय की अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख योजनाओं में भी, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोग ही लक्ष्य हैं।

(ग) और (घ) एमएसडीपी की शुरूआत पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वर्ष 2008 में की गई थी। अभी तक अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का सृजन करने तथा आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एमएसडीपी के अंतर्गत 6020.14 करोड़ रुपए के केन्द्रीय शेयर वाली परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। एमएसडीपी के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनमें पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले ग्रामों/ब्लॉकों/मोहल्लों पर ध्यान दिया गया हो। एमएसडीपी के अंतर्गत शुरू की गई अधिकतर परियोजनाएं सामुदायिक परिसंत्तियों के सृजन के लिए हैं तथा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, जनगणना, 2001 के आंकडों के मुताबिक अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लक्षित अल्पसंख्यकों का 90% अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधि है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आशयित लाभ मुस्लिमों सहित लक्षित अल्पसंख्यक आबादी तक पहुंच रहे हैं, मंत्रालय ने ब्लॉकों/नगरों को योजना एवं कार्यान्वयन की ईकाई बनाकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए एमएसडीपी की पुनर्सरचना की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु कुल 710 ब्लॉकों तथा 66 नगरों को अभिज्ञात किया गया है।

(ङ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश के अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु निम्नलिखित पहल प्रयास किए हैं:—

(i) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु, मंत्रालय कक्षा 1 से पीएचडी के छात्रों को कवर करते हुए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं नामक तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एम.फिल तथा पीएचडी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना क्रियान्वित कर रहा है। साथ ही, नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता तथा सरकार द्वारा प्रदत्त समग्र निधि पर आधारित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ हेतु क्रियान्वित की गई हैं।

(ii) मंत्रालय पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का सृजन करने तथा आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को क्रियान्वित कर रहा है।

(iii) अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु, मंत्रालय 'सीखो और कमाओ' - अल्पसंख्यकों के कौशल विकास की योजना स्वरोजगार, आय सृजक उद्यमों हेतु ऋण, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा की सुविधा हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान करने की योजनाएं और एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(iv) अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, "नई रोशनी" — अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(v) संसद ने वक्फ अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 का अधिनियमन किया है। मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों के रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकरण की योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों को मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उनकी आय को

बढ़ाने के लिए उनका विकास करने के लिए विशेषज्ञ आर्थिक एवं विकास संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनडब्ल्यूडीसी) की स्थापना करने का निर्णय किया है।

(vi) मंत्रालय ने पारसी समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को रोकने के लिए 'जिवो पारसी' नामक एक नई योजना की शुरूआत की है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की है, जो या तो सरकार की विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्यों/परिव्ययों का 15% निर्धारित करता है अथवा अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को निधियों/लाभों के प्रवाह की विशिष्ट मॉनीटरिंग की व्यवस्था करता है।

लौह अयस्क और खनिजों की ढुलाई में अनियमितताएं

***17. श्री नीरज शेखर :**

श्री रूद्रमाधव राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को निर्यात और घरेलू उपयोग में आने वाले लौह अयस्क, छर्रों और अन्य खनिजों की ढुलाई के लिए अलग मूल्य वसूल किए जाने संबंधी अपनी दोहरी नीति के कारण राजस्व में बड़ी राशि का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दोहरी नीति के कारण क्या हैं;

(ग) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच की प्रगति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इसके लिए उत्तरदायी पाई गई कंपनियों से उक्त घाटे को पूरा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) घरेलू इस्पात विनिर्माण इकाइयों की इन्पुट लागत को कम करने और निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई से अतिरिक्त मालभाड़ा अर्जित करने के उद्देश्य से संशोधित लौह अयस्क नीति लागू की गई थी। इस दर नीति से मालभाड़ा अर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, चुनिंदा परेषकों/परेषितियों द्वारा भ्रामक घोषणा करने की घटनाओं का निपटान मौजूदा नीति के संगत प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लौह अयस्क के परेषकों/परेषितियों द्वारा की गई भ्रामक घोषणा के मामलों जिसे रेलवे द्वारा पकड़ा गया है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के माध्यम से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेजा गया है, की अभी जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां। उन परेषकों/परेषितियों जो प्रथम दृष्टया भ्रामक घोषणा प्रस्तुत किए हुए प्रतीत होते हैं, को मांग एवं कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।

(ङ) दोषी फर्मों द्वारा की गई भ्रामक घोषणा के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधानों को पर्याप्त समझा जाता है। रेल प्रशासन ने अपनी नियंत्रण, निगरानी और सत्यापन तंत्र को क्रमशः सुदृढ़ किया है।

डाटा लिंक संप्रेषण

***18. श्री प्रदीप माझी :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान की उड़ान पूर्व अनुमति हेतु डाटा लिंक संप्रेषण का परीक्षण संचालन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त प्रणाली शुरू करने के पश्चात् देश में विमानों की निश्चित समय पर उड़ान भरने में किस सीमा तक सुधार होगा; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रणालियों को देश में स्थापित करने के लिए किन-किन विमानपत्तनों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्थान पूर्व क्लियरेंसों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा डाटा लिंक संप्रेषण प्रणाली की स्थापना की गई है। उपयुक्त वैमानिक उपकरणों से सुसज्जित विमान डाटा लिंक ध्वनि संप्रेषण निर्मूलन के माध्यम से उड़ान स्तर तथा एसएसआर (गौण निगरानी राडार) कोड सहित प्रस्थान पूर्व क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु इस सुविधा का प्रयोग करते हैं।

(ग) निम्नलिखित के कारण अनूसूचित उड़ानों के कार्यनिष्पादन में सुधार होगा:—

(i) ध्वनि संप्रेषण के कारण संभावित त्रुटियों का निर्मूलन।

(ii) स्वाचालित क्लियरेंस के कारण पायलटों तथा विमान यातायात नियंत्रकों के कार्यभार में कमी।

(iii) चैनल व्यस्तता में कमी तथा समग्र कुशलता में वृद्धि।

(घ) छह हवाईअड्डों यथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद तथा बंगलुरु में डाटा लिंक संप्रेषण प्रणाली पहले ही संस्थापित कर दी गई है।

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति

***19. श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक वृद्धि के उच्चतम सतत् स्तर को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति कार्यान्वित की है/अथवा क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में निवेश करने वाले तीन शीर्ष निवेशक देश कौन-कौन से हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के अंतर्गत अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2013 तक भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाले तीन राष्ट्र मॉरीशस, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम हैं।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पन-विद्युत का उपयोग

***20. श्री निशिकांत दुबे :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पन-विद्युत क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा कम किया जा सकता है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या देश में पन-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार की अनेक बाधाएं सामने आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु पन-विद्युत परियोजनाओं की संचालनात्मक समयावधि का विस्तार किया गया है और तद्नुसार उनका दर्जा भी बढ़ाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तीन वर्षों का परियोजना और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा पन-विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को केवल देश में जल विद्युत क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ जल, ताप, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि सहित सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग से पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग) जी, हां। जल विद्युत परियोजनाओं के समक्षा कार्यान्वयन के दौरान गत्यवरोध आते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियां (प्राकृतिक), अनिश्चित मौसम परिस्थितियां (प्राकृतिक), स्थानीय क्षेत्रीय विरोध (मानव निर्मित) इत्यादि शामिल हैं।

सरकार ने देश में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गत्यावरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित स्थल भ्रमण, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत, मासिक प्रगति रिपोर्टों के विवेचनात्मक अध्ययन इत्यादि के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, सीईए महत्वपूर्ण मुद्दों/गत्यवरोधों के समाधान के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने और जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय

द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं इत्यादि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(iv) महत्वपूर्ण जनशक्ति और उपलब्ध कार्य मौसम से सामग्री के यातायात सहित खराब मौसम और कार्य परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए समुचित परियोजना आयोजना सुनिश्चित की जाती है।

(v) जल विद्युत परियोजना विकास से संबंधित मामलों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए वर्ष 2007 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में जल विद्युत विकास संबंधी कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल की अंतिम बैठक दिनांक 10.09.2013 को आयोजित की गई थी।

(vi) जल विद्युत विकास सहित विद्युत क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी, 2013 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, देश में संबंधित उत्पादन यूटिलिटियों द्वारा 438 मे.वा. की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार जल विद्युत परियोजनाओं में जीवन विस्तार कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिनसे उनके प्रचालनात्मक जीवनकाल में वृद्धि हुई है।

जीवन विस्तार कार्यों के अतिरिक्त, संबंधित उत्पादन यूटिलिटियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 2,485 मे.वा. की कुल संस्थापित क्षमता की 6 जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन (आरएम एंड यू) कार्य पूरे कर लिए गए हैं जिससे उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

परियोजना/राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक अन्य कदमों का संबंध है, सरकार ने देश में जल विद्युत क्षमता और जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहु-आयामी नीति अपनाई है। सरकार द्वारा किए गए कुछ नीतिगत उपायों और पहलों में निवेशकर्त्ता-अनुकूल नई जल विद्युत नीति, 2008, उदार राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति, पुरानी जल विद्युत उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार, निर्धारित समय से पूर्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत स्कीमों के जीवन विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अपरेटिंग (आरएम एंड यू) का परियोजना/राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना एजेंसी	सीएस/ एसएस	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	वास्तविक	लाभ (मे.वा.)	श्रेणी	वर्ष के दौरान पूरी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) एचईपी में एलई कार्यों के लिए पूरी की गई स्कीमों की सूची								
महाराष्ट्र								
1.	कोयना स्टे.-III एमएसपीजीसीएल	एसएस	4×80	16.65	5.79	320 (एलई)	आरएम एंड एलई	2011-12
मेघालय								
2.	यूमियम स्टे.-II एमईएसईबी	एसएस	2×9	90.46	55.67 (31.03.12 के अनुसार)	2 (यू) + 18.00 (एलई)	आरएम एंड एलई	2011-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा								
3.	रेंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	एसएस	1×50	47.50	36.76 (30.06.12 के अनुसार)	50 (एलई)	आरएम एंड एलई	2012-13
4.	रेंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	एसएस	1×50	25.2 (लगभग)	20.73	50 (एलई)	आर एंड एम	2013-14
	उप-योग (क)		438	179.81	118.95	440 [2(यू) + 438 (एलई)]		

(ख) एचईपी में आरएम एंड यू कार्यों के लिए पूरी की गई स्कीमों की सूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश								
1.	देहार पीएच.ए बीबीएमएस	सीएस	6×165	11.00	6.936	—	आर एंड एम	2010-11
कर्नाटक								
2.	लिंग्नामक्की, केपीसीएल	एसएस	2×27.5	3.81	2.62	—	आर एंड एम	2010-11
मणिपुर								
3.	लोकटक, एनएचपीसी	सीएस	3×30 डीरेटेड	18.55	17.88	15.00 (रेस.)	आर एंड एम + रेस.	2011-12
आंध्र प्रदेश								
4.	नागार्जुन सागर, एपीजीईएनसीओ	एसएस	1×110 + 7×100.8	33.35	13.90 (31.03.12 के अनुसार)	—	आर एंड एम	2012-13
5.	ईदामलायर, केएसईबी	एसएस	2×37.5	14.50	13.22 (31.03.13 के अनुसार)	—	आर एंड एम	2012-13
6.	लोअर सिलेरू, एपीजीईएनसीओ	एसएस	4×115	8.75	6.77 (31.03.13 के अनुसार)	—	आर एंड एम	2013-14
	उप-योग (ख)		2485.60	88.96	61.33	15 [15(रेस.)]		
	कुल (क + ख)		2923.60	268.77	180.28	455 [2(यू)+ 438 (एलई) + 15 (रेस.)]		

सीएस = केन्द्रीय क्षेत्र एसएस = राज्य क्षेत्र आरएम एंड एलई = नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार

[हिन्दी]

खुर्जा से महिला स्पेशल ट्रेन

1. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जा शहर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन महिला स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए लोक प्रतिनिधियों से निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) खुर्जा जं. से दिल्ली तक महिला विशेष गाड़ी चलाने के संबंध में माननीय सांसद सहित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन ज्ञापनों की जांच की गई है, लेकिन परिचालन संबंधी दबावों के कारण इस समय इसे क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं है। तथापि महिला यात्रियों की सुविधा के लिए, दिल्ली-खुर्जा जंक्शन क्षेत्र पर चलायी जा रही 8 जोड़ी यात्री गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी में महिलाओं के लिए दो कोच निर्धारित किए हुए हैं।

[अनुवाद]

पारेषण और वितरण हानियां

2. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार के हिस्से के रूप में राज्यों में विद्युत वितरकों द्वारा उठाई जा रही हानियों को रोकना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह हानि पूरी तरह से पारेषण और वितरण हानियों के कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पारेषण और वितरण हानियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने से विद्युत वितरकों को जो लाभ हो सकता है उसका अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां, विद्युत क्षेत्र में सुधार के एक भाग के रूप में राज्यों में विद्युत वितरकों द्वारा उठाई जा रही हानियों को रोकना आवश्यक है।

(ख) विद्युत वितरकों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में पता लगाने के लिए भारत सरकार ने वाणिज्यिक हानियों के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए सुधार संबंधी उपाय शुरू किए हैं। इन सुधारों के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के प्लेयरों के बीच प्रतिस्पर्धा लाना है जिससे कि सुधारी गई कुशलताओं को प्राप्त कर हानियों में कटौती करने की अन्तर्निहित योग्यता शामिल है।

(ग) वितरण कंपनियों की हानियों का कारण केवल पारेषण एवं वितरण हानियां ही नहीं हैं बल्कि पारेषण और वितरण हानियों के अतिरिक्त वाणिज्यिक हानियां भी कारण हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि की परिकल्पना शुरू की गई। एटी एंड सी हानि के अंतर्गत नेटवर्क में तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक हानियां शामिल हैं और यह सिस्टम में कुल हानियों का एक सत्य संकेतक है। सिस्टम में उच्च तकनीकी हानियों का कारण मुख्य रूप से सिस्टम सुधार कार्यों में वर्षों से किए जाने वाले अपर्याप्त निवेश हैं, जिसके परिणामस्वरूप वितरण लाइनों का अनियोजित विस्तार, ट्रांसफॉर्मरों और कंडक्टरों जैसे सिस्टम तत्वों की ओवरलोडिंग और पर्याप्त रिएक्टिव विद्युत सहायता की कमी आई है। वाणिज्यिक हानियों के मुख्य कारण निम्न मीटरिंग, दक्षता, संग्रहण दक्षता, चोरी एवं छेड़छाड़ हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे कई देश हैं जहां हानि का स्तर भारत से बहुत ही कम है। हमारे देश में विद्यमान स्थितियों के लिए, 15% का प्राप्य हानि स्तर यथोचित रूप से संभावित है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन "विषय पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एटी एंड सी हानियां 27% है। हानियों में किसी भी कटौती के होने पर संबंधित यूटिलिटी के लाभ में वृद्धि होगी।

गैस का मूल्य पूलिंग

3. **श्री आर. ध्रुवनारायण :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री के. सुगुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के अंदर पुन: गैसीकृत (री-गैसिफाइड) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग हेतु स्वीकृति मांगने के लिए कैबिनेट टिप्पण प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए पूल ऑपरेटर के रूप में किस एजेंसी को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार का गैस के प्रस्तावित मूल्य पूलिंग के कारण बढ़े हुए विद्युत प्रशुल्क को कवर करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की राजसहायता देने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए किस तरह राजसहायता जारी की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय ने अंतर मंत्रालीय परामर्श के लिए इस विषय पर एक प्रारूप मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया है। चूंकि मंत्रिमंडलीय नोट परामर्श के चरण पर है, अत: इसके विवरणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

परियोजना कार्यान्वयन

4. श्री राम सुन्दर दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन रेल बजटों में घोषित सभी रेल परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना-वार उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी शुरू किया जाना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से शुरू और पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) जी नहीं। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान, 5431 कि.मी. लंबाई वाली 54 नई लाइन परियोजनाएं, 1420 कि.मी. लंबाई वाली 9 आमान परिवर्तन योजनाएं और 5087 कि.मी. लंबाई वाली 108 दोहरीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

24 परियोजनाओं के अलावा ये सभी परियोजनाएं जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और योजना आयोग के अनुमोदन के बिना शामिल की गई थीं, उनका कार्य आरंभ नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	लागत भागीदारी	सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कपिलवस्तु-बंस्ती बरास्ता बंसी, नई लाइन	91	643	सहमति नहीं हुई	सशर्त आईपीए प्राप्त हुआ बशर्ते राज्य सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की व्यवस्था हो
2.	आनंदनगर-घुगली बरास्ता महाराजगंज, नई लाइन	50	307	सहमति नहीं हुई	50% लागत भागीदारी और नि: शुल्क भूमि के साथ
3.	अजमेर-कोटा (नसीराबाद-जालिंदरी), नई लाइन	145	822	सहमति नहीं हुई	आईपीए के लिए मना किया गया है
4.	बरवाडीह-चिड़ीमिड़ी नई लाइन	182	1137	सहमति नहीं हुई	सशर्त आईपीए प्राप्त हुआ बशर्ते राज्य सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की व्यवस्था हो
5.	कम्बम-प्रोदुत्तुर, नई लाइन	145	829	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है

1	2	3	4	5	6
6.	कोंडापल्ली-कोठागुडम, नई लाइन	125	723	आंध्र प्रदेश सरकार को 13% लागत भागीदारी देनी है	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
7.	मनुगूर-रामगुंडम, नई लाइन	200	1112	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
8.	रायपुर-झारसुगुडा, नई लाइन	310	2161	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
9.	श्रीपेरंबुदूर-गुडुवानचेरी स्पर के साथ इरुन, कुट्टकोटि-अवडी-श्रीपेरंबुदूर, नई लाइन	60	839	तमिलनाडु सरकार आंशिक भाग के लिए लागत भागीदारी के लिए सहमत	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
10.	चिकबल्लापुर-पुट्टापार्थी-श्री सत्य साईं निलयम, नई लाइन	103	558	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
11.	गड़ग-वाडी, नई लाइन	252	1117	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की सहमति	योजना आयोग को भेजा गया है
12.	श्रीनिवासपुरा-मदनपल्ली, नई लाइन	75	296	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
13.	दिल्ली-सोहना-नुह-फिरोजपुर-झिरका-अलवर, नई लाइन	104	1239	केवल हरियाणा सरकार 50% लागत भागीदारी के लिए सहमत है और राजस्थान सरकार सहमत नहीं है	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
14.	यमुनानगर-चंडीगढ़ बरास्ता सधौरा, नारायणगढ़, नई लाइन	91	876	हरियाणा सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी	सशर्त आईपीए प्राप्त हुआ बशर्ते राज्य सरकार द्वारा लागत भागीदारी एवं निशुल्क भूमि की व्यवस्था हो।
15.	फैजाबाद-लालगंज बरास्ता अकबरगंज,महाराजगंज और रायबरेली, नई लाइन	116	654	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है

1	2	3	4	5	6
16.	हिसार से सिरसा बरास्ता अगरोहा एवं फतेहाबाद, नई लाइन	93	400	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
17.	पुष्कर-मेड़ता, नई लाइन	59	323	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
18.	चोला-बुलंदशहर, नई लाइन	16	59	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
19.	चिकबल्लापुर-गौरी बिदानूर, नई लाइन	44	327.3	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
20.	पीरपेन्टी-जसीडीह, नई लाइन	127	1183	झारखंड राज्य सरकार 50% लागत भागीदारी के लिए सहमत है	50% लागत भागीदारी के साथ आईपीए प्राप्त हुआ है
21.	दीमापुर-तिजित, नई लाइन	257	4274	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
22.	फिरोज़पुर-पुट्टी, नई लाइन	25.47	147.08	सहमति नहीं हुई	आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
23.	नागपुर-नागभीर, आमान परिवर्तन	106	401		आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है
24.	न्यू बोंगाईगांव-कामाख्या बरास्ता रंगिया दोहरीकरण	142	1798		आईपीए प्राप्त नहीं हुआ है

इन परियोजनाओं की वास्तविक शुरूआत/व्यय/प्रतिबद्धता योजना आयोग की अपेक्षित क्लीयरेंस और आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति के अनुमोदन के बाद ही की जाए। योजना आयोग से इन परियोजनाओं की शीघ्र 'सैद्धातिक' क्लीयरेंस का अनुरोध है। जिस परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है उन पर सीसीईए के अनुमोदन के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप परियोजनाओं की प्रगति हो रही है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के मामले में प्रगति की जाती है।

एयर इंडिया में पायलटों की कमी

5. श्री सी. शिवासामी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में पायलटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया और पायलटों की भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि एयर इंडिया भारत से और पायलटों की भर्ती करने की बजाए विदेशी पायलटों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय पायलटों पर आने वाले खर्च की तुलना में इन पर कितना खर्च होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी नहीं। फिलहाल एयर इंडिया पायलटों की मौजूदा क्षमता से बेड़े की प्रचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी एयरलाइन द्वारा पायलटों की आवश्यकता अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे बेड़ा क्षमता, विमान श्रेणी, मार्ग आदि; और इस आवश्यकता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। फिलहाल पायलटों को लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) जी नहीं। विदेशी पायलटों को लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हेलीकॉप्टर सेवा

6. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला और अन्य जिलों में पर्यटन स्थानों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) पवन हंस लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन आकर्षण के स्थानों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक समझौता ज्ञापन को प्रारूप प्रस्तुत किया था। पवन हंस ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी, सारनाथ, काशीनगर, कपिलवस्तु और श्रीवस्ती का दौरा करके एक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया था और व्यवहार्यता रिपोर्ट को मसौदा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पालक्काड़-पोल्लाची आमान परिवर्तन

7. **श्री एम.बी. राजेश :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालक्काड़-पोल्लाची खंड पर आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए आवंटित निधियों और इस परियोजना पर किए गए व्यय तथा इसकी लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पोल्लाची-मुथुलामाडा (26 किमी.) का कार्य पूरा हो चुका है, मुथालामाडा-पालघाट सैक्शन (32 किमी.) पर भूमि परमिट न मिलने के कारण कार्य की प्रगति नहीं हो पाई।

(ख) यह कार्य डिंडीगुल-पोल्लाची-पालघाट और पोल्लाच्ची-कोयम्बटूर आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है, इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 343.17 करोड़ रुपए थी और इसकी प्रत्याशित लागत 914.98 करोड़ रुपए है, इस परियोजना पर मार्च, 2013 तक 609.01 करोड़ रुपए का खर्च पहले ही हो चुका है।

(ग) संसाधनों की तंगियों, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं और राज्य सरकार से अपेक्षित परमिटों में देरी के कारण इस परियोजना को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(घ) इस परियोजना पर 181 किमी. सैक्शन का कार्य पूरा हो चुका है और शेष सैक्शन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

आरजीपीपीएल का बंद किया जाना

8. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरी गैस और पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) पॉवर प्लांट गैस की कमी के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त विद्युत संयंत्र को कृष्णा-गोदावरी (केजी) डी-6 बेसिन से गैस की आपूर्ति बंद हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त विद्युत संयंत्र को घरेलू/आयातित गैस की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) कृष्णा गोदावरी (केजी) डी-6 बेसिन से विद्युत क्षेत्र को गैस की आपूर्ति 1 मार्च, 2013 से पूरी तरह से रोक दी गई थी।

रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) की 8.5 मिलियन मीट्रिक मानक घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए (ईजीओएम द्वारा 22 अक्तूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में) केजी डी-6 क्षेत्र से 7.6 एमएमएससीएमडी तथा "ओएनजीसी सी सीरीज" से 0.9 एमएमएससीएमडी गैस आबंटित की गई है। आरजीपीपीएल को 15 जुलाई, 2013 से पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया गया है।

(ङ) विद्युत मंत्रालय आरजीपीपीएल सहित असहाय छोड़ दिए गए सभी गैस आधारित संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने के लिए आयातित पुनः गैसीकृत, तरलीकृत, प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग का तंत्र तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

मासिक सीजन टिकट का दुरुपयोग

9. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निम्न आय वर्ग के लिए मासिक सीजन टिकट 'इज्जत' के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त मासिक सीजन टिकट का दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, जनवरी 2013 में, रेल संबंधी परामर्श समिति की बैठक के दौरान माननीय संसद सदस्यों द्वारा इज्जत एमएसी के दुरुपयोग का मामला उठाया गया था। इसके अलावा क्षेत्रीय रेलों द्वारा इज्जत एमएसटी योजना में अनियमितताओं के निम्नलिखित मामले सूचित किए गए थे:—

(i) जाली आय प्रमाण-पत्र पाए गए जिसकी वजह से लोग इज्जत एमएसटी के लाभ के लिए पात्र नहीं थे।

(ii) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र के खाली फार्म यात्रियों के पास पाये गए।

(iii) संगठित सेक्टर के कर्मचारियों कर्मचारियों द्वारा सुविधा का लाभ उठाया जा रहा था और 1500 रुपए प्रतिमाह से अधिक प्राप्त कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दो इज्जत पासों का उपयोग करने का मामला ध्यान में आया।

(ग) 15.10.2013 से इज्जत एमएसटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:—

(i) इज्जत एमएसटी जारी करने के लिए स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों जैसे एसडीएम/एसडीओ/बीडीओ/तहसीलदार से अतिरिक्त आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) इज्जत एमएसटी प्राप्त करने के लिए फोटो पहचान-पत्र एवं आवास प्रूफ जैसे-मतदाता पहचान पत्र, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो लगी बैंक पास बुक या भारत की किसी भी सरकार या भारत की कोई भी सरकारी ऐजेन्सी द्वारा फोटो लगा कोई भी अन्य पहचान पत्र एवं आवास प्रमाण-प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

वापकोस द्वारा अध्ययन

10. **श्री हरीश चौधरी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाटर एण्ड पॉवर कन्सलटेन्सी सर्विस लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिला में उस क्षेत्र में अवस्थित समेकित सौर परियोजना के दृष्टिगत जल निकासों के संबंध में कोई प्रारंभिक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन अध्ययनों की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं। वाप्कोस लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जिले में जल की निकासी के संबंध में कोई भी प्रारंभिक अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नया टेलीविजन चैनल प्रारंभ करने के लिए आवेदन

11. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय भाषा टेलीविजन चैनल प्रारंभ करने के आवेदन करने हेतु अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग मलयालम और कन्नड़ सहित विभिन्न भाषाओं में नए टेलीविजन चैनल शुरू करने के लिए कंपनियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा जिन चैनलों को लाइसेंस दिया गया और अभी भी लंबित आवेदनों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन आवेदकों को लाइसेंस नहीं देने के कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग हेतु मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध नीतिगत दिशानिर्देश 2011 के अनुसार प्राइवेट सैटलाइट टीवी चैनल शुरू करने के लिए कंपनियों को अनुमति प्रदान की गई है। ये अनुमतियां कंपनी की अपेक्षा के अनुसार विभिन्न भाषाओं में अखिल भारतीय आधार पर जारी की जाती हैं। मलयालम एवं कन्नड़ समेत विभिन्न भाषाओं में टीवी चैनल शुरू करने हेतु इस समय 230 आवेदन प्रसंस्करण एवं अंतर-मंत्रालयीय क्लीयरेंस के विविध चरणों में हैं (विवरण संलग्न)। अनुमति प्राप्त चैनलों के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर हैं।

विवरण

20.11.2013 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन आवेदनों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	21st सेंचुरी म्यूज़िक	21st सेंचुरी म्यूज़िक ब्रॉडकास्टिंग एन्टरनटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	जी तेलुगु न्यूज़	24 घंटालु न्यूज़ लिमिटेड
3.	ए 1 हरियाणा	ए 1 टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
4.	जेएमडी टीवी	आलाप परफोर्मिंग आर्ट्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
5.	कृपा	आदित्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
6.	एटीई टीवी	एयरट्रेवल एन्टरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
7.	रेंगोनी	एएम टेलीविज़न लिमिटेड
8.	सत्या न्यूज़	एएनबी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
9.	एआर म्यूज़िक	एप्लाइड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
10.	बेबी फर्स्ट	एस्ट्रान मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	100 टीवी	अवंती मीडिया लिमिटेड
12.	आवाज़	आवाज़ चैनल प्राइवेट लिमिटेड
13.	एएक्सएन-एचडी	एएक्सएन नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14.	सेट-वन	एएक्सएन नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15.	बी4यू प्लस	बी4यू टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
16.	बी4यू हिट्स	बी4यू टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
17.	सोनी टेक	बांग्ला एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
18.	चैनल 10	भारत हाइडेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
19.	टीवी 10	भारत हाइडेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	एनएसएन न्यूज़	भोले बाबा रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	दात्याहसास	भोले बाबा रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	गैलेक्सी	बिग ब्रॉकास्टिंग एंड मल्टी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड
23.	बिग आरटीएल थ्रिल बिहार	बिग आरटीएल ब्रॉकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
24.	बिग आरटीएल थ्रिल पंजाब	बिग आरटीएल ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
25.	ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क	कैबसैट चैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	ट्रैवल एक्सपी-एचडी	सेलेब्रिटीज़ मैनेजमैन्ट प्राइवेट लिमिटेड
27.	आईईटीवी-हिंदी	सेलकास्ट इंटरेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28.	आईईटीवी-तमिल	सेलकास्ट इंटरेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29.	आईईटीवी-तेलुगु	सेलकास्ट इंटरेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30.	मयूरी	चैनल भारत एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
31.	वर्णम	चैनल भारत एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
32.	सिटी गोल्ड न्यूज़	सिटी गोल्ड एन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड
33.	सिटी गोल्ड संस्कार	सिटी गोल्ड एन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड
34.	मिथिला टीवी	सीएमजे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
35.	सत्कार	कोबोल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
36.	क्रिस्टल टीवी गुजरात	क्रिस्टल फॉस्फेट्स लिमिटेड
37.	क्रिस्टल टीवी एम.पी.	क्रिस्टल फॉस्फेट्स लिमिटेड
38.	क्रिस्टल टीवी ओडिशा	क्रिस्टल फॉस्फेट्स लिमिटेड
39.	क्रिस्टल टीवी राजस्थान	क्रिस्टल फॉस्फेट्स लिमिटेड
40.	क्रिस्टल टीवी उत्तर प्रदेश	क्रिस्टल फॉस्फेट्स लिमिटेड
41.	ड्रीम्स एन्टरटेनमेन्ट	ड्रीम्स दारुब्रह्मा एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
42.	एडेक्स फैमिली टीवी बंगाली	एडेक्स प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
43.	एडेक्स फैमिली टीवी हिन्दी	एडेक्स प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
44.	एडेक्स फन एंड प्ले टीवी	एडेक्स प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
45.	एडेक्स सब कुछ टीवी	एडेक्स प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
46.	भोजपुरी सिनेमा	एन्टर10 टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
47.	लक टीवी	एन्टर10 टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
48.	एपिक	एपिक टेलीविज़न नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	फोर्चुन टीवी	फोर्चुन स्काई मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
50.	आईएनई लाइव	फ्यूचर विज़न ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
51.	चैनल रोस	जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
52.	पीटीसी गोल्ड	जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
53.	पीस ऑफ माइंड	गॉड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
54.	प्रेरणा	ग्राफिसेड्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	राज इंडिया	एचएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
56.	क्यू टीवी	हाजी सेठ मीडिया एन्टरटेनमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
57.	एचबीओ	एचबीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
58.	एचबीओ हिट्स	एचबीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59.	एचबीओ डिफाइंड	एचबीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
60.	ढोलिया	एचएचपी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
61.	एचएमटीवी इंग्लिश	हैदराबाद मीडिया हाउस लिमिटेड
62.	एचएमटीवी कन्नड	हैदराबाद मीडिया हाउस लिमिटेड
63.	आगामी	आइडिया न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
64.	दिल्ली 011	आईएनएक्स न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
65.	कोलकाता 033	आईएनएक्स न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
66.	मुंबई 022	आईएनएक्स न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
67.	ईश्वर	ईश्वर ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
68.	फन्टूश	जैनसन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
69.	यहोवा टीवी	जीसस एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
70.	कलिंगा टीवी	कलिंगा मीडिया एंड एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
71.	ज्ञानेश्वरी	कल्याण एन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
72.	कामयाब टीवी बांग्ला	कामयाब टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	कामयाब टीवी हिन्दी	कामयाब टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
74.	केआर टीवी	कस्तूरी राम साइंस एंड टेक्नॉलोजिकल पार्क लिमिटेड
75.	पॉपुलर टीवी	खुशबू मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
76.	तमाशा	खुशबू मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
77.	दिल्लगी	कृष्णा शोबिज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
78.	ताक धिना दिन	कृष्णा शोबिज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
79.	मौजा मॉस्ती	कृष्णा शोबिज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
80.	कन्नड 24x7	लक्ष्मी गोल्ड खज़ाना प्राइवेट लिमिटेड
81.	ईडब्ल्यूटीएन	लम्हास सैटेलाइट प्राइवेट लिमिटेड
82.	किड्स प्लस	लाफिंग लायन एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
83.	किड्स यूनिवर्स	लाफिंग लायन एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
84.	भावना टीवी	लॉर्ड धन्वंतरी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
85.	एलपीएस 1	एलपीएस विज़न प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
86.	36गढ़ टीवी	एमएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
87.	भक्ति गंगा	एमएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
88.	छल्लीवुड टीवी	एमएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
89.	पंजाब प्लस	एम.बी रबड़ प्राइवेट लिमिटेड
90.	ब्लू	एम.जी.के. प्रिंटिंग वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड
91.	आई न्यूज़	एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
92.	आई टीवी	एम.एल. सिंघी एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	एमएए कॉमेडी	मा टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
94.	संस्कृति	महर्षि चैनल केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
95.	ए1 टीवी	मलार पब्लिकेशन्स लिमिटेड
96.	अरेबिया	मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
97.	मस्ती 2	मस्तीडॉटकॉम एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
98.	खबरान	मीडिया कंटेन्ट एंड कम्युनिकेशन्स सर्विसेज़ (आई) प्राइवेट लिमिटेड
99.	फूड एक्सपी	मीडिया वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
100.	एलएसडी	मीडिया वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
101.	पेट एक्सपी	मीडिया वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
102.	मीनाक्षी टीवी	मीनाक्षी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
103.	एमआईएक्स एचडी	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
104.	कामसूत्र	नमन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
105.	प्रभातम एचएसबी	नमन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
106.	प्रभातम लाइफलाइन	नमन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
107.	नास्को बांग्ला	नास्को टेक्नो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
108.	धानी म्यूजिक	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
109.	नवदा	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
110.	एनटीवी वन	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
111.	एनटीवी मूवीज़	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
112.	एनटीवी गोल्ड	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
113.	एनटीवी रौनक	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
114.	एनटीवी एक्शन	नवदा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
115.	एनडीटीवी गुड टाइम्स-इंटरनेशनल	एनडीटीवी लाइफस्टाइल लिमिटेड
116.	नीसा ब्रॉकास्टिंग कॉरपोरेशन (एनबीसी)	नीसा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
117.	नियो सिनेमा	नियो ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
118.	नियो स्पोर्ट्स-2	नियो ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
119.	नियो जिंदगी	नियो ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
120.	न्यूलुक न्यूज़	न्यूलुक इंफोटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
121.	फॉक्स लाइफ एचडी चैनल	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
122.	फॉक्स ट्रैवलर चैनल	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
123.	बेबी टीवी एचडी	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
124.	फॉक्स ट्रैवलर चैनल	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
125.	नेट जिओ वाइल्ड	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
126.	नेट जिओ म्यूजिक एचडी	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
127.	नेट जिओ एडवेंचर एचडी	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
128.	नेशनल जियोग्राफिक एचडी	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
129.	नेशनल जियोग्राफिक	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
130.	नेट जिओ वाइल्ड एचडी	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
131.	प्रेस टीवी	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
132.	ग्रीन टीवी	नोमैड फिल्म्स लिमिटेड
133.	पारिजात न्यूज़	पारिजात इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
134.	जय पारस टीवी	पार्श्वनाथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
135.	न्यूशोन	पत्री ऑनलाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
136.	एन 1 न्यूज़	पॉल ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
137.	टशन	पॉल ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
138.	पिन प्वायंट संध्या	पिन प्वायांट ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
139.	फोकस इंडिया	पॉजिटिव टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
140.	फोकस नेशन	पॉजिटिव टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
141.	फोकस ओडिशा	पॉजिटिव टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
142.	फोकस छत्तीसगढ़	पॉजिटिव टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड
143.	कार्टून 11	प्रिज़्म अलायज प्राइवेट लिमिटेड
144.	चैनल 11	प्रिज़्म अलायज प्राइवेट लिमिटेड
145.	राहुल टीवी	राहुल अंजला मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
146.	एचबी टीवी	रेनबो वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
147.	राज किड्स	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
148.	राज मूविज़ कन्नड़	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
149.	राज नगईसुवई	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
150.	पत्रिका टीवी राजस्थान	राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड
151.	आरटीवी जूर्नियर्स	रायुडु विज़न मीडिया लिमिटेड
152.	आरटीवी प्लस	रायुडु विज़न मीडिया लिमिटेड
153.	रयान इंग्लिश न्यूज़	रायुडु हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
154.	रयान हेल्थ टीवी	रयान हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
155.	एससी भक्ति	सानवी कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
156.	असली हिन्दुस्तान	सब एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
157.	पॉजिटिव हेल्थ	साधना मीडया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
158.	साधना पंजाब	साधना मीडया प्राइवेट लिमिटेड
159.	न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़	साई प्रसाद मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
160.	साईराम टीवी	साईराम मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
161.	हंसते रहो	संगीत टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
162.	नंदीघोष	सार्थक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
163.	सेटियन	सेटियन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
164.	सौरभ-1	सौरभ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
165.	सौरभ-2	सौरभ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
166.	आर्यन-न्यूज़	सार्पलाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
167.	टीवी5 मनी	श्रेय ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
168.	सिगमा प्रोपर्टी टीवी	सिगमा इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड
169.	सिगमा वर्ल्ड मूवीज़	सिगमा इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड
170.	स्काई स्टार	स्काई स्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
171.	साधना केपिटल	साफ्टअलाइन मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
172.	दूसरी मूवीज़ टीवी	सौभाग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
173.	दसरी	सौभाग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
174.	फटाफटी	स्वाश एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
175.	स्वदेश न्यूज़	श्री साई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
176.	एसवी बीसी-2	श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल
177.	स्टार स्पोर्ट्स	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
178.	स्टार स्पोर्ट्स-2	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
179.	स्टार क्रिकेट	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
180.	स्टार क्रिकेट एचडी	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
181.	ईएसपीएन	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
182.	ईएसपीएन एचडी	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
183.	स्टार स्पोर्ट्स4	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
184.	स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
185.	स्टार स्पोर्ट्स हार्डलाइट्स	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
186.	स्टार स्पोर्ट्स एशिया	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
187.	सुदर्शन मुंबई न्यूज़	सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड
188.	सुदर्शन एनसीआर न्यूज़	सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड
189.	ओडीआई	सुपर टेक्नोप्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
190.	पीस टीवी	सुप्रीम मल्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
191.	अमृता टीवी	स्वाति मीडिया कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड
192.	स्वाति न्यूज	स्वाति मीडिया कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड
193.	ओरेंज टीवी	टी सरकार प्राइवेट लिमिटेड
194.	महामूवीज़	टेलीवन कंज्यूमर्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
195.	गुजरात 24x7	द संदेश लिमिटेड
196.	टेटल हरियाणा	टोटल टेलीफिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
197.	टोटल राजस्थान	टोटल टेलीफिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
198.	ट्रांसमीडिया एंटरटेंनमेंट	ट्रांसमीडिया साफ्टवेयर लिमिटेड
199.	सनमति	त्रिलोक तीर्थ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
200.	तत्काल न्यूज	तुलसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
201.	कार्टून नेटवर्क एचडी	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
202.	दे दनादन महाराष्ट्र	टीवी विजन प्राइवेट लिमिटेड
203.	दे दनादन मुंबई	टीवी विजन प्राइवेट लिमिटेड
204.	हडिप्पा	टीवी विजन प्राइवेट लिमिटेड
205.	रंगोली (पहले असली हिन्दुस्तान के नाम से जाना जाता था)	टीवी विजन प्राइवेट लिमिटेड
206.	ताजा खबर	यूनिशन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
207.	यूटीवी फैमिली	यूटीवी एंटरटेंनमेंट टेलीविजन लिमिटेड

1	2	3
208.	यूटीवी फूड	यूटीवी एंटरटेंनमेंट टेलीविजन लिमिटेड
209.	यूटीवी लव	यूटीवी एंटरटेंनमेंट टेलीविजन लिमिटेड
210.	यूटीवी महा	यूटीवी एंटरटेंनमेंट टेलीविजन लिमिटेड
211.	वी. 18 IV	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
212.	वी. 18 IX	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
213.	वी. 18 V	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
214.	वी. 18 VI	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
215.	वी. 18 VII	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
216.	वी. 18 VIII	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
217.	विजय सुपर	विजय टेलीविजन
218.	गंगौर	विसागार मीडिया लिमिटेड
219.	चैनल 9	वीएसएस मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
220.	पब्लिक म्यूजिक	राइटमेंन मीडिया लिमिटेड
221.	ए प्लस एंटरटेंनमेंट	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
222.	वेरिया लिविंग	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
223.	जी कैफेएचडी	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
224.	एंड पिक्चर एचडी	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
225.	एंड पिक्चर एचडी	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
226.	एंड टीवी एचडी	जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
227.	जी 24 आूवर इंग्लिश	जी न्यूज लिमिटेड
228.	जी बिहार झारखंड	जी न्यूज लिमिटेड
229.	जी 24 घंटे राजस्थान	जी न्यूज लिमिटेड
230.	जी 24 आवर्स बिजनेस	जी न्यूज लिमिटेड

अगाती में रनवे

12. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वर्तमान रनवे का विस्तार करने हेतु अगाती में समुद्री रनवे के ऊपर पहला पूल बनाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के निधियन का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अगाती में वर्तमान रनवे के विस्तार की अनुमति दे दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने परियोजना के विस्तृत अभिकल्प तथा इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता को नियुक्त किया है। इसके वित्त पोषण के ब्यौरे तथा इसके पूरा होने की अवधि का निर्धारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

निधियों का विपथन

13. **श्री पी. करुणाकरण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में लाभ दर्शाने के लिए सुरक्षा हेतु आवंटित निधियों को अन्य शीर्षों में विपथित किया जा रहा है जो कि रेलवे में दुर्घटनाओं की बढ़ती दर का एक कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए निधियों की मात्रा कुछ अवधि से लगातार कम की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मांग सं. 16-परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन के अंतर्गत योजना व्यय, जो 2011-12 में 45,060 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 2012-13 में 50,188 करोड़ रुपए हो गया था। यह 2013-14 (बीई) में 63,363 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अत: यह देखा गया है कि परिसंपत्तियों के विकास, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय में वर्षों से वृद्धि हो रही है। अत: आधुनिकीकरण के लिए निधि को कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

पीपीपी के माध्यम से विमानपत्तनों का विकास

14. **श्री मानिक टैगोर :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से चैन्नै और कोलकाता सहित देश के 20 विमानपत्तनों का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार छह विमानपत्तनों पर निजी भागीदारों को 100 प्रतिशत अंशधारिता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अर्हता दस्तावेजों की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। 12वीं योजना अवधि के लिए वित्त पोषण योजना पर कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 20 हवाईअड्डों यथा चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, त्रिचि, वाराणसी, इंदौर, अमृतसर, उदयपुर, गया, रायपुर, भोपाल, अगरतला, इम्फाल, मंगलौर तथा बडोदरा के प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से चरणबद्ध आधार पर किए जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने संभावित पक्षकारों से उनकी अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रयोजन के लिए अर्हता हेतु अनुरोध जारी किए गए हैं। इक्विटी भागीदारी की प्रकृति सहित अन्य ब्यौरे को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। जारी किए गए अर्हता हेतु अनुरोध का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) चेन्नै तथा लखनऊ हवाईअड्डे के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दिनांक 03.09.2013 को जारी किया गया है।

(ii) जयपुर और अहमदाबाद हवाईअड्डे के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दिनांक 12.09.2013 को जारी किया गया है।

(iii) कोलकाता और गुवाहाटी हवाईअड्डे के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दिनांक 18.09.2013 को जारी किया गया है।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत समीक्षा

15. **श्री हर्षवर्धन :**
श्री महेश्वर हजारी :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार 100 दिन रोजगार प्राप्त लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मांगने पर भी रोजगार न मिलने वाले जॉब कार्डधारकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उपरोक्त जॉब कार्डधारकों को क्षतिपूर्ति/बेरोजगारी भत्ता दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) इन जॉब कार्डधारकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) क्या उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने दिनांक 24, 25 सितंबर, 2013 को निष्पादन समीक्षा समिति की सभी राज्यों के साथ आयोजित बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख पैरामीटरों पर प्रगति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) प्रदत्त रोजगार की तुलना में रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या और 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(घ) से (छ) मंत्रालय की एमआईएस डाटाबेस के अनुसार उन परिवारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है जिन्हें मांग अनुरूप रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। मनरेगा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार राज्य द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नियमों के अनुसार समुचित जांच-पड़ताल करने के बाद, मांग की तारीख से 15 दिनों के अंदर यदि रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना पड़ेगा। केंद्र सरकार अधिनियम के इस प्रावधान के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहयोग कर रही है।

(ज) और (झ) उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों को पारिश्रमिक के भुगतान में बकाये की रिपोर्टें मिली हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल व्यय के 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु मुहैया कराई गई निधि से मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त स्टॉफ को मानदेय/वेतन का भुगतान करना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य को तद्नुसार सलाह दी गई है।

विवरण-I

मनरेगा के आरंभ से वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	संकेतक	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14*
1.	श्रम दिवस (संख्या करोड़)	90.5	143.59	216.32	283.59	257.15	218.76	228.16	105.99
2.	प्रति परिवार औसत श्रम दिवस (संख्या)	43	42	48	54	47	43	46	32
3.	कुल में से महिला भागीदारी की दर (%)	40	43	48	48	48	48	51	55
4.	अ.जा./अ.ज.जा. भागीदारी दर	61	56	54	51	52	40	39	39

विवरण-II

प्रदत्त रोजगार की तुलना में रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या तथा 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 22.11.2013 तक		
		रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार मुहैया कराया गया	100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार मुहैया कराया गया	100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार मुहैया कराया गया	100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार मुहैया कराया गया	100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6200423	6200423	964713	4998016	4998016	948870	5816077	5816077	995394	5058001	5058001	196842
2.	अरुणाचल प्रदेश	151574	134527	602	14979	4443	0	144953	115869	1867	81184	36484	0
3.	असम	1807788	1798372	45490	1355103	1349078	15750	1247499	1234827	9807	874742	802228	579
4.	बिहार	4763659	4738464	284063	1805317	1769469	170227	2178864	2086394	180254	1548739	1220855	31590
5.	छत्तीसगढ़	2485581	2485581	184497	2739202	2725027	207643	2732188	2637498	244259	2148906	1853669	42868
6.	गुजरात	1097483	1096223	67653	836961	822080	41767	749838	681028	52316	398551	338288	7876
7.	हरियाणा	237480	235281	9077	278471	277748	13742	302187	294142	19924	251946	206723	3022
8.	हिमाचल प्रदेश	447064	444247	22052	529187	505467	48043	546065	514461	40394	433722	359689	4746
9.	जम्मू और कश्मीर	497617	492277	60224	440254	431152	37050	658689	646516	69381	312196	178923	2625
10.	झारखंड	1989083	1987360	131149	1582170	1574657	58080	1434313	1418470	86634	912928	840541	24814
11.	कर्नाटक	2414441	2224468	131575	1663498	1652116	45144	1470564	1337800	105926	754782	479967	14358
12.	केरल	1186356	1175816	67970	1418062	1416441	124821	1693879	1526283	340483	1465198	1190898	2517
13.	मध्य प्रदेश	4445781	4407643	467119	3895759	3879959	304477	3520343	3497940	193641	1651103	1278491	12188
14.	महाराष्ट्र	453941	451169	28240	1520457	1504521	197185	1643859	1624237	230981	956573	839707	60269
15.	मणिपुर	437228	433856	109339	380571	356264	112239	457895	456910	2422	324915	315942	0

16. मेघालय	357523	346149	19576	335781	335182	35181	332268	330044	42672	281269	234883	2588
17. मिज़ोरम	170894	170894	131970	175664	168711	72513	175679	174884	34146	169288	167928	0
18. नागालैंड	350815	350815	190261	372956	372849	81790	386906	386520	53864	365324	359142	365
19. ओडिशा	2030029	2004815	204229	1391497	1378597	47629	1766512	1599276	75085	1408409	1197291	20665
20. पंजाब	278567	278134	5243	246104	245453	3786	247315	240191	3831	260387	207795	1223
21. राजस्थान	6156667	5859667	495830	4705748	4522234	335621	4535876	4217342	421836	3193820	2838689	89816
22. सिक्किम	56401	56401	25695	55839	54684	8746	57194	56634	11869	46401	37306	352
23. तमिलनाडु	4969140	4969140	1102070	6375637	6343339	602619	7104701	7061409	1348723	5663404	5621416	217039
24. त्रिपुरा	557413	557055	81442	567101	566770	199503	597436	596530	226293	583050	565267	1807
25. उत्तर प्रदेश	6581786	6431213	600559	7363574	7327738	309033	5233492	4947416	70545	4627052	3973556	32188
26. उत्तराखंड	542391	542391	25412	471192	469285	22324	443684	439791	22690	175691	160170	1506
27. पश्चिम बंगाल	5011657	4998239	104967	5532363	5516968	119604	5844809	5817122	253087	3604023	2786844	8733
28. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17937	17636	174	19912	19300	2205	18212	12602	2199	9214	6090	15
29. दादरा और नगर हवेली	2290	2290	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
30. दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31. गोवा	13997	13897	413	11174	11167	143	5064	5056	0	2125	2031	1
32. लक्षद्वीप	4507	4507	71	3891	3871	133	1963	1851	40	741	407	0
33. पुदुचेरी	38574	38118	137	42554	42546	202	41448	41286	4	39778	34536	3
34. चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
कुल	55756087	54947068	5561812	51128994	50645132	4166070	51389772	49816406	5140567	37603462	33193757	780595

स्रोत: एमआईएस

रेलगाड़ी समयबद्धता

16. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सवारी (पैसेंजर) रेलगाड़ियां समय से नहीं चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सवारी रेलगाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 01.09.2013 से 30.11.2013 के बीच की अवधि में मेल/एक्सप्रैस तथा यात्री गाड़ियों के समयपालन में सुधार दर्ज किया गया है जैसाकि निम्न टेबल में उल्लेखित है:—

	2012-13 (01.09.2012 से 30.09.2012)	2013-14 (01.09.2013 से 30.11.2013)	अंतर
मेल/एक्सप्रेस	82.40%	85.70%	03.30%
यात्री गाड़ी	74.81%	78.48%	03.67%

यद्यपि गाड़ियां विभिन्न कारणों से विलंब से चलती हैं जिसमें रेलवे एवं गैर-रेलवे कारण सम्मिलित हैं जैसे- सम्पत्ति की विफलता, लाइन क्षमता की व्यस्तता, दरारों के कारण ट्रैक को क्षति, दुर्घटनाएं, पशुओं का कटना, बिजली ग्रिड की विफलता, शरारती तत्वों की गतिविधियां, खतरे की जंजीर खींचना, कोहरा, प्राकृतिक आपदा जैसे— तूफान, कानून व्यवस्था की समस्या इत्यादि सहित खराब मौसम।

जहां तक रेलवे से संबंधित कारणों का प्रश्न है, भारतीय रेल तुरंत एवं प्रभावी उपचारी कार्रवाई करती है साथ ही साथ गैर-रेलवे कारणों के लिए भारतीय रेल राज्य/केन्द्रीय सरकार के सिविल प्राधिकार के साथ संबंध स्थापित कर विलम्ब से चल रही गाड़ी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है।

[अनुवाद]

वन क्षेत्र

17. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-संसाधन विभाग द्वारा परिभाषित मानदंडों का आधारित पनधारा परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में प्राथमिकता प्रदान किए गए वन क्षेत्रों के उपचार हेतु स्वयं विभाग निधियों का आवंटन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि निधियों का आवंटन नहीं करने से वनवासी अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग उन वन क्षेत्रों के निरूपण के लिए केन्द्रीय निधियां प्रदान कर रहा है जिन्हें इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों पर वाटरशेड परियोजनाओं के अभिन्न भाग के रूप में प्राथमिकता दी गई है। गत प्रत्येक तीन वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों को मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त की गई केन्द्रीय निधियां (30.11.2012 की स्थिति अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	119.8	160.94	125.14	133.25

1	2	3	4	5	6
2.	असम	0	3	12.18	15.42
3.	छत्तीसगढ़	50.38	62.37	0	26.00
4.	गोवा#	0	0	0	0
5.	गुजरात	161.73	160.71	329.24	0
6.	हरियाणा	0	11.63	5.22	14.20
7.	हिमाचल प्रदेश	57.77	48.93	8.02	46.07
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	38.27	0
9.	झारखंड	24.1	15.7	48.17	0
10.	कर्नाटक	70.96	127.41	334.55	311.87
11.	केरल	11.01	10.81	4.81	0
12.	मध्य प्रदेश	113.25	108.6	128.3	135.57
13.	महाराष्ट्र	208.14	378.69	501.6	180.35
14.	ओडिशा	73.47	77.53	89.7	136.91
15.	पंजाब	3.45	8.44	14.89	0
16.	राजस्थान	257.47	318.33	424.53	0
17.	तमिलनाडु	60.16	17.57	227.77	116.4
18.	उत्तर प्रदेश	132.13	164.46	128.43	88.09
19.	उत्तराखंड	15.97	2.34	4.22	0
20.	पश्चिम बंगाल	0	16.06	40.31	0
	पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	20.08	22.09	15.97	110.83
22.	असम	40.82	37.53	42.97	116.6
23.	मणिपुर	10.37	15.33	33.75	30.28
24.	मेघालय	9.88	12.87	37.43	28.06
25.	मिज़ोरम	17.14	5.84	16.44	69.18
26.	नागालैंड	26.71	59.42	76.41	72.43
27.	सिक्किम	3.88	1.15	8.18	0
28.	त्रिपुरा	8.16	18.17	24.02	24.33
	सकल योग	1496.83	1865.92	2720.52	1655.84

#राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कार्यकरण

18. **श्रीमती दर्शना जरदोश :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के कार्यकरण की दक्षता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) मौसम पूर्वानुमान सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में, सरकार ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग (ईएसएसओ-आईएमडी) के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें सभी कालिक तथा स्थानिक पैमानों पर मौसम पूर्वानुमान की परिशुद्धता में सुधार करने के लिए उन्नत वैश्विक/क्षेत्रीय-मेसो-स्केल पूर्वानुमान मॉडलों को कार्यान्वित करने तथा प्रयोक्ताओं को मौसम पूर्वानुमान आकलनों/चेतावनियों को त्वरित ढंग से प्रसारित करने के लिए (i) प्रेक्षण प्रणालियों (ii) उन्नत डेटा सम्मिश्रण टूल (iii) उन्नत संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना (iv) उच्च कार्य-निष्पादन कंप्यूटिंग प्रणालियों का उन्नयन तथा (v) आईएमडी के कार्मिकों को गहन/उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल किया गया है।

उच्च कार्य-निष्पादन कम्प्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली को चालू करने के पश्चात् मॉडलों के उन्नत पूर्वानुमान सूइट के प्रचालनात्मक कार्यान्वयन ने वैश्विक रूप से 22 किमी. तथा भारतीय/क्षेत्रीय/महानगरीय क्षेत्रों पर 9 किमी./3 किमी. ग्रिड पर पूर्वानुमानों उत्पादों के उत्पादन के लिए उपलब्ध समस्त वैश्विक उपग्रह रेडियंस डेटा के सम्मिश्रण के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ा दिया है।

जहां तक उष्णदेशीय चक्रवात के पथ तथा तट से टकराने के पूर्वानुमानों का संबंध है, विगत 5-7 वर्षों की अवधि के अद्यतन वैश्विक/मेसो-स्केल पूर्वानुमान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन ने पूर्वानुमान कौशल से परिमाणात्मक रूप से लगभग 18% की बढ़ोतरी दर्शाई है।

ईएसएसओ-आईएमडी ने देश में अपनी स्थान विशिष्ट वाली तात्कालिक पूर्वानुमान मौसम सेवा को प्रचालन बना दिया गया है। इस सेवा गतिविधि के तहत, जो 117 शहरी केन्द्रों को कवर करती है, वर्तमान में प्रायोगिक आधार पर 3-6 घंटे की अवधि में विषम मौसम (गरज के साथ तूफान; भूमि पर बनने वाले विक्षोभों/निम्नता के कारण भारी वर्षा) का तात्कालिक पूर्वानुमान जारी किया जाता है। डीडब्ल्यूआर तथा अन्य उपलब्ध सभी प्रेक्षण प्रणालियों (स्वाचालित मौसम स्टेशनों-एडब्लूएस, स्वचालित वर्षा मापी-एआरजी; स्वचालित मौसम प्रेक्षण प्रणालियों-एडब्ल्यूओएस; उपग्रह से प्राप्त पवन वेक्टर, तापमान, फील्ड नमी आदि) के माध्यम से विषम मौसम परिघटना की उत्पत्ति, विकास/गति को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

12वीं योजना के दौरा, राष्ट्रीय मानसून मिशन पहल के अंतर्गत, ईएसएसओ के अन्य संस्थानों भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (ईएसएसओ-आईआईटीएम), पुणे, भारतीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र (ईएसएसओ-इंकॉइस), हैदराबाद तथा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (ईएसएसओ-एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा ने (क) विस्तारित अवधि से ऋतुकालिक समय पैमाने (16 दिनों से लेकर एक ऋतु तक) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान और (ख) लघु से मध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और विषम मौसमी घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान के लिए अत्याधुनिक युग्मित समुद्र-वायुमंडलीय जलवायु मॉडल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया है ताकि ईएसएसओ-आईएमडी की प्रचालनात्मक सेवाओं के लिए पूर्वानुमान कौशलों में और अधिक परिमाणात्मक सुधार हो सके।

(ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों आदि के सहयोग से एकीकृत मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा (एएएस) सप्ताह में दो बार प्रदान की जा रही है। पिछले सप्ताह का वास्तविक मौसम तथा वर्षा, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, पवन गति, पवन दिशा, सापेक्ष आर्द्रता तथा बादलों के बारे में अगले 5 दिनों के परिमाणात्मक जिला स्तर के मौसम पूर्वानुमान के साथ-साथ साप्ताहिक संचयी वर्षा पूर्वानुमान भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों की मदद के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर फसल वैशिष्ट्य वाली परामर्शी सूचनाएं जारी की जाती हैं तथा व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग की कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एनएमएस) तथा इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सर्विस (आईवीआरएस) सहित विभिन्न प्रिन्ट/दृश्य/रेडियो/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक प्रसारण माध्यमों से किसानों को खेत के स्तर पर समुचित कार्य में सहूलियत प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर सप्ताह में दो बार फसल वैशिष्ट्य वाली परामर्श-सूचनाएं उपलब्ध कराने में सफल रही है।

आईएएस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के संचार माध्यमों, यथा प्रिंट, टीवी तथा आकाशवाणी, वेब मीडिया चैनलों, एसएमएस तथा आईवीआरएस के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी

संगठनों, नामतः इफको किसान संचार (आईकेएसएल) लिमिटेड, रायटर्स मार्केट लाइट (आरएमएल), नोकिया टूल्स, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार इत्यादि के साथ समन्वय करके जिला तथा एग्रो-क्लाइमेटिक क्षेत्र पैमाने की परामर्शी सूचनाएं पहले से ही प्रसारित की जा रही है। वर्तमान में 18 राज्यों नामतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश को इन सेवाओं के तहत कवर किया है। वर्तमान में देश में 3.4 मिलियन किसान एसएमएस सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-आईएमडी, राज्य सरकारों के समन्वय से, पहले से ही प्रमुख तीर्थयात्राओं जैसे कि अमरनाथ यात्रा, मानसरोवर यात्रा, चारधाम यात्रा, कुम्भमेला आदि तथा विगत कुछ वर्षों से सेना द्वारा मॉउंट एवरेस्ट तथा कई अन्य हिमालयी पर्वत शृंखलाओं के लिए शुरू किए गए विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों के लिए भी पूर्वानुमान दे रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का आधुनिकीकरण

19. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थान-वार कुल कितने दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान स्थान-वार इन दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केंद्रों में किए गए उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में क्षेत्र-वार अकार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में गुजरात में दो स्टूडियो केन्द्र तथा विभिन्न शक्तियों के 68 टीवी ट्रांसमीटर हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार गुजरात में 14 स्थानों पर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों में किए गए उन्नयन और आधुनिकीकरण के कार्यों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III तथा IV में दिया गया है।

(ग) गुजरात राज्य में सभी दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केंद्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

विवरण-I

गुजरात के दूरदर्शन केन्द्र

स्टूडियो (2)

अहमदाबाद	राजकोट	

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)

अहमदाबाद	राधनपुर	राजकोट (डीडी न्यूज)
भुज	सूरत	सूरत (डीडी न्यूज)
द्वारका	वडोदरा	वडोदरा (डीडी न्यूज)
राजकोट	अहमदाबाद (डीडी न्यूज)	

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)

आहवा	गोधरा	पलीताना
अम्बाजी	इदेर	पोरबंदर
आमोद	जामजोधपुर	पुरांदरो (मोबाइल)
अमरेली	जामनगर	राजपिपला

बांतवा	झगडिया	राजुला
भरूच	जूनागढ़	रापड़
भावनगर	केवडिया कालोनी	सांजेली
बोटाड	खंबालिया	शामलाजी
छोटा उदयपुर	खंबात	सोनगढ़
डेडियापाडा	लिम्बडी	सुरेन्द्र नगर
दीसा	लुनावाड़ा	थारड़
देवगढ़ बेरिया	महुवा	उमरगांव
धंधुखा	मांगरोल (जूनागढ़)	ऊना
धारंगाधरा	मांगरोल (सूरत)	वलसाड
धर्मपुर	मेहसाणा	विरावल
धारी	मोदासा	भावनगर (डीडी न्यूज)
धोराजी	मोरवी	जामनगर (डीडी न्यूज)
दोहाद	पालनपुर	गांधीनगर (डीडी न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

काकरापड़	नेतरांग	सागवाडा

विवरण-II

गुजरात में वर्तमान आकाशवाणी केंद्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र	वर्तमान प्रेषित्र के प्रकार/क्षमता		स्टूडियो एवं अन्य सुविधाएं
		ए.एम. (मी.वे./सी.वे.)	एफएम	टाइप-IV स्टुडियो, क्षेत्रीय समाचार यूनिट अपलिंकिंग सुविधा, न्यूज-ऑन-फोन
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	200 कि.वा. मी.वे.	10 कि.वा.	बहुउद्देशीय स्टुडियो
2.	अहवा	1 कि.वा.	100 वाट	टाइप-II स्टुडियो, क्षेत्रीय समाचार यूनिट
3.	भुज	20 कि.वा. मी.वे.		बहुउद्देशीय स्टुडियो
4.	गोदारा		6 कि.वा.	बहुउद्देशीय स्टुडियो

1	2	3	4	5
5.	हिम्मतनगर	1 कि.वा. मी.वे.		टाइप-III स्टुडियो
6.	राजकोट	300 कि.वा. मी.वे. 1000 कि.वा. मी.वे.व	10 कि.वा.	बहुउद्देशीय स्टुडियो
7.	सूरत		10 कि.वा.	टाइप-II स्टुडियो
8.	बड़ोदरा		10 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
9.	मेहसाना		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
10.	भावनगर		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
11.	भरूच		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
12.	जामनगर		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
13.	पोरबंदर		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण
14.	द्वारिका		100 कि.वा.	वीबीएस का प्रसारण

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों (नवम्बर, 2010-2013) के दौरान गुजरात में दूरदर्शन केंद्रों में मुख्य उन्नयन/ आधुनिकीकरण कार्य

1. स्टुडियो केंद्रों के पूर्ण डिजीटलीकरण हेतु दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट को कैमरा चेन के अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए सभी मुख्य उपकरण
2. दूरदर्शन केंद्र, राजकोट में स्थापित की गई नई उपग्रह अपलिंक सुविधा
3. निम्नलिखित पांच स्थानों पर 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर 500 वाट के नए (1+1) ऑटोमोट अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाए गए:—

   वेरावल

   अमरेली

   आहवा

   गोधरा

   वलसाड़

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों में गुजरात के आकाशवाणी केन्द्रों में की गई उन्नयन एवं मोडरनाइजेशन कार्य

क्र. सं.	आकाशवाणी केन्द्र का नाम	उन्नयन एवं मोडरनाइजेशन कार्य का ब्यौरा
1	2	3
1.	अहमदाबाद	• 200 कि.वाट मीडिया वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • क्षेत्रीय समाचार ईकाई का डिजिटलीकरण (आरएनयू) • न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि • स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक का डिजिटलीकरण (एसटीएल) • यूपीएस का प्रावधान

1	2	3
2.	अहवा	—
3.	भरूच	—
4.	भावनगर	—
5.	भुज	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • नया 5 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • क्षेत्रीय समाचार ईकाई का डिजिटलीकरण (आरएनयू) • स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक का डिजिटलीकरण (एसटीएल) • टेलीमेटरी सिस्टम का प्रावधान
6.	द्वारिका	—
7.	गोधरा	• यूपीएस का प्रावधान
8.	हिम्मतनगर	• रेडियो नेटवर्किंग टर्मिनल का डिजिटलीकरण (आरएनटी)
9.	जामनगर	—
10.	मेहसाना	—
11.	पोरबंदर	—
12.	राजकोट	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना • 1000 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नए क्षेत्रीय समाचार ईकाई का सृजन • स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक का प्रावधान (एसटीएल) • रेडियो नेटवर्किंग टर्मिनल का डिजिटलीकरण (आरएनटी) • यूपीएस का प्रावधान
13.	सूरत	• 6 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर से उन्नयन (पूर्ण)
14.	बड़ोदरा	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • यूपीएस का प्रावधान

[अनुवाद]

पेयजल की कमी

20. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हाल के वर्षों में भू-जल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण पेयजल के संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) देश में मौजूदा भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-भूगर्भीय स्थितियों के कारण-भू-जल की समग्र उपलब्धता में स्थान दर स्थान की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार, नवम्बर, 2011 के अनुसार, जायजा लिए गए 5842 ब्लॉकों में से 623 ब्लॉक अर्द्धमहत्वपूर्ण हैं, 169 महत्वपूर्ण हैं, 71 में लवणता है एवं 802 ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया गया है। राज्य सरकारों को कुएं एवं पानी के पुनर्भण्डारण से संबंधित संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सही स्थानों का पता लगाने में सहायता देने के लिए मंत्रालय ने हाइड्रो जियोमॉरफोलामजिकल मानचित्र तैयार किए हैं (भू जल संभावित मानचित्र) तथा उन्हें अधिकांश राज्यों को सौंप दिया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उन्हें सहायता

देने हेतु राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को किए गए कुल आबंटन में से 10 प्रतिशत तक का उपयोग स्रोतों की निरंतरता में सुधार लाने में किया जा सकता है।

पंजाबी टेलीविजन चैनलों को लाइसेंस

21. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक उन पंजाबी भाषा टेलीविजन चैनलों, जिन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया, की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केबल ऑपरेटर सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना अपने आप समाचार का प्रसारण कर सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रचलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) मंत्रालय द्वारा अन्य भाषाओं के साथ-साथ पंजाबी में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 48 टेलीविजन चैनलों को अनुमति दी गई।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने जनवरी, 2013 में स्थानीय केबल प्रचालकों द्वारा प्रचालित समाचार चैनलों सहित स्थानीय चैनलों के प्रेषण के समग्र पहलू की जांच करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को पत्र भेजा है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

22. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थान शिर्डी में दूरदर्शन रिले केन्द्र (एलपीटी/एचपीटी) स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि शिर्डी में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एलपीटी) पहले से ही, अगस्त, 2004 से कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में शिर्डी में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एचपीटी) स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

आवास इकाइयों का निर्माण

23. **श्री अंजनकुमार एम. यादव** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा बनाई जा रही आवासीय ईकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त ईकाइयों का निर्माण संतोषजनक ढंग से किया गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश सहित (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000/- रु. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000/- रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। आवास स्थल की खरीददारी के लिए 20,000/- रु. तथा कच्चे या टूटे फूटे मकानों के उन्नयन के लिए 15,000/- रु. दिए जा रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत तथा निर्मित मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	स्वीकृत मकान	बनाए गए मकान
2010-11	257104	257104
2011-12	249013	249013
2012-13	270399	250945
2013-14	207313	58970

स्वीकृत मकानों में से कुछ मकान जो वर्ष के अंत तक पूरे नहीं बने हैं, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) अधिकांश राज्यों में मकानों का निर्माण संतोषजनक रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तथा गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कार्य की प्रगति धीमी देखी गई है। मंत्रालय कार्य की प्रगति में सुधार के लिए आवधिक समीक्षा तथा निगरानी के माध्यम से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के साथ मामले पर चर्चा करता है। कुछ राज्यों, जिन्हें एमआईएस डाटा अपलोड करने, किश्तों की प्राप्ति आदि में समस्याएं हैं, की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है।

नई रेलवे लाइन परियोजना

24. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ के बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन परियोजनाओं और रायपुर-बालोदा बाजार, शिवारीन रमण और गेवरा रोड, हर्दी बाजार-चंपा खंडों में नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में आबंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 किमी.), रायगढ़ (मंड कोयला खान-भूपदेवपुर (63 किमी.) और रायपुर झारसुगुडा (310 किमी.) के बीच नई लाइन के लिए परियोजना को छत्तीसगढ़ में बस्तर जैशपुर रायगढ़ क्षेत्र में स्वीकृति दे दी गई है। दल्लीराजहरा-जगदलपुर के चरण-I में दल्लीराजहरा-रायघाट (95 किमी.) खंड पर नई लाइन परियोजना, भूमि संबंधी कार्य और पुलों को शुरू किया जा चुका है। रायगढ़ (मंड कोयला खान) — भूपदेवपुर (63 किमी.) परियोजना पर अंतिम स्थान सर्वेक्षण और प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। रायपुर झारसुगुडा (310 किमी.) के बीच नई लाइन के लिए परियोजना को योजना आयोग और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के अध्यधीन रेल बजट 2013-14 में शामिल कर लिया गया है। बालोद बसर, शिवारीनारायण और घेतरा रोड, हरदी बाजार-चंपा के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है।

(ख) इन प्रस्तावों के लिए 2013-14 के दौरान 15 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और मार्च, 2013 तक 131.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) रेलों द्वारा सामना की जा रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-क्रम निर्धारित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय से चालू दल्लीराजहरा-जगदलपुर परियोजना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

भूकंप का पूर्वानुमान

25. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकंप विज्ञान और भूकंप के पूर्वानुमान संबंधी अनुसंधान के लिए नई प्रौद्योगिकीय कौशल तथा कार्यक्रम को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भूकंप की घटनाओं की बारंबारिता में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो देश में वह कौन से क्षेत्र हैं, जहां गत एक वर्ष के दौरान भूकंप की घटनाएं हुईं और उनकी तीव्रता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भूकंप विज्ञान संबंधी अनुसंधान के लिए समर्पित प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने भूकंपीय जोनों की पहचान और उनके पुनर्आकलन के लिए प्रयास किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। भूकंप वैज्ञानिक अनुसंधान और भूकंप पूर्व संकेतों के अध्ययन के संबंध में अपनाया गया है, पर भूकंप पूर्वानुमान के संबंध में नहीं अपनाया गया है।

(ख) एकीकृत तरीके से भूकंप पूर्व संकेतों का अध्ययन करने के लिए, भारत ने घुट्टू, मध्य हिमालय और शिलांग, पूर्वी हिमालय में बहु पैरामीटर भूभौतिकी वेधशालाएं (एमपीजीओएस) स्थापित की है। ब्रॉड बैंक भूकंपीयमीटरों के घने नेटवर्क के अतिरिक्त, एमपीजीओएस को जल वैज्ञानिक पैरामीटरों में आए उतार चढ़ाव के साथ-साथ घनत्व, चुबंकीय, चालकता, भूकंपीय तरंग वेगता, फ्रेक्चर संचरण, पर्पटीय विरूपण इल्कट्रोमेग्नैटिक और रेडॉन गैस उत्सर्जन में दबाव से आए बदलावों के परिणामस्वरूप प्राप्त भूकंपीय संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थिर गैसों के साथ रेडियोएक्टिव घटकों में घंटों में होने वाले सकेन्द्रित बदलावों की रिकॉर्डिंग करने के लिए बंकरेश्वर, पश्चिम बंगाल के उष्ण वसंत और मड-ज्वालामुखी, ततापानी (जम्मू और कश्मीर) और बारातरंग (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में स्थित 3 फील्ड स्टेशनों को अत्याधुनिक उपकरणों से अपग्रेड किया गया। पिछले 12 माह के दौरान, स्थापित नेटवर्कों से 5 असंगतियां रिकॉर्ड की गई है जिनका 4.0 से ज्यादा परिमाण पर आए क्षेत्रीय भूकंपों के साथ सहसंबंध था जोकि 250-1500 किमी. के हाइपोकेंद्र दूरी पर आए थे।

कोयना-वरना क्षेत्र में गहरे बोरछिद्र के वेधन हेतु वैज्ञानिक अन्वेषण करने तथा उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन आरंभ

कर दिए गए हैं। इन अन्वेषणों में कुछ उथले (~1 किमी.) अन्वेषणात्मक बोरछिद्रों के अतिरिक्त, भूकंपवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, (भूकंपीय, गुरूत्वाकर्षण, चुंबकीय), लिडार, भू-आकृति विज्ञान तथा संरचनात्मक भूवैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं।

(ग) देश में भूकंप की घटनाओं की आवृत्ति में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं देखी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) भूकंप विज्ञान पर समर्पित केन्द्र के एक छात्र के अंतर्गत देश में प्रचालनात्मक भूकंपविज्ञान तथा भूकंप अनुसंधान की पुनर्संरचना की प्रक्रिया में है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:—

(i) यथासंभव कम से कम समय में सभी प्रयोक्त एजेंसियों को भूकंप (3.0 तथा इससे अधिक परिमाण वाले भूकंप) से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना।

(ii) भूकंपरोधी ढांचों की डिजाइन तथा निर्माण करने, भू उपयोग नियोजन के लिए विभिन्न निरोधात्मक उपायों के संस्थानीकरण करने तथा भूकंप के कारण जान-माल को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिये भवन उप-विधियों के अधिनियम के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपेक्षित विशिष्ट स्थान के भूकंप जोखिम तथा संकट से संबंधित उत्पाद उपलब्ध कराना।

(iii) शुद्ध तथा अनुप्रयुक्त भूकंपविज्ञान तथा भूकंप पूर्व-संकेतक परिघटनाओं, भूकंप प्रक्रियाओं तथा मॉडलिंग में अनुसंधान करना।

(छ) जी, हां।

(ज) भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक इनपुटों, अतीत में अए भूकंपों तथा क्षेत्र की विवर्तनिकी संरचना के आधार पर देश के भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पूर्ववर्ती भूकंपीय गतिविधि के आधार पर [आईएस-1893 (भाग-1): 2002], देश को चार भूकंपी जोनों अर्थात् जोन-II (सबसे कम सक्रिय भूकंपीय जोन), जोन-III (मध्यम सक्रिय भूकंपीय जोन), जोन-IV [काफी सक्रिय (विषम) भूकंपीय जोन] तथा जोन-V [सर्वाधिक सक्रिय (काफी विषय) भूकंपीय क्षेत्र है] में वर्गीकृत किया है। भूकंपीय जोनों के विभिन्न वर्गों के तहत आने वाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत में भूकंपीय जोन

भूकंपीय जोन	क्षेत्र
जोन-V [सर्वाधिक सक्रिय (काफी विषम) भूकंपीय क्षेत्र]	संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भाग, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार के भाग तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
जोन-IV [काफी सक्रिय (विषम) भूकंपीय क्षेत्र]	जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग तथा पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र के छोटे हिस्से तथा राजस्थान
जोन-III (मध्यम सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र)	केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के भाग
जोन-II (सबसे कम सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र)	देश के शेष भाग

[अनुवाद]

जल विवाद अधिकरण

26. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या जल संसाधन मंत्री जल विवाद अधिकरण के बारे में दिनांक 29 अगस्त, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान हेतु मौजूदा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरणों के स्थान पर स्थायी अधिकरण स्थापित करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान हेतु मौजूदा अधिकरणों के स्थान पर स्थायी अधिकरण की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव अभी भी संकल्पनात्मक चरण में है।

पानी का उपयोग

27. श्री नलिन कुमार कटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में पानी का सर्वथा युक्ति-युक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार जल नियमन और मूल्य निर्धारण तंत्र आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न अपनी बैठक में राष्ट्रीय जल नीति, 2012 को अंगीकार किया था जिसमें देश में जल संसाधन के विकास और दक्ष प्रबंधन हेतु अनेक सिफारिशें की गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जल प्रशुल्क प्रणाली को निर्धारित और विनियमित करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा स्वतंत्र जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु सिफारिशें राष्ट्रीय जल नीति (2012) में शामिल है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जल विनियामक प्राधिकरण को स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में राज्यों द्वारा इसकी स्थापना स्वयं किए जाने का अभिकल्पना की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति (2012) की मुख्य विशेषताएं

1. एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

2. जल को सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने, खाद्य सुरक्षा अर्जित करने, कृषि पर निर्भर निर्धन लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायता प्रदान करने तथा न्यूनतम पारिस्थितिकी आवश्यकताओं हेतु उच्च प्राथमिकता से आवंटन करने के पश्चात् आर्थिक वस्तु माना गया है ताकि इसके संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

3. नदी की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए कि नदी प्रवाहों में कम अथवा शून्य प्रवाह, कम बाढ़ (फ्रेशेट), अधिक बाढ़ तथा प्रवाह विभिन्नता जैसी विशिष्टताएं पाई जाती हैं और इन आवश्यकताओं में विकास संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। नदी प्रवाहों के एक भाग को यह सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए कि अनुपातिक न्यून अथवा उच्च प्रवाह उस समय प्राकृतिक प्रवाह स्तर के संगत होना चाहिए।

4. जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्यनीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है।

5. जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जल के विभिन्न प्रयोजनों हेतु बैंचमार्कों अर्थात् जल फुटप्रिंट तथा जल लेखापरीक्षा को विकसित किया जाना चाहिए! परियोजना वित्तपोषण को जल के कुशल और किफायती उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में सुझाया गया है।

6. जल विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की सिफारिश की गई है। जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है।

7. जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्र करने तथा इसका एक भाग अपने पास रखने, उन्हें आबंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने तथा उनके अधिकार क्षेत्र में रखरखाव करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

8. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के निर्धारण में भारी असमानता को दूर किए जाने की सिफारिश की गई है।

9. जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का सामुदायिक सहभागिता से प्रबंधन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों अथवा स्थानीय शासी निकायों के निर्णयानुसार सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा

करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल के अनुसार निजी क्षेत्र को सेवा प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें असफलता होने पर दंड दिया जाना शामिल हो।

10. राज्यों को प्रौद्योगिकी के अद्यतनीकरण, डिजाईन पद्धतियों, आयोजना एवं प्रबंधन पद्धतियों, वार्षिक जल संतुलन तथा स्थान और बेसिन का लेखा तैयार करने, जल प्रणालियों के लिए जल विज्ञानीय संतुलन तैयार करने तथा बैंचमार्किंग और निष्पादन आकलन आदि के लिए पर्याप्त अनुदान जारी किया जाना चाहिए।

एयर इंडिया उड़ान में दुर्घटना

28. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद होते हुए जेद्दाद से मुंबई आ रही एयर इंडिया की उड़ान के 400 यात्री और चालक दल के अन्य सदस्य उड़ान के दौरान तब बुरी तरह डर गए थे, जब कॉकपिट पैनल में देखा गया कि विमान का एक दरवाजा ठीक तरह से बंद नहीं था और विमान को उड़ान भरने के बाद वापिस लौटना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 15.11.2013 को जद्दाह से विमान के प्रस्थान करने के पश्चात् उड़ान संख्या एआई 964 में "खुला दरवाजा" संकेत दिखाई दिया। ईंधन को फेंकने के पश्चात् विमान को वापस जद्दाह ले जाया गया। बे में विमान के आगमन पर आए 2 दरवाजे के दृष्टिक निरीक्षण के दौरान दरवाजे के ऐफ्ट टॉप कोने पर हल्की दरार दिखाई दी। आवश्यक जांच के पश्चात् इंजीनियरों ने दरवाजे को बंद कर दिया तथा विमान को सामान्य उड़ान हेतु जाने दिया, बाद में एहतियाती कार्यवाही के रूप में मुंबई में दरवाजे को बदल दिया गया।

(ग) और (घ) घटना की नागर विमानन महानिदेशालय के समन्वय से स्थायी जांच बोर्ड, एअर इंडिया के उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

29. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी रेलगाड़ियों की असम जाने वाली दानापुर-कामाख्या एक्सप्रेस की वर्ष 2013 में पटरी से उतरने की घटना की भांति ही पटरी से उतरने की घटना हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) पटरी से उतरने की ऐसी घटना को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान 15.10.2013 को भारतीय रेलों पर गाड़ी सं. 13248 डाउन दानापुर-कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने सहित 22 पैसेंजर गाड़ियों के पटरियों से उतरने के मामले हुए। प्रथम दृष्टया कारण सहित जांच रिपोर्टों के आधार पर इन 22 गाड़ियों के पटरी से उतरने के मामलों में से, गाड़ियों के पटरी पर से उतरने के 17 मामले रेलवे कर्मचारियों की विफलता, एक मामला रेलवे कर्मचारियों से इतर विफलता के कारण, तीन मामले आकस्मिक कारकों के कारण और एक मामला उपस्कर की विफलता के कारण हुए थे।

15.10.2013 को 23:50 बजे पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के गुलजारबाग और पटनासाहिब स्टेशनों के बीच जब गाड़ी सं. 13248 डाउन दानापुर-कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस चल रही थी तो इस गाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई अथवा कोई घायल नहीं हुआ। दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण पटरी का कई जगह से टूटना बताया जाता है।

(ग) भारतीय रेलों द्वारा गाड़ियों के पटरी से उतरने के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) पूर्ववलित कंकरीट स्लीपरों वाले रेलपथ संरचना का अपग्रेडेशन, उच्चधुरा भार और उच्च घनत्व वाले मार्गों के लिए 52 किलोग्राम/60 किलोग्राम की अधिक शक्तिशाली पटरियों, नए निर्माण और प्रतिस्थापन संबंधी कार्य केवल पीएसी स्लीपर द्वारा किया जाता है।

(ii) पटरियों की टूट-फूट को रोकने के लिए बेलडेड ज्वाइंट की संख्या में कमी लाने के लिए 260 मीटर/130 मीटर लंबाई के लंबे रेल पैनल।

(iii) एल्यूमिनो थर्मिट बेल्डिंग का अपग्रेडेशन और मोबाइल फलैश बट बेल्डिंग के उपयोग में वृद्धि करना।

(iv) दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों की जांच करने के लिए आधुनिक डायग्नोस्टिक सहायता जैसे अल्ट्रासोनिक रेल फ्लॉ डिटेक्टरों (यूएसएफडी) का उपयोग।

(v) पटरियों को टूटने से बचाने को और कारगर बनाने के लिए रेल ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग।

(vi) संरक्षित और कुशल परिणाम मुहैया कराने के लिए परिष्कृत मशीनों का इस्तेमाल करते हुए रेलपथ के अनुरक्षण का उत्तरोत्तर यंत्रीकरण।

(vii) रेलपथ पर फलैट पहियों के असुरक्षित संचलन का पता लगाने के लिए रेलपथों के साथ व्हील इंपेक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी)।

(viii) रात्रि में गश्त लगाने/सर्दी में गश्त लगाने सहित असुरक्षित स्थानों पर रेलपथों पर नियमित गश्त लगाना।

(ix) नियमित अंतरालों पर विशेष संरक्षा निरीक्षण अभियान चलाना।

दिल्ली मंडल में ठेकेदार

30. श्री महाबली सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मंडल में फुटकर वस्तुओं का लेन-देन करने वाले ठेकेदारों की संख्या कितनी है;

(ख) ठेकेदारों के नाम सहित उनके करार की समाप्ति की तारीख का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी ठेकेदारों के स्टॉलों, ट्रॉली ट्रे और विक्रेताओं की संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक ठेकेदार से वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के विविध आर्टिकल ठेकेदारों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	ठेकेदार का नाम	विविध आर्टिकल यूनिट			वेन्डर्स की संख्या	करार की अवधि		लाइसेंस शुल्क (प्रतिवर्ष) आंकड़े रु.	टिप्पणी
			स्टॉल	ट्रॉली	ट्रे		से	तक		
1.	दिल्ली	मकबूल ईलाही एंड सन्स	1	—	—	2	04.04.13	03.04.16	92,856	करार संबंधी प्रक्रिया चल रही है।
2.	दिल्ली	कृष्णा एंड कंपनी	—	2	6	8	10.02.13	09.02.16	1,15,588	करार हो चुका है।
3.	नई दिल्ली	पी.सी. एंड सन्स	1	4	12	59	09.01.13	08.01.16	6,45,503	करार हो चुका है।
4.	हजरत निजामुद्दीन	पी.सी. एंड सन्स	3	—	10	46	09.01.13	08.01.16	3,97,157	करार हो चुका है।
	योग		5	6	28					

लंबित रेल उपरि पुल/अधोगामी पुल

31. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन/लंबित रेल उपरि पुल/अधोगामी पुल और चौकीदार सहित/चौकीदार सहित रेल समपारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अनुसार हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कार्यान्वयन में हो रही देरी के परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(घ) मध्य प्रदेश में स्वीकृत और चालू रेल उपरि पुल/अधोगामी पुलों की संख्या कितनी है; और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) पिंक बुक 2013-14 के अनुसार:—

- मध्य प्रदेश में लागत भागीदारी आधार पर कुल 56 उपरि सड़क पुलों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5 उपरि सड़क पुल हर तरह से पूरे किए जा चुके हैं (रेलवे का भाग और पहुंच मार्ग भी) और एक उपरि सड़क पुल में केवल रेलवे का भाग भी पूरा किया जा चुका है।

- मध्य प्रदेश में 368 निचले सड़क पुलों/सबवे को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 41 निचले सड़क पुल/सबवे पूरे किए जा चुके हैं।

01.04.2013 को मध्य प्रदेश में 1,223 चौकीदार वाले समपार और 663 बिना चौकीदार वाले समपार थे।

(ख) और (ग) सामान्यत: रेलवे उपरि सड़क पुल में पुल के भाग का निर्माण रेलवे करती है और पहुंच मार्ग का कार्य राज्य सरकार करती है।

बहरहाल, उपरि सड़क पुल/निचला सड़क पुल की निर्बाध प्रगति का कार्य राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करता है। अधिकांशत:, उपरि सड़क पुल/निचला सड़क पुल की प्रगति में इन कारणों से बाधा होती है:—

- राज्य के बजट में संबंधित कार्य की देर से स्वीकृति।
- राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त निधि का आबंटन।
- राज्य सरकार द्वारा जीएडी और अनुमान प्रस्तुत न करना।
- पहुंच मार्ग के संरेखण में बार-बार परिवर्तन।
- पहुंच मार्ग के कार्य के लिए निविदा को देर से अंतिम रूप देना।
- पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए बाधामुक्त भूमि उपलब्ध न होना।
- निचले सड़क पुल की सड़क और नालियों की भविष्य में रख-रखाव का वचन न देना।
- समपार बंद करने की सहमति देने में विलंब।

चालू रेलवे लाइन पर उपरि सड़क पुल/निचला सड़क पुल के निर्माण में भी समय लगता है, इसके लिए ज्यादा विस्तृत ब्यौरा अपेक्षित होता है, गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उपाय करने होते हैं, यातायात रोकना पड़ता है और कार्य आरंभ करने के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृति लेनी होती है। बहरहाल, कई बार निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब होता है क्योंकि निविदाकारों की कम भागीदारी के कारण और/अथवा निविदाकारों द्वारा अनुचित रूप से ऊँची दरें, जो औचित्यपूर्ण नहीं होती, दिए जाने के कारण निविदाएं दोबारा आमंत्रित करनी पड़ती हैं।

इन बाधाओं के बावजूद, उपरि सड़क पुल/निचला सड़क पुल की समग्र प्रगति में सतत् जानकारी लेने, मॉनीटरिंग और राज्य सरकार के साथ सतत् संपर्क रखने के कारण प्रतिवर्ष सुधार हो रहा है।

(घ) और (ङ) • मध्य प्रदेश में लागत भागीदारी आधार पर कुल 56 उपरि सड़क पुलों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5 उपरि सड़क पुल हर तरह से पूरे किए जा चुके हैं (रेलवे का भाग और पहुंच मार्ग भी) और एक उपरि सड़क पुल में केवल रेलवे का भाग भी पूरा किया जा चुका है। शेष 50 उपरि सड़क पुल योजना और निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है।

- मध्य प्रदेश में 368 निचले सड़क पुलों/सबवे को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 41 निचले सड़क पुल/सबवे पूरे किए जा चुके हैं। शेष 327 निचले सड़क पुल योजना और निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[अनुवाद]

शास्त्रीय संगीत और कृषि हेतु नए चैनल

32. श्री राजू शेट्टी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शास्त्रीय संगीत और कृषि को पूर्ण रूप से समर्पित क्रमश: रेडियो और टेलीविजन के नए चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी भारती चैनल आंशिक रूप से शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के प्रति समर्पित है तथा दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर कृषि संबंधी कार्यक्रमों का भरपूर प्रसारण करता है। इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय केंद्र ब्राडकास्टिंग एवं नेरोकास्टिंग मोड के माध्यम से कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, शास्त्रीय संगीत के लिए समर्पित दो चैनल हैं अर्थात् आकाशवाणी, तिरुचिरापल्लि से प्रारंभ होने वाला रागम, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है तथा आकाशवाणी, बंगलौर से प्रारंभ होने वाला अमृतवर्षिणी, जो सुबह 6 से सुबह 9.30 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात 11.00 बजे तक एफएम ट्रांसमीटर पर उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त देशभर के

आकाशवाणी केंद्र बड़ी संख्या में भारतीय शास्त्रीय संगीत (हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों) के प्रति समर्पित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके साथ-साथ देशभर के आकाशवाणी केंद्र संख्या में कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

[हिन्दी]

उपरि सड़क पुलों का निर्माण

33. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश सरकार से उपरि सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पुलों के निर्माण हेतु पहचान किए गए विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी हां, महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार से लागत हिस्सेदारी आधार पर सड़क उपरि पुलों (आरओबी) के आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

(ख) विभिन्न समपार फाटकों (एलसी) के बदले में जहां सड़क उपरि पुलों के स्थान प्रस्तावित हैं, वे निम्नलिखित हैं:—

1. मुरादाबाद-गाजियाबाद सेक्शन पर 3/13-14 किमी. पर समपार फाटक नम्बर 1 सी तथा मुरादाबाद-सहारनपुर पर किमी. 1402/18-20 पर समपार फाटक नम्बर 418सी
2. मथुरा-अछनेरा सेक्शन पर किमी. 352/01. पर समपार फाटक नम्बर 358 ए/2
3. वाराणसी अनरिहार सेक्शन में वाराणसी शहर-सारनाथ स्टेशनों के बीच किमी. 200/9-201/0 पर समपार फाटक नं. 23/ए (कज्जकपुरा)
4. वाराणसी-इलाहाबाद सेक्शन में वाराणसी जं. तथा मंडूआडीह स्टेशनों के बीच किमी. 208/4-5 पर समपार फाटक नं. 3/1 (मंडूआडीह यार्ड)
5. गोरखपुर-भटनी सेक्शन में चोरी-चौरा तथा गौरी बाजार स्टेशनों के बीच किमी. 479/3-4 पर समपार फाटक नं. 145-ई
6. गोरखपुर-भटनी सेक्शन में चोरी-चौरा तथा सरदार नगर स्टेशनों के बीच किमी. 484/4-5 पर समपार फाटक नं. 149-ए
7. गोरखपुर-आनंदनगर सेक्शन में नकाहा जंगल तथा मनीराम स्टेशनों के बीच किमी. 6/2-3 पर समपार फाटक नं. 5-ए
8. इज्जतनगर-दोहना सेक्शन में भोजीपुरा-बरेली जं. स्टेशनों के बीच किमी. 312/3-4 पर समपार फाटक नं. 242

(ग) चूंकि ये प्रस्ताव आगामी रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में रेल मंत्रालय की मंजूरी के लिए जांच-पड़ताल के अधीन है, इसलिए इस स्तर पर कार्य प्रारंभ करने के समय को नियत करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को रक्षित कोयले की आपूर्ति

34. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) अपनी रक्षित कोयला खानों से कोयले की आपूर्ति लेने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एनटीपीसी झारखंड में पाकरी-बरवाडीह कोयला ब्लॉक से कोयला उत्पाद प्रारंभ करने के लिए तैयार है। सभी प्रमुख ठेके अवार्ड किए गए हैं तथा स्थल पर कार्य चालू है। सारी सांविधिक स्वीकृतियां/अनुमतियां उपलब्ध हैं।

ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में, अन्य केप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रगति लक्ष्यों के अनुसार है।

चोरी के मामलों में बढ़ोतरी

35. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफाई कार्य के निजीकरण के पश्चात् ट्रेनों और रेलवे यार्डों में चोरी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खान-पान सेवा के निजीकरण के बाद ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन निजी खान-पान सेवाप्रदाताओं द्वारा ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेलों का यह सतत् प्रयास है कि रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाए। नई खान-पान नीति 2010 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आकस्मिक और आवधिक निरीक्षण किए जाए। गाड़ियों में खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए रेल कर्मियों की तैनाती करके निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र तैयार किया गया है, जो नियमित, आकस्मिक और आवधिक निरीक्षक करके गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करते हैं और सुधार के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। समय पर शिकायतों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खान-पान सेवा निगरानी सैल निःशुल्क फोन नं. 1800 111 321 सहित नई खान-पान नीति के ज्ञात सेवा में कमी नई खान-पान नीति के अंतर्गत सेवाओं में कमियों/अनियमितताओं के मामले में दंडात्मक कार्रवाई जैसे जुर्माना लगाना, चेतावनी देना, उपयुक्त सलाह देना और ठेका समाप्त करना आदि कार्रवाई की जाती है। ठेका देने, गुणवत्ता की तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट करने के प्रावधान सहित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी ठेका आवंटन, प्रबंध और निगरानी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और बेस किचन के अनिवार्य आईएसओ (भारतीय मानक संगठन) प्रमाणन्।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव

36. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राप्त किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्तावों और केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार, नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति आवश्यक नहीं है। तथापि, सीईए को उन जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान करना अनिवाय है जिनमें ऐसी राशि, जिसे इस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जा सके, में वृद्धि करते हुए पूंजी व्यय शामिल करने का अनुमान है।

देश के विभिन्न राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 25,438 मे.वा. की रिपोर्टें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्थात् वर्ष 2010-11 के बाद से सहमति हेतु सीईए को प्राप्त हुई थीं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) और (ग) 54 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (25,478 मे.वा.) में से 17 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (11,208 मे.वा.) को अनुमोदन प्रदान किया गया है; 23 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (8,830 मे.वा.) जांच के अधीन हैं और 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (5,440 मे.वा.) विकासकर्ताओं को वापिस कर दी गई हैं। ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II, III और IV में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सात परियोजनाओं (2,760 मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें जो वर्ष 2010-11 से पूर्व प्राप्त हुई थीं, को भी इस वर्ष के दौरान सीईए द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

(घ) जैसे ही हर प्रकार से परिपूर्ण डीपीआर प्राप्त हो जाती है और जल विद्युत स्कीम के तकनीकी रूप से, आवश्यक इनपुट/स्वीकृति के साथ व्यवहार्य पाए जाने पर प्राधिकरण जल विद्युत योजना के क्रियान्वयन की सहमति प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। तथापि, कई मामलों में, डीपीआरएस सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं होती और इसमें विभिन्न सूचनाओं का अभाव होता है। सभी पहलुओं से डीपीआर के पूरा हो जाने पर सीईए को 90 दिनों की विहित अवधि के भीतर स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य	विकासकर्त्ता	क्षेत्र	मेगावाट	प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
	2010-11					
	जम्मू और कश्मीर					
1.	बगलीहार-II	जम्मू और कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	राज्य	450	05/10
	हिमाचल प्रदेश					
2.	शोगटोंग करचम	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	राज्य	450	01/11
	उत्तराखंड					
3.	बुगुदियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखंड	जीजीएचपीएल	निजी	146	04/10
4.	व्यासी	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	120	07/10
5.	त्यूनी प्लासू	उत्तराखंड	डीओएल, उत्तराखंड	राज्य	72	08/10
6.	नन्द प्रयाग लंगासू	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	100	03/11
	अरुणाचल प्रदेश					
7.	तवंग स्टे.-I	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केन्द्रीय	600	06/10
8.	तवंग स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केन्द्रीय	800	05/10
9.	नेफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	एसएनईएल	निजी	120	08/10
10.	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	बीईएल	निजी	780	07/10
11.	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	निजी	700	9/10
12.	तलोंग लोण्डा	अरुणाचल प्रदेश	जीएमआर	निजी	225	09/10
13.	यामने स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	एसएसवाईईवीपीएल	निजी	84	03/11
	उप-जोड़				4647	
	2011-12					
	जम्मू और कश्मीर					
14.	किर्थी-II	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीसी	राज्य	990	04/11

1	2	3	4	5	6	7
	हिमाचल प्रदेश					
15.	मियार	हिमाचल प्रदेश	एमएचपीसीएल	निजी	120	04/11
16.	बारा बंघल	हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	निजी	200	06/11
17.	सेली	हिमाचल प्रदेश	एसएचपीसीएल	निजी	400	12/11
	उत्तराखंड					
18.	देवसरी	उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	केन्द्रीय	252	10/11
	अरुणाचल प्रदेश					
19.	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	जेएपीएल	निजी	500	05/11
20.	नयिंग	अरुणाचल प्रदेश	एनडीएसईपीएल	निजी	1000	05/11
21.	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	डीईपीएल	निजी	144	07/11
22.	पेमाशेल्फू	अरुणाचल प्रदेश	आरईएचपीएल	निजी	90	07/11
23.	कलई-I	अरुणाचल प्रदेश	केपीपीएल	निजी	1352	01/12
24.	इटालिन	अरुणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	निजी	3097	02/12
25.	हुतोंग-II	अरुणाचल प्रदेश	एमएचईआईपीएल	निजी	1200	02/12
	उप-जोड़				9345	
	2012-13					
	जम्मू और कश्मीर					
26.	रेटल	जम्मू और कश्मीर	जीवीके एचईपीपीएल	निजी	850	05/12
27.	क्वार	जम्मू और कश्मीर	सीवीपीपी	संयुक्त उद्यम	560	07/12
28.	किरू	जम्मू और कश्मीर	सीवीपीपी	संयुक्त उद्यम	660	08/12
29.	न्यू गंडरवाल	जम्मू और कश्मीर	जेकेएसपीडी	राज्य	93	10/12
30.	किर्थी-I	जम्मू और कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	राज्य	390	01/13
	हिमाचल प्रदेश					
31.	छतरू	हिमाचल प्रदेश	डीएससी	निजी	126	04/12
32.	सच खास	हिमाचल प्रदेश	एल एंड टी एचएचपीएल	निजी	267	01/13
33.	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएनएल	केन्द्रीय	588	03/13

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तराखंड					
34.	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	300	08/12
35.	जेलम तमक	उत्तराखंड	टीएचडीसीआईएल	केन्द्रीय	108	12/12
	कर्नाटक					
36.	सिवासामुद्रम	कर्नाटक	केपीसीएल	राज्य	345	04/12
	बिहार					
37.	दगामारा	बिहार	बीएसएचपीसीएल	राज्य	130	04/12
	नागालैंड					
38.	दीखू	नागालैंड	एनएमईएसपीएल	निजी	186	04/12
	असम					
39.	लोअर कोपली	असम	एपीजीसीएल	राज्य	120	03/13
	मेघालय					
40.	क्यून्शी	मेघालय	एकेपीएल	निजी	270	02/13
41.	उमन्गोट	मेघालय	एमईपीजीसीएल	राज्य	240	03/13
	अरुणाचल प्रदेश					
42.	कलई-II	अरुणाचल प्रदेश	कलई पीपीएल	निजी	1200	04/12
43.	जिमलियांग	अरुणाचल प्रदेश	एसकेआईपीएल	निजी	80	04/2012
44.	राईगम	अरुणाचल प्रदेश	एसकेआईपीएल	निजी	141	04/2012
45.	दाम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	यूएचपीएल	निजी	1080	07/12
46.	तातागुश्रित	अरुणाचल प्रदेश	एलटीएएचपीएल	निजी	74	07/12
47.	सिओम	अरुणाचल प्रदेश	एसएचसीपीपीएल	निजी	1000	11/12
48.	न्यूकचरोंग चू	अरुणाचल प्रदेश	एसएनसीपीसीएल	निजी	96	01/13
	उप-जोड़				8904	
	2013-14					
	हिमाचल प्रदेश					
49.	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	निजी	180	11/13

1	2	3	4	5	6	7
	अरुणाचल प्रदेश					
50.	तातो-I	अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	निजी	186	05/13
51.	कांगतांगसिरी	अरुणाचल प्रदेश	आरईएचपीएल	निजी	80	05/13
52.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	निजी	240	07/13
53.	सुबानसिरी मध्य (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	केएचईपीसीएल	निजी	1800	10/13
54.	मांगचू	अरुणाचल प्रदेश	एसएमसीपीसीएल	निजी	96	10/13
	उप-जोड़				2582	
	कुल				25478	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना	क्षेत्र	विकासकर्त्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति
1	2	3	4	5	6
	2010-11				
	जम्मू और कश्मीर				
1.	बगलीहार-II	राज्य	जेकेएसपीडीसी	450	29.12.10
	अरुणाचल प्रदेश				
2.	नेफ्रा	निजी	एसएनईएल	120	11.02.11
3.	न्यामजांग छू	निजी	बीईएल	780	24.03.11
	उप-जोड़			1350	
	2011-12				
	उत्तराखंड				
4.	व्यासी	राज्य	यूजेवीएनएल	120	25.10.11
	अरुणाचल प्रदेश				
5.	तवंग स्टेज-I	केन्द्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11

1	2	3	4	5	6
6.	तवंग स्टेज-II	केन्द्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11
	उप-जोड़			1520	
	2012-13				
	जम्मू और कश्मीर				
7.	रातल	निजी	जीवीकेआर एचईपीपीएल	850	19.12.12
	हिमाचल प्रदेश				
8.	शोंगटोंग करचम	राज्य	एचपीपीसीएल	450	16.08.12
9.	मियार	निजी	एमएचपीसीएल	120	07.02.13
	उत्तराखंड				
10.	देवसारी	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	252	7.8.2012
	अरुणाचल प्रदेश				
11.	तातो-II	निजी	टीएचपीपीएल	700	22.05.12
12.	गोंगरी	निजी	डीईपीएल	144	04.02.13
	उप-जोड़			2516	
	2013-14				
	अरुणाचल प्रदेश				
13.	हीरोंग	निजी	जेएपीएल	500	10.04.13
14.	इटालिन	निजी	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13
15.	तलोंग लोंडा	निजी	जीएमआर	225	16.08.13
16.	नेइंग	निजी	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.13
17.	सियान	निजी	एसएचपीपीपीएल	1000	08.10.13*
	उप-जोड़			5822	
	कुल			11208	

*सहमति बैठक आयोजित की गई। सहमति पत्र जारी किया जाना है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्र. सं.	स्कीम/राज्य	प्राप्ति का महीना	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	2	3	4	5
	जम्मू और कश्मीर			
1.	किरू	08/2012	660	डीपीआर दिनांक 8/2012 में प्राप्त हुई। इसके प्रस्तुतिकरण की बैठक 15.10.12 को आयोजित हुई तथा डीपीआर जांचाधीन है। डीपीआर की हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, विद्युत – निकासी डिजाइन फ्लड, अंतर्राज्य, जीएसआई एवं पॉडेज/जलाशय संबंधी पहलुओं की स्वीकृति मिल चुकी है।
2.	नया गंदरवाल	10/2012	93	दिनांक 27.11.2012 को प्रस्तुतिकरण बैठक हुई। डीपीआर की जांच चल रही है तथा हाइड्रोलॉजी, पीपीएस इंडस पानी उपचार, इलैक्ट्रीकल डिजाइन तथा परियोजना के परिव्यय की दृष्टि से, सीएमडीडी जीएसआई, सीएसएमआरएस की स्वीकृत मिल चुकी है।
3.	किरथई-I	01/13	390	दिनांक 02.05.2013 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक में विस्तृत जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृत कर दिया गया है तथा हाइड्रोलॉजी एवं पीपीएस पहलुओं से स्वीकृति हो चुकी है।
	हिमाचल प्रदेश			
4.	सेली	दिसम्बर-11	400	दिनांक 13.01.2012 को प्रस्तुतिकरण हुआ। डीपीआर को जांच के लिए ले लिया गया है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएसई एण्ड एम डिजाइन, सीएसडीडी इंस्ट्रूमेंटेशन, एफई एवं एसए विद्युत-निकासी, सीएसएसआरएस, अंतर्राष्ट्रीय एवं जीएसआई की स्वीकृति हो चुकी है एवं लागत, विद्युत-निर्माण, लिखित लागत एवं ग्रेट-डिजाइन के पहलुओं पर टिप्पणियों के जवाब की प्रतीक्षा है।
5.	चतरू	04/2012	126	डीपीआर 10.04.2012 को प्राप्त हुई। प्रस्तुति बैठक 1.07.2012 को आयोजित हुई। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस विद्युत-निकासी, इलेक्ट्रीकल डिजाइन एवं परियोजना परिव्यय इंस्ट्रूमेंटेशन, अंतर्राज्यीय, बीसीडी, एफई एंड एसए तथा जीएसआई की स्वीकृति हो चुकी है।
6.	सच खास	01/13	267	प्रस्तुतिकरण बैठक 21.02.2013 को आयोजित हुई तथा डीपीआर को विस्तृत जांच के लिए ले लिया गया है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, विद्युत-निर्माण एवं विद्युत निकासी एवं जीएसआई की स्वीकृति हो गई है। सीएसएमआरएस, सिविल-लागत, गेट-डिजाइन, कानूनी पहलु तथा गोल्फ पहलुओं पर

1	2	3	4	5
				टिप्पणियों के परियोजना – प्राधिकारियों को भेज दिया है। सीएमसी एवं एमओडब्ल्यूआर पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। एचसीडी-सीएमडीडी, एफई एंड सीए अंतर्राज्यीय इस्ट्रूमेंटेशन, टीसीडी, एफ एंड सीए, ई एंड एम डिजाइन पहले, ई एंड एम लागत पर टिप्पणियों के जबाव प्राप्त हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है।
7.	लुहरी	03/2013	588	588 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ संशोधित डीपीआर एसजेवीएनएल द्वारा दिनांक 15.3.2013 को प्रस्तुत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। हाइड्रालॉजी, पीपीएस, अंतर्राज्य, सीएमडीडी, गेट्स एफ ई एंड एसए तथा इस्ट्रूमेंटेशन की स्वीकृति हो गई है।
8.	चांगो यंगथाग	11/2013	180	डीपीआर को 11/2013 में जांच के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
	उत्तराखंड			
9.	जेलम तमक	12/2012	108	दिनांक 06.12.2012 को डीपीआर प्राप्त हुई तथा इसकी जांच की जा रही है। हाइड्रालॉजी, पीपीएस, जीएसआईएफई एंड एसए, संयंत्र योजना, ई एंड, के डिजाइन, विद्युत-निर्माण, आईएसएम, अंतर्राष्ट्रीय, इस्ट्रूमेंटेशन, और विद्युत-निकासी पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
10.	बोवला नंद प्रयाग	08/12	300	दिनांक 05.09.2008 को हाइड्रोलॉजी, 08.06.2010 को पीपीएस का अनुमोदन हुआ। अंतर्राज्यीय एफई एंड एसए, विद्युत-निकास, विद्युत-निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय इस्ट्रूमेंटेशन एवं गेट्स/एचएम पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
	बिहार			
11.	दगमारा	04/12	130	20.03.2013 को सहमति – बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष, सीईए से चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि परियोजना लागत एवं दरों में अधिकता के कारण प्राधिकरण द्वारा दगमारा जल विद्युत परियोजना की सहमति को स्वीकार नहीं किया जा सका है। बैठक में उठाए गए मुद्दे, केन्द्रीय जल आयोग एवं बिहार सरकार के प्रक्रियाधीन है। सहमति बैठक में सीएसएमआरएस द्वारा उठाए गए परिक्षणों को किया जा रहा है। आगे शेष परीक्षणों के संबंध में जीएसआई की टिप्पणियों को 29.08.2013 को विकासकर्ताओं को भेज दिया गया है। जवाब की प्रतीक्षा है।
	नागालैंड			
12.	दिखू	04/12	186	सीएसएमआरएस सिविल प्रमात्राओं एवं सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर सभी पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है।
	मेघालय			
13.	उनगोट	03/2013	240	प्रस्तुति बैठक 14.06.2013 को आयोजित हुई तथा 30.09.2013 को हाइड्रोलॉजी पहलुओं की स्वीकृति हो गई है। जीएसआई, सीएसएमआरएस,

1	2	3	4	5
				इस्ट्रूमेंटेशन, गेट्स, ई एंड एमआर कार्यों की लागत, सीएमडीडी, ई एंड एम कार्यों की लागत, सीएमडीडी, ई एंड एम डिजाइनों पर टिप्पणियों को भेज दिया गया है सीएसएमआरएस संबंधी जीएसआई पहलुओं के संबंध में जवाब प्राप्त हो गए है, तथा अन्य की प्रतीक्षा है।
14.	क्यूनशी-I	02/2013	270	22.2.2013 को डीपीआर प्राप्त हुई। 13.8.2013 को आरओआर के भंडारण से कन्वर्सन पर एसटीसी द्वारा परियोजना स्वीकृति हो गई है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, जीएसआई एवं विद्युत निकास के पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
	असम			
15.	लोअर कोपली	03/2013	120	मार्च, 2013 में एपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई। हाइड्रोलॉजी पहलुओं की स्वीकृति हो गई है। पीपीएस एवं ई एंड एम की लागत पर टिप्पणियां सितंबर, 2013 में विकासकर्ता को भेज दी गई है। सीएमडीडी पहलुओं पर टिप्पणियां अक्तूबर, 2013 में भेज दी गई है।
	अरुणाचल प्रदेश			
16.	कलई-II	04/2012	1200	10.4.2012 को डीपीआर प्राप्त हुई। डीपीआर जांच की अग्रिम चरण में है।
17.	डम्वे अपर	07/2012	1080	23.7.2012 को संशोधित डीपीआर प्राप्त हुई। आरओआर स्कीम से स्टोरेज स्कीम के कन्वर्जन पर एसटीसी पर दिनांक 29.11.2012 को हुई इसकी बैठक में परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है। डीपीआर, हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, सीएसएमआरएस, एफई एंड एसए, गेट्स, अंतर्राज्य इंस्ट्रूमेंटेशन एवं विद्युत निकासी पहलुओं से स्वीकृति कर दी गई है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
18.	तगुरशिट	07/2012	74	हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, अंतर्राज्यीय, सीएमडीडी, एचसीडी, इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट्स, विद्युत निकासी एवं ई एंड एम डिजाइन पहलुओं पर स्वीकृति मिल चुकी है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
19.	न्यूकचारोंग चू	01/2013	96	जनवरी, 2013 में डीपीआर प्राप्त हुई। 14.03.2013 को प्रस्तुतिकरण आयोजित हुआ। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, अन्तर-राज्य एवं कानूनी विद्युत निकासी को सीईए/सीडब्ल्यूसी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
20.	तातो-I	05/13	186	प्रस्तुतिकरण बैठक दिनांक 04.06.2013 को आयोजित की गई और जांच के लिए डीपीआर स्वीकृत की गई। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस और विद्युत निकासी पहलुओं को स्वीकृत किया गया। नदी के बांध से संबंधित तकनीकी आर्थिक अध्ययन जांच के अधीन है। सितंबर, 2013 में जीएसआई, एफई एवं एसए, बीसीडी पहलुओं पर उत्तर प्राप्त हो चुके

1	2	3	4	5
				हैं, अक्तूबर, 2013 में इस्ट्रूमेंटेशन एवं ई एंड एम डिजाइन के पहलुओं पर टिप्पणियां दी जा चुकी हैं।
21.	हियो	07/2013	240	जांच के अधीन है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस एवं विद्युत निकासी पहलु को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
22.	सुबानसिरी मध्य (कमला)	10/2013	1800	प्रस्तुतिकरण बैठक 19.11.2013 को आयोजित की गई थी। सीईए, सीडब्ल्यूसी और जीएसआई में जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
23.	मगोचू	10/2013	96	प्रस्तुतिकरण बैठक 19.11.2013 को आयोजित की गई थी। सीईए, सीडब्ल्यूसी और जीएसआई में जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
	कुल		8830	-

विवरण-IV

परियोजना प्राधिकरणों को लौटाई गई जल विद्युत स्कीम

(पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति के लिए सीईए में प्राप्त)

क्र. सं.	योजना/राज्य	प्राप्ति/लौटाने का माह	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	लौटाने के कारण/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बोगुडियार सिरकारी भ्योल उत्तराखंड	04/10 09/10	146	अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण लौटाई गई, सीईए द्वारा 28.4.11 को पीपीएस अनुमोदित, सीडब्ल्यूसी द्वारा 4.11.2010 को हाइड्रोलॉजी अनुमोदित।
2.	त्यूनी प्लासू उत्तराखंड	08/10 10/10	72	अपूर्ण भूगर्भीय अन्वेषणों, उच्च लागत इत्यादि के कारण लौटाई गई, सीईए तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा पीपीएस तथा हाइड्रोलॉजी 16.08.2012 तथा 03.11.2011 को अनुमोदित।
3.	नंद प्रयाग लांगसू उत्तराखंड	03/11 04/11	100	स्वीकृति बैठक 04.04.2011 को आयोजित हुई तथा उच्च लागत, अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों, सिविल संरचना अर्थात् बैराज, सर्जशॉफ्ट, बटरफ्लाई वाल्व इत्यादि के डिजाइन की समीक्षा के कारण डीपीआर लौटाई गई। संशोधित डीपीआर अभी मिलनी है। हाइड्रोलॉजी अभी अनुमोदित नहीं है। सीएसएमआरएस तथा फाउंडेशन अभियांत्रिकी पर टिप्पणियों के उत्तर 07.09.12 को प्राप्त हुए।

1	2	3	4	5
4.	बारा भंगल हिमाचल प्रदेश	06/11 06/11	200	स्वीकृति बैठक 28.06.2011 को आयोजित हुई। अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषण, पर्यावरणीय एवं वन्यजीव मुद्दों, आईसी एवं लागत की समीक्षा के कारण डीपीआर लौटाई गई।
5.	हुतोंग-II एचईपी अरुणाचल प्रदेश	02/12	1200	प्रस्तुतिकरण 23.03.2012 को हुआ तथा डीपीआर को जांच के लिए लिया गया है। डीपीआर को 24.05.2012 को लौटाया गया क्योंकि, स्कीम को एक भंडारण स्कीम के रूप मे विकसित किया जाना है। हाइड्रोलॉजी एवं पीपीएस 09.05.2011 तथा 23.03.2011 को स्वीकृत की गई।
6.	कलई-I अरुणाचल प्रदेश	01/12 05/12	1352	एसटीसी ने निर्णय लिया था कि मैसर्स एमएफआईपीएल सीईए के दिनांक 24.05.12 के पत्र के अनुसार संशोधित डीपीआर के लिए विस्तृत अन्वेषण करें।
7.	किरथई-II जम्मू और कश्मीर	04/11 09/12	990	विभिन्न कारणों से लौटाई गई जिनमें मानसून तथा गैर-मानसून अवधि के दौरान विचार किए जाने के लिए पर्यावरणीय प्रवाह के कारण विद्युत योजना पहलुओं में संशोधन, उच्च लागत अनुमान तथा चालू मूल्य स्तर पर लागत का संशोधन शामिल है।
8.	पेमाशेल्फू अरुणाचल प्रदेश	07/11 02/13	90	टिप्पणियों के उत्तर न मिलने तथा परियोजना से बांध के लाभों के स्थान में संभावित परिवर्तन के कारण परियोजना की डीपीआर लौटाई गई।
9.	क्वार जम्मू और कश्मीर	07/2012 10/2012	560	एचआरटी के विन्यास की समीक्षा, लूपिंग सर्ज गैलरियों के स्थान पर सर्जशॉफ्ट के प्रावधान, विद्युत गृह के पुन: स्थान निर्धारण एवं टीआरटी की लम्बाई में कमी के कारण लौटाई गई।
10.	सिवासामुद्रम/कर्नाटक	04/2012 05/2012	345	प्रस्तुतिकरण बैठक 16.05.2012 को आयोजित की गई, चूंकि इसमें अंतर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं अत: डीपीआर पर कार्यवाई नहीं की जा सकती तथा इसे लौटा दिया गया।
11.	यामने चरण-II अरुणाचल प्रदेश	03/11 05/11	84	बांध स्थल, डाएवर्जन सुरंग, सर्जशॉफ्ट तथा विद्युत गृह के इत्यादि में अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई।
12.	जिमलियांग अरुणाचल प्रदेश	04/2012 06/2013	80	03.05.2013 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक के दौरान अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई। विकासकर्ता को कहा गया था कि आवश्यक अन्वेषण करवाने तथा सीईए से आईसी निर्धारित करवाने के पश्चात् संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें।
13.	रायगम अरुणाचल प्रदेश	04/2012 06/2013	141	03.05.2013 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक के दौरान अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई। विकासकर्ता को कहा गया था

1	2	3	4	5
				कि आवश्यक अन्वेषण करवाने तथा सीईए से आईसी निर्धारित करवाने के पश्चात् संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें।
14.	कांगतांग श्री अरुणाचल प्रदेश	05/2013 07/2013	80	अपर्याप्त अन्वेषण और अनुचित विन्यास इत्यादि के कारण 29.07.13 को लौटा दिया गया।
	कुल		5440	

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्र. सं.	स्कीम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति
	2010-11				
	हिमाचल प्रदेश				
1.	कुटेहर	निजी	एसडब्ल्यूईपीएल	240	31.08.10
2.	सैंज	राज्य	एचपीपीसीएल	100	29.12.10
	सिक्किम				
3.	तीस्ता स्टेज-IV	केन्द्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10
4.	पनन	निजी	एचएचपीएल	300	07.03.11
	हिमाचल प्रदेश				
5.	बजोली होली	निजी	जीएमआर	180	30.12.11
	उप-जोड़			1340	
	2011-12				
	आंध्र प्रदेश				
6.	इंदिरासागर (पोलावाराम)	राज्य	एपीजीईएनसीओ	960	21.02.12
	मिज़ोरम				
7.	कोलोडाइन स्टेज-II	केन्द्रीय	एनटीपीसी	460	14.09.11
	उप-जोड़			1420	
	कुल			2760	

पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

37. श्री अब्दुल रहमान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेलकर्मियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। रेलकर्मियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निकालने (साइफनिंग) के कुछ छुट-पुट मामले रेलवे की जानकारी में आए हैं। इन मामलों में लिप्त पाए गए रेलकर्मियों को रेलवे संपत्ति (गैर-कानूनी रूप से कब्जा करना) अधिनियम, 1966 के तहत बुक किया गया है।

भारतीय रेलवे में गत तीन वर्षों में रेलकर्मियों द्वारा निकालने (साइफनिंग) के मामले निम्न हैं:—

वर्ष	भारतीय रेलवे में रेलकर्मियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की साइफनिंग के मामले	दोषी रेलकर्मियों पर दायर मामलों की संख्या
2010	8	8
2011	2	2
2012	0	0

(ग) इस अपराध को रोकने के रेलवे द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं:—

1. पेट्रोलियम उत्पादों सहित कीमती सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों की रेलवे सुरक्षा बल द्वारा खतरनाक और प्रभावित सेक्शनों में सुरक्षा की जा रही है।

2. पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाली मालगाड़ियों के साथ आपराधिक दखलंदाज़ी को रोकने के लिए संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थानों पर हथियारबंद पिकेट बनाई गई है।

3. ऑयल टैंक फार्मेशन के आवागमन की निगरानी की जाती है और टैंक वैगनों की सुरक्षा के लिए गार्डों और रास्ते के स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

4. अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्यवाई के अलावा पकड़े गए रेलकर्मियों पर रेल संपत्ति (गैर-कानूनी रूप से कब्जा करना) अधिनियम के तहत मामला दायर किया गया है।

5. स्थानीय पुलिस की सहायता से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर अपराध सजगता केन्द्रित की गई है और रेल संपत्ति को लेने वालों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं।

6. रेल संपत्ति की चोरी/छेड़छाड़ के मामलों को रोकने/पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ एक सघन (क्लोज) समन्वय स्थापित किया गया है।

विद्युत फर्मों के लिए उपस्कर

38. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियां स्वदेशी विनिर्माताओं से विद्युत उपस्करों की खरीद कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों (पीएसयू) द्वारा कार्यान्वित विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिकतर मुख्य संयंत्र उपकरणों (बायलर और टरबाइन जेनेरेटर) का प्रापण घरेलू विनिर्माताओं अर्थात मैसर्स भेल और देश में सुपर क्रिटिकल बायलर और टरबाइन जेनेरेटरों के विनिर्माण के लिए देश में स्थापित संयुक्त उद्यमों/अन्य विनिर्माताओं से किया जा रहा है।

विभिन्न पीएसयू द्वारा निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की गई आपूर्ति) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप परियोजनाएं, तथा जहां बॉयलर/टीजी के आदेश स्वदेशी निर्माताओं को दिए गए हैं

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय क्षेत्र					
असम	बोंगाईगांव	एनटीपीसी	यू-1	250	12/2014
			यू-2	250	05/2015
			यू-3	250	10/2015
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-4	660	12/2013
			यू-5	660	09/2014
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपैं.	एनटीपीसी	यू-3	195	09/2014
			यू-4	195	03/2015
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	03/2015
			यू-2	250	07/2015
			यू-3	250	11/2015
			यू-4	250	03/2016
बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	660	02/2017
			यू-2	660	08/2017
			यू-3	660	02/2018
छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800	03/2017
			यू-2	800	09/2017
झारखंड	बोकारो टीपीएस 'क' एक्सपैं.	डीवीसी	यू-1	500	03/2015
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	एनटीपीसी	यू-1	800	06/2016
			यू-2	800	12/2016
			यू-3	800	06/2017
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-3	660	05/2016
			यू-4	660	11/2016

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	660	05/2016
			यू-2	660	11/2016
मध्य प्रदेश	गडरवारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800	04/2017
			यू-2	800	10/2017
मध्य प्रदेश	विन्ध्याचल टीपीपी-V	एनटीपीसी	यू-13	500	01/2016
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.		यू-2	250	03/2014
तमिलनाडु	तूतोकोरिन जेवी	एनएलसी	यू-1	500	03/2014
			यू-2	500	06/2014
तमिलनाडु	वल्लुर टीपीपी-II	एनटीईसीएल	यू-3	500	02/2014
त्रिपुरा	मौनार्चक सीसीपीपी	नीपको	जीटी	61.3	01/2014
			एसटी	39.7	05/2014
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओटीपीसी	मॉड्यूल-2	363.3	12/2013
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660	06/2016
			यू-2	660	12/2016
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-II	डीवीसी	यू-1	660	08/2017
			यू-2	660	01/2018
		उप-जोड़		19534.3	
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीएस	एपीपीडीएल	यू-1	800	03/2014
			यू-2	800	10/2014
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीएस एक्सटें.	एपजैंको	यू-1	600	07/2014
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा स्टे.-III यू-6	एपजैंको	यू-6	600	12/2015
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी	70	06/2014
			एसटी	30	09/2014
बिहार	बरौनी टीपीपी	बीएसईबी	यू-1	250	05/2016
			यू-2	250	10/2016

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	यू-1	500	02/2014
			यू-2	500	07/2014
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	एसटी-2	250	01/2014
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	यू-1	250	09/2014
			यू-2	250	12/2014
गुजरात	पीपीवाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	351	01/2014
गुजरात	सिक्का टीपीएस एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-3	250	04/2014
			यू-4	250	07/2014
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III	केपीसीएल	यू-3	700	03/2015
कर्नाटक	एदलापुर टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800	03/2017
कर्नाटक	यरमारुस टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800	12/2015
			यू-2	800	06/2016
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	500	03/2014
			यू-9	500	01/2015
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-10	680	04/2015
			यू-8	660	04/2014
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-9	660	10/2014
महाराष्ट्र	पर्ली टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	250	02/2014
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजैंको	यू-2	600	03/2014
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	यू-11	250	12/2013
राजस्थान	छाबरा टीपीएस एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	यू-4	250	03/2014
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें.-III	आरआरवीयूएनएल	एसटी	50	01/2014
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	यू-6	500	06/2014
			यू-7	500	10/2014
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें.	डीपीएल	यू-8	250	03/2014
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें. यू-8	डीपीएल	यू-8	250	01/2014

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस-II	डब्ल्यूबीपीसीएल	यू-3	500	10/2014
			यू-4	500	02/2015
			उप-जोड़	15981	
			कुल	35515.3	

विवरण-II

12वीं योजना एवं इसके आगे के लिए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के टीजी सेट (स्वदेशी)

क्र. यं.	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (संख्या मेगावाट)	लाभ (मेगावाट)	टीजी सेट के निर्माणकर्ता/ आपूर्तिक र्ता	आदेश की तिथि
1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र				
	बीएचईएल इकाई				
1.	पार्वती-2 (एनएचपीसी), (हिमाचल प्रदेश)	4×200	800.0	बीएचईएल	24.12.02
2.	पार्वती-3 (एनएचपीसी), (हिमाचल प्रदेश)	4×130	520.0	बीएचईएल	29.12.06
3.	कोल डम (एनएचपीसी) (हिमाचल प्रदेश)	4×200	800.0	बीएचईएल, तोसीबा एवं मारूबेनी	07/2004
4.	रामपुर (एसजीवीएनएल) (हिमाचल प्रदेश)	6×68.67	412.0	बीएचईएल	16.09.08
5.	किशनगंगा (एनएचपीसी), उत्तर प्रदेश	3×110	330.0	बीएचईएल	22.01.09
6.	तपोवन विणुगढ़ (एनएचपीसी), उत्तर प्रदेश	4×130	520.0	बीएचईएल	01/2008
7.	लता तपोवन, उत्तराखंड	3×57	171	बीएचईएल	12/2012
8.	तीस्ता लो डैम-4 (एनएचपीसी), पश्चिम बंगाल	4×40	160.0	बीएचईएल	10.05.07
9.	कार्मेग (एनईईपीसीओ), आंध्र प्रदेश	4×150	600.0	बीएचईएल	03.12.04
10.	तूरियल (एनईईपीसीओ), मिज़ोरम	2×30	60.00	बीएचईएल	25.10.03 01.08.11 (संशोधित)
	उप-कुल-बीएचईएल		4373.00		

1	2	3	4	5	6
	अन्य इकाई				
11.	उरी-2 (एनएचपीसी), जम्मू और कश्मीर	4×60	60.0	अलैस्टोम, इंडिया एवं फ्रांस	29.12.06
12.	सुभानसिरी लोअर (एनएचपीसी), आंध्र प्रदेश	8×250	2000.0	अलैस्टोम, फ्रांस एवं इंडिया	11.02.05
13.	पेर (एनईईपीसीओ), आंध्र प्रदेश	2×55	110.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.10.10
	उप-कुल-अन्य		2170.0		
	उप-कुल (केंद्रीय क्षेत्र)		6543.0		
	राज्य क्षेत्र				
	बीएचईएल इकाई				
14.	यूएचएल-3 (हिमाचल प्रदेश)	3×33.33	100.0	बीएचईएल	15.02.07
15.	नागार्जुन सागर तल, आंध्र प्रदेश	2×25	50.0	बीएचईएल	03.05.06
16.	पुलिचिंताला, आंध्र प्रदेश	4×30	120.0	बीएचईएल	25.05.07
	उप-कुल-बीएचईएल		270.00		
	अन्य इकाई				
17.	बगलिहार-2, जम्मू और कश्मीर	3×150	450.00	वयथ-एंड्रिटज कांसोडियम जर्मनी एंड इंडिया	31.03.12
18.	किशांग-1 (हिमाचल प्रदेश)	2×32.5	65.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.12.10
19.	किशांग-2 एवं 3, हिमाचल प्रदेश	2×65	130.00	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.12.10
20.	सवारा कुड्डू, हिमाचल प्रदेश	3×37	111.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	05.02.09
21.	सेंज, हिमाचल प्रदेश		100.00	वयथ हाइड्रो, इंडिया	17.08.11
22.	लोवर जूराला, आंध्र प्रदेश	6×40	240.00	एलैस्टोम, इंडिया	09.06.08
23.	नई उमतरू, मेघालय	2×20	40.00	वी.ए. टेक, इंडिया	25.02.09
	उप-कुल अन्य		1136.0		
	उप-कुल (राज्य क्षेत्र)		1406.0		
	कुल		7949.0		

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नहरें

39. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कई नहरों के सूखने के कारण किसानों को अपने खेत सींचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऐसी नहरों, जिनमें पानी है और ऐसी नहरों, जो सूख गई हैं, की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ग) क्या इन नहरों से किसानों को तब पानी उपलब्ध कराया जाता है जबकि इसकी जरूरत नहीं होती है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र की कई नहरें सूख गई हैं, जिसके कारण किसानों को उनके खेतों की सिंचाई करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहर सिंचाई परियोजनाओं को परियोजनाओं के संबंधित बांधों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 15.10.2013 की स्थिति के अनुसार बांधों में कुल सक्रिय भंडारण 86% है। जल की कमी केवल मराठवाड़ा की मंजरा, निचली तेरना और सीना-कोलेगांव परियोजना के मामले में सूचित की गई है, जहां वास्तविक सक्रिय भंडारण शून्य है और निष्क्रिय भंडारण में जो भी जल उपलब्ध है उसका पेयजल उद्देश्य से संरक्षण किया जा रहा है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के लाभार्थियों के साथ यथोचित रूप से चर्चा करने के बाद सिंचाई मौसम अर्थात् खरीफ, रबी आदि के प्रारंभ में जल के नियमित आवर्तन की आयोजना की जा रही है और वास्तविक रूप से जल छोड़े जाने से पहले सभी संबंधित लाभार्थियों को सूचित कर दिया जाता है।

साप्ताहिक रेल को दैनिक रेल में परिवर्तित करना

40. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की मांग को देखते हुए साप्ताहिक रेल संख्या 16734 और 16733 जोकि ओखा एवं रामेश्वरम के बीच चलती है और मनमाड, नान्देड़ और सिकंदराबाद होती हुई जाती है, को दैनिक रेल में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) इस समय 16733/16734 रामेश्वरम-ओखा एक्सप्रेस एक साप्ताहिक सेवा के रूप में चल रही है। इस समय इसके फेरों को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करना परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

बोइंग 777-220 एलआर

41. श्री पी. कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया पांच बोइंग बोइंग 777-220 एलआर विमानों को बेचने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने उक्त विमानों को खरीदने में रुचि रखने वाले खरीददारों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।, प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया ने क्रेता के साथ आशय पत्र पर इस शर्त के साथ हस्ताक्षर किए हैं कि विक्रय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा।

[हिन्दी]

प्रतीक्षा सूची वाले यात्री

42. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों संबंधी नियमों में परिवर्तन करने से यात्रियों की समस्याएं बढ़ जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के रेलवे आरक्षण केन्द्रों से भी खरीदे गए किसी भी प्रकार के प्रतीक्षा सूची वाले टिकट की ट्रेन में कोई वैधता नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) आरक्षित रेलडिब्बों में प्रतीक्षासूची वाले यात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने संबंधी नियमों में हालिया वर्षों में कोई आशोधन नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान निर्देशानुसार, यदि आरक्षित डिब्बे में कोई शायिका खाली न हो तो प्रतीक्षासूची वाले/अनारक्षित यात्रियों को उस डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती। प्रतीक्षासूची वाली आरक्षित टिकट (ई-टिकटों के अलावा) वाले यात्री चल टिकट परीक्षक की पूर्व अनुमति से आरक्षित डिब्बों में चढ़ सकते हैं बशर्ते खाली शायिकाएं उपलब्ध हों। यदि प्रतीक्षासूची वाले और अनारक्षित यात्री आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करते पाए जाते हैं, तो रेल अधिनियम की धारा 155 के अंतर्गत उन्हें आरक्षित डिब्बों से बाहर कर दिया जाता है। प्रतीक्षासूची वाली टिकट से संबंधित वर्तमान नियम, वास्तविक यात्रियों द्वारा बुक की गई आरक्षित शायिकाओं पर अनाधिकृत कब्जे को रोकना है। आरक्षित डिब्बों में प्रतीक्षासूची वाले यात्रियों को अनुमति देने से आरक्षित टिकटों वाले वास्तविक यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होगी।

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत परियोजना को गैस का आबंटन

43. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाभोल विद्युत परियोजना को बारी से पहले नए गैस क्षेत्रों से गैस आबंटन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो कि इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 18000 मेगावाट वाले विद्यमान गैस-चालित संयंत्रों और अन्य निर्माणाधीन 7000 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्रों के लिए ईंधन पर रोक लग जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं, इस संबंध में सरकार द्वारा इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मेरठ में विमानपत्तन

44. श्री कादिर राणा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ से अब तक घरेलू उड़ानों को आरंभ नहीं करने के कारण क्या हैं और जहां हवाईपट्टी भी विद्यमान है; और

(ख) सरकार का विचार कब से मेरठ एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) मेरठ हवाईपट्टी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है तथा किसी भी एयरलाइन ने अभी तक इस शहर से उड़ानों के प्रचालन के लिए अनुरोध नहीं किया है।

(ख) घरेलू सेक्टर पर उड़ान प्रचालनों को विनियमित कर दिया गया है तथा एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यह एयरलाइन ऑपरेटरों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

ब्याज की विभेदक दर पर गृह ऋण

45. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज की विभेदक दर पर रुपए 20,000 का गृह ऋण राज्य सरकार की गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही आवास योजनाओं के हिताधिकारियों को इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की तरह ही उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अलावा ब्याज की विभेदक दर की योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा

प्रायोजित आवास सहायता योजनाओं के गरीबी रेखा से नीचे के हिताधिकारियों को भी दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंदिरा आवास योजना के अनुसार ब्याज की विभेदक दर पर ऋण के लिए रुपए 20,000 की सीमा को रुपए 50,000 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकार आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों के लिए विभेदक दर के तहत ऋण उपलब्ध नहीं है। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के लिए यह प्रावधान आरबीआई अनुदेशों के अनुसार बनाए गए हैं!

(ग) और (घ) फिलहाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित आवास योजना के बीपीएल लाभार्थियों को डीआरआई योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार

46. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग की निगरानी करने और उसे रोकने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (मनरेगा) के तहत पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान प्रति वर्ष रोजगार पाने वाले परिवारों तथा सृजित श्रम दिवसों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है!

(ख) और (ग) मनरेगा में रोजगार प्रदान करने के लिए मांग प्रेरित एवं अधिकार आधारित कार्यक्रम का प्रावधान है। हालांकि पिछले तीन वर्षों में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में कमी आई है, लेकिन काम की वास्तविक मांग कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसेकि मनरेगा से बाहर पारिश्रमिक प्रदान करने वाले वैकल्पिक रोजगारों की उपलब्धता, वर्षा, ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी/शहरी क्षेत्रों में मौजूदा अकुशल मजदूरी दरें, अर्द्ध-शहरी/शहरों के आसपास/शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क तथा राज्य द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तरीका भी इनमें शामिल है। केन्द्र सरकार काम की मांग का नियमित पंजीकरण तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित करने के कार्य में राज्यों का मार्गदर्शन कर रही है।

(घ) से (च) शिकायतों का सत्यापन करके उन पर कार्रवाई करने के लिए शिकायतों के निपटान, सामाजिक लेखा-परीक्षा के आयोजन, गुणवत्ता नियंत्रण, ओमबड्समेन, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं तथा राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों द्वारा निगरानी की व्यापक प्रणालियां मौजूद हैं। ऐसी समीक्षा बैठकों और दोरों के निष्कर्षों और रिपोर्टों की जानकारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को दी जाती है, ताकि वे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें। शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया विधि (एसओपी) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दी गई है तथा वेबसाइट www.nrega.nic.in पर दर्शाई गई है। पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

- मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के परामर्श से मनरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी है।
- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने तथा ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों या डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी का वितरण (यदि विशेष छूट न दी गई हो) सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया।
- मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक समयावधि को कम करने के लिए राज्य सरकारों को इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (e-FMS) शुरू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- मजदूरी वितरण का संस्थागत प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन से बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कारेसपोंडेंट मॉडल शुरू करने के अनुदेश राज्य सरकारों को दिए गए हैं।

- मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों की रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी के भुगतान की समय-सारणी का सुझाव दिया गया है।
- मनरेगा के लिए समर्पित कर्मचारियों की तैनाती, सामाजिक लेखा-परीक्षा, शिकायत निपटान के लिए प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक सहायता संरचनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई।
- जॉब कार्डों, मस्टररोल, मांगे गए रोजगार और काम के दिनों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/उपयोग में लाई गई निधियों, सामाजिक लेखा-परीक्षा में निष्कर्षों, शिकायतों के पंजीकरण इत्यादि के आंकड़ें जांच के लिए 'जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस शुरू की गई है। कार्यों के फोटों अपलोड करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- मौजूदा जॉब कार्डों पर फोटो लगाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मस्टरोल में छेड़छाड़ और उनके दरुपयोग के मामलों की रोकथाम के लिए ई-मस्टररोल शुरू करें।
- सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समेन नियुक्त करें।
- इस योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित कर दी गई हैं।

विवरण

रोजगार पाने वाले परिवारों तथा सृजित श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	रोजगार पाने वाले परिवार (संख्या)				सृजित श्रम दिवस (लाख में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6200423	4998016	5816077	5058001	3351.61	2939.34	3238.85	1902.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	134527	4443	115869	36484	31.12	0.73	33.41	9.17
3.	असम	1798372	1349078	1234827	802228	470.52	352.63	314.04	133.46
4.	बिहार	4738464	1769469	2086394	1220855	1602.62	682.16	940.97	417.36
5.	छत्तीसगढ़	2485581	2725027	2637498	1853669	1110.35	1206.76	1194.01	579.47
6.	गुजरात	1096223	822080	681028	338288	491.84	313.00	281.90	108.72
7.	हरियाणा	235281	277748	294142	206723	84.2	109.36	128.87	59.79
8.	हिमाचल प्रदेश	444247	505467	514461	359689	219.46	270.13	262.02	121.27
9.	जम्मू और कश्मीर	492277	431152	646516	178923	210.68	209.10	365.56	58.97
10.	झारखंड	1987360	1574657	1418470	840541	830.9	609.71	566.40	267.39
11.	कर्नाटक	2224468	1652116	1337800	479967	1097.85	701.03	621.81	168.72
12.	केरल	1175816	1416441	1526283	1190898	480.34	633.10	837.74	333.54
13.	मध्य प्रदेश	4407643	3879959	3497940	1278491	2198.18	1688.98	1387.58	309.86
14.	महाराष्ट्र	451169	1504521	1624237	839707	200	772.02	871.74	314.72
15.	मणिपुर	433856	356264	456910	315942	295.61	224.07	285.11	27.30
16.	मेघालय	346149	335182	330044	234883	199.81	167.75	167.19	74.73
17.	मिज़ोरम	170894	168711	174884	167928	165.98	130.60	153.56	65.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	नागालैंड	350815	372849	386520	359142	334.34	296.61	245.31	70.31
19.	ओडिशा	2004815	1378597	1599276	1197291	976.57	453.75	546.01	334.12
20.	पंजाब	278134	245453	240191	207795	75.4	64.52	65.50	45.46
21.	राजस्थान	5859667	4522234	4217342	2838689	3026.22	2120.55	2203.38	1053.59
22.	सिक्किम	56401	54684	56634	37306	48.14	32.88	36.31	12.03
23.	तमिलनाडु	4969140	6343339	7061409	5621416	2685.93	3015.75	4081.44	2349.94
24.	त्रिपुरा	557055	566770	596530	565267	374.51	489.74	518.51	197.49
25.	उत्तर प्रदेश	6431213	7327738	4947416	3973556	3348.97	2673.36	1411.85	1069.91
26.	उत्तराखंड	542391	469285	439791	160170	230.2	198.98	192.00	45.25
27.	पश्चिम बंगाल	4998239	5516968	5817122	2786844	1553.08	1495.94	2018.39	460.27
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17636	19300	12602	6090	4.03	8.30	6.61	1.40
29.	दादरा और नगर हवेली	2290	एनआर	एनआर	एनआर	0.47	एनआर	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	13897	11167	5056	2031	3.7	3.11	0.68	0.29
32.	लक्षद्वीप	4507	3871	1851	407	1.34	1.65	0.49	0.08
33.	पुदुचेरी	38118	42546	41286	34536	11.27	10.79	8.67	6.59
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	54947068	50645132	49816406	33193757	25715.24	21876.36	22985.91	10598.86

निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

47. श्री नरेनभाई काछादिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्धारित समय-सारणी का पालन न करने के संबंध में निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी विमान कंपनियों पर दंड आरोपित करने के लिए कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) सामान्यत: असंतुष्ट यात्रियों की शिकायतें एयरलाइनों में दर्ज की जाती है। संबंधित एयरलाइनें शिकायतों के निवारण के लिए सुधारात्मक कदम उठाती हैं। तथापि, कुछ यात्री मामला नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में उठाते हैं। ऐसी शिकायतें संबंधित एयरलाइनें को अग्रेषित की जाती हैं ताकि वे सीधे शिकायकर्ता के साथ शिकायतों का निवारण करें।

(ग) और (घ) डीजीसीए ने 'बोर्डिंग की मनाही, उड़ानों के रद्दकरण

तथा उड़ानों में देरी होने पर एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), धारा-3, शृंखला 'एम', भाग-IV जारी की हैं।

उक्त सीएआर डीजीसीए की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है।

बोर्डिंग की मनाही/रद्दकरण या अधिक देरी होने पर यदि यात्री को सीएआर में सूचीबद्ध क्षतिपूर्ति, उपयुक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती तो वह सीधे एयरलाइंस में शिकायत कर सकता है। यदि एयरलाइंस अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाती तो यात्री संगत लागू कानूनों के तहत गठित सांविधिक निकायों में शिकायत कर सकता है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों की बुरी स्थिति

48. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन बुरी स्थिति में हैं और वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन रेलवे स्टेशनों पर तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी साफ सफाई हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोई भी रेलवे स्टेशन खराब स्थिति में नहीं है और दिल्ली क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार/संवर्धन/अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। दिल्ली क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई के उचित मानक बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, रेलवे परिसरों में साफ-सफाई और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए रेल अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

निधियों का आबंटन

49. श्री पी.के. बिजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे के त्रिवेन्द्रम और पालघाट मंडलों को आबंटित निधियों की वर्ष-वार कुल राशि कितनी है;

(ख) इन निधियों के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों में से कोई राशि अन्य मंडलों को विपणित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे की बजट बनाने वाली इकाईयां जोन और उत्पादन इकाईयां हैं और इसलिए आबंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा जोन-वार रखा जाता है। त्रिवेन्द्रम और पालघाट मंडल दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में योजना और गैर-योजना सेगमेंट के तहत दक्षिण रेलवे को आबंटित तथा खर्च की गई शुद्ध राशि नीचे दी गई है:—

(करोड रुपए में)

वर्ष	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	उपयोगिता का प्रतिशत
गैर-योजना खर्च			
2010-11	4739	4795	101.2
2011-12	5340	5063	94.8
2012-13	5750	5753	100.1
2013-14	6448	—	—
योजना खर्च			
2010-11	2217	2125	95.8
2011-12	2554	2506	98.1
2012-13	2880	2798	97.2
2013-14	2003	—	—

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विद्युत संयंत्र

50. श्री अशोक कुमार रावत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बिल्हौर, हरदोई और सीतापुर क्षेत्रों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में कब तक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है और इस पर कितना अनुमानित खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ने बिल्हौर (जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश) के निकट 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) का एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। एनटीपीसी उत्तर प्रदेश के हरदोई तथा सीतापुर जिलों में किसी परियोजना के लिए प्रयास नहीं कर रहा है।

बिल्हौर परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट को एनटीपीसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। ईंधन की व्यवस्था की जा चुकी है। जल लिंकेज के लिए आवेदन कर दिया गया है। सारी स्वीकृतियां मिल जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से निवेश संबंधी अनुमोदन मांगा जाएगा। उसके बाद लागत निर्धारित की जाएगी।

स्वच्छ पेयजल

51. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में शामिल नहीं की गई बिहार की बसावटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिहार हेतु अपेक्षित धनराशि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है या इस संबंध में बिहार राज्य सरकार से कोई आकलन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार राज्य सरकार गत तीन वर्षों के दौरान पेयजल और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के लिए इसे आबंटित निधियों की कुल धनराशि का उपयोग नहीं कर पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारणों और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) बिहार राज्य की सभी ग्रामीण बसावटों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में शामिल किया गया है।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को निधियां संस्वीकृत मानदंडों के अनुसार, आबंटित की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं: राज्य की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को 40%, राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध ग्रामीण आबादी को 10%, राज्यों में मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रस्तावित क्षेत्र कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं विशेष प्रकार की पहाड़ी क्षेत्रों को 40% अधिमानता तथा प्रबंधन अंतरण सूचकांक द्वारा अधिमान्य ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण आबादी हेतु 10% अधिमानता प्रदान की गई है।

बिहार राज्य सरकार से अभी तक कोई आकलन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार राज्य के व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आरंभिक शेष	आबंटन	जारी	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
2010-11	578.10	341.46	170.73	425.91	56.88
2011-12	322.92	374.98	330.02	367.30	56.25
2012-13	285.65	484.24	224.30	293.09	57.47

राज्यों को जारी की गई राशि के व्यय न किए जाने के संबंध में जो कारण आड़े आए हैं, उनमें राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलम्ब, बहु ग्राम योजनाओं को शुरू करना जिन्हें पूरा करने में 2-3 वर्षों का समय लगता है, चुनावों/उप-चुनावों की घोषणा के कारण मानक आचरण संहिता लागू होना आदि कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, दिनांक 01.04.2013 तक की स्थिति के अनुसार, व्यय न की गई अतिरिक्त शेष राशि का राज्य द्वारा उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् ही राज्य को

एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन की पूरी प्रथम किस्त जारी की जाएगी मंत्रालय ने, बिहार सहित अन्य राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई व्यय न की गई राशि के व्यय में तेजी लाने के लिए भी लिखा है। इसके लिए मंत्रालय, राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई वित्तीय रिपोर्ट के जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय, ग्रामीण जलापूर्ति के राज्य प्रभारी सचिवों के लिए सम्मेलनों का आयोजन करके, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसों आदि का संचालन करके, इस कार्यक्रम की आवधिक रूप से समीक्षा करके निधियों के उचित उपयोग की निगरानी भी करता है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/तकनीकी अधिकारी, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का अवलोकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	वर्ष के दौरान व्यय	उपलब्ध निधि की तुलना में उपयोग का %	व्यय न की गई राशि
2010-11	9373.95	11259.76	20633.71	12421.48	60.20	8212.22
2011-12	8212.23	17219.09	25431.32	16761.44	65.91	8669.88
2012-13	8669.88	47814.55	56484.43	22012.58	38.97	34471.85

व्यय न की गई राशि की अधिकता के कारण हैं:—

- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों में हुए परिवर्तनों के कारण कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई, जिसके कारण अतिरिक्त सहायता के लिए मनरेगा के साथ तालमेल बैठाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी।
- आधारभूत स्तरों पर अपर्याप्त क्षमता निर्माण।
- संस्थानात्मक अवसंरचना का अभाव।
- आवर्ती निधि की विद्यमानता, जो अधिशेष के रूप में राज्य के पास रहती है।

[अनुवाद]

टिकट बुकिंग

52. **श्री शिवराम गौडा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यात्रियों को नकली रेल टिकट और पहचान-पत्र जारी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिकट बुकिंग घोटाले के संबंध में रेलवे ने कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) उत्तर रेलवे की सतर्कता टीम ने जाली पहचान पत्रों सहित जाली टिकटों की बिक्री करने की एक घटना का पता लगाया।

उत्तर रेलवे द्वारा पता लगाए गए मामले में, दक्षिणी दिल्ली में एक अप्राधिकृत एजेंट ने पूर्व मध्य रेलवे स्थित छोटे पीआरएस केन्द्रों से अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले दिन फर्जी नामों से अग्रिम में पीआरएस टिकट बुक किए। इसके बाद इन टिकटों को फर्जी नामों से उनके द्वारा तैयार किए गए फर्जी पहचान पत्रों के साथ मिलते जुलते आयु वर्ग इच्छुक यात्रियों को बेच दिया गया इन अप्राधिकृत एजेंटों को रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली कैंट को सौंप दिया गया और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के अंतर्गत उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।

क्षेत्रीय रेलों को यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि आरक्षित डिब्बों की निगरानी कर रहे टिकट चैकिंग कर्मचारियों को ज्यादा सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्रियों के निर्धारित आईडी साक्ष्य की उचित/थ्रू चैकिंग करने की सलाह दी जाए। क्षेत्रीय रेलों को छोटे स्थानों जहां कार्यभार तुलनात्मक रूप से कम है के पीआरएस काउंटर के बुकिंग पैटर्न को मॉनीटर करने और असामान्यताओं का पता चले तो उपयुक्त कार्रवाई करने की भी सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

ऊपरी यमुना समीक्षा समिति

53. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बैठक में किन राज्यों ने भाग लिया;

(ग) बैठक में जिन विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की पांचवीं बैठक हाल ही में दिनांक 28.05.2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने की थी।

(ख) बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

(ग) और (घ) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है और मसलों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए राज्य के साथ संपर्क कर रहा है।

विवरण

ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 28 मई, 2013 को नई दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दे

क्र.सं.	मुद्दा	निर्णय/स्थिति
1	2	3
1.	विनियमन, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) का एक कार्य है, इसलिए यूवाईआरबी को अपने दायित्वपूर्ण कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के कार्यों में यह भी शर्त है कि "प्रत्येक संरचना के विषय में हुए समझौतों के अनुसार नियंत्रण संरचनाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधित राज्यों के पास रहेगा"।
2.	ताजे वाला के रास्ते राजस्थान को जलापूर्ति।	राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों को मुद्दा परस्पर निपटाने का एक और अवसर दिया जाता है।
3.	भंडारणों के निर्माण हेतु प्रारूप समझौता।	(क) लखवर परियोजना के भंडारण की हिस्सेदारी हेतु प्रारूप समझौते पर राज्य अपने विचार दें। कुछ राज्यों से विचार प्राप्त हुए हैं। (ख) यूवाईआरबी, रेणुका और किशाऊ परियोजनाओं के संबंध में प्रारूप समझौते तैयार करके बेसिन राज्यों को उनके विचार जानने हेतु परिचालित करें। प्रारूप समझौते परिचालित किए गए हैं और कुछ राज्यों से उनके विचार प्राप्त हुए हैं। (ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किशाऊ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र संयुक्त उद्यम बनाए। संयुक्त उद्यम बनाने संबंधी निबंधनों और शर्तों के विषय में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बातचीत चल रही है। (घ) तीन भंडारण परियोजनाओं (रेणुका, किशाऊ और लखवर व्यासी) से विद्युत की हिस्सेदारी के मुद्दे पर विद्युत मंत्रालय के परामर्श से चर्चा की जाए।

1	2	3
		विद्युत मंत्रालय से परामर्श लेने की प्रक्रिया चल रही है। (ङ) किशाऊ परियोजना के विषय में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच की जाने वाली बैठकों के बारे में राज्यों को सूचित किया जाएगा। जब भी बैठकें की जाएंगी, राज्यों को उनके बारे में सूचना दी जाएगी।
4.	दिल्ली का यमुना जल के वितरण में सुधार।	यूवाईआरबी में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।
5.	उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा को ओखला बैराज के अनुप्रवाह में अधिकृत हिस्से की आपूर्ति न करना।	(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंडन-कट नहर पर मापक और नस्सरण स्थल स्थापित करने के लिए यूवाईआरबी को अपनी सहमति दे दी है। (ख) यूवाईआरबी, यदि आवश्यकता हो तो भुगतान के आधार पर अभिकरण की सेवाएं ले अथवा कार्मिक नियुक्त करे ताकि वितरण स्थलों पर, राज्यों को देय निर्धारित हिस्से का जल छोड़ा जा सके। (ग) यूवाईआरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से परामर्श करके मापक और निस्सरण स्थल स्थापित करेगा और निस्सरण को मापने के तंत्र को अंतिम रूप देगा।
6.	द्वारका में प्रस्तावित 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र के लिए संवाहक संरेखित जलमार्ग (चैनल) से जल आहरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्मित सीएलसी के आरडी 306000 पर कट को बंद करना।	मामले का निपटारा किया जाना अभी शेष है।
7.	सीएलसी के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगभग 106 करोड़ रुपये की शेष लागत + ब्याज का भुगतान न करना।	दोनों राज्य परस्पर मिलकर इस मुद्दे का निपटारा करें।
8.	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 20 एमजीडी ओखला जल शोधन संयंत्र को कच्चे पानी की आपूर्ति हेतु वजीराबाद में अन्तर्वाह विनियामक के माध्यम से जल आहरण के लिए पंपिंग स्टेशन का निर्माण।	भविष्य में ओखला जल शोधन संयंत्र के लिए जल आहरण केवल जुलाई से अक्तूबर तक की अवधि तक ही सीमित होगा जिसकी सूचना यूवाईआरबी और हरियाणा को दी जाएगी।
9.	आरडी 44299 से 53350 तक दिल्ली उप शाखा की आवश्यक मरम्मत।	नहर की मरम्मत का अधिकार उस राज्य का होता है जिसका इस पर स्वामित्व होता है।
10.	दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए अतिरिक्त जल के लिए कच्चे पानी के प्रभार का भुगतान न होना।	यूवाईआरबी दिल्ली को दिए गए अतिरिक्त जल की मात्रा, यदि कोई होगी, की पुष्टि करेगा। तद्नुसार, दिल्ली हरियाणा को भुगतान करेगी।
11.	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान न करना।	मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जा सकता है।

1	2	3
12.	दिल्ली से लौटता प्रवाह और उसकी गुणवत्ता।	मुद्दा, इस समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर है। तथापि, लौटते प्रवाह की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूवाईआरबी दिल्ली परियोजना की प्रगति की निगरानी करे।
13.	दिल्ली राज्य के किसानों द्वारा उन्हें सिंचाई के लिए आपूर्ति किए गए जल जल के संबंध में 2.29 करोड़ रुपये की बयाना राशि का भुगतान न करना।	हरियाणा और दिल्ली परस्पर मिलकर इस मुद्दे का निपटारा करें।
14.	हथिनीकुंड बैराज के निर्माण के लिए सदस्य राज्यों द्वारा अपने हिस्से का भुगतान न करना।	(क) दिल्ली ने अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है। तथापि, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अभी भुगतान करना है। (ख) हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच मतभेदों के मुद्दे को दोनों राज्य परस्पर मिलकर निपटा लें।
15.	हरियाणा की कृष्णावती और दोहान नदियों से जल का 50 प्रतिशत हिस्सा छोड़ा जाना।	राज्य परस्पर मिलकर मुद्दे का समाधान करें।
16.	राजस्थान सीमा पर ओखला हेडवर्क से यमुना जल की कम आपूर्ति।	(क) हरियाणा को उसकी सीमा में यमुना जल में से राजस्थान के हिस्से के जल को अनधिकृत रूप से लिफ्ट करने को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। (ख) जल को, हरियाणा सीमा में गुड़गांव नहर पर छोड़े जाने के स्थल पर और राजस्थान में जल प्राप्ति के स्थान पर मापा जाना चाहिए। जो अंतर लेखे में नहीं लिया गया (अनअकाऊंटेड) हरियाणा द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति जल की चोरी को रोककर अथवा अतिरिक्त जल की आपूर्ति करके करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सच्चर समिति रिपोर्ट का कार्यान्वयन

54. **श्री पी.के. बिजू :**
प्रो. सौगत राय :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सच्चर समिति रिपोर्ट का कार्यान्वयन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पश्च-सच्चर मूल्यांकन समिति के नाम में किसी पैनल का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(च) क्या उक्त समिति को अपने कार्यकरण में वित्तीय अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) से (ग) सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से सच्चर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम/योजनाएं देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने प्रो. अभिताभ कुंडू, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नहेरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता

में एक समिति का गठन, सच्चर समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के परिणामों का आकलन करने तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए किया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन चैनलों की कुल मानवशक्ति संख्या

55. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक दिन कुल प्रसारण कार्यक्रम घंटों की तुलना में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दूरदर्शन की कुल मानवशक्ति संख्या कितनी है;

(ख) नौ स्टूडियो और पर्याप्त मानवशक्ति होने के बावजूद इन राज्यों में दूरदर्शन चैनलों की अकुशलता के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समाचार और मनोरंजन के मिश्रण के साथ इन चार चैनलों का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आज तक की स्थिति के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में सभी चार दूरदर्शन चैनल 24 घंटे प्रसारित होने वाले चैनल हैं। इन दूरदर्शन केन्द्रों में मानवशक्ति संख्या इस प्रकार है:—

केन्द्र का नाम	मानवशक्ति
1	2
दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ	स्थाई : 355
	अस्थाई (ठेके पर) : 30
दूरदर्शन केन्द्र, पटना	स्थाई : 187
	अस्थाई (ठेके पर) : 86
दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर	स्थाई : 236
	अस्थाई (ठेके पर) : 17
दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल	स्थाई : 230
	अस्थाई (ठेके पर) : 18
	अस्थाई (दिहाड़ी) : 4

(ख) और (ग) इन चार केन्द्रों में कुल मानवशक्ति संख्या को देखते हुए प्रसार भारती/दूरदर्शन ने प्रसारण की अवधि को 4 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया है। इन्हें उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इन चैनलों का 25 मई से 16 अगस्त, 2013 के दौरान एक चरणबद्ध तरीके से 4 घंटे के स्थलीय प्रसारण चैनल से 24 घंटे के उपग्रह चैनलों में स्तरोन्नयन कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रसार भारती बोर्ड से अनुरोध किया जाएगा कि वह लोक प्रसारक द्वारा किए गए स्तरोन्नयन की प्रभावोत्पादकता की आवधिक समीक्षा करे। इससे इस कार्य को शुरू करने से पहले लोक प्रसारक द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रभाव के निर्धारण में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

56. श्री जोस के. मणि : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए प्रयोगशालाओ से प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और अंतरण के वाणिज्यिक आवेदनों के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नई आविष्कार की गई तकनीकियों को बढ़ावा देने और उन्हें बाजार में लाने के लिए एक निधि की स्थापना पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास

निगम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह कंपनी अधिनियम के तहत धारा 25 के रूप में 31 दिसंबर, 1953 को आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त शोध एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं से प्राप्त स्वदेशी प्रौद्योगिकियां का प्रोत्साहन, विकास और वाणिज्यिकरण करना है। इसके अंतर्गत स्वायत्त शोध संस्थान, अकादमी, विश्वविद्यालय और व्यक्तिगत आविष्कारक भी शामिल है। एनआरडीसी कोरपोरेट सेक्टर सहित वाणिज्यीकरण के लिए लाइसेंस देने और प्रौद्योगिकी अंतरण करने का कार्य करता है। एनआरडीसी उद्योगों को प्रौद्योगिकियां अंतरण के अतिरिक्त बहुत सी प्रोत्साहनजनक और मूल्य संवर्धन गतिविधियां जैसे व्यवहार्य अध्ययन, प्रयोगशाला का शोध एवं विकास कार्य का अप स्केल कार्य, आईपीआर सुरक्षा, मूल डिजाईन इंजीनियरिंग इत्यादि का कार्य करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर की विभिन्न शोध एवं विकास संगठनों से 147 प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिकरण के लिए एनआरडीसी को सौंपी गई थीं और इसके बदले में एनआरडीसी देश भर की उद्यमियों/उद्योगों को कुल 101 प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस प्रदान/अंतरण कर चुका है। इसके परिणामस्वरूप एनआरडीसी को एक मुश्त प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में 1925 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और लाइसेंसधारी उद्योगों का संचित उत्पादन लगभग 645 करोड़ रुपए आंका गया।

(ग) और (घ) माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवाचार पर राष्ट्रीय नवाचार परिषद ने इंडिया इनक्लूसिव इनोवेशन फंड के सृजन का प्रस्ताव किया है जो व्यवसाय में निवेश पर विचार करेगी और विस्तृत सामाजिक निहितार्थ की नवीन प्रौद्योगिकी आधारित समाधान उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2013-14 के बजट सम्भाषण में स्केलिंग प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है जिसका एक सामाजिक निहितार्थ होगा और नेशनल इनोवेशन कौंसिल से यह अनुरोध किया है कि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करें।

(ङ) सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से बहुत से कार्यक्रम/स्कीमों को विभिन्न विभागों के अधीन किया है। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विभाग/संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय, शैक्षणिक और शोध एवं संस्थान और उद्योग हैं, के कार्यक्रमों की सूची निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	विभाग/संगठन	स्कीम/कार्यक्रम
1.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	• आयकर अधिनियम की धारा 35(2कक) के तहत कॉरपोरेट उद्योग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालय में और आईआईटी में वैज्ञानिक शोध को प्रायोजित करने के लिए 200% कर कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।
		• पटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास।
2.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	• न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशीप इनिशियेटिव
		• ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी (ओएसडीडी) प्रोग्राम
3.	नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कॉरपोरेशन	• एनआरडीसी - विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में यूनिवर्सिटी इनोवेशन फेसिलिटी सेन्टर (एनआरडीसी-यूआईएफसी)
4.	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विभाग	• ड्रग एंड फर्मास्यूटिकल रिसर्च प्रोग्राम
5.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	• बायोटेक्नोलॉजी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम
		• लघु व्यापार नवाचार शोध पहल
6.	इसरो	• रिस्पॉन्ड (स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रायोजिक शोध विकास)
7.	नई एवं नवीकरणीय मंत्रालय	• नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा में शोध, अभिकरण एवं विकास का कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त डीएसआईआर/सीएसआईआर ने सरकार के अनुमोदन से एक वैज्ञानिक उद्यमकर्ता स्कीम का प्रचालन किया है कि जो शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक इंटरप्राइजेज में इक्विटी स्केल में सक्षम कर सकने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है और अपने संगठनों में कार्य करते हुए ही स्पिन-ऑफ लांच किया है। इससे उन्हें अपने आविष्कारों और पेटेन्टों से वाणिज्यकरण लाभ लेने में सहायता मिलेगी। स्कीम के तहत सीएसआईआर के वैज्ञानिक दो कंपनियां नामत: ट्राईडायगनल सोल्यूशन्स प्रा.लि. और व्योम बायोसाईसिस प्रा.लि. को स्पन ऑफ करेंगे।

सीएसआईआर ने वैज्ञानिकों को, सीएसआईआर, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच फेरबदल करने की अनुमति दे दी है। इस कदम का उद्देश्य वैज्ञानिकों को विभिन्न कार्य वातावरण में एक्सपोजर और उद्योगों के साथ सहयोग बनाना है। सीएसआईआर प्रयोगशालाएं ज्ञान आधारित उत्पादों के विकास के लिए अपेक्षित भागीदारी बनाने के लिए निजी उद्योगों के साथ "ज्ञान संधि" की अनुमति दे रही है।

रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा

57. श्री के. सुगुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर रेलवे ने सभी जोनों को विशेष बल देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी पैनल द्वारा इस संबंध में रेल जोनों के साथ कोई चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि रेलों पर नीति निर्धारण राज्य का विषय है और इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सृजित करने सहित रेलवे परिसरों तथा चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से निर्वाह करती हैं, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलों को गाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष बल देने के लिए कहा है।

जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर फ्रंटलाइन कर्मचारियों जैसे टिकट चैकिंग स्टॉफ, रेलवे सुरक्षा बल और ऑन-बोर्ड कर्मचारी जो यात्रा करने वाली जनता के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर सुग्राही बनाना।

(ii) रेलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाना।

(iii) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में रेलवे कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और प्रो-एक्टिव रवैया बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल/कार्यक्रमों को आशोधित किया जाए।

(iv) प्लेटफार्मों पर और कॉनकोस क्षेत्र में अंधेरे वाले स्थानों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता।

(v) किसी अवांछित घटना की स्थिति में तुरंत और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त टिकट चैकिंग और सुरक्षा कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों की तैनाती करना।

(vi) सुरक्षा नियंत्रण कार्यालयों में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन का प्रावधान।

(vii) त्वरित उत्तर देने वाली टीम बनाना जो ऐसी घटनाओं को मॉनीटर कर सके और गाड़ियों में तथा रेलवे परिसरों में ऐसी घटनाएं होने की दशा में निदेशित तरीके से तुरंत सहायता मुहैया करवा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। रेलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्रमश: 11.11.2013 को पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे/कोलकाता और मैट्रो रेल/कोलकाता, 12.11.2013 को मध्य और पश्चिम रेलवे/मुंबई, 13.11.2013 को दक्षिण मध्य रेलव/सिकंदराबाद, 15.11.2013 को दक्षिण पश्चिम रेलवे बैंगलूरु तथा 16.11.2013 को दक्षिण रेलव/चैन्ने के ज़ोनल प्राधिकारियों के साथ उक्त मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था।

नदी जल का बंटवारा

58. श्री एन. धरम सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के अंतिम प्रयोक्ताओं/किसानों के साथ जल बंटवारे में न्याय नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि अंतिम प्रयोक्ताओं/किसानों को सिंचाई में जल के सही तरीके से प्रयोग हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास किसानों के जल के सही उपयोग हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तुंगभद्रा परियोजना कमान के पिछले क्षेत्र में कमान के ऊपरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम जल मिल पाता है।

तुंगभद्रा परियोजना की अभिकल्पना और निर्माण (1953), तुंगभद्रा नदी पर, मुख्य रूप से अर्द्ध-शुष्क फसलों/कपास, मिर्ची के बागानों आदि जैसी कम सिंचाई आवश्यकता वाली फसलों तथा कुछ हद तक धान और गन्ने जैसी आद्र फसलों के लिए सिंचाई व्यवस्था हेतु किया गया था। पिछले ढाई दशक से किसान कमान के बड़े क्षेत्र में कम सिंचाई वाली फसलों के स्थान पर धान की फसल उगा रहे हैं और कमान के ऊपरी हिस्सों में लगभग सभी क्षेत्रों में तथा कमान के बाहरऊपरी हिस्सों में धान उगाया जाता है जिसके कारण पिछले हिस्से के किसानों को उनके देय हिस्से की अपेक्षा कम जल मिल पाता है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रारंभिक भाग और पिछले हिस्से दोनों स्थानों पर किसानों और जल प्रयोक्ता सहकारी समितियों को सिंचित कमानों में जल के न्यायोचित उपयोग हेतु 'वाल्मी', धारवाड़ द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके साथ ही, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन नामक राज्य क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत भी कार्यक्रम के सॉफ्टवेयर कार्यकलापों से संबंधित इसके घटकों के तहत किसानों, फील्ड कार्यकर्ताओं और कार्मिकों के प्रशिक्षण, कार्योन्मुख प्रशिक्षणों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित 75 प्रतिशत निधि प्रदान की जाती है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत तुंगभद्रा सीएडी परियोजना हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के लिए वर्ष 2010-11 और 2010-12 के क्रमश: 9.735 लाख (केन्द्रीय हिस्सा) और 340.153 लाख (केन्द्रीय हिस्सा) रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की चुकी है।

[हिन्दी]

एक व्यक्ति कंपनी पंजीकरण

59. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्यमियों हेतु एक व्यक्ति कंपनी पंजीकरण का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पुराने पणधारी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण नियमों की निबंधन और शर्तों में कतिपय ठोस शिथिलीकरण पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंजीकरण नियमों के अनुसार हथकरघा, हस्तशिल्प, आदि के लघु उद्यमियों को विभिन्न छूटें दी जाएं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) प्रारूप नियम तैयार हो गए हैं तथा हितधारकों की टिप्पणियों और विधायी जांच के पश्चात् यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर

60. श्री रतन सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत अलवर जिले में खेड़ली रेलवे स्टेशन पर पीआरएस/कम्प्यूटरीकरण आरक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं। खेड़ली स्टेशन उत्तर-पश्चिम रेल में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

61. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में एनसीएलटी की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। विस्तृत नियम और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

[अनुवाद]

हवाई किराए में वृद्धि

62. श्री ए. सम्पत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खाड़ी देशों से केरल के हवाईअड्डों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा व्यस्त समय में लिए जा रहे हवाई किराए का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीजन अवधि में खाड़ी देशों से आने वाली उड़ानों के हवाई किराए में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) खाड़ी देशों से केरल के हवाईअड्डों के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा प्रभारित विमान किराये का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार विमान किराए का विनियमन नहीं करती है। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित विमान सेवाओं में शामिल प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम किराया सूची का निर्धारण करेगा जिसमें प्रचालन लागत, सेवाओं की विशेषता, समुचित लाभ तथा सामान्यत: प्रचलित किराया सूची समेत सभी संबद्ध कारक शामिल होते हैं। इसलिए, एयरलाइनें समुचित प्रभार/शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

2013 में एअर इंडिया एक्सप्रेस का शीतकालीन किराया
(29 नवंबर, 2013 को)

सेक्टर	तारीख	एअर इंडिया एक्सप्रेस (किराया भारतीय रुपए में)
1	2	3
दुबई-कालीकट	18-दिसंबर-13	18,792
शारजाह-कोचीन	19-दिसंबर-13	22,774
कुवैत-कालीकट	19-दिसंबर-13	12,029
मस्कट-त्रिवेन्द्रम	17-दिसंबर-13	11,261
आबुधाबी-कालीकट	18-दिसंबर-13	17,635
कालीकट-दुबई	4-जनवरी-14	18,017
कोचीन-शारजाह	3-जनवरी-14	19,071
कालीकट-कुवैत	5-जनवरी-14	15,720
त्रिवेन्द्रम मस्कट	3-जनवरी-13	19,039
कालीकट-आबुधाबी	2-जनवरी-14	20,141

[हिन्दी]

रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण

63. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के धरमपुर क्षेत्र और मंडी जिले के आसपास के स्थानों पर रहने वाले लोग रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक ढंग से सुन और देख नहीं पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को धरमपुर के कलागढ़ जिले में दूरदर्शन के शिमला एफएम और दूरदर्शन के डीडी-1 के रिले केंद्र के लिए रिपीटर टॉवर की स्थापना के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अनुरोधों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धरमपुर क्षेत्र तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में आकाशवाणी, शिमला में स्थापित 100 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी, हमीरपुर में स्थापित 6 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर के माध्यम से पहले से

ही कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को शिमला में स्थापित शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर (अर्थात् द्वितीय स्तरीय सेवा) में भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा, आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनलों (कार्यक्रमों) को डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफार्म (केयू-बैंड) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इन कार्यक्रमों को एक सैट टॉप बॉक्स लगाकर इस क्षेत्र सहित पूरे देश में प्राप्त किया जा सकता है।

दूरदर्शन के संबंध में, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एलपीटी) तथा आठ अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (वीएलपीटी) कार्य कर रहे हैं। धरमपुर जोगिंदरनगर में कार्यरत वीएलपीटी के कवरेज जोन में आता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण धरमपुर पूरी तरह कवर नहीं किया गया है। शेष देश सहित भू-स्थलीय ट्रांसमीटरों के द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों को दूरदर्शन की निःशुल्क डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट+" के माध्यम से बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध कराई गई है जिसके सिग्नल लघु आकार की डिश रिसीव यूनिट के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी (धरमपुर सहित) प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी को मंडी जिले में सरकाघाट की पहाड़ियों में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के संबंध में संसद सदस्य से एक अनुरोध (दिनांक 24.11.2011 का पत्र) प्राप्त हुआ है।

इस समय, मंडी जिले में सरकाघाट की पहाड़ियों में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में स्वच्छता

64. श्री नवीन जिन्दल : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में शौचालयों हेतु पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण उनके सीमित ड्यूटी के घंटों के बाद शौचालय गन्दे हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की विद्यालयों में पूर्णकालिक कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों के उपयोग की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) स्वच्छता राज्य का विषय है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का संचालन करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में वृद्धि लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जो कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का संचालन करता है, यह सूचित किया है कि मौजूदा विद्यालय भवनों के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत तथा अन्य सुविधाओं के लिए 3 कक्षाओं तक के विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 5000 रुपए वार्षिक, 3 कक्षाओं से अधिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 10,000 रुपए वार्षिक का रखरखाव अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ताकि आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), को अच्छी स्थिति में रखा जा सके।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण-कार्य पूंजीगत प्रकृति के हों जो कि स्थायी आस्तियों का निर्माण कर रहे हों। चूंकि विद्यालयों में पूर्णकालिक सफाई-कर्मचारी की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने से न तो किसी आस्ति का सृजन होता है और न ही ये मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्यों के अनुसार है, अत: विद्यालयों में पूर्ण-कालिक सफाई कर्मचारी की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग करना संभव नहीं है।

अल्पसंख्यक का दर्जा

65. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या अल्पसंख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के लिए मानदंडों को पुनरीक्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य की मांगें क्या हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक किसी भी राज्य से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

मनरेगा की समीक्षा

66. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ता द्वारा स्वतंत्र निगरानी तथा सत्यापन तथा केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य एवं जिला-स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा निरीक्षण दौरों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लिए हैं तथा इस संबंध में क्या सामाजिक लेखापरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में उक्त एजेन्सियों की कमियों का महराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) अधिनियम की धारा 23 में यथानिर्धारित और मनरेगा योजना के प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अध्याय 13 में उल्लिखित पारदर्शिता और जवाबदेही मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के वांछित उद्देश्यों में से एक है। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र निगरानी, जांच तथा केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद, राज्य एवं जिलास्तरीय सतर्कता समितियों इत्यादि के जांच दौरों के माध्यम से इस कार्य को किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस संबंध में उक्त एजेंसियों को मिली कमियों/खामियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	कमियों/खामियों का ब्यौरा
1.	आंध्र प्रदेश	न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया गया।
2.	बिहार	निर्माण कार्यों में अनियमितताएं ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया है।
3.	छत्तीसगढ़	न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया गया।
		ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया।
		मजदूरी के भुगतान में विलंब
4.	गुजरात	न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया गया।
5.	राजस्थान	न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया गया।
		ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया।
6.	जम्मू और कश्मीर	मजदूरी के भुगतान में विलंब।
		ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया।
7.	महाराष्ट्र	मजदूरी के भुगतान में विलंब।
8.	मध्य प्रदेश	कामगारों को संदेहास्पद भुगतान।
9.	सिक्किम	मजदूरी के भुगतान में विलंब।
10.	केरल	ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया।
11.	ओडिशा	ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को बहाल नहीं रखा गया।
12.	उत्तराखंड	मजदूरी के भुगतान में विलंब।
13.	उत्तर प्रदेश	दिशानिर्देशों का उल्लंघन।
14.	हिमाचल प्रदेश	मस्टर रोल में काट-छाट इत्यादि।

*ऊपर दर्शाए गए ब्यौरे निदर्शनात्मक हैं, अंतिम नहीं।

सुनामी चेतावनी तंत्र

67. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्र में सुनामी चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया है और पूरी तरह से कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस तंत्र से किस सीमा तक आंकड़े प्राप्त किए जाएंग; और

(ग) सुनामी या भूकंप के संभावी खतरे के बारे में देश के लोगों को सावधान करने के लिए प्रतिक्रिया में कितना समय लगेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आईटीईडब्ल्यूसी) 2007 में स्थापित किया गया तथा तब से इसे पूर्णत: कार्यरत बना दिया गया है और अब यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हैदराबाद स्थित पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (ईएसएसओ-इंकॉइस) द्वारा प्रादेशिक सुनामी निगरानी प्रदाता (आरटीडब्ल्यूपी) के रूप में संपूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(आईटीईडब्ल्यूसी) में हिन्द महासागर में अंडमान-सुमात्रा और मकरान के दो ज्ञात सबडक्शन जोनों में अंर्तसमुद्रीय सुनामी उत्पन्न पैदा करने वाले भूकंप जो कि संभावित रूप से संपूर्ण भारतीय तटीय राज्यों और द्वीप प्रदेशों को प्रभावित कर सकते है का पता लगाने वाले अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय स्टेशनों के अलावा, 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों के वास्तविक-समय भूकंपीय मॉनीटरिंग नेटवर्क, खुले समुद्र में तलदाब रिकॉडरों (बीपीआर) के साथ वास्तविक समय समुद्र स्तर सेंसर, 24x7 के आधार पर सुनामी तरंग गति और आयाम का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार मापी स्टेशन और तटीय धाराओं के लिए एचएफ रेडार शामिल हैं। आईटीईडब्ल्यूसी से प्राप्त सभी प्रकार के डेटा को पूर्णत: अभिलेखित किया जाता है तथा यह निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के लिए पूर्णत: सुलभ होता है।

(ग) विभिन्न तटीय स्थानों पर सुनामी तरंग आने का समय अंर्त समुद्र में आए भूकंप और तीव्रता की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से भारतीय मुख्य भूमि के लिए सुनामी प्रतिक्रिया समय 2 घंटे के आस-पास होगा अगर भूकंप दो ज्ञात सबडक्शन जोनों के निकट आया है। जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का संबंध है, प्रतिक्रिया का समय लगभग 30 मिनट का है। अत: मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं गृह मंत्रालय तथा तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की आपदा प्रबंधन एजेंसियों से परामर्श कर बनाई जाती है।

[हिन्दी]

जबलपुर में अंडर ब्रिज

68. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर के मदन महल स्टेशन के पास अंडर ब्रिज के विस्तार कार्य में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे ने उक्त कार्य को पूरा करने में अत्यधिक जनसंख्या वाला स्थान होने के कारण यातायात में उठाई जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कोई समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) निचला सड़क पुल के विस्तार संबंधी कार्य को पूरा कर दिया गया है तथा निचला सड़क पुल को 29.11.2013 को यातायात के लिए खोल दिया गया है;

(ख) भारी सड़क यातायात के कारण सीमित यातायात ब्लॉकों में कार्य निष्पादित किया गया था।

(ग) लागू नहीं होता। क्योंकि कार्य पहले ही पूरा हो गया है और निचले सड़क पुल को 29.11.2013 यातायात के लिए खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन

69. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाविद्यालयों में युवाओं के बीच पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस विषय की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डॉक्टरेट उपाधियों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) "मंत्रालय की गतिविधियों और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नए विकास/उपलब्धियों के प्रसार के लिए मंत्रालय दो मुख्य प्रदर्शनियों अर्थात् भारतीय विज्ञान कांग्रेस ओर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तथा एनजीओ/सोसाइटियों द्वारा प्रस्तावित अन्य प्रदर्शनियों में भाग लेता है। साथ ही, मंत्रालय विश्वविद्यालयों/अनुसंधान

संगठनों/एनजीओ को गोष्ठी, संगोष्ठी आदि का आयोजन करने के लिए अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती हैं।"

(घ) इस मंत्रालय को इस संबंध में विशेष सूचना नहीं देनी है।

गैर-पंजीकृत कंपनियों पर कार्रवाई करना

70. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निधियां इकट्ठी करने के लिए निजी भर्ती माध्यमों का कथित दुरुपयोग करने वाली गैर-पंजीकृत कंपनियों पर कार्रवाई करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक भर्ती के बारे में व्यक्तिगत रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रविष्टि कराने को कंपनियों के लिए आवश्यक बनाने पर विचार कर रही है और दिए गए समय में कंपनी को निजी भर्ती को अधिकतम सीमा पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने निजी भर्ती के मानकों के कथित उल्लंघन के लिए कतिपय कंपनियों के लेखा खातों के निरीक्षण हेतु आरओसी से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और बारे में आरओसी का निष्कर्ष क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (च) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करना एक सतत् प्रक्रिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निजी स्थापन पर प्रतिभूति के अंशदान की मांग करने का प्रावधान है।

मंत्रालय ने 24.09.2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निजी स्थापनों से संबंधित प्रारूप नियम जानता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, जारी कर दिए हैं।

प्रतिस्पर्धा निति

71. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नई प्रतिस्पर्धा निति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रचालित वर्तमान प्रतिस्पर्धा निति को अभिभावित करेगा;

(ग) राज्यों और स्थानीय निकायों की प्रतिस्पर्धा निति का नई प्रतिस्पर्धा निति किस प्रकार निगरानी या मार्गदर्शन करेगी;

(घ) क्या सरकार, सरकारी खरीद की स्वविवेक शक्तियों को खत्म करने के लिए पारदर्शी खरीद नीति पर भी विचार कर रही है और नई नीति में पीडीएस योजना के अंतर्गत खरीद को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) जी, हां, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को तैयार करना सरकार के विचाराधीन है!

(घ) और (ङ) सरकार ने मई, 2012 में लोक सभा में सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता, बोलीकर्ताओं के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने, दक्षता एवं मितव्यता बढ़ाने और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा और आम भरोसा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई), केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त और सांविधिक निकायों और खरीद करने वाली अन्य एनटिटियों के द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक खरीद को विनियमित करेगा। इस समय यह विधेयक वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

औद्योगिक परियोजनाओं हेतु ग्राम सभा की सहमति

72. श्री एम.आई. शानवास : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विधान बनाया गया है और यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का विधान प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रारूप विधेयक की परामर्श प्रक्रिया में ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क)

से (ङ) सरकार ने प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 पहले ही लागू कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार, जहां तक संभव हो सके अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां भी भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता महसूस की जाएगी, वहां भूमि अधिग्रहण कोई भी विकल्प उपलब्ध न होने के पश्चात् ही किया जाएगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण या बिक्री करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा या पंचायतों या उपयुक्त स्तर पर स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी यदि जरूरतमंद निकाय की ओर से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिवार अपनी इच्छा के बगैर विस्थापित हो जाते हैं, तो उनके लिए एक विकास योजना तैयार करनी होगी।

एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का आबंटन

73. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित और व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा निधियां पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों का उचित उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आवंटित तथा खर्च की गई और राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़ी शेष राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। कुछ राज्यों के पास निधियों के अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण इस प्रकार हैं:—

(i) राज्यों में ग्रामीण निर्धनों के पास जानकारी की कमी तथा योग्य स्व-सहायता समूहों की कम मौजूदगी;

(ii) लाभार्थियों की क्षमता का पूरी तरह विकास न होना, ऋण की कम उपलब्धता तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले संवेदनशील पेशेवरों की कमी;

(iii) विभिन्न स्तरों पर मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ बेहतर तालमेल न होना।

(घ) एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और इसे 3 जून, 2011 को शुरू किया गया था। दो वर्षों की बदलाव की अवधि के पश्चात् एसजीएसवाई को 1.4.2013 से बंद कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ङ) एसजीएसवाई के बाद के कार्यक्रम एनआरएलएम के सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को चरणबद्ध ढंग से कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण निर्धन महिलाओं की सशक्त एवं स्थायी संस्थाएं बनाना और उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर दिलाने के लिए उनके अपने सोशल नेटवर्क, संसाधन तथा जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और उसके माध्यम से उनके जीवन स्तर में निरंतर आधार पर उल्लेखनीय सुधार करना है। एनआरएलएम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों का निर्माण करके तथा ग्राम और उससे ऊपर के स्तरों पर इन समूहों को संघबद्ध करते हुए सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार का कम-से-कम एक सदस्य, खासकर महिला सदस्य, स्व-सहायता समूह के अंतर्गत कवर कर लिया गया है और वह सदस्य वृहत सोशल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। एनआरएलएम में सभी स्व-सहायता समूहों का बचत खाता खोलने में मदद करते हुए, साथ ही उनके बचत एवं जमा कार्यकलापों को बढ़ावा देते हुए और बैंकों से ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं दिलाने में मदद करते हुए उनके लिए सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सदस्यों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का प्रावधान किया गया है जो अपनी आय को बढ़ाने के लिए लघु उद्यम शुरू करना चाहते हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कुशल मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में ग्रामीण निर्धन युवकों को सहायता प्रदान करने पर भी ध्यान दिया जाता है। एनआरएलएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्य अपनी खुद की गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं तैयार करती हैं। गोवा, मणिपुर और सिक्किम को छोड़कर अभी तक सभी राज्यों ने एनआरएलएम का क्रियान्वियन शुरू कर दिया है। एनआरएलएम का समय पर कार्यान्वयन तथा निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं- बनाए गए नए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का व्यापक क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग सहायता, एसआरएलएम द्वारा आवधिक रिपोर्टों की प्रस्तुति, मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति की आवधिक बैठक, उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया पर नजर रखना, तृतीय पक्ष द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ताओं के माध्यम से निगरानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों का दौरा।

विवरण-I

एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार केंद्रीय आवंटन, रिलीज, व्यय और खर्च न की गई राशि की स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13			
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12557.00	12545.33	18460.59	407.84	11472.00	5736.00	8928.52	7037.69				
2.	बिहार	29872.00	13874.71	27337.28	28360.87	27291.00	6733.98	14639.25	40305.88				
3.	छत्तीसगढ़	6635.00	6584.38	7736.15	1785.87	6062.00	5815.41	7001.18	1334.53				
4.	गोवा	200.00	70.60	77.89	189.01	176.00	25.87	61.59	389.78	175.00	25.72	0.00	25.72
5.	गुजरात	4727.00	4614.50	6949.44	269.74	4318.00	3734.97	5316.70	674.69	4375.00	2095.52	5511.26	1247.73
6.	हरियाणा	2781.00	2725.43	3907.13	145.06	2541.00	2499.56	3494.49	37.20	2574.00	2452.09	1844.59	3367.61
7.	हिमाचल प्रदेश	1171.00	1096.00	1460.85	667.29	1070.00	777.60	1419.78	256.29	1084.00	552.50	1110.24	280.17
8.	जम्मू और कश्मीर	1449.00	759.05	734.12	800.35	1324.00	576.72	525.25	635.57	1342.00	451.89	0.00	451.89
9.	झारखंड	11264.00	10979.00	12369.65	9200.70	10290.00	6670.04	9041.79	4898.29				
10.	कर्नाटक	9482.00	9369.50	12646.39	2339.58	8663.00	6775.01	11798.34	642.38	8777.00	5591.69	9246.29	1275.06
11.	केरल	4255.00	4146.55	5851.54	170.38	3887.00	3792.71	5232.60	187.38				
12.	मध्य प्रदेश	14214.00	13844.63	17926.16	3406.36	12986.00	11254.29	14810.33	3448.43				
13.	महाराष्ट्र	18744.00	18560.25	22067.39	3421.95	17125.00	16979.23	23080.34	1129.86				
14.	ओडिशा	14363.00	14061.13	17282.97	2550.97	13122.00	12119.13	17134.89	157.94				
15.	पंजाब	1351.00	1247.66	1748.22	111.34	1235.00	988.96	1200.86	227.87	1251.00	276.32	363.40	1233.79
16.	राजस्थान	7200.00	7183.13	9954.67	3394.95	6578.00	5936.96	10108.88	1936.40	6664.00	3332.00	8968.07	2321.67
17.	तमिलनाडु	11103.00	11068.05	14835.21	470.35	10144.00	10134.27	9366.49	3628.70				

18. उत्तर प्रदेश	43006.00	42389.13	49220.95	24685.86	39290.00	28340.26	42832.96	17042.68	39827.00	22257.61	18353.13	25070.38
19. उत्तराखंड	2264.00	2155.25	3182.68	242.31	2069.00	2067.88	2646.01	326.14	2096.00	1811.94	1417.29	994.26
20. पश्चिम बंगाल	15962.00	15812.00	18897.82	2963.64	14582.00	13175.61	17000.05	4110.25	14773.00	12314.42	12559.07	4836.18
21. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.84	25.64	18.82	25.00	12.48	20.06	7.00	25.00	8.47	0.00	8.47
22. दमन और दीव	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23. दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
24. लक्षद्वीप	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	
25. पुदुचेरी	300.00	250.00	148.52	218.74	275.00	137.50	210.88	1.82	275.00	0.00	0.00	
कुल	213000.00	193347.09	252818.26	85871.98	194600.00	144296.94	205871.24	88454.27	83313.00	51170.17	59373.34	41312.93
पूर्वोत्तर राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	692.00	518.87	135.87	587.92	678.00	343.26	86.09	403.12	623.00	219.70	0.00	219.70
2. असम	17988.00	20301.85	21924.00	4963.40	17628.00	10836.74	19553.00	7.36			0.00	10590.29
3. मणिपुर	1206.00	1187.18	360.69	949.41	1182.00	618.82	364.46	400.02	1086.00	594.24	0.00	594.74
4. मेघालय	1351.00	836.70	818.23	687.66	1324.00	391.85	787.53	181.63	1216.00	253.07	115.92	149.16
5. मिज़ोरम	313.00	443.85	493.21	93.30	306.00	306.03	347.45	5.65	281.00	140.52	0.00	281.00
6. नागालैंड	927.00	872.14	399.91	490.34	908.00	697.14	518.92	351.55	834.00	497.83	0.00	497.83
7. सिक्किम	346.00	483.80	373.35	470.35	340.00	170.00	451.46	56.61	313.00	0.00	0.00	
8. त्रिपुरा	2177.00	2490.10	3080.41	26.08	2134.00	2134.01	1743.98	674.29	1960.00	1528.53	275.77	1303.86
कुल	25000.00	27134.49	27585.67	8268.46	24500.00	15497.85	23852.89	2060.23	6313.00	3233.89	391.69	13636.58
कुल योग	238000.00	220481.58	280403.93	94140.44	219100.00	159794.79	229724.13	90514.50	89626.00	54404.06	59765.03	54949.51

*खर्च उपलब्ध निधि से किया गया है। उपलब्ध निधि में राज्य अंश, अथशेष और विधि प्राप्तियां शामिल हैं।

**अप्रयुक्त शेष राशि भी उपलब्ध निधि से ही बची है जिसमें राज्य अंश, अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

विवरण-II

2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित किए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या	सहायता पाने वाले व्यक्तिगत स्व-रोजगारियों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या	वितरित किए गए कुल ऋण (लाख रुपए में)	वितरित की गई सब्सिडी (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	72184	576633	24083	600716	165722.02	14151.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	238	1106	1344	15.50	21.75
3.	असम	50265	271421	17732	289153	45700.14	24680.29
4.	बिहार	38704	280955	19545	300500	41512.96	26048.73
5.	छत्तीसगढ़	16051	113636	27370	141006	36505.29	13803.65
6.	गोवा	140	869	83	952	327.52	86.44
7.	गुजरात	19985	53721	44010	97731	14166.36	6323.42
8.	हरियाणा	8572	57630	7719	65349	20270.05	6108.86
9.	हिमाचल प्रदेश	2810	26326	5603	31929	14807.62	2186.07
10.	जम्मू और कश्मीर	1366	4059	5448	9507	502.00	220.93
11.	झारखंड	17899	145084	21493	166577	23083.79	13955.82
12.	कर्नाटक	24646	241387	13923	255310	68011.93	20811.72
13.	केरल	4867	74974	11259	86233	18741.13	7053.89
14.	मध्य प्रदेश	32777	188982	48446	237428	67171.45	22081.29
15.	महाराष्ट्र	27573	301843	34300	336143	72296.68	28465.34
16.	मणिपुर	387	893	73	966	11.15	62.53
17.	मेघालय	3087	43470	199	43669	762.82	869.33
18.	मिज़ोरम	333	6003	572	6575	252.55	371.30
19.	नागालैंड	1249	9369	1143	10512	236.86	382.11
20.	ओडिशा	44388	268523	30195	298718	55433.67	21862.89
21.	पंजाब	1881	15288	12048	27336	4302.17	1386.78
22.	राजस्थान	6462	174152	41601	215753	64188.61	16581.31
23.	सिक्किम	239	2054	577	2631	354.02	273.37

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	53450	388532	17292	405824	152860.19	25877.81
25.	त्रिपुरा	7122	82143	0	82143	8600.07	3609.23
26.	उत्तर प्रदेश	128257	683760	200622	884382	218913.77	70097.59
27.	उत्तराखंड	14598	42119	5992	48111	14004.55	4350.05
28.	पश्चिम बंगाल	93756	209612	69	209681	68944.00	18285.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70	398	409	807	6.45	13.50
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0.00
33.	पुदुचेरी	332	4015	154	4169	562.20	283.83
	कुल	673472	4268089	593066	4861155	1178267.48	350306.18

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

74. **श्री हेमानंद बिसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भूमि अभिलेख योजना के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि स्वीकृत और आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन और वास्तविक व्यय का आकलित मूल्य कितना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकृत किए गए जिलों की संख्या कितनी है;

(घ) इस योजना में शामिल कई जिलों में भूमि अभिलेखों के गैर-कम्प्यूटरीकरण के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) एनएलआरएमपी के 'भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण' घटक के तहत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में स्वीकृत और निर्मुक्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्तियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

क्र. सं.		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	स्वीकृत की गई राशि	241.51	274.38	40.58	120.17
2.	निर्मुक्त की गई राशि	154.44	106.05	94.85	158.56

(ख) उक्त अवधि के दौरान परियोजना की कुल लागत 897.78 करोड़ रुपए है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय 204.37 करोड़ रुपए है।

(ग) यह विभाग भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में जिला-वार सूचना नहीं रख रहा है। तथापि, एनएलआरएमपी के तहत अब तक 379 जिले शामिल किए गए हैं। 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कम्प्यूटर के माध्यम से अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) प्रदान कर रहे हैं और 23 राज्यों में रजिस्ट्रेशन के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एनएलआरएमपी का एक प्रमुख घटक है। तद्नुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य के साथ-साथ डाटा प्रविष्टी/पुन:प्रविष्टी/डाटा परिवर्तन, नक्शों के अंकीकरण आदि के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

2008-09 से 2013-14 (30.11.2013 की स्थिति) के दौरान एनएलआरएमपी के तहत वित्तीय प्रगति (निर्मुक्त की गई निधियों और प्राप्त सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधि)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष					सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधि	2013-14		
		2008-09 निर्मुक्त निधि तमसमेंमक	2009-10 निर्मुक्त निधि तमसमेंमक	2010-11 निर्मुक्त निधि तमसमेंमक	2011-12 निर्मुक्त निधि तमसमेंमक	2012-13 निर्मुक्त निधि तमसमेंमक		निर्मुक्त निधि	सूचना के अनुसार उपयोग की गई निधि	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3356.60		117.64	900.00	1131.20	18.75		18.75	5486.69
2.	अरुणाचल प्रदेश			48.6						48.60
3.	असम		1806.12	329.625						2135.745
4.	बिहार	748.48	720.80	744.428	1623.23	1567.47	1,347.69	2327.82	2,701.40	5030.82
5.	छत्तीसगढ़		553.86	414.705	1500.00	877.00	156.625		156.625	3188.94
6.	गुजरात	715.445		5527.24		214.07	1195.53		3270.75	3186.005
7.	गोवा									0.00
8.	हरियाणा	285.06	1374.94	2101.48		124.95	1,024.00		1,929.63	1956.80
9.	हिमाचल प्रदेश	488.95	326.82		500.00	1004.80	461.23	10.78	931.90	1399.45
10.	जम्मू और कश्मीर	65.625		235.28		589.05				889.96
11.	झारखंड			162.25	2227.66			117.64	1.19	2506.36
12.	कर्नाटक					2451.20				2451.20
13.	केरल		700.79		225.45		348.57	632.00	815.74	742.50
14.	मध्य प्रदेश	1266.33	4168.04	3031.83	1602.59	33.85	2,935.49		2,935.49	7167.15
15.	महाराष्ट्र	3693.01	788.78	117.64	117.00	0.720	166.61	39.20	1,457.36	3298.99

16.	मणिपुर	168.53								168.53
17.	मेघालय	431.43	192.32						78.07	545.68
18.	मिज़ोरम			323.72	265.24	177.810	32.00	190.21	588.96	368.02
19.	नागालैंड	58.97		181.625	574.54		68.47		729.44	85.700
20.	ओडिशा	924.27225	1467.22	147.05		41.870		6776.00	2,397.83	6958.58400
21.	पंजाब	814.17		585.613		40.28		39.20	78.00	1401.263
22.	राजस्थान		3901.94	235.27				4137.34	39.94	8234.61
23.	सिक्किम	9.36		65.70	156.84			487.42	179.40	539.92
24.	तमिलनाडु				281.14			1060.77	171.19	1170.72
25.	त्रिपुरा	271.68		385.653	117.63	820.3876	87.96		539.37	1055.99
26.	उत्तर प्रदेश	1346.50	70.86	435.128			25.99		538.35	1314.14
27.	उत्तराखंड								0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	3991.55	3264.54		235.28	39.20	436.36		524.02	7006.55
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.71	28.39	12.15	6.00		51.40		51.40	20.85
30.	चंडीगढ़									0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	24.29				4.39	24.29	3.42	24.29	7.81
32.	दिल्ली					132.07			0.00	132.07
33.	दमन और दीव		103.72						24.51	79.21
34.	लक्षद्वीप		4.21	162.20			136.66		136.66	29.75
35.	पुदुचेरी	190.00	36.93		117.64				0.47	344.10
36.	विविध			80	155	234.80		34.87	116.89	387.78
	कुल सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	18875.96225	19510.28	15444.8270	10605.24	9485.118	8517.63	15856.66	20437.61	69340.47860

[हिन्दी]

विद्युत वितरण कम्पनियों का घाटा

75. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की लाभ कमा रही विद्युत वितरण कम्पनियों सहित घाटे में चल रही विद्युत वितरण कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम इन विद्युत वितरण कम्पनियों को समय पर वित्तीय सहायता देने में असमर्थ है, तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लाभ कमाने वाली विद्युत वितरण कम्पनियों की कार्यप्रणाली में कोई मूल्यांकन किया है और लाभ कमाने वाली कम्पनियों का अनुसरण करने के लिए घाटे में चल रही कम्पनियों को कोई परामर्श जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखों के ब्यौरे के आधार पर "वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन" संबंधी विद्युत वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर यूटिलिटियां, जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती है, को वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान हानि हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अनुमोदित नीति और प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम विद्युत डिस्कामों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लाभ एवं हानि

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2009-10		2010-11		2011-12	
			कर पश्चात् लाभ/हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/हानि	कर पश्चात लाभ/हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/हानि	कर पश्चात लाभ/हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1412	-1412	-1332	-1332	-1816	-1816
	झारखंड	जेएसईबी	-707	-707	-723	-723	-3211	-3211
	ओडिशा	सेसको	-146	-146	-87	-87	-257	-257
		नेसको	-28	-28	-72	-72	-92	-92
		सेसको	-40	-40	-19	-19	-22	-22
		वेसको	-27	-27	-38	-38	-52	-52
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	-9	-9	-38	-38	36	36
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	71	71	95	95	73	73
पूर्वी योग			-2298	-2298	-2213	-2213	-5342	-5342

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	-212	-212	-182	-182	-264	-264
	असम	एपीडीसीएल	-303	-303	-486	-486	-408	-558
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-145	-145	-204	-204	-307	-307
	मेघालय	मेघालय एसईबी	-56	-56		0		0
		मेघालय ईसीएल		0	-91	-91	-195	-195
	मिज़ोरम	मिज़ोरम पीडी	-142	-142	-158	-158	-149	-149
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-108	-108	-175	-175	-201	-201
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	2	-11	-126	-130	-157	-157
पूर्वोत्तर योग			-964	-977	-1423	-1428	-1682	-1832
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	187	187	388	388	121	121
		बीएसईएस यमुना	77	77	155	155	21	21
		एनडीपीएल	351	351	258	258	339	339
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-633	-680	-792	-955	-1621	-1664
		यूएचबीवीएनएल	-912	-912	-129	-129	-2011	-2011
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	-153	-153	-122	-122		0
		एचपीएसईबी लि.		0	-389	-389	-513	-513
	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पीडीडी	-2106	-2106	-2167	-2167	-3037	-3037
	पंजाब	पीएसईबी	-1302	-1302		0		0
		पीएसपीसीएल		0	-1640	-1640	-453	-453
	राजस्थान	एवीवीएनएल	0	-3924	-6907	-6907	-7596	-7596
		जेडीवीवीएनएल	0	-3169	-6827	-6828	-6179	-6179
		जेवीवीएनएल	0	-3913	-7636	-7636	-5797	-5796
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-1707	-1707	-1117	-1117	-1499	-1499
		केस्को	-155	-155	-182	-182	-384	-384
		एमवीवीएन	-1040	-1040	-353	-353	-900	-900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पश्चिमी वीवीएन	-1188	-1188	-304	-304	-392	-392
		पूर्वी वीवीएन	-1170	-1170	-1649	-1649	-1157	-1157
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-527	-527	-204	-204	-417	-417
उत्तरी योग			-10279	-21333	-29616	-29779	-31475	-31518
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	36	-1198	3	-778	4	-1476
		एपीईपीडीसीएल	18	-435	13	-572	25	-963
		एपीएनपीडीसीएल	7	-892	7	-409	3	-874
		एपीएसपीडीसीएल	4	-1116	3	-418	6	-710
	कर्नाटक	बेसकोम	12	112	0	0	144	133
		चेसकोम	-74	-318	11	11	-123	-269
		जेसकोम	-31	-31	61	61	-13	-13
		हेसकोम	-174	-174	-65	-65	40	40
		मेसकोम	9	-14	2	2	6	6
	केरल	केएसईबी	241	241	241	241	241	241
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	-47	-47	-134	-134	-164	-164
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-10295	-10295	-6273	-6273		0
		टैनजेडको		0	-5634	-5634	-14306	-14306
दक्षिणी योग			-10293	-14166	-11764	-13967	-14138	-18356
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-351	-351	-581	-581	-1310	-1310
	गोवा	गोवा पीडी	16	16	-79	-79	-271	-271
	गुजरात	डीजीवीसीएल	22	22	63	63	76	76
		एमजीवीसीएल	17	17	25	25	36	36
		पीजीवीसीएल	4	4	3	3	9	9
		यूजीवीसीएल	6	6	13	13	12	12
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-779	-779	-605	-605	-1129	-1129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1433	-1433	-578	-578	-624	-624
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1131	-1131	-974	-974	-1167	-1167
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-1085	-1085	-1505	-1505	-808	-808
पश्चिमी योग			-4714	-4714	-4219	-4219	-5175	-5175
कुल योग			-28548	-43488	-49235	-51606	-57811	-62221

(स्रोत: पीएफसी)

भू-जल का संरक्षण

76. **श्री घनश्याम अनुरागी :**
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री राजू शेट्टी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-जल संसाधनों के व्यापक स्तर पर हो रहे दोहन के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए वर्षा जल को बढ़ावा देने सहित भू-जल संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) पेयजल, सिंचाई और अन्य विविध प्रयोजनों के लिए भूमिजल के लगातार दोहन के कारण देश के कुछ हिस्सों में भूमि जल स्तर गिर रहा है।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने XIवीं योजना के दौरान "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" नामक स्कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं चलाई थीं जिनमें 21 राज्यों में 1661 संरचनाओं के निर्माण हेतु 133 प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं मंजूर की गई थीं जिनमें से 1223 संरचनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार, तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) देश में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन; जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसी स्कीमों के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना।

(ii) देश में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा मास्टर योजना।

(iii) अन्य बातों के साथ-साथ, जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना।

(iv) जल के विनियमन, विकास और संरक्षण हेतु भूमि जल विधान अधिनियमित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक का परिचालन।

iv) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा 'अति दोहित' प्रखंडों वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भूमि जल/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/कृत्रिम पुनर्भराण को अपनाने के उपाय करने की सलाह जारी करना; और

(vi) XIIवीं योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन की केन्द्रीय स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में भूमि जल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों को शामिल करके भूमि जल के सहभागी प्रबंधन की योजना है।

विवरण

XIवीं योजना के दौरान राज्य-वार मंजूर की गई प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई संरचनाओं की संख्या	पूरी की गई संरचनाओं की संख्या (31.10.2013 की स्थिति)
1.	आंध्र प्रदेश	5	119	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	80	64
3.	बिहार	2	11	0
4.	छत्तीसगढ़	2	34	0
5.	चंडीगढ़	1	54	40
6.	दिल्ली	1	10	0
7.	गुजरात	2	116	101
8.	हिमाचल प्रदेश	13	20	13
9.	जम्मू और कश्मीर	5	5	1
10.	झारखंड	2	69	60
11.	कर्नाटक	6	192	161
12.	केरल	7	91	63
13.	मध्य प्रदेश	4	51	31
14.	महाराष्ट्र	1	49	49
15.	नागालैंड	2	64	64
16.	ओडिशा	14	66	22
17.	पंजाब	3	86	0
18.	राजस्थान	49	52	14
19.	तमिलनाडु	4	273	273
20.	उत्तर प्रदेश	4	189	143
21.	पश्चिम बंगाल	1	30	29
	कुल	133	1661	1223

बड़े पत्थर बिछाने का कार्य

77. **श्री पूर्णमासी राम :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कंक्रीट के बांध के निर्माण और बड़े पत्थर बिछाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के गोपालगंज जिले के कुचैकोर, बकौली, माझा, बैकुन्ठपुर और सिद्धमालिपा खंडों में गंडक नदी द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 20 किलोमीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण करने और बड़े पत्थर बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) भारत सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, बड़े पत्थर बिछाने के कार्य से संबंधित तटबंधों के ऊपर उठाने और सुदृढ़ करने सहित बाढ़ प्रबंधन, कटाव रोधी, आवाह क्षेत्र उपचार और समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, कंक्रीट बांधों के निर्माण के कार्यों को उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के तहत उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

78. **श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :**
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री आधि शंकर :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) कोटा ने लघु उद्योग (एसएमआई) की इकाइयों पर लागू भुगतान आदेश के विभिन्न खंड, जिनका उपयोग उनसे सामान खरदीने के लिए किया जाता है, का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मैसर्स आईएल ने न तो सामान लौटाया और न ही लघु उद्योग इकाइयों को भुगतान किया जिससे उन्हें बहुत वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) कंपनी के रुग्ण होने तथा बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनरूद्धार योजना (एमआरएस-10) के आंशिक कार्यान्वयन के कारण समय और लागत में वृद्धि के कारण, कंपनी गंभीर वित्तीय संकट और निधियों की भारी कमी का सामना कर रही है। कुछ मुख्य ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं या पंचनिर्णय के अधीन हैं जिसके कारण कंपनी की कार्यशील पूंजी फंस गई है। इन सबको देखते हुए, कुछ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान जारी करने में विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग इकाइयों से सामान स्वीकार कर लिया गया था, परंतु कुछ लघु उद्योग इकाइयों को इसके लिए भुगतान (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से नहीं किया जा सका। सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के प्रबंधन को बकाया देयताओं का भुगतान अविलंब करने का निदेश दिया है।

कोहरे के दौरान उड़ानों के लिए उपाय

79. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसंबर और जनवरी के दौरान विशेष रूप से दिल्ली में घना कोहरा होने पर विभिन्न एयरलाइनों की उड़ानों और उतरने में होने वाली समस्या से निपटने के लिए कोई सुरक्षोपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) दिसंबर तथा जनवरी की अवधि में घने कोहरे के समय, विशेषकर दिल्ली में, विमान के अवतरण तथा उड़ान भरने में विभिन्न एयरलाइनों को होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- आईजीआई हवाईअड्डों, नई दिल्ली के रनवे 28/29/11 पर आईएलएस कैट-IIIबी प्रचालनात्मक है, जोकि 50 मीटर

तक की आरवीआर (रनवे दृश्यता दूरी) निम्न दृश्यता की स्थितियों में विमान प्रचालन करने में सक्षम है।

- दिल्ली हवाईअड्डे पर निम्न दृश्यता प्रचालन में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य एवं प्रक्रियाओं के अनुसरण के लिए दिनांक 27 नवंबर, 2013 को 2012 का एआईपी अनुपूरक संख्या 43 लागू किया गया है।
- 125 मीटर आरवीआर से कम की दृश्यता होने पर रनवे 28/10/29/11 का प्रयोग निम्न दृश्यता टेकऑफ (एलवीटीओ) के लिए किया जाएगा।
- आईजीआई हवाईअड्डा एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम (एएसएमजीसीएस) से सज्जित है जिसमें दो सरफेस मूवमेंट राडार शामिल हैं।
- कोहरा सीडीएम प्रकोष्ठ बनाया गया है और इसे बैकअप प्लान सहित दिल्ली हवाईअड्डा-कोलाबोरेटिव डिसीजन मेकिंग (डीए-सीडीएम) के साथ एकीकृत किया गया है। इससे बाधारहित यातायात के आवागमन में आसानी होगी।
- निम्न दृश्यता प्रचालन के लिए विमान यातायात नियंत्रकों हेतु पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- कोहरा छंटने के पश्चात्, यातायात में आकस्मिक वृद्धि के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त विमान यातायात नियंत्रण चैनल्स खोले जाएंगे।
- विभिन्न अनुसूचित एयरलाइनों के 1283 पायलटों तथा 965 सह-पायलटों को कैट-II/III प्रचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ती रेल दुर्घटनाएं

80. डॉ. रामचन्द्र डोम :

श्री अर्जुन राम मेघवाल :

श्री शिवराम गौडा :

श्री प्रहलाद जोशी :

श्री पी. करुणाकरन :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले छह माह में प्रत्येक माह के दौरान मालगाड़ियों और रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने सहित प्रत्येक ट्रेन दुर्घटना, पटरी से उतरना, ट्रेन में आग लगने की सामने आई दुर्घटनाओं का रेलवे क्षेत्र ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक मामले में रेलवे कार्मिकों सहित कितने लोग मारे/घायल हुए और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ; और

(ङ) रेलवे द्वारा देश में भविष्य में ट्रेन दुर्घटनाओं/अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) चौकीदार रहित समपारों पर अतिक्रमण की घटनाओं को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में 2003-04 में 239 में 2011-12 में 77 और 2012-13 में पुन: 68 तक लगातार कमी आई है। अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान चालू वर्ष में भी ऐसी परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 41 के कम होकर 40 हुई है।

(ग) पिछले छह माह अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं यथा टक्कर, पटरी से उतरने, चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं, गाड़ी में आग लगने की घटनाओं और विविध दुर्घटनाओं की संख्या का जोन-वार और कोटि-वार निम्नानुसार है:—

अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं

रेलवे	टक्कर	पटरी से उतरना	आग	चौकीदार वाले समपारों पर	कुल
1	2	3	4	5	6
मध्य	—	2	—	—	2

1	2	3	4	5	6
पूर्व	1	2	—	—	3
पूर्व मध्य	—	2	1	—	3
पूर्व तट	1	2	—	—	3
उत्तर मध्य	—	—	1	1	2
पूर्वोत्तर सीमा	—	2	1	—	3
उत्तर पश्चिम	—	2	—	—	2
उत्तर	—	5	1	—	6
दक्षिण मध्य	—	3	—	—	3
दक्षिण पूर्व	—	1	—	—	1
दक्षिण पूर्व मध्य	1	5	—	—	6
दक्षिण	—	2	—	—	2
पश्चिम मध्य	—	1	—	—	1
पश्चिम	—	2	—	—	2
कोंकण	—	1	—	—	1
कुल	3	32	4	1	40

नोट: उक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश के मामले शामिल नहीं हैं।

पिछले छह माह अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान, भारतीय रेलों पर गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के 30 मामले दर्ज किए गए हैं।

पिछले छह माह अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान हुई उक्त उल्लिखित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का जोन-वार और कोटि-वार विश्लेषण निम्नानुसार है:—

अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण

रेलवे	दुर्घटना की किस्म	रेल कर्मचारियों की विफलता	रेल कर्मचारियों से इतर विफलता	उपस्कर विफलता	आकस्मिक	तोड़-फोड़	जांच रिपोर्ट अभी जारी है	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	पटरी से उतरना	2	—	—	—	—	—	2
पूर्व	टक्कर	1	—	—	—	—	—	1
	पटरी से उतरना	2	—	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्व मध्य	पटरी से उतरना	2	—	—	—	—	—	2
	आग	—	—	—	—	—	1	1
पूर्व तट	टक्कर	1	—	—	—	—	—	1
	पटरी से उतरना	1	—	—	—	1	—	2
उत्तर मध्य	आग	1	—	—	—	—	—	1
	चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटना	—	1	—	—	—	—	1
पूर्वोत्तर सीमा	पटरी से उतरना	1	—	—	—	1	—	2
	आग	1	—	—	—	—	—	1
उत्तर	पटरी से उतरना	4	—	—	1	—	—	5
	आग	1	—	—	—	—	—	1
उत्तर पश्चिम	पटरी से उतरना	2	—	—	—	—	—	2
दक्षिण मध्य	पटरी से उतरना	1	—	—	1	—	1	3
दक्षिण पूर्व	पटरी से उतरना	—	—	—	1	—	—	1
दक्षिण पूर्व मध्य	टक्कर	1	—	—	—	—	—	1
	पटरी से उतरना	5	—	—	—	—	—	5
दक्षिण	पटरी से उतरना	1	—	1	—	—	—	2
पश्चिम मध्य	पटरी से उतरना	—	1	—	—	—	—	1
पश्चिम	पटरी से उतरना	1	1	—	—	—	—	2
कोंकण	पटरी से उतरना	1	—	—	—	—	—	1
कुल		29	3	1	3	2	2	40

(घ) अप्रैल से अक्तूबर, 2013 के दौरान हुई उक्त उल्लिखित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में 1 रेल कर्मचारी सहित 04 व्यक्तियों की जानें गईं और 10 रेल कर्मचारियों सहित 50 व्यक्ति घायल हुए। उक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में 21.54 करोड़ (लगभग) की रेल संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान, चलती रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा के दौरान 16 व्यक्तियों की जानें गईं और 14 व्यक्ति घायल हुए।

(ङ) भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा संरक्षा में वृद्धि किए जाने के सतत् आधार पर हरसंभव कदम उठाए जाते हैं, इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के अपग्रेडेशन, संरक्षा अभियान तथा संरक्षा पद्धतियों का अनुपालन करने के लिए कर्मचारी पर निगरानी तथा शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों

पर निरीक्षण करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए की जा रही अन्य उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी), आनुषंगिक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), ट्रेन कॉलिजन एवैडेन्स सिस्टम/टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) आदि शामिल हैं।

मेगा विद्युत परियोजनाओं हेतु छूट

81. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री के. सुगुमार :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री संजय भोई :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी विद्युत परियोजनाओं के मानकों में छूट का प्रस्ताव किया है जो मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इनसे लाभ होगा;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने मेगा विद्युत नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों सहित आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नोट के मसौदे को अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया है। संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त होने और उन पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही अन्य पहलों का ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध किया गया है:—

I. सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च, 2009 के बाद शुरू किए गए संयंत्रों और मार्च, 2015 तक शुरू होने के कार्यक्रम के कुल 78,000 मे.वा. (67,000 मे.वा. दीर्घावधि लिंकेज और 11,000 मे.वा. टैपरिंग लिंकेज) के संयंत्रों हेतु ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) पर हस्ताक्षर किए जाएं। एफएसए हस्ताक्षरित होने से विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी जिससे आगामी वर्षों में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

II. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने और निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी, नीति और प्रशासनिक उपाए किए हैं। इन उपायों में से कुछ हैं:—

(i) नए विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियम।

(ii) तापीय उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त करना। इसके बाद निजी उत्पादन स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है।

(iii) राज्य विद्युत बोर्ड हेतु आधारभूत सुधार।

(iv) केन्द्र और राज्य विनियामक आयोगों का गठन।

(v) राष्ट्रीय ग्रिड का गठन।

(vi) पारेषण और वितरण में खुली पहुंच।

(vii) विद्युत विपणन को विशिष्ट गतिविधि के तौर पर पहचान करना।

(viii) विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता।

(ix) पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना।

(x) विद्युत अधिनियम के अधीन वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत प्रापण हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

(xi) प्रशुल्क नीति की अधिसूचना।

(xii) राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना।

(xiii) जल विद्युत नीति, 2008 की अधिसूचना।

(xiv) अल्ट्रामेगा विद्युत संयंत्र (यूएमपीपी) की पहल।

[हिन्दी]

नई लाइन परियोजनाओं में लागत हिस्सेदारी

82. श्री महेश्वर हजारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संबंधित राज्य सरकारों के साथ लागत हिस्सेदारी की पूर्व शर्त के साथ रेल बजट 2013-14 में शामिल 22 रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और लागत हिस्सेदारी के लिए सहमत और असहमत हुए हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाएं, जिन पर राज्य सरकारें लागत हिस्सेदारी करने में असमर्थ हैं, के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित विस्तृत समय-सीमा का ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) योजना आयोग की अपेक्षित अनुमति और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के बिना रेलवे बजट 2013-14 के रेल बजट में 24 रेल परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं पर भौतिक निष्पादन और व्यय/सुपुर्दगी अपेक्षित अनुमति मिलने के बाद ही की जा सकती है। इन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)	रु. (करोड़)	लागत हिस्सेदारी	सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) में स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कपिलवस्तु-बस्ती वाया बंसी, नई लाइन	91	643	सहमत नहीं	50% लागत हिस्सेदारी और राज्य सरकार द्वारा मुफ्त भूमि का गोपनीय आईपीए प्राप्त
2.	आनंद नगर हुगली वाया महाराजगंज, नई लाईन	50	307	सहमत नहीं	50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि सहित प्राप्त
3.	अजमेर कोटा (नसीराबाद-जालिंदरी) नई लाइन	145	822	सहमत नहीं	आईपीए अस्वीकृत
4.	बरवाडीह-चिरमिरी, नई लाइन	182	1137	सहमत नहीं	राज्य द्वारा मुफ्त भूमि देने और कोल इंडिया द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी का गोपनीय आईपीए प्राप्त
5.	कुम्बम-प्रोड्डुटूर, नई लाइन	142	829	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13% लागत हिस्से छोटी और मुफ्त भूमि देने पर सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं
6.	कोंडापटली-कोटागुडम, नई लाइन	125	723	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 13% लागत हिस्सेदारी	आईपीए प्राप्त नहीं
7.	मानुगुर-रामागुंडम, नई लाइन	200	1112	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि देने की सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं
8.	रायपुर-जरसुगुडा, नई लाइन	310	2161	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
9.	श्री पेरम्बदुर-गुडाबांचेरी स्पुर से ईरन सहित, कट्टुकोट्टी-आवडी-श्री पेरम्बदुर, नई लाइन	60	839	तमिलनाडु सरकार एक हिस्से के लिए लगात हिस्सेदारी पर सहमत	आईपीए प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6
10.	चिकमंगलूर-पुट्टापुर्ती-श्री सत्यसाई निल्याम, नई लाइन	103	558	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि देने पर सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं
11.	गडग-वाडी, नई लाइन	252	1117	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि देने पर सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं
12.	श्री निवास पुरा-मदनापटली, नई लाइन	75	296	कर्नाटक सरकार द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि देने पर सहमति	आईपीए प्राप्त नहीं
13.	दिल्ली-सोहना-नूह-फिरोजपुर झिरका- अलवर, नई लाइन	104	1239	केवल हरियाणा सरकार 50% लागत हिस्सेदारी के लिए सहमत राजस्थान सरकार नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
14.	यमुना नगर-चंडीगढ़ वाया साधाउरा, नारायणगढ़, नई लाइन	91	876	हरियाणा सरकार द्वारा 50% लागत हिस्सेदारी	50% लागत हिस्सेदारी और मुफ्त भूमि देने का गोपनीय आईपीए प्राप्त
15.	फैजाबाद-लालगंज वाया अकबरगंज, महाराजगंज और रायबरेली नई लाइन	116	654	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
16.	हिसार-सिरसा वाया अघोरा, फतेहाबाद नई लाइन	93	400	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
17.	पुस्कर-मेरता, नई लाइन	59	323	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
18.	चोला-बुलंदशहर, नई लाइन	16	59	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
19.	चिकबल्लारपुर-गौरीबिदानूर, नई लाइन	44	327.3	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
20.	पीरपैंती-जैसीडीह, नई लाइन	127	1183	झारखंड राज्य सरकार 50% लागत हिस्सेदारी के लिए सहमत	50% लागत हिस्सेदारी के लिए आईपीए प्राप्त
21.	दीमापुर-तिजित, नई लाइन	257	4274	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
22.	फिरोजपुर-पट्टी, नई लाइन	25.47	147.08	सहमत नहीं	आईपीए प्राप्त नहीं
23.	नागरपुर-नागबीर, आमान परिवर्तन	106	401		आईपीए प्राप्त नहीं
24.	न्यू बोंगईगांव-कामाख्या वाया रंगिया, दोहरीकरण	142	1798		आईपीए प्राप्त नहीं

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय-सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है।

पेड न्यूज

83. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेड न्यूज के द्वारा वित्तीय और अन्य अनैतिक लाभ उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) ने पेड न्यूज के मुद्दे के व्यापक विस्तार पर विचार-विमर्श किया है और पेड न्यूज पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट दर्शाती है कि पेड न्यूज के प्रकारों में पैसे के सीधे भुगतान के अलावा विभिन्न अवसरों पर उपहार प्राप्त करना, देशी और विदेशी सैर करना और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ शामिल है। एक अन्य प्रकार की पेड न्यूज जिसका संज्ञान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् को कराया गया, वह मीडिया कंपनियों और कॉर्पोरेट निकायों के बीच 'निजी संधि' के रूप में है। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा पेड न्यूज पर जारी की गई रिपोर्ट परिषद् की वेबसाइट presscouncil.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) अपने उद्देश्यों के सहायतार्थ भारतीय प्रेस परिषद् ने मीडिया द्वारा पालन करने के लिए पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड बनाए हैं। मानदंड 36(vi) में निर्धारित किया गया है कि समाचारपत्रों में विज्ञापनों की पहचान संपादकीय विषयवस्तु से एकदम अलग होनी चाहिए। प्रेस परिषद् स्वत: ही अथवा शिकायत पर प्रिंट मीडिया में उन सामग्रियों का संज्ञान लेती है जहां पर प्रथम दृष्टया पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंडों का उल्लंघन होता है। प्रेस परिषद् समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक अथवा पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, सावधान कर सकती है, अथवा भर्त्सना कर सकती है अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण की निन्दा कर सकती है।

जहां तक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है सभी टी.वी. चैनलों से अपेक्षित है कि कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का अनुपालन करें, ऐसा न करने पर अनुमति/पंजीकरण के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम कोड में ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाना वर्जित है जिनमें संकल्पित, असत्य, उत्तेजक, व्यंग्यात्मक और अर्धसत्यपूर्ण कोई बात हो और यदि उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है, जिसमें चैनल का प्रसारण स्थायी सीमित अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। सरकार ने 24×7 आधार पर चैनलों की रिकार्डिंग और निगरानी करने के लिए अत्याधुनिक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण

84. श्रीमती मीना सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्रीमती अश्वमेध देवी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की बढ़ती समस्या के संबंध में किए गए अध्ययन के अनुसार सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली सड़कों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II शुरू की है, जिसमें लोगों, सामग्रियों तथा सेवाओं के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समग्र क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इनके समेकन की परिकल्पना की गई है। इसमें ग्रामीण बाजार केन्द्रों तथा ग्रामीण केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करने की दृष्टि से मौजूदा चुनिंदा ग्रामीण सड़कों की आर्थिक संभाव्यता और उनकी भूमिका के आधार पर इन सड़कों के उन्नयन का भी लक्ष्य रखा गया है। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत राज्यों की यातायात का आकलन करने के लिए जिला ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण सड़कों का स्वतंत्र मानक यातायात अध्ययन करना होता है जिससे राज्यों को पात्र सड़कों पर वाहन मार्ग की चौड़ाई का निर्णय कर पाने में मदद मिलती है।

(ख) और (ग) पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 50,000 कि.मी. लंबाई की सड़कों के उन्नयन की मंजूरी दी गई है। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत सड़कों के उन्नयन का राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत उन्नयन की जाने वाली सड़कों की लंबाई का राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,285
2.	अरुणाचल प्रदेश	550
3.	असम	1,730
4.	बिहार	2,465
5.	छत्तीसगढ़	2,245
6.	गोवा	25
7.	गुजरात	1,205
8.	हरियाणा	1,000
9.	हिमाचल प्रदेश	1,250
10.	जम्मू और कश्मीर	780
11.	झारखंड	1,650
12.	कर्नाटक	2,245
13.	केरल	570
14.	मध्य प्रदेश	4,945
15.	महाराष्ट्र	2,620
16.	मणिपुर	325
17.	मेघालय	490
18.	मिज़ोरम	195
19.	नागालैंड	225
20.	ओडिशा	3,760
21.	पंजाब	1,345
22.	राजस्थान	3,465
23.	सिक्किम	115
24.	तमिलनाडु	2,950
25.	त्रिपुरा	310
26.	उत्तराखंड	915
27.	उत्तर प्रदेश	7,575
28.	पश्चिम बंगाल	2,515

[अनुवाद]

हवाई किराए में वृद्धि

85. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि घरेलू कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों, विशेषकर से पिछले कुछ महीनों के दौरान हवाई किराए में अंधाधुंध वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमानन कंपनियों ने हवाई किराए में बढ़ोतरी करने के पहले सरकार की अनुमति ली थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विमान कंपनियों को ऐसे मनमाने कदम उठाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विमान-यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए किराया निगरानी प्रकोष्ठ के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रकोष्ठ का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) विमान किराये का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि ये मांग तथा आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। विमान किराये विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) कीमतों, हवाईअड्डों प्रभार, यात्री सेवा शुल्क प्रचलित विदेशी विनिमय दर, सेवा कर आदि पर निर्भर करते हैं। इन घटकों में से किसी में भी उतार-चढ़ाव होने से एयरलाइनें

प्रभावित होती है। अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक उड़ान के लिए विभिन्न किराया समूह पेश किया जाता है तथा एयरलाइन द्वारा निम्न किराया समूह में विमान किराए को पेश किया जाना सामान्यत: वहनीय होता है। सीट की मांग में वृद्धि के साथ विमान किराया बढ़ जाता है चूंकि निम्न किराया समूह की टिकटों की बिक्री तीव्रता से होती है। विमान किराये की यदा-कदा मॉनीटरिंग से यह ज्ञात होता है कि विमान किराया अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा उनकी संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध किराया बैंड के दायरे में होता है।

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय में एक किराया सूची मॉनीटरिंग यूनिट का गठन किया गया है, जोकि यदा-कदा चयनित घरेलू मार्गों पर विमान किराये को मॉनीटर करती है। किराया सूची पद्धति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विमान किराया एयरलाइनों द्वारा उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित किए अनुसार पूर्णरूप से किराया बैंड के दायरे में होता है।

[हिन्दी]

एसएफआईओ द्वारा जांच

86. श्री कीर्ति आजाद : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दिल्ली में जांच किए जा रहे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एसएफआईओ द्वारा मामले के निपटान किए जाने की गति से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एसएफआईओ के कार्यकरण में सुधार करने और इसे सांविधिक मान्यता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) इस समय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दिल्ली से संबंधित जिन मामलों की जांच की जा रही है, उनका ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई जांचों की मंत्रालय में निगरानी की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त अनुदेश दिए जाते हैं और समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न अन्य प्रावधान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को और अधिक प्रभावी जांच करने में समर्थ बनाएंगे। एसएफआईओ के कार्य संचालन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी और कुशल लोगों को लाने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

विवरण

उन मामलों का ब्यौरा जिससे संबंधित जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की जा रही है

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	बैजिल इंटरनेशनल लि.
2.	वमशी केमिकल्स लि.
3.	अप्पलाईन कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट्रिस लि.
4.	बैजिल एक्सप्रेस लि.
5.	वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.
6.	वैष्णवी एडवायजरी सर्विसेस प्रा.लि.
7.	लेजर क्लब्स इंडिया प्रा.लि.
8.	कालरो कंसलटेंसी प्रा.लि.
9.	मैजिक एयरलाइन्स प्रा.लि.
10.	मानसी एग्रो प्रा.लि.
11.	क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.
12.	विट्कॉम कंसल्टिंग प्रा.लि.
13.	एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
14.	एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लि.
15.	केएनएस इंफोकॉम प्रा.लि.
16.	एनकेएस होल्डिंग प्रा.लि.
17.	श्री निवास लिजिंग एंड फाइनेंस लि.
18.	सीतल होल्डिंग्स प्रा.लि. (पहले क्वालिटी साइबर टेक प्रा.लि. के नाम से जानी जाती थी)
19.	अवैल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.

1	2
20.	केयरवैल एक्जिम प्रा.लि.
21.	सोलोमॉम होल्डिंग्स प्रा.लि.
22.	लेजेंड इंफोवेज प्रा.लि.
23.	उत्सव सिक्युरिटीज प्रा.लि.
24.	एक्वारिस फिनकैप एंड क्रेडिट्स प्रा.लि.
25.	शालिनी होल्डिंग्स लि.

[अनुवाद]

मुस्लिम अल्पसंख्यक

87. शेख सैदुल हक : क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद का हाल ही के सर्वेक्षण और एनएसएसओ की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अन्य समुदायों की तुलना में पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) और (ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्री राकेश बसंत द्वारा "एजुकेशन एंड एम्प्लाएमेंट एमंग मुस्लिम्स इन इंडिया: एनएनालिसिज ऑफ पेटर्न्स एंड ट्रेंड्स" पर वर्किंग पेपर सीरीज है। वर्किंग पेपर सीरीज में व्यक्त विचार (रो), दृष्टिकोण(णों) तथा निष्कर्ष (षों) लेखकों के हैं और न कि आईआईएम अहमदाबाद के। लेखक ने अपने वर्किंग पेपर में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर टिप्पणी की है:—

(i) शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों की भागीदारी सापेक्ष रूप में कम है किंतु हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति विशेषकर मुस्लिम पुरुषों के लिए खराब है;

(ii) उच्च शिक्षा में मुस्लिमों की भागीदारी विशेष रूप से खराब है किंतु एक बार उनके स्कूली शिक्षा के दहलीज के पार हो जाने पर और अन्य कारक जो उच्च शिक्षा में भागीदारी को प्रभावित करते हैं, उससे मुस्लिमों की विशेष रूप से गिरावट दिखती है;

(iii) शिक्षा में मुस्लिमों की भागीदारी निर्धारित करने में स्थान के साथ घरेलू बंदोबस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुझाव देने के लिए कुछ साक्ष्य हैं कि यह समुदाय शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझता है, जबकि शिक्षा के प्रतिलाभ उच्च हैं।

(iv) मुस्लिम प्रमुख रूप से स्वरोजगार में लगे हुए हैं और नियमित कर्मकार के रूप में विशेषकर टेरीटेरी क्षेत्र (जो हाल के वर्षों में उभरा है) में अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम है।

भारत (2009-10) में प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रोजगार और बेरोजगारी स्थिति पर उनकी रिपोर्ट के अनुसार, अन्यों के साथ-साथ, निम्नानुसार पाया गया है:—

(i) वर्ष 2009-10 में, मुस्लिमों की औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसई) अखिल भारत औसत एमपीसीई 1128/- रुपए की तुलना में 980/- रुपए थी।

(ii) 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले मुस्लिमों में ग्रामीण पुरुषों, ग्रामीण महिलाओं, शहरी पुरुषों तथा शहरी महिलाओं की साक्षरता दरें क्रमश: 69%, 47%, 81% तथा 65% थी।

(iii) शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार में नियोजित कार्मिकों के अनुपात में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक थी। प्रमुख धार्मिक समूहों में मुस्लिमों में नियमित रोजगार शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में निम्नतम था।

(iv) मुस्लिमों की बेरोजगारी दर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों में वर्ष 2004-05 की तुलना में 2009-10 में गिरावट आयी है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम थी। शहरी क्षेत्रों में ईसाईयों की बेरोजगारी दर निम्नतम थी, इसके पश्चात् मुस्लिमों की थी।

(ग) सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जो अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्यों/परिव्ययों के 15% का निर्धारण करते हुए अथवा अल्पसंख्यकों अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों को लाभों/निधियों के प्रवाह की विशिष्ट मॉनीटरिंग करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहल प्रयासों उनको कवर करने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, के माध्यम से देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों की शिक्षा

के अवसरों को बढ़ाने, आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों हेतु निष्पक्ष हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों में सुधार करने तथा साम्प्रदायिक तथा साम्प्रदायिक असामंजस्य की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) **शिक्षा** : अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कक्षा 1 से पीएचडी के छात्रों को कवर करते हुए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं नामक तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एम.फिल और पीएच.डी विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यान्वित कर रहा है। सरकार द्वारा दी गई संचित निधि के आधार पर निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभों के लिए कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय और महिला छात्रावास खोलकर शैक्षिक अवसंरचना का निर्माण किया गया है।

(ii) **कौशल विकास** : अल्पसंख्यकों की रोजगार क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण को बेहतर करने के लिए उनके कौशल विकास हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' योजना, सरकार द्वारा निर्मुक्त इक्विटी शेयर पूंजी की मदद से ऋण विस्तार हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की योजनाएं और एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाईजिंग ऐजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन उत्कृष्टता के केन्द्रों में किया गया है।

(iii) **क्षेत्र विकास** : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का सृजन करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भी अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले शहरों एवं नगरों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के विभिन्न संघटकों नामतः, शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी), एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) और शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) को शहरों एवं नगरों के लिए निधियों के प्रवाह को सुगम बना रहे हैं।

(iv) **ऋण की सुलभता** : वित्त मंत्रालय की प्राथमिक क्षेत्र ऋण योजना और एनएमडीएफसी की सूक्ष्म-ऋण एवं सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण और सावधि ऋण अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोग देने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

[हिन्दी]

यात्री सुरक्षा

88. श्री सतपाल महाराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नक्सलवादियों/माओवादियों और धरना एवं प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों से रेल यात्रियों की सुरक्षा करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) रेलवे पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य का विषय है इसलिए अपराध को रोकना, मामले दर्ज करना, उनकी जांच करना और रेल परिसरों के साथ-साथ चलती रेलगाड़ियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वाह राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करती हैं। अतः रेलवे परिसरों में होने वाले अपराधिक मामलों की रिपोर्ट, उनका पंजीकरण और जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में एस्कॉर्ट पार्टियों की संख्या में वृद्धि करके तथा महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्टेशनों पर अतिरिक्त कंट्रोल ड्यूटी के लिए स्टॉफ की तैनाती करके राजकीय रेलवे पुलिस/पुलिस की सहायता करता है। नक्सलवादी/माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में गाड़ियों की

सुरक्षा में लगे दल आधुनिक हथियारों, पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद, बुलेट-प्रूफ जैकेटों, वॉकी-टॉकी, ड्रेगन सर्च लाइटों आदि से सुसज्जित होते हैं।

धरनों और प्रदर्शनों आदि की पूर्व गुप्त सूचनाएं एकत्र की जाती हैं और राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं ताकि किसी अवांछित घटना को रोका जा सके। संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा जा रहा है और गुप्त सूचनाएं समय-समय पर आसूचना ब्यूरो, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ साझा की जाती है।

(ख) ऐसे उपायों/स्कीम के लिए किसी अलग राशि की स्वीकृति नहीं दी जाती। तथापि, चार बड़े क्षेत्रों यथा इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित क्लोज सर्किट टेलीविजन निगरानी प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल और बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम, बम का पता लगाने और निवारण प्रणाली के लिए 202 स्टेशनों पर रेलवे के निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 353 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) का अनुमोदन दिया गया है। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आने-वाले रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत उत्पादन

89. **श्री जगदानंद सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरी हो चुकी या निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के आधार पर देश के अन्य भागों में बड़ी क्षमता वाली पारेषण लाइनें स्थापित की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर-पूर्व से उत्तरी ग्रिड तक पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना है। सीईए द्वारा वर्ष 1978-87 में करवाए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में 58971 मेगावाट (58356 मेगावाट-25 मेगावाट से अधिक) की क्षमता विद्यमान है।

(ग) और (घ) देश में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए बृहत्तम क्षमता (132 केवी और उससे अधिक) पारेषण लाइनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) 3483 सीकेएम लम्बाई की लाइन के साथ ±1800 केवी एचवीडीसी विश्वनाथ चरियाली (एनईआर) से आगरा बायपोल (एनआर) लाइन के द्वारा पूर्वोत्तर और उत्तरी ग्रिड के बीच इंटरकनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए है। इस लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में पूरा होने की संभावना है।

विवरण

जल विद्युत परियोजनाओं से संबद्ध उच्चतर क्षमता (132 के.वी. और अधिक) पारेषण लाइनों की सूची

संबद्ध पारेषण लाइनें और उपकेंद्र	पारेषण कार्यों से जुड़े कार्यनिष्पादक राज्य/एजेंसी	सीकेटीएसए (एस/सी) एवं (डी/सी)	वोल्टेज स्तर (केवी)	सीकेएम/ एमवीए
1	2	3	4	5
अलकनंदा एचईपी (6×50 मेगावाट), पीएस, यूके, बदरीनाथ, यू1, यू2, यू3, यू4, यू5, यू6				
1. अलकनंदा एचईपी-जोशीमाथा	जीएमआर ईएनईआरजी	डी/सी	220	
2. श्रीनगर-काशीपुर	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	304
बगलिहार-2 एचईपी (3×150 मेगावाट) एसएस, जम्मू और कश्मीर, जेकेपीडीसी, यू1-3/15, यू2-5/15, यू3-6/15				
1. किशनपुर के एक सीकेटी का एलआईएलओ-बगलिहार एचईपी में न्यू वानपोह	जेकेपीडीडी	डी/सी	400	

1	2	3	4	5
भीषम एचईपी (3×17 मेगावाट), पीएस, सिक्किम, घाटी इंफ्रा, यू1, यू2 एवं 3 2014-15				
1. रांगनिछू के एक सीकेटी का एलआईएलओ-भीषम में रॉडपो	जीएटीआई	एस/सी	220	
बूधिल एचईपी (2×35 मेगावाट), पीएस, एचपी, लैनको ग्रीन, यू1-5/12(सी), यू2-5/12(सी)				
1. बूधिल-चमेरा-3	लीईपीपी	एस/सी पर डी/सी	220	40
चमेरा-2 एचईपी, सीएस, एचपी				
1. चमेरा-2 एचईपी (भाग-1)-चमेरा पूलिंग स्टेशन	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	1
जोरथांग लूप एचईपी (2×48 मेगावाट) पीएस, सिक्किम, डीएएनएस, यू1 एवं 2-6/13				
1. जोरथांग-न्यूमेली (टोकल) वाया ताशदिंग	डीईपीएल	एस/सी	220	
कामेंग एचईपी, सीसी, अरुणाचल प्रदेश, यू2-12/14, यू3-12/14				
1. कामेंग-बलिपारा	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	110
किशनगंगा एचईपी (3×110 मेगावाट) सीएस, जम्मू और कश्मीर एनएचपीसी, यू1, 2 एवं 3 2016-17				
1. किशनगंगा-न्यू वानपोह वाया एलिसटांग	एनएचपीसी	डी/सी	220	
2. किशनपुर-अमरगढ़	एनएचपीसी	डी/सी	220	
कोलडाम एचईपी (4×200 मेगावाट), सीएस, एचपी एनएचपीसी, यू(1-4)-13-14				
1. कोलडाम-लुधियाना (जेवी भाग)	जेवी (पीजीएवीपी)	डी/सी	400	306
2. कोलडाम-नालागढ़	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	93
कोटेश्वर एचईपी (4×100 मेगावाट), सीएस यूके, टीएचडीसी, यू3-1/12, यू4-3/12				
1. टेहरी के एलआईएलओ-मेरठ में टेहरी पूलिंग बिंदू (400 केवी पर लिया जाने वाला प्रभाग)	पीजीसीआईएल	2डी/सी	765	13
2. कोटेश्वर-टेहरी पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	5
लखवार एचईपी (300 मेगावाट) एण्ड व्यासी एचईपी (120 मेगावाट), एसएस, यूके, यूजेवीएनएल				
1. अमरोहा-पिथौरागढ़	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	146
2. आराकोट का आराकोट-मोरी और एलआईएलओ हानोल तूनी में मोरी	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	94
3. देवसरी-करणप्रयाग	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	52
4. नटवर मोरी में जखोल-शंकरी-मोरी की जखोल-शंकरी-मोरी और लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	76

1	2	3	4	5
5. लंगरासू में नंदप्रयाग-करनप्रयाग की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	16
6. पीरानकलियर एस/एस में रोशनाबाद-पुहाना की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	10
7. देहरादून (पीजी) एस/एस में व्यासी एचईपी-देहरादून की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	70
8. मोरी-देहरादून	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	200
लोअर जुराला एचईपी (6×40 मेगावाट), एसएस, एपीजीईएनसीओ, यू1-12/13, यू2-3/14 : यू3 से 6-14/16				
1. लोअर जुराला एचईपी में वलतूर-जुराला की लीलो	एपीटीआरएएनएससी	डी/सी	220	10
2. लोअर-जुराला एचईपी-अपर जुराला	एपीटीआरएएनएससीओ	डी/सी	220	22
मियार एचईपी (3×40 मेगावाट), पीएस, जिला स्पीति, एचपी, मैसर्स मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड				
1. मियार पूलिंग स्टेशन सीसू/ग्रामफू	सीटीयू	डी/सी	400	
2. सीसू/ग्रामफू पूलिंग स्टेशन-हमीरपुर	सीटीयू	डी/सी	400	
नागर्जुन सागर टीआरएचईपी (2×25 मेगावाट), एसएस, एपी, एपीजेनको, यू1 और 2 — 2014/15				
1. रंताचिंतला में वीटीएस-तल्लापली लाइन की लीलो	एपीटीआरएएनएससीओ	डी/सी	220	2
2. रंताचिंतला-मछेरला एस/एस	एपीटीआरएएनएससीओ	एस/सी	132	17
नई उम्तरु एचईपी (2×20 मेगावाट), एसएस, एमईजी, एमईसीएल, यू1 और 2 — 2014-15				
1. नई उम्तरु एचईपी-नोरबॉग (ईपीआईपी-2)	एमइईसीएल	डी/सी	132	6
पल्लीवासल एचईपी (2×30 मेगावाट), एसएस, केरल, केएसईवी, यू1 और 2 — 2014-15				
1. पल्लीवासल एचईपी में इदूकी-उदूमलपेत की लीलो	केएसईबी	डी/सी	220	
पार्वती-2 एचईपी (पीजीसीआईएल एण्ड जेपी) सीएस, एचपी, एनएचपीसी, इकाई-14/15				
1. पार्वती-2 कोलडाम लाइन-2	पीकेटीसीएल	एस/सी	400	64
2. पार्वती-2-कोलडाम लाइन-1	पीकेटीसीएल	एस/सी	400	67
पार्वती-3 एचईपी (4×130 मेगावाट), सीएस, एचपी, एनएचपीसी, यू1-6/13, यू2-7/13, यू3-1/14, यू4-3/14				
1. पार्वती-2 का लीलो-पर्वती में कोलडाम पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	1
2. पार्वती-2 का लीलो-पार्वती-3 में पार्वती पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	4
3. पार्वती पूलिंग बिंदू-अमृतसर	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	501
पाटा ब्योंग एचईपी (2×38 मेगावाट), पीएस, यूके, लैंको यू1-11/13				
1. पाटा एचईपी-बारामवारी (रुद्धपुर)	एलईपीपी	डी/सी	220	8
2. रुद्धपुर (बारामवारी)-घानशाली-श्रीनगर लाइन	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	182

1	2	3	4	5
रामपुर एचईपी (6×68.67 मेगावाट), सीएस, एचपी, सीजेवीएनएल, यू1-2/14, यू3-3/14, इकाई-4 का 6-14/15				
1. नेप्था झाखरी का लीलो-रामपुर में नालागढ़	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	8
2. पटियाला का लीलो-कतिहाल में हिसार	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	66
3. पटियाला-लुधियाना	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	156
रनघिट-4 एचईपी (3×40 मेगावाट), पीएस, सिक्किम, जेपी, यू1, 2, 3 — 2014-15				
1. जोरथांग-न्यूमेली के एक सर्किट को रंगित-4 के माध्यम से भेजना	एलईपीपी	डी/सी	220	
रेटल एचईपी, (6×115 मेगावाट), पीएस, जम्मू और कश्मीर, जीवेके, यू1-2/17, यू2-2/17, यू3-2/17, यू4-2/17, यू5-2/17, यू6-2/17				
1. रेटल एचईपी में दुलहस्ती-किशनपुर के एक सर्किट का लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
2. किशनपुर-रेटल, (दुलहस्ती-किशनपुर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिग को रेटल एचपी तक बढ़ना	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	
सैंज एचईपी (100 मेगावाट), एसएस, एचपी, एचपीपीसीएल, यू1 — 2014-15				
1. पार्वती-3-पार्वती पूलिंग स्टेशन का सैंज पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	400	
सैली एचईपी (5×80 मेगावाट), पीएस, एचपी, एम/एस सैली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कंपनी लि.				
1. मियार-हमीरपुर के एक सर्किट का सैली में (बरास्ता रोहतांग) लीलो	सीटीयू	डी/सी	400	
सिंगोली बटवारी एचईपी (3×33 मेगावाट) पीएस, यूके, एलएण्डटी, यू1, 2 एवं 3				
1. ब्रहम्वारी-श्रीनगर का सिंगोली बटवारी पर लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	5
सोरांग एचईपी, (2×50 मेगावाट), पीएस, एचपी, एचएसपीसीएल, यू1-11/13, यू2-12/13				
1. करछमवांग्तू-अब्दुलापुर के एक सर्किट का सोरांग पर लीलो	एचसीपीपीएल	डी/सी	400	6.4
श्रीनगर एचईपी (4×82.5 मेगावाट), पीएस, यूके, जीवीकेआईएल, यू1-12/12, यू2-1/13, यू3-2/13, यू4-3/13				
1. श्रीनगर एचईपी-श्रीनगर 400 केवी एस/एस	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	28
2. विष्णुप्रयाग-मुजफ्फरनगर का श्रीनगर एचईपी पर लीलो	यूपीपीटीसीएल	डी/सी	400	15
सुबांसरी एचईपी (लोअर) (8×250 मेगावाट), सीएस, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी, इकाई-1 का 8 — 2016-17				
1. लोअर सुबांसरी-विश्वनाथचेरियाली लाइन-1	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	334
2. लोअर सुबांसरी-विश्वनाथचेरियाली लाइन-2	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	340

1	2	3	4	5
सवाराकुड्डू एचईपी (3×37 मेगावाट), यू1-3, 2014-15				
1. नाथपा झाकरी-अब्दुलापुर के एक सर्किट का स्वाराकुड्डु पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	400	
तपोवन विष्णुगार्ड एचईपी (4×130 मेगावाट), सीएस, यूके, एनटीपीसी, यू1, 2, 3 एवं 4 — 2014-15				
1. विष्णुप्रयाग-मुज्जफरनगर का तपोवन विष्णुगार्ड पर लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
2. तपोवन गार्ड-कुंवारीपास	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
3. कुंवारीपास (पिपलाकोटी)-करनप्रयाग-श्रीनगर	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	184
4. मुज्जफरनगर-विष्णुप्रयाग का कुंवारीपास (पिपलाकोटी) पर लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	2
ताशीडंग एचईपी (2×48 मेगावाट), पीएस, सिक्किम, सिगा ऊर्जा, यू1 एवं 2-3/14				
1. ताशीडिंग-न्यूमैली		एस/सी	220	
तीस्ता एलडी-4 एचईपी (4×40 मेगावाट), सीएस डब्ल्यूबी, एनएचपीसी, इकाई-1 का 4 — 2014-15				
1. तीस्ता एलडीपी 3-तीस्ता एलडी 4-न्यू जलपाईगुड़ी	डब्ल्यूबीईटीसीएल	डी/सी	220	166
तीस्ता 4 एचईपी (4×125 मेगावाट), पीएस एम/एस लैंको उरिजा, सिक्किम, यू1-4 — 2015-16				
1. तीस्ता 6-न्यू मैली	एलईपीपी	डी/सी	220	
टेहरी पीएसएस, एचईपी (4×250 मेगावाट), सीएस, यूपी, टीएचडीसी, यू1, 2, 3 एवं 4				
1. टेहरी पूलिंग स्टेशन-मेरठ की चार्जिंग	पीजीसीआईएल	डी/सी	765	
2. टेहरी पीएसएस-टेहरी पूलिंग स्टेशन	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
थोटियार एचईपी (1×30 + 1×10 मेगावाट), एसएस, केरल, केएसईबी, यू1 एवं 2				
1. लड्डुकी-कोजिकोर्ड का कोडकपारा पर लीलो	केएसईबी	डी/सी	220	
2. थोटियार-कोडकपारा	केएसईबी	डी/सी	220	
टिडांग-1 एचईपी (2×50 मेगावाट), पीएस, एचपी, एनएसएल, यू1 एवं 2				
1. कासांग-भाबा का तिडोंग-1 पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	220	
तूरियल एचईपी (2×30 मेगावाट), सीएस मिज़ोरम एनईईपीसीओ, यू1, 2 — 2015-16				
1. जिरीबांग ऐजल का तूरियल पर लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	132	
2. तूरियल एचईपी-ऐजल	पीएण्डईडी मिजो	एस/सी	132	
उरी-2 एचईपी (4×60 मेगावाट), सीएस, जम्मू और कश्मीर, एनएचपीसी, यू1-6/13, यू2-6/13, यू3-7/13, यू4-8/13				
1. उरी-1 उरी-2	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	11
2. उरी-2 वगोरा	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	105

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट शासन के लिए नीति

90. श्री अजय कुमार : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए कॉर्पोरेट शासन हेतु एक विशेष नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए समय-सीमा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक दिए जाने की संभावना है तथा क्या गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी उक्त सूची में शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो एमसीए रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करती है तथा जो एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैग्वेंज (एक्सबीआरएल) मानकों के अनुसार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ङ) अर्थव्यवस्था में व्यापार के बढ़ते महत्व और परस्पर निर्भर विश्व में परिचालन संबंधी जटिलताओं के कारण, इस मंत्रालय के लिए यह आवश्यक हो गया कि 07.03.2013 को श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक नीतिपरक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

भारत में व्यवसाय करना सुगम बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कंपनी अधिनियम, 2013 में निम्नलिखित के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:—

(i) **पूर्णतः** इलेक्ट्रॉनिक एमसीए-21 रजिस्ट्री के माध्यम से कंपनियों के तीव्र निगमन/पंजीकरण का प्रावधान किया गया है;

(ii) कंपनियों को ई-शासन मोड के माध्यम से अभिलेखों के रखरखाव तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है;

(iii) कंपनियों को इस प्रकार से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो 'सरकार/विनियामक अनुमोदन आधारित व्यवस्था' की जगह 'स्व-विनियमित प्रकटीकरण/पादर्शिता' आधारित है;

(iv) व्यवसाय के कॉर्पोरेट स्वरूप का लाभ उठाने हेतु नए उद्यमियों को अनुमति प्रदान करने के लिए 'एकल व्यक्ति कंपनी' 'लघु कंपनी' की संकल्पना को मान्यता प्रदान की गई है;

(v) तीव्र विलय एवं अधिग्रहण जिसमें विलय के छोटे स्वरूप तथा परस्पर विलय भी शामिल हैं, को अनुमति दी गई है;

(vi) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन;

(vii) कंपनियों की एक श्रेणी के लिए शीघ्र परिसमापन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

लगभग 30,000 कंपनियों एक्सबीआरएल के लिए चुनिंदा मानदंड के अंतर्गत समाविष्ट हैं। 25.11.2013 की स्थिति के अनुसार, 26,496 कंपनियों ने एक्सबीआरएल के तहत दस्तावेज दायर किए हैं।

[हिन्दी]

स्टॉलों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

91. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों के आबंटन में अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और अनुसूचित जाति (एस.सी.) के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों के आबंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान एक समान है और क्षेत्रीय रेलों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखे जाने वाला इसका मंडल-वार लेखा जोखा नीचे दिए गए अनुसार है:—

स्टेशनों की कोटि	ए, बी एवं सी कोटि के स्टेशनों पर 25% तथा डी, ई एवं एफ कोटि के स्टेशनों पर 49.5%				बी एवं निम्न कोटि के स्टेशनों पर 25%	
	खानपान स्टॉल		विविध सामग्री स्टॉल		बुक स्टॉल	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	6%	4%	6%	4%	—	—
बी	6%	4%	6%	4%	6%	4%
सी	6%	4%	6%	4%	6%	4%
डी	12%	8%	12%	8%	6%	4%
ई	12%	8%	12%	8%	6%	4%
एफ	12%	8%	12%	8%	6%	4%

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल की उपलब्धता

92. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री खगेन दास :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेयजल के संबंध में देश में पूरी तरह शामिल, आंशिक रूप से शामिल किए गए और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की सभी बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जनसंख्या का एक हिस्सा पेयजल लेने के लिए आधा किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इनका प्रतिशत क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना (1.4.2013 को) के अनुसार, देश में 16,92,251 ग्रामीण बसावटें हैं जिनमें से 11,61,018 बसावटें पूरी तरह से कवर की गई हैं, 448439 आंशिक रूप से कवर की गई हैं एवं 82794 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण जनता को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए उनहें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2013-14 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 11,000 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन का प्रावधान किया गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आंशिक रूप से कवर किए गए एवं गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जानी है। ऐसी बसावटों को कवर करने के लिए राज्यों को आबंटित कुल आबंटन में से 67% तक के आबंटन का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जनगणना 2011 के अनुसार, देश में ग्रामीण परिवारों के 22.10% परिवार अपने आवास स्थान से 500 मीटर से अधिक की दूरी से पेयजल लाते हैं। परिवारों के आवास-स्थान से पेयजल की उपलब्धता की दूरी, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस मंत्रालय का ध्यान ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति करना है। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाए, जहां ग्रामीण परिवारों को पेयजल लाने के लिए 500 मीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है।

विवरण-I

दिनांक (01.04.2013) की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति से संबद्ध ग्रामीण बसावटों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल बसावटें	पूर्णत: कवर की गईं बसावटें	आंशिक रूप से कवर की गईं बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	72176	38016	30611	3549
2.	बिहार	107640	72875	24178	10587
3.	छत्तीसगढ़	73563	46814	21161	5588
4.	गोवा	347	345	2	0
5.	गुजरात	34415	33805	403	207
6.	हरियाणा	7336	6911	414	11
7.	हिमाचल प्रदेश	53604	37709	15895	0
8.	जम्मू और कश्मीर	15613	9457	6156	0
9.	झारखंड	119667	77338	42257	72
10.	कर्नाटक	59753	24906	31640	3207
11.	केरल	11883	3517	7473	893
12.	मध्य प्रदेश	127169	116002	9047	2120
13.	महाराष्ट्र	100712	86276	13142	1294
14.	ओडिशा	157296	103552	44744	9000
15.	पंजाब	15335	10641	4455	239
16.	राजस्थान	121133	69086	28206	23841
17.	तमिलनाडु	98179	76591	21102	486
18.	उत्तर प्रदेश	260110	259298	26	786
19.	उत्तराखंड	39142	2483	36620	39
20.	पश्चिम बंगाल	98120	38627	56786	2707
21.	अरुणाचल प्रदेश	5612	690	4808	114
22.	असम	87888	38372	36637	12879

1	2	3	4	5	6
23.	मणिपुर	2870	1627	1243	0
24.	मेघालय	9326	1821	7415	90
25.	मिज़ोरम	777	472	305	0
26.	नागालैंड	1500	392	1035	73
27.	सिक्किम	2084	502	1582	0
28.	त्रिपुरा	8132	2458	671	5003
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	503	307	196	0
30.	चंडीगढ़	18	0	18	0
31.	दादरा और नगर हवेली	70	0	70	0
32.	दमन और दीव	21	0	21	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	0	9	0
35.	पुदुचेरी	248	128	111	9
	कुल		1161018	448439	82794

विवरण-II

परिवारों से पेयजल की उपलब्धता की दूरी—जनगणना 2011

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण बसावटें परिवारों के परिसर में	बसावटों के परिसर के (<500 मी.)	दूर (>500 मी.)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	35.50	35.10	29.40
2.	हिमाचल प्रदेश	51.90	37.90	10.20
3.	पंजाब	81.70	12.70	5.70
4.	चंडीगढ़	85.40	13.00	1.60
5.	उत्तराखंड	45.40	34.50	20.10
6.	हरियाणा	56.30	27.50	16.20
7.	दिल्ली	64.10	25.50	10.40
8.	राजस्थान	21.00	47.10	31.90
9.	उत्तर प्रदेश	44.10	41.90	14.10
10.	बिहार	47.10	40.40	12.60
11.	सिक्किम	42.10	35.10	22.80
12.	अरुणाचल प्रदेश	31.40	42.20	26.40
13.	नागालैंड	20.10	48.50	31.40
14.	मणिपुर	8.00	51.30	40.70

1	2	3	4	5
15.	मिज़ोरम	6.40	61.60	32.10
16.	त्रिपुरा	24.50	35.90	39.60
17.	मेघालय	14.80	47.30	37.90
18.	असम	50.40	29.30	20.40
19.	पश्चिम बंगाल	30.50	37.90	31.50
20.	झारखंड	11.70	51.90	36.40
21.	ओडिशा	16.00	45.50	38.50
22.	छत्तीसगढ़	10.30	59.30	30.30
23.	मध्य प्रदेश	13.00	50.90	36.10
24.	गुजरात	48.30	33.20	18.50
25.	दमन और दीव	72.60	24.60	2.80
26.	दादरा और नगर हवेली	30.60	48.4	19.00
27.	महाराष्ट्र	42.90	37.50	19.60
28.	आंध्र प्रदेश	31.50	44.60	23.90
29.	कर्नाटक	26.60	48.60	24.80
30.	गोवा	71.20	20.60	8.20
31.	लक्षद्वीप	79.80	19.90	0.30
32.	केरल	72.90	16.30	10.80
33.	तमिलनाडु	17.00	74.80	8.20
34.	पुदुचेरी	60.70	37.20	2.10
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47.10	35.30	17.60
	भारत	35.00	42.90	22.10

[अनुवाद]

मनरेगा

93. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री रवनीत सिंह :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री भर्तृहरि महताब :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री पी. कुमार :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग की गई निधि और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न किए जाने/भुगतान में विलंब होने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा शिकायतों में शामिल ऐसी मजदूरी की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राशि कितनी है;

(ङ) समय पर मजदूरी का भुगतान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(च) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वर्तमान मजदूरी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत प्रति कामगार औसत मजदूरी दिवस का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मांग प्रेरित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। सहमति-प्राप्त श्रम बजटों के आधार पर तथा निष्पादन एवं उपलब्ध निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियां रिलीज़ की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत केंद्रीय रिलीज़ और व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सृजित श्रम दिवसों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत निधियों के दुरुपयोग, मजदूरी का भुगतान न/देरी से

किए जाने की शिकायतें शामिल हैं। चूंकि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई योजनाओं के अनुरूप अधिनियम का कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दशाई गई है।

(ङ) मनरेगा के तहत समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने तथा ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों या डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी का वितरण (यदि विशेष छूट न दी गई हो) सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया।
- मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक समयावधि को कम करने के लिए राज्य सरकारों को इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) शुरू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- मजदूरी वितरण का संस्थागत प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन से बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगातन करने के लिए बिजनेस कारेसपोंडेंट मॉडल शुरू करने अनुदेश राज्य सरकारों को दिए गए हैं।
- मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों की रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मजदूरी के भुगतान की समय-सारणी का सुझाव दिया गया है।
- मनरेगा के लिए समर्पित कर्मचारियों की तैनाती, सामाजिक लेखा-परीक्षा, शिकायत निपटान के लिए प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक संरचनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई।

(च) मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा मजदूरी दरें संलग्न विवरण-IV में दर्शाई गई है।

(छ) मनरेगा के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्रति परिवार औसत श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दर्शाया गया है।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत जारी केन्द्रीय धनराशि और व्यय

क्र. सं.	राज्य	रिलीज की गई केन्द्रीय निधि				व्यय			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7418.07	1477.58	3216.74	4413.38	5439.39	4245.88	5037.51	2922.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.28	60.79	68.34	118.53	50.57	0.95	43.75	7.66
3.	असम	609.29	426.86	534.46	573.50	921.04	747.53	651.54	339.07
4.	बिहार	2103.65	1300.73	1227.81	1405.71	2664.25	1326.97	1861.49	1031.52
5.	छत्तीसगढ़	1685.05	1638.56	2031.36	1321.02	1633.98	2040.03	2221.19	1071.62
6.	गुजरात	894.86	324.29	474.41	230.90	788.22	659.05	617.43	239.60
7.	हरियाणा	131.00	275.12	349.36	316.88	214.70	312.84	380.66	196.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	636.25	311.38	361.30	352.29	501.96	509.52	495.74	270.30
9.	जम्मू और कश्मीर	313.60	781.31	762.76	328.16	377.77	443.67	853.45	277.39
10.	झारखंड	962.87	1237.33	809.17	621.43	1284.35	1169.67	1152.36	565.42
11.	कर्नाटक	1573.05	662.57	1231.94	1203.53	2537.17	1622.27	1456.47	1015.09
12.	केरल	704.23	951.05	1311.18	987.11	704.34	1048.08	1416.60	639.50
13.	मध्य प्रदेश	2565.77	2968.51	1610.15	1753.34	3637.25	3410.38	3073.70	797.85
14.	महाराष्ट्र	204.71	1040.44	1573.24	1152.92	358.12	1601.50	2188.72	817.36
15.	मणिपुर	342.99	624.97	590.23	156.00	440.71	295.17	598.79	51.06
16.	मेघालय	209.81	284.98	226.11	155.79	319.02	298.69	256.03	109.96
17.	मिज़ोरम	216.03	329.57	252.29	154.74	293.15	230.68	290.39	119.05
18.	नागालैंड	511.57	673.47	460.12	260.63	605.37	563.40	428.23	97.90
19.	ओडिशा	1561.86	978.22	847.98	674.92	1533.14	1039.08	1177.74	641.05
20.	पंजाब	128.79	114.29	114.21	132.34	165.84	159.81	157.78	115.66
21.	राजस्थान	2788.82	1619.70	2585.34	1809.43	3289.07	3156.60	3271.39	1785.21
22.	सिक्किम	44.49	100.80	74.07	82.46	85.26	48.24	80.17	26.38
23.	तमिलनाडु	2024.90	2815.52	3546.05	4690.21	2323.32	2923.20	4121.23	2198.29
24.	त्रिपुरा	382.61	959.33	768.90	803.66	631.87	942.52	971.03	359.35
25.	उत्तर प्रदेश	5266.59	4240.48	1292.02	2696.39	5631.20	5016.25	2663.19	2185.62
26.	उत्तराखंड	289.81	373.51	268.27	330.01	380.20	388.30	311.77	182.11
27.	पश्चिम बंगाल	2117.61	2597.03	3395.48	2214.38	2532.46	2837.02	3850.56	1782.73
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.69	16.44	13.81	15.50	9.04	15.97	13.00	3.22
29.	दादरा और नगर हवेली	0.48	1.00	0.40	0.00	1.23	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	5.08	2.60	2.41	0.00	9.93	6.98	1.44	0.69
32.	लक्षद्वीप	2.34	0.35	1.18	0.17	2.52	2.41	1.53	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	पुदुचेरी	29.82	1.00	8.86	8.80	10.82	10.18	12.15	8.76
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	35768.95	29189.77	30009.96	28964.12	39377.27	37072.82	39657.04	19858.97

विवरण-II

मनरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस

क्र. सं.	राज्य	सृजित श्रम दिवस (लाख में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3351.61	2939.34	3238.85	1902.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.12	0.73	33.41	9.17
3.	असम	470.52	352.63	314.04	133.46
4.	बिहार	1602.62	682.16	940.97	417.36
5.	छत्तीसगढ़	1110.35	1206.76	1194.01	579.47
6.	गुजरात	491.84	313.00	281.90	108.72
7.	हरियाणा	84.2	109.36	128.87	59.79
8.	हिमाचल प्रदेश	219.46	270.13	262.02	121.27
9.	जम्मू और कश्मीर	210.68	209.10	365.56	58.97
10.	झारखंड	830.9	609.71	566.40	267.39
11.	कर्नाटक	1097.85	701.03	621.81	168.72
12.	केरल	480.34	633.10	837.74	333.54
13.	मध्य प्रदेश	2198.18	1688.98	1387.58	309.86
14.	महाराष्ट्र	200	772.02	871.74	314.72
15.	मणिपुर	295.61	224.07	285.11	27.30
16.	मेघालय	199.81	167.75	167.19	74.73
17.	मिज़ोरम	165.98	130.60	153.56	65.06

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	334.34	296.61	245.31	70.31
19.	ओडिशा	976.57	453.75	546.01	334.12
20.	पंजाब	75.4	64.52	65.50	45.46
21.	राजस्थान	3026.22	2120.55	2203.38	1053.59
22.	सिक्किम	48.14	32.88	36.31	12.03
23.	तमिलनाडु	2685.93	3015.75	4081.44	2349.94
24.	त्रिपुरा	374.51	489.74	518.51	197.49
25.	उत्तर प्रदेश	3348.97	2673.36	1411.85	1069.91
26.	उत्तराखंड	230.2	198.98	192.00	45.25
27.	पश्चिम बंगाल	1553.08	1495.94	2018.39	460.27
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.03	8.30	6.61	1.40
29.	दादरा और नगर हवेली	0.47	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	3.7	3.11	0.68	0.29
32.	लक्षद्वीप	1.34	1.65	0.49	0.08
33.	पुदुचेरी	11.27	10.79	8.67	6.59
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	25715.24	21876.36	22985.91	10598.86

विवरण-III

राज्य-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	शिकायतों की स्थिति			
		लंबित	आंशिक रूप से निपटाई गई	अंतिम रूप से निपटाई गई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	14

1	2	3	4	5	6
2.	असम	40	0	276	316
3.	बिहार	1371	0	8	1379
4.	छत्तीसगढ़	100	1	103	204
5.	गोवा	6	0	0	6
6.	गुजरात	22	0	143	165
7.	हरियाणा	113	0	289	402
8.	हिमाचल प्रदेश	32	0	377	409
9.	जम्मू और कश्मीर	27	0	0	27
10.	झारखंड	450	3	168	621
11.	कर्नाटक	196	7	2293	2496
12.	केरल	30	0	42	72
13.	मध्य प्रदेश	1276	2	23	1301
14.	महाराष्ट्र	607	1	290	898
15.	मणिपुर	92	1	3	96
16.	मेघालय	1	0	4	5
17.	नागालैंड	4	0	0	4
18.	ओडिशा	541	3	464	1008
19.	पंजाब	144	4	165	313
20.	राजस्थान	16	1	538	555
21.	सिक्किम	2	0	2	4
22.	तमिलनाडु	20	0	97	117
23.	त्रिपुरा	7	0	100	107
24.	उत्तर प्रदेश	4417	1	52	4470
25.	उत्तराखंड	106	0	10	116
26.	पश्चिम बंगाल	196	0	8	204
27.	पुदुचेरी	6	0	1	7
	कुल	9836	24	5456	15316

विवरण-IV

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा मजदूरी दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संशोधित मजदूरी दर (रुपए में)
1	2	3
1.	गोवा	152.00
2.	आंध्र प्रदेश	149.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	135.00
4.	बिहार	138.00
5.	गुजरात	147.00
6.	हरियाणा	214.00
7.	हिमाचल प्रदेश गैर-अनुसूचित	138.00
7(क)	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित	171.00
8.	जम्मू और कश्मीर	145.00
9.	कर्नाटक	174.00
10.	केरल	180.00
11.	मध्य प्रदेश	146.00
12.	महाराष्ट्र	162.00
13.	मणिपुर	153.00
14.	मेघालय	145.00
15.	मिज़ोरम	148.00
16.	नागालैंड	135.00
17.	ओडिशा	143.00
18.	पंजाब	184.00
19.	राजस्थान	149.00
20.	सिक्किम	135.00
21.	तमिलनाडु	148.00
22.	त्रिपुरा	135.00
23.	उत्तर प्रदेश	142.00
24.	पश्चिम बंगाल	151.00
25.	छत्तीसगढ़	146.00
26.	झारखंड	138.00
27.	उत्तराखंड	142.00
28.	गोवा	178.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (अंडमान)	198.00
29 (क)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार)	210.00
30.	दादरा और नगर हवेली	175.00
31.	दमन और दीव	150.00
32.	लक्षद्वीप	166.00
33.	पुदुचेरी	148.00
34.	चंडीगढ़	209.00

विवरण-V

मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार औसत श्रम दिवस

क्र. सं.	राज्य	प्रति परिवार औसत श्रम दिवस			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (22.11.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	54	59	56	38

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	23	16	29	25
3.	असम	26	26	25	17
4.	बिहार	34	39	45	34
5.	छत्तीसगढ़	45	44	45	31
6.	गुजरात	45	38	41	32
7.	हरियाणा	36	39	44	29
8.	हिमाचल प्रदेश	49	53	51	34
9.	जम्मू और कश्मीर	43	48	57	33
10.	झारखंड	42	39	40	32
11.	कर्नाटक	49	42	46	35
12.	केरल	41	45	55	28
13.	मध्य प्रदेश	50	44	40	24
14.	महाराष्ट्र	44	51	54	37
15.	मणिपुर	68	63	62	9
16.	मेघालय	58	50	51	32
17.	मिज़ोरम	97	77	88	39
18.	नागालैंड	95	80	63	20
19.	ओडिशा	49	33	34	28
20.	पंजाब	27	26	27	22
21.	राजस्थान	52	47	52	37
22.	सिक्किम	85	60	64	32
23.	तमिलनाडु	54	48	58	42
24.	त्रिपुरा	67	86	87	35
25.	उत्तर प्रदेश	52	36	29	27
26.	उत्तराखंड	42	42	44	28
27.	पश्चिम बंगाल	31	27	35	17

1	2	3	4	5	6
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	43	52	23
29.	दादरा और नगर हवेली	21	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	27	28	14	14
32.	लक्षद्वीप	30	43	26	20
33.	पुदुचेरी	30	25	21	19
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	औसत	47	43	46	32

[हिन्दी]

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के उद्देश्य

94. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त उद्देश्य साकार हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रेस परिषद् (पीसी) अधिनियम, 1978 में सांविधिक अर्ध न्यायिक स्वायत्तशासी निकाय, भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) की स्थापना करने का प्रावधान है जिसके युगल उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना तथा देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को कायम रखना तथा उनमें सुधार लाना है।

(ख) से (घ) प्रेस परिषद् अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, परिषद् प्रेस के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करने के साथ-साथ प्रेस की शिकायतों का निपटारा, अधिनियम की धारा 13 और 14 के अंतर्गत अपने निर्णयात्मक और परामर्शी कार्यकलापों के मार्फत करती है। परिषद् ने अधिनियम की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत मीडिया द्वारा पालन किए जाने हेतु पत्रकारिता के आचरण के मानदंड भी बनाए हैं। प्रेस परिषद् (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियमन 1978 के विनियम 13 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने या इसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में परिषद् उसका अपनी ओर से या शिकायत किए जाने पर संज्ञान लेती है। भारतीय प्रेस परिषद् को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः प्रेस के विरुद्ध 85 और 151 शिकायतें प्राप्त/अधिनिर्णीत हुईं तथा प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे के संबंध में क्रमशः 24 और 35 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा, परिषद् ने पेड न्यूज, सेबी, बिहार में प्रेस की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट, प्रिंट से एफडीआई, ट्राई आदि जैसे विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट तैयार की हैं।

परिषद् के कार्य निष्पादन की समीक्षा सीधे संसद द्वारा इसके समक्ष रखी गई वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

नागपुर में रेलवे क्वार्टर

95. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का नागपुर में मोतीबाग और अजनी स्टेशन के

समीप उपलब्ध रिक्त रेल-भूमि को रेलवे-क्वार्टरों के निर्माण हेतु विकसित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है तथा क्वार्टरों की कमी के इस मुद्दे के समाधान के लिए रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मोती बाग और अजनी स्टेशन क्षेत्र में कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। रेलवे क्वार्टरों, सेवा बिल्डिगों आदि द्वारा विषयगत भूमि पर कब्जा किया जाता है। क्वार्टरों का निर्माण/पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसे मांग और निधि की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है।

मध्यपूर्व की हवाई उड़ानों का रद्द होना

96. श्री एम.आई. शानवास : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया हवाई उड़ानों को विलंब कर/रद्द कर मध्य पूर्व के देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए लगातार संकट उत्पन्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यात्रियों या प्रतिनिधि निकायों जैसे यात्री संघों द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। एअर इंडिया की अनुषंगी एअर इंडिया एक्सप्रेस मुख्यत: मध्यपूर्व गंतव्यों के लिए उड़ानें प्रचालित करती है, हालांकि एअर इंडिया भी इन्हीं मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करती है। सामान्यत: उड़ानें, अनुसूची के अनुसार प्रचालित की जाती हैं। तथापि, कभी-कभी तकनीकी, प्रचालनिक वाणिज्यिक, मौसम तथा विविध कारणों, जोकि एयरलाइनों के नियंत्रण से परे होते हैं, की वजह से उड़ानें विलंबित हो जाती हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस का समय अनुपालन इस समय 99.7% है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए एअर इंडिया को अग्रेषित किया जाता है! व्यक्तिगत यात्रियों तथा विभिन्न संघों से प्राप्त शिकायतों पर कार्य करने के लिए एअर इंडिया में एक सुपरिभाषित शिकायत समाधान प्रक्रिया है और शिकायतों के जल्द से जल्द निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाते है। उड़ानों के निरस्त होने के मामले में, संबंधित यात्रियों को विकल्प अर्थात् एअर इंडिया की अन्य उड़ान अथवा अन्य एयरलाइनों पर यात्रा करने का, दिया जाता है जोकि सीट की उपलब्धता/किराये की पूर्व आपसी/एअर इंडिया उड़ानों पर फ्री री-शिड्यूलिंग के अध्यधीन होता है।

[हिन्दी]

बीपीएल को बिजली

97. डॉ. बलीराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र में बिजली प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया गया है लेकिन आज तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में बीपीएल सूची में शामिल सभी लोगों को बिजली कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की परियोजना जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी 50,828 घरों को मुफ्त विद्युत सर्विस कनेक्शन प्रदान करना शामिल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई थी। सभी 50,828 बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। बीपीएल घरों की सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शेष अर्हता प्राप्त बीपीएल घरों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

यूनेस्को केन्द्र

98. श्री हरिन पाठक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फरीदाबाद में जैवप्रौद्योगिकी हेतु संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्य क्या हैं और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त केन्द्र के कब तक स्थापित होने की संभावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां, सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद की स्थापना करने की स्वीकृति दी है, जो वर्तमान में कार्यकारी आदेश के जरिए जून, 2010 से अपने अंतरिम परिसर से प्रचालन में है। फरीदाबाद में स्थायी स्थल पर निर्माण गतिविधियां पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में हैं।

(ख) केन्द्र को जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु यूनेस्को के तत्वावधान के तहत श्रेणी द्वितीय के रूप में नामित किया गया है और यह संसद के विधान के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय होगा। केन्द्र का मिशन महत्वपूर्ण मंच प्रौद्योगिकियों में भौतिक अवसंरचना का सृजन करना और जैवप्रौद्योगिकी में अंतरविषयक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सहायता देने के लिए इसका प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य जैवप्रौद्योगिकी में नवाचार संचालन के लिए दक्ष मानव संसाधन का निर्माण करना और प्रतिभा की कमी वाले क्षेत्रों को भरना भी है।

(ग) यद्यपि केन्द्र गुड़गांव के अपने अंतरिम परिसर में प्रभावकारी रूप से कार्यरत है लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभिन्न सांविधिक क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होने के कारण फरीदाबाद में स्थाई परिसर के निर्माण में विलंब हुआ है।

[हिन्दी]

देश में जल निकाय

99. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में जल निकायों की संख्या और उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता और इसकी मांग के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर उठाए जाने वाले अनुवर्ती कदम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संदर्भ वर्ष 2006-07 के लिए की गई चौथी लघु सिंचाई गणना के अनुसार, देश में सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल निकायों की कुल संख्या 5.2816 लाख थी जिनकी भंडारण क्षमता लगभग 8614.205591 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) थी।

(ख) और (ग) जी, हां। योजना आयोग द्वारा गठित XIIवीं योजना के बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध जल संसाधन की आकलन लगभग 1869 बीसीएम किया गया है। तथापि, भूभौतिकीय एवं स्थलाकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण, दो1नों क्षेत्रों के लिए उपयोज्य जल 1121 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आकलित किया गया है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 431 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। वर्ष 2050 तक राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) द्वारा शहरी और ग्रामीण, दोनों, क्षेत्रों के लिए किए गए आकलन के अनुसार जल की वार्षिक मांग लगभग 1180 बीसीएम होगी।

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) आदि के माध्यम से जल संसाधन के सतत् विकास एवं प्रभावी प्रबंध को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है।

[अनुवाद]

पनधारा कार्यक्रम

100. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में पनधारा कार्यक्रम के तहत निधियों के दुरुपयोग का मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा और इसमें शामिल एनजीओ और अन्य संगठनों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ग) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

के वाटरशेड विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा अन्य संगठनों सहित गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। यह समिति भूमि संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में सतर्कता बरतने तथा उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।

विवरण

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	शिकायत प्राप्त होने का वर्ष	शिकायत का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	असम	2010-11	जिला धुबरी में आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत स्वीकृत निधियों की गड़बड़ी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	2013-14	सिपु गांव के पुटे क्षेत्र और प्रेवर, पूर्वी सिआंग जिला की वाटरशेड परियोजना के लिए निर्मुक्त निधियों का दुरुपयोग।
3.	बिहार	2012-13	गया जिले के अत्री ब्लॉक के तहत सहोरा और नारावत पंचायत में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) परियोजना-II में कथित अनियमितताएं।
4.	बिहार	2013-14	जमुई जिले में वाटरशेड कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत।
5.	गुजरात	2010-11	बनासकंठा जिले में हरियाली परियोजनाओं के तहत निधियों का दुरुपयोग।
6.	हरियाणा	2011-12	श्री मांगेराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ककरोली हट्टी, तहसील चरखी दादरी, ब्लॉक बधरा, भिवानी जिला द्वारा हरियाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निधियों का दुरुपयोग और अनियमितताएं।
7.	जम्मू और कश्मीर	2012-13	डोडा जिले में हरियाली परियोजनाओं के तहत निधियों के उल्लंघन और दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायत।
8.	मध्य प्रदेश	2011-12	ग्राम पंचायत गरेंठा, जिला विदिशा में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं
9.	मध्य प्रदेश	2011-12	ओलिजा, ग्राम पंचायत, ग्यारसपुर तहसील, जिला विदिशा में वाटरशेड समिति में गबन और जालसाजी के आरोप
10.	मध्य प्रदेश	2012-13	सागर जिले में समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग करने के लिए माप पुस्तिका (मेजरमेन्ट बुक) में जाली प्रविष्टी।
11.	मध्य प्रदेश	2012-13	सागर जिले में आईडब्ल्यूएमपी-V के तहत माप पुस्तिका में जाली प्रविष्टी करके वित्तीय अनियमितताएं और निधियों का दुरुपयोग।

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	2012-13	सागर जिले में आईडब्ल्यूएमपी और आईडब्ल्यूडीपी परियोजनाओं के तहत वित्तीय अनियमितताएं।
13.	मध्य प्रदेश	2012-13	मुरैना जिले में वाटरशेड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार।
14.	मध्य प्रदेश	2013-14	सागर जिले में आईडब्ल्यूएमपी के तहत वित्तीय अनियमितताएं और निधियों का दुरुपयोग।
15.	महाराष्ट्र	2011-12	जामनेर ब्लॉक, जलगांव जिला में हरियाली परियोजनाओं के संबंध में शिकायत।
16.	महाराष्ट्र	2012-13	परिपयोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनियमित प्रचालन और अनाचार हेतु महाराष्ट्र में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के संबंध में शिकायत।
17.	महाराष्ट्र	2012-13	आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में आईडब्ल्यूएमपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत।
18.	महाराष्ट्र	2012-13	आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत।
19.	ओडिशा	2013-14	गंजम जिले में आईडब्ल्यूएमपी-III के तहत निधियों का दुरूपयोग।
20.	राजस्थान	2010-11	बीकानेर जिले में गुसाइंसर में वाटरशेड निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायत।
21.	राजस्थान	2011-12	ग्राम बिजासर के सरपंच और निवासियों से आईडब्ल्यूएमपी के तहत निधियों के दुर्विनियोजन और दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायत।
22.	राजस्थान	2011-12	वाटरशेड समितियों के पुनर्गठन के संबंध में श्रीमती शान्ति, सरपंच, ग्राम पंचायत लोहारवा, बाड़मेर जिला से प्राप्त शिकायत।
23.	राजस्थान	2011-12	बाड़मेर जिले में आईडब्ल्यूएमपी के तहत सौर लाइटों की खरीद में निधियों के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन के संबंध में परियोजना प्रबंधक के खिलाफ शिकायत।
24.	उत्तर प्रदेश	2011-12	बांदा जिले में बंधों के निर्माण में अनियमितताएं।
25.	उत्तर प्रदेश	2011-12	चित्रकूट जिले में बुन्देलखंड पैकेज के तहत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में निधियों की अनियमितताएं और दुरुपयोग
26.	उत्तर प्रदेश	2011-12	कानपुर जिले में तालाबों के निर्माण के लिए आईडब्ल्यूएमपी के तहत सरकारी निधियों की कथित अनियमितताएं और दुरुपयोग।
27.	उत्तर प्रदेश	2011-12	झांसी जिले में अवमानक बांध का निर्माण।
28.	उत्तर प्रदेश	2012-13	काशीराम नगर जिले में तालाबों के निर्माण में निधियों का दुरुपयोग।
29.	उत्तर प्रदेश	2012-13	खेरी जिले में आईडब्ल्यूएमपी के तहत निधियों का दुरुपयोग।

1	2	3	4
30.	उत्तर प्रदेश	2012-13	कमासिन, बिसांडा और महुआ ब्लॉकों में आईडब्ल्यूएमपी बुन्देलखंड विशेष पैकेज में शुरू किए गए विकास निर्माण कार्यों में कथित धोखाधड़ी/अनियमितताएं।
31.	उत्तर प्रदेश	2013-14	बुन्देलखंड पैकेज के तहत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में भ्रष्टाचार।
32.	उत्तराखंड	2011-12	टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं।

अगरतला-उदयपुर-सबरूम रेलवे लाइन

101. **श्री खगेन दास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला-उदयपुर-सबरूम खंड पर नई रेल लाइन परियोजना और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आवंटित निधि और इस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) अगरतला-सबरूम नई लाइन परियोजना (110 कि.मी.) के संपूर्ण खंड पर कार्य आरंभ किये जा चुके हैं। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य ऊपरी सड़क पुल/सड़क निचले पुल, सुरंगों आदि के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। कार्य की कुल प्रगति 42.35% है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य दिसंबर, 2015 रखा गया है बशर्ते निधि उपलब्ध हो। अभी तक कुल 825.27 हेक्टेयर भूमि में से 550.24 हेक्टेयर भूमि रेलवे को सौंपी जा चुकी है। वन क्षेत्र की 15.255 हेक्टेयर भूमि सहित तृष्णा वन्य प्राणी उद्यान की 9.94 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान परियोजना के लिए 140 करोड़ रुपए की परिव्यय राशि उपलब्ध कराई गई है। मार्च, 2013 तक 497.80 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ग) वन भूमि की अनापत्ति मिलने और निधि के अपर्याप्त आबंटन के कारण परियोजना के पूर्ण होने में देरी हुई है।

(घ) राज्य सरकार और पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन भूमि की शीघ्र मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया है। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से विशेषकर राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

पैसेंजर ट्रैफिक का निजीकरण

102. **श्री प्रबोध पांडा :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री पी. कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में कुछेक खंडों और पैसेंजर ट्रैफिक की शाखा लाइनों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है और इसका संभावित प्रभाव क्या होगा;

(ग) क्या रेलवे को ऐसा निजीकरण करने के लिए पैसेंजर ट्रैफिक, टैरिफ और सुरक्षा की निगरानी करने के लिए एक नियामक स्थापित करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का प्रस्ताव इन मार्गों, जो देश में उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है, पर वैकल्पिक तौर पर समर्पित और एलिवेटिड द्रुत गति कॉरिडोर चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि निजीकरण के लिए कोई योजना नहीं है, सरकार द्वारा रेल दर प्राधिकरण (आरटीए) के गठन का अनुमोदन किया

जा चुका है। रेल दर प्राधिकरण की स्थापना के तौर-तरीके और अन्य संबंधित मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) और (च) भारतीय रेलवे पर रेलमार्गों के कुछ खंड अति व्यस्त हो चुके हैं। रेल मंत्रालय पूर्वी (पंजाब में लुधियाना से कोलकाता के निकट डानकुनी तक 1839 किमी.) और पश्चिमी (जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई से तुगलकाबाद और दादरी (दिल्ली के निकट) रेलमार्गों पर रेल यातायात की वृद्धि के उद्देश्य से डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय ले चुका है, रेल मंत्रालय ने उच्च गति वाले एलिवेटिड गलियारे के विकास का हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया है।

भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन

103. श्री के.पी. धनपालन :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका और जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके विचारार्थ विषय, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) देश के विशेषकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों में कॉरपोरेट इंडिया को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) बीआरएलएफ की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:—

1. भारत सरकार ने एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में बीआरएलएफ का गठन किया है।

2. बीआरएलएफ का मिशन सरकार के साथ साझेदारी में, विशेष रूप से मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं पर केन्द्रित रहने के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविकाओं और उनके जीवन में सुधार लाने हेतु सिविल सोसाइटी संबंधी क्रियाकलाप को सहायता देना है।

3. बीआरएलएफ सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) द्वारा प्रमाणित मध्यस्थताओं को बढ़ाने के लिए उनकी मानव संसाधन एवं संस्थानिक लागत, लघु सीएसओ के संस्थानिक सशक्तिकरण में निवेश करने तथा जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पेशेवर मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण की पूर्ति के लिए वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराएगा।

4. बीआरएलएफ द्वारा उन परियोजनाओं को निरंतर सहायता दी जाएगी जो व्यापक केन्द्रित प्रायोजित योजना (सीएसएस) के मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत गरीबों की आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण समुदायों को सरकारी निधियों के सहज प्रवाह तथा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार के विभिन्न स्तरों से अनुदान प्राप्त करते हैं।

5. भारत सरकार ने बीआरएलएफ के लिए कॉपर्स निधि के सृजन हेतु 500 करोड़ रुपयों की प्रतिबद्धता की है।

(ग) बीआरएलएफ के अंतर्गत कॉर्पोरेट इंडिया को शामिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्न हैं:

1. निजी लोकोपचारी संगठनों, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को बीआरएलएफ के शासकीय बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है।

2. निजी लोकोपचारी संगठनों, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को बीआरएलएफ के कॉर्पस में ज्यादा से ज्यादा अंशदान देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है।

3. निजी लोकोपचारी संगठनों, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को बीआरएलएफ के साथ साझेदारी करने तथा बीआरएलएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को सह-वित्तपोषण सहायता करने या वार्षिक अनुदान उपलब्ध करने के लिए शासकीय बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है।

शुरू में बीआरएलएफ लगभग 900 ऐसे ब्लॉकों पर केन्द्रित रहेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात सहित 9 राज्यों में 170 जिलों की 20 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय वाले क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। तत्पश्चात् हरियाणा समेत देश के सभी राज्यों में बीआरएलएफ की शुरूआत की जाएगी।

[हिन्दी]

डीजल की खपत

104. श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री सी. शिवासामी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ट्रेनों के परिचालन में रेलवे द्वारा वार्षिक रूप से खपत की जा रही डीजल की कुल मात्रा क्या है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा कुप्रबंधन के कारण प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का डीजल बर्बाद हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी हानि को रोकने के लिए रेलवे द्वारा किए गए/किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का डीजल इंजन से चल रही ट्रेनों में ईंधन बचत उपकरण लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितने ईंधन की बचत होने की संभावना है;

(ङ) देशभर में उन रेल पथों/मार्गों की कुल संख्या कितनी है जिन पर केवल डीजल इंजन का ही परिचालन हो रहा है;

(च) क्या उक्त मार्गों पर बिजली से ट्रेनों को चलाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घोषित विद्युतीकरण परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	लोकोमोटिव द्वारा खपत किया गया डीजल तेल (किलोमीटर में)	विशिष्ट इंजन खपत (लीटर/1000 जीटीकेएम)	
		गुड्स	पास
2009-10	2,400,467	2.22	4.03
2010-11	2,516,044	2.19	3.85
2011-12	2,705,084	2.21	3.85
2013-14	2,699,619	2.19	3.84

*2012-13 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों ने विभिन्न पहल की हैं तथा इससे 1970 से 2011 तक गुड्स लोकोमोटिव के विशिष्ट इंजन खपत में 41% और यात्री सेवाओं में 22% का सुधार हुआ है।

इंजन बचत के लिए डिवाइस/तंत्र जिस पर विचार किया जाना है, नीचे दिए गए अनुसार है:—

1. **इंटेलिजेंट जो आइडल (आईएलआई)** : इस प्रणाली के अंतर्गत इंजन आरपीएम को कम किया जाता है जब लोकोमोटिव लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की संभावना हो।

2. **सहायक विद्युत इकाई (एपीयू)** : जब लोकोमोटिव लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की संभावना हो तब यह डिवाइस इंजन को बंद कर देता है और केवल कम इंजन का इस्तेमाल करने वाला छोटा इंजन सुरक्षा से संबंधित कार्यरत एसेंबलियों को रखने के लिए परिचालित रहेगा।

3. **आटोमेटिक इंजन स्टॉट एवं स्टाप (एईएसएस)** : जब लोकोमोटिव लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की संभावना हो तब यह डिवाइस इंजन को बंद कर देता है। एवं जब सुरक्षा से संबंधित पैरामीटरों के कारण कार्य करने के लिए अपेक्षित हो तब इसे दोबारा ऑन करेगा। बचतें लोको के बंद करने के अनुपात में होनी चाहिए।

4. **आप्टीमाइज्ड इंजन चालन के लिए दिशा-निर्देश** : इस यंत्र से इंजन चालकों को श्रेष्ठ चालन तकनीक अपनाकर क्षेत्र में वास्तविक समय में पहुंचने में सहायता मिलेगी और इससे ईंधन की बचत भी होगी।

5. **इलैक्ट्रोनिक ईंधन इंजेक्शन** : ईंधन खपत में कमी लाने और इंजन के रिसाव को रोकने के लिए इलैक्ट्रोनिक ईंधन इंजैक्शन पद्धति को बहुत ही कम समय में सिलिंडर में ईंधन इंजैक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है।

उपर्युक्त ईंधन बचाव यंत्र/यंत्रावली की स्थापना से 10% से अधिक ईंधन बचत की संभावना है फिर भी यह परिचालन की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।

(ङ) 31.03.2012 में चालित डीजल इंजन 44325 रूट किमी. (आरकेएम) अर्थात् 63969 ट्रेक किमी.।

	31.3.2012 के अनुसार		
	विद्युतीकृत	गैर-विद्युतीकृत	कुल
मार्ग किमी.	20275	44325	64600
रनिंग ट्रेक किमी.	38669	51132	89801
कुल ट्रेक किमी.	51093	63969	115062

(च) विशेष रूप से डीजल कर्षण मार्गों का विद्युतीकरण परिचालनिक और वित्तीय मुद्दों के आधार पर प्राथमिकता को देखते हुए चरणों में किया जा रहा है। जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 1840 मार्ग किमी. विद्युतीकृत कर दिया गया था, 11वीं योजना में इसकी प्रगति को 4556 मार्ग किमी. तक बढ़ाया गया था। 12वीं योजना में, लक्ष्य को बढ़ाकर 6500 मार्ग किमी. तक कर दिया गया है।

(छ) पिछले 3 वर्षों में रेलवे बजट में शामिल विद्युतीकरण परियोजना (योजना शीर्ष 35) को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिनकी स्थिति इस प्रकार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम रूट किमी.	पिंक बुक में शामिल करने का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	शोरानुर-मंगलोर-पेनांबुर (328 आरकेएम)	2010-11	155.5 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
2.	रोहतक-बटिंडा-लेहरामोहब्बत (252 आरकेएम)	2010-11	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
3.	गाजियाबाद-मुरादाबाद (140 आरकेएम)	2010-11	28 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
4.	गोंदिया-बलहारशाह (250 आरकेएम)	2010-11	32 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
5.	दौंद-मनमाड सहित पुथांबा-शिरडी (255 आरकेएम)	2010-11	255 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
6.	पांडेश्वर-सैंतिया-पाकुर सहित खाना संथिया 205 आरकेएम)	2010-11	205 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
7.	मथुरा-अलवर (121 आरकेएम)	2010-11	96.3 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
8.	येलाहंका-धर्मावरम-गूटीसेक्शन सहित पेनुकोंडा-धर्मावरम बारास्ता श्री सत्य सांई प्रशांथी निलयम (306 आरकेएम)	2010-11	185 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
9.	विजयनगरम-रायगढ़-रायपुर (465 आरकेएम)	2011-12	4 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
10.	रोजा-सीतापुर-बुढ़वाल (181 आरकेएम)	2011-12	ठेका आबंटित
11.	अलवर-रिवाड़ी (82 आरकेएम)	2011-12	47 किमी. तार लगाने का कार्य पूरा
12.	अंडाल-सीतारामपुर बरास्ता जामुरिया-लकरा तथा श्रीपुर (57 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
13.	कोंयबटूर-उत्तर-मेट्टूपलयम (33 आरकेएम)	2012-13	ठेका आबंटित
14.	झारसुगुडा-संबलपुर-तितलागढ़ संक्शन सहित झारसुगुडा-एलबी (बाई-पास) लाइन (238 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
15.	कुमेदपुर-मालदा-सिंघबाद एवं पाकुर-मालदा (153 आरकेएम)	2012-13	कुमेदपुर-मालदा-सिंघबाद के लिए विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत

1	2	3	4
16.	गुटाकुल-बेल्लारी-होसपेट सेक्शन सहिततोरंगालू-रंजीतपुरा ब्रांच लाइन (138 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
17.	इटारसी-कटनी-मानिकपुर-छोओकी सहित सतना-रीवा (653-आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत तथा मानिकपुर-छिंओकी के लिए ठेका आवंटित
18.	संबलपुर-अंगुल (156 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
19.	मनहेरू-हिसार (74 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
20.	गरवा रोड-चोपान-सिंगरौली सहित करैला रोड (257 आरकेएम)	2012-13	ठेका आबंटित
21.	नल्लापाडू-गंटकल सहित गूटी-पेंडेकाल्लू (426 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत
22.	आमला-छिंदवाडा-कलुमना (257 आरकेएम)	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत। आमला-छिंदवाड़ा के लिए ठेका आवंटित
23.	दिल्लीसराय रोहिला-रेवाड़ी-फुलेरा-पालनपुर-अहमदाबाद सहित कालो-गांधीनगर-खोडियार एवं अलवर-बांदीकुई-जयपुर-फुलेरा (1087 आरकेएम)	2013-14	नया कार्य। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है
24.	जाखल-हिसार (79 आरकेएम)	2013-14	नया कार्य। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
25.	जाखल-धूरी लुधियाना (123 आरकेएम)	2013-14	नया कार्य। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
26.	राजपुरा-धुरी-लेहरामोहब्बत (151 आरकेएम)	2013-14	नया कार्य। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
27.	दमनजोड़ी-सिंगारपुर रोड (152 आरकेएम)	2013-14	नया कार्य। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

विद्युत का संवितरण

105. श्री गणेश सिंह :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री शिवकुमार उदासी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत की मांग, आपूर्ति और व्यस्ततम/गैर-व्यस्ततम कमी के वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे सहित राज्यों को विद्युत का आबंटन किए जाने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश और झारखंड को विद्युत का आबंटन उनकी मांगों की तुलना में कम किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों सहित पन बिजली सहित विद्युत उत्पादन क्षमता में संवर्धन करने के लिए सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों में लाभभोक्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन, विद्युत आबंटन के लिए फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इस फार्मूले को अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को विद्युत का आबंटन दो भागों, नामत: 85% का नियत आबंटन तथा आकस्मिक/समग्र जरूरतों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 15% गैर-आबंटित विद्युत के लिए आबंटन के तौर पर किया जाता है। नियत आबंटन में जल विद्युत केन्द्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को किया जाने वाला 12% नि:शुल्क आबंटन तथा स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु 1% आबंटन शामिल होता है। थर्मल तथा न्यूक्लियर विद्युत केन्द्रों के मामले में इसमें गृह राज्यों को 10% (नि:शुल्क नहीं) विद्युत शामिल होता है। शेष 72%/75% विद्युत को क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच केन्द्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपभोग के अनुसार वितरित किया जाता है तथा दोनों कारकों को समान महत्व दिया जाता है। केन्द्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूला के अनुसार किया जाता है, इसमें राज्यों की जनसंख्या पर भी विचार किया जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में इक्विटी योगदान करने वाले राज्य को उनके इक्विटी योगदान के अनुसार नियत आबंटन में लाभ मिलता है।

केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत आबंटन के लिए ऊपर लिखित दिशानिर्देश निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादन केंद्रों पर लागू होते हैं:—

(i) जल विद्युत परियोजनाएं (जिनके लिए दिसम्बर, 2015 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं)।

(ii) पहले से चालू परियोजनाओं का विस्तार (जल विद्युत को छोड़कर)।

(iii) ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए 05.01.2011 को अथवा इससे पूर्व पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं (जल विद्युत को छोड़कर)।

उपर्युक्त I, II तथा III श्रेणी में न आने वाली कई परियोजनाओं की विद्युत का प्रापण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण कंपनियों/यूटिलिटीज द्वारा किया जाना है। जनवरी, 2011 से भारत सरकार ने निम्नलिखित से गृह राज्यों को 50% विद्युत के आबंटन को अनुमोदन प्रदान किया है:—

(i) एनपीसीआईएल की सभी नई न्यूक्लियर परियोजनाएं।

(ii) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनटीपीसी की 14 शुरू की जा रही तापीय विद्युत परियोजनाएं:—

क्र. स.	केन्द्र	क्षमता (मे.वा. में)	राज्य
1	2	3	4
1.	गडवाड़ा	2640	मध्य प्रदेश
2.	लारा	4000	छत्तीसगढ़
3.	तलचर विस्तार	1320	ओडिशा
4.	कुडगी	4000	कर्नाटक
5.	दारीपल्ली	3200	ओडिशा
6.	गजमारा	3200	ओडिशा
7.	गिद्दरबाहा	2640	पंजाब
8.	कटवा	1600	पश्चिम बंगाल
9.	धुवरन	1980	गुजरात
10.	खरगोन	1320	मध्य प्रदेश
11.	पुडीमडगा	4000	आंध्र प्रदेश
12.	बिल्हौर	1320	उत्तर प्रदेश
13.	कठुवा	500	जम्मू और कश्मीर
14.	बरेठी	3960	मध्य प्रदेश

परियेजनाओं की उपर्युक्त श्रेणियों (एनपीसीआईएल तथा एनटीपीसी की परियोजनाएं) के लिए शेष 50% विद्युत का आबंटन नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार किया जाना है:—

- संस्थापित क्षमता का 15% गैर-आबंटित के रूप में भारत सरकार के विवेकानुसार।
- केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार अन्य घटकों (गृह राज्यों को छोड़कर) का शेष 35% तथा बरेटी के लिए कुल क्षमता का 35% उत्तर प्रदेश को जाएगा।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ सीईए द्वारा प्रकाशित लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्याशित विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) किसी राज्य की विद्युत जरूरतों की पूर्ति उस राज्य के स्वयं के उत्पादन, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) में उनके हिस्से तथा प्रत्यक्ष द्विपक्षीय करारों के माध्यम से उपलब्ध विद्युत के साथ ही विद्युत आदान-प्रदान के माध्यम से की जाती है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के

प्रयासों को सीजीएसएस से विद्युत आबंटन के माध्यम से पूरा करती है। इस प्रकार सीजीएसएस से राज्यों को उनके विद्युत आबंटन की आपूर्ति, उनकी आवश्यकता के एक भाग की ही पूर्ति करती है। अत: सामान्यत: सीजीएसएस से विद्युत आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग से कम रहता है। अप्रैल से अक्तूबर, 2013 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश तथा झारखंड की अधिकतम मांग क्रमश: 7663 मे.वा. और 1111 मे.वा. थी। इस मांग की तुलना में अधिकतम मांग के घंटों में सीजीएसएस से 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों को क्रमश: 4512 मेगावाट तथा 543 मेगावाट विद्युत आबंटित की गयी थी। अप्रैल से अक्तूबर, 2013 तक की अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अधिकतम मांग तथा 31 अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, अधिकतम मांग के घंटों में उनको किया गया कुल आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विभिन्न राज्यों में लंबित पड़ी परियोजनाओं के विवरण सीईए के पास उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अतएव थर्मल पावर परियोजनाओं के प्रस्ताव सीईए को प्राप्त नहीं होते हैं।

झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं से संबंधित कोई सूचना सीईए के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, 8790 मेगावाट की समेकित संस्थापित क्षमता वाली 23 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (इनडीपीआर की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है) सहमति हेतु सीईए, सीडब्ल्यूसी, जीएसआई तथा सीएसएमआरएस में जांच की जा रही है। झारखंड को किसी भी जल विद्युत परियोजना की डीपीआर जांच के अधीन नहीं है।

(ङ) योजना आयोग के अनुसार 12वीं योजना में जोड़ी जाने वाली उत्पादन क्षमता (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के 30,000 मेगावाट को छोड़कर) 88,537 मेगावाट होगी। विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्द्धन हेतु वर्तमान में कुल 14322 मेगावाट क्षमता की 48 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से ऊपर) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

देश की जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 के 73(एफ) के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति को बार-बार कार्य स्थलों के दौरों, विकासकर्ताओं से बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के समीक्षात्मक अध्ययन के माध्यम से निरंतर मॉनीटर किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु सीईए के अध्यक्ष विकासकर्ताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।

(ii) स्वतंत्र रूप से फॉलोअप तथा जल विद्युत परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए विद्युत मंत्रालय में पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।

(iii) विद्युत मंत्रालय, सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटीज/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ समीक्षा बैठकें करता है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2012 — मार्च, 2013				व्यस्ततम अप्रैल, 2012 — मार्च, 2013			
	आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	अधिशेष/कमी (-) (मिलियन यूनिट)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू और कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	300,774	273,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	51,783	46,829	-4,954	-9.6	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	123,984	119,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादरा और नगर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	296,475	286,683	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुदुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	281,842	238,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	107,457	102,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिज़ोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	998,114	911,209	-86,905	-8.7	135,453	123,294	-12,159	-9.0

#लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में स्टैंड अलोन प्रणाली है, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी: विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम मांग और ऊर्जा उपलब्धता निवल खपत को प्रदर्शित करता है (पारेषण हानियों सहित)। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खपत में शामिल किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2013 — अक्तूबर, 2013				व्यस्ततम अप्रैल, 2013 — अक्तूबर, 2013			
	आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	अधिशेष/कमी (-) (मिलियन यूनिट)	अधिशेष/कमी (-) (%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,058	1,058	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	17,901	17,848	-53	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	28,448	28,245	-203	-0.7	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,399	5,271	-128	-2.4	1,561	1,270	-291	-18.6
जम्मू और कश्मीर	8,625	6,559	-2,066	-24.0	2,450	1,852	-598	-24.4
पंजाब	33,860	33,183	-677	-2.0	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	31,545	31,429	-116	-0.4	8,929	8,913	-16	-0.2
उत्तर प्रदेश	57,178	48,931	-8,247	-14.4	13,089	12,115	-974	-7.4
उत्तराखंड	7,050	6,779	-271	-3.8	1,760	1,709	-51	-2.9
उत्तरी क्षेत्र	191,064	179,303	-11,761	-6.2	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	11,121	11,020	-101	-0.9	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	53,062	53,054	-8	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	26,389	26,380	-9	0.0	7,663	7,663	0	0.0
महाराष्ट्र	72,018	70,869	-1,149	-1.6	17,381	16,670	-711	-4.1
दमन और दीव	1,339	1,339	0	0.0	316	291	-25	-7.9
दादरा और नगर हवेली	3,202	3,202	0	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	2,080	2,065	-15	-0.7	494	490	-4	-0.8
पश्चिमी क्षेत्र	169,211	167,929	-1,282	-0.8	38,054	37,361	-693	-1.8
आंध्र प्रदेश	55,451	50,613	-4,838	-8.7	14,072	11,914	-2,158	-15.3
कर्नाटक	35,602	31,473	-4,129	-11.6	9,934	8,256	-1,678	-16.9
केरल	12,241	11,825	-416	-3.4	3,538	3,233	-305	-8.6
तमिलनाडु	55,564	52,181	-3,383	-6.1	13,380	11,877	-1,503	-11.2
पुदुचेरी	1,427	1,403	-24	-1.7	351	332	-19	-5.4
लक्षद्वीप	28	28	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	160,289	147,499	-12,790	-8.0	39,015	34,151	-4,864	-12.5
बिहार	8,892	8,438	-454	-5.1	2,465	2,221	-244	-9.9
डीवीसी	10,042	9,986	-56	-0.6	2,745	2,745	0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	4,067	3,963	−104	−2.6	1,111	1,069	−42	−3.8
ओडिशा	14,890	14,660	−230	−1.5	3,727	3,722	−5	−0.1
पश्चिम बंगाल	26,706	26,628	−78	−0.3	7,325	7,290	−35	−0.5
सिक्किम	224	224	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	140	105	−35	−25	40	32	−8	−20
पूर्वी क्षेत्र	64,821	63,899	−922	−1.4	15,885	15,528	−357	−2.2
अरुणाचल प्रदेश	312	291	−21	−6.7	115	113	−2	−1.7
असम	4,612	4,302	−310	−6.7	1,329	1,220	−109	−8.2
मणिपुर	335	318	−17	−5.1	125	124	−1	−0.8
मेघालय	991	902	−89	−9.0	296	286	−10	−3.4
मिज़ोरम	250	242	−8	−3.2	70	68	−2	−2.9
नागालैंड	339	332	−7	−2.1	109	103	−6	−5.5
त्रिपुरा	719	681	−38	−5.3	254	250	−4	−1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	7,558	7,068	−490	−6.5	2,164	2,048	−116	−5.4
अखिल भारतीय	592,943	565,698	−27,245	−4.6	135,561	129,815	−5,746	−4.2

#लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में स्टैंड अलोन प्रणाली है, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी: विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम मांग और ऊर्जा उपलब्धता निवल खपत को प्रदर्शित करता है (पारेषण हानियों सहित)। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खपत में शामिल किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए राज्य/प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमानित विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (−)		मांग	उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (−)	
	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1750	1769	19	1.1	370	301	−69	−18.7
दिल्ली	26910	39464	12554	46.7	6100	6043	−57	−0.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	44700	51536	6836	15.3	7900	8365	465	5.9
हिमाचल प्रदेश	9425	9682	257	2.7	1540	2132	592	38.4
जम्मू और कश्मीर	16240	16657	417	2.6	2575	2358	-217	-8.4
पंजाब	50850	40819	-10031	-19.7	12200	9075	-3125	-25.6
राजस्थान	59770	50747	-9023	-15.1	9300	8135	-1165	-12.5
उत्तर प्रदेश	97785	80203	-17582	-18.0	14400	11606	-2794	-19.4
उत्तराखंड	12455	10542	-1913	-15.4	1900	1774	-126	-6.6
उत्तरी क्षेत्र	319885	301418	-18467	-5.8	47500	46879	-621	-1.3
छत्तीसगढ़	21410	21484	74	0.4	3120	3236	116	3.7
गुजरात	76808	81510	4702	6.1	11850	11832	-18	-0.2
मध्य प्रदेश	59431	63112	3681	6.2	9494	11432	1939	20.4
महाराष्ट्र	118455	106880	-11575	-9.8	18250	19738	1488	8.2
दमन और दीव	2115	2220	105	5.0	262	246	-16	-5.9
दादरा और नगर हवेली	5315	5116	-199	-3.7	625	610	-15	-2.5
गोवा	3219	3075	-144	-4.5	460	437	-23	-4.9
पश्चिमी क्षेत्र	286752	283396	-3356	-1.2	43456	46389	2934	6.8
आंध्र प्रदेश	109293	99398	-9895	-9.1	15955	13985	-1970	-12.4
कर्नाटक	75947	58345	-17602	-23.2	11925	8663	-3262	-27.4
केरल	22384	16824	-5560	-24.8	3731	2813	-918	-24.6
तमिलनाडु	99765	73323	-26442	-26.5	14970	9871	-5099	-34.1
पुदुचेरी	2451	2693	242	9.9	363	356	-7	-1.8
दक्षिणी क्षेत्र	309840	250583	-59257	-19.1	44670	33001	-11669	-26.1
बिहार	15268	12361	-2906	-19.0	2750	1954	-796	-29.0
डीवीसी	19605	24740	5135	26.2	2800	4354	1554	55.5
झारखंड	8609	8022	-587	-6.8	1285	1381	96	7.5
ओडिशा	27130	26911	-219	-0.8	3800	4238	438	11.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	48489	58965	10476	21.6	8045	8338	293	3.7
सिक्किम	531	881	350	65.8	125	163	38	30.0
पूर्वी क्षेत्र	119632	131880	12248	10.2	18257	19700	1443	7.9
अरुणाचल प्रदेश	655	539	-116	-17.7	135	128	-7	-5.2
असम	7031	5647	-1384	-19.7	1368	1046	-322	-23.5
मणिपुर	596	659	63	10.6	146	140	-6	-4.1
मेघालय	1905	2063	158	8.3	369	359	-10	-2.7
मिजोरम	430	505	75	17.5	82	92	10	12.2
नागालैंड	591	558	-33	-5.6	125	114	-11	-8.8
त्रिपुरा	1216	1052	-164	-13.5	355	301	-54	-15.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12424	11024	-1400	-11.3	2251	2025	-226	-10.0
अखिल भारतीय	1048533	978301	-70232	-6.7	144225	140964	-3261	-2.3

विवरण-II

व्यस्ततम मांग और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों के कुल हिस्से

राज्य/क्षेत्र	व्यस्ततम मांग (मेगावाट) (अक्तूबर, 2013) के अनुसार)	सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सा (31.10.2013 के अनुसार)
1	2	3
चंडीगढ़	245	219
दिल्ली	4495	4394
हरियाणा	6430	2405
हिमाचल प्रदेश	1428	1031
जम्मू और कश्मीर	2320	1794
पंजाब	7332	2463
राजस्थान	7899	2704
उत्तर प्रदेश	12134	5882
उत्तराखंड	1670	876
छत्तीसगढ़	2935	1127
गुजरात	11175	3368
मध्य प्रदेश	7663	4512
महाराष्ट्र	16575	6649
दमन और दीव	316	317
दादरा और नगर हवेली	660	827
गोवा	434	491
आंध्र प्रदेश	12320	3694
कर्नाटक	8803	1882

1	2	3
केरल	3432	1644
तमिलनाडु	12388	4105
पुदुचेरी	350	390
बिहार	2371	1940
झारखंड	1111	543
ओडिशा	3596	1697
पश्चिम बंगाल	6670	1548
सिक्किम	90	149
अरुणाचल प्रदेश	115	133
असम	1266	733
मणिपुर	114	123
मेघालय	278	206
मिज़ोरम	61	74
नागालैंड	99	79
त्रिपुरा	254	105

विवरण-III

जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना	क्षेत्र	एजेंसी	यूनिट × मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
	जम्मू और कश्मीर				
1.	किरू	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	4×165	660
2.	न्यू गांदेरवाल	राज्य	जेकेपीडीसी	3×31	93
3.	किरथाए-I	राज्य	जेकेपीडीसी	4×95+1×10	390
	हिमाचल प्रदेश				
4.	सेली	निजी	एसएचपीसीएल	4×100	400
5.	छतरू	निजी	डीएससी	3×42	126
6.	लुहरी	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	3×196	588
7.	चांगो यांग थांग	निजी	एमपीसीएल	3×46.67	140
8.	सच खास	निजी	एल एंड टी एचएचपीएल	3×86.67+1×7	267
	उत्तराखंड				
9.	जेलम तमक	केन्द्रीय	टीएचडीसीआईएल	3×36	108
10.	बोवला नंद प्रयाग	राज्य	यूजेवीएनएल	4×75	300

1	2	3	4	5	6
	बिहार				
11.	डगमारा	राज्य	बीएसएचपीसीएल	17×7.65	130
	नागालैंड				
12.	दिखू	निजी	एनएमपीएसपीएल	3×62	186
	असम				
13.	लोअर कोपली	राज्य	एपीजीसीएल	2×55+1×5+2×2.5	120
	मेघालय				
14.	क्यांसी-I	निजी	एथेना क्योन्सी प्रा.लि.	2×135	270
15.	उमंगोट	राज्य	एमपीजीसीएल	3×80	240
	अरुणाचल प्रदेश				
16.	कलाए-II	निजी	कलाई पीपीएल	6×200	1200
17.	देमवे अपर	निजी	एलयूपीएल	5×206+1×50	1080
18.	तगुरशिट	निजी	एलटीएएचपीएल	3×24.67	74
19.	न्युकचरोंग चू	निजी	एसएनसीपीसीएल	3×32	96
20.	तातो-I	निजी	एसएचपीपीएल	3×62	186
21.	हियो	निजी	एचएचपीपीएल	3×80	240
22.	सुबानसिरी मध्य (कमला)	निजी	मै. केएचईपीसीएल	8×216+2×36	1800
23.	मागोचू	निजी	मै. एसएमसीपीसीएल	3×32	96
	कुल				8790

[अनुवाद]

छात्रों को प्रशिक्षण

106. **श्री एम.के. राघवन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयान अनुरक्षण अभियांत्रिकी (एएमई) संबंधी शिक्षा देने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों में दाखिल छात्रों की संस्था-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन छात्रों को एयरलाइन संगठनों में नौकरी संबंधी प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पाठ्यक्रम को एआईसीटीई के तहत लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय/संस्थाएं नियमित आधार पर पाठ्यक्रम चला सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी (एएमई) प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 133बी के अनुसार एएमई लाइसेंस परीक्षा में प्रवेश के लिए किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी (एएमई) प्रशिक्षण संस्थानों तथा वर्ष 2013-14 के दौरान इनमें विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पाठ्यक्रम की अध्ययन सूची के एक भाग के रूप में इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड-2, शृंखला ई, भाग VIII, अंक IV, आरईवी 3 दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अनुसार सेवा के दौरान (ओजेटी) छः माह का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं एएमई प्रशिक्षण को एआईसीटीई के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एएमई प्रशिक्षण एक विशिष्ट पाठ्यक्रम है जो किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के समतुल्य नहीं है। विनियामक प्रावधानों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय को किसी संस्थान/संगठन के पाठ्यक्रम की डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने/मान्यता देने की शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं। ऐसी मान्यताएं/संबद्धताएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ एआईसीटीई/राज्य सरकार तकनीकी बोर्ड इत्यादि द्वारा प्रदान की जाती हैं।

विवरण

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 26.08.2013 को यथा अनुमोदित विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग (एएमई) संस्थान तथा इन संस्थानों में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या

क्र. सं.	नाम और संस्थान का पता	2013-14 में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र प्रदेश विमानन अकादमी, हैदराबाद	16
2.	राजीव गांधी विमानन अकादमी, हैदराबाद	0
3.	फ्लाईटैक एविएशन अकादमी, कॉर्पोरेट कार्यालय: 1-8-303/33, नागम टावर्स, 03 और 04वीं मंजिल, एनटीआर सर्किल, मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद-500003 (आंध्र प्रदेश)	39
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस एंड टेक्नालॉजी, हैदराबाद	0
	असम	
5.	कॉलेज ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, गुवाहाटी	14
	बिहार	
6.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स, पटना हवाई अड्डा, पटना (बिहार)	—
	छत्तीसगढ़	
7.	स्काई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नजदीक पुलिस स्टेशन, नगर पालिका रोड, भिलाई-3, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)	—

1	2	3
	दिल्ली	
8.	सेन्टर फॉर सिविल एविएशन ट्रेनिंग, ब्लॉक-ए, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली	13
9.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स नांगलोई, नजफगढ़ रोड, नजदीक एचपी पेट्रोल पंप, रनहौला, नई दिल्ली-110041	0
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग एक-191, सड़क नम्बर-4, गली नम्बर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037	30
11.	जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी 44/2, रानी खेड़ा मोड़, मुंडका, नई दिल्ली-110041	17
12.	स्कूल ऑफ एयरोनॉटिक्स, एच-947, पालम एक्सटेंशन भाग-I सेक्टर-7 के पास, द्वारका, नई दिल्ली-110045	0
13.	स्कूल ऑफ एविएशन साईंस एंड टेक्नोलोजी दिल्ली फ्लाइंग क्लब, सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003	12
	गुजरात	
14.	एनडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियरिंग सागर फिल्म सिटी के निकट, सयजपुरा, अजवा रोड, वडोदरा (गुजरात)	0
15.	वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स ब्लॉक नम्बर 901, रनचंर्डा वाया थलतेज, अहमदाबाद-382215 (गुजरात)	36
	हरियाणा	
16.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स अपनी घर के पीछे, सेक्टर-77, गुड़गांव-122001 (हरियाणा)	90
17.	स्टार एविएशन अकादमी पी-76, न्यू पालम विहार, गुड़गांव-122017 (हरियाणा)	14
	कर्नाटक	
18.	एकॉडमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग नम्बर 38-39, प्रेस्टीज एन्क्लेव बेट्टाहालासुर क्रॉस, बीबी रोड, एनएच-7, बंगलौर-562157 (कर्नाटक)	120
19.	हिन्दुस्तान एविएशन अकादमी पोस्ट बॉक्स संख्या 3776, चिन्नाप्पान्हाल्ली, मारथाहल्ली पोस्ट, बंगलौर -5660037 (कर्नाटक)	38

1	2	3
20.	वीएसएम एयरोस्पेस, सीए नम्बर-15/1-ए, 13 क्रास, सेक्टर-ए, येलाहंका न्यू टाउन, बंगलौर-566064 (कर्नाटक)	5
	केरल	
21.	माउंट जियान कॉलेज ऑफ एयरक्रॉफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियरिंग कदम्मानित्ता, जिला पथानामथिट्टा, (केरल)	16
22.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन पाल्लीचल, वेदिवेचान, कोविल (पीओ), तिरुवनंतपुरम-695001 (केरल)	55
23.	सदर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी लुज़ नगर, चल्लाकुडी, केरल-680307	09
24.	जवाहरलाल एविएशन इंस्टीट्यूट जवाहर गार्डन, मंगलम, लक्किडी पेरूर, ओट्टापल्लम, पलक्कड़-679301, केरल	36
25.	विश्वेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मट्टाकरा, करीमपानी पीओ, कोट्टायम-686564 (केरल)	09
26.	शा शिब एविएशन अकादमी 470-ए/9, सॉज होटल एंड रिसॉर्ट्स के पास, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेदुमबेस्सरी, पीओ वाप्पलास्सेरी कोचीन के सामने-683572 (केरल)	53
	मध्य प्रदेश	
27.	इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड इंजीनियरिंग शाहपुर रोड, पर्विला सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, भोपाल (मध्य प्रदेश)	—
28.	शा शिब एयरोस्पेस अकादमी, गुना हवाई अड्डा, गुना (मध्य प्रदेश)	—
	महाराष्ट्र	
29.	अकादमी ऑफ कार्वर एविएशन प्लाट नं. पी 50, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र के पास बारामती हवाई अड्डा, बारामती, पुणे (महाराष्ट्र)	13
30.	बॉम्बे फ्लाइंग क्लब 18 जुहू हवाई अड्डा, सांताक्रुज (पश्चिम, मुंबई - 400 049 (महाराष्ट्र)	62
31.	हिन्दुस्तान एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग प्लाट नम्बर 257, विध्यांचल पुणे 411007, बनरे रोड, (विध्यांचल अंग्रेजी हाई स्कूल एवं अभिवन शिक्षा संस्थान के निकट)	74

1	2	3
32.	एचएएल प्रवर एविएशन इंस्टीट्यूट ओझार, नासिक (महाराष्ट्र)	11
33.	इंडियन एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग जेएमडी, डी-511, टीटीसी औद्योगिक एस्टेट, एमआईडीसी एरिया के पास तुर्भे पुलिस स्टेशन, तुर्भे, नवी मुंबई-400705 (महाराष्ट्र)	87
34.	इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्टेनेस इंजीनियरिंग उस्मानपुरा, औरंगाबाद-431005 (महाराष्ट्र)	61
35.	पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलोजी सुरे संख्या 12, रविदर्शन बिल्डिग के पास, आकाशवाणी, हदपसर, पुणे-411028 (महाराष्ट्र)	39
36.	ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-400101 (महाराष्ट्र)	90
37.	पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जुहू हवाई अड्डे, एसवी रोड विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई-400056	01
38.	इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग सर्वे नंबर, 37, मंजरी फार्म, सोलापुर रोड, पुणे-412307	58
39.	विंगस्स कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, पुणे	0
	ओडिशा	
40.	उत्कल एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, भुवनेश्वर	58
	राजस्थान	
41.	स्कूल ऑफ एयरोनॉटिक्स, नीमराना, आई-04, रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना, जिला अलवर (राजस्थान)	14
42.	एसटी इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स #102-103, गोपालपुरा बाईपास के त्रिवेणी नगर चौराहा, जयपुर-302018	—
	तमिलनाडु	
43.	कोयंबटूर एविएशन कॉलेज #298, पोलाची मेन रोड, मायलीपल्लयम, ओथाक्कलमंडपम, कोयंबटूर-641032 (तमिलनाडु)	13
44.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पीबी नं 1308, जीएसटी रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600016 (तमिलनाडु)	26

1	2	3
45.	इन्ट्रलब इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी नम्बर 125, जीएसटी रोड, क्रोमपेट चेन्नई-600044 (तमिलनाडु)	0
46.	नेहरू कॉलेज एयरोनॉटिक्स एंड एप्लाइड साइंसेज कुनियामुथुर, कोयम्बटूर-641008 (तमिलनाडु)	55
47.	विनायक मिशनों एविएशन एकेडमी, चिन्ना सिरागप्पडी, एनएच-47, सलेम-636 308 (तमिलनाडु)	44
	उत्तर प्रदेश	
48.	एयरोनॉटिक्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ हवाई अड्डा, लखनऊ-226009 (उत्तर प्रदेश)	50
49.	आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड इंजीनियरिंग कानपुर रोड, पोस्ट ऑफिस चन्द्रावल, बिजनौर, लखनऊ-226002 (उत्तर प्रदेश)	06
50.	फाल्कन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस इंजीनियरिंग एम-34, आशियाना, कानपुर रोड, नजदीक राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ-226012 (उत्तर प्रदेश)	13
51.	हिन्दुस्तान अकादमी ऑफ एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस इंजीनियर्स लखनऊ-कानपुर राजमार्ग (एनएच 25), माइल स्टोन-19, लखनऊ-227101 (उत्तर प्रदेश)	0
52.	इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस इंजीनियरिंग नम्बर 10 के पास बोरिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	11
53.	राजीव कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ	0
	उत्तराखंड	
54.	एयरोनॉटिक्स एल्पाइन इंस्टीट्यूट नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड	29
	पश्चिम बंगाल	
55.	एयर टेक्नीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीओ कोलकाता हवाई अड्डा, कोलकाता-700 052 (पश्चिम बंगाल)	02
56.	एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टकी रोड, काजीपरा, बरसात, कोलकाता-700124	0
57.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्ल साइंस कोलकाता कैंपस, पी-253, माइकल नगर, जैसोर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	0

नशे में पायलट

107. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वायु परिचालन के पूर्व शराब के नशे में पाए गए पायलटों की एयरलाइन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस संबंध में चालू/विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में अल्कोहल सेवन से संबंधित उड़ानपूर्व चिकित्सा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार 83 पायलटों को अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया था:—

वर्ष	पायलटों की संख्या
2010	25
2011	17
2012	41

इसी अवधि में 02 पायलट दूसरी बार पॉजिटिव पाए गए और उन्हें प्रदत्त लाइसेंस संबंधित सुविधाएं 05 वर्ष के लिए निरस्त कर दी गईं।

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई सहित ऐसे मामलों का एयरलाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। श्वास विश्लेषण (बीए) परीक्षण में पॉजिटिव के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वर्तमान/विद्यमान नियमों की कठोरता पर्याप्त है।

विद्यमान विनियमन के अनुसार, नागर विमानन अपेक्षताओं का खंड 5, शृंखला एफ, भाग-III पैरा 7.1 [डीजीसीए की वेबसाइट: *(www.dgca.nic.in)* पर उपलब्ध] के अनुसार उड़ानपूर्व चिकित्सा जांच में यदि कोई पायलट पहली बार श्वास विश्लेषण (बीए) परीक्षण में पॉजिटिव पाया जाता है तो पायलट की लाइसेंस से संबंधित सुविधाएं 03 वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दी जाती हैं और इसका पृष्ठांकन पायलट के लाइसेंस में किया जाता है।

श्वास विश्लेषण परीक्षण में दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में पायलट की लाइसेंस की सुविधाएं 05 वर्ष की अवधि के लिए निरस्त की जाती हैं और इसका पृष्ठांकन पायलट के लाइसेंस में किया जाता है।

विवरण

वर्षवार और एयरलाइन-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्कोहल प्रयोग के लिए उड़ान पूर्व चिकित्सीय जांच में पॉजिटिव पाए गए पायलटों का एयरलाइन-वार ब्यौरा

2010

प्रचालक	कॉकपिट क्रू	डीजीसीए द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3
इंडियन एयरलाइन्स	01	30 नवम्बर 2010 से पूर्व 25 पायलट श्वास विश्लेषण परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए तथा नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड 5, शृंखला-एफ-III दिनांक 13.11.2009 के अनुसार उन्हें कम से कम चार सप्ताह के लिए उड़ान कार्य नहीं दिया गया था। 30 नवंबर 2010 के पश्चात् श्वास विश्लेषण परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए पायलटों को दिनांक 30.11.2010 की नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड 5, शृंखला-एफ-III के अनुसरण में 03 माह की अवधि के लिए निलंबित किया जाना अपेक्षित था, तथापि 2010 के दौरान 30 नवंबर, 2010 के पश्चात कोई भी पायलट श्वास विश्लेषण परीक्षण में पॉजिटिव नहीं पाया गया है।
किंगफिशर	01	
इंडिगो	06	
जेट लाईट	04	
स्पाइस जेट	03	

1	2	3
गो एयर	01	
जेट एयरवेज	08	
एलाइंस एयर	01	
		2011
इंडियन एयरलाइन्स	01	17 पायलट श्वास विश्लेषण परीक्षण में पहली बार पॉजिटिव पाए गए तथा उन्हें नागर विमानन अपेक्षाताओं के खंड 5, श्रृंखला-एफ-III, दिनांक 13.11.2010 के अनुसरण में 03 माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।
एअर इंडिया	02	
किंगफिशर	03	
इंडिगो	02	
जेट लाईट	02	
स्पाइस जेट	03	
जेट एयरवेज	04	
		2012
एअर इंडिया	06	श्वास विश्लेषण परीक्षण में पहली बार पॉजिटिव पाए गए 39 पायलटों को नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड 5, श्रृंखला-एफ-III, दिनांक 13.11.2010 के अनुसरण में 03 माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दो और पायलट (01 गो एयरवेज का पायलट और 01 जेट एयरवेजस का पायलट) दूसरी बार बीए पॉजिटिव पाए गए तथा उन्हें नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड 5, श्रृंखला-एफ-III, दिनांक 30.11.2010 के अनुसरण में 05 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।
किंगफिशर	03	
इंडिगो	08	
जेट लाईट	04	
स्पाइस जेट	06	
गो एयर	03	
जेट एयरवेज	11	

कर्नाटक में स्टेशन

108. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलगांव जिले के अंतर्गत स्टेशनों सहित कर्नाटक में उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिन्हें उन्नत बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन पर खर्च हुई राशि के स्टेशन-वार ब्यौरे सहित कर्नाटक में उन्नत बनाए गए स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे लंबित कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले के 3 स्टेशन सहित आदर्श स्टेशन योजना

के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए अभी तक 26 स्टेशनों की पहचान की गई इनमें से 18 स्टेशनों का पहले ही विकास किया जा चुका है। शेष 8 स्टेशनों को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 2013-14 और 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने की योजना आबंटित/खर्च की गई निधियों के स्टेशन-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते। ऐसे कार्य पर खर्च के लिए धन की व्यवस्था योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत की जाती है। मध्य, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसमें अन्य स्टेशनों के अलावा कर्नाटक राज्य शामिल हैं, पर उनके क्षेत्राधिकार में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	व्यय			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5
मध्य	65.00	54.77	30.85	34.68
दक्षिण	61.90	58.71	71.67	38.47
दक्षिण मध्य	110.46	94.76	87.82	58.08
दक्षिण पश्चिम	12.56	36.07	37.53	18.88

[हिन्दी]

विद्युत अधिनियम, 2003 की अनुपालना

109. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय निकाय/प्राधिकरण गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक उपयुक्त आयोग, जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), लोड डिस्पैच केन्द्र और जिला समितियां शामिल हैं, पर इन सभी पर अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व है। अधिनियम के संगत प्रावधान जैसे धाराएं 79 और 86 क्रमश: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के कार्यों से संबंधित है, धारा 73 सीईए के कार्यों से संबंधित है, धारा 28 और 32 लोड डिस्पैच केंद्रों के कार्यों से संबंधित है और धारा 166(5) जिला समितियों से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 142 के अधीन उपयुक्त आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नीतियों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति पर अर्थदंड लगाने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 143 के तहत आयोग को किसी व्यक्ति पर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (आरएलडीसी) के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा बोरवेल

110. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने वर्ष 2010 में जल के गैर-कानूनी निष्कर्षण को रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या शालीमार बाग केन्द्र के निर्माण के लिए जलशोषण का कार्य किया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

(डीएमआरसी) ने 12 बोरवेलों का उपयोग करने की कोई अनुमति नहीं ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो 12 बोरवेलों का उपयोग करने तथा 43 केन्द्रों पर वर्षा जल संभरण प्रणाली का निर्माण करने में असफल रहने पर डीएमआरसी के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां। प्राप्त सूचना के अनुसार, पर्यावरण और वन तथा वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में भूमि जल विनियमन एवं प्रबंधन हेतु दिनांक 12 जुलाई, 2010 को अधिसूचना जारी की है जिसमें दिनांक 18.05.2010 द्वारा जारी निर्देश शामिल हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संदूषित पेयजल

111. श्री सुदर्शन भगत :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पेयजल को अर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य रसायनों से संदूषित पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे होने वाले संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में सूचित करते हुए तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, देश में 78,757 जल गुणवत्ता से प्रभावित ऐसी ग्रामीण बसावटें थीं जिन्हें अभी भी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा दिया जाना शेष था। जल गुणवत्ता से प्रभावित ऐसी शेष बसावटें, जिनमें कि अन्य के साथ-साथ आर्सेनिक, फ्लुओराइड एवं अन्य रासायनिक संदूषण भी पाया गया, दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी।

अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में आर्सेनिक युक्त पेयजल का लंबे समय तक सेवन करने से आर्सेनेकोसिस (केराटोसिस एवं/अथवा मेलानोसिस) रोग हो सकता है। इसी प्रकार से, अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में फ्लुओराइड युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से दंत संबंधी, हड्डी संबंधी तथा गैर-अस्थि संबंधी फ्लुओरोसिस रोग हो सकता है। पीने के पानी में लौह तत्व की अधिकता एवं/अथवा लवणता को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसा पानी कुरूचिपूर्ण, स्वाद सहित एवं बदबूदार हो जाता है। नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा वाले पीने के पानी का लंबे समय तक सेवन करने से विशेषकर नवजात बच्चों में मेथेमोग्लोबिनेमिया (ब्लू बेबी सिंड्रोम) हो सकता है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत इस संबंध में राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 67% तक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% उन राज्यों हेतु चिन्हित एवं आबंटित किया गया है, जो पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं और जो जापानी इनसेफलाइटस एवं तीव्र इनसेफलाइटस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 3 प्रतिशत उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ नई प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा राज्य/जिला/उप-जिला स्तर के जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने, प्रयोगशालाओं हेतु रसायन एवं प्रयोज्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय परीक्षण किटें/रिफिलें उपलब्ध कराना आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को आबंटित किए गए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 10 प्रतिशत तक का उपयोग पेयजल स्रोतों की निरंतरता को बनाए रखने हेतु किया जा सकता है, जिसमें अन्य के साथ-साथ भू-जल का कृत्रिम तरीके से भंडारण करना एवं अन्य पद्धतियां शामिल हैं, जिससे एक्वीफरों में सदूंषण का स्तर कम हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, जल शोधन प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने के साथ ही जल आपूर्ति स्कीमों के बारे में योजना बनाने, उनकी रूपरेखा तैयार करने, उनका अनुमोदन, कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण करने की शक्तियां पहले से ही राज्य सरकारों को दी गई हैं।

विवरण

दिनांक 28.11.2013 को राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु शेष बचे जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटें एवं प्रभावित जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	योग		आर्सेनिक		फ्लोराइड		लौह		लवणता		नाइट्रेट	
		बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3440	4868035	0	0	2103	2967706	129	155281	902	1278887	306	466161
2.	बिहार	9385	5200748	650	461399	1378	679003	7356	4059873	0	0	1	473
3.	छत्तीसगढ़	5325	1249556	0	0	203	42903	5001	1135198	121	71455	0	0
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	143	254974	0	0	56	81793	0	0	0	0	87	173181
6.	हरियाणा	7	25735	0	0	7	25735	0	0	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	68	13522	0	0	19	4849	49	8673	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	2860	2533578	13	18184	1359	1316606	510	310639	350	297157	628	590992
11.	केरल	884	1852249	0	0	106	214630	557	1212186	166	303185	55	122248
12.	मध्य प्रदेश	1921	838763	0	0	1728	728443	131	55018	62	55302	0	0
13.	महाराष्ट्र	1200	2544781	0	0	367	874271	231	360109	242	420368	360	890033
14.	ओडिशा	8379	2297899	0	0	356	85702	7300	1978470	712	226057	11	7670
15.	पंजाब	228	275451	0	0	2	1392	221	268667	5	5392	0	0
16.	राजस्थान	23680	9143126	0	0	6830	4180444	11	10663	15450	3670086	1389	1281933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	तमिलनाडु	464	208538	0	0	8	2556	400	180446	52	23938	4	1598
18.	उत्तर प्रदेश	786	683664	153	143250	272	213552	53	115971	307	210305	1	586
19.	उत्तराखंड	39	120594	0	0	3	10810	32	95802	0	0	4	13982
20.	पश्चिम बंगाल	2617	4213286	499	1470587	77	105864	2038	2635866	3	969	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	111	31525	0	0	0	0	111	31525	0	0	0	0
22.	असम	12424	4274899	475	155088	10	2328	11939	4117483	0	0	0	0
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मेघालय	90	30317	0	0	0	0	90	30317	0	0	0	0
25.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	56	38416	0	0	0	0	56	38416	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	4641	1442821	0	0	0	0	4641	1442821	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	16705	0	0	0	0	8	15048	1	1657	0	0
	योग	78757	42159182	1790	2248508	14884	11538587	40864	18258472	18373	6564758	2846	3548857

रेल उपरगामी पुलों के निर्माण में विलंब

112. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल्मीकि नगर (बिहार) संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 22 नरकटियागंज स्पेशल और बाघा एन.एच 28बी पर दो महत्वपूर्ण रेल उपरगामी पुलों का कार्य शुरू करने के लिए जनता का आंदोलन जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे ने जनता के आंदोलन को ध्यान में रखकर उपर्युक्त दोनों रेल उपरगामी पुलों का समय पर निर्माण शुरू करने लिए ठोस कदम उठाए हैं, यदि हां, तो उन आर.ओ.बी. का कब तक निर्माण होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) नरकटियागंज और बाघा में ऊपरी सड़क पुलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:—

समपार संख्या 22 स्पेशल के बदले में नरकटियागंज में ऊपरी सड़क पुल: इस ऊपरी सड़क पुल को रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2007-08 में लागत साझेदारी के आधार पर मंजूरी दे दी गई है। इस कार्य के लिए सामान्य आरेखन व्यवस्था अनुमोदित कर दी गई है। इस कार्य के लिए विस्तृत आकलन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए विचाराधीन है। विस्तृत आकलन की मंजूरी के बाद इस कार्य को करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

समपार संख्या 50 के बदले बाघा में ऊपरी सड़क पुल: चूंकि इस सड़क, जहां ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जाना है, को राष्ट्रीय रजामार्ग घोषित किया गया है, अत: रेलवे ने लागत साझेदारी के आधार पर निर्मित किए जाने वाले स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों की सूची से इस कार्य को हटा दिया है। अब इस कार्य को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया जाना है।

आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना

113. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के सभी सीमावर्ती जिला मुख्यालयों में आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल से सटे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे सभी जिला मुख्यालयों में उक्त केंद्रों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नेपाल से सटे बिहार के सात जिलों में से 6 जिलों (बेतिया, किशनगंज, मधुबनी, मोतीहारी, सीतामढ़ी, सुपौल) के जिला मुख्यालयों में पहले ही आकाशवाणी केंद्र (100 वाट एफएम ट्रांसमीटर) स्थापित किए जा चुके हैं। हालांकि, एक जिले (अररिया) में आकाशवाणी केंद्र जिला मुख्यालय, जो कि अररिया है, के स्थान पर फोरबेसगंज में स्थापित किया गया है।

बिहार में नेपाल से सटे क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में आकाशवाणी, पटना में स्थापित 100 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी, दरभंगा में स्थापित 20 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के माध्यम से आकाशवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा, डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफार्म (के.यू.-बैंड) के माध्यम से 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों को एक सेट-टॉप-बॉक्स के माध्यम से इस क्षेत्र सहित पूरे देश में प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार सहित पूरे देश में संचार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण वित्तीय बाध्यताओं के मद्देनजर एक गत्यात्मक तथा सतत् प्रक्रिया है।

बाढ़ के कारण हानि

114. **श्री अरविन्द कुमार चौधरी :**
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को हाल के बाढ़ से क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कृषि भूमि सहित जान और माल की हुई कुल क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी क्षेत्रों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा किए गए संकलन के अनुसार मानसून 2013 के दौरान बाढ़ से क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय बाढ़ प्रबंधन और समुद्र कटाव रोधी संरचनात्मक उपायों से संबंधित कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एमएमपी) के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को अब तक 3838.61 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के दौरान तत्काल उपाय करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) के तहत गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण-I

मानसून 2013 के दौरान बाढ़ के कारण हानि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	मानव जीवन हानि की संख्या	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	मवेशी/पशुधन हानि की संख्या	फसल की क्षति		मकान की क्षति		अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की क्षति (लाख रुपए)	कुल क्षति (लाख रुपए)
							प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	मूल्य (लाख रुपए)	संख्या	मूल्य (लाख रुपए)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0.21	22	4	—	—	—	—	1989	—	—	2100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	0.06	—	3	73	—	0.014	—	—	—	—	—
4.	बिहार	69.00	218	20	4540	6548	6.000	10572.00	7362	2402.00	1661.00	14635.00
5.	गोवा	0.00	—	—	—	—	0.000	—	—	0.83	—	0.83
6.	गुजरात	1.77	186	4	448	274	0.000	775.00	21	14.41	—	789.41
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	35	6	—	10000	1.000	600.00	1500	100.00	1870.00	257500.00
9.	झारखंड	0.00	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	0.00	124	—	—	368	2.279	170307.00	—	999.69	—	171306.69
11.	केरल	0.82	182	—	4	80059	0.114	13876.61	847	3543.61	3651.67	21071.90
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	नागालैंड	0.00	—	278	1146	2680	0.000	172.00	232	2989.00	180.00	3341.00
16.	ओडिशा	3.90	24	16	1914	34	0.459	—	87	21.60	—	—
17.	पंजाब	0.09	41	18	789	954	4.044	20218.05	2148	2707.89	4382.73	27308.67
18.	सिक्किम	0.00	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	12	1	72	—	0.000	—	—	—	—	—
20.	उत्तराखंड	1.09	580	13	1603	9470	0.000	—	4726	—	—	—
21.	पश्चिम बंगाल	8.35	112	—	—	12	0.071	3.00	16963	4056.76	—	4114.85
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
23.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
24.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—
25.	पुदुचेरी	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	कुल	85.29	1537	363	10589	110399	13.980	216523.7	35875	16835.79	11745.40	474859.68

विवरण-II

XIवीं और XIIवीं योजना (दिनांक 30.11.2013 तक) के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत राज्य-वार जारी निधि

क्र. सं.	राज्य	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि	XIIवीं योजना के दौरान जारी निधि			कुल जारी निधि (30 नवम्बर, 2013 तक)
			2012-13	2013-14	30.11.2013 तक कुल (XIIवीं योजना)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	78.77		8.90	8.90	87.67
2.	असम	744.90	2.51		2.51	747.41
3.	बिहार	680.79	54.48		54.48	735.27

1	2	3	4	5	6	7
4.	छत्तीसगढ़	15.57			0.00	15.57
5.	गोवा	9.98	2.00		2.00	11.98
6.	गुजरात	2.00			0.00	2.00
7.	हरियाणा	46.91			0.00	46.91
8.	हिमाचल प्रदेश	165.31	19.92		19.92	185.23
9.	जम्मू और कश्मीर	243.50	39.36		39.36	282.86
10.	झारखंड	17.07	4.27		4.27	21.34
11.	कर्नाटक	20.00			0.00	20.00
12.	केरल	63.68			0.00	63.68
13.	मणिपुर	65.03	0.95		0.95	65.98
14.	मिज़ोरम	3.40			0.00	3.40
15.	नागालैंड	28.96	15.45		15.45	44.41
16.	ओडिशा	95.64			0.00	95.64
17.	पुदुचेरी	7.50			0.00	7.50
18.	पंजाब	40.43			0.00	40.43
19.	सिक्किम	82.86			0.00	82.86
20.	तमिलनाडु	59.82			0.00	59.82
21.	त्रिपुरा	20.91			0.00	20.91
22.	उत्तर प्रदेश	290.69	45.42	0.24	45.66	336.35
23.	उत्तराखंड	49.63		24.25	24.25	73.88
24.	पश्चिम बंगाल	642.87	9.49	45.37	54.86	697.73
	कुल	3476.21	193.85	78.76	272.61	3748.82
	XIवीं योजना के आगे ले जाए गए कार्य	89.79			0.00	89.79
	कुल योग	3566.00			272.61	3838.61

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रहण

115. **श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में अधिगृहीत भूमि और इसके लंबे समय तक अप्रयुक्त पड़े रहने के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिग्रहण का उद्देश्य और अधिगृहीत भूमि को उपयोग में नहीं लाये जाने और इसके उपयोग की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए भूमि अधिग्रहण कानून का इन विकास संबंधी परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ग) भूमि और इसका प्रबंधन, राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसाकि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। सरकारों द्वारा अधिगृहीत भूमि और लम्बी अवधि तक इसके अप्रयुक्त पड़े रहने के संबंध में राज्य-वार डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रुपए के मूल्य में गिरावट से सरकारी उपक्रमों को घाटा

116. **प्रो. सौगत राय : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए के मूल्य में भारी कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) को हुए लाभ/घाटे के संबंध में केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी उद्यम विदेशी मुद्रा के मूल्य के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए अपनी अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए बचाव व्यवस्था (हेजिंग) सहित उपयुक्त रक्षा उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

एसईआर के तहत परियोजनाएं

117. **श्री सुल्तान अहमद : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दक्षिण-पूर्व रेल (एसईआर) के तहत पूरी की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) एसईआर के तहत निर्माणाधीन/लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे (द.पू.रे.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई रेल परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समापन वर्ष
1	2	3
	2010-11	
1.	मुर्गामहादेव रोड-बानसपानी (8.6 कि.मी.) दोहरीकरण	2010-11
2.	पदापहाड़-जमाकुन्दीय (8.4 कि.मी.) दोहरीकरण	2010-11

1	2	3
3.	आद्रा-जॉयचंण्डीपहाड़ (4.8 कि.मी.) दोहरीकरण	2010-11
4.	बडबिल-बड़ाजामदा दोहरीकरण (10 कि.मी.)	2010-11
	2011-12	
5.	बानसपानी-जरोली दोहरीकरण (9 कि.मी.) दोहरीकरण	2011-12
6.	गोकुलपुर-मिदनापुर नए पुल संख्या 143 (3.6 कि.मी.) के साथ दोहरीकरण	2011-12
7.	दुमेत्रा-चम्पाझारन (17 कि.मी.)	2011-12
8.	टिकियापारा-संतरागाची (3 कि.मी.) चौथी लाइन हिस्सा	2011-12
9.	पंसकुरा-श्यामचक (27 कि.मी.) तीसरी लाइन हिस्सा	2011-12
	2012-13	
10.	मथांसीपुर-मासाग्राम (10.4 कि.मी.) नई लाइन	2012-13
11.	राजगोड़ा-टमलुक (जं.) दोहरीकरण	2012-13
12.	लतीकाता-चम्पाझारन (2.0 कि.मी.) हिस्सा	2012-13
13.	श्यामचक-खडगपुर (17.7 कि.मी.)	2012-13
14.	टिकियापारा-संतरागाछी (2 कि.मी.) चौथी लाइन हिस्सा	2012-13
15.	खडगपुर-गोकुलपुर-बरास्ता गिरीमैदान (6 कि.मी.) दोहरीकरण	2012-13
16.	राजखरसवांन-महलिमारूप (8.50 कि.मी.)	2012-13
17.	स्वर्णरेखा नदी के ऊपर पुल के साथ मुरी-मुरी आउटर का मुरी-मुरी आउटर सेक्शन	2012-13
	2013-14	
	शून्य	

(ख) और (ग)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	अनुमानित लागत 2013-14 (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2013-14 परिव्यय (करोड़ रुपए में)	लक्ष्य/उपलब्धि सहित वर्तमान संपूर्ण स्थिति, यदि कोई हो	समापन की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	हावड़ा-अमता-बरगाचिया (73.5 कि.मी.), चम्पाडंगा-	1974-75	535.4	4.00	59% पूरा किया गया। (बरगाचिया-चम्पाडंगा –	तय नहीं

1	2	3	4	5	6	7
	तारकेश्वर (8 कि.मी.) अमता-बगनान (16 कि.मी.), तथा झंघीपारा-फुरफुरा शरीफ (12.3 कि.मी.) एमएमएस के रूप में				59% पूरा किया गया। (बरगाचिया-चम्पाडंगा-32 कि.मी. चालू हो चुका है)	तय नहीं
2.	बोवईचण्डी-आरामबाग (31 कि.मी.)	2010-11	267.37	1.50	14%	तय नहीं
3.	दीघा-जालेश्वर (41 कि.मी.), दीघा-एग्रा (31 कि.मी.) के लिए एमएम के साथ	2010-11	553.63	1.00	2%	तय नहीं
4.	तमलुक-दीघा (88.9 कि.मी.), कांथी-एग्रा (26.2 कि.मी.) के लिए नए एमएम के साथ देशप्रान-नन्दीग्राम (18.5 कि.मी.), नन्दाकुमार-बोलाईपांडा (28 कि.मी.) एवं नन्दीग्राम-कांडीयामारी (नयाचार) (7 कि.मी.)	1984-85	1075.71	15.00	30% (तमलुक-दीघा पूर्ण होकर चालू है)	जून, 2015 पूरी भूमि की उपलब्धता पर निर्भर
5.	भादूटोला-झारग्राम बरास्ता लालगढ़ (54 कि.मी.)	2011-12	289.64	0.75	पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लागत में भागीदारी की सहमति जैसाकि योजना आयोग द्वारा सुझाया गया है, प्रतिक्षित है।	तय नहीं
दोहरीकरण						
6.	अन्दुल-बल्टीकुटी (7.25 कि.मी.)	2012-13	29.26	1.00	1%	दिसम्बर, 2014
7.	राजखरसवां-सिन्नी तीसरी लाइन (15.50 कि.मी.)	2008-09	96.57	18.75	69%	फरवरी, 2014
8.	चम्पाझारन-बिमलागढ़ (21 कि.मी.)	2010-11	177.38	15.00	20%	दिसम्बर, 2015
9.	डंगोआपोसी-राजखरसवां तीसरी लाइन (65 कि.मी.)	2010-11	388.67	33.75	8%	दिसम्बर, 2015
10.	सिन्नी-आदित्यपुर तीसरी लाइन (22.5 कि.मी.)	2010-11	143.16	30.00	17%	दिसम्बर, 2014

1	2	3	4	5	6	7
11.	तमलुक-बसुल्यासुतहाता (24.4 कि.मी.)	2010-11	171.02	26.00	52%	2013-14
12.	गोईकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (27 कि.मी.)	1997-98	261.70	80.50	77%	2014-15
13.	खड़गपुर-नारायणगढ़ तीसरी लाइन (23 कि.मी.)	2012-13	140.28	1.00	1%	दिसंबर, 2014
14.	पंसकुड़ा-खड़गपुर तीसरी लाइन (44.7 कि.मी.) पंसकुड़ा-घाटल (32.8 कि.मी.) एनएल के लिए नए एमएम के साथ	2008-09	252.56	29.82 (रेलवे के अलावा)	पंसकुड़ा-खड़गपुर पूरा हो चुका है। एमएम प्रारंभिक चरण में है।	दिसंबर, 2015
15.	राजखरसवां-चक्रधरपुर तीसरी लाइन (20 कि.मी.)	2012-13	148.77	3.75	1%	मार्च, 2016
16.	मनोहरपुर-बोंदामुण्डा तीसरी लाइन (30 कि.मी.)	2012-13	258.20	3.75	1%	दिसंबर, 2016
	आमान परिवर्तन					
17.	रांची-लोहारडागा (67 कि.मी.)-टोरी (44 कि.मी.)	1996-97	596.00	7.5 + 30 (जमा)	रांची-लोहारडागा चालू है। लोहारडागा-बकरीचनापी पूरा हो चुका है। आतंक की समस्या के कारण बरखीचम्पी-तोरी (29.5 कि.मी.) सेक्शन का निष्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।	दिसंबर, 2014
18.	बुरामारा-चकुलिया (50 कि.मी.) रूपसा बंगरीपोसी से एमएम के रूप में रूपसा-बुरामारा (75 कि.मी.) का अपग्रेडेशन	2008-09	643.97	0.01 + 0.8283 (रेलवे के अलावा)	आरवीएनएल को कार्य सौंपा गया। रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद बैंक उपलब्धता अध्ययन पर निर्णय लिया जाएगा।	तय नहीं
19.	बांकुडा-दामोदर नदी बोवईचण्डी-खाना (24 कि.मी.) के साथ, राय नगर-मसाग्राम (20.9 कि.मी.) बांकुडा-मुकुतमोतीपुर (48.25	1998-99	1424	2.00	बांकुडा-दामोदर घाटी पहले ही पूरी हो चुकी है। (i) रायनगर-मसाग्राम पूरा हो चुका है	

1	2	3	4	5	6	7
	कि.मी.), बरास्ता हूरा मुकुतमोतीपुर-अपसोल (26.7 कि.मी.), बांकुडा (कलाबती)-पुरूलिया तथा मुकुतमोतीपुर-झीलमिल (24 कि. मी.) बांकुडा-दामोदर नदी घाटी जीसी से एमएम के रूप में				(ii) रायनगर मटनासीबपुर (10.5 कि.मी.) पूरा हो चुका है।	
					(iii) मटनासीबपुर-मसाग्राम (10.40 कि.मी.) पूरा हो चुका है।	
					(iv) बांकुड़ा-मुकुटमोतीपुर (48.25 कि.मी.) - 20% (6.5 कि.मी.) का कार्य पूरा हो चुका है)	(iv) दिसंबर, 14 (बशर्ते भूमि उपलब्ध हो)
					(v) बोवईचण्डी-खाना (24 कि.मी.) - 20% (90% भूमि अधिग्रहण)	(v) टीडीसी नियत नहीं
					(vi) मुकटमोनीपुर-अपरसोल (26.7 कि. मी.)-एफएलएस पूरा हो चुका है।	(vi) दिसंबर, 16 (बशर्ते भूमि उपलब्ध हो)
					(vii) बांकुडा (कलाबती)-पुरूलिया बरास्ता हूरा-एफएलएस पूरा हो चुका है।	(vii) तय नहीं
					(viii) मुकुटमोनीपुर-झिलमिल (24 कि.मी.) एफएलएस निविदा मंगवाई गई है।	(viii) तय नहीं

[हिन्दी]

ट्रेन हाल्ट

118. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिहरपुर दरभंगा-सीतामढ़ी रेल खंड पर एक हाल्ट का खोला जाना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी है;

(ख) क्या निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि हरिहरपुर में प्रस्तावित हाल्ट को परिचालन और वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से लाभकारी माना गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्तीपुर मंडल में उन हाल्टों की संख्या कितनी है जो लाभकारी नहीं हैं किंतु लोक हित की दृष्टि से उनका परिचालन चालू है; और

(घ) लोक हित की दृष्टि से हरिहरपुर में एक हाल्ट नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) दरभंगा-सीतामढ़ी रेल सैक्शन पर हरिहरपुर में हाल्ट स्टेशन बनाने को न तो परिचालनिक दृष्टि से और न ही वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है। समस्तीपुर मंडल में कुछ हाल्ट स्टेशन यात्री सुविधा आधार पर कार्य कर रहे हैं। यात्री हाल्टों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। हरिहर में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं हैं। इसके अलावा, हरिहरपुर के यात्री मुहम्मदपुर स्टेशन से गाड़ी ले सकते हैं जो केवल 2.60 कि.मी. दूर है।

भारतीय रेल में खानपान सेवा

119. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री सी. शिवासामी :
श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घटिया खाने, सफाई की कमी, त्रुटिपूर्ण सज्जा, भोजन में कीड़ों/कॉकरोचों के होने अथवा अस्वास्थ्यकर कपड़े और जल की आपूर्ति जैसे खानपान सेवा की घटिया दशाओं के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने चलायी जा रही विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों को दी जा रही सेवा के बारे में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान ऐसी जांच की बारंबारता और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे का रेल यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का स्वास्थ्यजनक भोजन देने का सतत् प्रयास रहता है। घटिया भोजन देने, भोजन में कीड़ों/कॉकरोचों का होना, साफ-सफाई की कमी, खराब फिटिंग्स, गंदे बिस्तर और पानी देने के बारे में रेलों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् (01.04.2010 से 31.10.2013) का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अप्रैल 12 से लेकर मार्च 13 तक लगभग 34565 निरीक्षण और अप्रैल 13 से लेकर सितंबर, 13 तक लगभग 18960 निरीक्षण किए गए हैं।

(ङ) गाड़ियों में खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, रेल कर्मचारियों को तैनात करके देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, ये कर्मचारी नियमित, औचक और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच करते हैं और निवारक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से यात्रियों की संतुष्टि के लिए सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल फ्री नंबर वाला खानपान सेवाएं मॉनीटरिंग सैल भी स्थापित किया गया है ताकि शिकायतों का समय पर निपटान हो सके। सेवाओं में कमियों/अनियमितताओं के मामले में जुर्माना लगाने, चेतावनी, उचित निर्देश, ठेकों को समाप्त करने आदि जैसी कठोर कार्रवाई नई खानपान नीति के अंतर्गत की जाती हैं। एक पारदर्शी निविदा देने वाला प्रबंधन और देखरेख प्रणाली परिभाषित की गई है ताकि बेस किचनों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और अनिवार्य आरएसओ प्रमाणन की तीसरी पार्टी ऑडिट की व्यवस्था हो सके। कोचों में साफ-सफाई की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा कोचिंग डिपुओं में कोचों की गहन मशीनीकृत सफाई, चलती गाड़ियों में कोचों की सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्कीमें, (ओबीएचएस) और क्लीन ट्रेन स्टेशनों (सीटीएस) पर ठहरावों के दौरान गाड़ियों की सफाई पर ध्यान देना, मुख्य कोचिंग डिपुओं में व्यवसायिक एजेंसियों द्वारा कीड़े-मकोड़ों और चूहे मारने के इलाज करना आदि प्रगतियां विकसित की गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात् 01.04.2010 से 31.10.2013 तक) घटिया भोजन और भोजन में कीड़ों/कॉकरोचों आदि के होने के संबंध में रेलों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की जोन-वार संख्या

क्षेत्रीय रेलवे	शीर्ष	गाड़ियों में प्राप्त की गई शिकायतों की कुल संख्या	की गई कार्रवाई								
			जुर्माना लगाया गया	चेतावनी	टर्मिनेशन	उचित रूप से निर्देश	साबित नहीं हुआ	अनुशासनत्मक कार्रवाई	कोई अन्य	बकाया	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य	घटिया भोजन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	3	0	1	0	0	0	1	1	0	3
पूर्व मध्य	घटिया भोजन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्व तट	घटिया भोजन	82	46	11	0	25	0	0	0	0	82
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्व	घटिया भोजन	166	54	45	0	34	0	0	0	33	166
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर मध्य	घटिया भोजन	6	4	0	0	2	0	0	0	0	6
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पूर्व	घटिया भोजन	35	13	8	0	0	14	0	0	0	35
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
पूर्वोत्तर सीमांत	घटिया भोजन	46	15	9	0	2	7	0	12	1	46
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर	घटिया भोजन	918	302	432	0	178	2	0	0	4	918
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	13	9	2	0	0	1	0	0	1	13
उत्तर पश्चिम	घटिया भोजन	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण मध्य	घटिया भोजन	37	23	4	0	6	0	1	3	0	37
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
दक्षिण पूर्व उत्तर	घटिया भोजन	7	1	1	0	0	0	0	5	0	7
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व	घटिया भोजन	7	3	2	0	1	1	0	0	0	7
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
दक्षिण	घटिया भोजन	7	5	2	0	0	0	0	0	0	7
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7
दक्षिण पश्चिम	घटिया भोजन	50	11	19	0	8	1	0	9	2	50
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
पश्चिम मध्य	घटिया भोजन	34	6	4	0	21	3	0	0	0	34
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम	घटिया भोजन	111	6	55	0	38	4	0	8	0	111
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
आईआरसीटीसी	घटिया भोजन	2352	547	1037	8	342	145	105	168	0	2352
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	138	46	35	0	19	7	21	10	0	138
कुल	घटिया भोजन	3861	1036	1629	8	657	177	106	208	40	3861
	भोजन में कीड़े/कॉकरोच	167	65	39	0	19	9	22	12	1	167

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (01.04.2010 से 31.10.2013 तक) साफ-सफाई, खराब फिटिंग्स आदि के बारे में प्राप्त शिकायतों की क्षेत्र-वार सूची

क्षेत्रीय रेलवे	पानी न मिलना	स्टेशनों पर साफ-सफाई न होना	कोचों का रख-रखाव/ साफ-सफाई	खराब बिजली के उपकरण	बेडशीट न मिलना	कुल जोड़
मध्य	150	299	207	250	138	1044
पूर्वी	160	37	329	213	435	1174
पूर्वी मध्य	66	87	271	164	195	783
पूर्व तट	174	125	1025	406	694	2424
उत्तर मध्य	22	63	13	134	6	238
उत्तर पूर्व	35	13	39	71	40	198
पूर्वोत्तर सीमा	44	27	162	135	238	606
उत्तर	61	59	79	196	46	441
उत्तर पश्चिम	71	42	50	93	24	280
दक्षिण मध्य	88	52	307	126	95	668
दक्षिण पूर्व मध्य	41	26	149	63	69	348
दक्षिण पूर्व	49	27	372	128	356	932
दक्षिण	117	54	244	124	59	598
दक्षिण पश्चिम	83	33	114	92	85	407
पश्चिम मध्य	30	34	26	48	26	164
पश्चिम	120	223	399	314	420	1476
कुल	1311	1201	3786	2557	2926	11781

[अनुवाद]

ट्रेन आरक्षण

120. **श्री एन. कृष्टप्प :**
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटरीकरण और आरक्षण प्रणाली के आधुनिकीकरण के बावजूद रेलवे ने आरक्षण में कदाचारों को रोकने में सफलता नहीं पायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों की विभिन्न श्रेणियों में अग्रिम रूप से टिकट खरीदने के बावजूद यात्री कतिपय श्रेणियों की सीटें/बर्थ के खाली रहने के बावजूद प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) आरक्षित स्थानों की बुकिंग करने के लिए टिकट प्रणाली के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण में काफी पारदर्शिता लाई गई है। 3000 से अधिक स्थानों को शामिल करने के लिए कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में विस्तार किया गया है। देश में 240 से अधिक डाक कार्यालयों में पीआरएस केंद्र भी खोले गए हैं। आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से पेश की गई भारतीय रेलों की इंटरनेट आधारित टिकट प्रणाली, जो काफी बड़ा भाग (आरक्षित टिकटों का लगभग 50%) है, से पीआरएस केंद्रों में यात्रियों के जाने की आवश्यकता कम हो गई है। भारतीय रेलों ने आरक्षित बुकिंग में होने वाले कदाचारों की जांच करने के लिए बड़ी संख्या में उपाय भी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

(i) अब सभी आरक्षित टिकटों के लिए एक निर्धारित आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है।

(ii) आरक्षण कार्यालय की निगरानी और निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

(iii) सभी प्रमुख आरक्षण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iv) वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा जांच की जाती है और कदाचार में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान और लोकप्रिय गाड़ियों के लिए जब मांग उपलब्धता से अधिक बढ़ जाती है तब आरक्षित स्थान कम समय में ही समाप्त हो जाता है क्योंकि साथ-साथ सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली द्वारा और इंटरनेट के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप काफी पहले टिकट खरीदने के बावजूद यात्री प्रतीक्षासूची में रहते हैं। कम भीड़भाड़ के दौरान और कम लोकप्रिय गाड़ियों में अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक बुकिंग के लिए आरक्षित स्थान उपलब्ध रहता है। चार्ट तैयार करते समय बुकिंग की प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षारत यात्रियों को खाली बर्थ/सीटें आबंटित की जाती हैं।

(ङ) त्यौहारों की भीड़, गर्मियों की भीड़ और सर्दियों की भीड़ जैसे व्यस्त समय के दौरान आरक्षित स्थानों की मांग और सप्लाई के बीच अंतर को कम करने के लिए बड़ी संख्या में विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं, नई गाड़ियां शुरू की जाती हैं। चल रही मौजूदा गाड़ियों का विस्तार किया जाता है और उनका संघटन बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

यूएमपीपी की स्थापना

121. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री अर्जुन राय :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन हेतु अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना हेतु वर्ष 2005 में कोई पहल की थी;

(ख) यदि हां, तो यूएमपीपी की स्थापना हेतु चिन्हित स्थानों तथा प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी परियोजना-वार/ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में स्थापित की जा रही/प्रस्तावित यूएमपीपी सहित प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है और इन यूएमपीपी को ईंधन की आपूर्ति हेतु की गई/की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन यूएमपीपी की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विभिन्न राज्यों में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता (प्रत्येक) की कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए पहल की है। देश के विभिन्न भागों में सोलह यूएमपीपी चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से, आठ यूएमपीपी कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित किए जाने वाले कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के घरेलू कोयले पर आधारित हैं तथा आठ यूएमपीपी आयातित कोयले पर आधारित हैं, जिसका प्रबंध विकासकर्त्ता द्वारा किया जाना है। घरेलू कोयला ब्लॉक पर आधारित आठ यूएमपीपी में से, छह यूएमपीपी के लिए ब्लॉक्स आबंटित/चिन्हित किए जा चुके हैं। इन सभी यूएमपीपी का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इन यूएमपीपी की स्थापना में विलंब के कारण हैं:– मेजबान राज्यों द्वारा स्थलों को अंतिम रूप न दिया जाना, भूमि अंतरण/अधिग्रहण में विलंब, भारत के बाहर कोयले के निर्यात से संबंधित नए विनियम,

वन संबंधी मामले, विशेषकर "गो/नो गो क्षेत्र का श्रेणीकरण", पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में विलंब इत्यादि। इन मामलों को संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारों के साथ शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है।

(ङ) अवार्ड किए गए यूएमपीपी की सूची विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अनुसार चालू होने की अनुसूची के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

विवरण-I

यूएमपीपी के लिए आबंटित/चिन्हित ब्लॉक

क. अवर्ड किए गए यूएमपीपी

क्र. सं.	यूएमपीपी (क्षमता)	स्थान	स्थिति	ईंधन प्रबंध
1	2	3	4	5
			मध्य प्रदेश	
1.	सासन (6×600 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना दिनांक 7.8.2007 को मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। सासन यूएमपीपी (660 मेगावाट) की प्रथम यूनिट मई, 2013 में चालू हो गई है।	मोहर (402 एमटी), मोहर-अमलोहरी एक्सटेंशन (198 एमटी) और छत्रसाल (160 एमटी) कोल ब्लॉक
			गुजरात	
2.	मुन्द्रा (5×800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में टुण्डावन्द गांव में मुन्द्रा	परियोजना दिनांक 24.4.2007 को मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। मुन्द्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू है तथा विद्युत उत्पादन कर रही है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया गया)
			आंध्र प्रदेश	
3.	कृष्णापटनम (6×660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना दिनांक 29.01.2008 को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को रुपए 2.33/कि.वा.घं. के लेवलाइज्ड प्रशुल्क पर अवार्ड और स्थानांतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयले की कीमत के नए विनियम को दर्शाते हुए कार्य स्थल पर काम रोक दिया है। प्रमुख प्रापक नामतः एपीएसपीडीसीएल ने सीएपीएल को यह बताते हुए समाप्ति सूचना जारी कर दी है कि चूक तथा प्रत्याशित भंग के परिप्रेक्ष्य में, कोई विकल्प न रहने पर, प्रापकों ने मिलकर करार समाप्ति का निर्णय लिया है। सीएपीएल दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय में चली गई है। न्यायालय ने सीएपीएल	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया गया)

1	2	3	4	5
			की याचिका को खारिज कर दिया है। सीएपीएल ने अब डिविजन बेंच, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारतीय मध्यस्थ परिषद् में याचिका दाखिल की है। सीईआरसी में भी एक अन्य याचिका दाखिल है। मामला अब न्यायाधीन है।	
			झारखंड	
4.	तिलैया (6×600 मेगावाट)	झारखंड के हजारीबाग तथा कोडरमा जिले में तिलैया गांव के निकट	परियोजना मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को 7.8.2009 को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। संयंत्र का निर्माण रुका हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि सौंपी नहीं गई है।	केरनदारी बी एण्ड सी (972 एमटी) उत्तरी करनपुरा कोल क्षेत्र में कोल ब्लॉक
ख.	**अन्य यूएमपीपी**			
			ओडिशा	
5.	बेडाबहल (4000 मेगावाट)	सुन्दरगढ़ जिला, ओडिशा में बेडाबहल के निकट	एस यूएमपीपी के लिए स्थल सुंदरगढ़ जिले में बेडाबहल गांव में है। अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) 25.09.2013 को जारी किया गया है।	मीनाक्षी (285 एमटी), मीनाक्षी बी (250 एमटी), मीनाक्षी (350 एमटी) कोल ब्लॉक की डिप साइड
6.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना में स्थल चिन्हित किया गया है।	—	बनखुई (800 एमटी) कोल ब्लॉक
7.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतर्स्थल हेतु कालाहाण्डी जिले की नारला और कसिंगा सब-डिविजन में स्थल चिन्हित किए गए हैं।	—	घोगारपल्ली और घोगारपल्ली कोल ब्लॉक की डिप साइड (चिन्हित)
			छत्तीसगढ़	
8.	छत्तीसगढ़ (4000 मेगावाट)	जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में सलका और खमरिया गांवों के समीप	इस यूएमपीपी का स्थल सरगुजा जिले में है। इस यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू 15.03.2010 को जारी किया गया था। एमओईएफ ने सूचित किया है कि कैप्टिव कोयला ब्लॉक अनुलंघनीय क्षेत्रों में हैं। कोयला ब्लॉक की स्वीकृति के लिए एफओईएफ के साथ मामले को उठाया जा रहा है। उपर्युक्त के	पिंडारखी (421.51 एमटी) और पुतापरोगिया (692.16 एमटी) कोल ब्लॉक

1	2	3	4	5
			परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए आरएफक्यू, छत्तीसगढ़ यूएमपीपी को आबंटित कोयला ब्लॉक की स्वीकृति मिलने अथवा नए कोयला ब्लॉक आबंटित किए जाने पर ही संशोधित एसबीडी पर नए सिरे से जारी किए जाएं। तद्नुसार, 4000 मेगावाट की छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए 15.03.2010 को जारी आरएफक्यू को वापिस ले लिया गया है।	
			तमिलनाडु	
9.	तमिलनाडु (4000 मेगावाट)	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु	तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में चेय्यूर में स्थल को पणिपुर गांव में कैप्टिव पोर्ट के साथ-साथ चिन्हित किया गया है। इस यूएमपीपी की आरएफक्यू को 26.09.2013 को जारी किया गया है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
10.	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	—	आयातित कोयला (विकासकता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
			आंध्र प्रदेश	
11.	आंध्र प्रदेश का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	गांव न्यूनिपल्ली, जिला प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में न्यूनीपल्ली गांव में स्थल को अंतिम रूप दिया गया है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
			झारखंड	
12.	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	हुसैनाबाद, देवघर जिले में स्थल चिहिनत किया गया है।	—	कैप्टिव कोल ब्लॉक
			गुजरात	
13.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	—	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
			कर्नाटक	
14.	कर्नाटक (4000 मेगावाट)	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिहिनत किया है।	—	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)

1	2	3	4	5
		महाराष्ट्र		
15.	महाराष्ट्र (4000 मेगावाट)	अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	—	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
		बिहार		
16.	बिहार (4000 मेगावाट)	बांका जिले के ककवारा में स्थल चिन्हित किया गया है।	—	कैप्टिव कोल ब्लॉक

विवरण-II

पीपीए के अनुसार चालू होने की अनुसूची के ब्यौरे

क्र. सं.	यूएमपीपी का नाम	पीपीए के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि (सीओडी)	वास्तविक सीओडी
1	2	3	4
1.	मुंद्रा यूएमपीपी, गुजरात	यूनिट-1 : 08/12	यूनिट-1 : 07.03.2012
		यूनिट-2 : 02/13	यूनिट-2 : 30.07.2012
		यूनिट-3 : 08/13	यूनिट-3 : 27.10.2012
		यूनिट-4 : 02/14	यूनिट-4 : 21.01.2013
		यूनिट-5 : 08/14	यूनिट-5 : 22.03.2013
			मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू है और विद्युत उत्पादन कर रहा है।
2.	सासन यूएमपीपी, मध्य प्रदेश	यूनिट 1 : 05/13	यूनिट-1 : 06.05.2013
		यूनिट-2 : 12/13	यूनिट-2 : 12/13
		यूनिट-3 : 07/14	यूनिट-3 : 07/14
		यूनिट-4 : 02/15	यूनिट-4 : 02/15
		यूनिट-5 : 09/15	यूनिट-5 : 09/15
		यूनिट-6 : 04/16	यूनिट-6 : 04/16
3.	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश	यूनिट 1 : 06/13	विकासकर्ता ने निर्माण कार्य रोक दिया है। प्रापक के समाप्ति सूचना जारी कर दी है। मामला न्यायाधीन है।
		यूनिट-2 : 10/13	
		यूनिट-3 : 02/14	
		यूनिट-4 : 06/14	

1	2	3	4
		यूनिट-5 : 10/14	
		यूनिट-6 : 02/15	
4.	तिलैया यूएमपीपी, झारखंड	यूनिट 1 : 05/15	संयंत्र का निर्माण अभी प्रारंभ किया जाना है क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है।
		यूनिट-2 : 10/15	
		यूनिट-3 : 03/16	
		यूनिट-4 : 08/16	
		यूनिट-5 : 01/17	
		यूनिट-6 : 06/17	

[अनुवाद]

जल भंडारों का पता लगाना

122. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री हरिन पाठक :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ पेयजल का पता लगाने के लिए जल भंडारों को खोजने हेतु वायवीय भूभौतिक तकनीकों का प्रयोग करके कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे समय पर पूरा न करने के क्या कारण हैं और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को संपूर्ण देश में आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने हेली-बोर्न ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमेगनेटिक तकनीक सहित उन्नत भू-भौतिकीय तकनीकों के प्रयोग से राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में विभिन्न जल-भूविज्ञानीय दशाओं वाले 6 अध्ययन क्षेत्रों में जलभृत्तों के मानचित्रण हेतु प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब के चलते परियोजना को पूरा करने की मूल समय सारणी को संशोधित किया गया है। प्रायोगिक परियोजना के अब मई, 2014 तक पूरे होने की संभावना है। अक्तूबर, 2013 तक प्रायोगिक परियोजना पर 1221.26 लाख रुपए खर्च हो चुके थे।

(घ) केन्द्र सरकार ने, XIIवीं योजना के दौरान देश में कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम अनुमोदित किया है तथा देश में जलभृत्त मानचित्रण हेतु हेलीकॉप्टर-युक्त भू-भौतिकीय तकनीकों के प्रयोग के लिए XIIवीं योजना हेतु 370.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

[हिन्दी]

रेल किराया मालभाड़ा वृद्धि

123. **श्रीमती अश्वमेध देवी :**
श्री उदय सिंह :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल/मालभाड़े में हाल ही में की गई वृद्धि का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मासिक सीज़न टिकट (एमएसटी) और उपनगरीय रेलगाड़ियों के किराए में भी वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उपरोक्त भाड़ा वृद्धि की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा रेल सेवाओं और सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से अन्य स्रोतों में राजस्व सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) फ्यूल एडजेस्टमेंट कॉपिनेट (एफएसी) से संबंधित नवीनतम रेल भाड़ा और माल भाड़ा वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) द्वितीय श्रेणी साधारण (गैर-उपनगरीय) के लिए यात्री किराया चुनिंदा दूरी स्लैब में अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ाया गया है जबकि अन्य दूरी स्लैबों में मौजूदा किराए में कोई परिवर्तन नहीं है। अन्य सभी श्रेणियों में संशोधित किराया मौजूदा किराए की तुलना में मात्र लगभग 2% अधिक है।

(ii) सभी पण्यों के माल भाड़ा दरों में लगभग 1.7% की एक्रॉस बोर्ड वृद्धि हुई है।

(ख) दूसरा दर्जा मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) किरायों और दूसरा दर्जा साधारण (उपनगरीय) किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

(ग) और (घ) यात्री किराया संरचना के यौक्तिकरण के संबंध में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) मालभाड़ा दर संरचना के यौक्तिकीकरण सहित रेल सेवाओं में वृद्धि और बनाये रखने की दृष्टि से संसाधक सृजन को और बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं। रेल परिसरों, गाड़ियों आदि में वाणिज्यिक प्रचार के लिए स्थानों को लीज पर देने के माध्यम से राजस्व सृजित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश पहले से ही जारी हैं। इसके अलावा रेल परिसरों में वाहनों की पार्किंग के लिए भी आऊटसोर्सिंग की जाती है। गैर-टैरिफ उपायों के माध्यम से रेल राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे की अपनी खाली पड़ी भूमि जिसकी रेलवे को तत्काल भावी परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए जरूरत नहीं है, जहां व्यवहारिक है वाणिज्यिक विकास के लिए अंनतिम अवधि के लिए, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) जो रेल मंत्रालय के अधीन सांविधिक प्राधिकरण है, के माध्यम से उपयोग करने की योजना है। इसके अलावा रेल बजट 2013-14 में की गई घोषणा के अनुसार भूमि की रीयल एस्टेट क्षमता और स्टेशन के आसपास के ऊपरी क्षेत्र के उपयोग द्वारा स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशनों में पुर्नविकसित करने के लिए एक समर्पित संगठन यथा भारतीय रेल स्टेशन विकास लि. (आईआरएसडीसी) की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

रेलवे में निवेश

124. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री एम. आनंदन :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यात्री क्षेत्र में हानि हो रही है और वह वित्तीय संकट का सामना कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से निवेश आकर्षित काने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पीपीपी के माध्यम से निवेश हेतु रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक इसे किस स्तर तक प्राप्त किया गया है;

(घ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं; और

(ङ) क्या रेलवे देश में रेल परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने को उत्सुक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या रहे है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां। वर्ष 2013-14 में यात्री तथा अन्य कोचिंग सेवाओं में हानि के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इससे योजना निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की रेलवे की क्षमता में बाधा होती है। कठोर व्यय नियंत्रण लागू करने के साथ-साथ आय बढ़ाने के लिए उपाय भी किए गए हैं जैसे माल यातायात पर उच्चतर व्यस्त अवधि अधिभार वसूलना, ईंधन समायोजन संघटक में संशोधन, कोलकाता मेट्रो यात्री भाड़ा, पार्सल दर, खान-पान प्रभार तथा अन्य।

(ख) और (ग) जी, हां। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से निवेश के लिए एक लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्रोत/पद्धति शामिल हैं जैसे लॉजिस्टिक्स पार्क, निजी भाड़ा टर्मिनल, भाड़ा पद्धति, केप्टिव पावर जनरेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, रेल इंजन और रेल डिब्बा विनिर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, हाई स्पीड एवं एलीवेटेड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राज्य सरकारों के साथ लागत भागीदारी, रेलवे साइडिंग, रेल कनेक्टिविटी

परियोजनाओं के लिए सांझा उपक्रम तथा विशेष उद्देश्य वाहन बनाना। चालू वर्ष में अक्टूबर 2013 के अंत में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से लगभग 869 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।

(घ) निवेश में कमी के मुख्य कारणों में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला समय, परियोजनाओं की अधिक पूंजी प्रधान प्रकृति, निजी क्षेत्र द्वारा अपर्याप्त रूचि लेना तथा राज्य सरकारों से समर्थन में कमी शामिल है। बहरहाल, रेल इंजीन फैक्ट्रियों तथा एलिवेटेड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। स्टेशन पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. की स्थापना की गई है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं - क्षमता उन्नयन के लिए भागीदारी की नीति, निजी भाड़ा टर्मिनल नीति, विशेष भाड़ा ट्रेन ऑपरेटर नीति, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर नीति, लिबरालाइज्ड वेगन इनवेस्टमेंट योजना आदि।

(ङ) जी, हां। रेलवे ने रेल अवसंरचना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के लिए वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उचित प्रावधान करने के लिए औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग (डीआईपीपी) से संपर्क किया है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी का लाभ

125. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के अर्द्ध प्रथम छमाही के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा अर्जित लाभ या हुई हानि कितनी रही;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन में कमी के कारण चालू वर्ष की प्रथम पहली छमाही के दौरान एनटीपीसी द्वारा अर्जित लाभ में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष की समान अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष में अप्रैल से सितम्बर माह में उत्पादन में किस स्तर तक कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष की प्रथम छमाही में अर्जित लाभ निम्नानुसार है:—

वर्ष	लाभ (करोड़ रु.)
1	2
2010-11	9102.59
2011-12	9223.73
2012-13	12619.39
2013-14 (सितम्बर, 2013 तक)	5019.92

(ख) 2012-13 की इसी अवधि (अर्थात् 2012-13 की प्रथम छमाही) की तुलना में एनटीपीसी का चालू वर्ष की प्रथम छमाही का लाभ विद्युत के उत्पादन में कमी के कारण कम नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास

126. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आवास निर्मित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) आईएवाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में उन बीपीएल परिवारों को आईएवाई आवासों की मंजूरी दी जाती है, जिनके पास अपर्याप्त आवास सुविधाएं हैं या जो आवासहीन हैं। वार्षिक आबंटन का 15% पात्र अल्पसंख्यक परिवारों के लिए है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत मकान	अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए मकान
2010-11	4.26 लाख	3.39 लाख
2011-12	4.16 लाख	2.93 लाख
2012-13	3.64 लाख	2.94 लाख
2013-14	2.33 लाख*	1.13 लाख

*28.11.2013 तक।

(ख) राज्य-वार और श्रेणी-वार स्वीकृत और बनाए गए मकानों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III, IV में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय ने राज्यों के लिए इस वर्ष से अल्पसंख्यक समुदाय-वार स्वीकृत मकानों की सूचना देने हेतु आईएवाई आवास सॉफ्ट के लिए एमआईएस में विशेष सुविधा शुरू की है।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

2010-11

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान स्वीकृत माकनों में से, निम्न के नाम पर आबंटित मकान		
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिला	संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम पर	शारीरिक विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	257104	117973	59899	38208	41024	257104	257104	0	2534
2.	अरुणाचल प्रदेश	7726	0	10265	0	0	10265	3496	4229	200
3.	असम	170849	45432	54402	30289	46332	176455	69517	51926	4902
4.	बिहार	758904	477063	25977	155118	345004	1003162	690447	276277	17744
5.	छत्तीसगढ़	39759	7582	19115	1051	12476	40224	10046	30130	198
6.	गोवा	1584	43	714	109	1440	2306	1107	441	0
7.	गुजरात	126090	7797	86380	4167	79792	178136	140576	30850	117
8.	हरियाणा	17703	10864	0	2656	6157	19677	9658	7707	297
9.	हिमाचल प्रदेश	5793	2793	454	248	2376	5871	1830	2854	106
10.	जम्मू और कश्मीर	17995	2770	9733	320	11955	24778	4522	6556	194
11.	झारखंड	167691	38666	69143	22289	42489	172587	103588	24132	2775
12.	कर्नाटक	99055	32954	16059	11857	42570	103440	97224	0	2678
13.	केरल	55084	21130	4508	9935	17425	52998	39286	10829	975
14.	मध्य प्रदेश	79073	18552	27471	4774	20470	71267	23403	33851	866
15.	महाराष्ट्र	155052	38049	43848	17017	58653	157567	22733	117302	1800

31.03.2011 तक की स्थिति
संख्या इकाई में

निर्माणाधीन मकान			बनाए गए मकान (*)					प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	रिपोर्टिंग का महीना
विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष में स्वीकृत	पूर्व में पिछले वर्ष स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	117973	59899	38208	41024	257104	100.00	मार्च, 11
636	17	653	0	9915	0	0	9915	128.33	मार्च, 11
102904	503	103407	40864	43846	27445	44756	156911	91.84	मार्च, 11
998080	313319	1311399	264515	11392	89444	200797	566148	74.60	मार्च, 11
27578	12705	40283	7747	32177	991	17504	58419	146.93	मार्च, 11
2059	1940	3999	19	85	24	539	667	42.11	मार्च, 11
77607	7650	85257	9247	74930	4977	78159	167313	132.69	मार्च, 11
3745	3	3748	9959	0	2276	5855	18090	102.19	मार्च, 11
1202	84	1286	2699	432	310	2393	5834	100.71	मार्च, 11
11813	2290	14103	2464	6622	290	10290	19666	109.29	मार्च, 11
215698	34938	250636	37566	56921	16618	35717	146822	87.56	मार्च, 11
38727	16212	54939	35468	16128	11489	32482	95567	96.48	मार्च, 11
43128	3878	47006	23595	2952	10714	17592	54853	99.58	मार्च, 11
34625	7096	41721	22210	27936	3772	25179	79097	100.03	मार्च, 11
45365	8128	53493	37651	43939	15947	59038	156575	100.98	मार्च, 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	6707	83	2178	481	1192	3934	1904	1398	95
17.	मेघालय	11681	10	12860	58	62	12990	4162	5005	200
18.	मिज़ोरम	2489	0	4916	0	0	4916	1677	1456	55
19.	नागालैंड	7730	0	16175	0	0	16175	182	15508	485
20.	ओडिशा	149100	57093	41881	8298	58057	165329	72798	99869	1311
21.	पंजाब	21893	17077	0	1935	4211	23223	12277	8645	283
22.	राजस्थान	63362	31083	13772	9048	21605	75508	52642	19907	1184
23.	सिक्किम	1478	345	670	1015	709	2739	1280	380	64
24.	तमिलनाडु	102939	58313	2799	13053	28843	103008	59017	42955	2742
25.	त्रिपुरा	15050	3064	11267	2036	3887	20254	7143	11439	510
26.	उत्तर प्रदेश	340868	170586	2176	39920	122297	334979	225374	10727	4419
27.	उत्तराखंड	15856	4330	1534	2882	8032	16778	13232	1689	44
28.	पश्चिम बंगाल	205671	79675	22381	49965	43934	195955	103715	75005	2895
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2446	0	0	49	391	440	70	132	3
30.	दादरा और नगर हवेली	407	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	182	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	158	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1218	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2908697	1243327	560577	426778	1021383	3252065	2030010	891199	49676
क.	पूर्वोत्तर राज्य	223710	48934	112733	33879	52182	247728	89361	91341	6511
ख.	गैर-पूर्वोत्तर राज्य	2684987	1194393	447844	392899	969201	3004337	1940649	799858	43165
	कुल	2908697	1243327	560577	426778	1021383	3252065	2030010	891199	49676

*संशोधित अनुमान स्तर पर झारखंड के लिए एक लाख अतिरिक्त मकान मंजूर किए गए थे।

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1862	66	1928	92	2764	483	1343	4682	69.81	मार्च, 11
8676	960	9636	10	11309	58	62	11439	97.93	मार्च, 11
0	0	0	0	3517	0	0	3517	141.30	मार्च, 11
661	0	661	0	15514	0	0	15514	200.70	मार्च, 11
122573	2768	125341	56917	45940	7391	60975	171223	114.84	मार्च, 11
5724	135	5859	15214	0	1678	3591	20483	93.56	मार्च, 11
29922	4487	34409	25800	12243	7471	17833	63347	99.98	मार्च, 11
0	0	0	345	670	1015	709	2739	185.32	मार्च, 11
6683	0	6683	54796	2446	12027	26987	96256	93.51	मार्च, 11
10018	0	10018	2023	5986	1490	2811	12310	81.79	मार्च, 11
35438	81	35519	156058	1849	37512	109957	305376	89.59	मार्च, 11
3352	25	3377	4340	997	3084	7503	15924	100.43	मार्च, 11
127010	2086	129096	68202	24113	44788	41729	178832	86.95	मार्च, 11
864	453	1317	0	0	67	249	316	12.92	मार्च, 11
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
1955950	419824	2375774	995774	514522	339569	845074	2694939	92.65	
124757	1546	126303	43334	93521	30491	49681	217027	97.01	
1831193	418278	2249471	952440	421001	309078	795393	2477912	92.29	
1955950	419824	2375774	995774	514522	339569	845074	2694939	92.65	

विवरण-II

राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

2011-12

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान स्वीकृत माकनों में से, निम्न के नाम पर आबंटित मकान		
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिला	संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम पर	शारीरिक विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	249013	100461	49171	36139	78327	264098	249013	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	7548	0	1616	0	0	1616	403	1051	12
3.	असम	166913	42234	50939	29154	56703	179030	72606	61065	4007
4.	बिहार	737486	361608	16826	162653	444549	985636	798340	135174	13767
5.	छत्तीसगढ़	37466	9641	43938	474	14837	68890	6905	32502	412
6.	गोवा	1547	30	876	277	1460	2643	1673	67	0
7.	गुजरात	123168	4001	84682	1386	33705	123774	91468	31935	85
8.	हरियाणा	17293	10045	0	2699	6313	19057	9166	7373	397
9.	हिमाचल प्रदेश	5659	2735	528	200	2213	5676	1876	2393	99
10.	जम्मू और कश्मीर	17578	469	5036	228	5268	11001	1517	1553	62
11.	झारखंड	63477	14511	25517	8607	16268	64903	42458	8393	948
12.	कर्नाटक	96760	70862	29778	24304	49468	174412	168440	0	6256
13.	केरल	53808	24677	3777	14903	23759	67116	52059	12120	1284
14.	मध्य प्रदेश	76135	37111	49901	8286	39366	134664	36748	59344	1420
15.	महाराष्ट्र	151063	33907	54812	12455	52672	153846	21813	99289	1075

31.03.2011 तक की स्थिति
संख्या इकाई में

निर्माणाधीन मकान			बनाए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	रिपोर्टिंग का महीना
विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष में स्वीकृत	पूर्व में पिछले वर्ष स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	93394	49171	28121	78327	249013	100.00	मार्च, 12
252	0	252	0	1400	0	0	1400	18.55	मार्च, 12
97441	5641	103082	32901	43136	25135	42598	143770	86.13	मार्च, 12
1146509	378028	1524537	200319	7836	80694	181036	469885	63.71	मार्च, 12
48061	3744	51805	8772	19764	527	48422	77485	206.81	मार्च, 12
3790	2597	6387	28	283	34	742	1087	70.27	मार्च, 12
82888	3867	86755	4208	65429	1959	40403	111999	90.93	मार्च, 12
3884	506	4390	9821	0	2338	5123	17282	99.94	मार्च, 12
313	54	367	2864	570	243	2342	6019	106.36	मार्च, 12
6463	659	7122	362	3476	138	5066	9042	51.44	मार्च, 12
118824	38124	156948	22421	37441	12288	45193	117343	184.86	मार्च, 12
61398	45540	106938	8556	4736	4080	9593	26965	27.87	मार्च, 12
53951	5435	59386	22023	2749	11542	18185	54499	101.28	मार्च, 12
85688	8980	94668	28957	33802	5522	30166	98447	129.31	मार्च, 12
50505	8196	58701	30980	49727	11088	49684	141479	93.66	मार्च, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	6552	10	4969	70	90	5139	2690	2283	124
17.	मेघालय	11412	685	12459	190	78	13412	5788	7059	219
18.	मिज़ोरम	2432	0	3177	0	0	3177	1861	1259	107
19.	नागालैंड	7552	0	11332	0	0	11332	134	10858	340
20.	ओडिशा	142082	47497	31553	6333	46024	131407	34994	88596	1127
21.	पंजाब	21386	14705	0	1150	3121	18976	7537	9271	285
22.	राजस्थान	61894	60838	33113	13290	58906	166147	120242	38489	1060
23.	सिक्किम	1444	288	433	721	723	2165	1169	435	66
24.	तमिलनाडु	100553	54862	3889	12695	28182	99628	59705	37261	2932
25.	त्रिपुरा	14704	3433	22653	1395	4914	32395	6645	13715	615
26.	उत्तर प्रदेश	332804	155072	3109	35667	120718	314566	209710	5104	3763
27.	उत्तराखंड	15488	4090	935	2673	8274	15972	12651	1516	39
28.	पश्चिम बंगाल	199176	84796	21613	39680	48762	194851	96877	62968	3190
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2389	0	0	46	410	456	87	247	2
30.	दादरा और नगर हवेली	398	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	178	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	154	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1190	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2726702	1138568	566632	415675	1145110	3265985	2114575	731320	43693
क.	पूर्वोत्तर राज्य	218557	46650	107578	31530	62508	248266	91296	97725	5490
ख.	गैर-पूर्वोत्तर राज्य	2508145	1091918	459054	384145	1082602	3017719	2023279	633595	38203
	कुल	2726702	1138568	566632	415675	1145110	3265985	2114575	731320	43693

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4279	270	4549	3	2713	49	191	2956	45.12	मार्च, 12
1683	143	1826	685	12194	190	78	13147	115.20	मार्च, 12
101	0	101	0	3227	0	0	3227	132.69	मार्च, 12
0	0	0	0	13362	0	0	13362	176.93	मार्च, 12
115908	1746	117654	48314	33691	6835	52558	141398	99.52	मार्च, 12
7276	144	7420	12831	0	1013	2778	16622	77.72	मार्च, 12
59808	4159	63967	47033	24435	11139	43035	125642	203.00	मार्च, 12
0	0	0	283	464	347	711	1805	125.00	मार्च, 12
58147	8399	66546	49613	3556	11789	26673	91631	91.13	मार्च, 12
10559	82	10641	2936	17425	1261	4907	26529	180.42	मार्च, 12
35326	1301	36627	152903	2459	33183	118467	307012	92.25	मार्च, 12
4434	78	4512	4360	1408	2048	7757	15573	100.55	मार्च, 12
115225	4860	120085	75760	22325	41248	46891	186224	93.50	मार्च, 12
672	523	1195	0	0	142	436	578	24.19	मार्च, 12
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	एनआर
2173385	523076	2696461	860327	456779	292953	861362	2471421	90.64	
114315	6136	120451	36808	93921	26982	48485	206196	94.34	
2059070	516940	2576010	823519	362858	265971	812877	2265225	90.31	
2173385	523076	2696461	860327	456779	292953	861362	2471421	90.64	

विवरण-III

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

2012-13

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत मकान					वर्ष के दौरान स्वीकृत माकनों में से, निम्न के नाम पर आबंटित मकान		
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम (4 से 7)	महिला	संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम पर	शारीरिक विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	270399	99971	69952	39218	68213	277354	270399	0	10871
2.	अरुणाचल प्रदेश	8339	0	1857	0	56	1913	68	1828	17
3.	असम	184408	44563	51545	31176	55120	182404	54526	56057	3967
4.	बिहार	816305	325578	18507	128964	277463	750512	539732	175550	11851
5.	छत्तीसगढ़	41511	9228	38021	519	15851	63619	16065	42105	337
6.	गोवा	1714	2	22	0	14	38	38	0	0
7.	गुजरात	136470	4195	67584	2042	34721	108542	96803	6717	61
8.	हरियाणा	19163	10494	0	2809	5639	18942	9485	7191	333
9.	हिमाचल प्रदेश	6271	3331	623	254	2260	6468	2146	2442	112
10.	जम्मू और कश्मीर	19476	1653	3385	409	4538	9985	1363	3817	57
11.	झारखंड	69503	24317	42963	14346	28788	110414	62829	25471	1987
12.	कर्नाटक	107210	57321	25761	20541	54815	158438	142716	0	4288
13.	केरल	59620	25534	3325	10712	16190	55761	43311	8372	951
14.	मध्य प्रदेश	84358	22165	35960	5548	24489	88162	24593	37974	1762
15.	महाराष्ट्र	167379	16936	63361	9956	83626	173879	22331	124565	630

31.03.2011 तक की स्थिति
संख्या इकाई में

निर्माणाधीन मकान			बनाए गए मकान					प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत
विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष में स्वीकृत	पूर्व में पिछले वर्ष स्वीकृत	कुल कॉलम (12+13)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्प-संख्यक	अन्य	कुल कॉलम 15 से 18	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
26409	0	26409	97532	50566	34634	68213	250945	92.81
651	0	651	0	1555	0	56	1611	19.32
136524	9162	145686	24341	25604	20502	34278	104725	56.79
1271937	575704	1847641	254632	12625	107329	244991	619577	75.90
65093	8840	73933	4142	16292	279	7631	28344	68.28
38	1879	1917	3	18	3	4	28	1.63
114163	14321	128484	2650	42980	961	22948	69539	50.96
7641	123	7764	7023	0	2024	3717	12764	66.61
269	0	269	3254	503	250	2276	6283	100.19
6354	2369	8723	1042	1912	85	2853	5892	30.25
127437	34003	161440	15779	23901	8131	16758	64569	92.90
156685	40692	197377	40011	18103	15496	36313	109923	102.53
62991	8012	71003	15904	2105	9917	15681	43607	73.14
64855	21226	86081	28609	37055	5090	29798	100552	119.20
70666	18961	89627	15309	55980	7115	61489	139893	83.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	7238	177	2541	112	441	3271	1087	1999	95
17	मेघालय	12608	63	11820	723	626	13232	6101	5012	269
18.	मिज़ोरम	2687	0	2324	0	0	2324	1082	1207	28
19.	नागालैंड	8343	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	155363	53194	39717	6208	58394	157513	42473	110479	1798
21.	पंजाब	23696	2914	0	123	779	3816	1733	2411	88
22.	राजस्थान	68578	20898	17081	3950	37126	79055	51899	12242	198
23.	सिक्किम	1596	319	478	301	498	1596	987	423	15
24.	तमिलनाडु	111410	64521	3034	12588	34530	114673	66407	39145	3002
25.	त्रिपुरा	16245	0	1628	0	0	1628	685	943	49
26.	उत्तर प्रदेश	368322	131604	1872	27286	90595	251357	158247	7718	2409
27.	उत्तराखंड	17162	3782	873	1969	7263	13887	11301	1124	49
28.	पश्चिम बंगाल	219553	79111	18824	45103	41457	184495	94722	68099	2548
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2646	0	0	46	201	247	55	75	1
30.	दादरा और नगर हवेली	441	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	197	0	0	0	2	2	1	1	0
32.	लक्षद्वीप	171	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1318	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	3009700	1001871	523058	364903	943695	2833527	1723185	742967	47773
क.	पूर्वोत्तर राज्य	241464	45122	72193	32312	56741	206368	64536	67469	4440
ख.	गैर-पूर्वोत्तर राज्य	2768236	956749	450865	332591	886954	2627159	1658649	675498	43333
	कुल	3009700	1001871	523058	364903	943695	2833527	1723185	742967	47773

नोट: 28.06.2013 तक प्राप्त ऑनलाइन एमपीआर के अनुसार।

12	13	14	15	16	17	18	19	20
1078	915	1993	136	3929	63	427	4555	62.93
8580	119	8699	63	4485	433	375	5356	42.48
16	8	24	0	2308	0	0	2308	85.90
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
127627	5546	133173	42653	27295	4761	51448	126157	81.20
4933	360	5293	4827	0	131	923	5881	24.82
59576	7111	66687	27939	19230	5071	31782	84022	122.52
0	0	0	282	423	301	404	1410	88.35
87373	9734	97107	23255	650	4551	14223	42679	38.31
0	1628	1628	0	0	0	0	0	0.00
101831	1012	102843	84359	1529	17468	59945	163301	44.34
3612	33	3645	3353	727	2348	7362	13790	80.35
124976	6720	131696	59627	18736	47637	44909	170909	77.84
489	512	1001	0	0	63	352	415	15.68
0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
2	0	2	0	0	0	2	2	1.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2631806	768990	3400796	756725	368511	294643	759158	2179037	72.40
146849	11832	158681	24822	38304	21299	35540	119965	49.68
2484957	757158	3242115	731903	330207	273344	723618	2059072	74.38
2631806	768990	3400796	756725	368511	294643	759158	2179037	72.40

विवरण-IV

आईएवाई के तहत अल्पसंख्यक लक्ष्य की राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

2013-14

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वर्ष 2013-14 में आईएवाई के लक्ष्य	आईएवाई के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या	बनाए गए कुल मकान	वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत मकान	बनाए गए कुल मकान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	207313	207313	58970	21183	21183	1783
2.	अरुणाचल प्रदेश	6870	एनआर	एनआर	740	एनआर	एनआर
3.	असम	138695	59627	31951	36590	20371	10178
4.	बिहार	605550	545507	340002	106747	97971	66016
5.	छत्तीसगढ़	48004	24356	9360	1529	499	83
6.	गोवा	1393	1303	616	904	105	30
7.	गुजरात	107880	52191	14292	9875	1100	505
8.	हरियाणा	18029	15748	2336	1744	1931	253
9.	हिमाचल प्रदेश	7064	6637	59	178	130	एनआर
10.	जम्मू और कश्मीर	15952	13	एनआर	680	एनआर	एनआर
11.	झारखंड	67153	33835	26763	2886	1559	3391
12.	कर्नाटक	87816	1	एनआर	14024	एनआर	0
13.	केरल	45738	16777	30492	21588	3830	6716
14.	मध्य प्रदेश	112936	61108	20993	9659	4551	1365
15.	महाराष्ट्र	137314	114418	19987	16613	15300	794
16.	मणिपुर	8011	एनआर	एनआर	1858	एनआर	एनआर
17.	मेघालय	13865	9006	3256	213	213	एनआर
18.	मिज़ोरम	3661	783	एनआर	161	194	एनआर
19.	नागालैंड	10439	1	एनआर	26	एनआर	एनआर
20.	ओडिशा	128057	68017	26575	3365	2537	631

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	19531	3244	2401	1991	33	35
22.	राजस्थान	85460	84049	28440	6655	873	1835
23.	सिक्किम	1436	50	एनआर	393	एनआर	एनआर
24.	तमिलनाडु	88436	79288	6440	11202	11202	493
25.	त्रिपुरा	13368	3106	0	912	112	एनआर
26.	उत्तर प्रदेश	297223	156892	41255	63678	32773	4592
27.	उत्तराखंड	14012	4497	1754	2520	915	881
28.	पश्चिम बंगाल	185594	98385	53002	33475	16435	12973
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2081	52	167	423	7	19
30.	दादरा और नगर हवेली	419	एनआर	एनआर	11	एनआर	एनआर
31.	दमन और दीव	162	एनआर	एनआर	32	एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप	188	एनआर	एनआर	0	एनआर	एनआर
33.	पुदुचेरी	1065	एनआर	एनआर	254	एनआर	एनआर
	कुल	2480715	1646204	719111	372109	233824	112573

28.11.2013 तक एमआईएस/एमपीआर रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन।

एनआर – सूचित नहीं।

[अनुवाद]

राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस की गति में वृद्धि

127. **श्री सुभाषराव बापूराव वानखेड़े :**
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश के विभिन्न भागों में विशेषकर दिल्ली और मुंबई के मध्य राजधानी, शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अन्य रेलगाड़ियों को भी तेज गति से चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए भारतीय रेल पर निरंतर प्रयास जारी हैं, जो प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण, उच्च क्षमता वाले रेलइंजनों, आधुनिक सवारी डिब्बों और बेहतर रेलपथों इत्यादि में रेलवे के निवेश को निरंतर इष्टतम किए जाने पर निर्भर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि भारतीय रेलवे पर उच्च गति पर गाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं, इसलिए ऐसी गाड़ियों द्वारा होने वाली दुर्घटना/हताहत होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए जाते। तथापि, भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और संरक्षा में वृद्धि के लिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें अपनी आयु पूर्ण कर चुकी परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेल पथ चल स्टॉक, सिगनलिंग और इंटरलॉकिंग प्रणालियों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए अपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना, संरक्षा अभियान और नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना और सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के अनुपालन के लिए स्टॉफ को शिक्षित करना शामिल है। ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटरों (बीपीएसी), ऑग्जिलरी वार्निंग सिस्टम (टीडब्ल्यूएस), विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी), ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम (टीपीडब्ल्यूएस), ट्रेन कोलिज़न एवॉयडेंस सिस्टम/एंटी कोलिज़न डिवाइस (एसीडी) आदि के प्रावधान सहित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रौद्योगिकी का पुन: उपयोग आरंभ किया गया है।

समपारों को समाप्त करने के लिए उपाय

128. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :
श्री हेमानंद बिस्वाल :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में मानवरहित समपारों की कुल संख्या कितनी है और विगम तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन और वर्ष-वार बंद किए गए समपारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) झारखंड और महाराष्ट्र सहित देश में उक्त अवधि के दौरान मानवरहित समपारों में जोन और वर्ष-वार हुई घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने सभी समपारों (मानवयुक्त और मानवरहित) को समाप्त करने हेतु उपाय सुझाने के लिए कोई उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की सिफारिशें क्या हैं और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है और

(ङ) क्या रेलवे ने समपार समाप्त करने के लिए रेलवे सड़क सुरक्षा निधि में केन्द्रीय सड़क निधि से बड़े हिस्से की मांग की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है को समाप्त करने और भविष्य में देश में ट्रैकों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे/उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) दिनांक 01.04.2013 को देश में 12,582 कर्मचारी रहित समपार थे। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 (अक्तूबर 13 तक) के दौरान कुल 3,026 समपार (कर्मचारी युक्त + कर्मचारी रहित) बंद किए। जोन-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अर्थात् दिनांक 2010-11 से 2013-14 (अक्तूबर, 13 तक) झारखंड एवं महाराष्ट्र राज्यों सहित भारतीय रेल में सड़क वाहन प्रयोगकर्ता की लापरवाही के कारण कर्मचारी रहित समपार पर हुई परिणामी घटनाओं की जोन-वार एवं वर्ष-वार संख्या विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉ अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय संरक्षा संवीक्षा समिति गठित की गई थी ताकि देश में गाड़ी सेवा की सुरक्षित रनिंग से संबंधित तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी पहलुओं पर विचार किया जा सके। समिति ने दिनांक 17.02.2012 को रेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में समपार के समापन सहित 106 सिफारिशें की हैं। वर्तमान में रेल मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ङ) **केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से बड़े हिस्से के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदम:**

समपार को समाप्त करने सहित विभिन्न सड़क संरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपार्जित करने हेतु रेल मंत्रालय ने अनेक प्रयास किए हैं जो निम्न है:—

- रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम में उचित संशोधन कर केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से आगामी 7 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई जाए।
- डीजल एवं पेट्रोल प्रत्येक पर 0.20 रुपए प्रति लीटर कर की

वृद्धि के लिए एक कैबीनेट नोट आर्थिक मामलों पर कैबीनेट समिति (सीसीईए) के अनुमोदन हेतु भेजा गया था ताकि वर्तमान 2.00 रुपए प्रति लीटर की दर का 2.20 रुपए प्रति लीटर किया जा सके तथा वर्तमान फार्मूला के अनुसार वितरण पर अतिरिक्त के रूप में रेल मंत्रालय को इसका वितरण किया जाए ताकि समपार के समयबद्ध समापन के लिए कार्य हेतु रेल मंत्रालय को अपेक्षित निधि उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त प्रस्ताव से वर्तमान आबंटन (1050 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) की तुलना में प्रति वर्ष 1829 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि उपार्जित होगी, इस अतिरिक्त निधि के बावजूद स्वीकृत कार्य को पूरा करने में कम से कम 13 से 15 वर्ष का समय लगेगा। यद्यपि प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय से कैबीनेट नोट वापस लेने के लिए कहा है।

समपार (कर्मचारी युक्त एवं कर्मचारी रहित) के समापन हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए कदम:—

समपार के समापन हेतु सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने सभी समपारों को बंद कर/मर्ज कर/ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल/कर्मचारी तैनात कर उत्तरोत्तर समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सभी समपार को समाप्त करना एक बड़ा कार्य है और इसके लिए काफी श्रम शक्ति, संसाधन एवं बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी। यह निरंतर प्रक्रिया है और यह आवश्यकत, कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता, निधि की उपलब्धता तथा राज्य सरकार के सहयोग के अनुसार होगा, विशेष रूप से समपार को बंद करने की सहमति लेना तथा भूमिगत पैदल पार पथ के लिए भविष्य हेतु सड़क रखरखाव एवं जल निकासी की वचनबद्धता लेना।

समपारों पर दुर्घटनाओं की घटनाओं की पुनरावृत्ति की जांच हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए कदम:

समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम, जिनमें सम्मिलित हैं:—

- इन समपारों पर मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जन जागरुकता तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान तथा सड़क प्रयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने हेतु मॉस मैसेजिंग (एसएमएस)।
- पथभ्रष्ट सड़क प्रयोगकर्ताओं को दंडित करने के लिए सिविल प्राधिकारी के साथ मिलकर संयुक्त औचक जांच करना।
- तकनीकी रूप से संभाव्य स्थल पर भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान, मार्ग परिवर्तन का निर्माण तथा समीपवर्ती समपार/ग्रेड सेपरेटर तक सड़क तथा ऊपरी सड़क पुल/निचला सड़क पुल/भूमिगत पैदल पार पथ इत्यादि का निर्माण।

विवरण-I

कर्मचारी रहित रेलवे समपारों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	कर्मचारी रहित समपारों की संख्या (दिनांक 01.04.2013 को)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	738
2.	असम	262
3.	बिहार	1023
4.	छत्तीसगढ़	132
5.	चंडीगढ़	0
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	2232
8.	गोवा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	हरियाणा	248
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखंड	286
13.	कर्नाटक	455
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	663
16.	महाराष्ट्र	605
17.	मणिपुर	0

1	2	3
18.	मिज़ोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	615
21.	पुदुचेरी	6
22.	पंजाब	574
23.	राजस्थान	1164
24.	तमिलनाडु	826
25.	त्रिपुरा	8
26.	उत्तर प्रदेश	1728
27.	उत्तराखंड	63
28.	पश्चिम बंगाल	919
	कुल	12582

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए समपारों की जोन-वार संख्या

क्र. सं.	जोन	गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 2010-11 से 2013-14 (अक्तूबर, 13 तक) बंद किए गए (कर्मचारी युक्त + कर्मचारी रहित) समपारों की संख्या				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 13 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	मध्य रेलवे	27	35	38	27	127
2.	पूर्व रेलवे	26	18	76	30	150
3.	पूर्व मध्य रेलवे	16	9	7	3	35
4.	पूर्व तट रेलवे	25	22	47	20	114
5.	उत्तर रेलवे	233	59	55	43	390
6.	उत्तर मध्य रेलवे	29	29	14	13	85
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	69	44	115	28	256
8.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	61	32	25	10	128
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	111	89	61	34	295
10.	दक्षिण रेलवे	17	118	96	57	288
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	90	59	112	25	286
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	26	39	43	23	131

1	2	3	4	5	6	7
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	64	42	51	10	167
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	45	41	91	31	208
15.	पश्चिम रेलवे	73	42	59	54	228
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	21	28	67	22	138
	कुल	933	706	957	430	3026

विवरण-III

मानवरहित समपारों पर होने वाली घटनाओं की संख्या

क्र. सं.	जोन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 13 तक)
1.	मध्य रेलवे	2	1	2	1
2.	पूर्व रेलवे	—	1	—	—
3.	पूर्व मध्य रेलवे	5	5	2	4
4.	पूर्व तट रेलवे	—	2	5	3
5.	उत्तर रेलवे	7	13	13	4
6.	उत्तर मध्य रेलवे	—	1	1	1
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	7	4	3	2
8.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	2	4	3	2
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	5	6	8	5
10.	दक्षिण रेलवे	3	4	5	1
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	5	6	3	—
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	5	—	2	2
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	—	2	4	—
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	1	4	—	—
15.	पश्चिम रेलवे	6	1	2	—
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	—	—	—	1
	कुल	48	54	53	26

राजस्व में कमी

129. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री पी. कुमार :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में राजस्व में कमी निरंतर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त कमी ने रेलवे में सुरक्षा, मरम्मत, परिसंपत्तियों को बदलने इत्यादि संबंधी कार्यों को धीमा कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा यात्री/भाड़ा खंडों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से राजस्व सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं। रेलवे की संसाधनों संबंधी स्थिति 2009-10 से धीरे-धीरे सुधर रही है यद्यपि आमदनी संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आई थी फिर भी आंतरिक संसाधनों के सृजन में 2009-10 में 2,228 करोड़ रुपए से 2013-14 में 20,707 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी (बजट अनुमान)।

(ख) से (घ) जी नहीं, सुरक्षा, परिसंपत्तियों के बदलाव, क्षमता में विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित गतिविधियों पर खर्च में समग्र रूप से पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2009-10 में 30,662 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 41,112 करोड़ रुपए हो गई है, यहां तक कि रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खर्च संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार है।

(ङ) स्क्रैप की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) से उच्चतर लाभांश, विज्ञापन, प्रकाशन, साइडिंगों, पार्किंग, केटरिंग, पार्सल सेवाओं आदि के लाइसेंस शुल्कों/दरों/किरायों में संशोधन करने के अलावा रेल अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने पर बदल दिया जा रहा है। फालतू पड़ी रेलवे की भूमि और स्टेशन इमारतों को वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शौचालयों का निर्माण

130. **श्री कामेश्वर बैठा :**
श्री सतपाल महाराज :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता और संख्या कितनी है, जिनके पास जल सुविधा सहित शौचालय नहीं हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्मित शौचालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश के विशेषकर उत्तराखंड के सुदृढ़ क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों सहित इन शौचालयों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) सरकार द्वारा देश की संपूर्ण जनसंख्या हेतु शौचालय प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के प्रयोग हेतु कोई जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जिन ग्रामीण परिवारों में जल सुविधा सहित शौचालय नहीं हैं, उनकी संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार सहित देश के उन ग्रामीण परिवारों, जिनमें शौचालय नहीं हैं, और उन ग्रामीण परिवारों, जिनके परिसरों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, का प्रतिशत एवं संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एवं वर्तमान वर्ष के दौरान बनाए गए शौचालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत निधियों को घटक-वार जारी नहीं जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तराखंड सहित राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) सरकार ने वर्ष 2012 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को नया रूप देकर निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की शुरूआत की है। निर्मल

भारत अभियान के अंतर्गत सम्पूर्ण जनता को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- सम्पूर्ण स्वच्छता परिणामों को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत परिवार के बजाए ग्राम पंचायत में संपूर्ण समुदाय को कवर करने पर बल देकर संतृप्तिबोध के दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय इकाइयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रावधान का विस्तार किया गया है ताकि सभी बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त उन एपीएल परिवारों को कवर किया जा सके जो अनुसूचित जातियों (एससी), छोटे व सीमान्त किसानों, वासभूमि सहित भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व महिला प्रमुख परिवारों से संबंधित हैं। शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन 3200/- रुपए की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रुपए कर दिया गया है (5100/- रुपए पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के लिए)। इसके अतिरिक्त, शौचालयों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4500/- रुपए तक उपलब्ध कराए जाते हैं। अत: 900 रुपए के लाभार्थी अंशदान के साथ शौचालय के निर्माण के लिए अब 10,000/- रुपए (10,500/- रुपए पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के लिए) उपलब्ध हैं।

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ सामूहिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना ताकि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सेवाओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, महिला व बाल-विकास सहित संबद्ध मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ निर्मल भारत योजना का तालमेल भी बढ़ा है।

(ङ) और (च) जी, हां, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय संबंधी सुविधाओं के निर्माण एवं प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत जिला योजनाओं के कुल व्यय का 15% सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराया गया है जो कि कार्यक्रम की बढ़ती जागरूकता एवं सुरक्षित तथा निरंतर स्वच्छता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

- मंत्रालय ने वर्ष 2012 में स्वच्छता एवं साफ-सफाई समर्थनकारी एवं संचार नीति रूपरेखा (2012-2017) की शुरूआत की है। विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध रूप में किए जाने वाले विभिन्न आईईसी कार्यकलापों के संबंध में यह रूपरेखा मार्गदर्शन प्रदान करती है।

- ग्रामीण स्वच्छता पर आईईसी संदेशों को कारगर रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), ग्राम स्तर उत्प्रेरकों (स्वच्छता दूतों/स्वच्छता प्रबंधकों), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कामगारों, विद्यालय अध्यापकों एवं भारत निर्माण से जुड़े स्वयं सेवकों जैसे फील्ड पदाधिकारियों को रखने का प्रावधान निर्मल भारत अभियान के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किया गया है।

- स्वच्छता एवं साफ-सफाई से संबंधित संदेशों पर श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य स्पॉट तैयार किए गए हैं और उन्हें रेडियो एवं टेलीविजन पर देश में प्रसारित किया जा रहा है।

- जागरूकता के सृजन के लिए मोबाइल आधारित संदेशों, प्रिन्ट प्रचार, फोक मीडिया का प्रयोग, मेलों, नुक्कड़, नाटकों, दीवारों पर लिखे जाने वाले संदेशों, होर्डिंग व बैनरों, पिक्चर- फ्रेमों, प्रदर्शिनियों, विद्यालय रैलियों और अन्तरवैयक्तिक संदेश आदि जैसी अन्य संचार प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है।

विवरण-I

परिवारों के परिसर में शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं के बिना ग्रामीण परिवारों एवं परिवारों की प्रतिशतता, जनगणना-2011 के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल परिवार	शौचालयों के बिना परिवारों की संख्या	शौचालयों के बिना परिवारों की प्रतिशतता	परिसर में पेयजल सुविधाओं के बिना परिवार	परिसर में पेयजल की सुविधाओं के बिना परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	22973	38.92	31227	52.90

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	9277643	65.12	9758722	68.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	86616	44.25	134266	68.60
4.	असम	5374553	2066999	38.46	2665778	49.60
5.	बिहार	16926958	13776940	81.39	8954361	52.90
6.	चंडीगढ़	6785	386	5.69	991	14.60
7.	छत्तीसगढ़	4384112	3733268	85.15	3932548	89.70
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	25040	70.72	23865	67.40
9.	दमन और दीव	12750	4360	34.20	3494	27.40
10.	दिल्ली	124674	34157	27.40	35906	28.80
11.	गोवा	6765403	4449164	65.76	3497713	51.70
12.	गुजरात	2966053	1254203	42.29	1296165	43.70
13.	हरियाणा	1310538	426566	32.55	635611	48.50
14.	हिमाचल प्रदेश	1497920	873092	58.29	966158	64.50
15.	जम्मू और कश्मीर	4685965	4295812	91.67	4137707	88.30
16.	झारखंड	7864196	5356694	68.11	5772320	73.40
17.	कर्नाटक	4095674	229103	5.59	1109928	27.10
18.	केरल	2523	42	1.66	510	20.20
19.	लक्षद्वीप	11122365	9612238	86.42	9676458	87.00
20.	मध्य प्रदेश	13016652	7262645	55.80	7432508	57.10
21.	महाराष्ट्र	335752	41208	12.27	308892	92.00
22.	मणिपुर	422197	181784	43.06	359712	85.20
23.	मेघालय	104874	13531	12.90	98162	93.60
24.	मिज़ोरम	284911	63563	22.31	227644	79.90
25.	नागालैंड	79115	10684	13.50	28402	35.90
26.	ओडिशा	8144012	6896152	84.68	6840970	84.00
27.	पुदुचेरी	95133	56685	59.59	37387	39.30
28.	पंजाब	3315632	931868	28.11	606761	18.30

1	2	3	4	5	6	7
29.	राजस्थान	9490363	7579854	79.87	7497387	79.00
30.	सिक्किम	92370	13730	14.86	53482	57.90
31.	तमिलनाडु	9563899	7007398	73.27	7938036	83.00
32.	त्रिपुरा	607779	93644	15.41	458873	75.50
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	19649918	77.13	14240565	55.90
34.	उत्तराखंड	404845	632710	45.04	767045	54.60
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	7036829	51.30	9533444	69.50
	भारत	167826730	112997499	67.33	109087375	65.00

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1049704	654282	384279	151837
2.	अरुणाचल प्रदेश	19799	27781	5760	6940
3.	असम	498849	510243	273240	63688
4.	बिहार	717792	839927	796699	120187
5.	छत्तीसगढ़	236164	82496	52045	27235
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	800	0	0	0
8.	गुजरात	515224	321357	171977	72251
9.	हरियाणा	132137	103913	62949	40916
10.	हिमाचल प्रदेश	216571	30066	5183	7218
11.	जम्मू और कश्मीर	125228	70626	71900	22167
12.	झारखंड	296678	53479	48500	30781
13.	कर्नाटक	810104	414782	296429	179347
14.	केरल	20241	2188	5674	66391

1	2	3	4	5	6
15.	मध्य प्रदेश	1166016	900769	558189	188912
16.	महाराष्ट्र	562183	519563	189306	160024
17.	मणिपुर	49576	55306	43917	23022
18.	मेघालय	65417	51550	14406	4388
19.	मिज़ोरम	1611	17237	4967	4046
20.	नागालैंड	18224	46318	22149	19868
21.	ओडिशा	853303	359171	118318	14178
22.	पुदुचेरी	77	0	0	0
23.	पंजाब	118415	32535	57421	591
24.	राजस्थान	750948	730385	252800	1278356
25.	सिक्किम	0	0	0	855
26.	तमिलनाडु	473647	410794	324216	116682
27.	त्रिपुरा	30392	24761	7035	4497
28.	उत्तर प्रदेश	2915407	1613384	134873	337747
29.	उत्तराखंड	132913	125051	97815	41601
30.	पश्चिम बंगाल	466311	800900	559115	278023
	कुल जोड़	12243731	8798864	4559162	2051475

*मंत्रालय की ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई केन्द्रीय निधि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13880.00	9657.28	15022.69	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.26	204.88	986.92	0.00
3.	असम	9437.36	12251.18	11943.31	0.00
4.	बिहार	11259.76	17219.09	47814.55	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	5479.58	2702.42	5731.57	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	4692.36	4308.28	3949.42	2630.19
9.	हरियाणा	2361.49	335.27	0.00	12559.75
10.	हिमाचल प्रदेश	2939.78	469.57	1666.96	2493.33
11.	जम्मू और कश्मीर	2792.51	967.95	3511.01	3306.61
12.	झारखंड	5466.98	7264.92	4193.31	0.00
13.	कर्नाटक	4458.66	8709.28	15950.81	0.00
14.	केरल	2286.34	158.89	0.00	1347.12
15.	मध्य प्रदेश	14402.60	15076.00	25779.96	26400.65
16.	महाराष्ट्र	12911.70	5799.94	12409.22	0.00
17.	मणिपुर	80.30	1087.87	3509.18	0.00
18.	मेघालय	3105.23	1115.72	2540.01	3671.69
19.	मिज़ोरम	653.40	31.38	497.48	43.27
20.	नागालैंड	1229.45	174.06	2302.68	0.00
21.	ओडिशा	6836.73	11171.70	0.00	0.00
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	1116.39	283.18	0.00	0.00
24.	राजस्थान	5670.74	5424.41	13770.97	0.00
25.	सिक्किम	112.86	0.00	159.47	232.69
26.	तमिलनाडु	7794.35	7662.06	12811.68	15491.48
27.	त्रिपुरा	925.14	133.92	430.47	1295.84
28.	उत्तर प्रदेश	22594.00	16920.72	25684.74	32324.44
29.	उत्तराखंड	1707.61	804.76	2541.96	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	8327.50	14124.34	30638.14	417.44
	कुल जोड़	152642.08	144059.07	243846.51	102214.50

नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

131. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलगांव-शोलापुर, शोलापुर-उस्मानाबाद-बीड़-जालना-बुल्ढाणा, जालना-खमगांव-शेगांव मालेगांव-सतना-सकरी-चिंचपाड़ा और मनमाड़-धुले-इंदौर खंडों संबंधी नई रेललाइनों हेतु सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाइनों संबंधी सर्वेक्षण कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) नई रेल लाइनों को पूरा करने की लागत और निर्धारित तारीख के साथ-साथ नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	लागत	वर्तमान स्थिति
1.	जलगांव-सोलापुर (454 कि.मी.)	3161.00	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	सोलापुर-तुलजापुर-ओसमानाबाद (80 कि.मी.)	189.00	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और परियोजना अलाभप्रद होने के कारण स्थगित कर दी गई है।
3.	बीड़-जालना (111 कि.मी.)	192.00	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और परियोजना अलाभप्रद होने के कारण स्थगित कर दी गई है।
4.	जालना-खामगांव बुलधाना के रास्ते (155 कि.मी.)	1027.00	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	मालेगांव-सतना-सकरी-चींचपारा (100 कि.मी.)		सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसे इस वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	मनमाड-इंदौर मालेगांव एवं धुले के रास्ते (339 कि.मी.)	2257.00	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं हेतु स्वीकृति

132. श्री भर्तृहरि महताब :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर रोकी गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षमता-वार और राज्य-वार ऐसी विद्युत परियोजनाओं को प्रदान की गई पर्यावरणीय और अन्य स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तनावपूर्ण आर्थिक परिदृश्य उद्यमियों को विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से बाहर जाने के लिए बाध्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उठाए गए कदमों सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के कारण विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में परियोजना-वार लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य-वार विशेषतर तमिलनाडु में लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत परियोजना डेवलपर विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रहीं सभी समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) विभिन्न कारणों से रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। उन परियोजनाओं के क्षमता-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे, जिन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं, संलग्न विवरण-II **(थर्मल)** और विवरण-III **(हाइड्रो)** में दिए गए हैं।

(ख) विद्युत मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के पूरे होने में देरी के कारण लागत में बढ़ोत्तरी के परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV (क) में और निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी के ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू किए जाने हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:—

- सरकार ने स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन किया है। परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी लाने और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए रुकी हुई परियोजनाओं के लिए संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभाग तथा राज्य सरकार के साथ प्रयत्न करने हेतु एक परियोजना निगरानी समूह (पीएसपी) भी गठित किया गया है।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। कार्य-स्थल के बार-बार दौरों, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के समीक्षात्मक अध्ययन द्वारा प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है।

- विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत/ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से अनवुर्ती एवं निगरानी हेतु एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएसपी) स्थापित किया गया है।

- मंत्रालय द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(घ) और (ङ) ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) सरकार ने जून, 2013 में निम्नलिखित का अनुमोदन किया है:—

क. समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 78,000 मेगावाट की चिन्हित क्षमता के लिए 12वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीयू) के 65%, 65%, 67% और 75% की मात्रा पर हतोत्साहन लगाने के लिए घरेलू कोयला संघटक हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

ख. अपने शेष एफएसए दायित्वों को पूरा करने के लिए, सीआईएल कोयले का आयात करे और इच्छुक टीपीपी को इसकी लागत जमा आधार पर आपूर्ति करे। टीपीपी यदि स्वयं कोयले के आयात का विकल्प चुनते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(ii) विद्युत क्षेत्र के आबंटित कोयला ब्लॉकों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि इनसे शीघ्रातिशीघ्र उतपादन शुरू किया जा सके।

विवरण-I

निर्माण के विभिन्न चरणों में रुकी हुई परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	संक्षिप्त स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	एनएचपीसी	2000	अनुप्रभावी प्रभावों के भय के कारण बांध विरोधी आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन से कार्य 16.12.2011 से ही रुका हुआ है।
2.	उत्तराखंड	श्रीनगर	जीवीके इंडस्ट्रीज	330	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 30.05.2011 को कार्य रोक दिया था — मामले में धरी देवी मंदिर का जलमग्न हो जाना शामिल है।
3.	मध्य प्रदेश	महेश्वर	एसएमएचपीसीएल	400	नकद प्रवाह समस्या और आर एंड आर मामले
4.	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	एलएपी प्राइवेट लिमिटेड	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
5.	झारखंड	मैत्रिसी उषा टीपीपी-फेज-I एवं फेज-II	कारपोरेट पावर लिमिटेड	1080	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
6.	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	1350	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
7.	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	1350	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
8.	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
9.	मध्य प्रदेश	गोंगरी टीपीपी (डीबी पावर)	डीबी पावर	660	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
10.	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	1050	माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के स्टे के कारण कार्य रुका हुआ है।
11.	ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लिमिटेड	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
		कुल		12180	

विवरण-II

चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाने वाली ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	जिला	कंपनी	ईसी अनुमोदित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की 1000 मेगावाट (4x250 मेगावाट) 4x600 मेगावाट (2400 मेगावाट) को जोड़ते हुए का विस्तार	2400	रायगढ़	जिंदल ग्रुप-जिंदल पावर लिमिटेड	18-मार्च-11
2.	छत्तीसगढ़	1320 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1320	जांजगीर चम्पा	डी.बी. पावर लिमिटेड	16-दिसं.-10
3.	छत्तीसगढ़	1200 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1200	रायगढ़	इस्पात-एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	5-अक्तू.-10
4.	छत्तीसगढ़	2x300 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	600	रायगढ़	कोरबा वेस्ट पावर को. लिमि. (अवन्था)	20-मई-10
5.	छत्तीसगढ़	पाराघाट और बेलतुकरी गांव में 660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना	660	बिलासपुर	टीआरएन एनर्जी प्रा. लिमि.	18-मार्च-11
6.	छत्तीसगढ़	2x800 मेगावाट की रायगढ़ में लारा एसटीपीपी	1600	रायगढ़	मैसर्स एनटीपीसी लिमि.	13-दिसं.-12
7.	छत्तीसगढ़	प्रेमनगर के सलका गांव में 2x660 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1320	सरगुजा	मैसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमि.	16.3.12
8.	छत्तीसगढ़	रायखेड़ा गांव में 2x660 से 2x685 की कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल	1370	रायपुर	मैसर्स जीएमआर एनर्जी लिमि.	9.5.11
9.	छत्तीसगढ़	रायगढ़ में 2x660 सुपर ताप विद्युत परियोजना	1320	रायगढ़	मैसर्स वीजा पावर लिमि.	2.8.11

1	2	3	4	5	6	7
10.	छत्तीसगढ़	सुपर कोयला 2x660 आधारित टीपीपी सुपर क्रिटिकल	1320	रायगढ़	मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमि.	7.3.12
11.	झारखंड	कोयला आधारित 2x330 मेगावाट/4x135 मेगावाट टीपीपी	660	लतेहर	कॉरपोरेट पावर लिमि.	11-नवं.-10
12.	झारखंड	सुंदर पहाड़ी तालुके के पंकाघाट और निपनिया गांव में 2x660 मेगावाट कोयला आधारित कैप्टिव टीपीपी	1320	गोडा	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमि.	22-दिसं.-10
13.	मध्य प्रदेश	1320 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1320	सिधी	डी.बी. पावर (एमपी) लिमि.	9-सितं-10
14.	मध्य प्रदेश	1200 मेगावाट टीपीपी	1200	अनूपपुर	मोजर बेयर लिमि.	28-मई-10
15.	महाराष्ट्र	वरौरा में 1x300 मेगावाट फेज-2 टीपीपी	600	चंद्रापुर	जीएमआर एनर्जी लिमि. (ईएमसीओ)	25-मई-10
16.	महाराष्ट्र	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र 1320 मेगावाट से 3x660 मेगावाट जोड़ते हुए 3300 मेगावाट का विस्तार	1980	गोंडिया	अदानी पावर महाराष्ट्र प्रा. लिमि.	22-अप्रैल-10
17.	महाराष्ट्र	सिन्नार में कोयला आधारित 2x660 मेगावाट टीपीपी	1320	नासिक	इंडिया बुल्स रियलटेक लिमि.	28-जुलाई-10
18.	महाराष्ट्र	चरण-II के अंतर्गत अतिरिक्त यूनिट की स्थापना करते हुए 5x270 नासिक टीपीपी का विस्तार	1350	नासिक	मैसर्स इंडिया बुल्स पावर लिमि.	5.8.11
19.	महाराष्ट्र	1x660 मेगावाट (यूनिट-VI) सुपर क्रिटिकल तकनीकी कोयला आधारित टीपीपी	660	जलगांव	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमि.	27-नवं.-12
20.	महाराष्ट्र	2x300 मेगावाट और 1x660 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1260	यवातमल	मैसर्स जिनभूबिस पावर जेनरेशन प्रा. लिमि.	30-जुलाई-12
21.	महाराष्ट्र	नंदगांवपेथ्ज चरण-II के अंतर्गत अतिरिक्त यूनिट की स्थापना करते हुए 5x270 अमरावती टीपीपी का विस्तार	1350	अमरावती	मैसर्स इंडिया बुल्स पावर लिमि.	27.5.11

22.	महाराष्ट्र	300 मेगावाट टीपीपी विस्तार फेज-II	300	चन्द्रापुर	जीएमआर एनर्जी लिमि. (ईएमसीओ)	25-मई-10
23.	महाराष्ट्र	मांडवा गांव के समीप 1300 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना	1320	वर्धा	लैंको महानदी पावर प्रा. लिमि.	24-फर.-11
24.	महाराष्ट्र	मौदा के समीप 2x660 मेगावाट टीपीपी	1320	नागपुर	एनटीपीसी लिमि.	30-दिसं.-10
25.	आंध्र प्रदेश	जयपुर में 600 मेगावाट से 2x660 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी का विस्तार	600	कृष्णा	सिंगारैनी कोलीरीज कंपनी लिमि.	27-दिसं.-10
26.	बिहार	ज़बीनगर ताप विद्युत संयंत्र	1980	बिहार औरगांबाद	एनटीपीसी लिमि.	27-दिसं.-10
27.	राजस्थान	कवाई ताप विद्युत स्टेशन में 1320 मेगावाट 2x660 मेगावाट टीपीपी	1320	बारन	अदानी पावर राजस्थान लिमि.	4-मई-11
28.	झारखंड	गांव पद्मपुर में कोयला आधारित 3x270 मेगावाट टीपीपी की अभिवृद्धि द्वारा विद्यमान 1x270 मेगावाट का विस्तार	3x270	सरायकेला-खरसावन	मैसर्स आधुनिक पावर एंड मैचुरल रिसोर्सेस लिमि.	9.5.11
29.	झारखंड	आयातित कोयले पर आधारित 1800 मेगावाट के टीपीपी का 1x600 मेगावाट (फेज-I का यूनिट-II) और 1x600 मेगावाट (चरण-II)	1200	लतेहर	मैसर्स एस्सार पावर झारखंड लिमि.	14-नवं.-13
30.	कर्नाटक	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र में 2x210 मेगावाट का आयातित कोयला आधारित निजी ताप विद्युत संयंत्र	420	रायचूर	सुराना पावर लिमि.	9-सितं.-10
31.	महाराष्ट्र	2x660 मेगावाट का सुपर टीपीपी	1320	सोलापुर	एनटीपीसी लिमि.	27-दिसं.-10
32.	तमिलनाडु	कुड्डालोर के समीप कोयला आधारित 4000 मेगावाट का टीपीपी निजी पत्तन एवं डिसेलाइनेशन संयंत्र	4000	कुड्डालोर	आईएल एंड एफएस लिमि.	31-मई-10
33.	तमिलनाडु	1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी)	660	तूतीकोरिन	इंडिया-बराथ पावर (मद्रास) लिमि.	12-जुलाई-10

1	2	3	4	5	6	7
34.	तमिलनाडु	नेवैली नगर में 2x500 मेगावाट की टीपीपी	1000	कुड्डालोर	नेवैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमि.	21-अक्टू.-10
35.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन में आयातित कोयला आधारित 1x525 मेगावाट का टीपीपी स्टे-IV	525	तूतीकोरिन	स्पिक इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्रा. लिमि.	3-नवं.-10
36.	तमिलनाडु	2x660 मेगावाट टीपीपी	1320	नागापट्टिनम	छेतीनाड पावर कॉर्पोरेशन लिमि.	20-जन.-11
37.	तमिलनाडु	2x660 मेगावाट थर्मल मर्चेंट पावर प्लांट	1320	नागापट्टिनम	एनएसएल पावर लिमि.	13-अक्टू.-10
38.	गुजरात	टुंडा, मुंद्रा में 2x660 मेगावाट टीपीपी फेज-III	1320	कच्छ	अदानी पावर लिमि.	20-मई-10
39.	मध्य प्रदेश	चितरंगी सिंधी में 3960 मेगावाट टीपीपी	3960	सिंगरौली	रिलायंस-चित्रांगी पावर प्रा. लिमि.	28-मई-10
40.	आंध्र प्रदेश	मुथुकुर मंडल में गांव पेनामपुरम तथा शिवारामपुरम में आयातित कोयला आधारित 2x660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र	1320	नेल्लौर	नेलकास्ट एनर्जी कॉरपोरेशन लिमि.	30-सितं.-10
41.	उत्तर प्रदेश	फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्टे-IV (500 मेगावाट)	500	रायबरेली	मैसर्स एनटीपीसी ऊंचाहार	10-मई-13
42.	उत्तर प्रदेश	कोयला आधारित 2x660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र	1320	रमाबाई नगर	मैसर्स लैंको अनपरा पावर लिमि.	24-अग.-12
43.	उत्तर प्रदेश	1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) कोयला आधारित टीपीपी	1320	रमाबाई नगर	मैसर्स हिमावत पावर प्रा. लिमि.	3-अग.-12
44.	उत्तर प्रदेश	तहसील ललितपुर में 3x660 मेगावाट का कोयला आधारित टीपीपी	1980	ललितपुर	ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमि. (यूपीसीएल)	31-मार्च-11
45.	उत्तर प्रदेश	गांव बहादुरपुर में टांडा ताप विद्युत परियोजना, स्टे-II 2x660 मेगावाट)	1320	अम्बेडकर नगर	एनटीपीसी लिमि.	13-अप्रैल-11
46.	ओडिशा	कोयला आधारित प्रस्तावित 2x660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र	1320	अंगुल	एनएसएल नागापट्टिनम पावर एंड इंफ्रोटेक प्रा. लिमि.	25-मार्च-13

47.	ओडिशा	कटक में 4x250 मेगावाट का टीपीपी	1000	कटक	मैसर्स वीजा पावर लिमि.	17.1.12
48.	ओडिशा	गांव मालीब्राह्मणी में 2x525 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1050	धेंकंडल	इस्पात मोनट पावर कंपनी लिमि.	29-जून-10
49.	ओडिशा	कटक में 2x660 मेगावाट का टीपीपी	1320	कटक	मैसर्स वीजा पावर लिमि.	17-जन.-12
50.	ओडिशा	कमलंगा में 1x350 मेगावाट का कोयला आधारित टीपीपी के अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	350	नेल्लौर	मैसर्स जीएमआर कमलंगा एनर्जी प्रा. लि.	5.12.11
51.	ओडिशा	नाराजमाथापुरम में 1x660 मेगावाट	660	बांका	टाटा पावर कंपनी लिमि.	15-फर.-11
52.	आंध्र प्रदेश	कोल फायर्ड टीपीपी	1980	नल्लौर	मैसर्स किनेता पावर प्रा. लिमि.	25.1.12
53.	बिहार	गांव सिरिया में 4x660 का कोयला आधारित टीपीपी	2640	बांका	जस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि.	1.7.11
54.	गुजरात	2x660 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1320	जूनागढ़	मैसर्स सकूरजी पालोनजी एनर्जी (गुजरात) प्रा. लिमि.	30-नवं.-12
55.	गुजरात	आयातित कोयला आधारित 6x660 मेगावाट (3960 मेगावाट) का सुपर क्रिटिकल तकनीकी टीपीपी	3960	जामनगर	मैसर्स यूनिवर्सल क्रेसेंट पावर प्रा. लिमि.	27-नवं.-12
56.	गुजरात	बाघेल गांव के समीप 1300 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत संयंत्र पीपी	1300	पटना	मैसर्स डीएमआईसी डीसी बाघेल पावर कंपनी लिमि.	30-जुलाई-12
57.	गुजरात	दाहेज में कोयला आधारित 4x660 का ताप विद्युत संयंत्र	2640	भरूच	मैसर्स अदानी पावर दाहेज लिमि.	25.10.11
58.	गुजरात	संघीपुरम में कोयला आधारित 2x660 मेगावाट सुपर टीपीपी	1320	कच्छ	संघी एनर्जी लिमि.	7.6.2011
59.	कर्नाटक	कुडगी में 3x800 एसटीपीपी स्टे.-I	2400	बीजापुर	मैसर्स एनटीपीसी लिमि.	25.1.12
60.	कर्नाटक	हासन में कोयला आधारित 500 मेगावाट टीपीपी	500	हसन	मैसर्स एचटीपी (पी) लिमि.	17.2.12

1	2	3	4	5	6	7
61.	तमिलनाडु	आयातित कोयला फायर्ड आधारित 1x150 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र	150	नागापट्टिनम	मैसर्स नागापट्टिनम एनर्जी लिमि.	29-नवं.-12
62.	तमिलनाडु	सिरुपुलालपेट्टल में 1x150 मेगावाट की विद्युत परियोजना	150	थिरुवल्लूर	मैसर्स एकोर्ड एनर्जी कॉरपोरेशन प्रा. लिमि.	18.5.11
63.	तमिलनाडु	सुपर क्रिटिकल आयातित और घरेलू कोयले पर आधारित 2x800 मेगावाट	1600	थोटूकुडी	मैसर्स उडनगुड़ी पावर कॉरपोरेशन लिमि.	14-अक्टू.-13
64.	तमिलनाडु	4000 मेगावाट चेटयूर यूएमपीपी	4000	कांचीपुरम	मैसर्स कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमि.	30-सितं-13
65.	तमिलनाडु	सिरकाझी तालुक में अगारोपेरुथोटम, कीलायुर और पेरुनथटम पंडारावाडई गांव में 3x660 मेगावाट का कोल आधारित टीपीपी	1980	नागापट्टिनम	मैसर्स सिंद्या पावर जेननरेटिंग कंपनी लिमि.	8-मार्च-13
66.	पश्चिम बंगाल	चिंदाबरम में 3x600 मेगावाट का टीपीपी	1800	कुड्डालोर	मैसर्स एसआरएम एनर्जी लिमि.	18.5.11
67.	मध्य प्रदेश	2x500 मेगावाट + 20% - फेज-II सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना	1000	मुर्शिदाबाद	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	18.5.11
68.	मध्य प्रदेश	2x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल टीपीपी	1320	अनूपपुर	मैसर्स बेलस्पन एनर्जी अनूपपुर प्रा. लिमि.	27-नवं.-12
69.	मध्य प्रदेश	2x800 मेगावाट गडरवारा एसटीपीपी, स्टे-I सुपर ताप विद्युत संयंत्र	1600		मैसर्स एनटीपीसी लिमि.	22-मार्च-13
70.	मध्य प्रदेश	गांव घनौरा में कोयला आधारित 2x660 मेगावाट पेंच टीपीपी	1320	छिंदवाड़ा	मैसर्स अदानी पेंच पावर लिमि.	16-अक्टू.-12
71.	मध्य प्रदेश	कोयला आधारित 1980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) का प्रस्तावित टीपीपी	1980	कटनी	मैसर्स बेलस्पन एनर्जी मध्य प्रदेश लिमि.	1-जून-12
72.	मध्य प्रदेश	1x500 मेगावाट विंध्याचल एसटीपीपी, स्टेज-V	500	सिंगरौली	मैसर्स एनटीपीसी लिमि.	2-मई-12

73.	राजस्थान	लिग्नाइट आधारित 1x250 मेगावाट के परसिंगसर ताप विद्युत संयंत्र की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	250	बारसिंगसर	मैसर्स नेवैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमि.	30-जुलाई-12
74.	राजस्थान	सूरतगढ़ में 2x660 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी, स्टे-V	1320	श्रीगंगानगर	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि.	23-मई-12
75.	राजस्थान	छाबरा में 2x660 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी, स्टे-II	1320	बारन	मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि.	23-मई-12
76.	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर में 2x500 मेगावाट +20% स्टे-II रघुनाथपुर टीपीपी	1000	पुरुलिया	मैसर्स डीवीसी	23-मई-12
77.	असम	असम पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की 70 मेगावाट लाकवा एबजी विद्युत परियोजना (एलआरपीपी)	700	शिवनगर	असम पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमि.	14-अक्टू.-13
		कुल	103525			

विवरण-III

उन जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे, जिनमें पर्यावरण एवं/अथवा वन स्वीकृतियां पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्षों के दौरान प्रदान की गई है

क्र. सं.	परियोजना	क्षेत्र	राज्य	आईसी (मेगावाट)		सीईए की सहमति	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	विष्णुगढ़ पिपलाकोटि	केन्द्र	उत्तर प्रदेश	4×111	444	21.09.06	22.08.07	28.05.13
2.	कोटलीभेल चरण-1ए	केन्द्र	उत्तर प्रदेश	3×65	195	03.10.06	09.05.07	चरण-1 एफसी 13.10.11 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है।
3.	लोकटक डाउनस्टीम	केन्द्र	मणिपुर	2×33	66	15.11.06	16.01.13	चरण-1 एफसी 03.03.11 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है।
4.	अकलनंदा	निजी	उत्तर प्रदेश	3×100	300	08.8.08	12.03.08	09.11.12

1	2	3	4	5		6	7	8
5.	डिमवी लोअर	निजी	आंध्र प्रदेश	5×342+1×40	1750	20.11.09	12.02.10	03.05.13
6.	डिब्बबिन	निजी	आंध्र प्रदेश	2×60	120	04.12.09	23.07.12	चरण-1 एफसी 07.02.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है।
7.	तीस्ता चरण-4	केन्द्र	सिक्किम	4×130	520	13.05.10	Awaited	चरण-1 26.02.13 स्वीकृत
8.	कुटहेर	निजी	हिमाचल प्रदेश	3×80	240	31.8.10	05.07.11	19.02.13
9.	बगलिहार-2	राज्य	जम्मू और कश्मीर	3×150	450	29.12.10	23.07.13	लागू नहीं
10.	पनान	निजी	सिक्किम	4×75	300	07.03.11	02.01.07	06.10.10
11.	नफरा	निजी	आंध्र प्रदेश	2×60	120	11.02.11	17.01.11	जून, 12
12.	नयामाजंग छू	निजी	आंध्र प्रदेश	6×130	780	24.03.11	19.04.12	चरण-1 एफसी 09.04.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है।
13.	तवांग चरण-1	केन्द्र	आंध्र प्रदेश	3×200	600	10.10.11	10.06.11	प्रतीक्षित
14.	तवांग चरण-2	केन्द्र	आंध्र प्रदेश	4×200	800	22.09.11	10.06.11	प्रतीक्षित
15.	इंद्रासागर (पोलेवराम)	राज्य	आंध्र प्रदेश	12×80	960	21.02.12	25.10.05@	28.07.10
16.	बाजोली होली	निजी	हिमाचल प्रदेश	3×60	180	30.12.11	24.01.11	26.10.12
17.	टाटो-2	निजी	आंध्र प्रदेश	4×175	700	22.5.12	27.6.11	प्रतीक्षित
18.	सोंगटोंग करछम	राज्य	हिमाचल प्रदेश	3×150	450	16.8.12	19.5.11	22.3.11
19.	रेटल	निजी	जम्मू और कश्मीर	4×205+1×30	850	19.12.12	12.12.12	27.04.12
20.	गोंगरी	निजी	आंध्र प्रदेश	2×72	144	04.02.13	21.03.13	07.09.12
21.	मियार	निजी	हिमाचल प्रदेश	3×40	120	07.02.13	30.07.12	चरण-1 एफसी 27.07.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है।
	कुल				9384			

@आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला लंबित।

विवरण-IV

विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की लागत वृद्धि के ब्यौरे (25 मेगावाट से ऊपर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम/क्षमता/एजेंसी/राज्य	अतिरिक्त लगा समय	अतिरिक्त लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
जम्मू और कश्मीर			
1.	यूरी-II (4×60 मेगावाट) एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर	52 महीने	356.21
2.	किशनगंगा (3×110 मेगावाट) एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर	32 महीने	1403.37
हिमाचल प्रदेश			
3.	परबाती-II (4×200 मेगावाट) एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश	90 महीने	1446.11
4.	परबाती-III (4×130 मेगावाट) एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश	52 महीने	165.90
5.	रामपुर (6×68.67 मेगावाट) एसजेवीएनएल हिमाचल प्रदेश	38 महीने	716.61
6.	कोल डैम (4×200 मेगावाट) एनटीपीसी हिमाचल प्रदेश	71 महीने	1831.76
उत्तराखंड			
7.	तपोवन विष्णुगढ़ (4×130 मेगावाट) एनटीपीसी, उत्तराखंड	48 महीने	867.82
8.	टिहरी पीएसएस (4×250 मेगावाट) एनटीपीसी, उत्तराखंड	92 महीने	1321.26
पश्चिम बंगाल			
9.	तीस्ता लो डेम-IV (4×40 मेगावाट) एनएचपीसी पश्चिम बंगाल	78 महीने	440..62
आन्ध्र प्रदेश/असम			
10.	सुबानसिरी लोअर (8×250 मेगावाट) एनएचपीसी आन्ध्र प्रदेश/असम	90 महीने	4381.67

1	2	3	4
11.	कमैंग (4×150 मेगावाट) नीपको अरुणाचल प्रदेश	87 महीने	2643.90
12.	पारे (2×55 मेगावाट) नीपको अरुणाचल प्रदेश	31 महीने	543.93
मिज़ोरम			
13.	तुईरियल (2×30 मेगावाट) नीपको मिज़ोरम	128 महीने	544.91
राज्य क्षेत्र			
हिमाचल प्रदेश			
14.	यूएचएल-III (3×33.33 मेगावाट) बीवीपीसीएल (एचपीएसईबी)	108 महीने	509.28
15.	सावरा कुड्डु (3×37 मेगावाट) एचपीपीसीएल	63 महीने	623.37
आंध्र प्रदेश			
16.	लोअर जुराला (6×40 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	48 महीने	566.49
17.	पुलिचिनताला (4×30 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	60 महीने	16.00
18.	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2×25 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	72 महीने	494.04
केरल			
19.	थोट्टीयार (1×30+1×10 मेगावाट) केएसईबी	36 महीने	6.56
निजी क्षेत्र			
उत्तराखंड			
20.	श्रीनगर (4×82.5 मेगावाट) अलकनंदा हाइड्रो पावर का. लि.	108 महीने	369.88
मध्य प्रदेश			
21.	महेश्वर (10×40 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	168 महीने	1190.73

विवरण-V

चालू होने की समय अनुसूची से पिछड़ रही विभिन्न निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत वृद्धि

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की प्रत्याशित अनुसूची	विलंब (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़)	नवीनतम लागत (रुपए करोड़)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय क्षेत्र											
झारखंड	बोकारो टीपीएस "क" वि.	डीवीसी	भेल	यू-1	500	दिसम्बर-11	मार्च-15	39	2313	3552.18	1239.18
तमिलनाडु	नेवली टीपीएस-II वि.	एनएलसी	भेल	यू-2	250	जून-09	मार्च-14	57	2030.78 (2 यूनिट)	3027.59 (2 यूनिट)	996.81
तमिलनाडु	टूटीकोरिन जेवी टीपीपी	एनएलसी	भेल	यू-1	500	मार्च-12	मार्च-14	24	4909.54	6540.93	1631.39
			भेल	यू-2	500	अगस्त-12	जून-14	22			
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	डीवीसी	चाइनीज	यू-1	600	फरवरी-11	मार्च-14	37	4122	6745	2623
			चाइनीज	यू-2	600	मई-11	जुलाई-14	38			
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				2950						
राज्य क्षेत्र											
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवा टीपीपी	एपीपीडीएल	गैर-भेल	यू-1	800	जुलाई-12	मार्च-14	20	8432	8654	222
				यू-2	800	जनवरी-13	अक्तूबर-14	21			
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीपी वि.	एपीजीएनसीओ	भेल	यू-1	600	जुलाई-12	जुलाई-14	24	2968.64	3019	50.36
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा चरण-III	एपीजीईएनसीओ		यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-15	17	3028.86	3525	496.14
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	भेल	जीटी	70	सितंबर-11	जून-14	33	411	693.73	282.73
				एसटी	30	जनवरी-12	सितंबर-14	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	भेल	यू-1	500	मई-12	फरवरी-14	21	4735	6318	1583
				यू-2	500	जुलाई-12	जुलाई-14	24			
गुजरात	पीपाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	भेल	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	जनवरी-14	40	2354.29	3029	674.71
गुजरात	सिक्का टीपीपी वि.	जीएसईसीएल	भेल	यू-3	250	अक्तूबर-13	अप्रैल-14	6	2004	2715	711
				यू-4	250	जनवरी-14	जुलाई-14	8			
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-8	500	जून-12	मार्च-14	21	5500	6497.29	997.29
				यू-9	500	सितंबर-12	जनवरी-15	28			
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी वि.	एमएसपीजीसीएल	भेल	यू-8	250	जनवरी-12	फरवरी-14	25	1375	1859.24	484.24
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजीईएनसीओ	भेल	यू-2	600	अक्तूबर-12	मार्च-14	17	4053	6750	2697
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा टीपीपी वि.	एमपीपीजीसीएल	भेल	यू-10	250	फरवरी-12	मार्च-13	13	2350	3265	915
				यू-11	250	अप्रैल-12	दिसम्बर-13	20			
राजस्थान	छाबरा टीपीपी वि.	आरआरवीयूएनएल	भेल	यू-4	250	जुलाई-11	मार्च-14	32	2200	2990	790
राजस्थान	कालीसिन्ध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	चाइनीज	यू-1	600	अगस्त-11	दिसम्बर-13	28	4600	7723	3123
				यू-2	600	मार्च-12	मार्च-14	24			
	कुल राज्य क्षेत्र				8551						
निजी क्षेत्र											
आंध्र प्रदेश	थमिनापट्टनम टीपीपी-II	मीनाक्षी एनजी लि.	चाइनीज	यू-3	350	मई-12	मार्च-15	34	3120	3791	671
				यू-4	350	अगस्त-12	दिसंबर-15	40			
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लि.	भेल	यू-1	600	जुलाई-12	दिसंबर-13	17	2872	3850	978
छत्तीसगढ़	बारादराह टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डी.बी. पावर कंपनी लि.	भेल	यू-1	600	मार्च-12	दिसंबर-13	9	6533	6640	107
				यू-2	600	जुलाई-13	मार्च-14	8			

छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	चाइनीज	यू-1	300	अगस्त-13	दिसंबर-14	16	5058	6890	1832
				यू-2	300	नवंबर-13	मार्च-15	16			
				यू-3	300	फरवरी-14	।				
				यू-4	300	मई-14	।				
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	एलएपी प्रा. लि.	चाइनीज	यू-3	660	जनवरी-13	मई-15	26	6886	7700	814
				यू-4	660	मार्च-13	अगस्त-15	29			
छत्तीसगढ़	सिंगतराई टीपीपी	एथना छत्तीसगढ़ पावर लि.	चाइनीज	यू-1	600	जून-14	मार्च-15	9	4650	6200	1550
				यू-2	600	सितंबर-14	अगस्त-15	11			
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मैसर्स एसीबी	गैर-भेल	यू-1	25	जून-12	मार्च-14	21	136	142	6
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावर जेन प्रा.लि.	चाइनीज	यू-1	360	मई-12	जुलाई-14	26	6653.61	8881.13	2227.52
				यू-2	360	नवंबर-12	जनवरी-15	26			
				यू-3	360	फरवरी-13	अप्रैल-15	26			
				यू-4	360	जुलाई-13	जुलाई-15	24			
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	चाइनीज	यू-1	300	मई-12	मार्च-14	22	2850	3479	629
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी चरण-II	अडानी पावर लि.	चाइनीज	यू-2	660	जुलाई-12	जनवरी-14	18	8993	9635	642
				यू-3	660	अक्तूबर-12	मार्च-14	17			
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	चाइनीज	यू-3	350	फरवरी-12	दिसंबर-13	22	4540	6500	1960
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अडानी पावर लि.	चाइनीज	यू-2	660	मार्च-13	दिसंबर-13	9	7020	7996	976
तमिलनाडु	मेलमारूथुर टीपीपी	कोस्टल एनर्जेन	चाइनीज	यू-1	600	फरवरी-12	मार्च-14	25	4800	5158	358
				यू-2	600	मार्च-12	जून-14	27			
	कुल निजी क्षेत्र				11515						
	कुल योग				23016.0						

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी

133. **श्रीमती रमा देवी :**
श्री यशवंत लागुरी :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की मजदूरी की तुलना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी कम है;

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरी दर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से अलग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत मजदूरी को खेतिहर मजदूरों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के साथ सूचीबद्ध कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की तुलना में राज्य-वार विद्यमान मजदूरी दरों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (घ) डब्ल्यू.पी. संख्या 30619/2009 में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार द्वारा दर्ज कराई गई विशेष अनुमति याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी आना है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की तुलना में राज्य-वार विद्यमान मजदूरी

क्र. सं.	राज्य का नाम	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार मनरेगा मजदूरी दर	वर्तमान में न्यूनतम कृषि मजदूरी दर	निम्न से लागू
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	198	231	01.01.13
2.	आंध्र प्रदेश	149	218	18.04.13
3.	अरुणाचल प्रदेश	135	133.33	01.04.13
4.	असम	152	120.3	01.03.13
5.	बिहार	138	170	01.10.13
6.	छत्तीसगढ़	132	131	01.04.13
7.	दादरा और नगर हवेली	175	185.4	01.04.13
8.	गोवा	178	225	14.03.13
9.	गुजरात	147	120	06.03.12

1	2	3	4	5
10.	हरियाणा	214	205.44	01.07.13
11.	हिमाचल प्रदेश — गैर-सूचीगत क्षेत्र	138	150	01.09.12
12.	हिमाचल प्रदेश —सूचीगत क्षेत्र	171	187.5	01.09.12
13.	जम्मू और कश्मीर	145	150	01.01.13
14.	झारखंड	138	167.17	01.10.13
15.	कर्नाटक	174	172.95	01.04.13
16.	केरल	180	150	05.03.11
17.	लक्षद्वीप	166	200	01.12.11
18.	मध्य प्रदेश	146	148.2	01.10.13
19.	महाराष्ट्र	162	100	
20.	मणिपुर	153	122.1	03.11.10
21.	मेघालय	145	100	24.04.09
22.	मिज़ोरम	148	170	01.04.11
23.	नागालैंड	135	80	01.10.09
24.	निकोबार	210	242	01.01.13
25.	ओडिशा	143	126	09.10.12
26.	पुदुचेरी	148	115	
27.	पंजाब	184	240.64	01.09.13
28.	राजस्थान	149	166	01.01.13
29.	सिक्किम	135	200	01.04.13
30.	तमिलनाडु	148	85	01.04.13
31.	त्रिपुरा	135	150	01.10.13
32.	उत्तर प्रदेश	142	142	15.07.13
33.	उत्तराखंड	142	204	01.04.13
34.	पश्चिम बंगाल	151	193	01.07.13

नोट:

1. न्यूनतम मजदूरी दर राज्य सरकार की वेबसाइट से ली गई है।
2. जहां भी विभिन्न क्षेत्रों अथवा विविध प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों की सीमा निर्धारित की गई है, वहां न्यूनतम मजदूरी को तुलना के लिए लिया गया है।

उत्तराखंड की नदियों में गाद

134. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :
श्री रमेश बैस :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण भागीरथी, असीगंगा, सरयू सहित अनेक नदियों में लाखों टन मलबा जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद के कारण नदियों में बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तराखंड की नदियों की गाद निकालने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) उत्तराखंड में, नदियों की खड़ी ढलानें हैं जिसके कारण समतल में सपाट ढलानों की तलुना में जल के बहाव की गति सामान्यत: अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, नदी जल नदी के संकडे भाग से मलबा/गाद हटा ले जाता है और पहले जमा मलबे के कम हो जाने के कारण बाढ़ का खतरा हो जाता है। तथापि, उत्तराखंड सरकार ने जून, 2013 की प्राकृतिक आपदा के कारण नदियों में जमा हुए मलबे के संबंध में अथवा इसे हटाने के लिए योजना के संबंध में कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

बाढ़ नियंत्रण

135. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्रीमती रमा देवी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कतिपय बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए उक्त प्रयोजनार्थ आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बांधों और नहरों की गाद निकालने तथा क्षतिग्रस्त तटों की मरम्मत एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि का आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्री शैलम बांधों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाढ़ के पानी के भंडारण तथा भविष्य में इसका उपयोग करने हेतु बड़े पैमाने पर जलाशयों को बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्यों तथा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा बाढ़ नियंत्रण योजना के कार्यान्वियन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 जारी की है जोकि सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी संपन्न संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के इष्टतम संयोजन से एकीकृत बाढ़ प्रबंधन पर जोर देती है। संरचनात्मक उपायों जैसे तटबंधों के लिए कई राज्यों में आधुनिक जीओ-टेक्सटाइल सामग्रियों का अनुप्रयोग बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों के लिए आंकड़ा संग्रहण की स्वचालित प्रणाली, ट्रांसमिशन, बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करना, बाढ़ पूर्वानुमान जल्दी से प्रसारित करने के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों के तहत केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने इसकी बाढ़ पुर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण शुरू किया है। केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने बांधों एवं नहरों के अवसादन के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई है। तथापि, विशेष अनुरोध पर, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएचपी) के तहत बाढ़ प्रबंधन और समुद्र कटाव रोधी कार्यों जिसे XIवीं योजना में शुरू किया गया था और XIIवीं योजना में योजना में जारी है से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान जारी निधियों का राज्य-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि पात्र प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण एफएमपी के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई थी। तथापि बांधों और नहरों की अवसादन गतिविधियों के साथ-साथ नागार्जुन सागर और श्रीसेलम बांधों से संबंधित गतिविधियों को भी एफएमपी की दिशा-निर्देशों की स्कीम के तहत शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने आनुषंगिक लाभ के रूप में बाढ़ नियंत्रण सहित अतिरिक्त जल का अंतर-बेसिन अंतरण हेतु 30 संपर्कों का अध्ययन शुरू किया है। इन संपर्कों के लिए संबंधित राज्यों की सहमति है।

विवरण-I

केन्द्रीय जल आयोग का राज्य-वार बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की संख्या		
		स्तर	अंर्तवाह	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	7	16
2.	असम	24	0	24
3.	बिहार	32	0	32
4.	छत्तीसगढ़	1	0	1
5.	गुजरात	6	5	11
6.	हरियाणा	0	1	1
7.	झारखंड	1	4	5
8.	कर्नाटक	1	3	4
9.	मध्य प्रदेश	2	1	3
10.	महाराष्ट्र	7	2	9
11.	ओडिशा	11	1	12
12.	त्रिपुरा	2	0	2
13.	उत्तर प्रदेश	34	1	35
14.	उत्तराखंड	3	0	3
15.	पश्चिम बंगाल	11	3	14
16.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	0	2
	कुल	147	28	175

विवरण-II

XIवीं और XIIवीं योजना (दिनांक 30.11.2013 तक) के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत राज्य-वार जारी निधि

क्र.	राज्य	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि			कुल जारी निधि (30 नवम्बर, 2013 तक) 2012-13
			2012-13	2013-14	30.11.2013 तक कुल (XIIवीं योजना)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	78.77		8.90	8.90	87.67
2.	असम	744.90	2.51		2.51	747.41
3.	बिहार	680.79	54.48		54.48	735.27
4.	छत्तीसगढ़	15.57			0.00	15.57
5.	गोवा	9.98	2.00		2.00	11.98
6.	गुजरात	2.00			0.00	2.00
7.	हरियाणा	46.91			0.00	46.91
8.	हिमाचल प्रदेश	165.31	19.92		19.92	185.23

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू और कश्मीर	243.50	39.36		39.36	282.86
10.	झारखंड	17.07	4.27		4.27	21.34
11.	कर्नाटक	20.00			0.00	20.00
12.	केरल	63.68			0.00	63.68
13.	मणिपुर	65.03	0.95		0.95	65.98
14.	मिज़ोरम	3.40			0.00	3.40
15.	नागालैंड	28.96	15.45		15.45	44.41
16.	ओडिशा	95.64			0.00	95.64
17.	पुदुचेरी	7.50			0.00	7.50
18.	पंजाब	40.43			0.00	40.43
19.	सिक्किम	82.86			0.00	82.86
20.	तमिलनाडु	59.82			0.00	59.82
21.	त्रिपुरा	20.91			0.00	20.91
22.	उत्तर प्रदेश	290.69	45.42	0.24	45.66	336.35
23.	उत्तराखंड	49.63		24.25	24.25	73.88
24.	पश्चिम बंगाल	642.87	9.49	45.37	54.86	697.73
	कुल	3476.21	193.85	78.76	272.61	3748.82
	Xवीं योजना के आगे ले जाए गए कार्य	89.79			0.00	89.79
	कुल योग	3566.00			272.61	3838.61

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शास्ति लगाना

136. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा विभिन्न कंपनियों के निदेशकों को आदेशित कारावास/शास्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे निदेशकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों का ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का देरी से चलना

137. **श्रीमती पुतुल कुमारी :**
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती सुष्मिता बाउरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा प्रचालित रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 01.09.2013 से 30.11.2013 के बीच की अवधि में मेल/एक्सप्रैस तथा यात्री गाड़ियों में समयपालन में सुधार दर्ज किया गया है जैसाकि निम्न टेबल में उल्लेखित है:—

	2012-13 (01.09.2012 से 30.09.2012	2013-14 (01.09.13 से 30.11.13)	अंतर
मेल/एक्सप्रैस	82.40%	85.70%	03.30%
यात्री गाड़ी	74.81%	78.48%	03.67%

यद्यपि गाड़ियां विभिन्न कारणों से विलम्ब से चलती हैं जिसमें रेलवे एवं गैर-रेलवे कारण सम्मिलित हैं जैसे- सम्पत्ति की विफलता, लाइन क्षमता की व्यस्तता, दरारों के कारण ट्रैक को क्षति, दुर्घटनाएं, पशुओं का कटना, बिजली ग्रिड की विफलता, शरारती तत्वों की गतिविधियां, खतरे की जंजीर खींचना, कोहरा, प्राकृतिक आपदा जैसे- तूफान, कानून व्यवस्था की समस्या इत्यादि सहित खराब मौसम।

जहां तक रेलवे से संबंधित कारणों का प्रश्न है, भारतीय रेल तुरंत एवं प्रभावी उपचारी कार्रवाई करती है साथ ही साथ गैर-रेलवे कारणों के लिए भारतीय रेल राज्य/केन्द्रीय सकरार के सिविल प्राधिकार के साथ संबंध स्थापित कर विलम्ब से चल रही गाड़ी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है।

रेलगाड़ियों का ठहराव

138. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जनप्रतिनिधियों से पुरी एक्सप्रेस (2815-2816), नीलांचल एक्सप्रेस (2875-2876), नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस (2505-2506), आम्रपाली एक्सप्रेस (5707-5708), स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (2561-2562), पूर्वा एक्सप्रेस (2303-2304/2381-2382), दिल्ली-आजमगढ़ एक्सप्रेस (2525-2526), मगध एक्सप्रेस (2402-2403) और उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर में खुर्जा जंक्शन पर सभी अन्य एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के ठहराव हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर 12815/12816 पुरी-नई दिल्ली नंदन कानन एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों का ठहराव दिए जाने के संबंध में माननीय सांसद के ज्ञापन सहित प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी समीक्षा की गई लेकिन वर्तमान में उचित नहीं पाया गया। तथापि 23 जोड़ी गाड़ियां खुर्जा जंक्शन पर पहले ही ठहरती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानसून मिशन

139. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानसून मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) यह मिशन मानसून, बाढ़ों इत्यादि के संबंध में सटीक डाटा प्रदान करने में किस स्तर तक मदद करेगा;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार ने (क) विस्तारित अवधि से ऋतुकालिक समय पैमाने (16 दिनों से लेकर एक ऋतु तक) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान और (ख) लघु से मध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और विषम मौसमी घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान के लिए अत्याधुनिक युग्मित समुद्र-वायुमंडलीय जलवायु मॉडल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया है।

(ख) इस मिशन का उद्देश्य भारतीय क्षेत्र पर सभी स्थानिक और समय पैमानों पर मानसून वर्षा के और अधिक परिशुद्ध पूर्वानुमान देने के लिए अत्याधुनिक गतिकीय पूर्वानुमान प्रणाली के प्रचालनात्मक कार्यान्वयन को प्राप्त करना है। इस उन्नत प्रणाली से हमें अधिक परिशुद्ध लघु अवधि पूर्वानुमान (3 दिनों तक) तथा मानसून ऋतु के दौरान अग्रिम ही विषम मौसमी घटनाओं जैसे भारी वर्षा की घटनाओं, सक्रिय (भारी) और प्रारंभ (कमजोर) दौर के लिए चेतावनियां तथा संपूर्ण-भारत मानसून वर्षा के लिए और अधिक परिशुद्ध ऋतुकालिक पूर्वानुमान जारी करने में मदद मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) 5 वर्षों (2012-2017) की अवधि के लिए मिशन के लिए 400.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफएम रेडियो सेवाओं हेतु चरण-III ई-नीलामी

140. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफएम रेडियो सेवाओं हेतु चरण-III ई-नीलामी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि निजी एजेंसियों द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-III) हेतु मंत्रिमंडलीय नीति निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है तथा नीति निर्देशों के अनुसार ई-नीलामी की जाएगी।

नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

141. **श्री पी.टी. थॉमस :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोच्ची-मदुरै खंड पर नई रेललाइन हेतु सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने वरहज बाजार से फैजाबाद वाया दोहरीघाट से नई रेललाइन हेतु कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस हेतु परियोजना-वार आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ङ) कोच्चि-मदुरै नई लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है।

डोहारी घाट नई लाइन के रास्ते बरहाज बाजार फैजाबाद तक का सर्वेक्षण 2006-07 के दौरान किया गया था। इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 194 कि.मी. लंबी नई लाइन के निर्माण की लागत 782 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसकी प्रतिफल की दर (-)6.06% थी। चालू परियोजनाओं के बड़ी संख्या में थ्रोफॉरवर्ड और संसाधनों की तंगी को देखते हुए, इस प्रस्ताव को शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र से प्रस्ताव

142. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25000 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार का कोई भी ऐसा विशिष्ट प्रस्ताव, जिसमें 25000 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है, जल संसाधन मंत्रालय के मूल्यांकन के अधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हैलिकॉप्टर उद्योग

143. **श्री एंटो एंटोनी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हैलिकॉप्टर उद्योग के विकास के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के हैलिकॉप्टर उद्योग में संरक्षापायों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने देश में हैलिकॉप्टर उद्योग के विकास के संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय के अधीन अलग से एक हैलिकॉप्टर प्रभाग बनाया गया है, जोकि देश में अनुसूचित, गैर-अनुसूचित हैलिकॉप्टर प्रचालनों और सामान्य विमानन हैलिकॉप्टर प्रचालन को भी देखेगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कुल पंजीकृत हैलिकॉप्टर की संख्या नीचे दी गई है:—

31.12.2011 तक पंजीकृत	—	267
31.12.2012 तक पंजीकृत	—	282
28.11.2013 तक पंजीकृत	—	292

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने हैलिकॉप्टरों के सुरक्षित प्रचालनों और उड़ान सुरक्षा पूर्व एहतियात के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए है:—

(i) ऋतुकालिक हैलिकॉप्टर प्रचालन सुरक्षा दिशानिर्देश विषय पर 2013 का वायु सुरक्षा परिपत्र 7

(ii) नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड-7 श्रेणी-ख भाग-XII पहाड़ी उड़ानों के लिए।

(iii) हैलिकॉप्टर पायलटों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण अपेक्षाओं से संबंधित नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड-7 श्रेणी-ख भाग-XIV

(iv) आपदा प्रबंधन के समय हैलिकॉप्टरों के प्रयोग संबंधी प्रचालन परिपत्र 7/13 [इन नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) और वायु सुरक्षा परिपत्रों की जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgca.nic.in पर भी उपलब्ध है।]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कें

144. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत शामिल सड़कों के संदर्भ में ग्रामीण सड़कों को शहरी सड़कों से जोड़ने और इन सड़कों के निर्माण के संबंध में उच्च कार्यगुणता सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण निधि की मांग का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का उक्त अनुरक्षण कार्य हेतु निर्धारित राज्यांश निधि को तत्काल अनुमोदित करने/जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क के अनुसार सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु एक एकबारगी विशेष प्रयास है। पीएमजीएसवाई के तहत सभी सड़कें मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ किए गए निर्माण संविदा के साथ-साथ पांच वर्षीय रखर-रखाव संविदा द्वारा कवर की जाती हैं। इस पांच वर्षीय रख-रखाव संविदा को पूरा करने के लिए रख-रखाव धनराशि राज्य की निधियों के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित है। निर्माणोत्तर पांच वर्षीय रख-रखाव अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित मरम्मत हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान करें।

स्वच्छ पेयजल

145. **श्री निशिकांत दुबे : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड सहित देश की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इस संवेदनशील मुद्दे के निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान के लिए सरकार के रणनीति का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) झारखंड सहित राज्यों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार, देश के 16,90,870 ग्रामीण बसावटों में से 78,787 ग्रामीण बसावटें ऐसी हैं, जहां पेयजल का कम से कम एक स्रोत रासायनिक संदूषण, जैसे कि अत्यधिक लौह तत्व, फ्लूओराइड, आर्सेनिक, लवणता अथवा नाइट्रेट से प्रभावित है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 4.21 करोड़ आबादी पीने के पानी में रासायनिक संदूषण होने के खतरे में आ सकती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों एवं आबादी संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जनगणना 2011 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, झारखंड सहित देश में ऐसी आबादी, जिन्हें स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

रासायनिक संदूषण के अतिरिक्त राज्यों द्वारा राज्यों में स्थापित जिला एवं उप प्रभागी प्रयोगशालाओं में ग्रामीण पेयजल स्रोतों का परीक्षण भी जैविकी संदूषण की दृष्टि से किया जाता है एवं जब कभी ऐसा संदूषण पाया जाता है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित राज्य विभागों द्वारा क्लोरिनेशन के माध्यम से स्रोतों को कीटाणु-मुक्त कर कार्रवाई की जाती है। प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए राज्यों को आबंटित की गई 3% निधियों का 100% केन्द्रीय हिस्सेदारी के आधार पर उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, जापानी एनसैफलाइट्स/तीव्र एनसैफैलाइट्स सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित कुल 171 जिलों में से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 राज्यों यथा असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 60 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की है जो जेई/एईएस से तीव्र रूप से प्रभावित है। मंत्रालय ने जल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष निधियों के रूप में एनआरडीडब्ल्यूपी के 5% का प्रावधान किया है जिसमें से 25% इन राज्यों में केवल पेयजल स्रोतों में जेई/एईएस समस्याओं से निपटने के लिए उपयोग में लाने हेतु चिन्हित एवं अवमुक्त किया गया है। जेई/एईएस समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को सूचित की गई पहलों में इन 5 क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल का प्रावधान करना है जिनमें प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण हैंड-पंप प्लेटफार्मों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर करना, हैंड-पम्प प्लेटफार्मों में सभी रिसाव एवं दरारों को बंद करना और हैंड-पम्प से संबद्ध सोकेज पिट और निकास चैनल को साफ करने के साथ उचित ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन छिछले सार्वजनिक हैंड-पम्पों का मार्क-II हैंड-पंपों में बदलना, गहरे ट्यूबवैल की ड्रिलिंग, 1 एचपी मोटर के साथ ऊर्जित करने और आस-पास निर्मित स्टैंड पोस्टों (कम से कम 4 नलकों सहित) में पम्प वॉटर और ब्लीचिंग पाउडर मिलाने, समस्त सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को कीटाणु मुक्त करने और केवल स्वच्छ पेयजल उपयोग करने और साथ ही जल को पीने से पूर्व उबले हुए पानी की आदत डालने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है।

पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार ग्रामीण आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। राज्यों को जारी की गई निधियों के 67% तक का उपयोग स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को कवर करने एवं इससे संबंधित समस्या से निपटने में किया जा सकता है। राज्यों को सख्ती से यह सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों से संबंधित समस्याएं निपटाने और उन बसावटों में स्वच्छ स्रोतों से पाइप द्वारा जल आपूर्ति के माध्यम से समयबद्ध रूप से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दें। भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूल-चूल परिवर्तन किया है, जिसे अब 12वीं पंचवर्षी योजना में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कहा जाता है। एनबीए का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय में चरणबद्ध तरीके से संतृप्तिबोध मोड में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के साथ सतत व्यवहारगत परिवर्तन प्राप्त करना है और परिणामों के रूप में "निर्मल ग्रामों" को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता की शत-प्रतिशत सुविधाएं पहुंचाना है।

एनबीए के अंतर्गत निम्नांकित कार्यनीति अपनाई गई:—

- संपूर्ण स्वच्छता परिणामों को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत परिवार के बजाए ग्राम पंचायत में संपूर्ण समुदाय को कवर करने पर बल देकर संतृप्तिबोध के दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय इकाइयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रावधान का विस्तार किया गया है ताकि सभी बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त उन एपीएल परिवारों को कवर किया जा सके जो अनुसूचित जातियों (एससी), छोटे व सीमान्त किसानों, वासभूमि सहित भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व महिला प्रमुख परिवारों से संबंधित हैं। शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन 3200/- रुपए की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रुपए कर दिया गया है (5100/- रुपए पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के लिए)। इसके अतिरिक्त, शौचालयों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4500/- रुपए तक उपलब्ध कराए जाते हैं। अत: 900 रुपए के लाभार्थी अंशदान के साथ शौचालय के निर्माण के लिए अब 10,000/- रुपए (10,500/- रुपए पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के लिए) उपलब्ध हैं।

- निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत जिला योजनाओं के कुल व्यय का 15% सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराया गया है जो कि कार्यक्रम की बढ़ती जागरूकता एवं सुरक्षित तथा निरन्तर स्वच्छता की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करता है।

- मंत्रालय ने वर्ष 2012 में स्वच्छता एवं साफ-सफाई समर्थनकारी एवं संचार नीति रूपरेखा (2012-2017) की शुरूआत की है। विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध रूप में किए जाने वाले विभिन्न आईईसी कार्यकलापों के संबंध में यह रूपरेखा मार्गदर्शन प्रदान करती है।

- ग्रामीण स्वच्छता पर आईईसी संदेशों को कारगर रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), ग्राम स्तर उत्प्रेरकों (स्वच्छता दूतों/स्वच्छता प्रबंधकों), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कामगारों, विद्यालय अध्यापकों एवं भारत निर्माण से स्वयं सेवकों जैसे फील्ड पदाधिकारियों को रखने का प्रावधान निर्मल भारत अभियान के मार्गदर्शी सिद्धांतों में किया गया है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ सामूहिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना ताकि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सेवाओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, महिला व बाल-विकास सहित संबद्ध मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ निर्मल भारत अभियान का तालमेल भी बढ़ा है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटें एवं उससे प्रभावित आबादी जिन्हें कि अभी भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष है

क्र. सं.	राज्य का नाम	योग		आर्सेनिक		फ्लोराइड		लौह		लवणता		नाइट्रेट	
		बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या	बसावट	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3440	4868035	0	0	2103	2967706	129	155281	902	1278887	306	466161
2.	बिहार	9385	5200748	650	461399	1378	679003	7356	4059873	0	0	1	473
3.	छत्तीसगढ़	5325	1249556	0	0	203	42903	5001	1135198	121	71455	0	0
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	143	254974	0	0	56	81793	0	0	0	0	87	173181
6.	हरियाणा	7	25735	0	0	7	25735	0	0	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	68	13522	0	0	19	4849	49	8673	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	2860	2533578	13	18184	1359	1316606	510	310639	350	297157	628	590992
11.	केरल	884	1852249	0	0	106	214630	557	1212186	166	303185	55	122248
12.	मध्य प्रदेश	1921	838763	0	0	1728	728443	131	55018	62	55302	0	0
13.	महाराष्ट्र	1200	2544781	0	0	367	874271	231	360109	242	420368	360	890033
14.	ओडिशा	8379	2297899	0	0	356	85702	7300	1978470	712	226057	11	7670
15.	पंजाब	228	275451	0	0	2	1392	221	268667	5	5392	0	0
16.	राजस्थान	23680	9143126	0	0	6830	4180444	11	10663	15450	3670086	1389	1281933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	तमिलनाडु	464	208538	0	0	8	2556	400	180446	52	23938	4	1598
18.	उत्तर प्रदेश	786	683664	153	143250	272	213552	53	115971	307	210305	1	586
19.	उत्तराखंड	39	120594	0	0	3	10810	32	95802	0	0	4	13982
20.	पश्चिम बंगाल	2617	4213286	499	1470587	77	105864	2038	2635866	3	969	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	111	31525	0	0	0	0	111	31525	0	0	0	0
22.	असम	12424	4274899	475	155088	10	2328	11939	4117483	0	0	0	0
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मेघालय	90	30317	0	0	0	0	90	30317	0	0	0	0
25.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	56	38416	0	0	0	0	56	38416	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	4641	1442821	0	0	0	0	4641	1442821	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	16705	0	0	0	0	8	15048	1	1657	0	0
	योग	78757	42159182	1790	2248508	14884	11538587	40864	18258472	18373	6564758	2846	3548857

विवरण-II

जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय की सुविधा विहीन ग्रामीण परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शौचालय की सुविधा विहीन ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.92
2.	आंध्र प्रदेश	65.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	44.25
4.	असम	38.46
5.	बिहार	81.39
6.	चंडीगढ़	5.69
7.	छत्तीसगढ़	85.15
8.	दादरा और नगर हवेली	70.72
9.	दमन और दीव	34.20
10.	गोवा	27.40
11.	गुजरात	65.76
12.	हरियाणा	42.29
13.	हिमाचल प्रदेश	32.55
14.	जम्मू और कश्मीर	58.29
15.	झारखंड	91.67
16.	कर्नाटक	68.11
17.	केरल	5.59
18.	लक्षद्वीप	1.66
19.	मध्य प्रदेश	86.42
20.	महाराष्ट्र	55.80
21.	मणिपुर	12.27
22.	मेघालय	43.06
23.	मिज़ोरम	12.90
24.	नागालैंड	22.31
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13.50
26.	ओडिशा	84.68
27.	पुदुचेरी	59.59
28.	पंजाब	28.11
29.	राजस्थान	79.87
30.	सिक्किम	14.86
31.	तमिलनाडु	73.27
32.	त्रिपुरा	15.41
33.	उत्तर प्रदेश	77.13
34.	उत्तरखंड	45.04
35.	पश्चिम बंगाल	51.30
	भारत	67.33

रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सूचीक्रम से निकालना

146. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटे में चल रहे और रुग्ण स्थिति वाले ऐसे रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें निवेशकों की रूचि काफी कम है, को सूचीक्रम से निकालने की योजना बनी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस श्रेणी में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम आ रहे हैं; और

(घ) इन उपक्रमों को लाभार्जक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारोपाय किए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवसायिक पुनर्संरचना, विस्तार/आधुनिकीकरण/श्रम शक्ति को संगत बनाने के लिए धन लगाने, देयताओं के भुगतान आदि सहित विभिन्न उपाय करता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण पुनरूद्धार तथा पुनर्संरचना के लिए सरकार को सलाह देने के लिए दिसंबर, 2004 में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड का गठन किया था।

बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 44 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार को अनुमोदित किया जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 28,333.10 करोड़ रुपए की कुल सहायता (5272.62 करोड़ रुपए की नकद सहायता राशियां देने के रूप में और 23060.48 करोड़ रुपए की गैर-नकद सहायता ब्याज/ऋण समाप्ति/छूट, ऋणों को इक्विटी आदि में परिवर्तन द्वारा) दी गई है। इसके अलावा संबंधित धारक कंपनियों ने कुल 6923.01 करोड़ रुपए (नकद सहायता 1362.93 करोड़ रुपए तथा गैर-नकद सहायता 5560.08 करोड़ रुपए) की कुल लागत पर 3 सहायक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार को कार्यान्वित किया है।

वि-लवणीकरण संयंत्र

147. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुदी प्रौद्योगिकी संस्थान ने लक्षद्वीप के छह द्वीपों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए संशोधित अनुमानों के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने 190.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लक्षद्वीप के छह द्वीपों (एंड्रॉथ, अमीनी, कडामत, चेत्लेट, किल्तन और कल्पेनी) में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है।

(ग) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएंडएस) से परियोजना संबंधी अनुमोदन लेने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन को डीपीआर प्रस्तुत की गई।

वेतन और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा

148. **श्री पी. करुणाकरन : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कॉर्पोरेट क्षेत्र में वेतन और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार बिक्रीगत कमीशन/विमान सेवाओं के लाभांश और यात्री-यातायात में हिस्सेदारी जैसे प्रोत्साहक उपायों की सीमा भी निर्धारित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतनों में किस प्रकार समानता लाए जाने का विचार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट क्षेत्र में बोर्ड स्तर के प्रबंधकों के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में शुद्ध लाभ का 10% तथा गैर-पूर्णकालित निदेशकों के मामले में शुद्ध लाभ का 1% है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण कार्य की संपरीक्षा

149. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण कार्य की संपरीक्षा/जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस सिलसिले में अब तक तैयार की गई रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए)

नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसआईए), मुंबई की लेखा परीक्षा की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है और उसे लोक लेखा समिति (पीएसी) को विचारार्थ भेज दिया गया। भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी प्रस्तुति लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा मुंबई के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल-सेवाएं

150. श्री हर्षवर्धन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किमी. से अधिक दूर स्थित ऐसे कौन-कौन से शहर हैं, यथा इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, सहारनपुर और बरेली, जहां से लखनऊ के लिए रात्रिकालीन यात्री-गाड़ी की सेवा उपलब्ध हैं;

(ख) क्या रेलवे इसमें अवगत है कि यात्रियों को गोरखपुर और उक्त अन्य शहरों से लखऊ के लिए सीधी यात्री गाड़ी सेवा के अभाव में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में, विशेषकर गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नई रेलगाड़ी आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) गाड़ी सेवाओं जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ के लिए गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, सहारनपुर और बरेली से रात के समय गाड़ी उपलब्ध है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

से-तक	गाड़ियों की संख्या	रात के समय गाड़ियों की संख्या
गोरखपुर-लखनऊ	40	11
इलाहाबाद-लखनऊ	10	06 (दो यात्री गाड़ी सहित)
वाराणसी-लखनऊ	54	12 (एक पैसेंजर गाड़ी सहित)
झांसी-लखनऊ	26	09 (एक यात्री गाड़ी सहित)
सहारनपुर-लखनऊ	23	10
बरेली-लखनऊ	57	22

इसके अलावा रेल बजट 2013-14 में लखनऊ को शहरों जैसे इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी और सहारनपुर के साथ जोड़ने वाली निम्नलिखित गाड़ियां घोषित की गई हैं:—

गाड़ी आरंभ करना:

1. 22683/22684 यशवंतपुर-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (लखनऊ को इलाहाबाद से जोड़ने वाली)
2. 15623/15624 कामाख्या-भगत की कोठी एक्सप्रेस (लखनऊ को बरेली/वाराणसी से जोड़ने वाली)
3. 19061/19062 बांद्रा-रामनगर एक्सप्रेस (लखनऊ को बरेली से जोड़ने वाली)
4. 13167/13168 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस (लखनऊ को वाराणसी से जोड़ने वाली)

गाड़ी को बढ़ाना:

1. 13133/13134 सियालदाह-वाराणसी एक्सप्रेस को दिल्ली तक बढ़ाना (लखनऊ को बरेली से जोड़ने वाली)

बहरहाल, इस समय गोरखपुर और लखनऊ के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई विचार नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मास्टर-प्लान

151. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मास्टर-प्लान तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मास्टर-प्लान कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं। यद्यपि ग्रामीण विकास मंत्रालय समग्र योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों नामशः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास और

अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्तर में समग्र रूप में सुधार लाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष निधि

152. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गत-कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष निधि की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य-निष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत प्रदत्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कतिपय राज्यों ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) जी, नहीं। चूंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय विशेष निधि स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा है।

(घ) से (ज) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जो देश के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा था उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत चरणबद्ध तरीके से शामिल कर लिया गया है। चरण-I में दिनांक 2.2.2006 से एसजीआरवाई के 200 चिन्हित जिले मनरेगा के तहत कवर किए गए हैं, चरण-II में दिनांक 01.04.2007 से 130 अतिरिक्त जिलों को कवर किया गया है और शेष जिलों को दिनांक 01.04.2008 से मनरेगा के तहत कवर किया गया है। एसजीआरवाई को तभी से बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

'कपार्ट' के अंतर्गत योजनाएं

153. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में लोक-कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं का दायरा कितना है और इनके अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया जाएगा;

(ग) क्या ये योजनाएं अभी कार्यान्वित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी कर रही है जो इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदार हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) ने वर्ष 2010-11 में गुजरात में ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना के तहत एक कार्यशाला और ग्रामश्री मेलों के आयोजन की तीन परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। ब्यौरा अनुबंध संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) कार्यशाला के आयोजन के लिए मई, 2010 में स्वीकृत केवल एक परियोजना चलाई गई थी। शेष तीनों परियोजनाओं के लिए अनुदान रिलीज नहीं किया जा सका क्योंकि दिनांक 30.9.2010 से कपार्ट के पुनर्गठन के कारण वित्तपोषण को आस्थगित रखा गया था। चूंकि स्वीकृति बाद में (दिसंबर, 2010) की गई थी, इसलिए निधियां रिलीज नहीं की जा सकीं।

(ङ) और (च) कर्पाट में तीन स्तरों वाली निगरानी प्रणाली है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा विगत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा वर्तमान, वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाएं

वर्ष 2010-11

क्र. सं.	नाम	पता	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तिथि	निर्गत राशि
1.	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	अहमदाबाद, गुजरात	टेक्नोलॉजी विस्तार पर कार्यशाला	1045000	18 मई, 10	940500
2.	डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट	जिला भावनगर, गुजरात	ग्राम श्री मेला	450000	13 दिसम्बर, 10	0
3.	मालधारी सेवा संघ	अहमदाबाद, गुजरात	ग्राम श्री मेला	450000	13 दिसंबर, 10	0
4.	यूनिमेक ग्राम्य विकास चेरिटेबल ट्रस्ट	जिला राजकोट, गुजरात	ग्राम श्री मेला	450000	13 दिसंबर, 10	0
वर्ष 2011-12			शून्य			
वर्ष 2012-13			शून्य			
वर्तमान वित्तीय वर्ष			शून्य			

विवरण-II

अपनाई जा रही त्रि-स्तरीय निगरानी प्रणाली

वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकनः

प्रस्ताव के डेस्क मूल्यांकन के बाद, कपार्ट निम्नलिखित पहलुओं की जांच के लिए वित्त पोषण-पूर्व मूल्यांकन हेतु अपने पैनलगत सुविधाकार-सह मूल्यांकनकर्त्ताओं को तैनात करता है, जो स्वैच्छिक संघठनों के निम्नलिखित पक्षों की जांच करते हैं:—

रजिस्ट्री प्राधिकरणों के पास मियादी रिपोर्टों और विवरण भर कर देना, आयकर विवरणी, यदि हो तो, उसे भरना, एफसीआरए (विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम) अपेक्षाओं का पालन, बैंक/डाकघर से खाते का सत्यापन तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र का सत्यापन, आधार रिकॉर्ड, कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा की कार्यवाही पुस्तिका, लेखा बहियों का रखरखाव, समिति की व्यवस्था में पारदर्शिता का पता लगाने के लिए समिति के सदस्यों से सलाह मशविरा। परियोजना संचालन में संगठन की क्षमता और विशेषज्ञता एवं आधारतंत्र का पता लगाना। स्वैच्छिक संगठन द्वारा जनता, पंचायत तथा स्थानीय प्रशासन और बैंक आदि के साथ तालमेल। परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उसके लगातार संचालन में संगठन द्वारा कथित लाभार्थियों, गांव वासियों, पंचायत, प्रखंड अधिकारियों और बैंकरों के साथ किये गए परामर्श।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकनकर्त्ता अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना की जरूरत, तकनीकी व्यावहार्यता, आर्थिक उपादेयता, सामाजिक स्वीकार्यता तथा संगठन की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता पर टिप्पणी करता है।

कपार्ट द्वारा मध्यावधि मूल्यांकनः

मूल्यांकनकर्त्ता से निम्नलिखिम पहलुओं पर गौर करने की अपेक्षा की जाती है:—

समिति के कार्यकलापों की व्यवस्था, कानूनी अपेक्षाएं पूरी करने, किए गए फील्ड वर्क के अनुसार उपलब्ध प्रोग्रेस रिपोर्ट की प्रामाणिकता, परियोजना संचालन के संदर्भ में संगठन द्वारा हासिल वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि, लाभार्थियों की सहभागिता, वाउचरों और खातों की जांच, लाभार्थी संतुष्टि तथा उनकी भागीदारी आदि।

इन कारकों के आधार पर, मूल्यांकनकर्त्ताओं से अगली किस्त निर्गत करने के बारे में सिफारिश करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें वह लिखेगा कि संगठन द्वारा पेश उपयोग प्रमाण-पत्र, परीक्षित लेखाओं का विवरण व प्रगति रिपोर्ट आदि की जांच कर ली गई है।

मूल्यांकनकर्त्ता की अनुकूल रिपोर्ट तथा स्वैच्छिक संगठन द्वारा पेश अपेक्षित दस्तावेजों के आधार पर, कपार्ट अगली किस्त जारी करता है।

परवर्ती मूल्यांकनः

पूर्णता रिपोर्ट तथा अन्य पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर, कपार्ट परवर्ती मूल्यांकन हेतु 15 दिन के अन्दर मूल्यांकनकत्ताओं की नियुक्ति करता है। मूल्यांकनकर्त्ता से निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करने की अपेक्षा की जाती है:—

यह सत्यापित करना कि क्या सभी विहित कार्य मंजूरी आदेश की शर्तों के अनुसार पूरे किए गये हैं। खाता बहियों की पड़ताल की जाती है तथा लाभार्थी संतुष्टि के लिए धन के उचित उपयोग, परियोजना की भौतिक व वित्तीय उपलब्धियां, परियोजना के प्रभाव व स्थायित्व को सुनिश्चित किया जाता है।

बड़ी रकम वाले कार्यों के संदर्भ में, स्वैच्छिक संगठनों का व्यापक आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। आवधिक मूल्यांकन के अलावा, ऐसे मूल्यांकन पेशेवर संस्थाओं और विशेषज्ञ टीम की मार्फत भी कराये जाते हैं।

[अनुवाद]

चीन के साथ समझौता

154. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में तीव्र गति वाली रेलों के प्रचालन रेलवे स्टेशनों के विकास और भारी ढुलाई के संबंध में चीन के साथ एक समझौता-ज्ञापन इत्यादि पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस सिलसिले में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने देश में रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 200 कि.मी. प्रति घंटा तक करने के लिए किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) ऐसे उच्चति गति वाली गाड़ियां चलाने के लिए किन-किन रेलपथों को चिन्हित किया गया है; और

(च) उक्त समझौता-ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) रेलवे सेक्टर में तकनीकी सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्रालय और चीन गणराज्य सरकार के तत्कालीन रेल मंत्रालय (अब पुनर्गठित) के बीच 26 नवंबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ इस सहयोग कार्यक्रम में हाई स्पीड रेल, हेवी होल और स्टेशन का विकास करने सहित रेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना शामिल है।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपनी सहायक कंपनी अर्थात् हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित की है।

(ङ) यात्री गाड़ियों की स्पीड को 160-200 कि.मी. प्रति घंटा बढ़ाने के चिन्हित कॉरीडोरों में दिल्ली-मुंबई, अहमदाबाद-मुंबई, मुंबई-कोलकाता, चेन्नई-बैंगलुरु और दिल्ली-जयपुर शामिल हैं।

(च) समझौता ज्ञापन 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

डीएमआईसी में रेल-संपर्क

155. श्री रामसिंह राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के प्रभाव-क्षेत्र में रेल-संपर्क विकसित करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और

(ग) इस संबंध में परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर (डीएमआईसी) के प्रभावित क्षेत्रों में रेल लिंक के विकास के लिए रेल मंत्रालय को गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा मदवार स्थिति नीचे दी गई है:—

आमान परिवर्तन

	जहां रेल लिंक किया जाना है	टिप्पणी
	1	2
अहमदाबाद-धोलेरा-इन्वेस्टमेंट रीजन	अहमदाबाद-बोटाड-भावनगर	अहमदाबाद-बोटाड के आमान परिवर्तन को मंजूरी मिल गई है और इसे 2012-13 के बजट में शामिल किया गया है। प्रारंभिक गतिविधियों जैसे योजना की तैयारी, प्राक्कलन आदि को प्रारंभ कर दिया गया है। बोटाड-भावनगर सेक्शन पहले से ही बड़ी लाइन नेटवर्क पर है।
दहेज-भरूच इन्वेस्टमेंट रीजन	दहेज-सामली-भरूच	यह पहले से ही बड़ी लाइन में बदल दी गई है।
पालनपुर-सिद्धपुर-मेहसाना औद्योगिक क्षेत्र	विरामगाम-समाखियाली	यहां पहले से ही बड़ी लाइन है। इस सेक्शन की डबलिंग को वर्ष 2011-12 में मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के विरामगाम-सादला (21 कि.मी.) सेक्शन को 2013-14 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
	मालीया-मियाना-नवलखी-राजकोट	यह पहले ही बड़ी लाइन में बदल दी गयी है।
	मेहसाना-पाटन	यह पहले ही बड़ी लाइन में बदल दी गयी है।
	मेहसाना-विरामगाम	यह पहले ही बड़ी लाइन में बदल दी गयी है।
	विरामगाम-सुरेन्द्रनगर	यह पहले ही बड़ी लाइन में बदल दी गयी है। लाइन की डबलिंग को मंजूरी मिल चुकी है।
	समाखियाली-गांधीधाम-कांडला	यह पहले ही बड़ी लाइन में बदल दी गयी है तथा इस लाइन की डबलिंग हो चुकी है।
	गांधीधाम-अंजर-मुंद्रा	गांधीधाम-आदिपुर-मुंद्रा एक बड़ी लाइन है तथा आदिपुर-अंजर-भुज भी एक बड़ी लाइन है।
दोहरीकरण		
दहेज-भरूच इन्वेस्टमेंट रीजन	भरूच-दहेज	इस सेक्शन का हाल ही में बड़ी लाइन में बदला गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान यातायात स्तर पर डबलिंग के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है।
पालनपुर-सिद्धपुर-मेहसाना औद्योगिक क्षेत्र	पीपावाव-राजुला-धांसा-बोटाड-सुरेन्द्रनगर-विरामगाम-मेहसाना	विरामगाम-सुरेन्द्रनगर सेक्शन (65.26 कि.मी) की डबलिंग के कार्य को 2010-11 में मंजूरी मिली थी। सबली रोड-लीलापुर (14 कि.मी.) सेक्शन का कार्य 2012-13 में पूरा किया गया। वानी रोड-सबली रोड (8 कि.मी.) को 2013-14 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
मुंद्रा-पालनपुर	पालनपुर-समाखियाली-गांधीधाम-मुंद्रा	समाखियाली-पालनपुर सेक्शन के डबलिंग कार्य को 2013-14 के बजट में शामिल किया गया है और

	1	2
		इसे रेलवे निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा समाखियाली-गांधीधाम-मुंद्रा सेक्शन पर डबल लाइन पहले से ही है।
	गांधीधाम-कांडला	इस सेक्शन के डबलिंग का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
नई रेल लाइन		
अहमदाबाद-धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन	भावनगर-अधेलाई-धोलेरा-वतामान-पेटलाड	इसके सर्वेक्षण को 2012-13 के बजट में शामिल किया है। सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ कर लिया गया है।
	भीमनाथ-धोलेरा	सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। मैसर्स डीएमआईसीडीसी ने इस नई लाइन के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई है।
	खमभाट-खमभाट पोर्ट	सर्वेक्षण को 2012-13 के बजट में मंजूरी मिल गई है। सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को शामिल गया है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर (डीएमआईसी) के लिए अन्य रेल आधारभूत ढांचा

पोर्ट	पोर्ट को रेल सेवा से जोड़ना	सेक्शन का नाम	टिप्पणी
हजीरा	सुरत-हजीरा नया रेल लिंक	सुरत-हजीरा	दिसंबर, 2012 की प्रतिभागी योजना के बाद प्राइवेट लाइन मॉडल पर लिंक के विकास के लिए मूलभूत मंजूरी दे दी गई।
बेदी पोर्ट	बेदी पोर्ट-जामनगर नया रेल लिंक	जामनगर-राजकोट	सर्वेक्षण को 2012-13 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ कर लिया गया है।
पोरबंदर पोर्ट	पोरबंदर पोर्ट-पोरबंदर स्टेशन	पोरबंदर-जामनगर	सर्वेक्षण को 2012-13 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ कर लिया गया है।
छारा पोर्ट	छारा पोर्ट-कोड़ीनार (वेरावल-सोमनाथ का विस्तार कोड़ीनार के लिए बड़ी लाइन)	वेरावल-राजकोट	सोमनाथ-कोडिनर के कार्य के विस्तार को राजकोट-वेरावल तथा वंसजालिया-जेटलसर की स्वीकृति आमान परिवर्तन परियोजना सामग्री आशोधन के रूप में प्रारंभ किया गया है।
महुवा पोर्ट, काचीगढ़ पोर्ट तथा नारगोल पोर्ट को जोड़ना	इस संबंध में रेलवे के पास कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।		

बीदर विमानपत्तन का विकास

156. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक में बीदर विमानपत्तन नागर विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु नवंबर, 2006 में सैद्धान्तिक रूप से अपना अनुमोदन प्रदान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेंगलुरु और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जैसे प्रमुख विमानपत्तनों से छोटे शहरों और नगरों तक उनके लाभार्थ विमान-संपर्क प्रदान किया जा सकता है; और

(घ) बीदर विमानपत्तन से नागर विमान सेवाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक में बीदर विमानपत्तन पर नागर विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए नवंबर, 2006 में सैद्धांतिक रूप से अपना अनुमोदन प्रदान किया था। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2008 में नागर विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया था। टर्मिनल 870 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 19.11.2012 को रक्षा मंत्रालय जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (घायल), भारतीय वायु सेना के अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, बीदर के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण किया था। टीम के संज्ञान में लाया गया था कि बीदर विमानपत्तन से नागर विमान सेवाएं शुरू करने के लिए अवसंरचना की जरूरत है।

(ग) और (घ) इस स्तर पर, किसी निर्धारित समय-सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती। तथापि, बीदर विमानपत्तन पर प्रचालन सेवाएं शीघ्र शुरू करने के लिए घायल, कर्नाटक सरकार, भारतीय वायु सेना आदि के अधिकारियों के साथ बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:—

(i) घायल, नए हैदराबाद विमानपत्तन के प्रचालक इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया मंत्रालय को भेजें।

(ii) कर्नाटक सरकार बीदर विमानपत्तन से नागर विमान सेवाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ सभी जरूरी अवसंरचना उपलब्ध करवाए।

(iii) बीदर के लिए हवाई संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन मंत्रालय और कर्नाटक सरकार को अलग एयरलाइनों के लिए सम्मत करना।

तथापि, घरेलू क्षेत्र में उड़ान प्रचालनों को अविनियमित कर दिया गया है, फिर भी सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशोनिर्देश के अनुपालन की शर्त पर एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

जल-निकायों के अनुरक्षण हेतु प्रस्ताव

157. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल-निकायों के अनुरक्षण, पुनर्भरण और नवीकरण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उक्त योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित परियोजना अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों हेतु अनुदान के रूप में परियोजना-लागत का 90 प्रतिशतांश उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस हेतु प्रदान की गई निधियों का वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) Xवीं योजना के दौरान जनवरी, 2005 में "कृषि से सीधे तौरे पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर)" नामक एक प्रायोगिक स्कीम 300 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा 75% की केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकार द्वारा 25% की सहायता का प्रावधान था। इस प्रायोगिक स्कीम के अंतर्गत 15 राज्यों में 26 जिलों में 1098 जल निकायों के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया था जिसमें से 1085 जल निकायों का कार्य पूरा कर लिया गया था और शेष 13 जल निकायों को छोड़ दिया गया था। इस प्रायोगिक स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 197.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

XIवीं योजना के दौरान भारत सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए दो राज्य क्षेत्रीय स्कीमें

(i) एक 1250 करोड़ रुपये के परिव्यय से घरेलू सहायता से और (ii) दूसरी 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय से बाह्य सहायता से शुरू की थी।

घरेलू सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना के दौरान 12 राज्यों में पुनरुद्धार हेतु कुल 3341 जल निकायों में कार्य शुरू किया गया था जिनमें से अब तक 1893 जल निकायों का कार्य पूरा किया गया है। इन जल निकायों के लिए 852.289 करोड़ रुपये का कुल केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया है। बाह्य सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पुनरुद्धार हेतु 10887 जल निकायों में कार्य शुरू किया गया था।

XIIवीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.9.2013 को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) संबंधी स्कीम को जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन दिया गया है और तद्नुसार अक्तूबर, 2013 में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 10,000 जल निकायों में 6235 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से आरआरआर संबंधी कार्य शुरू करने की संकल्पना की गई है। इन 10,000 जल निकायों में से 9000 जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित किए गए हैं और शेष 1000 जल निकाय शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित किए गए हैं। जिन जल निकायों में एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित किया जा रहा है, उनके प्रस्तावों को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार की स्कीम में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 10 राज्यों में पुनरुद्धार हेतु कुल 1592 जल निकायों में कार्य शुरू किया गया था। इन स्कीमों के लिए अब तक राज्यों को 435.8190 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। शुरू किए गए जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। XIIवीं योजना में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम को जारी रखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 20.9.2013 को अनुमोदन दिया गया था और तदनुसार अक्तूबर, 2013 में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों में अब तक इन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) दिनांक 20.9.2013 को XIIवीं योजना के दौरान जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) की स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदित स्कीम के अनुसार केवल विशेष श्रेणी राज्यों [पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों-हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड और ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों] और विशेष क्षेत्रों (सामान्य श्रेणी के राज्यों के डीपीएपी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र) को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के मामले में केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है जोकि परियोजना लागत का 90% होती है और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों अथवा क्षेत्रों के मामले में यह परियोजना लागत का 25% है।

(ङ) घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि और शुरू किए गए जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर संबंधी स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	शुरू किए गए जल निकायों की संख्या		अब तक जारी की गई निधि
		2010-11	2011-12	
1.	आंध्र प्रदेश	1029	0	189
2.	बिहार	15	0	52.54
3.	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28	0	39.459
4.	मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78	0	9.95
5.	मेघालय उमियाम झील (लागत केवल सिंचाई से संबंधित)	1	0	2.42
6.	महाराष्ट्र	0	257	80.53
7.	गुजरात	0	34	10.61
8.	छत्तीसगढ़	0	131	34.68
9.	राजस्थान	0	16	7.07
10.	हरियाणा	0	3	9.56

विवरण-II

घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर संबंधी स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए जल निकायों और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जल निकायों की संख्या	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि	2011-12 के दौरान जारी निधि	2012-13 के दौरान जारी निधि	2013-14 के दौरान जारी निधि	जारी की गई कुल निधि
1.	ओडिशा	1321	72.12	75	70.33	0		217.45
2.	कर्नाटक	427	74.04	47.47	77.51	0		199.02
3.	आंध्र प्रदेश	1029		189	0	0		189
4.	बिहार	15		25	0	27.54		52.54
5.	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28		29.08	0	10.379		39.459
6.	मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78		7.33	2.62	0		9.95
7.	मेघालय उमियाम झील (लागत केवल सिंचाई से संबंधित)	1		1.78	0.64	0	कोई निधि जारी नहीं की गई	2.42
8.	महाराष्ट्र	258		0	80.53	0		80.53
9.	गुजरात	34		0	10.61	0		10.61
10.	छत्तीसगढ़	131		0	34.68	0		34.68
11.	राजस्थान	16		0	7.07	0		7.07
12.	हरियाणा	3		0	7.04	2.52		9.56
	कुल	3341	146.16	374.66	291.03	40.439		852.289

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

158. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितनी सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या एक हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों तक सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए वहां यातायात के अनुकूल सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़कों के निर्माण को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सड़क संपर्क से नहीं जोड़ी गई पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क (आवश्यक नालियां एवं क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ, जो पूरे वर्ष परिचालनीय हो) उपलब्ध करना है। 'विशेष श्रेणी के राज्यों', मरू भूमि क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा अभिज्ञात पिछड़े जिलों के संबंध में, पीएमजीएसवाई योजना का उद्देश्य 250 व्यक्तियों या उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सड़क संपर्क से नहीं जोड़ी गई पात्र बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 429 कि.मी. लंबाई की सड़क को शामिल करते हुए 132 सड़क कार्यों तथा 118 पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 413 करोड़ रुपए है। इस मंजूरी को मिलाकर, मंत्रालय ने अब तक राज्य के लिए योजना के अंतर्गत 29,650 कि.मी. लंबी सड़क को शामिल करते हुए 6,707 सड़क कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनकी लागत 8,333 करोड़ रुपए है। राज्य की सूचना के अनुसार राज्य ने 5359 करोड़ रुपयों के व्यय से 20,894 कि.मी. लंबाई की सड़क को शामिल करते हुए लिए 4619 सड़क कार्य पूरे कर दिए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से नहीं जोड़ी गई सभी पात्र बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

संदूषित भूजल

159. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जहां भूजल में आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड तत्व अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का उक्त क्षेत्रों में जल से उक्त रसायनों को अलग करने और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी राशि जारी की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूर्व-मॉनसून (अप्रैल/मई) के दौरान प्रत्येक वर्ष एक बार क्षेत्रीय स्तर पर उथले जलभृतों की भूमि जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और भूमि जल गुणवत्ता निगरानी के दौरान कुछ राज्यों के हिस्सों में भूमि जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट संदूषण पाया एवं सूचित किया गया है। आठ राज्यों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की उच्च सान्द्रता, उन्नीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फ्लोराइड को उच्च संकेन्द्रण, बीस राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में नाइट्रेट का उच्च संकेन्द्रण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में भूमि जल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित विनियामक प्राधिकरण है। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृत जोनों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करती है और राज्यों में संबंधित अभिकरणों को उनके उपयोग हेतु सफल अन्वेषणात्मक कुंओं को सौंपा जाता है। सीजीडब्ल्यूबी जल गुणवत्ता की समस्या का सामना करने में राज्य अभिकरणों को तकनीकी मार्गदर्शन भी मुहैया करती है चूंकि आर्सेनिक फ्लोराइड और नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण संदूषित जल भृतों की स्वास्थाने उपचार कठिन होता है, अतः उपचारी उपायों में जलापूर्ति की वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रीत किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन राज्यों/जिलों के नाम, जहां से भूजल में रासायनिक तत्वों के अधिक होने की सूचना दी गई है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फ्लोराइड (1.5 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	नाइट्रेट (45 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	आर्सेनिक (0.05 मि.ग्रा./ली. से अधिक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, गुंटूर, हैदराबाद, कडप्पा, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडाक, नलगोंडा, नेल्लौर, प्रकाशम, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडाक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी	
2.	असम	गोलपारा, कामरूप, करबीआंगलोंग, नौगांव, गोलाघाट, करीमगंज		शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, सोनितपुर, लखीमपुर, धेमाजी, हैलाकांडी, करीमगंज, काचर, बरपेटा, बोंगईगांव, गोलपारा, धुबरी, नलबारी, नवगांव, मोरीगांव, दरांग एवं बक्सा
3.	बिहार	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, बक्सर, गया जमुई, कैमूर (भबुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, सुपौल	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर (भबुआ), पटना, रोहतास, सारन, सीवान	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारन, वैशाली
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जंजगीर-चंपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जशपुर, कांकेर, कावरधा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव	राजनंदगांव
5.	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली	
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जूनागढ़, कच्छ, महेसाना, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महेसाना, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा	

1	2	3	4	5
7	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
8.	हिमाचल प्रदेश		उना	
9.	जम्मू और कश्मीर	रजौरी, उधमपुर	जम्मू, कठुआ, अनंतनाग, कुपवाड़ा	
10.	झारखंड	बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू, रामगढ़, रांची	चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, लोहरदग्गा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज	
11.	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमाराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, देवनगिरी, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मंड्या, मैसूर, रायचुर, तुमकुर	बंगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागू, कोलार, कोप्पल, कुर्ग, मांड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडूपी, उत्तर-कन्नडा	
12.	केरल	पालक्काड, अलप्पुझा, इदुक्की, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम	अलप्पुझा, इदुक्की, कोल्लम, कोट्टयम, कोषिक्कोड, मलप्पुरम, पालक्काड, पत्तनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, तृरशूर, वयनाड	
13.	मध्य प्रदेश	अलिराजपुर, बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, दिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, झबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, सिधि, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा	अलिराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, बुराहनपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, डिण्डोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झबुआ, खण्डवा, खरगोन, कटनी, मण्डला, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिधि, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमारिया, विदिशा	

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	अमरावती, बीद, चंद्रपुर, भंडारा, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, जालना, नागपुर, नांदेड़, रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, यवतमाल	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीद, भंडारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गौण्डिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नन्दुरबार, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, सांगली, सतारा, शोलापुर, वर्धा, वासिम, यवतमाल	
15.	मणिपुर			
16.	ओडिशा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बौध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, जाजपुर, क्योंझर, खुर्दा, मयूरभंज, नयागढ़, नवपाड़ा, सोनपुर	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बोलंगीर, बौध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जे. सिंहपुर, जाजपुर, झारसगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवपाड़ा, नयागढ़, फुलबनी, पुरी, संबलपुर, सुन्दरगढ़, सोनपुर	विष्णपुर, थोबल
17.	पंजाब	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, मनसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, रोपड़, संगरूर, तरन-तारण	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, मुक्तसर, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, रूपनगर, संगरूर, तरन-तारण	
18.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर	
19.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलोर, पुद्दुकोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरुवन्नामलाई,	चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, मदुरई, नामक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलोर, पुद्दुकोटाई,	

1	2	3	4	5
		तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवल्ली, वेल्लौर, विरुधनगर	रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरुवन्नामलाई, तंजावुर, तिरुनेवल्ली, तिरुवल्लूर, त्रिची, तूतीकोरीन, वेल्लौर, विल्लूपुरम, विरुधनगर	
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, एटा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, कन्नौज, ललितपुर, महामाया नगर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, संत रविदास नगर, वाराणसी	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, औरया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, रायबरेली, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, उन्नाव	बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, लखमीपुर, खेरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, संत, रविदास नगर, उन्नाव
21.	उत्तराखंड		देहरादून, हरिद्वार, उद्यमसिंहनगर	
22.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नादिया, पुरुलिया, उत्तरदिनाजपुर, दक्षिणी 24 परगना	बांकुरा-बर्द्धमान	बर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी-24 परगना, दक्षिणी—24 परगना

*मि.ग्रा./ली.—मिलीग्राम/लीटर

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों में भूजल

160. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूजल के अन्वेषण हेतु राज्य सरकारों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के तहत भूमि जल का अन्वेषण करता है। इस स्कीम के तहत, भूमि जल के अन्वेषण हेतु राज्य सरकारों को निधि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जल-संसाधनों का विस्तार

161. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में जल-संसाधनों के अभिवर्धन/विस्तार/पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान इस

प्रयोजनार्थ योजना-वार और राज्य-वार कितनी निधियों का आबंटन किया गया और इनका कितना उपयोग किया गया;

(ग) क्या पेयजल हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रिक्त पद

162. **श्री राजू शेट्टी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सुरक्षा में संबंधित विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ये किसी तिथि से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या इन पदों को भरने की कोई योजना है और यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) 31.10.2013 को रेलवे सुरक्षा बल के कुल स्वीकृत पद 74976 हैं जिनमें से 17471 पद रिक्त हैं। ये पद सेवानिवृत्ति, मृत्यु नए पदों के सृजन से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए पदों की तारीख भिन्न हैं। पदों (पदवार) का ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

क्र.सं.	पद	रिक्तियां
1	2	3
1.	महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल	0
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	1
3.	महानिरीक्षक (मुख्य सुरक्षा आयुक्त)	2
4.	उप-महानिरीक्षक (मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ अतिरिक्त मुख्य सुरक्षा आयुक्त)	1
5.	वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त/वरिष्ठ सीओ/उप-मुख्य सुरक्षा आयुक्त	5
6.	मंडल सुरक्षा आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त/सीओ	17
7.	सहायक सुरक्षा आयुक्त/सहायक आयुक्त	25
8.	निरीक्षक	412
9.	उप-निरीक्षक	926
10.	सहायक उप-निरीक्षक	1741
11.	हैड कांस्टेबल	6629
12.	कांस्टेबल	7071
13.	एनसीलरी/आर्टिजन	641
	कुल	17471

(ख) और (ग) जो पद बनते हैं और भरे जाते हैं वह एक सतत् प्रक्रिया है, तथापि रेल सुरक्षा बल में वर्तमान पदों के साथ-साथ नव सृजित पदों को भरे जाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस प्रक्रिया में 511 उप-निरीक्षकों की भर्ती के कार्य को पूरा किया गया तथा इन उप-निरीक्षकों का प्रशिक्षण 15.12.2013 से प्रारंभ हो जाएगा। 17087 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है तथा परिणाम प्रक्रिया में है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा निकट भविष्य में आयोजित की जाएगी।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

163. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 151.09 करोड़ रु. लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकार का आरंभिक शेष, भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा व्यय न किए गए शेष को एनबीए के केंद्रीय अंश के संबंध में निम्नवत् दर्शाया गया है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	दिनांक 01.04.2013 को आरंभिक शेष	2013-14 के दौरान 31.10.2013 तक जारी की गई निधि	2013-14 के दौरान 31.10.2013 तक जारी की गई निधि	31.10.2013 को व्यय न किया गया शेष
2013-14	149.68	323.24	150.72	322.20

[अनुवाद]

ऊर्जा परियोजनाएं

164. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाएं, जैसे तापीय, गैसीय और सौर ऊर्जा, विशेषकर पवन चक्की जनित ऊर्जा परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितना व्यय होने का अनुमान है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में नबीनगर में 1000 मेगा वॉट क्षमता वाला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने, 2000 समपार फाटकों, 200 रेलवे स्टेशनों, क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों की 21 इमारतों और 5 स्थानों की छतों पर 7.82 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग करने; और भारतीय रेलों पर पवन चक्की संयंत्रों से 168 मेगावाट ऊर्जा का उपयोग करने की योजना है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में आद्रा में 1320 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट और महाराष्ट्र में ठाकुरली में 700 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) नबीनगर (बिहार) पावर प्लांट की स्वीकृत परियोजना के लिए भारतीय रेल का इक्विटी अंशदान 417 करोड़ रुपए है जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी।

सौर और पवन परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए भारतीय रेल का वित्तीय फलितार्थ क्रमशः 128 करोड़ रुपए और 153 करोड़ रुपए है। ये संयंत्र दूर दराज के स्टेशनों, समपार फाटकों पर विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराएंगे और हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ दरों में भी कमी होगी।

आद्रा (पश्चिम बंगाल) और ठाकुरली (महाराष्ट्र) में प्रस्तावित परियोजना के लिए भारतीय रेल का इक्विटी अंशदान क्रमशः 666 करोड़ रुपए और 320 करोड़ रुपए है और इससे प्रतिवर्ष क्रमशः 672 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है।

(घ) नबीनगर में पावर प्लांट की पहली यूनिट 2014 तक आरंभ होने की संभावना है। आद्रा और ठाकुरली में परियोजनाओं की प्रगति इन संयंत्रों के लिए ईंधन आबंटित होने के बाद निर्धारित की जाएगी। सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग का कार्यनिधि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

रेल व्यय

165. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि के उपार्जन की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उत्पादकता-योजित बोनस की राशि और हाल में वर्धित महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान से रेल कोष पर वित्तीय दबाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे को 26,000 करोड़ रुपए की सकल अनुमानित बजटीय सहायता प्राप्त होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड द्वारा चालू वित्त वर्ष

2013-14 में लक्ष्य के अनुसार बाजार से 15,103 करोड़ रुपए जुटाए जाने की आशा है। निधियां मुख्य रूप से रेलवे चल स्टॉक के अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल की जानी हैं तथा 254 करोड़ रुपए की राशि रेल विकास निगम लिमिटेड को उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली कुछ लाभकारी रेलवे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण के रूप में दी जानी है।

(ग) जी, नहीं, महोदया उत्पादकता संबंद्ध बोनस एवं महंगाई भ त्ते की दूसरी किस्त के भुगतान पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

(घ) सकल बजटीय समर्थन के रूप में रेल मंत्रालय को 27,102 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए गए हैं। इसमें सामान्य राजकोष से पूंजी के रूप में 26,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1,102 करोड़ रुपए की राशि रेल सुरक्षा निधि में सरकारी अंशदान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि का आवंटन

166. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक प्रयोजनों हेतु अप्रयुक्त पड़ी भूमि का प्रदाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्योगों को ऐसी भूमि के प्रदाय के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने नए भू-अर्जन कानून के जरिए उद्योग जगत की चिंताओं का उपशमन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ग) भूमि और इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसाकि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टी संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। सरकारों द्वारा अधिगृहीत भूमि और लंबी अवधि तक इसके अप्रयुक्त पड़े रहने के संबंध में राज्य-वार डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

इसके अलावा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 27 सितंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड I, में 2013 के अधिनियम संख्या 30 के रूप में प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त अधिनियम, 2013 की धारा 101 में यह उपबंध है कि "जब इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई भूमि इसके अधिग्रहण किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त रहती है, तो उसे उसके मूल स्वामी अथवा स्वामियों अथवा उनके कानूनी वारिसों, जैसा भी मामला हो, अथवा समुचित सरकार के भूमि बैंक को प्रत्यावर्तन द्वारा उसी तरीके से वापिस कर दी जाएगी जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "भूमि बैंक" का तात्पर्य एक ऐसे सरकारी निकाय से है जिसका मुख्य कार्य सरकारी स्वामित्व वाली खाली, परित्यक्त, अप्रयुक्त अधिगृहीत भूमियों और कर-बकाया संपत्तियों को उपयोगी इस्तेमाल में परिवर्तित करना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में इस संबंध में पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। उपर्युक्त अधिनियम की धारा II में अन्य के साथ-साथ औद्योगिक कोरिडोर अथवा खनन कार्यकलापों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं जैसाकि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आदि में निर्धारित है।

[हिन्दी]

माही बांध संबंधी मामला

167. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के जालौर में गिरते भू-जल स्तर और पेयजल की कमी जैसी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान की दृष्टि से वहां लंबे समय से लंबित माही-बांध परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु कुल कितना बजट प्रस्तावित है;

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान के जालौर में भू-जल के घटते स्तर तथा पेयजल की कमी जैसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही बांध की कोई भी परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञान को प्रोत्साहन

168. श्री नरेनभाई काछादिया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाली द्रुत प्रगति के कारण विज्ञान के क्षेत्र में जन रूचि घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विज्ञान को प्रोत्साहन देने, विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में लोगों की रूचि पुनः उत्पन्न करने के लिए, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी में द्रुत प्रगति सहित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कारणों से विज्ञान के क्षेत्र में अभिरूचि में कमी के संबंध में विभिन्न मंचों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। तथापि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे सहायक कार्यनीतिगत क्षेत्र में रूचि कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी में द्रुत प्रगति से विभिन्न डिजीटल समूह/साधन की अभिगम्यता के जरिए विज्ञान में अनुसंधान क्रियाकलापों में सहायता मिली है। हाल के वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में भारत का निष्पादन संतोषजनक एवं प्रेरक है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनुसंधान प्रकाशनों में भारत की स्थिति वर्ष 2006 में 10वें स्थान से बेहतर होकर वर्ष 2010 में 9वां स्थान हो गई है। विश्व में भारत नैनो विज्ञान के क्षेत्र में तीसरा प्रमुख देश और वैज्ञानिक प्रकाशनों की अपेक्षा रसायन में 5वां देश है।

(ग) सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हासिल करने, आर्थिक विकास एवं समृद्धि लाने में विज्ञान का सुदृढ़ आधार होना आवश्यक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) प्रतिभावान युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसमें वे विज्ञान का अध्ययन करें और अनुसंधान में अपना करिअर बना सकें। इसमें अनुसंधान वृत्ति अवसर उपलब्ध कराने के लिए पुरस्कार योजना, छात्रवृत्ति योजना, अध्येतावृत्ति योजना और इंस्पायर संकाय योजना के जरिए विज्ञान संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान संबंधी अभिप्रेरणा और प्रयास के साथ देश के 10-32 वर्ष की आयु वर्ग वाले 12.3 लाख प्रतिभावान युवाओं को कार्य में लगाया गया है। प्रतिवर्ष आयोजित बाल विज्ञान कांग्रेस स्कूली बच्चों को भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान सहित विज्ञान एवं इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों के अवलोकन, संकलन और विश्लेषण तथा निष्कर्षों पर पहुंचने और निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक वातावरण एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाविधि के शिक्षण को प्रोत्साहित करने में विशेष अवसर उपलब्ध कराती है। लिंडाऊ, जर्मनी में नोबल पुरस्कार विजेताओं की बैठक विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि के बारे में भारतीय विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए डीएसटी का एक अन्य कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की ओर विद्यार्थियों को आकर्षित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की अनेक योजनाएं/कार्यक्रम हैं। इनमें किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई), राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियार्ड कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक अध्येतावृत्ति, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अध्योतावृत्ति (एसपीएमएफ), विज्ञान में नेतृत्व के लिए युवा संबंधी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक (सीपीवाईएलएस), अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) कार्यक्रम, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ/एसआरएफ), अनुसंधान एसोसिएटशिप आदि शामिल हैं। स्कूली बच्चों के लिए सीएसआईआर नवोन्मेष पुरस्कार बच्चों में बौद्धिक संपदा के लिए जागरूकता, अभिरूचि एवं उत्साह पैदा करने के लिए विशेष आविष्कार पुरस्कार है।

गुरुवायूर एक्सप्रेस से हुई दुर्घटना में मारे गए पशु

169. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि मदुरै जिले के समयनल्लूर के निकट, चेन्नै जा रही गुरुवायूर एक्सप्रेस गाड़ी के पशुओं के एक झुंड से टकराने के कारण कम से कम 55 पशु मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, हां। केवल 20 मवेशी मारे गए थे।

(ख) 30.09.13 को जब गाड़ी सं.16128 गुरुवायूर एक्सप्रेस समायानालूर-शोलावंदन स्टेशनों से गुजर रही थी तब कि.मी. 479/800-480/000 पर मवेशियों का एक झुंडु अचानक रेलवे ट्रेक पर आ गया। 20 गाएं गाड़ी के इंजन द्वारा कुचली गई और मारी गई।

(ग) सामान्य ग्रामीण प्रशासन के बीच व्यापक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। फील्ड कर्मचारियों को सलाह दी गई कि रेलवे ट्रेक के पास मवेशियों के झुंड को संभालने वाले मालिक/चरवाहों को समझाएं।

[हिन्दी]

हापुड़-खुर्जा रेल मार्ग पर रेल उपरि पुल

170. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मुरादाबाद रेल मार्ग पर हापुड़-खुर्जा लाइन पर एक रेल उपरि पुल बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां, रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 2013-14 में हापुड़ जिला क्षेत्र में हापुड़-खुर्जा रेलवे लाइन पर दो ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:—

1. **कि.मी. 60/1-2 पर समपार संख्या 39ए के बदले ऊपरी सड़क पुलः**

    (i) स्थल की व्यवहार्यता की जांच की गई है। सामान्य प्रबंधन आरेख (जीएडी) तैयार किए जा रहे हैं।

    (ii) रेलवे ने ऊपरी सड़क पुल की भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइन एवं ड्राइंग के कार्य के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए हैं। इस कार्य के लिए निविदा पर प्रक्रिया चल रही है।

2. **कि.मी. 59/11-12 पर समपार संख्या 37 के बदले ऊपरी सड़क पुलः**

    (i) सामान्य प्रबंधन आरेख तैयार करने के लिए रेलवे द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थल की व्यवहार्यता और स्थल डेटा की जांच की जा रही है।

    (ii) रेलवे द्वारा आंशिक अनुमान तैयार किए गए हैं और उक्त ऊपरी सड़क पुल की भू-तकनीकी जांच तथा डिजाइन और आरेख के लिए इनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

दिल्ली से लखनऊ यात्रा हेतु नई रेल गाड़ियां

171. श्री अशोक कुमार रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली से बरास्ता मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर होकर लखनऊ जाने हेतु नई शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय परिचालन एवं संसाधनों की कमी के कारण मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर के रास्ते दिल्ली से लखनऊ तक नई शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

विमानचालन प्रशिक्षण विद्यालय

172. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग देशभर में विमानचालन का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कुछ विद्यालयों द्वारा तथाकथित अनियमितताएं करने, मानकों का उल्लंघन करने और राजकोष को 190 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने नागर विमानन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और इस पर रिपोर्ट देने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) विभिन्न उड़ान विद्यालयों में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों की जांच की गई और इसमें तथाकथित शामिल तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने इस मामले की आगे जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से अनुमति भी मांगी है। मामले की जांच करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

मुहम्मद अली जिन्ना के भाषण

173. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी (एआईआर) ने मुहम्मद अली जिन्ना के दो महत्वपूर्ण भाषण पाकिस्तान को सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत से जिन्ना की अन्य रिकॉर्डेड सामग्री भी उसे सौंपने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या आकाशवाणी ने उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण समाचारों की जानकारी देने के लिए एक नि:शुल्क एसएमएस सेवा (लघु संदेश) शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्वर्गीय मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिनांक 03.06.1947 (अवधि 7 मिनट और 30 सेकेंड) और दिनांक रहित (अवधि 4 मिनट 30 सेकेंड) को दिए गए दो भाषणों को महानिदेशक, पाकिस्तान प्रसारण निगम को भेजा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सरकारी रूप से एसएमएस सेवा सितंबर, 2013 में आरंभ की गई थी। न्यूज हेडलाइन उपभोक्ताओं को एक दिन में तीन बार एसएमएस के माध्यम से नि:शुल्क प्रेषित की जाती है।

[हिन्दी]

जालसाजी के मामलों में वृद्धि

174. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जालसाजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र में जालसाजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का कोई विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) मीडिया के एक वर्ग में यह रिपोर्टें आई हैं कि एक धारा 25 कंपनी, "थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट" ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं, प्रवर्तकों/शीर्ष प्रबंधन द्वारा धनराशियों के अन्यत्र उपयेाग, लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ियों का पता न लगा पाने आदि जैसे कारकों की वजह से कंपनियों में धोखाधड़ियां होती हैं। किसी भी मामले में इन्हें कंपनियों में होने वाली धोखाधड़ियों के लिए स्वीकार्य कारण माना जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के जरिए कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों के 134 मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के तहत मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए गए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	जिन कंपनियों के जांच आदेश दिए गए उनकी संख्या
2011-12	12
2012-13	46
2013-14 (आज तक)	76 *
जोड़	134

(*इसमें उन पांच समूहों की वे 58 कंपनियां भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चिट फंड गतिविधियों के लिए जांच की जा रही है)

(घ) और (ङ) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं; जैसे:—

- हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 में मूल अपराध के रूप में "धोखाधड़ी" की परिभाषा;
- नए कंपनी अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट संचालन के सख्त मानदंड और उसका सख्ती से अनुपालन;

- एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा प्रदान करना;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम एससीआरए) और निक्षेपण अधिनियम में संशोधन करके प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से प्रतिभूति कानूनों का संशोधन, ताकि 'सेबी' पोंजी स्कीमों को चलाने वाली कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को कारगर ढंग से निपटा सके; और
- डेटा माइनिंग और न्याय संबंधी लेखा-परीक्षा तकनीक के जरिए संभाव्य धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

175. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधारों की सिफारिश करने हेतु कोई पैनल बनाया है और क्या उक्त पैनल ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जल-विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने तथा पर्यावरणगत मानकों में ढील देने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में जल-विद्युत के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार ने उक्त सिफारिशों पर क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) विद्युत मंत्रालय ने क्षमता में वृद्धि करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किसी पैनल का गठन नहीं किया है। तथापि, विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर समय-समय पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देने के लिए विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में, इस मंत्रालय द्वारा जल विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमति प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरणगत मानकों में ढील देने के संबंध में, मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां शीघ्र देने का अनुरोध कर रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जनता की जमा राशि हेतु अनिवार्य बीमा सुरक्षा

176. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों द्वारा संचित जनता की जमा राशि हेतु अनिवार्य बीमा सुरक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ीपूर्ण धन-संग्रह योजनाओं से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई/की जा रही है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम की धारा 73(2)(घ) में एक समर्थकारी प्रावधान है जिसके द्वारा जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली अनुमति प्राप्त कंपनियों के लिए "इस प्रकार के जमा बीमा का प्रावधान इस तरीके से और उस सीमा तक जैसा कि विहित किया जाए" करना अपेक्षित है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त नियम तैयार करना अपेक्षित होगा।

एचएनएल का कार्य-निष्पादन

177. **श्री जोस के. मणि : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) के पिछले एक वर्ष के दौरान वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की केरल के कोट्टायम स्थित एचएनएल के विनिवेश हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) ने 103282 मीट्रिक टन उत्पादन किया, जो इसकी स्थापित क्षमता का 103.2% है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल बिक्री 323.58 करोड़ रुपए थी। कंपनी को 18.17 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत-उत्पादन

178. **श्री के. सुगुमार :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान विद्युत-मांग के अभाव में 16 मिलियन यूनिट विद्युत का कम उत्पादन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी उक्त कारण के मद्देनजर अपनी अनेक परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंद गति से करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। एनटीपीसी को लाभार्थियों द्वारा दी गई कम समयावधि के कारण अप्रैल से अगस्त, 2013 की अवधि के दौरान कम उत्पादन (16.402 बिलियन यूनिट) करना पड़ा था। क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंद गति से नहीं कर रहा है।

विवरण

कम समयावधि (अप्रैल-अगस्त, 2013) के कारण अवसर की हानि (संस्थापित क्षमता के अनुसार)

स्टेशन	मिलियन यूनिट
1	2
सिंगरौली	149
रिहंद	533
ऊंचाहार	362
टांडा	14
दादरी (कोल)	858
बदरपुर	565
मौदा	211
कोरबा	454
विंध्याचल	827
सिपत	1527
रामगुंदम	217
सिम्हाद्री	223
फरक्का	958
कहलगोन	1405
तालचर कनिहा	295
एनटीपीसी (कोल)	8596
अंता	591
औरैया	1420
दादरी (गैस)	1425
फरीदाबाद	606
कवास	1409
गंधार	1422
आरजीसीसीपीपी	933
एनटीपीसी गैस	7805
एनटीपीसी योग	16402

कंपनी विधेयक, 2013

179. **श्री एन. धरम सिंह :** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी विधेयक, 2013 में कंपनियों को अकार्यशील कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के क्रम में, अवित्तकारी होने का अवसर प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों का ब्यौरा कया है जिन्होंने अकार्यशील कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ मृत कंपनियों को उक्त दर्जा प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (घ) दिनांक 29.08.2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त और दिनांक 30.08.2013 को राजपत्र में प्रकाशित कंपनी अधिनियम, 2013 केन्द्रीय सरकार को यथा अधिसूचित तिथियों से विभिन्न धाराओं को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की 98 धाराएं दिनांक 12.09.2013 को अधिसूचित की गई हैं। निष्क्रिय कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 समेत बाकी प्रावधान अभी अधिसूचित किए जाने हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को अधिसूचित करते समय नियमों को अधिसूचित करना भी विहित करता है। अत: समग्र रूप से पक्षकारों, आम नागरिकों के साथ और अन्य विनियामकों के साथ विस्तृत परामर्श किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयेाग पर से प्रतिबंध हटाना

180. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान के उड़ान भरने और उतरने के समय को छोड़कर, यात्रियों को यात्राकाल में टेबलेट, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि का उपयोग करने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागर विमानन मंत्रालय का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या सरकार का विमान-यात्रा के दौरान उक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर से प्रतिबंध को हटाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान ओर विकास के क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) नागर विमानन अपेक्षा के पैरा 3.1 और 3.2 खंड 5, सीरीज-X, भाग 1 में यह प्रावधान है कि "उड़ान के उद्देश्य से विमान पर चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति सदा किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल/सेलूलर फोन एमेचर रेडियो ट्रांसरिसीवर आदि का उपयोग नहीं करेगा, जिससे तीव्रता से रेडियो तरंगें संचारित होती हैं।"

विमान में ले जाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, तीव्रता से संचारित रेडियो तरंगें जैसे 'मोबाईल/एमेचर रेडियो ट्रांसरिसीवर के स्विच अनिवार्यत: बंद रखे जाएं।

उक्त नागर विमानन अपेक्षा के पैरा 3.3 में भी यह प्रावधान है कि "उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे— लैपटॉप कम्प्यूटर, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन यंत्रों, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जो तीव्रता से रेडियो तरंगें संचारित नहीं करते हैं, को यदि उड़ान में ले जाते हैं तो केबिन क्रू द्वारा उद्घोषणा किए अनुसार विमान के टेक्सिंग, टैक ऑफ, आरोहरण, अवतरण, अंतिम अवतरण और उड़ान के लैंडिंग फैजेस के दौरान विमान के भीतर इनका उपयोग नहीं किया जाएगा।"

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में, इस तरह का कोई प्रस्ताव नागर विमानन महानिदेशालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेन दुर्घटना

181. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उस दुर्घटना को संज्ञान में लिया है जहां महाराष्ट्र में ठाकुरली-कल्याण स्टेशन के बीच रेल ट्रैक के रखरखाव का कार्य करते हुए ट्रेन की चपेट में आकर चार गैंगमैन-मजदूर मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 03.11.2013 को लगभग 09.49 बजे गाड़ी संख्या 11029 (कोयना एक्सप्रेस) ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (पी.वे.), कल्याण के अधीन कार्यरत चार गेंगमेनों को कुचल दिया था, जो महाराष्ट्र में मध्य रेलवे पर कल्याण-ठाकुर्ली रेलवे स्टेशन (51/22 कि.मी.) के बीच मरम्मत का कार्य कर रहे थे।

(ग) और (घ) इसकी जांच के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जे.ए. ग्रेड) की समिति बनाई गयी जिसने पांच कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्ताव

182. श्री ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बारे में चार प्रमुख प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरल राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों (2010 से 2013) और चालू वर्ष (2013-14) के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है:—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)	सड़कों की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)
2010-11	256.27	220	621.46
2011-12	शून्य		
2012-13	शून्य		
2013-14 (30 नवंबर, 2013 तक)	457.04	320	745.94

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान

183. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी ध्रुव पर जलवायु परिवर्तन और अन्य परिवर्तनों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए सरकार द्वारा आज तक कितने कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों तथा अनुसंधानों का क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) सरकार का अन्य और कितने कार्यक्रम व अनुसंधान शुरू करने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आर्कटिक क्षेत्र में स्वालबर्ड द्वीपसमूह के नि-एलिजुंड (उत्तरी ध्रुव के दक्षिण में 1200 किमी. तक) में स्थित बृहत फियार्डों में से एक की मॉनिटरिंग पर दीर्घावधि कार्यक्रम चला रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी प्रतिक्रिया को समझा जा सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का अध्ययन करने हेतु दीर्घावधि व्यापक भौतिक, रासायनिक, जैविक और वायुमंडलीय मापन कार्यक्रम स्थापित करना है:—

(i) आर्कटिक/अटलांटिक जलवायु संकेतों में परिवर्तनीयता।

(ii) उष्ण अटलांटिक जल और ठंडे गिलेशियर से पिघले स्वच्छ जल के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया का।

(iii) जैविक उत्पादकता और फोटो प्लवक प्रजातियों की बनावट

(iv) और फियॉर्ड के भीतर विविधता पर प्रभाव।

(v) शीत संवहन तथा जैव भू-रासायनिक चक्र में इसकी भूमिका।

(vi) स्प्रिंग ब्लूम की विमोचक क्रियाविधि तथा इसकी कालिक परिवर्तनीयता एवं जैव मात्रा उत्पादन।

(vii) फियॉर्ड में जैविक कार्बन का उत्पादन और निर्यात।

इसी के साथ ही, फरवरी, 2013 को बेलमॉन्ट फोरम की दिल्ली बैठक में हुए समझौते के अनुसरण में, भारत और फ्रांस के नेतृत्व में एक नई वैश्विक पहल के रूप में आर्कटिक और अंटार्कटिक जलवायु परिवर्तनीयता और मानसून के बीच संबंध का अन्वेषण करने के लिए एक बहु-संस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधि प्रस्तावित हैं।

[अनुवाद]

नवाचार प्रोत्साहन समूह

184. श्री नवीन जिन्दल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवाचार प्रोत्साहन समूह (आईपीजी) की वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त उद्देश्यों को कितनी प्राप्ति हो रही है;

(ग) वर्ष 2012 और 2013 के दौरान तथा आज तक आईपीजी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से किए गए संवाद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आईपीजी ने क्या-क्या अनुशंसाएं की हैं और रेलवे ने इन पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) रेलों की कुशलता, यात्री संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु नवपरिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेल संगठनों, उद्योगों, विश्वविद्यालयों, नागरिकों आदि से विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से एक नवाचार प्रोत्साहन समूह (आईपीजी) का कार्य कर रहा है जिसमें रेल मंत्रालय के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की एक बहु-विभागीय टीम शामिल है।

(ख) से (घ) आईपीजी को जनता एवं रेलकर्मियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2012 और 2013 (अभी तक) के दौरान कुछ संगठनों से गुणवत्ता मानकों, ऊर्जा संरक्षण, चल स्टॉक का अनुरक्षण आदि सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा आरंभ की गई है। आईपीजी से प्राप्त सुझावों में अधिकांशत: सामान्य शिकायतें और व्यक्तिगत/स्थानीय मांगें हैं। यात्री सुरक्षा, संरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि मुद्दों पर आईपीजी से प्राप्त कुछ सुझावों को पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया है जबकि रेल प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अन्य सुझावों की अर्थक्षमता के लिए नियमित रूप से जांच की जा रही है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

वाहित मल का उत्पन्न होना

185. श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाहित मल निपटन प्रणाली में सुधार लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाहित मल निपटान प्रणाली में सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत अब तक अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को दी गई सहायता का कर्नाटक राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश में लघु मल वहन शोधन संयंत्रों को स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश में वाहित मल के उत्पन्न होने में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) भारत सरकार, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का संचालन करती है, जो एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करना है और स्वच्छ वातावरण को भी सुनिश्चित करना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम), निर्मल भारत अभियान के अनिवार्य घटकों में से एक घटक है और इस घटक के अंतर्गत कूड़ा खाद (कम्पोस्ट, पिट्स), बायोगैस संयंत्र, कम लागत पर मल-जल निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स/अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, संचयन, घरेलू कूड़े-कचरे को अलग-अलग करना और निपटान जैसे कार्यकलापों पर कार्रवाई की जा सकती है। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन का कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा सकता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर कुल सहायता निकाली जा सकती है जो कि 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवारों के लिए 12 लाख रुपए, 500 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 15 लाख रुपए, 500 परिवारों से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए के अधीन है। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम के लिए निधि केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 70:30 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी अतिरिक्त लागत की अपेक्षा को राज्य/ग्राम पंचायत की निधियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मल-जल उत्पन्न करना (सीवेज जनरेशन) अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

(ख) से (ज) राज्यों को उनके राज्यों में एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत उन्हें जारी की गई निधियों को उपयोग में लाना है। राज्यों द्वारा मंत्रालय की प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार, देश में 32223 एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के संबंध में कार्रवाई की गई है। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत कार्यान्वयन में एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं की संख्या और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एनबीए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन ग्राम पंचायतों की संख्या, जहां एसएलडब्ल्यूएम परियोजना शुरू की गई है	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1404	13880.00	9657.28	15022.69	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	119.26	204.88	986.92	0.00
3.	असम	143	9437.36	12251.18	11943.31	0.00
4.	बिहार	143	11259.76	17219.09	47814.55	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1249	5479.58	2702.42	5731.57	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	2710	4692.36	4308.28	3949.42	2630.19
9.	हरियाणा	2188	2361.49	335.27	0.00	12559.75
10.	हिमाचल प्रदेश	1183	2939.78	469.57	1666.96	2493.33
11.	जम्मू और कश्मीर	15	2792.51	967.95	3511.01	3306.61
12.	झारखंड	559	5466.98	7264.92	4193.31	0.00
13.	कर्नाटक	1008	4458.66	8709.28	15950.81	0.00
14.	केरल	363	2286.34	158.89	0.00	1347.12
15.	मध्य प्रदेश	8143	14402.60	15076.00	25779.96	26400.65
16.	महाराष्ट्र	1921	12911.70	5799.94	12409.22	0.00
17.	मणिपुर	63	80.30	1087.87	3509.18	0.00
18.	मेघालय	124	3105.23	1115.72	2540.01	3671.69
19.	मिज़ोरम	71	653.40	31.38	497.48	43.27
20.	नागालैंड	0	1229.45	174.06	2302.68	0.00
21.	ओडिशा	1142	6836.73	11171.70	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	87	1116.39	283.18	0.00	0.00
24.	राजस्थान	1901	5670.74	5424.41	13770.97	0.00
25.	सिक्किम	4	112.86	0.00	159.47	232.69
26.	तमिलनाडु	347	7794.35	7662.06	12811.68	15491.48
27.	त्रिपुरा	447	925.14	133.92	430.47	1295.84
28.	उत्तर प्रदेश	5726	22594.00	16920.72	25684.74	32324.44
29.	उत्तराखंड	806	1707.61	804.76	2541.96	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	476	8327.50	14124.34	30638.14	417.44
	कुल योग	32223	152642.08	144059.07	243846.51	102214.50

निर्मल भारत अभियान

186. **श्रीमती प्रिया दत्त : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों को स्वच्छता और स्वास्थ्यकर जीवनशैली के बारे में जन-जागरण करने, विशेषकर बच्चों में स्वास्थ्यकर आदतें डालने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में क्या कदम उठाए हो; और

(ग) सरकार ने 'निर्मल भारत अभियान' को सुदृढ़ करने और इस कार्य में और अधिक पंचायतों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हो?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत, सभी स्तरों पर जन-जागरूकता बढ़ाने के अतिरिक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायतों द्वारा शौचालयों के निर्माण एवं उनके उपयोग के लिए और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित तरीके से निपटान करके स्वच्छ वातावरण का सृजन करने में सामाजिक रूप से लोगों को एकजुट करने का कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण आबादी के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी शिक्षण हेतु अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। पंचायतों को स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण का प्रावधान सुनिश्चित कर साथ ही साथ विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी शिक्षण उपलब्ध कराकर स्थानीय विद्यालयों के साथ समन्वयन भी सुनिश्चित करना होता है एनबीए का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में, जिनमें अन्य के साथ-साथ महाराष्ट्र भी शामिल है, ग्रामीणों के बीच स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई रखने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षण एवं संप्रेषण (आईईसी) एवं क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियां चलाई जाती हैं। राज्यों द्वारा स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों के साथ शौचालयों को शामिल करने को प्राथमिकता देने की ओर भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसे कि अब निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कहा जाता है, जिसका 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012-13 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनबीए का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में एक चरणबद्ध, संतृप्तिबोध मोड में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के साथ सतत् व्यवहारगत परिवर्तन लाना है और परिणामों के रूप में "निर्मल ग्रामों" को प्राप्त करना है। नई कार्यनीति एक सामुदायिक संतृप्तिबोध दृष्टिकोण को अपनाकर ग्रामीण भारत को "निर्मल ग्राम" के रूप में बदलना है। एनबीए का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों हेतु स्वच्छता संबंधी शत-प्रतिशत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन परिणामों को प्राप्त करने में ग्राम पंचायतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एनबीए के तहत बजट आबंटन को 37,159 करोड़ रुपए की राशि तक बढ़ाकर और व्यक्तिगत पारिवारिक

शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए स्कूलों एवं आंगनवाड़ी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता समूहों के निर्माण के लिए उपलबध निधियों को बढ़ाकर अधिक से अधिक संख्या में पंचायतों के लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य रखती है।

एनबीए के अंतर्गत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) एवं पंचायत सदस्यों, ब्लॉक एवं जिला पदाधिकारियों, व्यापार में लगे बुनियादी स्तर के कर्मियों जैसे कि मिस्त्री गिरी, ईंटा बनाने, टॉयलेट पैन बनाने एवं प्लंबिंग का काम करने वाले लोगों में जन-जागरूकता पैदा करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु स्वच्छता संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

बीएचईएल परियोजनाएं

187. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) विद्युत परियोजनाओं से नए ऑर्डर नहीं मिलने के कारण चिंताजनक स्थिति का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान परियोजनाएं भी धीमी गति से चल रही हैं वित्तीय मुश्किलों के कारण अटकी पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो भेल को ऑर्डर दिलाने में मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) विद्युत/इलेक्ट्रिकल उपकरणों/केपिटल गुड्स संबंधी घरेलू विनिर्माणकारी उद्योग जिनका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) एक भाग है, 2011-12 से भारतीय विद्युत सेक्टर में मंदी तथा मंदगति से चल रहे औद्योगिक कार्यकलापों के कारण वर्तमान में सुस्त और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसा कारकों के संयोग के कारण है जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कारक शामिल हैं:—

- अनुपलब्धता/अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों/अवरोधों/समर्थ बनाने वाली आवश्यकताओं जैसे कि भूमि, कोयला/ईंधन संयोजनों, पर्यावरणीय अनापत्तियों आदि की कमी की वजह से घरेलू विद्युत सेक्टर बाजार में विकसित होने वाले नए ऑर्डरों में भारी गिरावट।
- ऑर्डरों का स्थगन अथवा रोक लिया जाना।
- निवेश की कमजोर इच्छा-शक्ति, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय अवरोध।
- सुपर-क्रिटिकल बॉयलरों और टरबाइन जेनरेटरों के लिए देश में नई कंपनियों/निजी सेक्टर में बनाए गए संयुक्त उद्यमों से आक्रामक प्रतिस्पर्धा, जो मूल्य प्राप्ति को प्रभावित करती है और लाभ पर प्रभाव डालती है।
- हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिकल उपकरण के आयात, मुख्य रूप से चीन से आयात में तीव्र वृद्धि, जिसके कारण घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माताओं को व्यवसाय की हानि हो रही है।
- मुद्रास्फीति का दबाव और ब्याज दरों का बढ़ना जिससे लागत/घरेलू मांग और पूंजी की लागत पर प्रभाव पड़ता है।
- विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा सहे जा रहे अवसंरचना अवरोधों सहित समान स्तर की प्रतिस्पर्धा की कमी।
- घरेलू विद्युत परियोजनाओं की अन्य के साथ वित्तपोषण के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) पर बढ़ी हुई उच्चतम सीमा, जो सामान्यत: देश के बाहर से उपकरण मंगाने को सुविधाजनक बनाती है।
- वैश्विक मंदी, राजनीतिक हलचल, सीरिया जैसे देशों में सशस्त्र संघर्ष, जिसके कारण निर्यात की मांग घटी, आदि।

उपर्युक्त कारणों ने बीएचईएल जो घरेलू बाजार में अग्रणी कंपनी है, सहित घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माताओं की ऑर्डर बुक करने की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करने के साथ ही इनके क्षमता उपयोग को कम किया है।

(ग) कुछ वर्तमान विद्युत परियोजनाएं ग्राहकों के सुपुर्दगियों के लिए भुगतान जारी करने में अवरोध और उनके द्वारा सामना की जा रही अन्य बाध्यताओं के कारण धीमी गति से चल रही हैं या अटकी पड़ी हैं जिसके कारण उन परियोजनाओं की प्रगति में कमी आ रही है।

(घ) भारी उद्योग विभाग और विद्युत मंत्रालय नियमित रूप से बीएचईएल के साथ समीक्षा बैठक करता है और उपयुक्त अंत:क्षेपों के माध्यम से अन्य सरकारी एजेन्सियों/विभागों/मंत्रालयों आदि के साथ मुद्दे उठाने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

जबलपुर मंडल के कर्मचारी

188. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मंडल के अंतर्गत झुकेही डिपो में तैनात रेल कर्मियों को वहां से हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य स्टेशनों पर तैनात क्रू कर्मचारियों को लदाई एवं उतराई कार्यों के लिए भाड़े पर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे की ऐसी कार्रवाई से उक्त स्थानों में कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) क्रू मुख्यालय के औचित्य की लगातार समीक्षा की जा रही है। जुकेही में 9 सैट क्रू तैनात थे, इनमें से 4 सैट को गाड़ियों की औसत गति, क्रू रन, कार्य के घंटे संबंधी नियम आदि के आधार पर परिचालन को ध्यान में रखते हुए जबलपुर/सतना में स्थानांतरित कर दिया गया है। सतना और न्यू कटनी जंक्शन में इन क्रू का उपयोग केवल गाड़ी परिचालन के लिए किया गया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विक्रेताओं पर प्रतिबंध

189. **श्री एस. पक्कीरप्पा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेगाड़ियों में विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने विक्रेताओं के हित के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) खानपान/वेंडिग लाइसेंसधारियों के प्राधिकृत स्टॉफ को यात्रा प्राधिकार के साथ उचित पहचान पत्र जारी किए जाते हैं ताकि उनके लिए मोबाइल और स्थैतिक यूनिटों में खानपान सेवा की सुचारू व्यवस्था की जा सके।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परिवारों को बिजली

190. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :**
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों के दौरान देश में सभी परिवारों एवं गांवों/बस्तियों को 24 घंटे एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गयी है;

(ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मरों के अक्सर जल जाने की खबरें आयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे जले ट्रांसफार्मरों के कब तक बदले जाने की संभावना है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन द्वारा ग्रामीण घरों को बिजली की पहुंच प्रदान करने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को बिजली के निःशुल्क सिंगल पावर कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया था। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबॉन (आरईडीबी) और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) की स्थापना करने के लिए पूंजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत के 90% की व्यवस्था की है और बिजली की वहन योग्य पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए बीपीएल घरों को बिजली के निःशुल्क सिंगल प्वाइंट कनैक्शन जारी करने की भी व्यवस्था की गई है। तथापि, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति का उत्तरदायित्व वितरण कंपनियों/राज्य सरकार के विद्युत विभागों का है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए 12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है:—

(i) 10वीं और 11वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्यों को पूरा करना।

(ii) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष जनगणना गांवों और आवासों को शामिल करना।

(iii) शेष पात्र बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करवाना।

(ग) से (ङ) जी, हां, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संस्थापित कुल ट्रांसफार्मरों के जलने की सूचना प्राप्त हुई है। ट्रांसफार्मरों के जलने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:—

(i) गैर-प्राधिकृत कनैक्शनों/गैर-कानूनी रूप से कांटा डालने के कारण ओवरलोडिंग

(ii) स्कीम के अंतर्गत घरों को दिए गए कनैक्शनों में अनुमोदित भार की तुलना में संबद्ध भार अधिक होना।

(iii) अतिरिक्त भार अथवा खराबी के मामले में आग लगने की घटना से बचने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों में उपर्युक्त सुरक्षा प्रणाली है। जब इन सुरक्षाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो अतिरिक्त भार अथवा खराबी की स्थिति में वितरण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं।

अवसंरचना के डिस्कॉम/विद्युत विभागों को सौंपे जाने से पूर्व, जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत/बदलाव कार्यान्वयन एजेंसी का उत्तरदायित्व होता है। सौंपे जाने के पश्चात्, इसका उत्तरदायित्व डिस्काम/विद्युत विभागों को स्थानांतरित हो जाता है जिनसे इसे उनके उचित मानदंड एवं प्रक्रियाएं अपनाकर इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की आशा की जाती है।

ट्रांसफार्मर के जलने की घटनाओं को काफी हद तक कम करने के लिए 12वीं योजना को परियोजनाओं में बीपीएल कनैक्शन के लिए 250 वाट और एपीएल कनैक्शन के लिए 500 वाट पर विचार करके भार के वास्तविक मूल्यांकन पर विचार किया गया है। इसके अलावा, राज्यों से वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर 12वीं योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का अनुरोध किया गया है ताकि भार के सही अनुमान के लिए परिवारों की सही संख्या का पता लगाया जा सके। 12वीं योजना के अंतर्गत, 63 और 100 केवीए के बड़े वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) को भी औचित्य के साथ वास्तविक क्षेत्रीय मांग के आधार पर, यदि राज्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण

191. **डॉ. बलीराम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले किन औपचारिकताओं को पूरा करना होता है;

(ख) दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों/विज्ञापनों को कौन-सी एजेंसियां/समितियां स्वीकृति प्रदान करती हैं;

(ग) दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सेंसर बोर्ड में नामित पदधारियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले संभावित कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रसार भारत ने सूचित किया है कि दूरदर्शन लोक सेवा प्रसारक है तथा उसके अपने मापदंड/दिशानिर्देश हैं। बाह्य निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन को उसके सामाजिक उद्देश्यों (प्रसारण कोड) के अनुरूप विषय-वस्तु और शैली के रूप में कार्यक्रम दिए जाते हैं। बाह्य निर्माता दूरदर्शन की वेबसाइट www.ddindia.gov.in पर उपलब्ध स्कीम (स्कीमों) के अनुसार अपने प्रस्ताव देते हैं।

(ख) बाह्य निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विशिष्ट समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा उन्हें अनुमोदित किया जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु विज्ञापन दूरदर्शन विज्ञापन सेवा, नई दिल्ली, विपणन प्रभाग, मुंबई और संबंधित केन्द्रों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जहां विज्ञापन 'वाणिज्यिक विज्ञापन कोड के अनुसार' प्रसारित किए जाने हैं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व कार्यक्रम की विषय-वस्तु का इन-हाउस पूर्वावलोकन समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। दूरदर्शन केंद्र में ड्यूटी अधिकारी/प्रसारण निष्पादक प्रसारण के दौरान कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग और लॉग करते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल समपार

192. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उन जलापूर्ति परियोजनाओं से गुजरने वाले रेल-समपारों के निर्माण के प्रस्ताव रेल विभाग के पास लंबित पड़े हैं, जहां इस निर्माण कार्य से काफी सारे गांवों की जलापूर्ति के बाधित होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (ग) जल आपूर्ति से संबंधित सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग

के लिए विभिन्न एजेंसियों/व्यक्तियों से रेलों को आवेदन प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और यदि प्रस्ताव पूर्ण और व्यवहार्य हो, गाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित न करता हो और पार्टी ने अपेक्षित शुल्क जमा करा दिया हो तथा सारी अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कर ली हो तो अनुमति दी जाती है। इस समय गुजरात राज्य में 32 प्रस्ताव क्षेत्रीय रेलों के विचाराधीन हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और रेलवे फास्ट ट्रैक पर अनुमोदन प्रदान करने का प्रयास करती है।

विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध की स्थापना

193. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों से बचने के लिए ऐसी मीडिया रिपोर्टों, कॉर्पोरेट प्रेस विज्ञाप्तियों एवं विज्ञापनों की संवीक्षा हेतु विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध की स्थापना करने या स्थापना का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया है जिसका प्रभाव कंपनियों के शेयर मूल्यों पर पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से और कॉर्पोरेट जगत से संबंधित बाजार निगरानी के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में वर्ष 2009 से एक बाजार अनुसंधान और विश्लेषण इकाई (एमआरयू) कार्य कर रही है। एमआरयू ये इनपुट अन्य एजेंसियों के साथ भी साझा करता है। एमआरयू के कार्य संचालन को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति ने वित्त, सांख्यिकी और तकनीक के क्षेत्र में अपेक्षित तकनीक और दक्ष लोग लाने की सिफारिश की है। इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

लघु सिंचाई परियोजना

194. **श्री हेमानंद बिसवाल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में लघु सिंचाई परियोजना के लिए जारी केन्द्रीय सहायता का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में राज्य-वार इस प्रकार कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई है;

(ग) क्या तीसरी लघु सिंचाई जनगणना रिपोर्ट के अंतर्गत चिन्हित सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जल संसाधन मंत्रालय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जोकि एक राज्य क्षेत्र स्कीम है, के माध्यम से नई और चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए राज्यों को निधि उपलब्ध करा रहा है। विगत पांच वर्षों में एआईबीपी के तहत सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ओडिशा सहित राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत पांच वर्षों में एआईबीपी के तहत सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ओडिशा सहित सृजित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) संदर्भ वर्ष 2000-01 सहित जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई तीसरी लघु सिंचाई गणना में राज्य निधि और एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता दोनों के साथ पूरा किए गए सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं के आंकड़े शामिल हैं। तीसरी लघु सिंचाई गणना में एआईबीपी के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं की कोई अलग सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विवरण-I

विगत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ओडिशा सहित राज्यों को जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	विगत पांच वर्षों के दौरान जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	33.958	30.780	48.6350	33.7883	54.6651	201.8264

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	322.7044	577.9694	356.9030	377.7456	414.0209	2049.3433
3.	मणिपुर	39.5600	42.5403	40.5000	44.5500		167.1503
4.	मेघालय	24.8009	22.5018	110.1951	81.3011	59.8639	298.6628
5.	मिज़ोरम	50.7176	36.4500	51.0921	42.1101		180.3698
6.	नागालैंड	48.5979	57.2860	70.0000	72.6525	76.9910	325.5274
7.	सिक्किम	0.000	2.6049	14.3639	33.7144		50.6832
8.	त्रिपुरा	20.5065	31.3488	0.0000	34.8751	17.7500	104.4804
9.	हिमाचल प्रदेश	37.5078	37.8195	32.4000	47.1152	48.5190	203.3615
10.	जम्मू और कश्मीर	297.7547	158.0534	110.7215	163.4678	155.2400	885.2374
11.	ओडिशा (केबीके)	24.1697	40.5000	27.8538			92.5235
12.	उत्तराखंड	371.6580	127.0063	160.0600	232.7513	148.8013	1040.2769
13.	आंध्र प्रदेश	231.66	0.00	0.00	141.75		373.4100
14.	छत्तीसगढ़	151.021	16.0383	131.7986	179.1856	141.7400	619.7837
15.	मध्य प्रदेश	51.7594	173.372	202.5023	211.2880	471.7069	1110.6290
16.	महाराष्ट्र	210.992		256.1439	77.2109	178.8416	723.1887
17.	बिहार	34.8489		32.3535	15.5303	9.7200	92.4527
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	8.10	4.46		12.5561
19.	राजस्थान		14.170	0.000			14.1700
20.	कर्नाटक		48.5066	34.6388	59.1674	161.6000	303.9128
21.	झारखंड			231.6474	224.4158	53.2646	509.3278
	कुल	1952.2173	1416.9477	1919.9089	2077.0755	1992.7243	7366.1494

विवरण-II

विगत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ओडिशा सहित राज्य-वार क्षमता

क्र. सं.	राज्य	विगत पांच वर्षों के दौरान सृजित क्षमता (हैक्टेयर)					कुल सृजित क्षमता (हैक्टेयर)
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	9293.00	5079.00	3399.00	4683.00		22454.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	27212.00	54323.40	22538.60	46310.00	36362.40	186746.40
3.	मणिपुर	5928.00	2072.00	1579.00	8284.00	1638.00	19501.00
4.	मेघालय	815.00	2669.17	5901.810	21691.00		31076.98
5.	मिज़ोरम	5655.00	3866.00	4925.00	4102.00		18548.00
6.	नागालैंड	4867.00	11108.00	3325.00	11458.00		30758.00
7.	सिक्किम	805.20	914.35	0.00	183.00	4889.79	6792.34
8.	त्रिपुरा	1056.00	1389.00	640.00	1294.00	370.00	4749.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5600.00	15238.00	7059.23	8177.89	17312.89	53388.01
10.	जम्मू और कश्मीर	44396.00	14203.00	35636.04	28979.00	15820.00	139034.04
11.	ओडिशा (केबीके)	900.00	3843.70	1500.00	1495.30		7739.00
12.	उत्तराखंड	52029.000	17263.78	19828.12	17202.52	21670.96	127994.38
13.	आंध्र प्रदेश	1293	1221	435.00	7179.00	3616.00	13744.00
14.	छत्तीसगढ़	6488	7272	4731.00	36429.00	3186.00	58106.00
15.	मध्य प्रदेश	4825	1092	11674.00	26907.00	11611.00	56109.00
16.	महाराष्ट्र	17381	10914	6542.00	5104.00		39941.00
17.	बिहार			23466.00			23466.00
18.	पश्चिम बंगाल	2760		992.00	1290.00	84.40	5126.40
19.	राजस्थान			448.00			448.00
20.	कर्नाटक		352	2245.71	10405.76	13507.00	26510.47
21.	झारखंड				26000.00		26000.00
	कुल	191303.20	152820.40	156865.51	267174.47	130068.44	898232.02

[हिन्दी]

विनियमित प्रशुल्क प्रणाली

195. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से बिजली खरीदना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा विद्युत क्षेत्र में विभिन्न साझेदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र ऋणदाताओं ने सरकार से दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौतों के माध्यम से विद्युत खरीद हेतु वर्तमान मानदंडों के विकल्प के रूप में विनियमित प्रशुल्क प्रणाली की ओर वापस लौटने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2006 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति राज्यों को दिनांक 06.01.2011 के पश्चात् कुछ क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट छूटों की शर्त पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत प्रापण को अधिदेशित करती है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालनस्वरूप, केन्द्र सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006 में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा मामला-2 परियोजनाओं (जिसका विनिर्दिष्ट स्थल और क्षेत्र हो) और वर्ष 2009 में और समय-समय पर संशोधित मामला-1 परियोजनाओं से (जहां स्थल, प्रौद्योगिकी या ईंधन विनिर्दिष्ट नहीं है) विद्युत के दीर्घावधिक प्रापण के लिए अहर्ता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) और विद्युत क्रय करार (पीपीए) वाले मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) कोर भी जारी किया है।

जहां तक ऊर्जा के अपांरपरिक स्रोतों से विद्युत का प्रापण का प्रश्न है, प्रशुल्क नीति की धारा 6.4 यह विनिर्धारित करती है कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जहां तक संभव हो, वितरण लाइसेंसियों द्वारा समान अपांरपरिक स्रोतों से ऊर्जा की प्रस्तावित आपूर्तियों के भीतर, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से इस प्रकार का प्रापण किया जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं को दिसंबर, 2015 तक प्रतिस्पर्धी बोली से छूट दे दी गई है।

विद्युत उद्योग के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा लाना विद्युत अधिनियम, 2003 का एक प्रमुख बिंदु है। प्रतिस्पर्धा से पूंजीगत लागतों में कमी और प्रचालनों की कुशलता से भी उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ दिलाने की आशा की जाती है। यह प्रतिस्पर्धात्मक कीमत के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क दरों पर विद्युत में निजी क्षेत्र के वृहतर निवेश को लाना है। सीईआरसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 14 परियोजनाओं में से यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली रूट के अंतर्गत प्रशुल्क के मामले में 12 परियोजनाएं लागत सहित पहुंच से कम हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के किसी भी ऋणदाता ने सरकार से दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों के माध्यम से विद्युत प्रापण के लिए वर्तमान मानदंडों के विकल्प के रूप में विनियमित प्रशुल्क प्रणाली में वापस जाने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

'मनरेगा' के तहत मांग

196. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या एवं 100 दिन का रोजगार पाए परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में लागू की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार मांगने वाले तथा 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) जी, हां। मनरेगा योजना देश के राज्यों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र यह कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यत: शहरी क्षेत्र हैं।

(ग) शुरूआत से पिछले रिपोर्ट तक इस योजना से 5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मजदूरी रोजगार के दिवसों की संख्या वर्ष 2006-07 में मात्र 90.5 करोड़ श्रम दिवसों से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 228.16 करोड़ श्रम दिवस हो गई है। प्रति परिवार श्रम दिवसों की औसत संख्या 42 दिनों (2008-09) से 54 दिनों (2009-10) तक रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान नवंबर, 2013 तक 105.99 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। मौजूदा वर्ष के दौरान हालांकि प्रति परिवार औसतन 32 श्रम दिवसों का सृजन किया गया है, लेकिन अनुसूचित जातियों की भागीदारी 55 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 39 प्रतिशत दर्ज की गई है।

(घ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार है:—

- यदि मस्टर रोल बंद किए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान न किया जाए तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए हर्जाने से संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से मनरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी है।
- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने तथा ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों या डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी का वितरण (यदि विशेष छूट न दी गई हो) सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है।
- मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक समयावधि को कम करने के लिए राज्य सरकारों को इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (e-FMS) शुरू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 18 राज्यों ने e-FMS प्रणाली शुरू कर दी है। राज्यों के लिए e-FMS प्रणाली शुरू करने की समय-सीमा मार्च, 2014 तय की गई है।
- मजदूरी वितरण का संस्थागत प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन से बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कोरसपोंडेंट मॉडल शुरू करने अनुदेश राज्य सरकारों को दिए गए हैं।
- मनरेगा के लिए समर्पित कर्मचारियों की तैनाती, सामाजिक लेखा-परीक्षा, शिकायत निपटान के लिए प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक सहायता संरचनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है।
- जॉब कार्डों, मस्टररोल, मांगे गए रोजगार और काम के दिनों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/उपयोग में लाई गई निधियों, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों, शिकायतों के पंजीकरण इत्यादि के आंकड़े जांच के लिए जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस शुरू की गई है। कार्यों के फोटो अपलोड करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- मौजूदा जॉब कार्डों पर फोटो लगाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मस्टररोल में छेड़छाड़ और उनके दुरुपयोग के मामलों की रोकथाम के लिए ई-मस्टररोल शुरू करें।
- सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समेन नियुक्त करें।
- इस योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित कर दी गई हैं।

विवरण

रोजगार की मांग करने वाले/100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (22.11.2013 तक)	
		रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6200423	964713	4998016	948870	5816077	995394	5058001	196842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	151574	602	14979	0	144953	1867	81184	0
3.	असम	1807788	45490	1355103	15750	1247499	9807	874742	579
4.	बिहार	4763659	284063	1805317	170227	2178864	180254	1548739	31590
5.	छत्तीसगढ़	2485581	184497	2739202	207643	2732188	244259	2148906	42868
6.	गुजरात	1097483	67653	836961	41767	749838	52316	398551	7876
7.	हरियाणा	237480	9077	278471	13742	302187	19924	251946	3022
8.	हिमाचल प्रदेश	447064	22052	529187	48043	546065	40394	433722	4746
9.	जम्मू और कश्मीर	497617	60224	440254	37050	658689	69381	312196	2625
10.	झारखंड	1989083	131149	1582170	58080	1434313	86634	912928	24814
11.	कर्नाटक	2414441	131575	1663498	45144	1470564	105926	754782	14358
12.	केरल	1186356	67970	1418062	124821	1693879	340483	1465198	2517
13.	मध्य प्रदेश	4445781	467119	3895759	304477	3520343	193641	1651103	12188
14.	महाराष्ट्र	453941	28240	1520457	197185	1643859	230981	956573	60269
15.	मणिपुर	437228	109339	380571	112239	457895	2422	324915	0
16.	मेघालय	357523	19576	335781	35181	332268	42672	281269	2588
17.	मिज़ोरम	170894	131970	175664	72513	175679	34146	169288	0
18.	नागालैंड	350815	190261	372956	81790	386906	53864	365324	365
19.	ओडिशा	2030029	204229	1391497	47629	1766512	75085	1408409	20665
20.	पंजाब	278567	5243	246104	3786	247315	3831	260387	1223
21.	राजस्थान	6156667	495830	4705748	335621	4535876	421836	3193820	89816
22.	सिक्किम	56401	25695	55839	8746	57194	11869	46401	352
23.	तमिलनाडु	4969140	1102070	6375637	602619	7104701	1348723	5663404	217039
24.	त्रिपुरा	557413	81442	567101	199503	597436	226293	583050	1807
25.	उत्तर प्रदेश	6581786	600559	7363574	309033	5233492	70545	4627052	32188
26.	उत्तराखंड	542391	25412	471192	22324	443684	22690	175691	1506
27.	पश्चिम बंगाल	5011657	104967	5532363	119604	5844809	253087	3604023	8733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17937	174	19912	2205	18212	2199	9214	15
29.	दादरा और नगर हवेली	2290	0	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	13997	413	11174	143	5064	0	2125	1
32.	लक्षद्वीप	4507	71	3891	133	1963	40	741	0
33.	पुदुचेरी	38574	137	42554	202	41448	4	39778	3
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	55756087	5561812	51128994	4166070	51389772	5140567	37603462	780595

स्रोत: एमआईएस

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

197. **श्री अर्जुन राय :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार भविष्य में रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए रेलवे के उच्च्व प्राधिकारियों की अनुमति लेना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के नाम जांच रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी बड़ी रेल दुर्घटनाओं की जांच नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयुक्तों (सीआरएस) द्वारा की जाती है। रेल सुरक्षा आयुक्तों की प्राथमिक रिपोर्ट को रेल सुरक्षा आयोग द्वारा रिलीज किए जाने के तुरंत बाद सार्वजनिक कर दिया जाता है। रेल सुरक्षा आयुक्त की दुर्घटना संबंधी अंतिम रिपोर्ट को, रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में निहित जांच परिणामों/सिफारिशों के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में रेल मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने के बाद सार्वजनिक किया जाता है। रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट का प्रकाशन रेल दुर्घटनाएं नियम, 1998 में सांविधिक जांच की धारा 5 के अनुसार किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, रिपोर्टों के प्रकाशन के संबंध में सिफारिशें रेल सुरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा उनको सूचित किए गए अनुसार की जाएंगी, यदि मुख्य आयुक्त की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड के कुछ प्रतिबंध होते हैं तो इस मामले पर अंतिम निर्णय केन्द्रीय सरकार (नागर विमानन मंत्रालय), द्वारा लिया जाएगा।

(ङ) नागर विमानन मंत्रालय, जिसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा आयोग कार्य करता है, ने रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति की भूमिका की जांच नाम से किसी की जिम्मेदारी ठहराना आयुक्तों द्वारा दुर्घटना संबंधी जांच में शामिल नहीं किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि चूंकि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का हवाला नहीं दिया जाएगा, इसलिए आरोपी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम रिपोर्ट का तत्काल प्रकाशन किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सासन यूएमपीपी का प्रचालन

198. **श्री रमेश राठौड़ :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न रिजन लोड डिस्पैच सेंटर (डब्ल्यूआरएलडीसी) ने सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को विवादास्पद बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं विद्युत के प्रशुल्क पर इसके प्रभाव सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) सासन यूएमपीपी के वाणिज्यिक प्रचालक तिथि पर विवाद के कारण इसके साथ विद्युत खरीद समझौता करने वाले विभिन्न राज्यों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विवाद के समाधान एवं सरकारी राजकोष की वित्तीय हानि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सासन यूएमपीपी ने स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 101.38 मे.वा. की परीक्षित क्षमता सहित 31 मार्च, 2013 को 0000 बजे से अपनी यूनिट-3 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) की घोषणा की और 101.38 मे. वा. की परीक्षित क्षमता की तुलना में 620.4 मे.वा. की क्षमता आरंभ करने की घोषणा की। वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (डब्ल्यूआरएलडीसी) ने "सीओडी की घोषणा और सासन यूएमपीपी का समय निर्धारण" मामले में 25 अप्रैल, 2013 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में एक याचिका दायर की। सीईआरसी ने दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को आयोजित अपनी सुनवाई में, सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) द्वारा दायर की गई एक अन्य याचिका में 20 जून, 2013 को आदेश दिया कि 101.38 मे.वा. के लिए सीओडी की घोषणा को जारी नहीं रखा जा सकता है और यह कि एसपीएल को सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों पर अन्य परीक्षण करना चाहिए। एसपीएल ने सीईआरसी के दिनांक 20 जून, 2013 के आदेश पर रोक लगाने के लिए 1 जुलाई, 2013 को विद्युत अपील प्राधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष एक अपील दायर की थी। माननीय एपीटीईएल ने सीईआरसी के दिनांक 20 जून, 2013 के आदेश पर किसी रोक की अनुमति नहीं दी और दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अपील का निपटारा कर दिया गया। माननीय एपीटीईएल ने दिनांक 12 अगस्त, 2013 को अपना फैसला सुनाया और मामले से मुद्दों पर निर्णय लेने और निधि अनुसार उपयुक्त आदेश देने के लिए सीईआरसी को वापिस भेज दिया। मामला अभी भी सीईआरसी में लंबित है।

इस दौरान, दिनांक 3 अगस्त, 2013 को प्रापणकर्ताओं और एसपीएल के बीच एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 11 अगस्त से 14 अगस्त, 2013 के बीच कार्यनिष्पादन पुनःपरीक्षण किया जाए। मुख्य प्रापणकर्ता एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 11 अगस्त, 2013 से 14 अगस्त, 2013 के बीच संचालित कार्यनिष्पादन पुनःपरीक्षण के परीक्षण परिणामों पर दिनांक 16 अगस्त, 2013 को डब्ल्यूआरएलडीसी को अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया।

(ग) और (घ) डब्ल्यूआरएलडीसी ने सीईआरसी के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया है और एसपीएल के किसी भी लाभार्थी राज्य को कोई भी वित्तीय हानि नहीं की है। मामला अभी भी सीईआरसी में लंबित है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

199. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री प्रहलाद जोशी :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र और उनकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता एवं पूरी क्षमता से उन्हें प्रचालित करने के लिए गैस की आवश्यकता की तुलना में उनके द्वारा वास्तविक उत्पादित विद्युत का संयंत्र-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक संयंत्रों को आवंटित गैस एवं उनके लिए किए गए विद्युत खरीद समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन हेतु स्वदेशी प्राकृतिक गैस तथा दीर्घावधि संविदा पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है एवं गैस की कमी के कारण देश में अप्रयुक्त गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) गैस आधारित विद्युत संयंत्र की अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग एवं उनसे विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को अधिक गैस आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान

देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत की तुलना में उनके 90% पीएलएफ पर पूर्ण भार पर प्रचालित करने के लिए गैस की आवश्यकता के संयंत्र तथा राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) इन संयंत्रों में से प्रत्येक को आबंटित गैस (आरएलएनजी सहित) के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं। बाधित गैस विद्युत संयंत्रों की सूची विवरण-III के रूप में संलग्न है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में यथा उपलब्ध दीर्घावधि/अल्पावधि पीपीए वाली गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार द्वारा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग और उनसे विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

सरकार ने विद्युत कंपनियों को उनके किसी एक संयंत्र के लिए आवंटित प्राकृतिक गैस को अन्य संयंत्र को आवंटित करने की अनुमति देने हेतु ईंधन के उपयोग के मानदंडों को शिथिल किया है ताकि इष्टतम प्रचालन प्राप्त किए जा सकें। विद्युत संयंत्रों के बीच क्लबिंग/डाइवर्जन, शुरू किए गए इन्हीं उपायों में से एक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा 1/1/2013 को एक ही कंपनी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/डाइवर्जन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त, एमओपीएनजी ने संयंत्रों के लचीले ढंग से प्रचालन को सुगम बनाने के लिए विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की रोस्टरिंग के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप भी परिचालित किया है, ताकि पीएलएफ और इस प्रकार से उत्पादन में सुधार किया जा सके। इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने के लिए, सरकार विद्युत संयंत्रों को गैस की अतिरिक्त उपलब्धता हेतु हर संभव प्रयत्न कर रही है और देश में गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में आरएलएनजी के आयात को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(ङ) गैस की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में किसी नए गैस आधारित विद्युत संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय 2015-16 तक किसी नए गैस विद्युत संयंत्र की योजना नहीं बनाने हेतु एक निर्देश (एडवाइजरी) जारी कर चुका है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान संयंत्र-वार उत्पादन (अप्रैल-अक्तूबर, 2013)

क्र. सं.	विद्युत केन्द्र	संस्थापित (मेगावाट)	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता (एमएमएससी एमडी)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर, 2013)
1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
1.	फरीदाबाद सीसीपीपी (एनटीपीसी)	431.59	2.07	3155.40	3067.72	2402.85	1066.39
राजस्थान							
2.	अनता सीसीपीपी (एनटीपीसी)	419.33	2.01	2487.90	2694.60	2176.45	1087.64
3.	धौलपुर सीसीपीपी	330.00	1.58	1994.87	2253.77	1162.69	554.32
4.	रामगढ़ (आरआरयूवीएनएल, जैसलमेर)	113.80	2.32	301.13	536.79	497.89	385.16
5.	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें	110.00	0.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00
	कुल	973.13	6.44	4783.90	5485.16	3837.03	2027.12

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली							
6.	आई.पी. सीसीपीपी	270.00	1.30	1368.32	1243.72	1308.21	662.15
7.	प्रगति सीसीजीटी-III	1250.00	5.99	6.09	331.38	1437.14	642.44
8.	प्रगति सीसीपीपी	330.40	1.59	2335.78	2560.05	2508.35	1360.91
9.	रिठाला सीसीपीपी	108.00	0.52	88.80	241.83	138.82	0.22
	कुल	1958.40	9.40	3798.99	4376.98	5392.52	2665.72
उत्तर प्रदेश							
10.	औरया सीसीपीपी (एनटीपीसी)	663.36	3.18	4369.34	3878.62	2774.82	1144.75
11.	दादरी सीसीपीपी (एनटीपीसी)	829.78	3.98	5399.88	5376.07	4417.58	2025.70
	कुल	1493.14	7.16	9769.22	9254.69	7192.40	3170.45
गुजरात							
12.	एनटीपीसी गांधार (झानोर)	657.39	3.16	4058.06	3684.07	3478.60	1799.96
13.	कवास सीसीपीपी (एनटीपीसी)	656.20	3.15	3882.14	3638.40	2900.99	857.77
14.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	218.62	1.05	891.38	1008.70	849.80	117.69
15.	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.10	0.75	1022.81	907.62	701.27	179.81
16.	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351.00	1.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00
17.	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518.00	2.49	2947.22	2987.98	954.77	8.31
18.	वाटवा सीसीपीपी	100.00	0.48	670.53	459.26	125.19	0.00
19.	बरौदा सीसीपीपी	160.00	0.77	843.55	668.74	377.17	269.33
20.	एस्सार सीसीपीपी	300.00	2.47	1443.70	135.89	481.47	0.00
21.	पेगुथान सीसीपीपी	655.00	3.14	3667.45	3067.07	1405.80	183.67
22.	सुजैन सीसीपीपी	1147.50	5.51	8216.99	7592.16	4119.87	1372.71
23.	पीपावाव सीसीपीपी	351.00	1.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.50	1.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2.16
	कुल	5653.31	28.16	27643.83	24149.89	15394.93	4791.41

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र							
25.	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967.00	10.66	11876.85	11619.08	522.18	921.05
26.	उरान सीसीपीपी (महाजैंको)	672.00	3.23	5587.39	4668.78	3741.07	2224.56
27.	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180.00	0.86	1568.79	1567.90	1596.58	725.00
	कुल	2819.00	14.75	19033.03	17855.76	5859.83	3870.61
आंध्र प्रदेश							
28.	गौतमी सीसीपीपी	464.00	2.23	3331.07	2898.67	997.36	0.00
29.	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, काकीनाडा	220.00	1.06	960.49	1200.03	393.39	0.00
30.	गोदावरी सीसीपीपी	208.00	1.00	1464.36	1282.46	1032.98	553.18
31.	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी	455.40	2.19	3094.23	2833.49	1689.04	542.52
32.	कोनासीमा सीसीपीपी	445.00	2.14	2350.49	2266.22	914.92	3.08
33.	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366.00	1.76	2043.68	2203.54	661.51	0.00
34.	कोंडाप्पली सीसीपीपी	350.00	1.68	2133.77	2030.94	1768.38	876.90
35.	पेड्डा पुरम सीसीपीपी	220.00	1.06	1427.37	1318.82	713.20	269.01
36.	वीमागिरी सीसीपीपी	370.00	1.78	2815.56	2066.81	960.77	177.51
37.	विजेश्वरन सीसीपीपी	272.00	1.31	लागू नहीं	लागू नहीं	1168.17	632.37
38.	श्रीबा इंडस्ट्रिज	30.00	0.14	64.46	52.56	लागू नहीं	0.00
39.	आरवीके एनर्जी	28.00	0.13	43.19	39.25	लागू नहीं	0.00
40.	सिल्क रोड सुगर	35.00	0.17	27.67	12.18	लागू नहीं	0.00
41.	एलवीएस विद्युत	55.00	0.26	37.18	12.12	लागू नहीं	0.00
	कुल	3518.40	16.91	19793.52	18217.09	10299.72	3054.57
तमिलनाडु							
42.	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107.00	0.51	663.76	705.75	726.74	315.90
43.	कुटलम (टांगेडो)	100.00	0.48	172.58	413.29	55.84	361.98
44.	वलूथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.20	0.89	547.67	1114.56	937.31	672.58

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	करूपपुर सीसीपीपी	119.80	0.58	820.38	797.10	881.96	413.00
46.	पी. नालूर सीसीपीपी	330.50	1.59	2494.06	1526.19	1817.92	665.06
47.	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.80	0.25	370.17	377.51	380.42	180.13
	कुल	896.30	4.30	5068.62	4934.40	4800.19	2608.65
पुदुचेरी							
48.	करायकाल सीसीपीपी	32.50	0.16	195.45	251.46	230.76	64.78
असम							
49.	कटहलगुरी सीसीपीपी (नीपको)	291.00	1.40	1833.87	1765.17	1680.33	1011.50
50.	लाकवा जीटी (एएसईब, मैबेल्ला)	157.20	1.10	766.25	771.99	886.13	489.69
51.	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119.00	0.57	529.81	565.73	533.21	299.90
52.	डीएलएफ असम जीटी	24.50	0.12	67.42	0.00	0.00	43.93
	कुल	591.70	3.19	3197.35	3102.89	3099.67	1845.02
त्रिपुरा							
53.	अगरतला जीटी	84.00	0.58	644.10	666.12	632.73	379.61
54.	बरमपुरा जीटी	58.50	0.41	225.82	357.62	347.37	142.73
55.	रोखिआ जीटी	90.00	0.63	443.50	419.10	416.47	241.89
56.	त्रिपुरा सीसीपीपी	363.30	1.74	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	595.80	3.36	1313.42	1442.84	1396.57	764.22

विवरण-II

गैस विद्युत संयंत्रों को आबंटित गैस

क्र. सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम	आबंटित गैस (एमएमएससीएमडी)				
				एपीएम (फर्म)	नॉन एपीएम/ अन्य	आरएलएनजी एलटी	केजीडी-6 (फर्म)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय क्षेत्र								
1.	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	1.95	0.49	0.2	0.35	2.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	एनटीपीसी, अनंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	1.71	0.43	0.5	0.24	2.88
3.	एनटीपीसी, औरया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	2.43	0.6	1	0.3	4.33
4.	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	2.93	0.72	0.3	0.86	4.81
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	2344.06		9.02	2.24	2	1.75	15.01
5.	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात	0.6	0	0	0.63	1.23
6.	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	2.19	0.35	0	2.08	4.62
7.	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	0	0.9	0	7.6	8.5
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	3280.59		2.79	1.25	0	10.31	14.35
8.	कटहलगुरी (नीपको)	291	असम	1	0.4	0	0	1.4
9.	अगरतला जीटी (आर.सी. नगर)	84	त्रिपुरा	0.75	0	0	0	0.75
10.	त्रिपुरा सीसीपीपी	363.3	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
	उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	738.3		1.75	0.4	0	0	2.15
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)	6362.95		13.56	3.89	2	12.06	31.51
राज्य क्षेत्र								
11.	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	0.84	0.36	0.60	0.00	1.80
12.	प्रगति सीसीजीटी-III	1250	दिल्ली	0.00	1.56	0.00	0.93	2.49
13.	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	1.75	0.30	0.20	0.00	2.25
14.	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	0.00	1.50	0.00	0.10	1.60
15.	धौलपुर सीसीपीपी	113.8	राजस्थान	0.75	0.70	0.00	0.00	1.45
16.	धौलपुर सीसीपीपी	110	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	2404.2		3.34	4.42	0.80	1.03	9.59
17.	पीपावाव सीसीपीपी	351	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	218.62	गुजरात	0.20	0.05	0.25	0.44	0.94
19.	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	0.00	0.80	0.00	0.01	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518	गुजरात	0.28	0.00	0.24	1.45	1.97
22.	उरान सीसीपीपी (महाजैंको)	670	महाराष्ट्र	3.50	0.00	0.00	1.40	4.90
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	2266.72		3.98	0.85	0.49	3.30	8.62
23.	करायकाल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुदुचेरी	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
24.	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107	तमिलनाडु	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
25.	कुटलम (टांगेडो)	100	तमिलनाडु	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
26.	वलूथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	0.45	0.24	0.00	0.00	0.69
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	425.7		1.53	0.24	0.00	0.00	1.77
27.	लाकवा जीटी (एएसईबी, मैबेल्ला)	157.2	असम	0.40	0.55	0.00	0.00	0.95
28.	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
29.	बरमपुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
30.	रोखिआ जीटी (टीएसईसीएल)	90	त्रिपुरा	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
	उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	424.7		1.96	0.55	0.00	0.00	2.51
	कुल (राज्य क्षेत्र)	5521.32		10.81	6.06	1.29	4.33	22.49
निजी क्षेत्र								
31.	वाटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
32.	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	1.50	0.00	1.00	0.00	2.50
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	280		1.50	0.00	1.00	0.37	2.87
निजी आईपीपी क्षेत्र								
33.	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
	उप-जोड़ (उत्तर क्षेत्र)	108		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
34.	बरौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	0.28	0.08	0.30	0.09	0.75
35.	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात	0.00	0.13	0.40	1.30	1.83
37.	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	0.00	0.90	0.39	3.31	4.60
38.	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	2645		0.28	1.11	1.09	5.87	8.35
39.	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	1.96	0.00	0.00	1.86	3.82
40.	जीएमआर-काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88
41.	गोदावरी सीसीपीपी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	0.90	0.53	0.00	0.00	1.43
42.	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	2.00	0.44	0.00	1.09	3.53
43.	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	1.60	0.00	0.00	1.78	3.38
44.	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46
45.	कोडाप्पली सीसीपीपी	350	आंध्र प्रदेश	1.46	0.50	0.00	0.36	2.32
46.	पेड्डा पुरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	0.64	0.20	0.00	0.25	1.09
47.	वीमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	1.64	0.00	0.00	1.48	3.12
48.	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49.	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12
50.	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
51.	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
52.	एलवीएस विद्युत	55	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
53.	करूपपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
54.	पी. नालूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
55.	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	0.30	0.08	0.00	0.00	0.38
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	4021.5		11.00	3.25	0.00	9.71	23.96
56.	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	24.5		0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
	कुल (आईपीपी एस)	6799		11.28	4.46	1.09	15.98	32.81
	कुल निजी	7079		12.78	4.46	2.09	16.35	35.68
	सकल योग	18963.27		37.15	14.41	5.38	32.74	89.69

विवरण-III

बाधित गैस संयंत्र

क्र. सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)*	1967	महाराष्ट्र
	उप-जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)	1967	
2.	केजी डी-6 पर धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	नरंतज
3.	केजी डी-6 पर उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	नरंतज
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	486	
	कुल (राज्य क्षेत्र	486	
4.	वाटवा (सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	100	
5.	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)*	108	दिल्ली
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	108	
6.	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात
7.	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)*	655	गुजरात
8.	एस्सार सीसीपीपी	300	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र	2102.5	
9.	जीएमआर-काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
10.	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11.	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
12.	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
13.	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
14.	सवीएस विद्युत	55	आंध्र प्रदेश
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	734	
	केजी डी-6 में मुख्य रूप से	5497.5	

1	2	3	4
बिना गैस आवंटन के प्रारंभ हुए नए संयंत्र			
1.	प्रगति सीसीजीटी-III	500	दिल्ली
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	500	
2.	पीपावाव सीसीपीपी	351	गुजरात
3.	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	702	
	कुल (राज्य क्षेत्र)	1202	
4.	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
	उप-जोड़ (बिना आबंटन के प्रारंभ हुए नए संयंत्र)	1584.5	
	मुख्य ग्रिड से जुड़े कुल बाधित संयंत्र	7082.0	
उपर्युक्त संयंत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार संयंत्र या तो बाधित हैं अथवा अत्यंत निम्न पीएलएफ पर प्रचालित हैं:—			
1.	गौतमी सीसीपीपी	464.00	आंध्र प्रदेश
2.	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड - काकीनाडा	220.00	आंध्र प्रदेश
3.	कोनासीमा सीसीपीपी	445.00	आंध्र प्रदेश
4.	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी*	455.40	आंध्र प्रदेश

*अत्यन्त निम्न पीएलएफ पर प्रचालित।

विवरण-IV

गैस आधारित परियोजनाओं के पीपीए

क्र. सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य में स्थित	पीपीए की स्थिति
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	430	हरियाणा	हरियाणा के साथ दिनांक 22.12.95 को किए गए करार प्रारंभ में दिनांक 21.12.2010 तक वैध थे। तथापि, पीपीए तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करेगा।

1	2	3	4	5
2.	अंता सीसीजीटी	413	राजस्थान	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करता है।
3.	औरैया सीसीजीटी	652	उत्तर प्रदेश	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करता है।
4.	दादरी सीसीजीटी	817	उत्तर प्रदेश	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करता है।
5.	कवास सीसीजीटी	644	गुजरात	01.11.93 में जीयूवीएनएल, एमपीपीटीसीएल, एमएसईडीसीएल, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, सीएसईबी, एमपीएकेवीएनएल के साथ पीपीए प्रारंभ में 31.10.97 तक वैध था। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करता है।
6.	गांधार सीसीजीटी	648	गुजरात	01.11.95 में जीयूवीएनएल, एमपीपीटीसीएल, एमएसईडीसीएल, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, सीएसईबी, एमपीएकेवीएनएल के साथ पीपीए प्रारंभ में 31.10.97 तक वैध था। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् विद्युत आहरित करता है।
7.	आरजीपीपीएल (दाभोल) सीसीजीटी (1300 मेगावाट वाणिज्यिक प्रचालनाधीन)	1300	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल के साथ अप्रैल, 2007 में पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
	उप-जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)	4904		

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
8.	उतरन सीसीजीटी	144	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
9.	हजीरा सीसीपीपी - (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
10.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.62	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
11.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल) एक्सटें.	112	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
12.	उरन सीसीजीटी	912	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
13.	प्रगति सीसीजीटी	330.4	दिल्ली	दिल्ली डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
14.	आई.पी. सीसीजीटी	282	दिल्ली	दिल्ली डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
15.	दबोलपुर जीटी	330	राजस्थान	राजस्थान के डिस्कॉमों के साथ 30.04.2005 को पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
	उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र)	2373.12		
निजी क्षेत्र				
16.	वाटवा सीसीजीटी (एईसी)	100	गुजरात	अहमदाबाद में टोरेंट पावर लिमिटेड के लाइसेंस क्षेत्र को आपूर्ति की गई। एमईआरसी प्रशुल्क आदेश के रूप में बेस्ट, मुम्बई में टाटा पावर डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस।
17.	ट्रॉम्बे सीसीजीटी	180	महाराष्ट्र	एमईआरसी प्रशुल्क आदेश के रूप में मुम्बई में वेस्ट मुम्बई, टाटा पावर डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुम्बई के साथ पीपीए।
18.	जीपीईसी पेगुथान सीसीजीटी	655	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ 3 फरवरी, 1994 को पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
19.	जीआईपीसीएल स्टे.-III सीसीजीटी	160	गुजरात	पीयू एवं राज्य प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर।
20.	एस्सार सीसीजीटी	300	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
21.	टोरेंट सुर्जन	1128	गुजरात	मैसर्स टोरेंट ने सूचित किया है कि क्षमता का लगभग 75% अहमदाबाद और सूरत वितरण को आपूर्ति की जाएगी।

1	2	3	4	5
				अहमदाबाद और सूरत पीटीसी 100 मेगावाट में टीपीएल-वितरण एईसी एवं एसईसी को 835 मेगावाट के साथ पीपीए, 15 मेगावाट के लिए दाहेज एसईजेड के लिए टीईएल-दाहेज
22.	गौतमी सीसीजीटी	464	आंध्र प्रदेश	एपीएसईबी के साथ दिनांक 31.03.97 को पीपीए पर हस्ताक्षर। दिनांक 18.06.2003 को संशोधन।
23.	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके)	235.4	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ दिनांक 19.04.2003 को संशोधन एवं पुनः वर्णित पीपीए पर हस्ताक्षर।
24.	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके) एक्सटें.	220	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ दिनांक 18.06.2003 को पीपीए पर हस्ताक्षर।
25.	कोनासीमा सीसीजीटी	445	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को/एपी डिस्कॉमों के साथ 26.05.2003 को पीपीए पर हस्ताक्षर और दिनांक 21.11.2003, 12.01.2005 तथा 08.11.2010 को संशोधित करार।
26.	कोंडाप्पली सीसीजीटी	350.00	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2015 तक एपी ट्रांस्को के साथी पीपीए।
27.	समलकोट सीसीपीपी/ पेड्डापुरम	220	आंध्र प्रदेश	सीओडी अर्थात् 24.12.2002 से 15 वर्षों के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर।
28.	बीमागिरी	370	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को सहित एपी डिस्कॉमों के साथ 15 वर्षों के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर।
29.	गोदावरी सीसीजीटी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ 18.04.2016 को समाप्त होने वाले के साथ पीपीए।
	उप-जोड़ (निजी क्षेत्र)	5035.4		
	कुल (केन्द्रीय+राज्य+निजी)	12312.52		
30.	लैंको कोंडापल्ली एक्सटें.	366	आंध्र प्रदेश	एपी डिस्कॉमों के साथ लघु अवधि पीपीए
31.	तानीर बावी, जीईएल काकीनाडा	220	आंध्र प्रदेश	एपी डिस्कॉमों के साथ लघु अवधि पीपीए
32.	रिठाला	108	दिल्ली	एनडीपीएल (स्वयं की आवश्यकता के लिए) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर।
33.	बवाना*	1500	दिल्ली	नई दिल्ली पावर लिमिटेड के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, हरियाणा पावर परवेज सेंटर 10% पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन 10%, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ हस्ताक्षर प्रस्तावित।
34.	उतरन सीसीपीपी	374	गुजरात	जीयूवीएनएल के साथ दिनांक 25.02.2008 को पीपीए पर हस्ताक्षर।
	कुल	2568		

1	2	3	4	5
35 क.	#विजेश्वरन गैस टर्बो पावर स्टेशन स्टे.-I एवं II	272	आंध्र प्रदेश	त्रिपक्षीय करार के रूप में पूर्ववर्ती एपीएसईबी, शेयर धारकों और एपीजीपीसीएल के साथ मसझौता ज्ञापन।
35 ख.	#विजेश्वरन गैस टर्बो पावर स्टेशन स्टे.-III**	700	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रास्को के साथ पीपीए।
	उप-जोड़	972		
	सकल योग	15852.52		

*1250 मेगावाट विद्यमान है और अभी तक 750 मेगावाट के लिए गैस उपलब्ध है।

**272 मेगावाट विद्यमान है और 700 मेगावाट विस्तार निष्पादन के अधीन है।

#समूह कैप्टिव संयंत्र।

सीसीआई को विद्युत

200. श्री उदय सिंह : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने उसे और अधिक शक्तियां देने की वकालत की है ताकि वह अनुचित बाजार प्रैक्टिसों की प्रभावी जांच करने के लिए सीधे तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करने में समर्थ हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीसीआई द्वारा जिन कंपनियों पर अर्थदंड लगाया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा इस सिलसिले में कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(घ) अर्थदंड जमा न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) लोक सभा में प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कथित तरीके से समर्थ बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक अभी विचार और रिपोर्ट के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ग) आयोग ने 25.11.2013 तक विभिन्न मामलों में 154 पार्टियों पर 8024.18 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई है जिसमें से 58 पार्टियों से 19.37 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल और सरकारी खाते में जमा की जा चुकी है।

(घ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आर्थिक शास्ति की वसूली का तरीका) विनियम, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार शास्ति वसूली योग्य है।

ग्रामीण जनसंख्या को ऋण

201. श्री एम. आनंदन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक जहां सभी बैंकों के अस्सी प्रतिशत बैंक स्व-सहायता समूहों को सहायता देते हैं, की तुलना में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे कई राज्यों में स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध ऋण एवं ऋण मांग के बीच अंतराल अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अधिक गरीबी वाले राज्यों में स्व-सहायता समूहों को जुड़ाव बढ़ाने के लिए एवं उनके लिए बैंक ऋण सुविधा सुलभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) "स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनेंस इन इंडिया" शीर्षक से नाबार्ड की वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दक्षिणी राज्यों में 35,21,425 स्व-सहायता समूहों के बचत खाते खोले गए तथा 24,01,220 स्व-सहायता समूहों को ऋण (68.1%) दिए गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के ऐसे में स्व-सहायता समूहों की संख्या क्रमशः 20,47,503 और 9,62,934 (47%) थी। इन राज्यों में बैंकों में बचत खाते खुलवाने और ऋण पाने वाले स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

1. एसजीएसवाई को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के नाम से 3 जून, 2011 को

स्व-सहायता समूहों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के तहत समर्पित कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से शुरू किया गया। एनआरएलएम को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें संबंधित एसआरएलएम के गहन क्षेत्रों के रूप में 177 जिलों और 1157 ब्लॉकों का चयन किया है। देश के गहन ब्लॉकों में स्व-सहायता समूहों और बैंकों को संबद्ध करने के लिए समर्पित कर्मचारी भर्ती किए गए हैं।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जून, 2013 को "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-आजीविका के रूप में ससजीएसवाई का पुनर्गठन" विषय में एनआरएलएम पर मास्टर सर्कलुर जारी किया था जिसमें स्व-सहायता समूहों को ऋण देने की प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं।

3. स्व-सहायता समूहों और बैंकों को संबद्ध करने पर जोर देने के लिए राज्य स्तर पर इस विषय में उप-समिति गठित की गई है।

4. स्व-सहायता समूहों को ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एनआरएलएम के तहत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान शुरू किया गया है। चुनिंदा 150 जलों में सभी महिला स्व-सहायता समूहों को 7% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा और शीघ्र ऋण चुकाने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी। शेष जिलों में यह योजना एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले सभी स्व-सहायता समूहों पर लागू की जाएगी, ताकि शीघ्र ऋण चुकाने पर उन्हें 7% की ब्याज दर पर ऋण मिल सके।

5. नाबार्ड द्वारा चलाई जाने वाली महिला स्व-सहायता समूह योजना के तहत 150 जिलों में 30.09.2013 तक 80,742 स्व-सहायता समूह गठित किए गए जिनमें से 19,357 समूहों को ऋण प्राप्त हुए।

विवरण

बैंकों में बचत खाते खुलवाने वाले और ऋण सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	बचत खाते खुलवाने वाले समूह	ऋण पाने वाले समूह	बैंकों से संबद्ध समूहो का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1421393	1356720	95%
2.	बिहार	270890	185309	68%
3.	गुजरात	208410	72671	35%
4.	झारखंड	85334	61728	72%
5.	कर्नाटक	645695	379305	59%
6.	केरल	581325	153336	26%
7.	मध्य प्रदेश	159457	65358	41%
8.	महाराष्ट्र	687717	219651	32%
9.	राजस्थान	231763	129571	56%
10.	तमिलनाडु	873012	511859	59%
11.	उत्तर प्रदेश	403932	228646	57%
	कुल	5568928	3364154	60%

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र संबंधी संधि

202. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, चीन एवं बांग्लादेश ने ब्रह्मपुत्र नदी जल प्रवाह, इसके पानी को साझा करने तथा बाढ़ आदि के परिणामस्वरूप निचले क्षेत्रों की पारिस्थितियों को खतरे के संबंध में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या उनका ऐसा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर सभी घटनाक्रमों की निगरानी करती है। निचला तटवर्ती राज्य होने के नाते, भारत ने उच्चतम स्तरों समेत चीन के प्राधिकारियों को अपने विचारों और चिंताओं से अवगत कराया है। भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि

प्रतिप्रवाह क्षेत्रों में किसी कार्यकलाप के चलते अनुप्रवाह क्षेत्र के राज्यों के हितों को नुकसान न पहुंचे। अक्तूबर, 2013 में माननीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों ने सीमा-पार नदियों के संबंध में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

[अनुवाद]

डीजीसीए द्वारा निःशुल्क एयर टिकट

203. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेख :
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) के पदाधिकारियों ने सुरक्षा जांच एवं निगरानी कार्यों के लिए वर्ष 2009 से 2012 के बीच 2750 निःशुल्क एयर टिकट जारी किए हैं एवं इन 2750 निःशुल्क टिकटों में से 2400 एयर टिकट इन पदाधिकारियों के पति/पत्नियों, संबंधियों एवं सहायकों को व्यक्तिगत यात्रा हेतु जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निःशुल्क एयर टिकटों के दुरूपयोग एवं मानदंडों के उल्लंघन के लिए डीजीसीए के पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निःशुल्क एयर टिकट विपथित करने वाले इन पदाधिकारियों से सरकार राशि वसूल करेगी एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अनियमितताओं को रोकने एवं हानि कम करने के लिए निःशुल्क रियायती टिकटों के दुरूपयोग पर एयर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी ही जांच कराने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सुरक्षा निरीक्षण एवं निगरानी कार्य करने के लिए वर्ष 2009 से 2012 के बीच नागर विमान महानिदेशालय के किसी भी अधिकारी को कोई मुफ्त टिकट जारी नहीं किया गया है। तथापि, नागर विमान महानिदेशालय के पास उपलब्ध डाटा के अनुसार वैमानिकी सूचना परिपत्र संख्या 2/1978 (एआईसी) के अंतर्गत वर्ष 2009 से 2012 के दौरान नागर विमान महानिदेशालय के अधिकारियों को विभिन्न कार्यालयीन कार्यों को करने के लिए 2784 टिकट जारी किए गए थे।

(ग) जी, नहीं। तथापि, एक मामले में नागर विमान महानिदेशालय के तत्कालीन निजी सचिव द्वारा एआईसी 2/1978 का दुरुपयोग किए जाने का एक मामला ध्यान में लाया गया था और विभागीय कार्रवाई करते हुए यह मामला दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया था।

(घ) क्योंकि मुफ्त टिकटें जारी नहीं की जाती हैं अतः प्रश्न नहीं उठता। ऊपर उल्लिखित एआईसी 2/1978 के प्रावधानों के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी अपने उपर्युक्त कार्यालयीन कार्यों के संबंध में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ानों के लिए ट्रैफिक अधिकार

204. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयर इंडिया एवं निजी भारतीय विमान वाहकों को ट्रैफिक अधिकार आवंटित करने के लिए कोई नीति अंगीकार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उन्हें अग्रिम प्रबंध करने में समर्थ बनाने के लिए पहले ही ट्रैफिक अधिकार आवंटित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कई विभिन्न नए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग अगले तीन सीजनों में उड़ान भरने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) एक नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा एअर इंडिया सहित सभी भारतीय अनुसूचित वाहकों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन के लिए यातायात सेवा अधिकार आवंटित किए जाते हैं। इस नीति के अनुसार यातायात अधिकारों का आबंटन संबंधित द्विपक्षीय वायु सेवा करार के अंतर्गत ऐसे अधिकारों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। अन्य पात्र आवेदकों को यातायात अधिकार आबंटन किए जाने से पूर्व एअर इंडिया द्वारा प्रस्तुत प्रचालन योजनाओं पर सम्यक विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। अनुसूचित वाहकों को यातायात अधिकार प्रदान किया जाना एक अविरत प्रक्रिया है तथा यह द्विपक्षीय अधिकारों की उपलब्धता तथा किसी सेक्टर विशेष पर प्रचालन करने के लिए

वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किसी नामित वाहकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुरोधों पर निर्भर करती है। अग्रिम व्यवस्था करने के लिए यातायात अधिकारों का आबंटन अग्रिम तौर पर किया जाता है।

(ङ) जी, हां। भारतीय अनुसूचित वाहकों को नवंबर, 2012 से नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गो पर प्रचालन के लिए आबंटित किए गए यातायात अधिकारों का विवरण निम्नानुसार है:—

दिल्ली-रोम-मैड्रिड/बार्सिलोना (एअर इंडिया), दिल्ली-मास्को (एअर इंडिया), दिल्ली-सिडनी/मेलबोर्न(एअर इंडिया), मुंबई-नैरोबी (एअर इंडिया), मुंबई-अल नजफ़ (एअर इंडिया), लखनऊ-अल नजफ (स्पाईसजेट), वाराणसी-अल नजफ़ (स्पाईसजेट), दिल्ली-हो चि मिन्ह सिटी (स्पाईसजेट), दिल्ली-मकाओ (स्पाईसजेट), मुंबई-जकार्ता (जेट एयरवेज), मुंबई-ज्यूरिख (जेट एयरवेज), दिल्ली-ताशकन्त (जेट एयरवेज), मुंबई-हो चि मिन्ह सिटी (जेट एयरवेज), हैदराबाद-रियाद (स्पाईसजेट), बंगलुरु-अबु धाबी (जेट एयरवेज), हैदराबाद-अबु धाबी-तेहरान (स्पाईसजेट), चंडीगढ़-दुबाई (स्पाईसजेट, तथा इंडिगो), मदुरै-दुबई (स्पाईसजेट), हैदराबाद-दम्माम (स्पाईसजेट), कोलकाता-गुन्झोऊ (स्पाईसजेट), मदुरै-क्वालालामपुर (स्पाईसजेट), बागडोगरा-काठमांडू (स्पाईसजेट), बंगलुरु-बैंकॉक (स्पाईसजेट)

जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

205. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2001 के 1816 घनमीटर से घटकर वर्ष 2011 में 1545 घन मीटर रह गयी है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने एवं विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए "जल लेखापरीक्षा" का तंत्र बनाने का संकल्प किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्योगों, कृषि एवं नगर निकायों में जल उपयोग की सर्वोत्तम रीति सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वायत्त निकाय द्वारा लेखापरीक्षा कराने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) ने "जल उपयोग दक्षता" के माध्यम से स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है तथा यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने जल उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने एवं जल बचाने के लिए कोई कदम उठाए/उठाए जाने का विचार है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां। देश में जनसंख्या में वृद्धि के कारण समग्र रूप से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या के आधार पर देश में जल की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1816 घनमीटर थी जो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कम होकर 1545 घनमीटर हो गई। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ख) जल के मुद्दे से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 28 दिसंबर, 2012 को आयोजित की गई इसकी बैठक में राष्ट्रीय जल नीति (2012) को अंगीकार किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, देश के जल संसाधन के विकास एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में, अन्य बातों के साथ-साथ, जल के प्रभाव उपयोग एवं उसको प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रयोजन के लिए जल उपयोग अर्थात् जल फुटप्रिंट एवं जल लेखा परीक्षा हेतु मानक विकसित करने के लिए एक पद्धति की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय को जल उपयोग दक्षता के संबंध में तत्काल कार्रवाई के संदर्भ में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) से विशेष रूप से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय, जन जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिनमें जल संरक्षण और जल प्रबंधन के अन्य पहलुओं संबंधी विषय शामिल हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रदर्शनकारियों एवं मेलों में मॉडल प्रदर्शित करना, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर हार्डिंग लगाने जैसे क्रियाकलाप नियमित आधार पर किये जा रहे हैं भारत सरकार ने वर्ष 2013 को "जल संरक्षण वर्ष" के रूप में भी घोषित किया है जिसमें जल संरक्षण एवं इसके सतत प्रबंधन के संबंध में विभिन्न जागरूकता क्रियाकलाप जैसे कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार, टॉक शो प्रतियोगिता आदि आयोजित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

रेलों के प्रचालन में देर

206. श्री पूर्णमासी राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रचालनों में बारंबार देर तथा उनकी गलत जानकारी देने के कारण यात्रियों को हो रही दिक्कतों की जानकारी रेल विभाग को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) के पास रेल प्रचालन के संबंध में यात्रियों को सटीक सूचना देने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं बेहतर करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल प्रचालन में अत्याधिक विलंब के मामले में यात्रियों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेल का यह सतत् प्रयास है कि रेलगाड़ियों को समय पर चलाया जाए और देरी से चलने वाली गाड़ियों की सही जानकारी यात्रियों तक पहुंचाई जाए। पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि के साथ ही साथ 01.09.2013 से 30.11.2013 की अवधि में भारतीय रेल के समयपालन में जबकि 3.3% का सुधार हुआ है, इससे देरी से चलने वाली गाड़ियों के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधाओं में कमी आई है। दुर्घटनाओं, कोहरे, दरारों और खराब मौसम के कारण गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन और समय में बदलाव, के कारण जब गाड़ियां देरी से चलती हैं, तो उस समय कठिनाई उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप यात्रियों और वास्तविक आधार पर रेलगाड़ियों के संचलन स्थिति को अद्यतन करने में असुविधाएं हो सकती हैं।

(ग) यात्रियों को गाड़ी के चलने के समय ही सटीक और विश्वसनीय जानकारी सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन (सीओए) से देने के लिए राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) में सुधार किया गया और रेलगाड़ियों के संभावित आगमन और प्रस्थान समय की गणना के लिए लॉजिक में उपयुक्त बदलाव किए गए हैं। रेल यात्रियों के अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से रेलगाड़ियों के चलने की यथा वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रेलगाड़ी संबंधी पूछताछ के लिए एक नया वेब इंटरफेस विकसित किया गया है और इसे 6 सितंबर, 2013 को लांच किया गया है। इस प्रणाली में और सुधार की प्रक्रिया जारी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम

207. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **ग्रामीण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और अपनी स्थापना के बाद से इसके द्वारा क्या प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पनधारा प्रबंधन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत लागत मानदंड मैदानी क्षेत्रों में 12,000 रुपए प्रति हैक्टेयर, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में 15,000 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों के लिए 15,000 रुपए हैक्टेयर तक है। वित्त पोषण पद्धति केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में है।

(ii) राज्य, जिला, परियोजना और ग्राम स्तर पर क्रमशः राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए), वाटरशेड कक्ष सह डाटा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी), परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) की समर्पित संस्थाओं की व्यवस्था है।

(iii) राज्यों को भूमि संसाधन विभाग की संचालन समिति के मूल्यांकन और स्वीकृति के अनुसार अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।

(iv) आईडब्ल्यूएमपी में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्षा सिंचित/सुनिश्चित सिंचाई रहित अवक्रमित क्षेत्रों में सटे हुए सूक्ष्म-वाटरशेडों का समूह बनाकर कार्य करने की परिकल्पना की गई है। किए जाने वाले कार्यकलापों को तीन चरणों में बांटा गया है यथा तैयारी चरण (1-2 वर्ष) निर्माण कार्य चरण (2-3 वर्ष) और समेन तथा निवर्तन चरण (1-2 वर्ष)।

(v) इस कार्यक्रम में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में बहुस्तरीय रिज से घाटी तक के अनुक्रमिक दृष्टिकोण की

परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए सतत् आजीविका विकल्पों के विकास और साथ ही छोटे और सीमांतक किसानों के लिए उत्पादन प्रणाली और सूक्ष्म उद्यमों की परिकल्पना की गई है।

(vi) इस कार्यक्रम में परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरस्थ संवेदी तकनीकों, स्थानिक और गैर-स्थानिक डाटा के साथ जीआईएस सुविधाओं के उपयोग किए जाने पर जोर दिया जाता है।

आईडब्ल्यूएमपी के 2009-10 में आरंभ किए जाने से लेकर अब तक इसके तहत शुरू किए गए मुख्य कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ संस्था तथा क्षमता निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, प्रारंभिक स्तर के कार्यकलाप, रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनरोपण, बागवानी, चरागाह विकास, सम्पत्तिहीन लोगों के लिए आजीविका कार्यकलाप और छोटे तथा सीमांतक किसानों के लिए उत्पादन प्रणाली तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना शामिल हैं।

(ख) और (ग) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों को कुछ मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और प्राथमिकता दिए जाने के मानदंडों को पूरा करने वाला, सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों सहित, कोई भी क्षेत्र विकास के लिए पात्र होता है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत स्वीकृत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत क्षेत्र (30.11.2013 की स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.793
2.	बिहार	0.312
3.	छत्तीसगढ़	0.916
4.	गोवा#	0
5.	गुजरात	2.451
6.	हरियाणा	0.239
7.	हिमाचल प्रदेश	0.690
8.	जम्मू और कश्मीर	0.535
9.	झारखंड	0.620
10.	कर्नाटक	2.243
11.	केरल	0.321
12.	मध्य प्रदेश	2.045
13.	महाराष्ट्र	4.587
14.	ओडिशा	1.278
15.	पंजाब	0.268
16.	राजस्थान	4.272
17.	तमिलनाडु	1.013
18.	उत्तर प्रदेश	2.753
19.	उत्तराखंड	0.346
20.	पश्चिम बंगाल	0.506
	पूर्वोत्तर राज्य	
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.356
22.	असम	1.167
23.	मणिपुर	0.430
24.	मेघालय	0.195
25.	मिज़ोरम	0.317
26.	नागालैंड	0.423
27.	सिक्किम	0.050
28.	त्रिपुरा	0.169
	सकल योग	31.294

#राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

विवरण-II

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त की गई केन्द्रीय निधियां (30.11.2013 की स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्मुक्त राज्य-वार निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	569.81
2.	बिहार	30.60
3.	छत्तीसगढ़	152.44
4.	गोवा#	0
5.	गुजरात	701.91
6.	हरियाणा	31.06
7.	हिमाचल प्रदेश	177.31
8.	जम्मू और कश्मीर	38.27
9.	झारखंड	95.61
10.	कर्नाटक	925.79
11.	केरल	26.63
12.	मध्य प्रदेश	529.20
13.	महाराष्ट्र	1336.55
14.	ओडिशा	399.38
15.	पंजाब	29.07
16.	राजस्थान	1070.25
17.	तमिलनाडु	438.07
18.	उत्तर प्रदेश	535.79
19.	उत्तराखंड	22.53
20.	पश्चिम बंगाल	56.37
	पूर्वोत्तर राज्य	
21.	अरुणाचल प्रदेश	174.42
22.	असम	270.45
23.	मणिपुर	89.73
24.	मेघालय	90.67
25.	मिज़ोरम	113.66
26.	नागालैंड	243.54
27.	सिक्किम	14.38
28.	त्रिपुरा	77.13
	सकल योग	8240.61

#राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

संग्रहालयों की स्थापना

208. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय फीचर फिल्म म्यूजिक एवं गीतों के अभिलेखागार वाले संग्रहालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और संग्रहालयों की स्थापना करने का है जहां लोग अपने पसंदीदा पुराने फिल्म संगीत या गीत सुन सकते हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म प्रभाग के परिसर, मुंबई में, भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रथम चरण, जो भारतीय फिल्मी परंपरा को प्रदर्शित करेगा, समापन के नजदीक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

209. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार किए गए विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है और सरकार ग्रामीण विकास में आरजीजीवीवाई का महत्ती योगदान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) राज्यों के विद्युतीकरण के लिए सरकार के पास वित्तीय सहायता हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे प्रस्तावों पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तैयार करने और घरों के विद्युतीकरण के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10वीं और 11वीं योजना के दौरान 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं, जिनमें देश में 1,12,225 गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) का विद्युतीकरण, 3,83,372 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) का गहन विद्युतीकरण और 2.76 करोड़ बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। संचयी रूप से, दिनांक 15.11.2013 की स्थिति के अनुसार, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 1,07,752 यूई गांवों, 3,03,406 पीई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है और 2.13 करोड़ बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ये राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत तैयार की गई यह अवसंरचना देश में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास में सहायक होगी।

(ख) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) में 8 राज्यों से 150 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) आरईसी 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

(घ) और (ङ) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई/उचित उपाय करने के लिए आरईसी द्वारा तत्काल संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रेषित कर दी गई थीं।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि

(15.11.2013 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव		बीपीएल कनेक्शन	
		कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	26628	26628	2766614	2766614
2.	अरुणाचल प्रदेश	2081	1855	1526	1134	53337	44901

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	8241	8069	12907	12502	1231826	1037967
4.	बिहार	24295	22917	18639	5373	5455978	2446882
5.	छत्तीसगढ़	1736	1143	16099	13102	1220281	1006215
6.	गुजरात	0	0	16350	16280	847833	837227
7.	हरियाणा	0	0	6593	4676	250409	199279
8.	हिमाचल प्रदेश	95	83	12734	10534	17215	16375
9.	जम्मू और कश्मीर	234	192	3247	3018	79991	64255
10.	झारखंड	18747	18117	6099	5758	1473490	1307204
11.	कर्नाटक	62	62	25349	24740	926165	868921
12.	केरल	0	0	1272	473	117504	105945
13.	मध्य प्रदेश	886	627	49327	26593	1841539	1044259
14.	महाराष्ट्र	0	0	41921	36763	1218140	1206011
15.	मणिपुर	882	616	1378	585	107369	29658
16.	मेघालय	1866	1705	3239	2484	109697	92325
17.	मिज़ोरम	137	109	570	346	30917	18849
18.	नागालैंड	105	91	1169	1078	72861	42658
19.	ओडिशा	14728	14397	29329	25742	3047917	2841443
20.	पंजाब	0	0	6580	6030	102176	100404
21.	राजस्थान	4237	4155	34449	33422	1439422	1155983
22.	सिक्किम	25	25	413	383	12108	9832
23.	तमिलनाडु	0	0	10402	9673	525571	501202
24.	त्रिपुरा	148	143	658	623	117163	113951
25	उत्तर प्रदेश	28006	27750	22973	2982	1988574	1044933
26.	उत्तरखंड	1512	1511	9263	9221	269560	269560
27.	पश्चिम बंगाल	4202	4185	24258	23263	2287812	2184517
	कुल	112225	107752	383372	303406	27611469	21357370

विवरण-II

आरईसी में लंबित आरजीजीवीवाई प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1.	असम	2
2.	बिहार	27
3.	मध्य प्रदेश	12
4.	ओडिशा	18
5.	राजस्थान	1
6.	त्रिपुरा	8
7.	उत्तर प्रदेश	75
8.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	150

[अनुवाद]

पूर्वानुमान प्रणाली

210. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भू-स्खलन प्रवण क्षेत्रों में निगरानी तथा समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास हेतु अद्यतन स्वचालित मौसम केन्द्रों और निकटतम अवस्थित डाप्लर उपकरणों को प्रतिष्ठापित करके अपने पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु आवंटित/नियत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) - आईएमडी ने पश्चिमी हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर; हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के मौसम की मॉनीटरिंग तथा पूर्वानुमान के लिए उन्नत प्रणाली का निर्माण करने की योजना बनाई है न कि भू-स्खलनों की पूर्व चेतावनी के लिए।

(ख) हिमालयी मौसम-विज्ञान कार्यक्रम नामक नई योजना स्कीम का उद्देश्य डॉप्लर मौसम रेडार, वर्षा रेडार, स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्वचालित वर्षामापी (एआरजी) इत्यादि की तैनाती करके विभिन्न अत्याधुनिक प्रेक्षण प्रणालियों का विस्तार करना है। उपर्युक्त प्रेक्षण सामान्यत: हिमालयी मौसम तथा विशेषत: प्रचंड मौसम की बेहतर समझ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उपर्युक्त प्रेक्षणात्मक डेटा के सम्मिश्रण से तात्कालिक-पूर्वानुमान तथा पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के लिए XIIवीं योजना के आबंटन के भीतर 110 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है।

(ग) इसे XIIवीं योजना अवधि के अंत (2017) तक कार्यान्वित किया जाना परिकल्पित है।

पेयजल परियोजनाएं

211. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयुदरई :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदत्त सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता के संबंध में विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत करती है, जिसमें शामिल की जाने वाली बसावटें, सतत् रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने वाली, निर्माण की जाने वाली संरचनाएं तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है। राज्यों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिय जाता है एवं अनुमोदित मानदंड के अनुसार, निधियों का आबंटन किया जाता है। तत्पश्चात्, राज्य सरकारों को वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में योजना बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में शक्तियां दी जाती हैं। इस संबंध में अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय को राज्यों से कोई भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, आबंटन, रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14*			
		प्रा. शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रा. शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रा. शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रा. शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.3	563.39	485.14	672.82	113.62	551.19	262.46	300.43
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	440.01	113.24	115.91
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	141.75	65.4	76.27
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.94	0	0
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	526.96	267.57	207.8
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	250.24	313.41	275.54	85.59	241.80	119.56	152.13
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	148.69	0	23.16
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	499.44	234.63	184.86
9.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	191.86	243.43	204.87	122.36	185.23	95.83	109.04
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	668.60	327.83	250.9
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	165.13	77.54	98.65
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	428.70	215.66	216.57
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	766.32	26.8	169.45
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	233.25	106.69	89.56
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3	101.9	144.27	121.22	26.04	88.29	83.23	38.96
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1317.56	1237.92	674.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	394.82	570.17	625	185.44	287.80	181.12	257.55
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	860.55	410.42	434.44
19.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	154.82	86.49	8.65
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	453.29	230.05	348.07
21.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	142.18	91.83	49.36
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	506.21	243.28	368.79
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	63.12	16.27	4.54
24.	मेघालयं	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	72.67	37.44	36.52
25.	मिज़ोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	48.35	47.92	32.87	25.8	41.27	14.85	2.64
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	59.86	35.84	27.21
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	17.86	17.85	40.5
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	63.68	63.29	32.39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.15	0.78	0	0.78	1.12	0.03	0
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0	0
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0	0
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0	0
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.75	0.88	0	0.88	1.71	0.06	0
	योग	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9135.00	4663.18	4318.57

*30.11.2013 की स्थिति के अनुसार।

[हिन्दी]

नदियों को आपस में जोड़ना

212. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
डॉ. संजय सिंह :
श्री हरिन पाठक :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री रतन सिंह :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई शिकायत/सुझाव/परियोजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अक्तूबर, 2013 तक बजट और पहले ही खर्च की गई राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नदियों को जोड़े जाने के परिणामस्वरूप संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 668 के साथ 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 आईएन आरई: नदियों की नेटवर्किंग के संबंध में निर्णय देते हुए भारत सरकार को और विशेष रूप से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों से सदस्यों तथा अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और उनके द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ-साथ न्यायमित्र को शामिल करते हुए 'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति' नामक एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। तद्नुसार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समिति गठित कर ली गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को वर्ष 1982 में मूल रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के प्रायद्वीपीय घटक के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। एनडब्ल्यूडीए के अधिदेश में विस्तार करके वर्ष 1990 में हिमालयी घटक को शामिल किया गया है, वर्ष 2006 में प्राथमिकता संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें और अन्तःराज्य संपर्कों की साध्यता-पूर्व रिपोर्टें तैयार करने का कार्य और अंत में वर्ष 2011 में अन्तःराज्य संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शामिल किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए साध्यता रिपोर्टें (एफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए बजटीय प्रावधान 63.2 करोड़ रुपये है। अक्तूबर, 2013 तक एफआर एवं डीपीआर तैयार करने के लिए और अन्य संबंधित अध्ययन करने के लिए 428.69 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। यह व्यय प्रस्तावों की जल वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए अध्ययन करने हेतु किया गया है। किए गए व्यय का परियोजना-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के कार्यान्वयन के अंतिम रूप से बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता, खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई उपलब्धता और प्रदूषण नियंत्रण आदि के आनुषंगिक लाभों के साथ सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भूजल के बढ़े हुए उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर, चरस सिंचाई क्षमता को 140 मिलियन हैक्टेयर से बढ़ा कर 175 मिलियन हेक्टेयर करने और 34 मिलियन किलोवाट विद्युत के सृजन का लाभ होना संभावित है।

[अनुवाद]

रेल परिसंपत्तियों को नुकसान

213. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मालडिब्बों में अत्यधिक लदान के कारण रेलवे की परिसंपत्ति और सरकारी संपत्ति के भारी नुकसान के कुछ मामले रेलवे के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे सभी लदान स्थलों पर व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी) और इलैक्ट्रॉनिक वे ब्रिजेज उपलब्ध कराती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 15 व्हील इंपेक्ट लोड डिटेक्टर और रेलवे के स्वामित्व वाले 190 इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन तुलासेतु मुहैया कराये हैं।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

214. श्री महेश्वर हजारी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार समस्तीपुर-महुआ-कर्पूरीग्राम एवं लहरीसराय-कुशेश्वर स्थान-खगडिया-सहरसा खंडों पर नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं विरोल- हसनपुर खंड पर चल रही नई लाइन परियोजना की क्या स्थिति है;

(ग) हाजीपुर-वैशाली के सरिपा-सुगौली खंड सहित बिहार में चल रही/लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) आबंटित और इन पर व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस समय कर्पूरीग्राम के रास्ते समस्तीपुर और महुआ के बीच नई लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि लहेरियासराय-कुशेश्वर अस्थान (55 किमी.) नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था और 1998-99 में पूरा हो गया था, किन्तु परियोजना के अलाभप्रद होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया। बिरोल-हसनपुर, सकरी-हसनपुर नई लाइन परियोजना का भाग है।

परियोजनाओं का विवरण रेलवे-वार रखा जाता है, राज्य-वार नहीं। बहरहाल, बिरोल के रास्ते सकरी-हसनपुर नई लाइन और वैशाली के रास्ते हाजीपुर-सगौली नई लाइन परियोजनाओं सहित बिहार राज्य में पूर्णत: या अंशत: आने वाली सभी चालू/लंबित रेल परियोजनाओं की स्थिति का विवरण, जिनमें नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन शामिल हैं, नीचे दिए अनुसार है:—

क्र. सं.	परियोजना	लंबाई (किमी. में)	मार्च, 13 तक व्यय (करोड़ रुपए में)	परिव्यय 13-14 (करोड़ रुपए में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	आरा-भबुआ रोड	122	0.39	1.00	आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। 11.03 किमी. भूमि अधिग्रहण के कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
2.	अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज)	100	40.88	2.00	अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण के कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मुख्य पुल शुरू कर दिया गया है।
3.	अररिया-सुपौल	92	0.01	1.00	अररिया-बसेती (20 किमी.) के लिए आंशिक विस्तृत अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
4.	बरियारपुर-मननपुर वाया खड़गपुर, लचीमपुर-बरहात	67.78	4.33	3.00	आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। 18 किमी. के लिए भूमि योजना तैयार कर दी गई है। 18 किमी. के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
5.	बिहटा-औरंगाबाद वाया अनुग्रहनारायण रोड	118.5	1.67	1.00	बिहटा-पालीगंज (29 किमी.) के लिए आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। 9.10 किमी. के लिए भूमि अधिग्रहण के कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6
6.	छपरा-मुजफ्फरपुर	84.65	103.48	10.00	कुल 946.96 में से 326.98 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। कुल 13 में से 10 बड़े पुल पूरे हो चुके हैं।
7.	छितौनी-टुमकुही रोड	58.88	25.11	2.00	पनियाहवा से छितौनी तक लगभग 3.7 किमी. का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण शेष कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।
8.	दरभंगा-कुशेश्वरस्थान	70.14	3.67	3.00	दरभंगा केपछाही (16 किमी.) के लिए आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। मिट्टी के कार्य के लिए निविदा दे दी गई है और कार्य आरंभ कर दिया गया है।
9.	डेहरी ऑन सोन-बनजारी	36.4	3.61	1.00	आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। 32 किमी. के लिए भूमि संबंधी कागजात फाइल कर दिए गए हैं।
10.	देवघर-सुल्तानगंज बांका-बाराहात तथा बांका-बेतिया रोड सहित	147	479.35	30.00	बांका-बाराहात (15 किमी.) आरम्भ कर दिया गया है। देवघर-चंदन (15 किमी.) आरंभ कर दिया गया है। 2011-12 में खंड के शेष भाग में मिट्टी का कार्य और पुलों का कार्य आरंभ किया गया और बांका- ककवारा (5.1 किमी.) पूरा किया गया। 2013-14 में चंदन-कतूरिया (8.4 किमी.) और ककवारा-खरजौसा (9.1 किमी.) को पूरा करने का लक्ष्य है।
11.	फतुहा-इस्लामपुर दनियावान से बिहारशरीफ, बिहारश रीफ से बरबीघा, बरबीघा से शेखपुरा एनएल के विस्तार के लिए एमएम सहित	171.5	214.58	45.00	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े और छोटे पुलों को आरंभ किया गया। 2011-12 में धनियावान-चंडी (17 किमी.) पूरा किया गया। 2013-14 में चंडी-बिहारशरीफ (13 किमी.) का लक्ष्य है।
12.	गया-बोधगया-चतरा, गया-नटेसर (नालंदा)	97	12.91	1.00	कार्य आरंभिक स्तर पर है।
13.	गया-डालटेनगंज वाया रफीगंज	136.9	0.94	1.00	शेष भाग के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
14.	हाजीपुर-सगौली वाया-वैशाली	148.3	185.78	20.00	कार्य दो चरणों में किया जाएगा। हाजीपुर-वैशाली पुलों का कार्य पूरा हो चुका है और मिट्टी का कार्य और ट्रैक लिंकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैशाली-सगौली (115 किमी.) — आंशिक लंबाई के लिए मिट्टी का कार्य और पुलों का टेंडर दे दिया गया है।
15.	हथुआ-भटनी	79.64	145.16	5.00	हथुआ-बथुआबाजार (22 किमी.) आरम्भ कर दिया गया है। भटनी-चौरिया (8 किमी.) और बथुआबाजार-पंचदेवरी) (11 किमी.) निष्पादन के अग्रिम चरण में है। शेष के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

1	2	3	4	5	6
16.	जलालगढ़-किशनगंज	50.08	1.22	2.00	आंशिक अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। 21 बड़े पुलों और 34 छोटे पुलों के लिए पुलो के लिए मिट्टी की जांच का कार्य पूरा हो चुका है।
17.	जोगबनी-बिराटनगर (नेपाल)	18	98.33	0.00	इरकॉन को कार्य सौंपा गया है। भारतीय भाग 3 के लिए ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य आरंभ कर दिया गया है। नेपाल भाग के लिए भी निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य आरंभ कर दिया गया है।
18.	खगडिया-कुशेश्वरस्थान (44 किमी.)	44	107.8	30.00	मिट्टी का कार्य और पुलों को आरंभ कर दिया गया है। खगडिया-बिष्णुपुर (6.6 किमी.) और बिरौल-हरनगर (आंशिक) (5 किमी.) को 2013-14 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
19.	कोडरमा-तिलैया	68	192.39	40.00	भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी का कार्य और पुलों को आरंभ किया जा चुका है। तिलैया-खरौंद (24.5 किमी.) को 2013-14 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
20.	कोसी ब्रिज	21.85	285.99	3.00	मुख्य पुल की उपसंरचना पूरी हो चुकी है। सुपरस्ट्रक्चर के फैब्रीकेशन का कार्य पूरा हो चुका है और 39 में से 38 स्पैन आरंभ कर दिए गए हैं।
21.	कुरसेला-बिहारीगंज	35	0.38	1.00	कुरसेला-रूपाली के लिए आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है।
22.	महाराजगंज-मसरख (35.49 कि.मी.) मसरख रेवाघाट के बीच नई लाइन के लिए एमएम सहित	65.49	158.27	20.00	महाराजगंज-बिशनपुर महावारी (5 किमी.) पूरा हो गया है। बिशनपुर-मसरख (31 किमी.) के लिए भूमि अधिग्रहण, मिट्टी का कार्य और पुलों को आरंभ कर दिया गया है। बिशनपुर-महावारी-बड़कागांव (11 किमी.) पूरा हो गया है। मसरख-रेवाघाट के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
23.	मोतीहारी-सीतामढ़ी	76.7	4.41	1.09	कार्य आरंभिक स्तर पर है।
24.	मुंगेर-गंगा नदी के ऊपर रेल-कम-रोड ब्रिज	14	961.18	175.00	उपसंरचना पूरी हो चुकी है। सुपरस्ट्रक्चर के फैब्रीकेशन का 75% कार्य पूरा हो चुका है।
25.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा	66.9	0.49	0.00	कार्य आरंभिक स्तर पर है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है।

1	2	3	4	5	6
26.	मुजफ्फरपुर-कटरा-ओराई-जनकपुर रोड	66.55	0.01	1.00	कार्य आरंभिक स्तर पर है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है।
27.	नवादा-लक्ष्मीपुर	137	0.01	1.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
28.	पटना-गंगा ब्रिज, पटना और हाजीपुर (रेल कम रोड ब्रिज) के बीच लिंकिंग लाइनों सहित	19	1691.98	180.00	संशोधित अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। दक्षिण पहुंच मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर और दक्षिण की ओर फेब्रीकेशन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। फुलवारीशरीफ-पाटलीपुत्र (6 किमी.) को 2011-12 में पूरा कर दिया गया है।
29.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया (46 किमी.) और नटेसर-इस्लामपुर (21 किमी.)	67	365.51	15.00	राजगीर-तिलैया (46 किमी.) को आरंभ कर दिया गया है। शेष खंड में मिट्टी का कार्य और छोटे पुलों को आरंभ किया गया है।
30.	रामपुरहाट-मंदारहिल वाया दुमका (130 किमी.) रामपुरहाट-मुरारई 29.48 किमी. – तीसरी लाइन के लिए नई एमएम सहित	159.5	669.29	80.00	मंदारहिल-कुमारडोल (17 किमी.) और कुमारडोल-हंसडीहा (7 किमी.) का कार्य पूरा हो चुका है और 2012 में इसे चालू कर दिया गया है। रामपुरहाट-पीरागडिया (19 किमी.) का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य खंड में मिट्टी का कार्य और पुलों को आरंभ कर दिया गया है। दुमका-बरमसिया (13 किमी.), दुमका-बारापलासी (11 किमी.) और बरमसिया-शिकारीपारा (8 किमी.) बारापलासी-भटूरिया (11.5 किमी.) और पीनारगडिया-हरसिंघा (7.8 किमी.) को पूरा कर दिया गया है एवं इंजन चला दिया गया है। हंसडीहा-भटूरिया (16.65 किमी.) और शिकारीपारा-हरिसिंघा (13.49 किमी.) को 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य है।
31.	सकरी-हसनपुर	79	20.63	30.00	सकरी-बिरौल (36 किमी.) को पूरा कर दिया गया है। शेष खंडों में मिट्टी का कार्य और पुलों को आरंभ किया गया है। बिरौल-कुशेश्वरस्थान-हसनपुर खंड (40 किमी.) पर मिट्टी का कार्य और बड़े पुलों को आरंभ किया गया है। बिथान-हसनपुर खंड (10.3 किमी.) को 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य है।
32.	सीतामढ़ी-जयनगर-निर्मली वाया सुसंद	188	14.00	90.00	आंशिक विस्तृत अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। कार्य आरंभिक स्तर पर है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
33.	सुल्तानगंज-कटुरिया वाया असारगंज, तारापुर और बेलहार	74.8	5.85	3.00	आंशिक अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।

1	2	3	4	5	6
34.	पीरपैंती-जसीडीह	97	915.98	0.10	रेल बजट 2013-14 में शामिल किया गया है बशर्ते योजना आयोग एवं सीसीईए का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाए।
	दोहरीकरण				
1.	छपरा-बलिया पैच दोहरीकरण	65	0	5.00	कार्य योलना स्तर पर है।
2.	कटरी-कुरसैला पैच दोहरीकरण कोसी नदी पर पुल सहित	7.23	1	1.00	नया कार्य 2012-13 बजट में शामिल किया गया।
3.	पीरपैंती-भागलपुर	59.06	6.12	10.00	कार्य योजना स्तर पर है।
4.	साहिबगंज-पीरपैंती	10.45	36.82	37.00	अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। मिट्टी के कार्य और छोटे पुलों के लिए निविदाएं दे दी गई हैं।
5.	सोनपुर-हाजीपुर गंडक पुल सहित	5.5	66.55	32.00	पीयर कैप स्तर तक मुख्य पुल पूरा कर दिया गया है। मुख्य पुलों की उपसंरचना पूरी हो गई है।
6.	हाजीपुर-रामदयालु	47.72	00	0.10	आरंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
	आमान परिवर्तन				
1.	जयनगर-बिजालपुरा विस्तार सहित बैट-विजालपुरा-बारदीबास (नेपाल)	69.08	20.32	0.00	निष्पादन के लिए कार्य इरकांन को अंतरित किया गया है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	268	691.31	25.00	जयनगर-दरभंगा-सीतामढ़ी-चौराडानो (194 किमी.) पूरा हो चुका है और आरम्भ कर दिया गया है। चौराडानो-रक्सौल (24 किमी.) पूरा हो चुका है और इंजीनियरिंग साइडिंग के लिए खोल दिया गया है। नरकटियागंज-भिखनटोरी (30 किमी.) के लिए मिट्टी का कार्य, छोटे/बड़े पुलों को आरंभ कर दिया गया है।
3.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	233.5	504.41	5.00	थावे-सिवान (28.5 किमी.) और कप्तानगंज-थावे (99 किमी.) पूरा हो चुका है और आरंभ कर दिया गया है। थावे-छपरा मिट्टी का कार्य, छोटे/बड़े पुलों को आरंभ कर दिया गया है।
4.	कटिहार-जोगबनी राधिकापुर तक विस्तार के साथ, कटिहार-तिनारायणपुर और रायगंज-दलखोला के लिए नया एमएम	43.43	290.95	1.00	अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है। कटिहार-बरसोई (39 किमी.), बरसोई-राधिकापुर (54 किमी.) — जोगनी-कटिहार (108 किमी.) पूरा हो गया है और आरंभ कर दिया गया है। कटिहार-ताजनारायणपुर (36 किमी.) सामग्री आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। कटिहार-ताजनारायणपुर खंड पूरा हो गया है। रायगंज-दलखोला की आरंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	मानसी-सहरसा, सहरसा-दौराम, मधेपुरा-पूर्णिया (143 किमी.) समेत	143	419.2	25.00	मानसी-सहरसा (42 किमी.) तथा सहरसा-दौराम मधेपुरा (22 किमी.) पूरा हो चुका है और आरंभ कर दिया गया है। शेष खंडों में मिट्टी का कार्य, छोटे/बड़े पुलों को आरंभ कर दिया गया है। दौराम मधेपुरा-मुरलीगंज- बनमंखी (40 किमी.) पूरा हो गया है और इसे इंजीनियरिंग साइडिंग के रूप में खोला गया है। बनमंखी-कृत्यानंदनगर (22 किमी.) – पूरा हो गया है और इसे इंजीनियरिंग साइडिंग के रूप में खोला गया है।
6.	सकरी-लौकाहा बाजार-निर्मली और सहरसा-फोर्बिसगंज (206.06 किमी.)	206.06	317.59	0.00	सकरी-निर्मली (51 किमी.) मिट्टी का कार्य, छोटे/बड़े पुलों को आरंभ कर दिया गया है। झंझारपुर-लौकाहा बाजार (43 किमी.) मिट्टी का कार्य, छोटे/बड़े पुलों को आरंभ कर दिया गया है। सहरसा-फोर्बिसगंज (110.74 किमी.) पुलों एवं मिट्टी का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

(ङ) उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं है। किसी परियोजना को पूरा करने की अवधि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

रणनीतिगत रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनें

215. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिगत रूप से महत्वपूर्ण 14 रेल लाइन परियोजनाओं में हुई प्रगति की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सीमा पर रेल नेटवर्क की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनजर उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक आवंटित धनराशि और खर्च का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) मुरकोंगसेलेक-पासीघाट नई लाइन (30.167 कि.मी.) तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन (125 कि.मी.) की स्वीकृति दी गई है और इन परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्य आरंभ हो गए हैं। योजना आयोग और आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडलीय समिति (सीसीइए) की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक रूप से लंबित पट्टी-फिरोजपुर (25 कि.मी.) का कार्य आरंभ किया गया है। चार परियोजनाओं के लिए सीसीईए का ड्राफ्ट नोट पर अंतर-मंत्रालीय सलाह के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, से चार परियोजनाएं जम्मू-पुंछ, टनकपुर-बागेश्वर, बिलासपुर-मनाली-लेह तथा रूपाई परशुराम कुंड नई लाइनें है। तथापि प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है। 14 परियोजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए में)	आबंटित (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मुरकंसेलेक-पासीघाट नई लाइन (30.617 कि.मी.)	165.82	1.00	यह कार्य बजट 2011-12 में रेलवे के साकरी-निरमाली परियोजना के बचाव निधि के मुआवजा के रूप में शामिल किया गया था। अंतिम स्थल का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4	5
	पासीघाट-तेजू-परशुराम कुंड नई लाइन (127.95 कि.मी.)	255.71		सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	परशुराम कुंड-रूपाई नई लाइन (97.80 कि.मी.)	1289.31		वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ण निधि उपलब्धता हेतु आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) नोट प्रक्रियाधीन है परंतु प्रस्ताव प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है।
2.	मीसामारी-तवांग नई लाइन (378 कि.मी.)	19108		सर्वेक्षण कार्य पूरा। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	नार्थ लखिमपुर-अलांग-शिलापथार नई लाइन (248 कि.मी.)	11158		सर्वेक्षण कार्य पूरा। रक्षा मंत्रालय को निधि उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भेजा गया है उत्तर प्रतिक्षित।
4.	पट्टी-फिरोजपुर नई लाइन (25 कि.मी.)	147	0.10	सर्वेक्षण कार्य पूरा। रेलवे बजट 2013-14 के प्रस्तावों में शामिल पर आवश्यक अनुमोदन पर निर्भर।
5.	जोधपुर-जैसलमेर दोहरीकरण (290 कि.मी.)	1032		सर्वेक्षण कार्य पूरा। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
6.	पठानकोट-लेह नई लाइन (400 कि.मी.)	—		सर्वेक्षण कार्य आरंभ
7.	टनकपुर-बागेश्वर नई लाइन (155 कि.मी.)	2791		सर्वेक्षण कार्य पूरा। वित्त मंत्रालय द्वारा सीसीईए नोट प्रक्रियाधीन है परंतु प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है।
8.	जम्मू-अखनूर-पुंछ नई लाइन (223 कि.मी.)	13613		सर्वेक्षण कार्य पूरा। वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ण निधि उपलब्धता हेतु सीसीईए नोट प्रक्रियाधीन है परंतु प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है।
9.	देहरादून-उत्तरकाशी नई लाइन (90 कि.मी.)	—		सर्वेक्षण कार्य आरंभ
10.	10(क) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन (125 कि.मी.)	4295	5.00	सर्वेक्षण कार्य पूरा। परियोजना स्वीकृत एवं कार्य आरंभ हो गया है।
	10(ख) कर्णप्रयाग-चमोली नई लाइन (35 कि.मी.)			सर्वेक्षण कार्य आरंभ
11.	अनुपगढ़-चित्तौड़गढ़-मोतीगढ़-बीकानेर नई लाइन (155 कि.मी.)	707		सर्वेक्षण कार्य पूरा। नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	टनकपुर-जौलजीवी नई लाइन (90 कि.मी.)	—		सर्वेक्षण कार्य आरंभ
13.	जोधपुर-आगोलाई-शेरगढ़-फालसुंड नई लाइन (116 कि.मी.)	429		सर्वेक्षण कार्य पूरा। अगस्त 2012 में राज्य सरकार को व्यय बांटने हेतु पत्र लिखा गया है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं।
14.	श्रीनगर-करगिल-लेह नई लाइन (430 कि.मी.)	—		बजट घोषणा 2013-14 में सर्वेक्षण शामिल। प्रारंभिक कार्य आरंभ।

पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की अधिकता, भारी कार्य तथा संसाधनों के सीमित स्रोत को देखते हुए उपरोक्त 14 महत्वपूर्ण लाइनों का कार्य तभी आरंभ किया जा सकता है, जब इसका व्यय रक्षा मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा उठाया जाए।

(ग) और (घ) 10 परियोजनाओं की अनुमानित लागत जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, 55831.00 करोड़ रुपए है। मुरकोंगसेलेक-पासीघाट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग एवं फिरोजपुर-पट्टी की स्वीकृति परियोजनाओं के लिए 6.1 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है।

[हिन्दी]

मुसाफिरों की संख्या में कमी

216. **श्री महाबली सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने एयर इंडिया की उड़ानों में मुसाफिरों की लगातार घटती संख्या के संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) एयर इंडिया को उबारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और एयरलाइन के कार्यनिष्पादन में कब तक सुधार आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले 5 वर्षों में एयर इंडिया के नेटवर्क पर वहन किए गए यात्रियों की संख्या में अनवरत वृद्धि हुई है। यहां तक कि पिछले 2 वर्षों में यात्रियों की संख्या वर्ष 2011-12 के 13.40 मिलियन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012-13 में 14.04 मिलियन हुई है तथा पीएलएफ भी वित्तीय वर्ष 2011-12 के 67.9% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 71.8% हो गया है।

(ग) एयर इंडिया के चालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए 10 वर्षों की अवधि में एयर इंडिया में इक्विटी निवेश सहित सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 2012 को कायाकल्प योजना (टीएपी) तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) अनुमोदित की गई है। नवम्बर, 2013 तक सरकार ने 12200 करोड़ रु. का इक्विटी निवेश किया है। यह इक्विटी निवेश लोड फैक्टर, उत्पादन एवं समयबद्धता इत्यादि जैसे विशिष्ट मानदंडों की उपलब्धि की शर्त पर है। अपने निर्धारित मानदंडों के संबंध में एयर इंडिया का अब तक का निष्पादन उत्साहवर्द्धक रहा है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में एयर इंडिया का ईबीआईटीडीए पॉजिटिव हो गया है।

लूट की घटना

217. **श्रीमती मीना सिंह :**
श्री भूदेव चौधरी :
श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में चोरी की घटनाएं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी के कारण बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों/रेलगाड़ियों में हुई चोरी/लूट की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई/उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) ऐसी घटनाओं में पता चली बड़ी सुरक्षा चूकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आरपीएफ और जीआरपी के मध्य समन्वय की कमी इन घटनाओं के कारणों में से एक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे स्टेशनों पर गोलीबारी के कारण रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) जी, नहीं। रेलवे में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण चोरी की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) भारतीय रेलवे में वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान गाड़ियों और स्टेशनों पर चोरी और लूट की घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	दर्ज की गई चोरी की घटनाओं की संख्या		दर्ज की गई लूट की घटनाओं की संख्या	
	गाड़ी में	स्टेशन पर	गाड़ी में	स्टेशन पर
2010	7543	3434	316	137
2011	9230	3756	309	163
2012	8225	3242	474	206

रेलवे पर पुलिस की व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज करना, उचित जांच और रेलवे परिसर के साथ राज्य में चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वाहन राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के द्वारा करती है। अत: रेलों में होने वाले आपराधिक मामलों की रिपोर्ट, उनका पंजीकरण और जांच जीआरपी द्वारा की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में एस्कॉर्ट पार्टियों की संख्या में वृद्धि करने तथा महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्टेशनों पर अतिरिक्त कंट्रोल ड्यूटी के लिए स्टॉफ की तैनाती करके राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता करती है।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

1. विभिन्न राज्यों की रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

2. 202 संवेदनशील एवं संवेदी रेलवे स्टेशनों पर निगरानी प्रणाली की सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल तोड़-फोड़ निरोधी जांच के माध्यम से संवेदी स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी संबंधी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3. यात्रा करने वाली जनता के साथ लगातार संपर्क में आने वाले फ्रंटलाइन रेलवे स्टॉफ जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल, गाड़ी के अंदर चलने वाले कर्मचारियों के बीच जागरुकता अभियान चलाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

4. यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी किसी असामान्य घटना की जानकारी देने के लिए कुछ जोनल रेलवे पर जोनल कंट्रोल केंद्रों पर सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं।

5. सही पंजीकरण एवं अपराध की जांच हेतु राजकीय रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के साथ समन्वय बैठक की जाती है।

(ग) सुरक्षा में कोई कमी रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच समन्वय की कोई कमी नहीं है।

(ङ) और (च) 2012 एवं 2013 की अवधि के दौरान (अक्तूबर तक) रेलवे स्टेशनों पर 2 रेलवे कर्मचारियों की गोली लगने से मौत की सूचना रिपोर्ट की गई है जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[अनुवाद]

पीजीसीआईएल द्वारा पोस्को की संभलाई

218. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) पावर ऑपरेशन सिस्टम कॉर्पोरेशन (पोस्को) के मामलों के प्रबंधन की देखरेख में बुरी तरह असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्याद सरकार ने पोस्को को पीजीसीआईएल से अलग कर इसे स्वतंत्र विनियामक बनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रचालनात्मक, विकासात्मक और बाजारोन्मुखी कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं करने के लिए पीजीसीआईएल प्रबंधन के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी सहायक कंपनी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पोसाको) के मामलों को प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किया है।

पीजीसीआईएल विश्व की एक सबसे बड़ी पारेषण यूटिलिटी है और यह अपने पारेषण नेटवर्क में निरन्तर 99% से अधिक उपलब्धता को बनाए रखती है। कंपनी ने ग्रिड प्रचालनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक भार प्रेषण और संप्रेषण सुविधाओं सहित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) का भी आधुनिकीकरण किया है तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) की स्थापना की है। प्रचालनात्मक, विकासात्मक और बाजारोन्मुखी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में, पीजीसीआईएल के दिशा-निर्देशों के अधीन पोसाको ने इसे प्रभावशाली तरीके से प्रशासित किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व और विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पोसाको की स्थापना भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सतर्कता और निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाना

219. श्री कीर्ति आजाद : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों (बीएमसी) की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) सतर्कता एवं निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें संवैधानिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों से प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सतर्कता और निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करने के लिए राज्य और अन्य स्तरों पर बनाई गई सतर्कता और निगरानी समितियों (वीएमसी) के कार्यों की समय-समय पर निगरानी/समीक्षा की है और ऐसा देखा गया है कि ये समितियां आवश्यकतानुसार समय पर मीटिंग नहीं कर रही है। कुछ मामलों में तुरन्त और प्रभावी अनुवर्तन कार्यवाही में कमी भी पाई गई। ग्रामीण विकास की स्थायी समिति ने वीएमसी के कार्यों की भी समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रस्तुत की है।

(ग) वीएमसी को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न अनुभागों से प्राप्त अभ्यावेदनों में दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं:—

(i) समिति के गठन का विस्तार करना;

(ii) अध्यक्ष के लिए अलग से कार्यालय और वाहन की व्यवस्था करना;

(iii) समिति को कार्यों/लाभार्थियों के चयन के लिए समर्थ बनाना;

(iv) गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही करने के लिए समिति को समर्थ बनाना;

(v) निरीक्षण के दौरान संसद सदस्य के साथ अधिकारी भी जाए; और

(vi) मंत्रालय जिलास्तरीय मीटिंगों की सिफारिशों पर की गई रिपोर्टों (एटीआर) को प्राप्त कर सकता है और यदि जरूरत हो, तो अगली कार्यवाही कर सकता है।

(घ) वीएमसी को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक राज्यस्तरीय वीएमसी मीटिंगों के विशेष अतिथि होंगे;

(ii) जिलास्तरीय वीएमसी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों और विद्युत मंत्रालय की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (आरजीबीवीवाई) को समीक्षा के लिए सम्मिलित किया गया है;

(iii) मीटिंग नोटिस, एजेन्डा नोट्स और मीटिंगों की प्रक्रियाओं को जारी करने और वीएमसी की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि वीएमसी कार्यक्रमों की निगरानी प्रभावी रूप से कर सके; और

(iv) राज्य सरकारों और नोडल केन्द्र मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

ईओसी की स्थापना

220. शेख सैदुल हक : क्या अल्पसंख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्राथमिक क्षेत्र उधार का समुदाय-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : (क) और (ख) जी, हां। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वंचित समूहों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यों की जांच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के समूह और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों के आधार पर समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु समान अवसर आयोग विधेयक मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना का अधिदेश सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक राष्ट्रीय डाटा बैंक वेबपेज का निर्माण किया गया है जिसमें वर्तमान में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार पर 97 तालिकाएं हैं।

(घ) और (ङ) कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद्, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड और कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) में सम्मिलित कर लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय में स्थित एक स्वायत्त निकाय है। एनएसडीए को दिए गए मुख्य कार्यों में से एक वंचित तथा हाशिए पर स्थित समूहों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों, महिलाओं और नि:शक्तजनों की जरूरतों को पूरा करना है। अब तक सबसे पहले जहां तक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड का संबंध है, इसका मुख्य कार्य देश में कौशल विकास क्रियाकलापों का समन्वय करना था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का गठन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्यत: कौशल विकास में निजी क्षेत्र पहलों को उत्प्रेरित करने के लिए एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया है। अलग-अलग मंत्रालय अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न सामाजिक-समूहों के लिए लक्षित, योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(च) 2012-13 और 2013-14 (सितंबर, 2013 तक) समुदाय-वार प्राथमिक क्षेत्र ऋण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की अल्पसंख्यक समुदायों पर बकाया राशि					
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	पारसी	कुल योग
2011-12 (31.03.2013 तक)	83780.25	45469.65	41433.86	12260.86	2289.91	185234.35
2012-13 (30.09.2013 तक)	93600.50	42968.43	54729.820	4278.67	3528.07	199105.47

[हिन्दी]

पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं

221. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त पेयजल और स्वच्छता योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और प्रत्येक को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको स्वीकृति नहीं दी गई है और इनके राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार के क्या कारण हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत करती हैं, जिनमें शामिल की जाने वाली बसावटें, सतत् रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने वाली, निर्माण की जाने वाली संरचनाएं तथा अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है। राज्यों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाता है एवं अनुमोदित मानंदड के अनुसार, निधियों का आबंटन किया जाता है एवं उन्हें जारी किया जाता है। तत्पश्चात् राज्य सरकारों को वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में योजना बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में शक्तियां दी जाती हैं। इस संबंध में अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय को राज्यों से कोई भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत, अब तक 607 जिला परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश की 50 जिला परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्राप्त एवं संस्वीकृत की गई 17 जिला परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त एवं संस्वीकृत जिला परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	0	0	0	0
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	7	0	0	0	7
12.	झारखंड	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	2	0	0	0	2
14.	केरल	0	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	2	0	0	0	2
16.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0
19.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	2	0	0	0	2
21.	ओडिशा	0	0	0	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
23.	पंजाब	3	0	0	0	3
24.	राजस्थान	0	0	0	0	0
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	1
29.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल योग	17	0	0	0	17

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13880.00	9657.28	15022.69	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.26	204.88	986.92	0.00
3.	असम	9437.36	12251.18	11943.31	0.00
4.	बिहार	11259.76	17219.09	47814.55	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5479.58	2702.42	5731.57	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	4692.36	4308.28	3949.42	2630.19
9.	हरियाणा	2361.49	335.27	0.00	12559.75
10.	हिमाचल प्रदेश	2939.78	469.57	1666.96	2493.33
11.	जम्मू और कश्मीर	2792.51	967.95	3511.01	3306.61

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	5466.98	7264.92	4193.31	0.00
13.	कर्नाटक	4458.66	8709.28	15950.81	0.00
14.	केरल	2286.34	158.89	0.00	1347.12
15.	मध्य प्रदेश	14402.60	15076.00	25779.96	26400.65
16.	महाराष्ट्र	12911.70	5799.94	12409.22	0.00
17.	मणिपुर	80.30	1087.87	3509.18	0.00
18.	मेघालय	3105.23	1115.72	2540.01	3671.69
19.	मिज़ोरम	653.40	31.38	497.48	43.27
20.	नागालैंड	1229.45	174.06	2302.68	0.00
21.	ओडिशा	6836.73	11171.70	0.00	0.00
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	1116.39	283.18	0.00	0.00
24.	राजस्थान	5670.74	5424.41	13770.97	0.00
25.	सिक्किम	112.86	0.00	159.47	232.69
26.	तमिलनाडु	7794.35	7662.06	12811.68	15491.48
27.	त्रिपुरा	925.14	133.92	430.47	1295.84
28.	उत्तर प्रदेश	22594.00	16920.72	25684.74	32324.44
29.	उत्तराखंड	1707.61	804.76	2541.96	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	8327.50	14124.34	30638.14	417.44
	कुल योग	152642.08	144059.07	243846.51	102214.50

सीएसआर के अंतर्गत व्यय

222. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कॉर्पोरेट घरानों द्वारा लाभांश का कितने प्रतिशत व्यय के लिए निर्धारित किया जाता है और क्या सरकार इस प्रतिशत में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों द्वारा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इन कॉर्पोरेट घरानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कंपनियों द्वारा सीएसआर मानकों का अनुपालन तथा साथ ही सीएसआर मानकों के गैर-कार्यान्वयन हेतु दंडात्मक उपबंधों की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीएसआर पर व्यय के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र ने अपनी पक्षदारी/आपत्ति व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार इसके दायरे के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में हुए अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करें। इस प्रतिशत में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

सिंचाई के लिए लक्ष्य

223. **श्री जगदानंद सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 11वीं एवं 12वीं योजना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का पृथक से राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है जोकि 11वीं योजना के लिए निर्धारित था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों में से केवल पचास प्रतिशत लक्ष्य की ही प्राप्ति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा XIवीं योजना अवधि (2007-12) और XIIवीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु राष्ट्र स्तर पर निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

क्षेत्र	XIवीं योजना अवधि, मिलियन हेक्टेयर	XIIवीं योजना अवधि, मिलियन हेक्टेयर
बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई	मूल : 16.00 संशोधित : 9.50	13.00

योजना आयोग ने XIवीं और XIIवीं योजना हेतु राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे।

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, XIवीं योजना के दौरान 10.47 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने की सूचना दी गई है। XIIवीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को 31 मार्च, 2017 तक प्राप्त करने की योजना है। जल राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है।

[अनुवाद]

निजी बोरवेल

224. **श्री अजय कुमार :** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी बोरवेलों के अंधाधुंध प्रयोग के नियमन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भू-जल निकासी पर विनियमन एवं नियंत्रण का कार्य केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा किया जाता है, जिसका गठन देश के भू-जल संसाधनों का विनियमन करने, उस पर नियंत्रण करने एवं उनका प्रबंधन करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986) की धारा 3(3) के तहत किया गया। सीजीडब्ल्यूए ने देश में भू-जल विकास के विनियमन के लिए 162 ब्लॉक/तालुका/क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जिसमें नए ट्यूबवैल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा केवल पेयजल के लिए

अनुमति दी गई है। तथापि, उद्योगों द्वारा भू-जल की निकासी को नियंत्रित करने हेतु उन्हें सीजीडब्ल्यूए के दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार भूजल निकासी के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लेने की आवश्यकता होगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन्हें इसके विनियमन एवं विकास के लिए भू-जल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल बिल भी परिचालित किया गया है।

(ग) उक्त जवाब को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

ए-320 विमान को पट्टे पर लेना

225. श्री पी. कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ए-320 विमान को पट्टे पर लेने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने अपने बेड़े के आकार में विस्तार किया है, यद्यपि विमानन बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया अपने वर्तमान विमान बेड़े में से 21 पुराने विमानों को बदलकर 19 ए320 विमान ड्राई लीज पर प्राप्त करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा 111 विमानों को शामिल किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। ऐसा पुराने बेड़े को बदलकर बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। 14 नवंबर, 2013 तक 91 विमान प्राप्त हो चुके हैं। एअर इंडिया का विमान बेड़ा वर्ष 2008 में 141 विमानों से कम होकर वर्ष 2013 में 131 हो गयी है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रों की कवरेज

226. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री हरिन पाठक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा कवर नहीं किए जा रहे क्षेत्रों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की कवरेज के लिए वरीयता स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या सरकार का एक व्यापक प्रसारण विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में आकाशवाणी की प्रसारण भू-स्थलीय कवरेज 557 एएम/एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों के माध्यम से की जा रही है जो कि देश के क्षेत्र की 92% और जनसंख्या की 99.20% है। केवल देश की 0.80% जनसंख्या आकाशवाणी के भू-स्थलीय रेडियो नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम प्राप्त नहीं कर रही है। तथापि आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफार्म (के.यू. बैंड) के माध्यम से उपलब्ध हैं और इनको कवर न किए गए क्षेत्रों सहित पूरे देश भर में सैट-टॉप-बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन ने निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एएम/एफएम ट्रांसमीटरों के संवर्धन और विभिन्न क्षमताओं वाले अतिरिक्त ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं।

भू-स्थलीय कवरेज में सुधार के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में निम्नलिखित नए ट्रांसमीटरों (लघु शक्ति प्रेषितों के स्थान पर) की स्थापना की गई है।

1. उच्च शक्ति प्रेषित बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 2. उच्च शक्ति प्रेषित महबूबनगर (अंतरिम सैट अप) आंध्र प्रदेश।

इसके अतिरिक्त तमिलाडु के कुंबकोनम और असम के कोकराझार में उच्च शक्ति प्रेषित (अंतरिम सैट-अप) का 1 कि.वा. से 10 कि.वा. (स्थायी सैट-अप) में उन्नयन किया गया है।

दूरदर्शन के फ्री-टू-एयर डी.टी.एच. के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मल्टी चैनल टीवी कवरेज को ध्यान में रखते हुए भू-स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए नए ट्रांसमीटरों की अब परिकल्पना नहीं की जा रही (सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछेक के अलावा)।

(ग) और (घ) वर्तमान में सरकार के पास एक व्यापक प्रसारण कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धूम्रपान दृश्यों का चित्रण

227. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म एवं धारावाहिकों में प्रदर्शन की अनुमति देने से पूर्व धूम्रपान दृश्यों के चित्रण के संबंध में सरकार दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में फिल्म एवं धारावाहिकों में धूम्रपान दृश्यों को रोकने वाले प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से परामर्श करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना सं. जीएसआर 708(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को जारी किया है, जिसमें फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों के चित्रण के संबंध में अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख है। अधिसचूना की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सचूना और प्रसारण मंत्रालय ऐसी सभी फिल्मों तथा ऐसे सभी धारावाहिकों, जिनमें धूम्रपान के दृश्यों का चित्रण किया जाता है, के लिए उक्त अधिसूचना का कार्यान्वयन कर रहा है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजस्व

असाधारण

भाग-II—खण्ड-3—उप-खंड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 708(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए एद्तद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2012 कहलाएंगे।

   (2) ये 2 अक्तूबर, 2012 में प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में:—

   (क) निम्नलिखित नियम **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:—

   "7. तंबाकू उत्पाद और उनके सेवन को दर्शाने वाली पुरानी फिल्मों और टेलीविजन के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स और संदेश:—

   (1) तंबाकू उत्पाद अथवा उनके सेवन को प्रदर्शित करने वाली पुरानी फिल्म प्रदर्शित करने वाले किसी भी सिनेमा हाल अथवा थियेटर का मालिक अथवा प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म की शुरूआत और मध्यांतर में प्रत्येक बार न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि का तंबाकू—रोधी स्वास्थ्य स्पॉट दिखाया जाए:—

   बशर्ते कि ऐसे स्वास्थ्य स्पॉट्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

   (2) यदि सिनेमा हॉल अथवा थियेटर का मालिक अथवा प्रबंधक उप-नियम (1) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विफलता को स्पष्ट करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत ऐसे सिनेमा हॉल

अथवा थियेटर का लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।

(3) तंबाकू उत्पादों अथवा उसके सेवन को प्रदर्शित करने वाले किसी भी पुराने टेलीविजन कार्यक्रम (पुरानी भारतीय और विदेशी फिल्म सहित) का प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत और मध्यांतर में प्रत्येक बार न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि का तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य स्पॉट दिखाया जाए:

बशर्ते कि ऐसे स्वास्थ्य स्पॉट्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे;

(ख) टेलीविजन कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों अथवा उनके सेवन के प्रदर्शन की अवधि के दौरान टेलीविजन स्क्रीन के नीचे सुस्पष्ट स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी हो:

बशर्ते कि, तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सुस्पष्ट और पठनीय हो, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फॉण्ट से लिखी हो; और

(i) तंबाकू सेवन के धूम्रपान के विभिन्न प्रकार के रूपों के संबंध में "धूम्रपान से कैंसर होता है" अथवा "धूम्रपान जानलेवा है" चेतावनियां हों;

(ii) चबाने वाले तंबाकू के अन्य प्रकार के धुंआ रहित रूपों के लिए "तंबाकू से कैंसर होता है" अथवा तंबाकू जानलेवा है" चेतावनियां लिखी हों;

(iii) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियां:

बशर्ते यह कि, तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश अथवा स्वास्थ्य स्पॉट्स उसी भाषा में होंगे जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त की गई हो और डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली फिल्मों अथवा टेलीविजन कार्यक्रमों के मामलों में संदेश अथवा स्पॉट्स डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली भाषा में संचालित किए जाएंगे:

(4) यदि पुराने टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारक उप-नियम (3), के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे प्रसारक को ऐसी विफलता स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर देने के उपरांत उसे जारी लाइसेंस को रद्द करने अथवा निलंबित करने सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ:—

(i) सभी फिल्मों, जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाणन प्राप्त हों, को "पुरानी फिल्मों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(ii) इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले निर्मित सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को पुराने टेलीविजन कार्यक्रमों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(iii) "विदेशी फिल्म" शब्द का आशय सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 1983 में यथापरिभाषित "आयातित" से है।

(iv) "टेलीविजन कार्यक्रम" अभिव्यक्ति में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995" में यथा परिभाषित "कार्यक्रम" अन्तर्निहित है।

(ख) नियम 8 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"8 नई फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और दावात्याग (डिस्क्लेमर):—

(1) तंबाकू उत्पादों अथवा इसके सेवन को प्रदर्शित करने वाली सभी नई भारतीय अथवा विदेशी

फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम में निम्नलिखित अनिवार्य हैं:—

(क) एक सशक्त संपादकीय औचित्य, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म में तंबाकू उत्पादों और उनके सेवन के प्रदर्शन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया हो;

(ख) फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत में और मध्य में कम से कम तीस सेंकण्ड की अवधि के तंबाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स;

(ग) फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों अथवा उनके सेवन के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे किसी सुस्पष्ट स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी;

(घ) फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत और मध्य में कम से कम बीस सेकेण्ड की अवधि के तम्बाकू के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में एक श्रव्य-दृश्य डिस्क्लेम,

बशर्ते कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ऐसे स्वास्थ्य स्पॉट और डिस्क्लेमर उपलब्ध करवाये जाएंगे,

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जनता को दिखाने के लिए किन्हीं तम्बाकू उत्पादों अथवा उनके प्रयोग को प्रदर्शित करने वाले किसी भी फिल्म को तब तक सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उप-नियम (1) के खण्ड (क) से (घ) की शर्तों को पूरा न किया गया हो।

(2) यदि सिनेमा हाल अथवा थियेटर का स्वामी अथवा प्रबंधक उप-नियम (1) के उपबंधों का पालन नहीं करता है, तो ऐसा करने में विफल रहने का कारण स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे सिनेमाहाल के लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है;

(3) यदि टेलीविजन के कार्यक्रमों का प्रसारक उप-नियम (1) के खण्ड (ख) से (घ) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी इस विफलता को स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रसारक को जारी किये गए लाइसेंस को रद्द करने अथवा निलंबित करने सहित समुचित दण्डात्मक कार्रवाई करेगा।

(4) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश जैसा कि उप-नियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किया गया है, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फोन्ट से पठनीय होगी; और...

(i) तम्बाकू सेवन के धूम्रपान के रूपों के लिये "धूम्रपान से कैंसर होता है," अथवा "धूम्रपान जानलेवा है," की चेतावनियों सहित;

(ii) तम्बाकू को चबाने और इसके अन्य धुएं रहित रूपों के लिए "तम्बाकू से कैंसर होता है," अथवा "तम्बाकू जानलेवा है," की चेतावनियों सहित;

(iii) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियां।

(5) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश अथवा स्वास्थ्य स्पाट्स की भाषा वही होगी, जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त हुई है और ऐसे फिल्म एवं टेलीविजन कार्यक्रम जो डब किये गये हैं, अथवा जिनमें उप-शीर्षक हैं, उनमें संदेश अथवा स्पाट्स डबिंग अथवा उप-शीर्षक की भाषा में संचालित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस फिल्म के प्रयोजनार्थ:—

(i) इस अधिसूचना के प्रभावी तारीख के उपरांत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन प्राप्त सभी फिल्मों को "नई फिल्मों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) इस अधिसूचना की प्रभावी तारीख के उपरांत बनाए गए सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को 'नए टेलीविजन कार्यक्रम'' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पीएच]

श्रीमती शंकुतला डी. गेमलिन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इन्हें तत्पश्चात् दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 20 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) और दिनांक 27 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के दिन

228. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री एम.आई. शानवास :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटी दिए गए मजदूरी के दिन बढ़ाने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का देश में बढ़ती मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत किए गए लोगों की संख्या और उनमें से रोजगार पाने वालों की संख्या का छत्तीसगढ़ सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या योजना के अंतर्गत पंजीकरण दर में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(छ) योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरी की दूर और भुगतान का माध्यम क्या है;

(ज) क्या छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीमित बैंक और डाकघर होने के कारण मजदूरी का भुगतान करने में कठिनाइयां हुई हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वर्तमान में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 श्रम दिवसों में बढ़ोतरी करने के लिए राज्यों से मांग प्राप्त की जाती है। अधिनियम में राज्य की आर्थिक क्षमता एवं विकास के अंतर्गत उक्त अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसलिए, राज्यों की मांगों तथा वित्तीय क्षमता पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् इस प्रकार के अनुरोधों को प्राकृतिक आपदाओं और सूखा परिस्थितियों के मामलों में अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) मनरेगा के कामगारों की मजदूरी को महंगाई से संरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों को कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) से संबद्ध कर दिया है। सीपीआई-एएल सूचकांक के आधार पर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरों में हालिया बढ़ोतरी दिनांक 26.2.2013 की अधिसूचना के माध्यम से की गई जिसे दिनांक 1.4.2013 से लागू किया गया।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जॉब कार्ड जारी किए गए वे परिवारों तथा रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संचयी संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(च) मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी रोजगार के लिए अकुलश कार्य हेतु पात्र होने के लिए आवेदन देना होता है। अत: वास्तविक लाभार्थियों की संख्या वास्तविक मांग पर निर्भर करेगी, जो मौसम की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होती है।

(छ) मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंकों या डाकघरों में संस्थानिक खातों के माध्यम से किया जाता है, परन्तु दूर-दराज के क्षेत्रों के मामले में नगद भुगतान किया जाता है। दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी अधिसूचित मजदूरी दरें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ज) और (झ) पिछले क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता कम होने के कारण कामगारों बैंकों या डाकघरों से मजदूरी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जिन ग्राम पंचायतों में एक शाखा डाकघर नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में डाकघर शाखाएं खोलने के लिए डाक विभाग से अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

जॉब-कार्ड जारी किए गए/रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य	योजना शुरू होने से 22.11.2013 तक जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार			
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 से 22.11.2013 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	124.54	62.00	49.98	58.16	50.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.83	1.35	0.04	1.16	0.36
3.	असम	40.38	17.98	13.49	12.35	8.02
4.	बिहार	126.95	47.38	17.69	20.86	12.21
5.	छत्तीसगढ़	41.54	24.86	27.25	26.37	18.54
6.	गुजरात	36.13	10.96	8.22	6.81	3.38
7.	हरियाणा	7.89	2.35	2.78	2.94	2.07
8.	हिमाचल प्रदेश	11.56	4.44	5.05	5.14	3.60
9.	जम्मू और कश्मीर	10.16	4.92	4.31	6.47	1.79
10.	झारखंड	39.39	19.87	15.75	14.18	8.41
11.	कर्नाटक	53.03	22.24	16.52	13.38	4.80
12.	केरल	27.05	11.76	14.16	15.26	11.91
13.	मध्य प्रदेश	108.48	44.08	38.80	34.98	12.78
14.	महाराष्ट्र	70.65	4.51	15.05	16.24	8.40
15.	मणिपुर	4.94	4.34	3.56	4.57	3.16
16.	मेघालय	4.73	3.46	3.35	3.30	2.35
17.	मिज़ोरम	2.26	1.71	1.69	1.75	1.68
18.	नागालैंड	4.03	3.51	3.73	3.87	3.59
19.	ओडिशा	63.53	20.05	13.79	15.99	11.97
20.	पंजाब	9.70	2.78	2.45	2.40	2.08
21.	राजस्थान	99.07	58.60	45.22	42.17	28.39
22.	सिक्किम	0.85	0.56	0.55	0.57	0.37

1	2	3	4	5	6	7
23.	तमिलनाडु	93.67	49.69	63.43	70.61	56.21
24.	त्रिपुरा	6.47	5.57	5.67	5.97	5.65
25.	उत्तर प्रदेश	147.30	64.31	73.28	49.47	39.74
26.	उत्तराखंड	10.52	5.42	4.69	4.40	1.60
27.	पश्चिम बंगाल	114.22	49.98	55.17	58.17	27.87
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.49	0.18	0.19	0.13	0.06
29.	दादरा और नगर हवेली	0.04	0.02	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	0.30	0.14	0.11	0.05	0.02
32.	लक्षद्वीप	0.08	0.05	0.04	0.02	0.00
33.	पुदुचेरी	0.68	0.38	0.43	0.41	0.35
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	1262.46	549.47	506.45	498.16	331.94

विवरण-II

दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी परिवर्धित मजदूरी दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परिवर्धित मजदूरी दर (रुपए)
1	2	3
1.	असम	रुपए 152.00
2.	आंध्र प्रदेश	रुपए 149.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	रुपए 135.00
4.	बिहार	रुपए 138.00
5.	गुजरात	रुपए 147.00
6.	हरियाणा	रुपए 214.00
7.	हिमाचल प्रदेश-गैर अनुसूचित क्षेत्र	रुपए 138.00
	गैर-अनुसूचित क्षेत्र	रुपए 171.00
7(क)	हिमाचल प्रदेश — अनुसूचित	रुपए 171.00
8.	जम्मू और कश्मीर	रुपए 145.00
9.	कर्नाटक	रुपए 174.00
10.	केरल	रुपए 180.00
11.	मध्य प्रदेश	रुपए 146.00
12.	महाराष्ट्र	रुपए 162.00
13.	मणिपुर	रुपए 153.00
14.	मेघालय	रुपए 145.00
15.	मिज़ोरम	रुपए 148.00
16.	नागालैंड	रुपए 135.00
17.	ओडिशा	रुपए 143.00

1	2	3
18.	पंजाब	रुपए 184.00
19.	राजस्थान	रुपए 149.00
20.	सिक्किम	रुपए 135.00
21.	तमिलनाडु	रुपए 148.00
22.	त्रिपुरा	रुपए 135.00
23.	उत्तर प्रदेश	रुपए 142.00
24.	पश्चिम बंगाल	रुपए 151.00
25.	छत्तीसगढ़	रुपए 146.00
26.	झारखंड	रुपए 138.00
27.	उत्तराखंड	रुपए 142.00
28.	गोवा	रुपए 178.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (अंडमान)	रुपए 198.00
29क	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार)	रुपए 210.00
30.	दादरा और नगर हवेली	रुपए 175.00
31.	दमन और दीव	रुपए 150.00
32.	लक्षद्वीप	रुपए 166.00
33.	पुदुचेरी	रुपए 148.00
34.	चंडीगढ़	रुपए 209.00

वातानुकूलित प्रथम/द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या में कटौती

229. **श्री रूद्रमाधव राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने लगातार मांग के बावजूद राजधानी तथा अन्य रेलगाड़ियों में सख्ती से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बों की संख्या में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक रेलगाड़ी में वरीयता के आधार पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) एसी-I और एसी-II श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रथम एवं द्वितीय एसी श्रेणी के 12 सवारी डिब्बे और एसी-II श्रेणी के 39 सवारी डिब्बे 01.04.2013 से 20.09.2013 तक की अवधि के लिए स्थाई आधार पर विभिन्न गाड़ियों में लगाए गए हैं। इसके अलावा, एसी-I और एसी-II सवारी डिब्बों सहित विभिन्न किस्म के सवारी डिब्बों द्वारा गाड़ियों को बढ़ाना भारतीय रेलों पर एक चालू प्रक्रिया है, जो परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

लघु सिंचाई योजनाएं

230. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ के लघु सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावों की भेजी गई संख्या कितनी है और इसके लिए मांगी गई राशि कितनी है; और

(ख) अपेक्षित राशि उपलब्ध कराने का संभावित समय क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार ने XIIवीं योजना के दौरान पहले कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। दिनांक 12.09.2013 को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) संबंधी संशोधित योजना अनुमोदित की गई है तथा दिनांक 28.10.2013 को विस्तृत दिशानिर्देश परिचालित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार से इन दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने अभी अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा कल 6 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन:समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2013/ 15 अग्रहायण, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री नामा नागेश्वर राव श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1
2.	श्री मनोहर तिरकी श्री नरहरि महतो	2
3.	श्री अर्जुन राय श्री अनंत कुमार हेगड़े	3
4.	श्री रमेश राठौड़	4
5.	श्री बलीराम जाधव श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	5
6.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	6
7.	श्री वैजयंत पांडा	7
8.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील श्री ई.जी. सुगावनम	8
9.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री पी.टी. थॉमस	9
10.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम श्री पी. विश्वनाथन	10
11.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्री असादूद्दीन ओवेसी	11
12.	श्री उदय सिंह श्री रमेश बैस	12
13.	श्री एम. आनंदन श्री रामसिंह राठवा	13
14.	श्री एस.एस. रामासुब्बू श्री संजय दिना पाटील	14
15.	श्री एम. कृष्णास्वामी	15
16.	श्री यशवीर सिंह	16
17.	श्री नीरज शेखर श्री रूद्रमाधव राय	17
18.	श्री प्रदीप माझी श्री किसनभाई वी. पटेल	18
19.	श्री आनंदराव अडसुल श्री धर्मेन्द्र यादव	19
20.	श्री निशिकांत दुबे श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	67, 92, 187, 222
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	43, 124, 205, 209
3.	श्री आधि शंकर	78
4.	श्री आनंदराव अडसुल	43, 124, 205, 209
5.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	76, 92, 212, 227
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	11, 15, 48, 80, 170
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	8, 142
8.	श्री सुल्तान अहमद	117
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	20, 154
10.	श्री एम. आनंदन	124, 201
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	125, 202
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	76
13.	श्री कीर्ति आजाद	86, 219
14.	श्री गजानन ध. बाबर	43, 124, 205, 209
15.	श्री रमेश बैस	134
16.	श्री कामेश्वर बैठा	76, 111, 128, 130
17.	डॉ. बलीराम	97, 191

1	2	3
18.	श्री सुस्मिता बाउरी	104, 114, 123, 132, 137
19.	श्री अवतार सिंह भडाना	78, 85, 218
20.	श्री सुदर्शन भगत	105, 111
21.	श्री ताराचन्द भगोरा	78, 110
22.	श्री संजय भोई	81, 128
23.	श्री पी.के. बिजू	7, 49, 54, 182
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	55, 103, 176
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	74, 128, 190, 194
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	53, 80, 113, 174
27.	श्री सी. शिवासामी	5, 104, 119
28.	श्री हरीश चौधरी	10
29.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	104, 114, 123, 132, 137
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	16, 151
31.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	61, 92, 181
32.	श्री भूदेव चौधरी	84,119, 123, 217
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	65, 185
34.	श्री खगेन दास	92, 101
35.	श्री राम सुन्दर दास	4, 207
36.	श्री गुरुदास दासगुप्त	102
37.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	79, 127, 208
38.	श्रीमती अश्वमेध देवी	84, 119, 123, 217
39.	श्रीमती रमा देवी	133, 135
40.	श्री के.पी. धनपालन	103
41.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3, 140
42.	डॉ. रामचन्द्र डोम	80
43.	श्री निशिकांत दुबे	145
44.	श्रीमती प्रिया दत्त	66, 186
45.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	100
46.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	81, 122, 128, 129, 210
47.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	78
48.	श्री ए. गणेशमूर्ति	129
49.	श्री शिवराम गौडा	52, 80
50.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	211
51.	शेख सैदुल हक	87, 220
52.	श्री महेश्वर हजारी	15, 82, 214
53.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	51, 82, 111, 172, 214
54.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	39, 92, 133, 136, 212
55.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	94, 135, 141
56.	श्रीमती दर्शना जरदोश	18
57.	श्री नवीन जिन्दल	64, 184
58.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	121
59.	श्री प्रहलाद जोशी	11, 80, 144, 199
60.	श्री पी. करुणाकरन	13, 80, 148
61.	श्री कपिल मुनि करवारिया	6, 195, 207
62.	श्री नलिन कुमार कटील	27, 205
63.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	108
64.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	130
65.	श्री चंद्रकांत खैरे	40, 212
66.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	25, 93, 159
67.	श्री एन. कृष्टप्प	120
68.	श्री अजय कुमार	90, 224

1	2	3
69.	श्री पी. कुमार	41, 93, 102, 129, 225
70.	श्रीमती पुतुल कुमारी	104, 114, 123, 132, 137
71.	श्री यशवंत लागुरी	91, 133, 226
72.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	146
73.	श्री सुमित्रा महाजन	91, 133, 221
74.	श्री सतपाल महाराज	88, 130
75.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	112
76.	श्री नरहरि महतो	152
77.	श्री भर्तृहरि महताब	93, 132
78.	श्री प्रदीप माझी	204
79.	श्री जोस के. मणि	56, 177
80.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	75, 80, 157, 217, 222
81.	श्री विलास मुत्तेमवार	85, 95, 230
82.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1, 138
83.	श्री नामा नागेश्वर राव	119, 120, 196
84.	श्री नरेनभाई काछादिया	42, 168
85.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	131
86.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	126
87.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	175
88.	श्री वैजयंत पांडा	199
89.	श्री प्रबोध पांडा	102
90.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	99, 123
91.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	81, 122, 128, 129, 210
92.	श्री देवजी एम. पटेल	42, 167
93.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	192, 199
94.	श्री बाल कुमार पटेल	213

1	2	3
95.	श्री किसनभाई वी. पटेल	204
96.	श्री हरिन पाठक	98, 122, 212, 226
97.	श्री ए.टी. नाना पाटील	29, 128, 161
98.	श्री सी.आर. पाटिल	42, 215
99.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	59, 131, 180
100.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	81, 122, 127, 128, 129
101.	श्रीमती कमला देवी पटले	24, 158, 212, 228
102.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3, 34, 164, 228
103.	श्री पन्ना लाल पुनिया	33, 111, 133, 163
104.	श्री एम.के. राघवन	106
105.	श्री अब्दुल रहमान	37
106.	श्री सी. राजेन्द्रन	46, 132
107.	श्री एम.बी. राजेश	7, 222
108.	श्री पूर्णमासी राम	77, 126, 206
109.	श्री कादिर राणा	44
110.	श्री निलेश नारायण राणे	73, 193
111.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	122
112.	श्री रमेश राठौड़	198
113.	श्री रामसिंह राठवा	155
114.	श्री अशोक कुमार रावत	50, 135, 171
115.	श्री अर्जुन राय	121, 197
116.	श्री रुद्रमाधव राय	203, 229
117.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	149
118.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	70, 114, 135, 190
119.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	17, 152
120.	प्रो. सौगत राय	54, 116

1	2	3
121.	श्री एस. अलागिरी	136
122.	श्री एस. पक्कीरप्पा	69, 185, 189
123.	श्री एस.आर. जेयदुरई	26, 211
124.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	121, 173
125.	श्री ए. सम्पत	62, 182
126.	श्री हमदुल्लाह सईद	12, 92, 119, 147
127.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	134
128.	श्री एम.आई. शानवास	72, 96, 228
129.	श्री नीरज शेखर	119, 123, 203
130.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	38, 93, 123, 166
131.	श्री राजू शेट्टी	32, 76, 162
132.	श्री एंटो एंटोनी	9, 143
133.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2, 139
134.	श्री गणेश सिंह	105
135.	श्री जगदानंद सिंह	89, 223
136.	श्री महाबली सिंह	30, 216
137.	श्रीमती मीना सिंह	884, 119, 123, 217
138.	श्री पशुपति नाथ सिंह	109
139.	श्री राधा मोहन सिंह	113, 214
140.	श्री राकेश सिंह	68, 188
141.	श्री रतन सिंह	60, 212
142.	श्री रवनीत सिंह	21, 93, 156
143.	श्री उदय सिंह	123, 200
144.	श्री यशवीर सिंह	119, 123, 203
145.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	83, 197, 202
146.	श्री एन. धरम सिंह	58, 179

1	2	3
147.	डॉ. संजय सिंह	94, 212
148.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	93, 166
149.	श्री ई.जी. सुगावनम	85, 169
150.	श्री के. सुगुमार	3, 14, 57, 81, 178
151.	श्रीमती सुप्रिया सुले	115, 122
152.	श्री मानिक टैगोर	14
153.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	63, 183
154.	श्री आर. थामराईसेलवन	35, 102, 129, 165
155.	श्री पी.टी. थॉमस	76, 119, 141
156.	श्री मनोहर तिरकी	17, 152
157.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	160
158.	श्री लक्ष्मण टुडु	91, 226
159.	श्री शिवकुमार उदासी	36, 85, 105
160.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	15, 82
161.	श्री हर्ष वर्धन	15, 82, 150
162.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	19, 92, 113, 153
163.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	28, 123, 228
164.	श्री वीरेन्द्र कुमार	76
165.	श्री पी. विश्वनाथन	71
166.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	22, 157
167.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	122, 127, 210
168.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	23
169.	श्री धर्मेन्द्र यादव	43, 129, 205, 209
170.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	125
171.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	107
172.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	118

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4, 9, 10, 18
कॉर्पोरेट कार्य	:	19
पेयजल और स्वच्छता	:	7
पृथ्वी विज्ञान	:	14
भारत उद्योग और लोक उद्यम	:	2, 8
सूचना और प्रसारण	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	16
विद्युत	:	3, 20
रेल	:	5, 11, 15, 17
ग्रामीण विकास	:	1, 6
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	13
जल संसाधन	:	12

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	5, 6, 12, 14, 28, 41, 44, 47, 62, 79, 85, 96, 106, 107, 143, 149, 156, 172, 180, 203, 204, 216, 225
कॉर्पोरेट कार्य	:	59, 61, 70, 71, 86, 90, 136, 148, 174, 176, 179, 193, 200, 222
पेयजल और स्वच्छता	:	20, 51, 64, 92, 111, 130, 145, 163, 185, 186, 211, 221, 224
पृथ्वी विज्ञान	:	18, 25, 67, 69, 139, 147, 183, 210
भारत उद्योग और लोक उद्यम	:	78, 116, 146, 177, 187
सूचना और प्रसारण	:	11, 19, 21, 22, 32, 55, 63, 83, 94, 113, 140, 173, 191, 208, 226, 227
अल्पसंख्यक कार्य	:	54, 65, 87, 220
विद्युत	:	2, 3, 8, 34, 36, 38, 43, 50, 75, 81, 89, 97, 105, 109, 121, 125, 132, 175, 178, 190, 195, 198, 199, 209, 218
रेल	:	1, 4, 7, 9, 13, 16, 24, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 48, 49, 52, 57, 60, 68, 80, 82, 88, 91, 95, 101, 102,

		104, 108, 112, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 137, 138, 141, 150, 154, 155, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 181, 184, 188, 189, 192, 197, 206, 213, 214, 215, 217, 229
ग्रामीण विकास	:	15, 17, 23, 45, 46, 66, 72, 73, 74, 84, 93, 100, 103, 115, 126, 133, 144, 151, 152, 153, 158, 166, 182, 196, 201, 207, 219, 228
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	56, 98, 168
जल संसाधन	:	10, 26, 27, 39, 53, 58, 76, 77, 99, 110, 114, 122, 134, 135, 142, 157, 159, 160, 161, 167, 194, 202, 205, 212, 223, 230.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।